



ఆంధ్రాబ్యాంక్

(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)

आन्धा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

**Andhra Bank**

(A Govt. of India Undertaking)

आन्धा बैंक

प्रधान कार्यालय

"डॉ. पट्टाभि भवन"

5-9-11, सैफाबाद

हैदराबाद - 500 004

**Andhra Bank**

Head Office

"Dr. Pattabhi Bhavan"

5-9-11, Saifabad,

Hyderabad - 500 004

विभाग DEPT: Board Secretariat

Merchant Banking Division

Telefax 040-23230883; Tel.No.040-23252371

E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Lr. No. 666/25/P.30/P.71U/226

Dt: 25.07.2017

Bombay Stock Exchange Limited  
25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
Fax No. 022-22723121

SCRIP: 532418  
SYSTEM: ANDBKDM

Dear Sir,

Sub : Submission of Annual Report of the <sup>Bank.</sup> for the Financial Year 2016-17  
Ref : Regulation 34 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement)  
Regulations, 2015

Pursuant to above mentioned Regulation, we hereby submit the approved and adopted Annual Report of the Bank for the Financial Year 2016-17 in the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting held on July 21, 2017 at Hyderabad.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

(Y. Amarnath)  
Company Secretary

Encl: as above





ఆంధ్రా బ్యాంక్  
**आन्धा बैंक**  
**Andhra Bank**  
 Where India Banks  
 (A Govt. of India Undertaking)

# Leveraging Technology for excellence in Customer Service



Internet Banking



- 2908 Branches
- 3929 ATMs/BNAs/CRs
- 6875 Delivery Channels
- 26 Indian States
- 03 Union Territories



वार्षिक रिपोर्ट  
**ANNUAL REPORT**  
 2016-17

# निदेशक मंडल Board of Directors



सुरेश एन पटेल  
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ  
**Suresh N Patel**  
Managing Director and CEO



एस के कालरा  
कार्यपालक निदेशक  
**S K Kalra**  
Executive Director



अजित कुमार रथ  
कार्यपालक निदेशक  
**Ajit Kumar Rath**  
Executive Director



आनन्दराव विष्णु पाटिल  
भारत सरकार नामिति निदेशक  
**Anandrao Vishnu Patil**  
Govt. of India  
Nominee Director  
(upto 27.04.2017)



अंजना दुबे  
भारत सरकार नामिति निदेशक  
**Anjana Dube**  
Govt. of India  
Nominee Director  
(w.e.f. 28.04.2017)



ई ई कार्तक  
भा रि बैं नामिति निदेशक  
**E E Karthak**  
RBI Nominee Director



ए कृष्णकुमार  
निदेशक  
**A Krishnakumar**  
Director



जी शिवकुमार  
निदेशक  
**G Sivakumar**  
Director



ఆంధ్రా బ్యాంక్  
**आन्ध्रा बैंक**  
**Andhra Bank**  
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బ్యాంక్ - Where India Banks  
(A Govt. of India Undertaking)



विषयसूची / CONTENTS

• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से / From the Managing Director & CEO.....	2
• वार्षिक साधारण बैठक की सूचना / Notice of Annual General Meeting .....	6
• निदेशकों की रिपोर्ट / प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण / Directors' Report / Management Discussion and Analysis.....	14
• व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report.....	44
• बेसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क) / Disclosures Under Pillar-III of Basel-II (New Capital Adequacy Framework).....	64
• कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट / Corporate Governance Report.....	164
• तुलन पत्र / Balance Sheet .....	232
• लाभ व हानि लेखा / Profit and Loss Account .....	233
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ /Significant Accounting Policies.....	244
• लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts .....	254
• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement .....	300
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report .....	302
• हमारी प्रगति का विहंगावलोकन/ Our Progress at a glance.....	304
• मुख्य निष्पादन अनुपात / Key Performance Ratios.....	306
• विदेशी मुद्रा में संक्षिप्त वित्तीय विवरण Abridged Financial Statements in Foreign Currency.....	308
• शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या - समूहवार Classification of Branches - Population Groupwise.....	310
• अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण - आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड Financial Statements of Subsidiary - Andhra Bank Financial Services Limited.....	312
• आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगी का समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements of Andhra Bank and its Subsidiary.....	368
• प्रॉक्सी फार्म / Proxy Form .....	402
• उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पास / Attendance Slip / Entry Pass .....	404

<b>महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेंडर / CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS</b>	
वार्षिक साधारण बैठक हेतु बही-समापन / Book Closure Dates for Annual General Meeting	जुलाई 15, 2017 से जुलाई 21, 2017 (शनिवार से शुक्रवार) / July 15, 2017 to July 21, 2017 (Saturday to Friday)
रिमोट ई-वोटिंग/स्थान पर मतदान द्वारा वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों का पता लगाने हेतु विनिर्दिष्ट तिथि / Specified Date for ascertaining the shareholders entitled to vote through remote e-voting / poll at the venue	शुक्रवार, जुलाई 14, 2017 / Friday, July 14, 2017
प्रॉक्सी फार्म/अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले संकल्प की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि / Last date for receipt of Proxy Forms / Resolutions appointing Authorised Representatives	शनिवार, जुलाई 15, 2017 (सायं 5.00 बजे तक) / Saturday, July 15, 2017 (upto 5.00 P.M.)
रिमोट ई-वोटिंग अवधि / Remote e-voting Period	मंगलवार, जुलाई 18, 2017 (प्रातः 10.00 बजे से) गुरुवार, जुलाई 20, 2017 (सायं 5.00 बजे तक) / Tuesday, July 18, 2017 (from 10.00 A.M.) to Thursday, July 20, 2017 (upto 5.00 P.M.)
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि तथा समय / Date and time of Annual General Meeting	शुक्रवार, जुलाई 21, 2017 प्रातः 10.00 बजे / Friday, July 21, 2017 at 10.00 A.M.

**लेखा परीक्षक AUDITORS**

प्रेम गुप्ता एवं कं  
PREM GUPTA & CO  
वी.कृष्णन एवं कं  
V.KRISHNAN & CO.  
बाशा एवं नरसिम्हन  
BASHA & NARASIMHAN  
सागर एवं एसोसिएट  
SAGAR & ASSOCIATES

**रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट  
Registrar & Share Transfer Agents**

मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि  
002, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5,  
पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई - 400009  
M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED  
002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS  
BUILDING, 5, P.D' MELLO ROAD,  
MASJID EAST, MUMBAI - 400 009  
Ph No. 022 - 40206020/22/23/24  
Fax no. 022 - 40206021



## शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का पत्र



### प्रिय शेयरधारक,

मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 3.39 लाख करोड़ रु का कुल व्यवसाय पार करके एक और उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य उपलब्धियां निम्न अनुसार रही :-

- ❖ कुल व्यवसाय दिनांक 31.03.2016 तक 3,10,673 करोड़ रु से बढ़कर 9.3% वृद्धि दर दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2017 तक 3,39,673 करोड़ रु हो गया।
- ❖ कुल जमाराशियाँ पिछले वर्ष में 1,74,302 करोड़ से बढ़कर 12.1% वृद्धि दर दर्ज करते हुए 1,95,441 करोड़ रु हुई।
- ❖ कासा जमाराशियाँ 45465 करोड़ रु से बढ़कर 26% वृद्धि दर दर्ज करते हुए 57315 करोड़ रु हो गई।
- ❖ जमाराशियों की लागत 6.43% रही।
- ❖ सकल बैंक ऋण 136371 करोड़ रु से बढ़कर 5.76% वृद्धि दर दर्ज करते हुए 144232 करोड़ रु हुए हैं।
- ❖ ऋण जमा अनुपात गत वर्ष 78.3% की तुलना में 73.8% रहा।
- ❖ अग्रिमों पर प्रतिफल 9.77% रहा।
- ❖ निवल ब्याज मार्जिन 3.07% रहा।
- ❖ गैर-ब्याज आय 2308 करोड़ रु रही।
- ❖ वर्ष 2016-17 हेतु निवल लाभ 174 करोड़ रु रहा।
- ❖ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए अनुपात 12.25% रहा।
- ❖ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए अनुपात 7.57% रहा।
- ❖ बेसल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.38% रहा।
- ❖ औसत आस्तियों पर प्रतिफल 0.08% रहा।
- ❖ प्रति कर्मचारी निवल लाभ 0.90 लाख रु रहा।
- ❖ प्रति कर्मचारी औसत व्यापार 16.61 करोड़ रु रहा।
- ❖ नेटवर्क विस्तार : वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 105 शाखाएं खोलीं तथा 293 एटीएम/बीएनए/सीआर जोड़े। दिनांक 31.03.2017 तक बैंक की 2908 शाखाओं, 4 विस्तार पटल, 34 सैटेलाइट कार्यालय तथा 3929 एटीएम/बीएनए/सीआर सहित 6875 डिलिवरी चैनल हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार हेतु निम्न आई.टी पहल की हैं यथा :

- ❖ निजी क्लाउड कार्यान्वयन : बैंक ने डाटा केन्द्रों में निजी क्लाउड कार्यान्वयन किया है।
- ❖ कॉल-सेंटर आउटसोर्सिंग : बैंक ने कॉल सेंटर की आउटसोर्सिंग मैसर्स टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को की है।
- ❖ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक 15 जी/एच आवेदन को एक यूनीक

पंजीकरण संख्या दी जाएगी। जमा तथा अन्य स्रोतों से ब्याज का डाटा प्रक्रिया के दौरान एकत्रित करके आय-कर विभाग को अपलोड किया जाएगा।

- ❖ आईएमपीएस सुविधा इनेबुल करने हेतु इंटरनेट बैंकिंग आवेदन में आवश्यक कस्टमाइजेशन किया जाता है, जिससे ग्राहक अन्य बैंक के हिताधिकारियों को तुरन्त तथा 24X7 निधि प्रेषित कर पाते हैं।
- ❖ वर्तमान भुगतान-गेटवे के अतिरिक्त, बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऑन-लाइन बिल भुगतान हेतु टेकप्रोसेस, एटम तथा जाकपे जैसे सेवा-प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान-गेटवे निर्धारित किया है।
- ❖ बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग द्वारा "अटल पेंशन योजना" हेतु पंजीकरण तथा जाँच के लिए घरेलू भारतीय निवासी तथा एन.आर.आई. ग्राहकों को एक नई सुविधा प्रारम्भ की है।
- ❖ इंटरनेट बैंकिंग हेतु ऑन-लाइन स्वयं-साइन अप सुविधा प्रारम्भ की गई है। ग्राहक डेबिट कार्ड, पिन तथा ओ.टी.पी. द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा हेतु पंजीकरण कर सकते हैं।
- ❖ ए.टी.एम. में डेबिट कार्ड हेतु ग्राहकों द्वारा स्वयं पिन के सृजन हेतु विकल्प प्रारम्भ किया गया है।
- ❖ सेल्फी खाता खोलने वाला एप्प, जिसमें संभावित ग्राहक सेल्फी लेकर पैनकार्ड स्कैन करके, आधार क्यू.आर. कोड स्कैन करके नया खाता खोलने हेतु अनुरोध कर सकते हैं, प्रारम्भ किया गया है। सिस्टम संदर्भ संख्या डिस्प्ले करेगा तथा खाता खोलने हेतु पैन कार्ड तथा मूल आधार कार्ड सहित, चुनी गई शाखा हेतु निदेश देगा।
- ❖ बैंक ने यू.पी.आई. एप्प प्रारम्भ किया है, जो बहु बैंक खातों को एक मोबाइल एप्प से जोड़ता है। एप्प में खाता संख्या, आईएफएससी, मोबाइल तथा आधार द्वारा धन-प्रेषण का विकल्प है। इसमें वर्चुअल भुगतान पते द्वारा किसी से धन के अनुरोध हेतु विकल्प है। ग्राहक सीधे एप्प से लेन-देन सम्बन्धी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- ❖ माइक्रो ए.टी.एम. तथा किओस्क आउटलेट द्वारा मोबाइल संख्या ग्राहक-मास्टर से इनेबुल किया गया। सभी मापदंडों के सफल वैधीकरण के पश्चात, मोबाइल नम्बर ग्राहक-मास्टर में अपडेट किया जाएगा।
- ❖ ए.बी. शुभ यात्रा - हॉलिडे बचत योजना : ए.बी. शुभ यात्रा हॉलिडे बचत योजना इनेबुल करने हेतु इंटरनेट बैंकिंग में आवश्यक कस्टमाइजेशन किया गया। यह हॉलिडे बचत योजना मैसर्स थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ग्राहकों को हॉलिडे-पैकेज का लाभ उठाने हेतु है।
- ❖ ए.बी. ई-व्यापार - व्यापारी भुगतान एप्प : ग्राहकों द्वारा व्यापारी को आधार इनेबुल भुगतान हेतु ए.बी. ई-व्यापार एप्प बनाया गया है। यह एप्प अब एंड्रायड प्लैटफॉर्म में उपलब्ध है। व्यापारी बैंक चुन सकता है तथा ग्राहक का आधार नम्बर (अथवा आधार क्यू.आर. कोड स्कैन करके) एंटर करके एप्प में राशि इंगित कर ग्राहक को बॉयो-मैट्रिक उपकरण पर अपनी उंगली रखने को कह सकता है तथा लेन-देन अधिकृत हो जाएगा।



## Managing Director & CEO's Letter to Shareholders



*Dear Shareholders,*

It gives me immense pleasure to share with you that your Bank crossed yet another milestone during financial year 2016-17 with its total Business surpassing the Rs.3.39 Lakh Crore mark. The performance highlights of your Bank for the Financial Year 2016-17 are as follows:

- ❖ **Total Business increased to ₹3,39,673 Crore as on 31.03.2017, from ₹3,10,673 Crore as on 31.03.2016 registering a growth rate of 9.3%.**
- ❖ **Total Deposits increased to ₹1,95,441 Crore from ₹1,74,302 Crore in the previous year, registering a growth rate of 12.1%.**
- ❖ **CASA Deposits increased to ₹57315 Crore from Rs. 45465 Crore, registering a growth rate of 26%.**
- ❖ **Cost of Deposits stood at 6.43%.**
- ❖ **Gross Bank Credit increased to ₹144232 Crore from ₹136371 Crore, registering a growth rate of 5.76%.**
- ❖ **Credit Deposit Ratio stood at 73.8% compared to 78.3% during the previous year.**
- ❖ **Yield on advances stood at 9.77%**
- ❖ **Net Interest Margin stood at 3.07%.**
- ❖ **Non-Interest Income stood at ₹2308 Crore.**
- ❖ **Net Profit for 2016-17 stood at ₹174 Crore.**
- ❖ **Gross NPAs to Gross Advances Ratio stood at 12.25%.**
- ❖ **Net NPAs to Net Advances Ratio stood at 7.57%.**
- ❖ **Capital Adequacy Ratio stood at 12.38% under BASEL-III.**
- ❖ **Return on Average Assets stood at 0.08%.**
- ❖ **Net Profit per Employee stood at ₹0.90 Lakh.**
- ❖ **Average Business per Employee stood at ₹16.61 Crore.**
- ❖ **Network Expansion: During 2016-17, your Bank opened 105 Branches and added 293 ATMs/BNAs/CRs. As on 31.03.2017, Bank had 6875 Delivery Channels consisting of 2908 Branches, 4 Extension Counters, 34 Satellite Offices and 3929 ATMs/BNAs/CRs**

**During FY 2016-17, your Bank has taken the following I.T. initiatives to improve Customer Service:**

- ❖ **Private Cloud implementation:** Bank has implemented private cloud at Banks Data Centre.
- ❖ **Call Centre Outsourcing:** Bank has outsourced Call Centre operation to M/s Tata Business Support Services Ltd.
- ❖ **A unique registration number will be generated to each Form15G/H application submitted by the customer. Data**

of income earned on deposits and from other sources, customer demographic details etc., will be captured during the process and uploaded to Income Tax department.

- ❖ **Necessary customization is implemented in Internet Banking application for enabling IMPS facility which allows customers to remit funds to other bank beneficiaries instantly and 24\*7.**
- ❖ **In addition to the existing Payment Gateways, Bank has integrated payment gateways of service providers like Techprocess, Atom & Zaakpay for carrying out different types of bill payments online.**
- ❖ **Bank has introduced a new facility to domestic Indian Resident and NRI customers to enroll and enquire for 'Atal Pension Yojana' scheme through Internet Banking.**
- ❖ **Online Self-sign up for internet banking facility is introduced. Customers can register for Internet Banking facility using debit card, PIN & OTP.**
- ❖ **Option for generation of PIN by customers themselves for Debit Cards in ATMs is introduced.**
- ❖ **Selfie account opening app wherein prospective customers can take a selfie and submit request for new account opening by scanning Aadhar QR code and taking a scan of PAN card. The system will display the reference number and instruction to visit opted Branch with original AADHAAR and PAN card for account opening.**
- ❖ **Bank has launched UPI App that enables linking of multiple bank accounts into a single mobile App. The App has option to send money using Account No., IFSC, Mobile and Aadhaar. It has the option for requesting money from anyone using the Virtual Payment Address. Customer can lodge transaction related grievances / complaints directly from the App itself.**
- ❖ **Seeding of mobile number to Customer Master through Micro ATMs and Kiosk Outlets was enabled. After successful validations of all parameters mobile number will be updated in Customer Master.**
- ❖ **AB Subh Yatra - Holiday Saving Plan: Necessary customisation was built in Internet Banking for enabling AB Subh Yatra holiday saving plan. This holiday saving plan is provided in association with M/s Thomas Cook India Limited to enable our customers to avail their Holiday Packages.**
- ❖ **AB eVyapar – Merchant Payment App: AB eVyapar App is developed for Aadhaar enabled payments to merchant by customers. This App is now available in Android platform. The merchant can select the bank, enter customer's Aadhaar number (or Scan Aadhaar QR code) and the amount in the App and thereafter ask the customer to place the finger on biometric device and the transaction will be authorized.**



❖ एस.एम.एस. द्वारा आधार-सीडिंग हेतु अनुरोध स्वीकारने के लिए एक एप्प बनाया गया है। प्राप्त एस.एम.एस. को वैलिडेट करके, खाते से आधार-सीडिंग हेतु एंटी-स्टेटस में आधार सीडिंग टेबुल में एक एंटी की जाएगी तथा ग्राहक को अनुरोध का स्टेटस बताते हुए एक पुष्टिकरण एस.एम.एस. भेजा जाएगा।

### वित्तीय समावेशन :

- ❖ बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है तथा दिनांक 31.03.2017 तक 24.23 लाख खाते खोले गए जबकि गत वर्ष के दौरान 21.78 लाख खाते खोले गए थे।
- ❖ गत वर्ष 977.51 करोड़ रु की तुलना में 1346.57 औसत शेष सहित, वर्ष 2015-16 के दौरान 212.91 करोड़ रु के विरुद्ध 326.33 करोड़ रु की कुल जमा का संग्रहण किया गया।
- ❖ आपका बैंक पी.एम.जे.डी.वाई खातों में ए.टी.एम. तथा माइक्रो ए.टी.एम. द्वारा ओ.डी. सुविधा प्रारम्भ करने में प्रथम है।
- ❖ ए.पी.वाई. - बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 में 1.39 लाख खाते खोले। बैंक को पीएफआरडीए द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसबी में "बेस्ट परफार्मिंग बैंक" चुना गया।
- ❖ पी.एम.एस.बी.वाई. - पी.एम.एस.बी.वाई. के अन्तर्गत 67.50 लाख खाते खोले गए।
- ❖ पी.एम.जे.जे.बी.वाई. - पी.एम.जे.जे.बी.वाई. के अन्तर्गत 7.12 लाख खाते खोले गए तथा 2816 दावों का निपटान किया गया।
- ❖ बैंक ने सभी आबंटित उप-सेवा क्षेत्रों को कवर करते हुए 1777 बैंक मित्र नियुक्त किए।

### आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 में निम्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं :

- ❖ जुलाई, 2016 में आईडीआरबीटी से दो प्रतिष्ठित पुरस्कार :-
    1. मिड-साइज बैंकों में आईटी इको सिस्टम प्रबंधन हेतु बेस्ट बैंक।
    2. मिड-साइज बैंकों में डिजिटल बैंकिंग हेतु बेस्ट बैंक।
  - ❖ मध्यम आकार वर्ग में रू-पे कार्ड के अन्तर्गत बेहतरीन कार्य-निष्पादन हेतु एनपीसीआई द्वारा राष्ट्रीय भुगतान एक्सीलेंस एवार्ड 2016 (द्वितीय)।
  - ❖ मध्यम आकार बैंकों में आईबीए से बैंकिंग टेक्नोलॉजी एवार्ड -
    1. बेस्ट वित्तीय समावेशन पहल - विजेता।
    2. बेस्ट आई.टी. जोखिम तथा साइबर सुरक्षा पहल श्रेणी - उप-विजेता।
- आपका बैंक तकनीक के सहयोग तथा समर्पित मानव संसाधन द्वारा ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं देने हेतु प्रतिबद्ध है तथा शेयर-धारकों के मूल्य को अधिकतम करने के प्रति पूर्ण प्रयास करेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(सुरेश एन. पटेल)

प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 20.05.2017



- ❖ An App has been developed to accept the request for Aadhaar Seeding through SMS mode. After validating the SMS received an entry will be made in AADHAAR seeding table in entry status for seeding of the Aadhaar to the account and a confirmation SMS will be sent to the customer with status of the request.

**Financial Inclusion :**

- ❖ Bank has successfully implemented PMJDY and as on 31.03.2017, 24.23 lakh accounts have been opened as against 21.78 lakhs during previous year.
- ❖ Total deposits of Rs. 326.33 Crore have been mobilized vis-à-vis ₹212.91 crores during 2015-'16 with an average balance of ₹1346.57 as against ₹977.51 the previous year.
- ❖ Your Bank is the pioneer in introducing OD facility through ATMs and Micro ATMs in PMJDY Accounts.
- ❖ APY - Bank has enrolled about 1.39 Lakh accounts under APY in FY 2016-17. Bank was adjudged by PFRDA as the best performing bank among PSBs during the FY 2016 – '17.
- ❖ PMSBY – 67.50 lakh accounts have been enrolled under PMSBY.
- ❖ PMJJBY- 7.12 lakh accounts have been enrolled under PMJJBY and settled 2816 claims.
- ❖ Bank has appointed 1777 Bank Mitras covering all allotted Sub Service Areas.

**Your Bank has received the following awards in the FY 2016-17:**

- ❖ Two prestigious awards from IDRBT in July 2016:-
  1. Best Bank for Managing IT Eco System among mid-size banks and
  2. Best Bank for Digital Banking among mid-size banks.
- ❖ National Payment Excellence Award 2016 (Runner up) by NPCI' for excellent performance under Rupay Card in midsize category
- ❖ Banking Technology Awards from IBA under midsize bank in
  1. Best Financial inclusion initiatives -Winner and
  2. Best IT Risk and Cyber Security Initiatives category – Runner UP

Your Bank is committed towards delivering best services to customers by leveraging on technology and dedicated human resources, and would tirelessly work towards maximizing' shareholders' value.

With warm wishes,

**Yours sincerely,**

**(Suresh N Patel)**

**Managing Director & CEO**

**Place : Hyderabad**

**Date : 20.05.2017**





(भारत सरकार का उपक्रम)  
(A Govt. of India Undertaking)

## सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्धा बैंक के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक साधारण बैठक 21 जुलाई 2017 को प्रातः 10:00 बजे 'पट्टाभि भावनालय', आन्धा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, डॉ पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 में निम्न उद्देश्य हेतु आयोजित की जाएगी।

- 31 मार्च 2017 तक लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता, लेखा-अवधि के दौरान बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र तथा खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने, उस पर विचार करने तथा उसे अपनाने हेतु।

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 16/05/2017

(वाई अमरनाथ)  
कंपनी सचिव

## टिप्पणियां:

### 1. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

कम्पनी(प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 संशोधित अनुसार, के नियम 20 के अनुपालन में, शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **विनिर्दिष्ट तिथि यथा शुक्रवार जुलाई 14, 2017 तक माने जाएंगे।**

उपर्युक्त की शर्त पर, आन्धा बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2003 के विनियम 68 के अनुसार, विनिर्दिष्ट, तिथि, यानी शुक्रवार, जुलाई 14, 2017 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट प्राप्त होगा।

### संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो **प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।**

### 2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले याने कि शनिवार, **15 जुलाई 2017** को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए। बैंक के किसी भी कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

### 3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व याने कि शनिवार, 15 जुलाई 2017 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी जाए।

### 4. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पास :

सदस्यों की सुविधा हेतु, उपस्थिति-पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक के स्थान के गेट पर दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए।



(भारत सरकार का उपक्रम)  
(A Govt. of India Undertaking)

### NOTICE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of shareholders of Andhra Bank will be held on Friday, July 21, 2017 at 10.00 A.M. at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad- 500004, to transact the following business:

....To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2017, Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad  
Date: 16/05/2017

(Y. Amarnath)  
Company Secretary

#### Notes:

#### 1. Voting Rights

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders shall be reckoned as on the **Specified Date i.e., Friday, July 14, 2017.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified Date, i.e., Friday, July 14, 2017 shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting /voting through poll.

#### Exercise of rights of joint holders:

As per Regulation 10 of the above Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote on the Resolutions.**

#### 2. Appointment of proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and to participate in the voting at the venue of the General Meeting instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before **Saturday, July 15, 2017.** No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

#### 3. Appointment of an Authorised Representative :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before Saturday, July 15, 2017.

#### 4. Attendance slip-cum-entry pass:

For the convenience of the members, attendance slip is enclosed to this report. Members are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and handover the attendance slip-cum-Entry pass at the entrance



## 5. बही संवरण :

वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में शेयरधारक रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **शनिवार, 15 जुलाई 2017 से शुक्रवार 21 जुलाई 2017** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

6. बैंक के निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2016-17 हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

## 7. शेयर धारकों का पता, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन अद्यतन करना

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या अपने रजिस्ट्रार को अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, की सूचना दें ताकि तुरंत पत्राचार में सुविधा हो सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, अद्यतन करवाएं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरधारक विवरण अद्यतन करने हेतु बैंक या अपने रजिस्ट्रार को पैन विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सूचित करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के पास उक्त विवरण अद्यतन करें।

## 8. फोलियो का समेकन:

जिन शेयरधारकों के शेयर, एक से अधिक खाते में मिलते-जुलते नामों के क्रम में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे खातों के लेजर-फोलियो की सूचना रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को दें तथा शेयर प्रमाण-पत्र भिजवाएं ताकि बैंक सभी शेयरों का एक खाते में समेकन कर सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात् शेयर प्रमाण-पत्र सदस्यों को लौटा दिए जाएंगे।

## 9. भौतिक होल्डिंग का डिमेटेरियलाइजेशन :

शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक माध्यम में धारण किये हुए हैं, अपनी धारिता को अभौतिक(डिमेटेरियलाइजेशन) रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने सम्बन्धित निक्षेपागार प्रतिभागी(डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) से सम्पर्क करना है, जहां वे अपना डीमैट खाता बनाए रख सकते हैं।

## 10. अंतरण हेतु प्रस्तुतीकरण:

विधिवत् भरे हुए अंतरण-विलेख सहित शेयर प्रमाण-पत्र निम्न पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को प्रेषित किए जाने चाहिए:-

मैसर्स एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आन्ध्रा बैंक)

002, भू-तल, कांशीराम जमनादास बिल्डिंग

5, पी डी मेल्लो रोड, मस्जिद पूर्व

मुम्बई- 400 009

## 11. शेयरधारकों से अनुरोध:

क) कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की प्रतियां भौतिक रूप में उन शेयरधारकों को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई-मेल आईडी बैंक/आरटीए में पंजीकृत नहीं है तथा ई-मेल से सॉफ्ट प्रति उन शेयरधारकों को भेजी गयी है जिनका ई-मेल आईडी बैंक/आरटीए में पंजीकृत है।

ख) कृपया नोट करें कि किफायती उपायों के कारण वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक साधारण बैठक में नहीं बाँटी जाएंगी। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति बैठक के स्थान पर साथ लाएं।

ग) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक द्वारा अपने पते में परिवर्तन की सूचना अपने सम्बन्धित निक्षेपागार प्रतिभागी(डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) को ही प्रेषित करनी है न कि बैंक या बैंक के पंजीयक तथा शेयर अन्तरण एजेंट को।

घ) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई तोहफे / कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

ङ) शेयरधारकों से अनुरोध है कि थैली/ब्रीफकेस/ टेप रिकार्डर/ कैमेरा आदि लाने से बचें चूंकि इन सभी मदों की सुरक्षा जाँच की जा सकती है और बैठक स्थान में इन्हें लाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 12. हरित पहल:

हरित पहल के समर्थन में, बैंक शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने निक्षेपागार सहभागी/ बैंक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति भेजी है। बैंक ने निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यथा निर्धारित सभी प्रलेखों की मुख्य बातें युक्त संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति परिचालित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण पाठ बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) पर उपलब्ध होगा। यदि शेयरधारक मुद्रित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया ई-मेल द्वारा [mbd@andhrabank.co.in](mailto:mbd@andhrabank.co.in) को अनुरोध भेजें, जिसके प्राप्त होने पर शेयरधारक को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति भेजी जाएगी।

## 13 अप्रदत्त/अदावाकृत/नहीं भुनाए गए लाभांश, यदि हों

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2009-10 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है अथवा दावा नहीं किया है (अंतरिम तथा अंतिम), उनसे अनुरोध है कि वे बैंक अथवा रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लि, मुम्बई से सम्पर्क करें।

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) के अनुरूप, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त, अदावाकृत अथवा नहीं भुनाए गए लाभांश की राशि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाए तथा तत्पश्चात् बैंक अथवा आईईपीएफ को भुगतान हेतु कोई दावा वर्तमान सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकेगा।



of the venue of the meeting. Proxy / Representative of the shareholder should mark on the attendance slip as proxy or representative as the case may be.

#### 5. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books would remain closed from **Saturday, July 15, 2017 to Friday, July 21, 2017** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

6. The Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend for the financial year 2016-17.

#### 7. Updating of any change in address, bank details, etc. of the shareholders:

The shareholders holding the shares in physical form are requested to inform the Bank or its Registrars for noting any change in their address, bank account details, if any, for prompt receipt of any correspondence. The shareholders holding the shares in electronic form are requested to update the change in their address, bank account details, if any, with their respective Depository Participants.

The shareholders holding shares in physical form are requested to inform their PAN details, e-mail id, mobile no., etc. to the Bank or its Registrars for updation of shareholder details. Shareholders holding shares in electronic form are requested to update the said details with their Depository Participant.

#### 8. Consolidation of Folios:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars and Transfer Agent, the ledger folio of such accounts and send the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

#### 9. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they may maintain their Demat account.

#### 10. Lodgment for Transfers :

Share Certificates along with the duly filled in transfer deed should be forwarded to the Registrars and Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: Andhra Bank)  
002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building  
5 P.D Mello Road, Masjid East  
Mumbai – 400 009

#### 11. Requests to Shareholders:

- Please note that the copies of the Annual Report 2016-17 in physical form have been dispatched to those Shareholders who have not registered their e-mail ids with the Bank/RTA and in the soft copy by email to those shareholders who have registered their e-mail ids with the Bank/RTA.
- Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting as an economy measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the venue of the meeting.
- Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.
- Shareholders are advised to avoid bringing bags / brief cases/ tape records / cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

#### 12.Green Initiative:

In support of the green initiative, the Bank has sent the soft copy of the annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their Depository Participant/ Bank's Registrar & Share Transfer Agent. The Bank has decided to circulate the hard copy of abridged annual report containing the salient features of all the documents, as prescribed to all those shareholder(s) who have not registered their email address(es).

Full version of the annual report will be available on the Bank's website [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in). In case a shareholder wishes to receive a printed copy, he/she may please send a request to the Bank by e-mail to the id: [mbd@andhrabank.co.in](mailto:mbd@andhrabank.co.in); upon which hard copy of full annual report will be sent to the shareholder.

#### 13. UNPAID/ UNCLAIMED/ UNENCASHED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2009-10 are requested to contact the Bank or Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, MCS Share Transfer Agent Ltd, Mumbai.

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed or unencashed for a period of seven years is requested to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions.



## 14. मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची मर्दान पर मतदान हाथों के प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा, अपितु रिमोट ई-वोटिंग और मतदान द्वारा आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर किया जाएगा ।

रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम बैंक की वेबसाइट पर तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेन्सी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जायेगी ।

## 15. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग

सेबी के विनियम 44(1) (निबन्धन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 तथा कम्पनियों(प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन या इसके तहत किए गए संशोधनों के संदर्भ में, बैंक वर्ष के साथ वार्षिक आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर अपने सदस्यों के लिए मतदान के साथ साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव देता है, जो उन्हें अपने मतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने और संकल्पों को पारित करने में सक्षम बनाता है रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है ।

शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.03.2015 में 'रिमोट ई-वोटिंग' कहा गया है उक्त नियमों को कम्पनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 कहा गया है ।

इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स नैशनल सिम्प्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है । बैंक ने मैसर्स एस एन अनन्तसुब्रमण्यन एण्ड कम्पनी को उचित और पारदर्शी तरीके से वार्षिक आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर रिमोट ई-वोटिंग और मतदान आयोजन का परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया है ।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि जुलाई 18, 2017 को प्रातः 10:00 बजे से आरम्भ होकर 20 जुलाई, 2017 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, बैंक के भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को, विनिर्दिष्ट तिथि, 14 जुलाई, 2017 को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा ।

**रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा प्रकार निम्नानुसार है :**

**क) सदस्य द्वारा एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होने के प्रकरण में [जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी बैंक/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं के लिए] :**

(i) ई-मेल खोलें तथा " रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" पीडीएफ फाइल अपनी क्लाउन्ट आईडी या फोलियो नम्बर को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए खोलें । उक्त पीडीएफ फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिये आपका प्रयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड/पिन शामिल है कृपया ध्यान दें कि इसमें दिया गया पासवर्ड एक आरम्भिक पासवर्ड है ।

नोट: ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत शेयरधारक पीडीएफ फाइल "रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" प्राप्त नहीं करेंगे ।

(ii) इंटरनेट ब्राउज़र लॉच कर निम्नलिखित URL टाइप <https://www.evoting.nsdl.com/> करें ।

(iii) शेयर-होल्डर पर क्लिक करें -लॉग इन

(iv) अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड (एनएसडीएल द्वारा शेयरधारकों को बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जिनके ई-मेल पते हैं को पंजीकृत ई-मेल में उल्लिखित आरम्भिक पासवर्ड) और सत्यापन कोड जैसा प्रदर्शित है प्रविष्ट करें -लॉग इन क्लिक करें ।

(v) पासवर्ड परिवर्तन मीनू दिखाई देता है। न्यूनतम 8 अंक/अक्षरों या उनके संयोजन से अपनी पसंद के नए पासवर्ड के साथ पासवर्ड/पिन बदलें नया पासवर्ड नोट करें । दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी बरतें ।

(vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा । रिमोट ई-वोटिंग पर क्लिक करें: सक्रिय मतदान साइकल्स

(vii) "आन्ध्रा बैंक" का "ईवन" चुनें ।

(viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं, चूँकि वोट देने वाला पृष्ठ खुल चुका है ।

(ix) सही विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा "सबमिट" पर क्लिक करें तथा पूछे जाने पर पुष्टि करें ।

(x) पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक दी गई" संदेश प्रदर्शित होगा ।

(xi) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एच.यू.एफ., एन.आर. आई. आदि को छोड़कर) को वोट देने हेतु विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओ) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ सम्बन्धित संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ./जे.पी.जी. फॉर्मेट/ई-मेल द्वारा जाँचकर्ता को [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net), तथा प्रति [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) को भेजना अपेक्षित है ।

**ख. यदि किसी सदस्य को ए.जी.एम. सूचना की के भौतिक प्रति (जिन सदस्यों की ई-मेल आई.डी. बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में पंजीकृत नहीं हैं अथवा भौतिक प्रति का अनुरोध प्राप्त होता है) प्राप्त होती है: प्रारंभिक पासवर्ड तथा बैंक का ई.वी.ई.एन. नम्बर आपको अलग से भेजा जाएगा। ई.वी.ई.एन (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नम्बर) यूज़र आई.डी. पासवर्ड / पिन**

**कृपया वोट देने हेतु क्र. सं. (ii) से (xii) तक उक्त सभी कदम उठाएं ।**

I. कोई प्रश्न होने पर, आप सदस्यों हेतु बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) का संदर्भ अथवा [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों हेतु उपलब्ध यूज़र-मैनुअल अथवा टौल-फ्री नम्बर 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

II. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं, तो आप वोट देने हेतु अपना वर्तमान यूज़र आईडी तथा पासवर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं ।



#### 14. Poll Process

The voting on the Agenda item will not be on the basis of show of hands but shall be done by remote e-voting and poll at the venue of the General Meeting.

The consolidated Results of Remote e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the remote e-voting Agency and will be informed to the Stock Exchanges.

#### 15. Voting through electronic means

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides Poll at the venue of the meeting, for its Members at the Annual General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTIONS. Remote e-voting is Optional.

The facility to exercise the right to vote on resolutions proposed to be considered at General Meeting by the shareholders, by electronic means has been termed as 'Remote e-voting' by Ministry of Corporate Affairs vide their Notification dated 19.03.2015. These Rules are called as the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s S.N Ananthasubramanian & Co., as the Scrutiniser for conducting the Remote e-voting and Poll at the venue of the General Meeting in a fair and transparent manner.

The remote e-voting period begins at 10.00 A.M. on July 18, 2017 and ends at 5.00 P.M. on July 20, 2017. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the specified date, July 14, 2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

**The process and manner for remote e-voting are as under:**

#### A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank/ Depository Participants(s)] :

- (i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.

NOTE: Shareholders already registered with NSDL for e-voting will not receive the PDF file "remote e-voting.pdf".

- (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (iii) Click on Shareholder - Login
- (iv) Put your user ID and password (the initial password mentioned in the e-mail sent by NSDL to shareholders whose email addresses are registered with the bank/ depository participant(s)) and verification code as displayed. Click Login.
- (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
- (vii) Select "EVEN" of "ANDHRA BANK".
- (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
- (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- (x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

#### B. In case a Member receives physical copy of the Notice of AGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :

Initial password and EVEN of the Bank will be sent to you separately.

#### EVEN (Remote e-voting Event Number)      USER ID PASSWORD/PIN

Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

- I. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990.
- II. If you are already registered with NSDL for remote



III. आप फ़ोलियो के यूज़र-प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई.डी भी अपडेट कर सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में संसूचना हेतु किया जा सकता है।

IV. सदस्यों के वोटिंग अधिकार 14 जुलाई 2017 की विनिर्दिष्ट तिथि पर बैंक की प्रदत्त ई-वोटिंग शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में होंगे।

V. कोई व्यक्ति, जिसके पास बैंक के शेयर हों, तथा नोटिस के प्रेषण के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा 14 जुलाई 2017 अर्थात् विनिर्दिष्ट तिथि तक शेयर-धारक हो, वह लॉग-इन आई.डी. तथा पासवर्ड evoting@nsdl.co.in या आन्ध्रा बैंक/मैसर्स एम.सी.एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए) से अनुरोध कर प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं, तो आप वोट देने हेतु अपने वर्तमान यूज़र आई.डी. तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों, तो आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विकल्प 'यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल गए' द्वारा अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा निम्न टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें।

VI. कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट के अधिकार के पश्चात भी ए.जी.एम. में भाग ले सकता है, परन्तु ए.जी.एम. में पुनः वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

VII. किसी व्यक्ति का नाम यदि सदस्यों के रजिस्टर अथवा विनिर्दिष्ट तिथि तक डिपॉजिटरियों द्वारा रखे हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, तो केवल मतदान द्वारा ए.जी.एम. वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा हेतु पात्रता होगी।

## नोट :

- यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल जाने वाले शेयरधारक "यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल गए" अथवा "भौतिक यूज़र रीसेट पासवर्ड" विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) उपलब्ध है।
- यदि शेयरधारक के पास शेयर डीमैट रूप में हो, तो यूज़र-आई.डी. सम्मिश्रण है (डीपी आईडी + ग्राहक आईडी)।
- यदि शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हो, तो यूज़र-आई.डी. सम्मिश्रण है (ई.वी.ई.एन. नम्बर + फोलियो नम्बर)।

## सामान्य जानकारी :

क. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार 18 जुलाई, 2017 को प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ होगी और गुरुवार 20 जुलाई, 2017 को सांय 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान मामले में शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 वोटिंग हेतु विनिर्दिष्ट तिथि तक बैंक के शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

ख. कार्यसूची मद पर मतदान रिमोट ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में मतदान द्वारा होगा। जो रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं,

वे ए.जी.एम. के स्थान पर मतदान के समय भाग लेने एवं वोट देने हेतु पात्र होंगे।

ग. इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, शेयरधारक द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता।

घ. मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एंड कं., कंपनी सचिव बैंक की 17 वीं बैठकमें वोटिंग-प्रक्रिया हेतु कार्यसूची-मद के सम्बन्ध में अन्य शेयरधारक सहित जाँचकर्ता का कार्य करेंगे।

ङ. रिमोट ई-वोटिंग तथा आम बैठक के कार्य स्थान पर ई-वोटिंग के समेकित परिणाम को अध्यक्ष अथवा लिखित अधिकृत व्यक्ति द्वारा बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट में पोस्ट किया जाएगा और आम बैठक आयोजित की जाने की 48 घंटों की अवधि में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा।

## नोटिस प्रेषित किया जाना :

बैंक के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति तथा 17 वीं वार्षिक आम सभा बैठक का नोटिस दोनों बैंक के किसी सदस्य शेयरधारक द्वारा उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फॉर्म के हार्ड प्रति में नहीं मांगे जाने तक, बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा प्रकार का उल्लेख करते हुए सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किए गए हैं। उन सदस्यों के लिए जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, बैंक की उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट में 17वीं वार्षिक आम सभा बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति अनुमति दिए गए प्रकार से प्रेषित की जा रही है।

## टिप्पणी :

बैंक को अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची मदों के संबंध में, कोई सुझाव देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं आदि अपने सुझाव, प्रश्न आदि बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय के निवेशक सेवा अनुभाग को भेजें।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 16/05/2017

(वाई. अमरनाथ)

कंपनी सचिव



e-voting then you can use your existing user ID and password/ PIN for casting your vote.

- III. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IV. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the specified date of 14th July, 2017.
- V. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as on the specified date i.e. 14th July, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or Andhra Bank / M/s MCS Share Transfer Agent Ltd (RTA).  
However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- VI. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- VII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the specified date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Poll.

**Note:**

- Shareholders who forgot the User Details/ Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) .
- In case, Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DP ID + Client ID)
- In case, Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No + Folio No)

**General Information:**

- A. The Remote e-voting period begins from 10 A.M. on Tuesday, July 18, 2017 and ends at 05.00 P.M. on Thursday, July 20, 2017. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the specified date for voting, Friday, July 14, 2017, may cast their vote for the agenda item.
- B. The voting on the agenda item shall be done by remote e-voting as well as by Poll at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to vote at the Poll to be conducted at the venue

of the AGM.

- C. The Remote e-voting module will be disabled by the Remote e-voting Agency for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- D. M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer along with another shareholder with respect to agenda item for the voting process to be conducted at the 17th Annual General Meeting of the Bank.
- E. The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) and on the website of the NSDL immediately after the declaration of the results by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

**16. Serving of Notice**

Electronic copy of the Annual Report of the Bank for the FY 2016-17 including Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting along with the Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/ Depository Participant(s) unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their e-mail address, physical copies of the said Annual Report including Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank, are being sent in the permitted mode.

**Note:**

Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. relating to the item of agenda only, at the General Meeting, may send their suggestions, Queries, etc. so as to reach the Investors' Services Cell at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

**By order of the Board of Directors**

**Place: Hyderabad  
Dated: 16.05.2017**

**(Y. Amarnath)  
Company Secretary**





## निदेशकों की रिपोर्ट

बैंक के निदेशक मार्च 31, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

### 1. प्रबन्धन की चर्चा और विश्लेषण

#### 1.1. व्यक्ति आर्थिक विकास

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कुछ अपवादों को छोड़ते हुए, वैश्विक आर्थिक गतिविधि उम्मीद से धीमी गति से पटरी पर आई है। धीमी वैश्विक प्रगति ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास पर प्रभाव डाला है तथा निवेश तथा ऋण माँग में कमी आई है। सामान्य मानसून तथा रिकॉर्ड अनाज उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल आया है और उपभोग समर्थित होने से कृषि गतिविधियों में जोश का पुनर्संचार हुआ है। हाल ही में, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय(सीएसओ) द्वारा जीवीए अनुमान जारी किये गये हैं, 2016-17 के लिये आधार कीमतों पर जीवीए में विकास दर 6.7% है, क्योंकि मुख्यतया निजी अंतिम उपभोग व्यय तीव्र गति से बढ़कर 8.7% हो गया है। जीवीए नियमों में, कृषि क्षेत्र विकास दर वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान सुधारकर 4.4% हुई है; औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 6.7% दर्ज की गई। जबकि, सेवा क्षेत्र विकास दर 7.2% वृद्धि हुई। आगे, वस्तु तथा सेवा कर(जीएसटी) के कार्यान्वयन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संरचना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों तथा कम लागत आवास को बढ़ावा देने हेतु संघीय बजट में उठाये गये कदमों से घरेलू माँग की पूर्ति होनी चाहिये। विदेश में लगातार वृद्धि से आर्थिक गतिविधि मध्यम अवधि सम्भाव्यता के निकट पहुंचेगी।

#### 1.2 आर्थिक एवं चल-निधि स्थिति:

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक आर्थिक नीति तथा आर्थिक नीति वही रखी, जिससे स्थिति न्यूट्रल रही। विमुद्रीकरण से सिस्टम में चल निधि में परिवर्तन हुआ जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। औसत सीपीआई मुद्रा स्फीति में वित्त वर्ष 2015-16 में 4.9% से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 3.8% रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के बीच रेपो दर में 50बीपीएस की कटौती की। दर में कटौती फ्रंट लोडेड थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2016 से 6.25% में परिवर्तन नहीं किया।

#### 1.3 भुगतान शेष तथा बाहरी क्षेत्र

वैश्विक माँग में सुस्ती के बावजूद भी भारत की बाहरी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही तथा तीसरी तिमाही में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं दोनों को किये जाने वाले निर्यात को गति मिली है। आयातों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम छः माह के दौरान सुस्ती तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की दूसरे छः माह के दौरान गति मिली है। चालू खाता घाटा गत वर्ष के समान इस वर्ष भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद(जीडीपी) के 1.4% के स्तर पर बना हुआ है। जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दूसरे छः माह(अक्टूबर

2016 से जनवरी 2017) के दौरान गत एक वर्ष पहले की तुलना में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) आगम यूएस\$13.2 बिलियन नरम रहा, निवल संविभाग(पोर्टफोलियो) प्रवाह चौथी तिमाही में सकारात्मक हुआ। संचयी आधार पर, निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई), तथापि एक वर्ष पहले के यूएस\$ 31.6 बिलियन की तुलना में अप्रैल-जनवरी 2016-17 में यूएस\$ 33.9 बिलियन तक बढ़ा है, जो सुझाता है कि भारत एक अधिमानी निवेश स्थान बन रहा है। विदेशी मुद्रा कोश में बढ़ोत्तरी होते हुए यह यूएस\$370 बिलियन के स्तर पर मार्च 31,2017 को पहुंच गया जो कि 10 माह के आयात के समान है।

#### 1.4 इक्विटी बाजार

वर्ष 2016-17 के दौरान, इक्विटी बाजार घरेलू तथा वैश्विक परिवर्तनों यथा ब्रैकिजट एवं संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों के मेनजर हलचल से परिपूर्ण रहा। तथापि, इक्विटी बाजार ने अपने खोये स्तर को चौथी तिमाही के दौरान एफपीआई तथा घरेलू निवेशकों की रुचि के कारण प्राप्त कर लिया। एफपीओ प्रस्तावों में गत वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। कोरपोरेट अर्जित स्रोतों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के 5.82 लाख करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.60 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। पब्लिक इश्यु की संख्या में वित्तीय वर्ष 2015-16 के 95 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 121 की वृद्धि हुई, जिसमें से गत वर्ष के 74 की तुलना में इस वर्ष 106 आईपीओ थे। वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में द्वितीय बाजार में वृद्धि हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ने 17% का रिटर्न दर्ज किया, जबकि निफ्टी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 19% का रिटर्न दर्ज किया।

#### 1.5 बॉण्ड बाजार

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 10 वर्ष बैंचमार्क प्रतिफल नरम रहा। औसत प्रतिफल वित्त वर्ष 2015-16 में 7.8% से नवम्बर 2016 में 6.20% हुआ। तथापि, वर्ष के अन्त तक फेड दरों में बढ़ोत्तरी से तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति पर दृष्टिकोण के उदार से निरपेक्ष में बदलने से सरकारी प्रतिभूतियों पर मजबूत प्रतिफल प्राप्त होने लगा। मार्च-17 के अन्त तक 7% तक वृद्धि हुई। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में गिरावट विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के कारण तरलता में वृद्धि होने के कारण हुई।

#### 1.6 बैंकिंग उद्योग में चलन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकिंग व्यवसाय कम रहा। पूरे वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा ऋण दरों में कटौती किये जाने के उपरान्त भी ऋण वृद्धि शान्त रही जो कि अर्थव्यवस्था में मजबूत ऋण माँग के अभाव को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक वर्षीय एमसीएलआर दरों में 50 से 105 बीपीएस की कमी की है। सकल ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष 2015-16 के 10.7% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 5.08% रही। तथापि, बैंकिंग प्रणाली में जमा में गत वर्ष के 9.72% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11.75% की वृद्धि दर्ज की गई। जमा में वृद्धि मुख्य रूप से नवम्बर -16 में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के कारण निधि की वृद्धि के कारण हुई है।



**DIRECTORS' REPORT:**

Directors of your Bank are happy to present the Annual Report of the Bank together with the audited Statement of Accounts and Auditors' Report for the financial year ended March 31, 2017

**1. MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS**

**1.1. MACRO ECONOMIC DEVELOPMENTS**

The global economic activity recovered at a slower pace than expected during FY 2016-17, barring few exceptions. The sluggish global growth has impacted the growth of Indian Economy and consequent investment and credit demand. The ebullient rebound in agricultural activity on the back of normal monsoon and record food grains production have boosted rural incomes and supported consumption. The Estimates of GVA that the Central Statistics Office (CSO) released recently, the growth rate of GVA at basic prices is at 6.7 per cent for 2016-17, mainly because private final consumption expenditure has accelerated to 8.7%. In GVA terms, Agricultural sector growth improved during FY 17 to 4.4%; Industry registered a GVA growth of 6.7%. Meanwhile, services sector growth moderated to 7.2%. Going forward, implementation of the Goods and Services Tax (GST) and the measures taken in the Union Budget to boost the rural economy, infrastructure, micro, small and medium enterprises (MSMEs) and low cost housing should help revitalise domestic demand.

**1.2 Monetary and Liquidity Conditions**

During the financial year 2016-17, Reserve Bank of India (RBI) maintained the stance of monetary policy as accommodative till its 6th bi-monthly monetary policy in which the stance was shifted to neutral. The demonetization exercise led to a surge in the liquidity in the system necessitating RBI to shift its policy stance. The Average CPI inflation rate has come down to 3.8% during FY 2016-17 from 4.9% in FY 2015-16. RBI has cut repo rates by 50 bps points between April 2016 and March 2017. The rates cuts were front loaded and the RBI has kept rates unchanged since October 2016 at 6.25%.

**1.3 Balance of Payments and External Sector**

The external position of India improved during the financial year 2016-17 notwithstanding the slowdown in global demand. Indian exports to both advanced economies and emerging economies have gained momentum during Q2 and Q3 for Financial year 2016-17. Imports have witnessed moderation during the first half of 2016-17 and picked up momentum in the second half of 2016-17. The current account deficit at 1.4% of GDP is at the same level of last

year. While net FDI inflows at US\$ 13.2 billion in second half of HY2:2016-17 (October 2016 - January 2017) moderated from the level a year ago, net portfolio flows turned positive in the fourth quarter. On a cumulative basis, net FDI inflows, however, rose to US\$ 33.9 billion in April-January 2016-17 as compared with US\$ 31.6 billion a year ago, suggesting India is becoming a preferred investment destination. There was an accretion to foreign exchange reserves, taking their level to US\$ 370 billion as on March 31, 2017, equivalent to about 10 months of imports.

**1.4 Equity Markets**

During 2016-17, equity market remained volatile tracking domestic and global developments on BREXIT and US presidential results. However, the equity markets regained lost ground during Q4 with revived buying interest from FPIs and domestic investors. There is an increase in FPO offering in the current year as compared to last fiscal. Corporates raised resources to the tune of ₹7.60 Lakh Crore in FY 2016-17 as compared to ₹5.82 Lakh Crore in FY 2015-16. There is an increase in number of public issues from 95 in FY 2015-16 to 121 in FY 2016-17 of which 106 were IPOs as compared to 74 of last year. During the year the gains from secondary market have increased as compared to the last year. The BSE SENSEX registered a return of 17%, while NIFTY registered a return of 19% in FY 2016-17.

**1.5 Bond Markets**

The 10-yr Benchmark yield further softened during FY 2016-17, the average yield softened to 6.20% by Nov'16 from 7.8% in FY 15-16. However, the yields on G-Secs started to harden towards the year end tracking fed rate hike and shift in RBIs stance on Monetary from being accommodative to neutral. Yields rose to close to 7% by end of Mar'17. The fall in G-sec yields was supported by the surge in liquidity due to demonetization of Specified Bank Notes.

**1.6 Trends in Banking Industry**

The Banking business muted during the financial year 2016-17. Credit growth remained muted all through the year indicating the lack of strong credit demand in the economy despite the lowering of lending rates by banks. PSBs have reduced one Year MCLR by 50 to 105 bps. The overall credit growth for the Financial year 2016-17 was 5.08% as compared to 10.7% in 2015-16. However, the deposits of the banking system witnessed a growth of 11.75% during 2016-17 as compared to 9.72% of the last financial year. The growth is mainly on account of surge in funds due to demonetization of Specified Bank Notes in November'16.



## 2. बैंक के कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ

### 2.1 व्यवसाय

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आन्ध्रा बैंक का व्यापार, 31.03.2016 के ₹3,10,673 करोड़ से ₹29,000 करोड़ की वृद्धि सहित ₹3,39,673 करोड़ हो गया। इसमें 9.33% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

### 2.2 जमाएं

आन्ध्रा बैंक की 31.03.2017 को कुल जमा ₹1,95,441 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष से ₹21,139 करोड़ (12.13%) की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल जमा में कासा जमा (चालू एवं बचत) का भाग 29.33% है।

- ❖ चालू जमा 31.03.2016 के ₹7,541 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹8,660 करोड़ हुई, इसमें 14.84% की दर से वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ बचत बैंक जमा 31.03.2016 को ₹37,924 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹48,655 करोड़ हुई, इसमें 28.3% की दर से वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ मियादी जमा 31.03.2016 को ₹1,28,828 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹1,38,124 करोड़ हुई, इसमें 7.22% की दर से वृद्धि दर्ज की गई।

### 2.3 अग्रिम

सकल बैंक ऋण 31.03.2016 के ₹1,36,371 करोड़ की तुलना में 5.76% की वृद्धि के साथ 31.03.2017 को ₹1,44,232 करोड़ हुआ।

- ❖ कृषि क्षेत्र में अग्रिम (आरआईडीएफ तथा गैर-प्राथमिक शामिल) 31.03.2016 के ₹24,679 करोड़ की तुलना में 11.7% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 को ₹27,573 करोड़ हुआ।
- ❖ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में अग्रिम 31.03.2016 के ₹23,302 करोड़ की तुलना में 17.0% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 को ₹27,260 करोड़ हुआ।

### 2.4 लाभप्रदता

**2.4.1** कुल आय वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹19,199 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.9% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए ₹20,336 करोड़ हो गई। गैर-ब्याज आय 47.6% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए गत वर्ष के ₹1,564 करोड़ की तुलना में ₹2,308 करोड़ हो गयी। बैंक का परिचालनगत लाभ गत वर्ष के ₹3,960 करोड़ की तुलना में 10.8% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए ₹4,388 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निवल लाभ ₹174 करोड़ रहा।

**2.4.2** कुल ब्याज आय में 2.23% की दर से वृद्धि दर्ज की गई तथा यह वर्ष 2015-16 के ₹17,635 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹18,027 करोड़ हो गई। इसमें से, अग्रिमों से ब्याज आय 2015-16 के ₹13,467 करोड़ में 0.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 में ₹13,598 करोड़ हो गई। निवेशों से ब्याज आय 9.14% की वृद्धि के साथ 2015-16 के ₹3,876 करोड़ की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹4,230 करोड़ रही।

**2.4.3** कुल गैर-ब्याज आय में, 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क आधारित आय ₹.214 करोड़ रही।

**2.4.4** वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹.15,948 करोड़ हुआ जो कि गत वर्ष में ₹.15,239 करोड़ था। इसमें परिचालनगत व्यय ₹.3,452 करोड़ रहा, 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्थापना व्यय कुल व्यय के अनुपात में 13.15% रहा।

### सारणी 1 राजस्व, व्यय और लाभप्रदता की मुख्य विशेषताएँ

(₹.करोड़ में)

	2015-16	2016-17	पूर्ण वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
कुल ब्याज आय	17634.67	18027.42	392.8	2.23%
कुल ब्याज व्यय	12313.71	12495.78	182.1	1.48%
निवल ब्याज आय	5320.96	5531.64	210.7	3.96%
अन्य आय	1564.47	2308.31	743.8	47.55%
निवेश की बिक्री पर लाभ	230.97	764.34	533.4	230.93%
कोर अन्य आय	1333.5	1543.96	210.5	15.78%
परिचालनगत व्यय	2925.43	3451.99	526.6	18.00%
परिचालनगत लाभ	3960.00	4387.95	428	10.81%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3420.16	4213.63	793.5	23.20%
<b>निवल लाभ</b>	<b>539.84</b>	<b>174.32</b>	<b>-365.5</b>	<b>-67.71%</b>

### विनियोजन

निवल लाभ से किये गये विनियोजन को सारणी-2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान 43.60 करोड़ की राशि सांविधिक आरक्षित निधि को अन्तरित की गई और इसके साथ सांविधिक आरक्षित निधि ₹.2,795.51 करोड़ हो गया है।

### सारणी 2 निवल लाभ में से विनियोजन

(₹.करोड़ में)

	2015-16	2016-17
निवल लाभ में से विनियोजन	<b>539.84</b>	<b>174.33</b>
आगे लाया गया शेष	<b>94.99</b>	<b>95.00</b>
सांविधिक आरक्षित निधि को अन्तरित	134.96	43.60
पूँजी आरक्षित निधि को अन्तरित	36.80	129.20
राजस्व आरक्षित निधि को अन्तरित	126.64	0
विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित	200.00	95.00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) को अन्तरित	41.43	0
तुलन पत्र को ले जाया गया लाभ	95.00	1.53

### 2.5 महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

बैंकिंग उद्योग समग्र रूप से एक कठिन अवधि से गुजर रहा है तथा बैंक ने महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात में अच्छा कार्य-निष्पादन किया है। निवल ब्याज मार्जिन गत वर्ष के 3.18% की तुलना में 3.07% रहा। आय की लागत अनुपात गत वर्ष के 42.49% की तुलना में 44.03% रहा। प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹.2.56 रहा तथा प्रति शेयर बही मूल्य (बीवीपीएस) 153.84 रहा।

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सकल अग्रिम में सकल अनर्जक आस्तियां 12.25% रहीं तथा निवल अग्रिम में निवल अनर्जक आस्तियां 7.57% रही।



## 2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK

### 2.1 Business

For the financial year ended 31st March 2017, Andhra Bank's Business stood at ₹339673 crore recording an increase of Rs.29000 Crore from Rs.310673 Crore as on 31.03.2016, with a growth rate of 9.33% (y-o-y).

### 2.2 Deposits

Andhra Bank's Total Deposits stood at ₹195441 Crore as on 31.03.2017, recording an incremental growth of ₹21139 Crore (12.13%) over the previous year. The share of CASA deposits (Current and Savings) in Total Deposits stood at 29.33%.

- ❖ Current Deposits stood at ₹8660 Crore as on 31.03.2017 as compared to ₹7541 Crore as on 31.03.2016, registering a growth rate of 14.84%.
- ❖ Savings Bank Deposits increased to ₹48655 Crore as on 31.03.2017, from Rs.37924 Crore as on 31.03.2016, growing at a rate of 28.3%.
- ❖ Term Deposits increased from ₹128828 Crore as on 31.03.2016 to ₹138124 Crore as on 31.03.2017, registering a growth rate of 7.22%.

### 2.3 Advances

Gross Bank Credit increased by 5.76% from ₹136371 Crore as on 31.03.2016 to ₹144232 Crore as on 31.03.2017.

- ❖ Credit to Agriculture Sector (including RIDF & non priority) stood at Rs.27573 Crore as on 31.03.2017 as against ₹24679 Crore as on 31.03.2016 registering a growth rate of 11.7%.
- ❖ Credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) increased from ₹23302 Crore as on 31.03.2016 to ₹27260 Crore as on 31.03.2017 registering a growth rate of 17.0%.

### 2.4 Profitability

**2.4.1** Total Income for the financial year 2016-17 increased by 5.9%, from Rs.19199 Crore during financial year 2015-16 to ₹20336 Crore Non-Interest Income increased by 47.6%, to ₹2308 Crore compared to Rs.1564 Crore in the previous year. Operating Profit of the Bank increased to ₹4388 Crore compared to ₹3960 Crore in the previous year registering a growth rate of 10.8%. Net Profit stood at Rs.174 Crore for the financial year 2016-17.

**2.4.2** The Total Interest Income recorded a growth rate of 2.23% and increased from ₹17635 Crore during 2015-16 to Rs.18027 Crore during 2016-17. Of this, Interest Income from Advances grew by 0.97% from ₹13467 Crore during 2015-16 to ₹13598 Crore during 2016-17. Interest Income from investments increased by 9.14% from ₹3876 Crore during 2015-16, and stood at ₹4230 Crore during 2016-17.

**2.4.3** Out of total Non Interest Income, Fee Based Income for the financial year ended 31.03.2017 stood at ₹214 Crore

**2.4.4** Total Expenses during the financial year 2016-17 were ₹15948 Crore against ₹15239 Crore during the previous year. Of this, Operating Expenses stood at ₹3452 Crore Establishment Expenditure as a percentage of Total Expenditure stood at 13.15% for the financial year ended 31.03.2017.

**Table 1: Highlights of Revenue, Expenditure and Profitability**

(₹ in Crore)

	2015-16	2016-17	Absolute Growth	Percentage Growth
Total Interest Income	17634.67	18027.42	392.8	2.23%
Total Interest Expenditure	12313.71	12495.78	182.1	1.48%
Net Interest Income	5320.96	5531.64	210.7	3.96%
Other Income	1564.47	2308.31	743.8	47.55%
Profit on sale of Investments	230.97	764.34	533.4	230.93%
Core Other Income	1333.5	1543.96	210.5	15.78%
Operating Expenses	2925.43	3451.99	526.6	18.00%
Operating Profit	3960.00	4387.95	428	10.81%
Provisions and Contingencies	3420.16	4213.63	793.5	23.20%
<b>Net Profit</b>	<b>539.84</b>	<b>174.32</b>	<b>-365.5</b>	<b>-67.71%</b>

### APPROPRIATIONS

The appropriations made out of Net Profit are shown in Table 2. An amount of ₹43.60 Crore was transferred to statutory reserves during 2016-17 and with this the statutory reserves now stand at ₹2795.51 Crore

**Table 2: Appropriations out of Net Profit**

(₹ in Crore)

	2015-16	2016-17
<b>Appropriation out of Net Profit</b>	<b>539.84</b>	<b>174.33</b>
<b>Balance brought forward</b>	<b>94.99</b>	<b>95.00</b>
Transfer to Statutory Reserves	134.96	43.60
Transfer to Capital Reserve	36.80	129.20
Transfer to Revenue Reserves	126.64	0
Transfer to Special Reserve	200.00	95.00
Transfer to proposed Dividend (including Dividend Tax)	41.43	0
Profit carried over to Balance Sheet	95.00	1.53

### 2.5 KEY FINANCIAL RATIOS

The Banking Industry, as a whole, has been passing through a difficult phase and the bank has done well in key financial ratios in the present scenario. Net Interest Margin (NIM) stood at 3.07% compared to 3.18% in the previous year. Cost to Income Ratio stood at 44.03%, as compared to 42.49% for the previous year. Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 2.56 and Book Value per Share (BVPS) stood at ₹153.84.

Gross Non-Performing Assets to Gross Advances stood at 12.25% and Net Non-Performing Assets to Net Advances stood at 7.57% for the financial year ended 31.03.2017.



## सारणी 3 महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

मानदण्ड	31.03.2016	31.03.2017
अग्रिमों पर आय (%)	10.71	9.77
जमा लागत (%)	7.18	6.43
निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.18	3.07
निधियों से आय (%)	9.25	8.38
निधि की लागत (%)	6.46	5.81
आय की लागत अनुपात(%)	42.49	44.03
सीआरएआर- बेसल III (%)	11.58	12.38
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.28	0.08
प्रति शेयर आय (₹.)	8.60	2.56
प्रति शेयर बही मूल्य (₹.)	150.68	153.84
निवल अनर्जक आस्ति(एनपीए) (%)	4.61	7.57
सकल अनर्जक आस्ति(एनपीए) (%)	8.39	12.25

## 2.6 पूँजी एवं निवल मूल्य (₹.करोड़ में)

मानदण्ड	31.03.2016	31.03.2017
ईक्विटी पूँजी	681	681
आरक्षित आधिक्य	9623	10730
बैंक का निवल मूल्य (मूर्त)	10264	10479

## 2.7 पूँजी पर्याप्तता

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में बेसल- III दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रारम्भ तिथि अप्रैल 1, 2013 है। तदनुसार, बैंक बेसल -III निर्धारण के अनुसार अपनी पूँजी-पर्याप्तता का मूल्यांकन कर रहा है।

बैंक की मार्च 31, 2017 को कुल पूँजी निधि ₹. 19,196.33 करोड़ रही तथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड 10.25% से अधिक 12.38% रही।

बैंक ने बेसल-III दौर के अनुसार बढ़ी हुई पूँजी आवश्यकताओं तथा व्यवसाय-स्तर में अपेक्षित वृद्धि के दृष्टिगत, पूँजी-स्तर की पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु "आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया" (आईसीएपी) अपनाई है। मूल्यांकन प्रक्रिया में ऋण केन्द्रित जोखिम, बैंक-बहियों में ब्याज-दर जोखिम, चल-निधि इत्यादि जैसे बेसल-III दिशा-निर्देशों के अधीन पिलर-II जोखिमों को सम्मिलित करने हेतु रूपरेखा भी है।

## सारणी 4 : सीआरएआर स्थिति (₹.करोड़ में)

	31 मार्च 2017 (बेसल III)
सीईटी-I	7.69%
एटी-I	1.48%
कुल टीयर -I	9.17%
टीयर-II	3.21%
<b>कुल सीआरएआर</b>	<b>12.38%</b>

## 3. व्यवसाय समीक्षा

बैंक के कुल व्यवसाय(कुल जमा योग सकल बैंक ऋण) में 9.33% की दर से वृद्धि दर्ज की गई, 31.03.2016 के ₹3,10,673 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 को ₹ 3,39,673 करोड़ हो गया।

## 3.1 समग्र जमा

समग्र जमा (अन्तर बैंक जमाओं को छोड़कर) 31.03.2016 को ₹1,74,233 करोड़ से 12.14% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 को ₹1,95,381 करोड़ हो गयी। समग्र जमाओं में ₹8,602 करोड़ की चालू जमा, ₹48,655 करोड़ की बचत जमा और ₹1,38,124 करोड़ की मियादी जमा शामिल है।

## सारणी 5: कुल जमा-राशियों का श्रेणी-वार वर्गीकरण (₹.करोड़ में)

क्र. सं.	जमाओं का प्रकार	राशि 31.03.2017	कुल जमा का प्रतिशत
1	चालू जमा राशियाँ	8602	4.40%
2	बचत बैंक जमा राशियाँ	48655	24.91%
3	कासा (1+2 का योग)	<b>57257</b>	<b>29.31%</b>
4	मियादी जमा राशियाँ	138124	70.69%
5	<b>कुल(3+4)</b>	<b>195381</b>	<b>100.00%</b>

दिनांक 31.03.2017 को कुल जमा राशियों (कुल जमा राशियों में से अन्तर बैंक जमा राशियों को निकालते हुए) का क्षेत्र-वार संवितरण निम्न सारणी में प्रस्तुत है।

## सारणी 6: कुल जमा राशियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण (₹.करोड़ में)

क्र. सं.	शाखाओं की श्रेणी	राशि 31.03.2017	कुल का %
1	ग्रामीण	12640.28	6.47%
2	अर्ध-शहरी	26898.22	13.77%
3	शहरी	39849.50	20.40%
4	महानगरीय	115992.87	59.37%
5	<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>195380.37</b>	<b>100.00%</b>

## 3.2 सकल बैंक ऋण

दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बैंक ने पिछले वर्ष की कुल बैंक ऋण में 5.76% दर की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वर्ष के दौरान ₹7,861 करोड़ जोड़ते हुए 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹.1,36,371 करोड़ की तुलना में बैंक सकल ऋण को ₹1,44,232 करोड़ हुआ है।

## सारणी 7: अग्रिम पोर्टफोलियो का वर्गीकरण (₹.करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2016	31.03.2017	अन्तर
1. खाद्य ऋण	1878	1059	-819
2. गैर खाद्य ऋण (2.1 से 2.4)	134493	143173	8680
2.1 कृषि क्षेत्र को अग्रिम	24679	27573	2894
2.2 एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम	23302	27260	3958
2.3 खुदरा ऋण(डीएल शामिल)	24428	27541	3113
2.4 बड़े उद्योग एवं अन्य अग्रिम	62084	60799	-1285
<b>कुल बैंक ऋण (1+2)</b>	<b>136371</b>	<b>144232</b>	<b>7861</b>
जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र को ऋण	54545	61690	7145

## 3.2.1 प्राथमिक क्षेत्र को ऋण

बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में दिया गया ऋण 13.10% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च, 2017 की समाप्ति पर ₹61689.71 करोड़ (आरआईडीएफ तथा अन्य निधि के अन्तर्गत 1642.74 करोड़ सहित) रहा जिसमें निवल वृद्धि ₹7144.34 प्राथमिक क्षेत्र को ऋण, पीएसएलसी का निवल ₹59,505.71 करोड़ रहा जो 40% सांविधिक नियमों की तुलना में एनबीसी का 43.49% अभिलेखित किया। बैंक ने पीएसएलसी सामान्य/एसएफ-एमएफ के अन्तर्गत ₹ 2184 करोड़ की निवल वृद्धि तथा ₹ 36.19 करोड़ का प्रीमियम/कमीशन अर्जित किया है।



**Table 3: Key Financial Ratios**

Parameter	31.03.2016	31.03.2017
Yield on Advances (%)	10.71	9.77
Cost of Deposits (%)	7.18	6.43
Net Interest Margin (%)	3.18	3.07
Yield on Funds (%)	9.25	8.38
Cost of Funds (%)	6.46	5.81
Cost-to-income Ratio (%)	42.49	44.03
CRAR – Basel III (%)	11.58	12.38
Return on Assets (%)	0.28	0.08
Earnings Per Share (Rs.)	8.60	2.56
Book Value Per Share (Rs.)	150.68	153.84
Net NPA (%)	4.61	7.57
Gross NPAs (%)	8.39	12.25

**2.6 CAPITAL & NET WORTH**

(₹ in Crore)

Parameter	31.03.2016	31.03.2017
Equity Capital	681	681
Reserves Surplus	9623	10730
Networth of the Bank (Tangible)	10264	10479

**2.7 CAPITAL ADEQUACY**

As per the guidelines issued by Reserve Bank of India, the start date for implementation of Basel III guidelines in India is with effect from April 1, 2013. Accordingly, the Bank has been assessing its Capital Adequacy as per Basel III prescriptions.

The total Capital Funds of the Bank are at Rs.19196.33 Crore as on March 31, 2017 and the Capital Adequacy Ratio at 12.38% is above the required RBI prescribed norm of 10.25%.

The Bank has put in place an “Internal Capital Adequacy Assessment Process” (ICAAP) for assessing the adequacy of Capital levels keeping in view the expected increase in business levels and enhanced Capital requirements in the Basel III regime. The assessment process also includes a framework for inclusion of Pillar-II risks under Basel-III guidelines, such as Credit concentration risk, interest rate risk in the banking book, liquidity risk, etc.

**Table 4: CRAR Position** (₹ in crore)

	31 <sup>st</sup> March 2017 (Basel III)
CET1	7.69%
AT1	1.48%
Total Tier-I	9.17%
Tier-II	3.21%
Total CRAR	12.38%

**3. BUSINESS REVIEW**

Total Business (Total Deposits plus Gross Bank Credit) of the Bank registered a growth rate of 9.33%, up from ₹310673 Crore as on 31.03.2016 to ₹339673 Crore as on 31.03.2017.

**3.1 Aggregate Deposits**

Aggregate Deposits (excluding inter-bank deposits) went up from ₹174233 Crore as on 31.03.2016 to ₹195381 Crore as on 31.03.2017, registering a growth rate of 12.14%. Aggregate Deposits comprised of current deposits of ₹8602 Crore, savings deposits of ₹48655 Crore and term deposits of ₹138124 Crore

**Table 5: Category-wise classification of Aggregate Deposits** (₹ in Crore)

Sl. No.	Type of Deposits	Amount 31.03.2017	Percentage of Aggregate Deposits
1	Current Deposits	8602	4.40%
2	Savings Bank Deposits	48655	24.91%
3	<b>CASA (Total of 1 + 2)</b>	<b>57257</b>	<b>29.31%</b>
4	Term Deposits	138124	70.69%
5	<b>TOTAL (3 + 4)</b>	<b>195381</b>	<b>100.00%</b>

Area-wise distribution of Aggregate Deposits (excluding inter-bank deposits) as on 31.03.2017 is set forth in the following Table.

**Table 6: Area-wise classification of Aggregate Deposits** (₹ in Crore)

Sl. No.	Category of Branches	Amount 31.03.2017	% to total
1	Rural	12640.28	6.47%
2	Semi-Urban	26898.22	13.77%
3	Urban	39849.50	20.40%
4	Metro	115992.87	59.37%
5	<b>TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>195380.37</b>	<b>100.00%</b>

**3.2 Gross Bank Credit**

During the Financial Year ended 31.03.2017, Bank registered a growth rate of 5.76% in Gross Bank Credit over the previous year adding ₹7861 Crore during the year, to reach ₹144232 Crore as compared to ₹136371 Crore for the Financial Year ended 31.03.2016.

**Table 7: Classification of Advances portfolio**

(₹ in Crore)

Category	31.03.2016	31.03.2017	Variance
1. Food Credit	1878	1059	-819
2. Non-Food Credit (2.1 to 2.4)	134493	143173	8680
2.1 Agricultural Advances	24679	27573	2894
2.2 Advances to MSME Sector	23302	27260	3958
2.3 Retail Credit (incl. DLs)	24428	27541	3113
2.4 Large Industries & Other Advances	62084	60799	-1285
<b>GROSS BANK CREDIT (1+2)</b>	<b>136371</b>	<b>144232</b>	<b>7861</b>
Of which, Lending to Priority sector	54545	61690	7145

**3.2.1 Priority Sector Lending**

Priority Sector advances of the Bank stood at ₹61689.71 Crore (including ₹1642.74 Cr under RIDF and other funds) as at the end of March, 2017, registering a y-o-y growth of 13.10% with an absolute increase of ₹7144.34 Crore Priority sector lending, net of PSLC, is ₹59505.71 Crore which recorded 43.49% of ANBC as against statutory norm of 40%. Bank has made net sale of ₹2184 Crore under PSLC General / SF-MF and earned premium/commission of ₹36.19Crore



## सारणी 8: प्राथमिक क्षेत्र उधार

(₹.करोड़ में)

श्रेणी	2016-17
1. प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम (2 से 7)	61689.71
2 कृषि प्राथमिकता(2.1 +2.2)	26643.33
2.1 कृषि ऋण - प्राथमिकता	25194.56
2.2 पात्र निवेश (आरआईडीएफ)	1448.77
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	25030.53
4. शिक्षा ऋण	1605.61
5. आवास ऋण (एनएचबी में अप्रत्यक्ष वित्त तथा निवेश शामिल)	8346.48
5.1 एनएचबी में पात्र निवेश	119.18
6 सामाजिक संरचना	1616
7. पुनः नवीनीकरण ऊर्जा तथा अन्य	47.60
प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम (पीएसएलसी का निवल)	59505.71
I. प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम(एनबीसी का %)	43.49
कृषि-प्राथमिक (पीएसएलसी का निवल)	25443.33
II. कृषि-अग्रिम (एनबीसी का %)	18.60
III. छोटे एवं सीमान्त कृषकों (एनबीसी का %)	9.20
IV. गैर-कोरपोरेट कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण (एनबीसी का %)	13.28
V. 31.03.2017 को कृषि के अन्तर्गत अनर्जक अस्तित्व(एनपीए) (सकल कृषि अग्रिम का %)	4.20

### कृषि ऋण प्राथमिकता

बैंक का कृषि अग्रिम (कृषि-प्राथमिकता) मार्च, 2017 की समाप्ति पर, 10.64%(वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 26,643 करोड़ रहा। मार्च, 2016 से ₹2563 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। कृषि प्राथमिक अग्रिम (₹1200 करोड़ की पीएसएलसी एसएफ/एमएफ को निवल बिक्री उपरान्त) ₹25,443 करोड़ रहा जो कि कृषि अग्रिम की एनबीसी के अधीन 18% की सांविधिक अपेक्षा की तुलना में 31.03.2017 को 18.60 % दर्ज किया गया।

### छोटे एवं सीमान्त कृषकों को ऋण

दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा छोटे एवं सीमान्त कृषकों को ₹12,582 करोड़ का ऋण(₹1200 करोड़ की पीएसएलसी एसएफ/एमएफ की निवल बिक्री उपरान्त) यथा 8% की सांविधिक अपेक्षाओं की तुलना में एनबीसी का 9.20% उपलब्ध कराया गया।

### गैर-कोरपोरेट किसानों को प्रत्यक्ष ऋण

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-कोरपोरेट किसानों को एनबीसी के 11.70% प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराने की सांविधिक अपेक्षा की तुलना में, बैंक ने 13.28% यथा ₹18,170 करोड़ प्रदान किया है।

### स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण

बैंक ने दिनांक 31.03.2017 तक कुल 2,31,359 स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसका कुल एक्सपोजर ₹.5,309 करोड़ है।

### कमजोर वर्गों को ऋण

मार्च 2017 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिम ₹15,164 करोड़ (₹1200 करोड़ की पीएसएलसी एसएफ/एमएफ की निवल बिक्री उपरान्त) रहा। बैंक द्वारा कमजोर वर्ग को एनबीसी के 10% के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.03.2017 को एनबीसी का 11.08% अर्जित किया।

### अल्पसंख्यकों को ऋण

दिनांक 31.03.2017 तक अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण ₹5,292 करोड़, यथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 15% के नियम की तुलना में 8.89% रहा।

## महिलाओं को ऋण

दिनांक 31.03.2017 तक महिला हिताधिकारियों को प्रदत्त कुल ऋण ₹.18,396 करोड़ यथा बैंक के निवल ऋण के 5% की तुलना में 13.49% रहा।

### आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट:

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट, आन्ध्र प्रदेश(9), तेलंगाना(2), ओडिशा(2) और केरल (1) राज्यों में 14 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन कर रहा है और क्षमता निर्माण/उद्यमिता विकास और ज्ञान के प्रसार के लिए किसानों, स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) महिलाओं, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं तथा कारीगरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

स्थापना पश्चात, संस्थानों द्वारा 159615 उम्मीदवारों को 5456 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है तथा करीब 65.80% प्रशिक्षित उम्मीदवार लाभकारी उद्यमों में कार्यरत हैं वर्ष के दौरान, संस्थानों ने 407 कार्यक्रमों के माध्यम से 10688 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमारे सभी ग्यारह आरएसईटीआई (3 आरएसईटीआई हाल ही में खोले गए हैं) को ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार वर्ष 2015-16 के लिए "ए" की उच्चतम रेटिंग प्रदान की गई है।

### वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र:

बैंक ने जन चेतना वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श ट्रस्ट की स्थापना की है तथा सभी 10 अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केन्द्र चलाए जा रहे हैं ये केन्द्र वित्तीय साक्षरता गतिविधियों को अभियान के माध्यम से तथा सेवा संबंधी विस्तारित सेवाएं प्रदान करते हुए बढ़ावा दे रहे हैं हमारी सभी ग्रामीण शाखाएं तथा आरएसईटीआई स्थानीय कलाकारों/जादूगरों की सेवाओं का उपयोग करते हुए और कला जटारस के आयोजन के माध्यम से गांवों में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं।

## 3.3 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

एमएसई तथा एमएसएमई के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन (₹.करोड़ में)

	31.03.2016	31.03.2017		% में अर्जित लक्ष्य	प्रगति (मार्च'16-मार्च'17)	
		टीडब्ल्यू उपरान्त-लेखा परीक्षा पश्चात	उपलब्धि		राशि	वृद्धि का %
सूक्ष्म	6273.19	10823.40	9701.53	89.63%	3428.34	54.65%
सूक्ष्म & लघु उद्योग	17746.68	22550.00	20717.27	91.87%	2970.59	16.73%
कुल एमएसएमई	23277.77	29600.00	27260.10	92.09%	3982.33	17.10%

- 17.10% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्तमान वर्ष के दौरान, 1,10,261 मुद्रा ऋण स्वीकृत किये गये तथा ₹1,611.77 करोड़ संवितरित किये गये। लक्ष्य का 64.47% अर्जित किया गया।
- वर्ष के दौरान, स्टैंड अप इन्डिया के अन्तर्गत ₹345.32 करोड़ की सीमा के 2035 आवेदन स्वीकृत किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान तीन एसएमई एक्सप्रेस खोले गए। कुल 11 एसएमई एक्सप्रेस विभिन्न केन्द्रों यथा चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, कोयंबतूर, विशाखापट्टणम, गुन्डूर, बैंगलूरु, विजयवाड़ा, नेल्लोर और हैदराबाद में कार्य कर रहे हैं।
- एसएमई एक्सप्रेस को ऋण आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए उच्चतर शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए सुदृढ़ बनाया गया है।
- सीजीटीएमएसई योजना के अन्तर्गत हमारा कार्य-निष्पादन निम्नलिखित है :-



**Table 8: Priority Sector Lending**

Category	2016 -17
1.Priority Sector Advances (2 to 7)	61689.71
2.Agriculture-Priority (2.1 + 2.2)	26643.33
2.1 Agriculture Loans-Priority	25194.56
2.2 Eligible Investments (RIDF)	1448.77
3.Micro, Small and Medium Enterprises	25030.53
4.Educational Loans	1605.61
5.Housing Loans (includes Indirect Finance & Investment in NHB)	8346.48
5.1 Eligible Investment in NHB	119.18
6.Social Infrastructure	1616.00
7.Renewal energy and others	47.60
Priority Sector Advances (net of PSLC)	59505.71
I. Priority Sector Advances (% to ANBC)	43.49
Agriculture-Priority (net of PSLC)	25443.33
II. Agriculture Advances (% to ANBC)	18.60
III.Small & Marginal Farmers (% to ANBC)	9.20
IV. Direct Lending to Non-Corporate farmers (% to ANBC)	13.28
V. NPA under Agriculture as on 31.03.2017 (% to Gross Agril advances)	4.20

**Credit to Agriculture-Priority**

Agricultural advances (Agri-Priority) of the bank stood at ₹26643 Crore at the end of March, 2017, registering a growth rate of 10.64% (y-o-y). The absolute increase over March, 2016 is ₹2563 Crore. Agri. Priority advances (after net sale of PSLC SF/MF of ₹1200 Crore) are at ₹25443 Crore which constitutes 18.60% of ANBC under agriculture advances as on 31.03.2017 as against the statutory norm of 18%.

**Lending to Small & Marginal Farmers**

Total credit extended to Small & Marginal Farmers as on 31.03.2017 was Rs.12582 Crore (after net sale of ₹1200 Crore under PSLC SF/MF) i.e., 9.20% of ANBC as against the statutory norm of 8%.

**Direct Lending to Non-Corporate farmers**

As against the statutory norm of 11.70% of ANBC to direct lending to non-Corporate farmers for the FY 2016-17, bank has reached 13.28% i.e., Rs.18170 Crore

**Lending to Self Help Groups**

Bank has extended financial assistance to 231359 self help groups with total exposure of ₹5309 Crore as on 31.03.2017.

**Credit to Weaker Sections**

Advances to Weaker sections stood at ₹15164 Crore at the end of March 2017 (after net sale of ₹1200 Crore under PSLC SF/MF). Bank surpassed the target of 10% of ANBC to weaker section by achieving 11.08% of ANBC as on 31.03.2017

**Credit to Minorities**

Total credit extended to minority communities as on 31.03.2017 was at ₹5292 Crore i.e., 8.89 % of Priority Sector advances as against norm of 15%.

**Credit to Women**

Total credit extended to women beneficiaries as on 31.03.2017 was at ₹18396 Crore i.e., 13.49 % of Net Bank Credit as against norm of 5%.

**Andhra Bank Rural Development Trust**

Andhra Bank Rural Development Trust is running 14 Rural Self Employment Training Institutes in Andhra Pradesh(9), Telangana (2), Odisha(2), & Kerala (1) states and imparting need based training for capacity building/entrepreneurial development and dissemination of knowledge to farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans.

Since inception, 159615 candidates have been trained through 5456 programs by the Institutes and around 65.80% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. During the year, the institutes imparted training to 10688 candidates through 407 programs.

All our eleven RSETIs (3 RSETIs were recently opened) have been awarded with highest rating “AA” by Ministry of Rural Development, Government of India for the year 2015-16.

**Financial Literacy and Credit Counseling Centres**

Bank has established Jana Chetana Financial Literacy and Credit Counseling Trust and running 10 Financial Literacy Centres in all Lead Districts. These centers are promoting financial literacy activities through campaign mode and providing service related extension services. All our Rural Branches and RSETIs are organizing Financial Literacy Camps in the villages by utilizing the services of local artists/magicians and organizing Kala Jataras.

**3.3 Credit to MSME Sector**

	Performance under MSE & MSME (₹ in Crore)					
	31.03.16	31.03.17		%of achievement to target	Growth (March 16- March 17)	
	Actuals	Target	Achievement		Amount	% of growth
Micro	6273.19	10823.40	9701.53	89.63%	3428.34	54.65%
Micro & Small Enterprises	17746.68	22550.00	20717.27	91.87%	2970.59	16.73%
Total MSME	23277.77	29600.00	27260.10	92.09%	3982.33	17.10%

- Registered a y-o-y growth of 17.10%.
- During the current year, 1,10,261 MUDRA loans are sanctioned and an amount of ₹1611.77 crore is disbursed. Achieved 64.47% of target.
- During the year Bank sanctioned , 2035 loans under Stand Up India a limit of ₹345.32 crore
- Three SME Expresses were opened during the financial year 2016-17. Total 11 SME Expresses are functioning at various Centres like at Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Pune, Coimbatore, Visakhapatnam, Guntur, Bangalore, Vijayawada, Nellore and Hyderabad.
- SME Expresses were strengthened and delegated with higher powers for speedy disposal of loan applications
- Our performance under CGTMSE scheme is as under





वर्ष	खातों की संख्या	(₹ करोड़ में)
31.03.2015	13212	543.19
31.03.2016	23427	740.31
31.03.2017	28329	980.20

## नवीन पहल

हमने वर्ष के दौरान एमएसई क्षेत्र में ऋण को अधिक सुदृढ़ करने के लिये निम्न कदम उठाये हैं:

- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए और नकदी आधारित लेन-देन से नकदी रहित लेन-देन की ओर आगे बढ़ने के लिये एमएसई को प्रोत्साहित करने हेतु, क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों को एमएसई इकाईयों के लिये टर्नओवर पद्धति के अन्तर्गत ₹6.00 करोड़ तक की सीमा के कार्यशील पूंजी ऋण सीमा के आकलन में 20% की बजाय अनुमानित टर्नओवर के 30% भाग को डिजिटल लेन-देन में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- स्टैंड-बाई मियादी ऋण के अन्तर्गत एमएसएमई उधारकर्ताओं को उनकी साख रेटिंग पर ध्यान दिये बिना अतिरिक्त मशीनरी प्राप्त करने के लिये निधि आधारित सीमा पर ₹1.00 करोड़ तक की सीमा के विषयान्तर्गत 20% तक छूट देने के लिये दिशा-निर्देश में छूट दी गई।
- स्वीकृति प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि कार्यशील पूंजी सीमा की स्वीकृति/नवीनीकरण के समय नियमित कार्यशील पूंजी सीमा के 20% तक एमएसई को अतिरिक्त पृथक कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान करने, विशेषकर कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में अस्थायी वृद्धि हेतु विचार किया जाए।
- कपड़ा मन्त्रालय के साथ पीएमएमवाई के अन्तर्गत बुनकरों को वित्त उपलब्ध कराने के लिये सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित और "एबी -बुनकर(वीवर)मुद्रा" नाम से नई योजना आरम्भ की गयी है।

## 3.4 खुदरा ऋण

- बैंक का खुदरा ऋण संविभाग 31.03.2016 को ₹24,429 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 तक ₹27,541 करोड़ रहा जिसमें ₹3,112 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। इस क्षेत्र में जमा ऋण तथा क्रेडिट कार्ड को शामिल करते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.74% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- आवास ऋण संविभाग 31.03.2016 को ₹11,811 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 तक ₹13,870 करोड़ रहा जिसमें ₹2,059 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.43% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वाहन ऋण संविभाग 31.03.2016 को ₹1,046 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 तक ₹1,337 करोड़ रहा जिसमें ₹291 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 27.83% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- शिक्षा ऋण 31.03.2016 को ₹2,234 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 तक ₹2,469 करोड़ रहा जिसमें ₹234 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.49% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- सम्पत्ति ऋण(सम्पत्ति पर ऋण) संविभाग 31.03.2016 को ₹1,027 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 तक ₹2,692 करोड़ रहा जिसमें ₹1,666 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 162% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- बैंक ने बाजार प्रतिस्पर्द्धा में आगे रहने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष के दौरान आवास एवं वाहन ऋण पर संधारण(प्रोसेसिंग)-प्रभार में छूट प्रदान की है।

## 3.5 अग्रिम - उद्योग वार एक्सपोजर :

बैंक को ऊर्जा, आवास ऋण, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, लोहा एवं स्टील, टेक्सटाइल आदि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का एक्सपोजर है। 31.03.2017 तक सर्वोच्च 10 उद्योगों को बैंक का सकल ऋण का 49% है, जिससे ऋण संविभाग में विभिन्नता स्पष्ट है।

### सारणी 9: अग्रिमों का उद्योग-वार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उद्योग	गत तिमाही के कुल % के रूप में सीमा	31.03.2017 को वास्तविक निधि आधारित	गत तिमाही यथा 31.12.2016 के कुल अग्रिम के % रूप में एक्सपोजर
1	ऊर्जा	22.00%	14335.77	10.09%
2	आवास ऋण	15.00%	15990.10	11.25%
3	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी	10.00%	9534.18	6.71%
4	लौह एवं इस्पात	10.00%	7618.65	5.36%
5	वस्त्र उद्योग	9.00%	6555.10	4.61%
6	निर्माण और ठेकेदार	10.00%	5121.08	3.60%
7	वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	7.00%	3527.34	2.48%
8	चावल मिल	6.00%	3650.18	2.57%
9	इंजीनियरिंग (भारी एवं हल्की)	5.00%	2287.25	1.61%
10	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	5.00%	2311.07	1.63%
	<b>कुल</b>		<b>70930.72</b>	

## 3.6 कुल बैंक ऋण की क्षेत्र-वार स्थिति

31.03.2017 को ऋण के जनसंख्या समूह वार संवितरण की स्थिति निम्नानुसार है:

### सारणी 10: 31.03.2017 को कुल बैंक ऋण का जनसंख्या समूह वार संवितरण

क्र.सं.	श्रेणी	राशि	कुल का %
1	ग्रामीण	14841	10.29%
2	अर्ध-शहरी	20800	14.42%
3	शहरी	27922	19.36%
4	महानगरीय	80669	55.93%
5	<b>कुल</b>	<b>144232</b>	<b>100.00%</b>

## 4. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को निवल मांग तथा समय देयता(एनडीटीएल) के 20.50% तक सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। बैंक के निवेश निर्णय जोखिम-प्रतिफल ट्रेड-ऑफ पर आधारित है तथा बैंक विनियामक एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहा है। नकद आरक्षित अनुपात(सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से सम्बन्धित सांविधिक नीति निर्देशों का अनुपालन तथा नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। अर्थात् तथा जोखिम मूल्य की दैनिक निगरानी के साथ तिमाही अन्तरालों पर निवेश संविभाग(पोर्टफोलिओ) की पश्च परीक्षण तथा दबाव परीक्षण की जांच द्वारा तिजोरी परिचालनों में जोखिम प्रबन्धन को अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बांड एवं डिबेंचर पोर्टफोलिओ की बाह्य रेटिंग माइग्रेसन की भी तिमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

दिनांक 31.03.2017 को, निवेश(मूल्यहास का निवल) 31.03.2016 को ₹.53,864.19 करोड़ की तुलना में ₹59697.49 करोड़ बढ़ते हुए



Year	No of A/cs	Amount (₹ Crores)
31.03.15	13212	543.59
31.03.16	23427	740.31
31.03.17	28329	980.20

**NEW INITIATIVES:**

We have taken the following initiatives during the year to streamline the lending to MSE sector

- To promote digital transactions and to encourage MSEs to move towards cashless transactions from cash based transactions, 30% of the digital portion of projected turnover is sought to be taken instead of 20% while assessing Working Capital limits to MSE units under turnover method, for limits up to ₹6.00 crores.
- Guidelines under Standby Term Loan were relaxed to MSME borrowers irrespective of credit rating to the extent of 20% of the Fund Based limits subject to a cap of Rs. 1.00 crore for acquiring additional machinery.
- Sanctioning authorities are advised to consider fixing a separate additional working capital limit for MSEs up to 20% of the regular working capital limit at the time of sanction / renewal of working capital limit, specifically for meeting the temporary rise in working capital requirements.
- Entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Textiles to finance Weavers under PMMY and new scheme had been launched in the name of “AB-Weaver Mudra”.

**3.4 Retail Lending:**

- Bank's Retail Credit portfolio stood at ₹27541 Crore as on 31.03.2017 as against ₹.24,429 Crore as on 31.03.2016, with year on year growth of ₹3112 Crore. The segment has registered a growth of 12.74% on y-o-y basis including deposit loans and credit card.
- Housing loan portfolio has increased from ₹11,811 Crore as on 31.03.2016 to ₹13,870 Crore as on 31.03.2017 with an absolute growth of ₹2059 Crore registering a growth rate of 17.43% on y-o-y basis.
- Vehicle loan portfolio has increased from ₹1046 Crore as on 31.03.2016 to ₹1337 Crore as on 31.03.2017 with an absolute growth of ₹291 Crore registering a growth rate of 27.83% on y-o-y basis.
- Education loan portfolio has increased from ₹2234 Crore as on 31.03.2016 to ₹2469 Crore as on 31.03.2017 with an absolute growth of ₹234 Crore registering a growth rate of 10.49% on y-o-y basis.
- Property loan (Loan against property) Portfolio has increased from ₹1027 Crores as on 31.03.2016 to ₹2692 Crore as on 31.03.2017 with an absolute growth of ₹1666 Crore registering a growth of 162% on y-o-y basis.
- Bank has waived processing charges on Housing Loans and Vehicle Loans during the financial year to have an edge in the market competition.

**3.5 Advances – Industry wise Exposure**

Bank has loan exposure to various sectors like Power, Housing Loans, NBFCs, Iron & Steel, Textiles, etc. Exposure to top 10 industries constitutes 49% of gross bank credit as on 31.03.2017, signifying a diversified loan portfolio.

**Table 9: Industry wise Exposure of Advances**

(₹ in Crore)

Sl. No.	Industry	Ceilings as % of Total Advances of previous Quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2017	Exposure as % of Total Advances of Previous Quarter i.e. 31.12.2016
1	Power	22.00%	14335.77	10.09%
2	Housing Loans	15.00%	15990.10	11.25%
3	NBFC	10.00%	9534.18	6.71%
4	Iron & Steel	10.00%	7618.65	5.36%
5	Textiles	9.00%	6555.10	4.61%
6	Construction & Contractors	10.00%	5121.08	3.60%
7	Commercial Real Estates	7.00%	3527.34	2.48%
8	Rice Mills	6.00%	3650.18	2.57%
9	Engineering (Heavy & Light)	5.00%	2287.25	1.61%
10	Drugs & Pharmaceuticals	5.00%	2311.07	1.63%
	<b>Total</b>		<b>70930.72</b>	

**3.6 Area-wise position of Gross Bank Credit**

The population group wise distribution of Credit as on 31.03.2017 is as under:

**Table 10: Gross Bank Credit-Population Group Wise as on 31.03.2017**

Sl. No.	Category	Amount	% to total
1	Rural	14841	10.29%
2	Semi-Urban	20800	14.42%
3	Urban	27922	19.36%
4	Metro	80669	55.93%
5	<b>TOTAL</b>	<b>144232</b>	<b>100.00%</b>

**4. INVESTMENTS**

In terms of RBI guidelines, the Bank is required to invest in SLR securities to the extent of 20.50% of NDTL. Bank's investment decisions are based on risk-return trade-off and bank is scrupulously following the regulatory and internal guidelines. Statutory prescriptions relating to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) are complied with and being monitored on a continuous basis. Risk Management in treasury operations has been strengthened further by undertaking stress testing and back testing of the investment portfolio at quarterly intervals, besides daily monitoring of Duration and Value-at-Risk (VaR). External rating migration of the bonds and debentures portfolio is also being monitored on quarterly basis.

As on 31.03.2017, the Investments (net of depreciation) increased by 10.83% and stood at ₹59697.49 Crore, up from ₹53864.19 Crore as on 31.03.2016. SLR maintained



10.83% तक बढ़ा। 31.03.2017 को रखा गया सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) ₹63,458.96 करोड़ था, जो कि निवल मांग तथा समय देयता(एनडीटीएल) का 31.08% है। निवेश से ब्याज आय 2015-16 में ₹3,875.86 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹4,354.89 करोड़ हुई। निवेश की बिक्री पर लाभ 2016-17 में ₹764.62 करोड़ रहा जो कि 2015-16 में ₹230.55 करोड़ था।

## सारणी 11: निवेशों का वर्गीकरण (₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	अन्तर (%)
1. सरकारी प्रतिभूतियां	49671.88	55870.79	12.48
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00
3. शेयर	312.52	545.48	74.54
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	2027.17	1967.41	-2.95
5. अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	361.79	361.79	0.00
6. अन्य	1490.83	952.02	-36.14
<b>कुल (1 से 6)</b>	<b>53864.19</b>	<b>59697.49</b>	<b>10.83</b>

### 4.1 महत्वपूर्ण निवेश

#### 4.1.1 संयुक्त उद्यम बीमा

हमारे बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा एवं ब्रिटेन के लीगल एवं जनरल पीएलसी ग्रुप के साथ मिलकर "इन्डिया फर्स्ट लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड" के नाम से बीमा में एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। कम्पनी में हमारी हिस्सेदारी 30% है जबकि बैंक ऑफ बडौदा की 44% एवं लीगल एवं जनरल ग्रुप की 26% हिस्सेदारी है। जीवन बीमा उद्यम में हमारा निवेश ₹187.50 करोड़ है।

#### 4.1.2. मलेशिया में बैंकिंग अनुषंगी

बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा और इन्डियन ओवरसीज बैंक के साथ मलेशिया में बैंकिंग अनुषंगी स्थापित करने हेतु टाई-अप किया है। उद्यम में बैंक का हिस्सा 25%, कुल अभिदत्त पूंजी आरएम 330 मिलियन (31.03.2017 तक 1 आरएम = ₹.14.6440) की दर से लगभग ₹483.25 करोड़ है) में से आर एम 82.50 मिलियन (बही मूल्य लगभग ₹.143.28 करोड़) है। संयुक्त उद्यम यथा इन्डिया इन्टरनेशनल बैंक बीएचडी(मलेशिया) ने 11.07.2012 से व्यवसाय कार्य आरम्भ कर दिया है।

#### 4.2 तिजोरी एवं विदेशी मुद्रा व्यापार

बैंक अपनी 56 नामित बी श्रेणी शाखाओं द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार करने हेतु 'प्राधिकृत डीलर' है। खाड़ी में स्थित 02 विनिमय गृहों के साथ बैंक की त्वरित(स्पीड) विप्रेषण व्यवस्था है।

राष्ट्र जोखिम, विनिमय जोखिम एवं अन्य विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबन्धन के लिए बैंक में पद्धतियाँ अपनाई गयी हैं। एकल राष्ट्र जोखिम सीमा के लिए राष्ट्र जोखिम एक्सपोजर एवं प्रत्येक जोखिम श्रेणी के अन्तर्गत देशों के समूह के लिए कुल जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने विदेशी मुद्रा में ₹.34,820.31 करोड़ का व्यापारिक टर्न-ओवर दर्ज किया है। बैंक ने 31.03.2016 के ₹ 4,94,560.91 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹5,76,024.16 करोड़ का अन्तर-बैंक टर्न-ओवर हासिल किया है। 31.03.2017 को बैंक का निर्यात वित्त ₹.4,176.17 करोड़ रहा।

#### 5. क्रेडिट कार्ड व्यवसाय

हमारा बैंक वर्ष 1981 से इश्यूर तथा एक्वायरर (व्यापारी व्यवसाय) दोनों में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में अग्रणी है। वर्तमान में, हमारा कार्ड आधार 168393 कार्ड है।

• क्रेडिट कार्ड के टर्नओवर में गत वर्ष के मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के ₹.686.98 करोड़ की तुलना में बढ़कर मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹.834.42 करोड़ हो गया जो कि मार्च 2017 को समाप्त

वर्ष के दौरान 21.46% की वृद्धि दर्शाता है।

- प्रभाग ने मार्च -16 को समाप्त वर्ष के ₹.9.14 करोड़ की तुलना में वर्तमान समीक्षा अवधि मार्च -17 के दौरान ₹.25.17 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

### 6. व्यापारी बैंकिंग सेवाएं

प्रभाग के भाग के रूप में शेयरधारकों और निवेशक सम्बन्ध कक्ष कार्यरत है। बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 6 शिकायतें और 3884 अनुरोध प्राप्त हुए। बैंक द्वारा सभी शिकायतों और अनुरोधों का समाधान किया गया है।

वर्ष के दौरान, बेसल III के अनुसार विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता के अनुसार पूंजी आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिये तथा सकल पूंजी स्रोत को बढ़ाने के लिये तथा दीर्घकालीन स्रोत बढ़ाने के लिये निम्न बॉण्ड जारी किये हैं।

अतिरिक्त टीयर-1 बॉण्ड	10.99%	₹900 करोड़
टीयर - II बॉण्ड	8.65%	₹1000 करोड़

#### कर्ज बॉण्ड की रेटिंग तथा बैंक की उधार जमा का प्रमाण-पत्र

बैंक द्वारा मैसर्स सीएआरई(केयर) रेटिंग इन्डिया लिमिटेड, मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्स इण्डिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड तथा मैसर्स सीआरआईएसआईएल(क्रिसिल) लिमिटेड से कर्ज बॉण्ड की रेटिंग तथा बैंक की उधार जमा का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सेवाएँ प्राप्त की जा रही है।

#### आम बैठकों का आयोजन:

बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 20.07.2016 को किया गया तथा हमने 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये बैंक के वार्षिक लेखा को अपनाने, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा तथा अहर्क संस्थागत प्लेसमेंट, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इत्यादि द्वारा पूंजी जुटाने के लिये विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

#### अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए):

सेबी ने दिनांक 10.11.2015 की अधिसूचना द्वारा अधिदेश दिया है कि पब्लिक-इश्यु में आवेदन करने वाले सभी निवेशक भुगतान हेतु केवल अवरूद्ध राशि (एसबीए) सुविधा द्वारा समर्थित आवेदन का प्रयोग करेंगे। एसबीए सुविधा हमारे बैंक द्वारा 24 अगस्त, 2009 को इनेबल की गई थी। मार्च 31, 2017 तक अखिल भारतीय स्तर पर बैंक की सभी शाखाओं(2908) को एसबीए आवेदन स्वीकारने हेतु इनेबल किया गया था। हमने अपने नेट बैंकिंग चैनल द्वारा भी यह सुविधा प्रदान की है, जहाँ ग्राहक बिना किसी झंझट के ऑन-लाइन बोली लगा सकते हैं।

#### 7. बैंकाश्युरेंस तथा शुल्क आधारित उत्पाद:

बैंक गैर ब्याज आय बढ़ाने के लिये विभिन्न स्रोतों के विपणन यथा जीवन तथा गैर-जीवन बीमा उत्पादों के विपणन, म्यूचुअल फण्ड उत्पाद, डिपॉजिटरी सेवाएँ, सीधे करों, कमर्शियल करों, म्यूनिसिपल करों, उपयोगिता भुगतान, भुगतान-गेटवे सेवाएँ, स्वतः नामे सुविधाओं आदि से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

#### 7.1 बीमा

बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा एवं ब्रिटेन के लीगल एवं जनरल ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर इन्डिया फर्स्ट लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है तथा इसका माह मार्च 2010 के दौरान औपचारिक प्रारम्भ हुआ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (खुदरा और समूह व्यवसाय सहित) से ₹140.62 करोड़ का संग्रहण किया गया। 31.03.2017 तक ₹149.48 करोड़ नवीकरण प्रीमियम का संग्रहण किया गया। बैंक ने जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री से ₹23.07 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।



as on 31.03.2017 was ₹63,458.96 Crore, which constituted 31.08% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL). Interest income from investments increased from ₹3875.86 Crore in 2015-16 to ₹4354.89 Crore in 2016-17. Profit on sale of investments stood at ₹764.62 Crore during 2016-17, while it was ₹230.55 Crore during 2015-16.

**Table 11: Classification of Investments**

	( in Crore)		
	2015-16	2016-17	Var (%)
1. Government Securities	49671.88	55870.79	12.48
2. Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00
3. Shares	312.52	545.48	74.54
4. Debentures & Bonds	2027.17	1967.41	-2.95
5. Subsidiaries and / or Joint Ventures	361.79	361.79	0.00
6. Others	1490.83	952.02	-36.14
<b>TOTAL (1 to 6)</b>	<b>53864.19</b>	<b>59697.49</b>	<b>10.83</b>

**4.1 Strategic Investments**

**4.1.1 Joint Venture Insurance**

Our Bank is having Joint venture in insurance with Bank of Baroda and Legal and General Plc of UK named "India First Life Insurance Co. Ltd". Our stake in the venture is 30% while Bank of Baroda holds 44% and Legal and General Plc holds 26% stake. Our investment in the life insurance venture is ₹187.50 Crore

**4.1.2 Banking subsidiary in Malaysia**

The Bank, along with Bank of Baroda and Indian Overseas Bank, has entered into a tie up for setting up a banking subsidiary in Malaysia. The Bank's stake in the venture is 25%, amounting to RM 82.50 Million (book value ₹143.28 Crore), in a total subscribed capital of RM 330 Million (approximately ₹ 483.25 Crore @ 1 RM = ₹14.6440 as on 31.03.2017).

The joint venture viz. INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD commenced business on 11.07.2012.

**4.2 Treasury & Forex Business**

The Bank is an 'Authorised Dealer', to deal in foreign exchange business through 56 designated B category branches of the Bank. The Bank has speed remittance arrangements with two Exchange Houses based in Gulf.

Systems have been put in place for management of country risk, exchange risk and other foreign exchange risks. The country risk exposures for single country risk limit and aggregate risk limits for the group of countries under each risk category are fixed and are being monitored on daily basis.

During the year 2016-17, the Bank recorded a merchant turnover of ₹34,820.31 Crore in Forex. The bank achieved Inter-Bank turnover of ₹5,76,024.16 Crore as on 31.03.2017 compared to ₹4,94,560.91 Crore as on 31.03.2016. Export finance of the Bank stood at ₹4,176.17 Crore as on 31.03.2017.

**5. CREDIT CARD BUSINESS**

Our Bank is a Pioneer in Credit Card Business, both as Issuer and Acquirer (Merchant Business) since 1981. At present, our card base is 168393 cards.

- The Turnover of Credit Cards has increased from ₹686.98 Crore for the year ended March'16 to ₹834.42 Crore for the

year ended March' 17 showing a growth rate of 21.46% for the year ending March '17.

- The Division has made a Net profit of ₹25.17 Crore in the current review period ended March'17, as against ₹9.14 Cr in the previous year ended March'16.

**6.MERCHANT BANKING SERVICES**

A Shareholders and Investor Relation Section is functioning as a part of the Division. The Bank has received 6 complaints and 3884 requests during the Financial Year 2016-17. All the complaints and requests have been redressed by the Bank.

During the year, we have raised the following bonds to augment the overall capital resources of the Bank for strengthening the Capital Adequacy as per Basel III capital requirements and for enhancing the long term resources.

Additional Tier I Bonds	10.99%	₹ 900 Crore
Tier II Bonds	8.65%	₹1000 Crore

**Rating of Debt Bonds and Certificate of Deposits borrowings of the Bank:**

The Bank is availing the services of M/s.CARE Ratings India Limited, M/s.Brickwork Ratings Pvt. Limited, M/s.India Ratings & Research Pvt. Ltd and M/s.CRISIL Limited for rating of the Debt Bonds and CD Issues of the Bank.

**Holding of General Meetings:**

The 16th Annual General Meeting of shareholders of the Bank was held on 20.07.2016 and we obtained shareholders' approval for adoption of annual accounts of the Bank for the financial year ended 31.03.2016, declaration of dividend on equity shares for the FY 2015-16 and special resolution on raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer, etc.

**Application Supported by Blocked Amount (ASBA):**

SEBI vide Notification dated 10.11.2015, has mandated that all the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment. ASBA facility was enabled on August 24th, 2009 through our bank. As on March 31st, 2017, all branches (2908) of the Bank across pan India were enabled to accept ASBA applications. We have also extended the facility through our Net Banking Channel where customers can bid online hassle free.

**7.BANCASSURANCE & FEE-BASED PRODUCTS**

The Bank has been constantly focusing on augmenting non-interest income through diversification of income streams by taking up marketing of life and non-life insurance products, Mutual fund products, Depository Services, Direct taxes, Commercial taxes, Municipal taxes, Utility payments, Payment gateway services, Auto-Debit facilities etc.

**7.1 Insurance**

The Bank along with Bank of Baroda and Legal & General Group Plc of UK has formed a joint venture life insurance company named India First Life Insurance Co Ltd and it was formally launched in the month of March 2010.

During the financial year 2016-17, total New Business premium (including Retail and Group business) of ₹140.62 Crore was mobilized. Renewal premium of ₹149.48 Crore was collected up to 31.03.2017. Bank earned commission of ₹23.07 Crore from sale of Life Insurance Policies.



बैंक ने मैसर्स यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का साधारण बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा के लिये समझौता किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने मैसर्स रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ साधारण बीमा के लिये समझौता तथा मैसर्स सिग्ना टीटीके इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ स्वास्थ्य बीमा के लिये समझौता किया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹122.62 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है तथा साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा के अधीन ₹14.81 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

## 7.2 म्यूचुअल फण्ड व्यवसाय

बैंक ने यूटीआई म्यूचुअल फण्ड, एसबीआई म्यूचुअल फण्ड, प्रिंसिपल म्यूचुअल फण्ड, टाटा म्यूचुअल फण्ड, सुन्दरम म्यूचुअल फण्ड, रिलायन्स म्यूचुअल फण्ड, बिरला सन लाईफ म्यूचुअल फण्ड, फिडेलिटी म्यूचुअल फण्ड, कोटक म्यूचुअल फण्ड, एलआईसी म्यूचुअल फण्ड तथा बड़ौदा पायोनीयर म्यूचुअल फण्ड नामक म्यूचुअल फण्ड कम्पनियों के साथ टाई-अप किया है।

## 7.3 निक्षेपागार सेवाएं

बैंक 'एबी डीमैट' ब्राण्ड नाम के अधीन जनता को निक्षेपागार सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड(सीएसडीएल) के साथ साथ नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) का निक्षेपागार प्रतिभागी (डीपी) है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, हमारे बैंक ने मैसर्स जियोजीत बीएनपी परिवस के साथ एक में तीन(थ्री इन वन) डी-मैट खाते के लिये समझौता किया है।

## 8. आई.टी. पहल :

### 1 निजी क्लाउड कार्यान्वयन

बैंक ने बैंक के डाटा केन्द्रों में निजी क्लाउड का कार्यान्वयन किया है। अभी तक, 38 वर्चुअल मशीनें विभिन्न परियोजनाओं(प्रोजेक्ट) के लिये आर्बिट्रि की गई हैं।

### 2 वित्तीय समावेशन(एफआई) गेटवे परिवर्तन

एक नया वित्तीय समावेशन(एफआई) गेटवे कार्यान्वित किया गया है तथा एडपीएस के हम/हमसे नहीं(अस/आफ अस) लेन-देन के लिये राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड(एनपीसीआई) प्रमाणन पूर्ण कर लिया है तथा 22.11.2016 से कार्य आरम्भ कर दिया है।

नये वित्तीय समावेशन(एफआई) गेटवे में परिवर्तन(माईग्रेशन) उपरान्त, बैंक ने एडपीडीएस प्रोजेक्ट लिये हैं। वर्तमान में, लगभग 11,000 एडपीडीएस टर्मिनल परिचालन में हैं तथा लगभग 11 लाख एडपीडीएस लेन-देन प्रतिदिन प्रत्येक माह के पहले सप्ताह के दौरान हो रहे हैं।

### 3 कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग

बैंक ने कॉल सेंटर परिचालन की आउटसोर्सिंग की है। नया कॉल सेंटर अगस्त 2016 से परिचालन रत है।

### 4 आईएमपीएस द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग

यह विशेषता खुदरा तथा कॉरपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग ग्राहकों दोनों के लिये सक्षम की गई है जो कि ग्राहकों को अन्य बैंक के हिताधिकारियों को तत्काल तथा 24\*7 निधि प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है।

### 5 टेकप्रोसेस, एटम तथा जाकपे पेमेन्ट गेटवे

वर्तमान पेमेन्ट गेटवे के साथ, बैंक ने सेवा प्रदाताओं के पेमेन्ट गेटवे यथा टेकप्रोसेस, एटम तथा जाकपे को विभिन्न प्रकार के बिलों के ऑनलाइन भुगतान करने के लिये एकीकृत किया है।

### 6 इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा अटल पेन्शन योजना(एपीवाई) पंजीकरण

बैंक ने घरेलू भारतीय नागरिकों तथा अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिये 'अटल पेन्शन योजना' की इन्टरनेट बैंकिंग से जानकारी तथा पंजीकरण के लिये नई सुविधा का आरम्भ किया है।

### 7 इन्टरनेट बैंकिंग में स्व साईन अप

ग्राहक इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा के लिये ऑनलाइन पंजीकरण अपना डेबिट कार्ड, पिन तथा एकबारगी पासवर्ड(ओटीपी) का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। प्रयोगकर्ता तत्काल सृजित होगा तथा वह इन्टरनेट बैंकिंग पासवर्ड ऑनलाइन स्वयं सेट कर सकते हैं।

### 8 मोबाइल बैंकिंग में स्व साईन अप

ग्राहक गूगल प्ले/एप्पल आईस्टोर से मोबाइल बैंकिंग एप्प(एम-पे) डाउनलोड तथा इन्स्टाल करें तथा पंजीकरण के लिये 'साईन अप' विकल्प का चयन करें।

### 9 हरित(ग्रीन) पिन

बैंक ने डेबिट कार्ड के लिये हरित(ग्रीन) पिन कार्यान्वित किया है। ग्राहक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त एकबारगी पासवर्ड(ओटीपी) को एटीएम में प्रविष्ट करते हुए डेबिट कार्ड के लिये पिन जनित करने का विकल्प उपलब्ध कराता है।

### 10 सेल्फी खाता खोलना

सेल्फी खाता खोलने वाला एप्प जिसमें सम्भावित ग्राहक सेल्फी लेकर नया खाता खोलने हेतु अनुरोध पैनकार्ड स्कैन कर, आधार क्यू.आर. कोड को स्कैन करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

### 11 यूनीफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस(यूपीआई)

यूपीआई एप्प आरम्भ किया गया जो बहु बैंक खातों को एक मोबाइल एप्प से सम्बद्ध करने में तथा वर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस पर किसी भी खाते से लेन-देन अनुरोध करने में सक्षम है।

### 12 माइक्रो एटीएम तथा कियोस्क आउटलेट द्वारा मोबाइल नम्बर सम्बद्ध किया जाना

माइक्रो एटीएम तथा कियोस्क आउटलेट से ग्राहक मास्टर में मोबाइल नम्बर सम्बद्ध किया गया है। मोबाइल सम्बद्धता के सत्यापन के लिये दो तरीके अपनाये गये हैं: (1) बायोमेट्रिक के साथ आधार नम्बर (2) डेबिट/एटीएम कार्ड के साथ पिन। दोनों ही प्रकरणों में सेवा प्रदाता ग्राहक से सूचना लेगा तथा सम्बद्धता अनुरोध बैंक को प्रेषित किया जायेगा। सभी श्रेणियों में सफल वैधीकरण के उपरान्त ग्राहक मास्टर में मोबाइल नम्बर अद्यतन किया जाता है।

### 13 एबी शुभ यात्रा-अवकाश बचत योजना

एबी शुभ यात्रा अवकाश बचत योजना को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से सक्षम बनाने के लिये आवश्यक परिवर्तन संचालित किये गये। यह अवकाश बचत योजना मैसर्स थॉमस कुक इन्डिया लिमिटेड के सहयोग से उपलब्ध कराया गया है जिससे कि हमारे ग्राहक अवकाश पैकेज प्राप्त कर सकें।

### 14 एबी ई-व्यापार-व्यापारी भुगतान एप्प

एबी ई-व्यापार एप्प ग्राहकों द्वारा व्यापारियों को आधार समर्थित भुगतान सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया है। यह एप्प अब एन्ड्रॉयड प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।

### 15 प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण जमा योजना(पीएमजीकेडी):

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के नियमानुसार अघोषित आय को जमा करने के लिये एक नई प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण जमा योजना आरम्भ की गई है। प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण जमा योजना के अन्तर्गत जमा स्वीकार करते हुए जमाकर्ता का विवरण रखने के लिये एक नया मीनू अनुकूलित (कस्टमाइज) किया गया है।

### 16 एसएमएस द्वारा आधार सम्बद्धता

आधार सम्बद्धता के अनुरोध को एसएमएस माध्यम से स्वीकार करने के लिये एक एप्प विकसित किया गया है।

### 17 टीआरएसीईएस(ट्रेसेस) के साथ सीबीएस वेब इन्टीग्रेशन

शाखाओं को टीआरएसीईएस(ट्रेसेस) में लॉग-इन करने के लिये फिनेकल में एक्सेस उपलब्ध कराने हेतु एक नया मीनू अनुकूलित (कस्टमाइज) किया गया है। भरने के लिये सत्यापन प्रक्रिया, विवरणों में सुधार तथा स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस) प्रमाण-पत्र, समेकित फाईले इत्यादि की प्रक्रिया को सरलीकृत करता है।



The Bank has a tie up with M/s United India Insurance Co Ltd for General Insurance and Health Insurance. During the FY 2016-17 the bank has tied up with M/s Reliance General Insurance Co Ltd. for General Insurance and has also tied up with M/s Cigna TTK Insurance Co Ltd for Health Insurance. During the year the Bank has mobilized the premium of ₹122.62 Crore and earned a commission of ₹14.81 Crore under General Insurance and health insurance.

## 7.2 Mutual Fund Business

The Bank is having tie-up with Mutual Fund companies, namely, UTI Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Principal Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Sundaram Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, Fidelity Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, LIC Mutual Fund and Baroda Pioneer Mutual Fund.

## 7.3 Depository Services

Bank is offering Depository Services to the public under the brand name of "AB Demat". The Bank is a Depository Participant (DP) with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as well as with National Securities Depository Limited (NSDL).

During year 2016-17, our Bank tied up with M/s Geojit BNP Paribas for three in one Demat Account.

## 8. IT INITIATIVES

### 1. Private Cloud implementation:

Bank has implemented private cloud at Bank's Data Centre. So far, 38 virtual machines are allotted for various projects.

### 2. Financial Inclusion (FI) Gateway replacement:

The new FI gateway is implemented and NPCI certification completed for AEPS on us /off us transactions and moved to production on 22.11.2016.

After migration to new FI gateway, Bank has taken up AePDS project. At present around 11,000 AePDS terminals are in operation and around 11 lakhs AePDS transactions per day are happening during the first week of every month.

### 3. Call Centre Outsourcing:

Bank has outsourced Call Centre operation. The new Call Centre is operational from August 2016.

### 4. IMPS through Internet Banking:

This feature is enabled for both Retail and Corporate Internet Banking customers which allows customers to remit funds to other bank beneficiaries instantly and 24\*7.

### 5. Techprocess, Atom & Zaakpay Payment Gateways :

In addition to the existing Payment Gateways, Bank has integrated payment gateways of service providers like Techprocess, Atom & Zaakpay for carrying out different types of bill payments online.

### 6. Atal Pension Yojana (APY) Registration through Internet Banking:

Bank has introduced a new facility to domestic Indian resident and NRI customers to enroll and enquire for 'Atal Pension Yojana' scheme through Internet Banking.

### 7. Self sign up on Internet Banking:

Customer can register for Internet Banking facility online using debit card, PIN & OTP. The user will be created instantly

and he/she can set the internet banking passwords online.

### 8. Self sign up on Mobile Banking:

Customer can download and install the Mobile Banking App (mPAY) from Google Play / Apple iStores and use "Sign Up" option to register.

### 9. Green Pin:

Bank has implemented Green PIN for Debit Cards. An option is provided to customers to generate the PIN for Debit Cards themselves in ATM after entering the OTP received in their registered mobile number.

### 10. Selfie Account Opening:

Selfie account opening app wherein prospective customers can take a selfie and submit request for new account opening by scanning Aadhaar QR code and taking a scan of PAN card.

### 11. Unified Payment Interface (UPI):

Launched UPI App that enables linking of multiple bank accounts into a single mobile App and request money from anyone using the Virtual Payment Address.

### 12. Mobile Number seeding through Micro ATMs and Kiosk Outlets:

Seeding of mobile number to Customer Master through Micro ATMs and Kiosk Outlets was enabled. For mobile seeding two approaches were followed for authentication (1) Aadhaar Number with Biometric and (2) Debit/ATM Cards with PIN. In both cases vendor will take input from the customer and seeding request will be sent to Bank. After successful validations of all parameters mobile number will be updated in Customer Master.

### 13. AB Subh Yatra - Holiday Saving Plan:

Necessary customisation was built in Internet Banking for enabling AB Subh Yatra holiday saving plan. This holiday saving plan is provided in association with M/s Thomas Cook India Limited to enable our customers to avail their Holiday Packages.

### 14. AB eVyapar – Merchant Payment App:

AB eVyapar App is developed for Aadhaar enabled payments to merchant by customers. This App is now available in Android platform.

### 15. Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme (PMGKD) :

New scheme PMGKD has been introduced to deposit the undisclosed income in terms of RBI guidelines. A new menu has been customized to capture the depositor details to accept the deposits under PMGKD scheme.

### 16. Aadhaar Seeding through SMS:

An APP has been developed to accept the request for Aadhaar Seeding through SMS mode.

### 17. CBS web integration with TRACES:

A new MENU has been customized in Finacle providing access to branches to login to TRACES. The process will simplify the authentication mechanism for filing, correction of statements and download of TDS certificates, Consolidated files etc.



## 9. नेटवर्क विस्तार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने 105 शाखाएं तथा 293 एटीएम/बीएनए/नकदी रिसाईक्लर्स खोले इसके साथ 31.03.2017 तक, बैंक के 6875 सुपुर्दगी चैनलों में 2908 शाखाएं, 4 विस्तार पटल, 34 सैटेलाइट कार्यालय तथा 3929 एटीएम जिनमें बीएनए/नकदी रिसाईक्लर्स शामिल हैं जिनका 26 राज्यों तथा 3 संघ शासित प्रदेशों में फैले हैं। बैंक की 47 विशेष शाखाएं हैं जो ग्राहकों के विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बैंक के दुबई (यूएई) (मई, 2006 में खोला गया) तथा न्यू जर्सी (यूएसए) (नवम्बर, 2008 में खोला गया) में दो प्रतिनिधि (विदेशी) कार्यालय हैं।

### सारणी 13: शाखाओं का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण :

क्र.स	श्रेणी	संख्या	कुल का %
1	ग्रामीण	745	25.62
2	अर्ध-शहरी	770	26.48
3	शहरी	664	22.83
4	महानगरीय	729	25.07
	<b>कुल</b>	<b>2908</b>	<b>100</b>

31.03.2017 को बैंक की 47 विशेषीकृत शाखाएं हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

### सारणी 14: विशेषीकृत शाखाएं

क्र. सं	विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	शाखाओं की संख्या
1	विशेषीकृत एस एम ई शाखाएं	18
2	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखाएं	2
3	विशेषीकृत एग्री हाइ-टेक शाखाएं	6
4	विशेषीकृत आवास वित्त शाखाएं	4
5	विशेषीकृत वैयक्तिक बैंकिंग शाखाएं	4
6	विशेषीकृत एन आर आई शाखाएं	3
7	कारपोरेट वित्त शाखाएं	2
8	ऑटो टेक वित्त शाखा	1
9	ओवरसीज शाखा	1
10	आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा	5
11	लघु बी शाखा	1
	<b>कुल</b>	<b>47</b>

### 9.1 अल्पसंख्यक-बहुल जिलों में उपस्थिति :

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 31.03.2017 को हमारी 335 शाखाएं हैं। देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, अल्पसंख्यक आधिक्य जिलों में स्थित शाखाओं का प्रतिशत 31.03.2017 को 11.50% रहा।

## 10. गुणात्मक पहलु:

### 10.1 जोखिम प्रबन्धन :

बैंक ने ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम के प्रबन्धन हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक बृहत "एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति" बनाई गई है। नवीनतम पद्धति की ओर बढ़ने की दिशा में तथा एकीकृत जोखिम प्रबन्धन उपायों के भाग के रूप में नीति को दो निम्न नीतियों में विभाजित किया गया है:

- ऋण जोखिम रेटिंग नीति
- मॉडल जोखिम नीति

- ऋण जोखिम डाटा प्रबन्धन नीति
- ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति
- ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा सम्पाश्विक प्रबन्धन नीति
- ऋण वसूली तथा अनर्जक आस्ति प्रबन्धन नीति
- जोखिम आधारित मूल्यांकन तथा निष्पादन प्रबन्धन नीति
- परिचालनगत जोखिम प्रबन्धन नीति
- बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति
- आस्ति देयता प्रबन्धन नीति
- नवीन उत्पाद अनुमोदन नीति
- एकीकृत(इन्टीग्रेटेड) जोखिम प्रबन्धन नीति

इसके अतिरिक्त, निम्न नीतियों की रूपरेखा विभाग द्वारा तैयार की गयी है:

- दबाव परीक्षण नीति
- आईसीएएपी नीति
- प्रकटीकरण नीति
- ऋणी के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से बचाव व्यवस्था(हेजिंग) की नीति
- आउटसोर्सिंग नीति

सभी नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

### 10.1.1 ऋण जोखिम

- ऋण जोखिम प्रबन्धन समिति बोर्ड और जोखिम प्रबन्धन समिति(आरएमसी) द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।
- बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुपरिभाषित ऋण नीति है जिसमें ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिये मानक, वित्तीय प्रसंविदा, रेटिंग मानक तथा बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण जोखिम एक्सपोजर की विवेकपूर्ण सीमा, आस्ति केन्द्रीकरण, सम्पाश्विक संविभाग प्रबन्धन ऋण हेतु मानक, ऋण समीक्षा प्रक्रिया, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा जांच, ऋणों का मूल्य, प्रावधानीकरण, विनियामक/विधि अनुपालन आदि हेतु नीतियाँ विनिर्दिष्ट हैं।
- बैंक की ऋण-जोखिम प्रबन्धन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं सम्पाश्विक प्रबन्धन नीति, ऋण-जोखिम रेटिंग नीति, ऋण-वसूली तथा अनर्जक आस्ति(एनपीए) प्रबन्धन नीति भी है।
- विभिन्न श्रेणी के जोखिमों के एक्सपोजर हेतु बैंक की बृहत आन्तरिक ऋण जोखिम रेटिंग पद्धति है। बैंक ने ₹ 5.00 करोड़ या उससे अधिक के सभी एक्सपोजर हेतु आन्तरिक रेटिंग प्रदान करने के लिये बैंक ने रेटिंग कक्ष का गठन किया। रेटिंग कक्ष शाखा/आंचलिक कार्यालय/सर्कल कार्यालय द्वारा दिये गये आन्तरिक रेटिंग की पुनरीक्षण करता है और अन्तिम रेटिंग आबंटित करता है।

- रेटिंग कक्ष बृहत रेटिंग कवरेज, रेटिंग प्रक्रिया की अखण्डता तथा डाटा का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करता है।
- बैंक क्रिसिल से उद्योग रिपोर्ट और क्रिसिल रिसर्च के औद्योगिक जोखिम स्कोर सेवा का लाभ उठाता है।

### 10.1.2 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार में निर्धारित दर एवं मूल्य में प्रतिकूल गति से उत्पन्न सम्भाव्य हानि से निहित है। बाजार जोखिम प्रबन्धन का उद्देश्य है कि बैंक की आय एवं ईक्विटी के अधिक एक्सपोजर से होने वाली ऐसी हानियों को रोकना तथा वित्तीय लिखतों यथा प्रतिभूतियाँ, विदेशी विनिमय करार, ईक्विटी एवं डेरिवेटिव लिखत साथ ही साथ तुलन-पत्र अथवा संरचनात्मक स्थिति में निहित अस्थिरता में बैंक के एक्सपोजर को कम करना। बैंक की



**9. NETWORK EXPANSION**

During the Financial Year 2016-17, Bank opened 105 Branches and added 293 ATMs/ BNAs/ CRs, with this, as on 31.03.2017, Bank had 6875 Delivery Channels consisting of 2908 Branches, 4 Extension Counters, 34 Satellite Offices and 3929 ATMs including BNAs/CRs spread over 26 States and 3 Union Territories. The Bank has 47 Specialized Branches catering to the needs of the specific segments of clientele. The Bank also has two Representative (overseas) Offices at Dubai (U.A.E) (opened in May 2006) and New Jersey (U.S.A) (opened in November, 2008).

**Table 13: Population Group Wise classification of Branches**

Sl. No.	Category	Number	% to total
1	Rural	745	25.62
2	Semi-Urban	770	26.48
3	Urban	664	22.83
4	Metro	729	25.07
	<b>TOTAL</b>	<b>2908</b>	<b>100</b>

As on 31.03.2017 the Bank had 47 Specialized Branches, as detailed hereunder:

**Table 14: Specialized Branches**

S. No.	Category of Specialized Branches	No. of Brs.
1	Specialized SME Branches	18
2	Specialized Agricultural Finance Branches	2
3	Specialized Agri - Hitech Branches	6
4	Specialized Housing Finance Branches	4
5	Specialized Personnel Banking Branches	4
6	Specialized NRI Branches	3
7	Corporate Finance Branches	2
8	Auto-Tech Finance Branch	1
9	Overseas Branch	1
10	Asset Recovery Management Branches	5
11	SmallB' Branch	1
	<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

**9.1 Presence in Minority-Dominated Districts**

At the end of 31.03.2017 we are having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 11.50 % as on 31.03.2017.

**10. QUALITATIVE ASPECTS:**

**10.1 Risk Management**

The Bank had a comprehensive "Integrated Risk Management Policy" for the management of Credit risk, Market risk and Operational risk as per the guidance notes/guidelines issued by the Reserve Bank of India. As a part of moving to advanced approach and as a part of the integrated risk management solution the policy has been divided into the following policies.

- i. Credit Risk Rating Policy
- ii. Model Risk Policy
- iii. Credit Risk Data Management Policy
- iv. Credit Risk Management Policy
- v. Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy
- vi. Loan Recovery & NPA Management Policy
- vii. Risk Based Pricing and Performance Management Policy.
- viii. Operational Risk Management Policy
- ix. Market Risk Management Policy
- x. Asset Liability Management Policy
- xi. New Product Approval Policy
- xii. Integrated Risk Management Policy

Apart from the above, the following policies are also framed by the department:

- 1. Stress Testing Policy
- 2. ICAAP Policy
- 3. Disclosure Policy
- 4. Policy on Hedging of foreign currency exposures of the borrowers.
- 5. Outsourcing Policy

All the policies shall be reviewed annually.

**10.1.1 Credit Risk**

- Credit Risk Management Committee is responsible for implementation of the Credit policies approved by the Board and RMC.
- The Bank has a well-defined 'Loan Policy' duly approved by the Board prescribing standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.
- Bank also is having in place the Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy, Credit Risk Rating Policy, Loan Recovery and NPA Management Policy.
- The Bank has in place comprehensive risk rating system for various categories of exposures. Bank has established a Rating cell for assigning internal ratings for all exposures of Rs 5 Crore and above. The Rating cell vets the internal rating given by the branch / Zonal office / Circle Office and assigns final rating.
- The Rating cell ensures comprehensive rating coverage, integrity of rating process and proper data maintenance.
- The Bank utilizes industry reports from CRISIL and the industry risk score service from CRISIL Research.

**10.1.2 Market Risk**

Market risk implies possibility of loss arising out of adverse movements of market determined rates and prices. The objective of market risk management is to avoid excessive exposure of Bank's earnings and equity to such losses and to





एक सुपरिभाषित "एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति" है तथा बाजार जोखिम प्रबन्धन कार्यों हेतु संगठनात्मक रूपरेखा है। बैंक "निवेश/विदेशी मुद्रा नीति" तथा "आस्ति देयता प्रबन्धन नीति (एएलएम) द्वारा बाजार जोखिम पर नियन्त्रण रखता है।

एक उच्च स्तरीय कार्यपालक समिति यथा आस्ति देयता समिति(एएलसीओ) बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन का निरीक्षण करती है तथा बाजार में नकदी एवं ब्याज दर परिदृश्य पर विचार विमर्श करती है तथा विभिन्न उत्पादों की विभिन्न कीमत का निर्धारण करती है। आस्ति देयता समिति(एएलसीओ) बाजार में नकदी, ब्याज दर, इक्विटी तथा विदेशी मुद्रा क्षेत्र में जोखिम की पहचान, परिमाण, निगरानी तथा न्यूनीकरण के लिये नियमित रूप से निगरानी करती है।

रेसिडुअल परिपक्वता के आधार पर परिपक्वता असंतुलन हेतु 'अन्तर विश्लेषण' द्वारा 'चलनिधि जोखिम' का माप और प्रबन्धन किया जाता है। आस्तियों और देयताओं के लिए, जो कि गैर-परिपक्वता प्रकार के हैं, के लिये बैंक व्यवहार अध्ययन का आयोजन कर रहा है और 'अन्तर विश्लेषण' की टिप्पणी हेतु गणना में लेता है। व्यवहार अध्ययन के निष्कर्ष बैंक-टेस्टिंग का विषय है जिनका की नियमित वैधीकरण किया जाता है। निवल अन्तर तथा एक वर्ष के संचयी अन्तर के लिए भी विवेकपूर्ण सीमाएँ निश्चित की गई हैं तथा इन सीमाओं का नियमित परिमाण तथा निगरानी की जाती है। बैंक के चलनिधि प्रोफाइल को भी विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से नियमित रूप से मापा जाता है तथा लगायी गयी विवेकपूर्ण सीमाओं की सहायता से इनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

'परिपक्वता अन्तर विश्लेषण' तथा 'अवधि अन्तर विश्लेषण' द्वारा नियमित 'ब्याज दर जोखिम' का प्रबन्धन किया जाता है। ब्याज दरों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के प्रति सहनशीलता सीमाएँ लगायी गयी हैं। बैंक की इक्विटी पर ब्याज दरों में परिवर्तन प्रभाव के माप हेतु अवधि गैप विश्लेषण किया गया है तथा इक्विटी की परिवर्तित अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ रखी गयी है। इक्विटी की परिवर्तित अवधि की स्थिति इस प्रयोजन हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है। मुद्रा परिचालन समेत बाजार जोखिम के माप हेतु वीएआर एवं अवधि विश्लेषण को उपयोग किया जा रहा है। बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) को भी मासिक आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा स्थिति, तरलता, या निधिक जोखिम, अथवा व्यापारी पोर्टफोलियो पर दर जोखिम विदेशी विनमय जोखिम किसी बैंक को एक्सपोज किये जाने वाले अन्य बाजार संबंधी जोखिम हैं। बैंक के पास अपने ट्रेजरी कार्य को नियंत्रण एवं निगरानी करने की स्पष्ट नीतियाँ उपलब्ध हैं। इन नीतियों में प्रबन्धन अभ्यास, प्रक्रियाएँ, प्रुडेंशियल जोखिम, समीक्षा व्यवस्था तथा रिपोर्टिंग पद्धतियाँ शामिल हैं। वित्तीय एवं बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों का नियमित अंतरालों में संशोधन किया जाता है।

### 10.1.3. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का प्रबन्धन 'एकीकृत जोखिम प्रबन्धन' नीति का एक भाग है और बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में परिचालन

जोखिम के प्रबन्धन हेतु ध्यान केन्द्रित किया है। परिचालन जोखिम प्रबन्धन कक्ष बैंक के सभी परिचालन जोखिम सम्बन्धी कार्यकलापों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, जिनमें जोखिम प्रोफाइल की समझ, परिचालन जोखिम के प्रबन्धन से सम्बन्धित सामग्री को तैयार करना और नियंत्रणों में सुधार और न्यूनतम जोखिम को लक्षित करते हुए कार्य करना है। परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरएमसी) परिचालन जोखिम नीतियों का कार्यान्वयन तथा अनुपालना सुनिश्चित करती है तथा बोर्ड/जोखिम प्रबन्धन समिति(आरएमसी) को रिपोर्ट करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट "बेसिक इंडिकेटर एप्रोच" को अपनाते हुए बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना करता है।

### 10.1.4. जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात(सीआरएआर) के परिकलन हेतु अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, भारत के सभी वाणिज्यिक बैंक ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम के लिए आधार इंडिकेटर दृष्टिकोण के अधीन "नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क" का अनुवर्तन करेंगे।

ऋण जोखिम: बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता के आकलन के लिये मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना रहा है जिसमें निवेश का एचटीएम संविभाग(पोर्टफोलियो) भी शामिल है। बैंक स्व को ऋण जोखिम हेतु उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिये तैयार कर रहा है। इस सन्दर्भ में, बैंक ने बैंक प्रबन्धन का राष्ट्रीय संस्थान(एनआईबीएम), पुणे के परामर्श सहयोग से एक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल (सीआरआरएम) का निर्माण किया है। इस मॉडल को डब्ल्यूएन(व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) आधारित सीआरआरएम मॉडल बनाकर और अधिक सुदृढ़ किया गया है जिससे इसे बैंक के किसी भी स्थान से इस तक पहुँचा जा सके। यह मॉडल ट्रांजिशन मैट्रिक्स प्रदान करने तथा चूक करने की सम्भावनाओं(चूक सम्भाव्यता) हेतु सक्षम हैं तथा भविष्य में बैंक को उन्नत दृष्टिकोण अपनाने में सहायक सिद्ध होगा।

बाजार जोखिम: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक बाजार जोखिम(एचएफटी एवं एफएस श्रेणी में निवेश) के लिए पूंजी की आवश्यकता का परिकलन करने हेतु मानकीकृत अवधि पद्धति अपना रहा है।

**परिचालन जोखिम :** बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच (बीआईए) के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का प्रबन्धन कर रहा है।

### 10.1.5. उन्नत दृष्टिकोण अपनाने हेतु की जा रही तैयारी:

बैंक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन सॉल्यूशन के कार्यान्वयन द्वारा उन्नत दृष्टिकोण(एप्रोच) में परिवर्तन की प्रक्रिया में है।

### 10.1.6 बेसल आवश्यकताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की बैंक द्वारा अनुपालना

#### पिलर-I (न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बेसल -III दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संवर्धित पूंजीगत आवश्यकताओं को आरम्भ करते हुए तथा मार्च 31, 2019 तक चरणबद्ध तरीके से इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रक्रियाबद्ध व्यवस्था विनिर्दिष्ट की है।



reduce Bank's exposure to the volatility inherent in financial instruments such as securities, foreign exchange contracts, equity and derivative instruments, as well as balance sheet or structural positions. The Bank has in place a well-defined 'Market Risk Management Policy' and an organizational structure for market risk management functions. The Bank manages market risk through 'Asset-Liability Management (ALM) policy and 'Investments/Forex policy'.

A high level Executive Committee viz. Asset-liability Committee (ALCO) oversees the ALM in the Bank and deliberates on liquidity and interest rate scenario in the market and decides upon the pricing of various products. ALCO regularly monitors the identification, measurement, monitoring and mitigation of market risk in liquidity, interest rates, equity and forex areas.

The 'liquidity risk' is measured and managed through 'gap analysis' for maturity mismatches based on residual maturity. For assets and liabilities, which are of non-maturity nature, Bank is conducting behavioural studies and factoring the observations in the gap analysis. The behavioural study findings are subjected to back-testing and are validated regularly. Prudential limits are fixed for net gaps and also for cumulative gap up to one year and these limits are measured and monitored regularly. Liquidity profile of the Bank is also measured regularly through various liquidity ratios and monitoring of the same is done with the help of prudential limits fixed thereon.

The 'interest rate risk' is monitored on a regular basis through 'Maturity gap analysis' and 'Duration gap analysis'. Tolerance limits have been fixed for impact on Net Interest Income (NII) due to adverse changes in interest rates. To measure the impact of interest rate changes on Bank's equity, duration gap analysis is done and prudential limit is set for modified duration of equity. Modified duration of equity is within the prudential limits set for this purpose. VaR and duration analysis are used for measuring market risk including treasury operations. The Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is also being assessed on a monthly basis.

Other market related risks to which any bank is exposed are foreign exchange risk on foreign currency positions, liquidity or funding risk and price risk on trading portfolios. The Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised regularly at fixed intervals in line with the changes in financial and market conditions.

### 10.1.3 Operational Risk

Management of Operational Risk is a part of the 'Integrated Risk Management Policy' and the Bank has a focused attention for management of the Operational Risk, in the light of the Reserve Bank of India guidelines. Operational

Risk Management Cell is responsible for coordinating all the operational risk management activities of the bank and these include building an understanding of the risk profile, implementing tools related to operational risk management and working towards the goals of improved controls and lower risk. Operational Risk Management Committee [ORMC] ensures implementation and compliance of the Operational Risk policies and reports to the Board/Risk Management Committee [RMC].

The Bank has been computing capital charge for Operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' (BIA) as stipulated by the RBI.

### 10.1.4 Approaches followed for computation of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)

As per RBI guidelines, all Commercial Banks in India shall follow the Standardised Approach for Credit risk, Standardized Duration Approach for Market risk and Basic Indicator Approach for Operational risk under the 'New Capital Adequacy Framework'.

**Credit Risk:** Bank at present is following the Standardized Approach for estimation of capital requirements for Credit Risk which also includes the HTM portfolio of Investments. Bank is gearing itself to move over to Advanced approaches for Credit risk. In this regard, Bank has developed a Credit Risk Rating Model (CRRM) with the consultancy assistance of National Institute of Bank Management (NIBM), Pune. This model is further strengthened internally by making it a WAN (Wide Area Network) based CRRM model so that it is accessible from any of the locations of the bank. This model is capable of providing transition matrices and default probabilities (Probability of default) and would help the Bank in moving over to the Advanced Approaches in future.

**Market Risk:** Bank is using the Standardized Duration method for computing capital charge for Market risk (investments in HFT and AFS categories) as per RBI guidelines.

**Operational Risk:** Bank is providing capital for Operational risk as per the Basic Indicator Approach (BIA).

### 10.1.5 Preparation for moving over to Advanced Approaches

Bank is in the process of migrating to Advanced Approaches through implementation of an Integrated Risk Management Solution.

### 10.1.6 Bank's compliance to RBI guidelines on Basel requirements:

#### Pillar – I (Minimum Capital requirements)

RBI has introduced in its Basel III guidelines the following enhanced capital requirements and has also prescribed transitional arrangements to conform to these requirements in a phased manner by March 31, 2019.



	विनियामक पूंजी	आरडब्ल्यूके प्रतिशत के रूप में
(i)	न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टायर 1 अनुपात	5.5
(ii)	पूंजी परिरक्षण बफर (सामान्य ईक्विटी समाविष्ट)	2.5
(iii)	न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टायर 1 अनुपात प्लस पूंजी परिरक्षण बफर (i) + (ii)	8.0
(iv)	अतिरिक्त टायर 1 पूंजी	1.5
(v)	न्यूनतम टायर 1 पूंजी अनुपात (i) + (iv)	7.0
(vi)	टायर 2 पूंजी	2.0
(viii)	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (एमटीसी)(v) + (vi)	9.0
(viii)	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात प्लस पूंजी परिरक्षण बफर (vii) + (ii)	11.5

बैंक बेसल II तथा III के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपनी पूंजी पर्याप्तता का आकलन कर रहा है। वर्तमान में बैंक की पूंजी पर्याप्तता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित संवर्धित पूंजीगत आवश्यकताओं की विनिर्दिष्ट प्रक्रियाबद्ध व्यवस्था के अनुरूप है। तथापि, बढ़ती व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंक को भविष्य में पूंजीगत निधियों का निवेश विशेषकर सामान्य ईक्विटी में वृद्धि करते हुए करना पड़ सकता है।

### पिलर II (पर्यवेक्षकीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया)

बेसल III प्रेमवर्क के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पिलर II दिशा-निर्देशों की अनुपालना हेतु विभिन्न व्यक्त जोखिमों के परिपेक्ष्य में आन्तरिक पूंजी का आकलन करने के लिये आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया(आईसीएपी) की नीति का गठन किया है। दबाव परीक्षण तथा स्थिति आकलन का प्रयोग बैंक की अपवादात्मक परंतु व्यवहार्य स्थितियों में प्रभावशाली परिचालन जारी रखने हेतु बैंक की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। बैंक द्वारा क्षेत्रवार, भौगोलिक और ऋणी अनुसार संकेंद्रण पर आधारित पोर्टफोलियो जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु त्रैमासिक आधार पर संकेंद्रण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। ऋण संकेंद्रण जोखिम निर्धारित करने हेतु हरफिंडाल-हिर्शमान इंडेक्स (एचएचआई), गिनी कोएफिशिएंट और रोसेनब्लुथ इंडेक्स जैसे सांख्यिकीय मानकों का प्रयोग करता है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण नीति है जिसमें संभावित संवेदनशीलता के आकलन और ऐसी संवेदनशीलता को संभालने की क्षमता को मापने की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन है।

### पिलर III- (बाजार अनुशासन)

बैंक के पास, बेसल III पूंजी विनियमन को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र में समाविष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण नीति है। इसमें दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है और सक्षम प्राधिकारियों को अनुपालना की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बेसल III के पिलर - III (बाजार अनुशासन) का उद्देश्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं तैयार करते हुए बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करना है जिससे बाजार प्रतिभागियों द्वारा सूचना के मुख्य घटकों एप्लिकेशन की गुंजाइश, पूंजी, जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया तथा इस प्रकार से बैंक की पूंजी पर्याप्तता की प्राप्ति है। पिलर III प्रकटीकरण त्रैमासिक और अर्द्धवार्षिक आधार पर बैंक की वेबसाइट तथा साथ ही प्रत्येक वर्ष मार्च को वर्ष के अन्त में प्रकटीकरण प्रकाशित किए जाते हैं। पिलर-III वर्ष के अन्त में प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होने के अलावा बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में भी उपलब्ध होते हैं।

**10.1.7** उपर्युक्त के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने लीवरेज और चलनिधि मानकों के कई अन्य उपाय भी आरम्भ किए हैं यथा .

- बैंक के तुलन पत्र से अत्यधिक लीवरेज को नियन्त्रित करने हेतु 4.5% का न्यूनतम लीवरेज अनुपात; और

- चलनिधि मानक हेतु दो अनुपात यथा चलनिधि कवरेज अनुपात(एलसीआर) और निवल स्थायी फण्डिंग अनुपात (एनएसएफआर)।

एलसीआर में आवश्यक है कि बैंक पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां रखें जो उसके 30 दिन से अधिक के कुल निवल नकदी प्रवाह(आउटफ्लो) के दबाव को कवर करने हेतु पर्याप्त हों। एनएसएफआर में आवश्यक है कि बैंक एक वर्ष की अवधि तक के परिवर्धित दबाव आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्थायी निधि की पर्याप्त राशि रखें।

बैंक एलसीआर हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा एनएसएफआर द्वारा जारी मसौदा दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में नियमित रूप से चलनिधि अनुपात का आकलन और निगरानी करता है। बैंक तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात का आकलन और निगरानी भी कर रहा है

### 10.2 आस्ति गुणवत्ता प्रबन्धन :

31.03.2017 को बैंक की सकल अनर्जक आस्ति(एनपीए) ₹17,670 करोड़ रही। सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्ति(एनपीए) 12.25% रही जबकि निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्ति(एनपीए) 7.57% रही। 31.03.2016 को अनर्जक आस्ति(एनपीए) कवरेज का प्रावधान 51.03% था।

अनर्जक आस्ति(एनपीए) खातों में कुल कमी ₹3,184 करोड़ रही।

### सारणी 15 -अनर्जक आस्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17
वर्ष के प्रारम्भ में सकल अनर्जक आस्तियां	6876.54	11443.63
वर्ष के दौरान जोड़ी गयी	6332.04	9410.34
वर्ष के दौरान घटायी गयी	1764.95	3183.99
वर्ष के अन्त में सकल अनर्जक आस्तियां	11443.63	17669.98
निवल अनर्जक आस्तियां	6035.65	10354.81

31 मार्च 2017 को अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र वार विवरण निम्न प्रकार है :

### सारणी 16 : क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	राशि	अग्रिम का एनपीए प्रतिशत *
1. कृषि	1156.88	4.20%
2. एमएसएमई	2703.06	9.92%
3. खुदरा ऋण	458.26	1.66%
4. बड़े व मध्यम कॉर्पोरेट	13351.78	21.58%
<b>कुल</b>	<b>17669.98</b>	<b>12.25%</b>

\*अग्रिमों का प्रति अनर्जक आस्ति(एनपीए) % उस क्षेत्र के अग्रिमों के प्रति अनर्जक आस्ति(एनपीए) को दर्शाता है।

अनर्जक आस्तियों(एनपीए) की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत किये गये प्रावधान निम्न प्रकार से हैं:

### सारणी 17 : अनर्जक आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान (₹13 करोड़ के फ्लोटिंग प्रावधानों को निकालते हुए) (₹ करोड़ में)

आस्ति की प्रकृति	बकाया	रखा गया प्रावधान
अवमानक आस्तियां	6611.17	1154.18
संदिग्ध आस्तियां	10999.78	6088.96
हानि आस्तियां	59.03	59.03
<b>कुल</b>	<b>17669.98</b>	<b>7302.17</b>



	Regulatory Capital	As% to RWAs
(i)	Minimum Common Equity Tier 1 ratio	5.5
(ii)	Capital conservation buffer (comprised of Common Equity)	2.5
(iii)	Minimum Common Equity Tier 1 ratio plus capital conservation buffer[(i)+(ii)]	8.0
(iv)	Additional Tier 1 Capital	1.5
(v)	Minimum Tier 1 capital ratio [(i)+(iv)]	7.0
(vi)	Tier 2 capital	2.0
(viii)	Minimum Total Capital Ratio (MTC) [(v)+(vi)]	9.0
(viii)	Minimum Total Capital Ratio plus capital conservation buffer [(viii)+(ii)]	11.5

The Bank is calculating its Capital Adequacy in accordance with Basel II & Basel III guidelines. The Bank's Capital Adequacy at present is in conformity with the transitional arrangements for Basel III as prescribed by RBI. However, to meet the growing business requirements, the Bank may have to supplement its Capital funds, especially by increasing Common equity in future.

**Pillar – II (Supervisory Review & Evaluation Process)**

In compliance with the Pillar-II guidelines of the RBI under Basel III framework, the Bank has formulated a Policy of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess internal capital in relation to various risks that it is exposed to. Stress Testing and scenario analysis are used to assess the financial and management capability of the Bank to continue to operate effectively under exceptional but plausible conditions. The bank is calculating the Concentration risk on a quarterly basis to assess the portfolio level risks based on sectoral, geographical and borrower wise concentration. Bank is using statistical parameters like Herfindahl-Hirshman Index (HHI), Gini Coefficient, and Rosenbluth Index for determining the Credit Concentration Risk. The Bank has a Board approved Stress Testing Policy describing the various techniques used to gauge its potential vulnerability and also its capacity to sustain such vulnerability.

**Pillar – III (Market Discipline)**

The Bank has a Disclosure Policy as per the disclosure requirements contained in the circular issued by the Reserve Bank of India on the implementation of the Basel III Capital Regulations. The guidelines therein are adhered to and compliance is reported to the Competent Authorities. Pillar-III (Market discipline) of Basel III, aims to encourage Market discipline by developing a set of disclosure requirements which allows market participants to assess key pieces of information on the scope of application, capital, risk exposures, risk assessment processes and hence, the capital adequacy of the Bank. The Pillar-III Disclosures are published on a quarterly and half yearly basis on the Bank's website plus a year-end disclosure as on March of every year. The Pillar-III year-end disclosures are also published in the Bank's Annual Report apart from being available on the Bank's website.

10.1.7 In addition to the above, RBI has introduced several other measures of leverage and liquidity standards viz.

- A minimum Leverage Ratio of 4.5% to curb the excessive

leverage of a bank's balance sheet; and

- Liquidity standards by way of two ratios viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

The LCR requires a bank to hold sufficient high-quality liquid assets to cover its total stressed net cash outflows over 30 days. The NSFR requires a bank to hold sufficient amount of stable funds to meet the requirement of stable funding over a one-year period of extended stress.

The Bank is regularly calculating and monitoring the Liquidity ratios taking as reference the RBI guidelines issued for LCR and draft guidelines issued for NSFR. The Bank is also calculating and monitoring the Leverage ratio on a quarterly basis.

**10.2 Management of Asset Quality**

Gross NPAs of the Bank stood at ₹17670 Crore as on 31.03.2017. Gross NPAs as a percentage to Gross Advances stood at 12.25% while Net NPAs as a percentage to Net Advances stood at 7.57%. The Provision Coverage of NPAs as on 31.03.2016 was 51.03%.

Total reduction in NPA accounts amounted to ₹3184 Crore

**Table 15: Position of Non-Performing Assets**

(₹ in Crore)

	2015-16	2016-17
Gross NPAs at the beginning of the year	6876.54	11443.63
Additions during the year	6332.04	9410.34
Reduction during the year	1764.95	3183.99
Gross NPAs at the end the year	11443.63	17669.98
Net NPAs	6035.65	10354.81

The segment-wise distribution of NPAs as on 31.03.2017 is as under:

**Table 16: Segment-wise Non-Performing Assets**

(₹ in Crore)

Segment	Amount	NPA % to ADV*
I. Agriculture	1156.88	4.20%
II. MSME	2703.06	9.92%
III. Retail Credit	458.26	1.66%
IV. Large & Mid Corporate	13351.78	21.58%
<b>Total</b>	<b>17669.98</b>	<b>12.25%</b>

\*NPA% to Advances indicates NPA to Advances of that segment.

Provisions held under different classes of NPAs are as under:

**Table 17: Provisions held for Non-Performing Assets**

(Excluding floating Provisions of Rs. 13 Crore)

(₹ in Crore)

Nature of Asset	Outstanding	Provision Held
Sub-Standard Assets	6611.17	1154.18
Doubtful Assets	10999.78	6088.96
Loss Assets	59.03	59.03
<b>Total</b>	<b>17669.98</b>	<b>7302.17</b>



## 10.2.1 पुनर्संरचना तंत्र

वर्ष 2016-17 के दौरान 9 खाते जिसमें ₹1,283.22 करोड़ की बकाया राशि थी, को पुनर्संरचना पैकेज के अधीन पुनर्संरचित किया गया। मार्च 2017 को 96 पुनर्संरचित खातों में ₹7,691.75 करोड़ की कुल राशि शेष थी।

## 10.2.2 उधार नीतियां:

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित ऋण नीति दिशा-निर्देश है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक, द्विमासिक दिशा-निर्देशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक के नीति विवरणी, बैंकों के मध्य प्रतिस्पर्धा के माहौल, निश्चित व्यवसाय क्षेत्रों के ऋण वृद्धि को तीव्र करने, नये उत्पादों के विपणन तथा विकास और क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को संज्ञान में लेते हुए, आवधिक अन्तराल पर इन दिशा-निर्देशों की बोर्ड द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु बैंक में प्रधान कार्यालय, सर्कल कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालय स्तर पर ऋण समितियाँ गठित हैं जो स्वीकृति प्रदान करती हैं तथा इन समितियों को वित्त मन्त्रालय के निर्देशों के अनुसार उचित स्वीकृति अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। आगे, क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा एवं ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति के टर्नराउण्ड समय को कम करने के लिये संशोधन किया जाता है। सभी प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति दिये गये ऋण प्रस्तावों की समीक्षा उच्च समितियों/सक्षम प्राधिकारियों, जैसा प्रकरण हो, द्वारा सुनिश्चित करते हुए बैंक में ऋण समीक्षा तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

## 10.2.3. तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता कक्ष (टीईवी)

बैंक में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता कक्ष (टीईवी) है, जो ऋण संधारण और स्वीकृति विभाग से पृथक है। यह कार्पोरेट ग्राहकों के लिए परियोजना सूचना ज्ञापन(पीआईएम) तैयार करना, तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता (टीईवी) का अध्ययन करना और ऋण प्रबन्धन(ऋण सिंडिकेशन) करना, आदि कार्य इस कक्ष द्वारा निर्वहन किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कक्ष ने ₹120.89 लाख की शुल्क आधारित आय अर्जित की है। (गत वित्तीय वर्ष में यह ₹68.33 लाख थी)

## 10.3 प्रबन्धन सूचना तंत्र

बैंक ने एक सुदृढ़ प्रबन्धन सूचना प्रणाली बनाई है, जो मुख्य कार्यों के लिये महत्वपूर्ण डाटा यथा जोखिम प्रबन्धन और योजना को जुटाती है तथा सर्वोच्च प्रबन्धन को निर्णय लेने में प्रभावी उपकरण के रूप में सहायक है। यह शीघ्र निर्णय लेने में सहायक है। बैंक प्रमुख पैरामीटरों में उपलब्ध सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए दैनिक आधार पर कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर सकता है। बैंक के सीबीएस प्लेटफार्म की सहायता से एमआईएस द्वारा शीघ्र निर्णय लेने तथा उनके कार्यान्वयन में मदद मिलती है।

## 10.4 निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा

वित्तीय वर्ष के दौरान नये आंचलिक निरीक्षणालय भुवनेश्वर, मुम्बई और विजयवाड़ा में खोले गये हैं। इस प्रकार आंचलिक निरीक्षणालय के माध्यम से सिस्टम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगरानी प्रणाली सुदृढ़ होती है।

लेखा परीक्षा योजना 2016-2017 के अनुसार, जोखिम प्रोफाइल पर आधारित, 2003 शाखाएं लेखा परीक्षा का विषय हैं। इसके अलावा, अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 की अवधि के बीच खोले जाने वाली नई शाखाएं भी निरीक्षण का विषय हैं।

जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा परीक्षा मॉड्यूल को उन्नत तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट टेम्पलेट भी जोड़े गये हैं।

2016-17 के दौरान, संगामी लेखा परीक्षा ऑनलाइन बना दी गई है - सभी आंचलिक कार्यालयों में लेखा परीक्षकों की बैठक आयोजित करते

हुए सभी संगामी लेखा परीक्षकों को आरबीसीए मॉड्यूल तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

**आईएस ऑडिट:** वर्ष के दौरान प्रक्रिया की बेहतर निगरानी तथा नियन्त्रण हेतु संगामी लेखा परीक्षा के लिये डाटा केन्द्रों की आईएस लेखा-परीक्षा का आरम्भ बैंक द्वारा किया गया है। विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में आउटसोर्स की गई गतिविधियों और तृतीय पक्ष की सेवाओं की निगरानी की गई है।

श्री बसंत सेठ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई ऑफसाइट मॉनिटरिंग सेल(ओएसएम सेल) शाखाओं में गत कार्यदिवस को हुई उच्च मूल्य/महत्वपूर्ण लेन-देन की रिपोर्ट तैयार करने, छानबीन करने तथा नियन्त्रक कार्यालयों/शाखाओं को निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुसरण में जहां कहीं भी कमी है और सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये जागरूक करने का कार्य करती है। विभिन्न संवेदनशील/महत्वपूर्ण लेन-देन में शामिल परिचालन जोखिम को ध्यान में रखते हुए, ओएसएम सेल द्वारा ओएसएम ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उनकी पुष्टि करने हेतु सम्बन्धित आंचलिक कार्यालयों को कुछ अलर्ट प्रेषित किये जा रहे हैं।

## 10.5 अनुपालन नीति

बैंक में एक समेकित अनुपालन नीति है। उप महा प्रबन्धक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को 'मुख्य अनुपालन अधिकारी' के रूप में पदनामित किया गया है। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार, प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और आंचलिक कार्यालयों तथा शाखाओं के अनुपालन अधिकारियों की भूमिका व दायित्वों को परिभाषित करते हुए उपयुक्त संस्थागत ढांचा बनाया गया है। सांविधिक तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का क्षेत्र बैंक के अनुपालन विभाग का कार्य-क्षेत्र है। बैंक में अनुपालन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

## 10.6. विधि

### सरफेसी अधिनियम

1. वित्तीय वर्ष यथा 01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान, 152 सुरक्षित आस्तियां विक्रित की गई तथा सरफेसी प्रक्रिया के अधीन रक्षित आस्तियों के विक्रय से ₹62.50 करोड़ वसूली की गई।
2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा सरफेसी प्रक्रिया के अधीन रक्षित आस्तियों के विक्रय से कुल ₹280.24 करोड़ (सम्पत्ति की विक्रय, अद्यतन और आंशिक वसूली)की वसूली की गई।

### लोक अदालतें:

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 331 खातों से 84.25 लाख की राशि की वसूली की गई।

### जन सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम:

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1018 अनुरोध और 157 अपील जन सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त की गई थी।
5. सभी अनुरोध और अपील समयबद्ध निपटान किया गया।

## 10.7 ग्राहक सेवा

- ग्राहक केन्द्रित पहल के एक भाग के रूप में हमने सामान्य ग्राहक सभाओं से पृथक क्षेत्र वार विशिष्ट ग्राहक सभाओं का आयोजन करना आरम्भ किया है।

## 10.8 मानव संसाधन प्रबन्धन

वर्ष के दौरान, भारत सरकार से मानव संसाधन सम्बन्धी विषयों पर अनेक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए जिन्हे मानव संसाधन नीति में शामिल किया गया।



### 10.2.1 Restructuring mechanism

During FY 2016-17, 9 accounts with outstanding amount of ₹1283.22 Crore were restructured in terms of the restructuring packages. The total balances in restructured accounts as at the end of March 2017 stood at ₹7691.75 Crore in 96 accounts.

### 10.2.2 Lending Practices

The Bank had framed well defined Loan Policy Guidelines with the approval of the Board. These guidelines are reviewed by the Board at periodical intervals based on Reserve Bank of India guidelines, Annual Bi-monthly Policy Statement of Reserve Bank of India, competitive environment prevailing among the banks, for accelerated credit growth envisaged in certain business segments, marketing & development of new products and taking into account the feedback received from the field level functionaries, credit departments at Head Office.

Credit Committees have been constituted in the Bank at Head Office, Circle Office and Zonal Office levels for exercising sanctions of credit proposals and suitable sanctioning powers have been delegated to these committees in terms of directions of Ministry of Finance. Further, based on feedback received from field level functionaries, the delegated powers of various sanctioning authorities are reviewed and revised to reduce turnaround time in the sanction of credit proposals. The loan review mechanism is further strengthened in the Bank ensuring review of sanctions made by all functionaries by the next higher committees / competent authorities as the case may be.

### 10.2.3 Techno Economic Viability (TEV) Cell

The Bank has a Techno Economic Viability (TEV) Cell which is independent of the Credit Processing & Sanctioning Departments. The Cell undertakes preparation of Project Information Memorandum (PIM), conducting Techno Economic Viability (TEV) study and Debt Arrangement (Loan Syndication) for Corporate clients. The Cell has earned a Fee based income of ₹120.89 lakhs during the Financial Year 2016-17, (Previous Financial Year was ₹68.33 lakhs).

### 10.3 Management Information System

Bank has developed a robust Management Information System which captures data essential for vital functions such as risk management and planning and which serves as an effective tool for the Top Management in decision making. This has facilitated quick decision making. The Bank is in a position to analyse performance in major parameters even on a day to day basis using the information system available. Leveraging on the CBS platform of the Bank, the MIS has facilitated speedy decision making and its implementation.

### 10.4 Inspection & Audit

Opened three more new Zonal inspectorates at Bhubaneswar, Mumbai and Vijayawada during the year. Thus, the system of Monitoring Internal Audits through Zonal Inspectorates is strengthened.

As per audit plan 2016-2017 and basing on the Risk profile, 2003 branches are subjected to audit. Apart from this, the new branches opened between the period April 2016 to September 2016 were also subjected to inspection.

Upgraded Risk Based Internal Audit (RBIA) module and added the templates prescribed by RBI.

During 2016-17, concurrent audit has been made online – RBCA module and training has been imparted to all concurrent auditors by conducting auditors meet at all Zonal Offices.

**IS Audit:** Concurrent Audit for IS audit of Data Centre has been initiated by the Bank during the year for better monitoring of procedures and controls. Monitoring of outsourced activities and third party services has been undertaken in the financial year 2016-17 as per the regulatory guidelines.

Off Site Monitoring Cell (OSM Cell) formed based on the report submitted by Shri Basanth Seth generates the reports of high value/critical transactions happened at branches on previous day, scrutinize them and sensitize the controlling offices/Branches for taking corrective action wherever deficiencies are noticed in following the laid down systems and procedures. Keeping in view the operational risks involved in various critical/important transactions, few alerts are being sent by OSM cell to the concerned Zonal Office also for adding their confirmation through OSM online system.

### 10.5 Compliance Policy

The Bank has in place a comprehensive Compliance Policy. An executive of the Bank in the rank of Deputy General Manager has been appointed as the 'Chief Compliance Officer'. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various departments at Head Office, Zonal Offices and Branches. Compliance of statutory and regulatory guidelines is the scope of operation of the compliance function in the Bank. Suitable reporting system is put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy in the bank.

### 10.6 Legal

#### SARFAESI Act:

1. During this Financial Year i.e., from 01.04.2016 to 31.03.2017, 152 secured assets were sold and an amount of ₹62.50 Crore was recovered by selling the secured assets under SARFAESI Proceedings.
2. Total recovery effected by the bank during the Financial Year 2016-17 under SARFAESI Proceedings is ₹280.24 Crore ( inclusive of sale of assets, up- gradations and part recoveries ).

#### Lok Adalats:

3. Recovered an amount of ₹84.25 lakhs in 331 accounts during the Financial Year 2016-17.

#### RTI Act:

4. 1018 Requests and 157 Appeals were received under RTI Act during the Financial year 2016-17.
5. All the Requests and Appeals were disposed off on time.

### 10.7 Customer Service

- As a part of Customer Centric Initiatives we have started holding Segment Specific Customer Meets apart from the general Customer Meets are held.

### 10.8 Human Resources Management

During the year, several guidelines received from the Government of India on various H.R. matters were incorporated in HR Policy.



मौजूदा श्रमशक्ति को बढ़ाने और ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबन्धन, तिजोरी इत्यादि क्षेत्रों में कौशल अन्तराल को पाटने और विस्तार की मांगों को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान 195 विशेषज्ञ अधिकारी, 522 सामान्य अधिकारी और 999 लिपिकों को शामिल किया गया है।

बैंक ने श्रमशक्ति तथा भर्ती योजना अनुसार कैरियर में प्रगति को ध्यान देते हुए प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति सुनिश्चित की है।

## औद्योगिक सम्बन्ध

बैंक में औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण हैं। मान्यता प्राप्त अधिकारी फेडरेशन एवं अवार्ड कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हर तिमाही में संयुक्त बैठक की गयी। इसके अलावा, आंचलिक स्तर पर स्थानीय मामलों के समाधान के लिए, बेहतर कार्यालयीन स्थिति के साथ ही ग्राहक सेवा में सुधार हेतु चर्चा की गई।

## प्रशिक्षण:

बैंक का एपेक्स कॉलेज हैदराबाद के वित्तीय जिले के प्रतिष्ठित आईटी हब में नवीनतम प्रशिक्षण ढाँचे का है। एपेक्स कॉलेज के अलावा, बैंक ने विशाखापत्तनम में स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज को ओडीशा, पश्चिम बंगाल राज्यों और आंध्र प्रदेश के तटीय जिले में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया है।

नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए आधार और पुनश्चर्चा कार्यक्रमों के अलावा, कर्मचारियों की मूल क्षमताओं में सुधार, ऋण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास तथा उत्पाद जागरूकता एवं सॉफ्ट स्किल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, 338 घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें 9,048 कर्मचारियों को कवर किया गया। इसके साथ, एनआईबीएम, आरबीआई/सीएबी/बीआईआरडी, आईडीबीआरडीटी और एफडीडीआई द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 474 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वैश्विक वित्तीय बाजारों के अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर तथा स्वयं को उन उपलब्धियों के लिये तैयार करने हेतु विदेशों में आयोजित बाहरी कार्यक्रमों में 11 अधिकारियों को भेजा गया।

**उत्तराधिकार योजना :** बैंक ने विभिन्न संवर्गों का एक प्रतिभा पूल बनाया गया है तथा इन अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर आने वाले वर्षों में शीर्ष के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य निर्वहन हेतु तैयार कर रहे हैं।

## पीओ-ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया:

'पीओ-ऑन बोर्डिंग सिस्टम' के दृष्टिगत बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया है।

## मणिपाल अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन

जैसा गत वर्षों में किया गया है, हमारे बैंक ने वर्ष के दौरान मणिपाल विश्वविद्यालय के साथ नौकरी के लिए तैयार अधिकारियों को काम पर रखने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है तथा एक वर्षीय पीजीडीबीएफ पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहे 150 उम्मीदवारों का चयन किया है। कोर्स पूरा होने पर, उन्हें बैंक में शामिल किया जाएगा।

## साक्षात्कार प्रक्रिया बन्द करना

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने लिपिक, अधीनस्थ कर्मचारी तथा अंशकालिक सफाई कर्मचारी की भर्ती में साक्षात्कार प्रक्रिया को बन्द कर दिया है।

## 31.03.2017 को कर्मचारी संख्या

संवर्ग	संख्या	कुल का %
अधिकारी	10967	56.59
लिपिक	5604	28.92
अधीनस्थ कर्मचारी *	2809	14.49
<b>कुल</b>	<b>19380</b>	<b>100.00</b>

\* अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के अलावा

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) प्रोफाइल

हमारा बैंक भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करता है। 31.03.2017 को बैंक के कुल श्रमदल 20981 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 4,150 एवं 1,645 है। बैंक में कुल 10,967 अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के 1,953 अधिकारी तथा अनुसूचित जन जाति के 921 अधिकारी हैं।

हमारा बैंक भारत सरकार के 08.09.1993 से प्रभावी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) हेतु आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2017 तक बैंक के कुल 20,981 के श्रम दल में अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) का प्रतिनिधित्व 5,429 है।

## दिव्यांग व्यक्ति

हमारा बैंक वर्ष में अधिकारी, लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग के कुल पदों में 3 प्रतिशत का प्रावधान करता है। इन 3 प्रतिशत पदों को 3 दिव्यांग व्यक्ति श्रेणियों में यथा दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि (बी/एलवी)-1% प्रतिशत, कम सुनना(एचआई) -1%, लोको मोटर विकलांगता अथवा सेरेब्रल पालसी (एलएम) -1% विभाजित किया जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को कुल श्रम-शक्ति 20,981 में कुल विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 550(2.62%) है।

## 11. राजभाषा कार्यान्वयन

- एबी स्टाफ पोर्टल के राजभाषा लिंक का पुनर्न्यायन किया गया है। 'राजभाषा मिशन' के अलावा, बैंकिंग शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली राजभाषा मार्गदर्शिका, विभिन्न प्रारूप, महत्वपूर्ण परिपत्रों, अन्य सम्बन्धित जानकारी, हिन्दी गृह पत्रिका, मासिक हिन्दी ई-बुलेटिन तथा हिन्दी कार्यशाला सामग्री को भी पोर्टल में रखा गया है।
- गृह मन्त्रालय द्वारा हमारे तिरुपति, बैंगलुरु, नई दिल्ली, मेरठ तथा आंचलिक कार्यालय कोच्ची की हिन्दी के प्रयोग के लिये प्रशंसा की गई।
- हमारे बैंक ने नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में कुल 49 पुरस्कार जीते।
- गृह मन्त्रालय द्वारा हैदराबाद में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रधान कार्यालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## 12. सतर्कता

- 2625 शाखाओं में वर्तमान दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निवारक सतर्कता निरीक्षण किया गया। विभाग द्वारा रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा अनुपालना के लिए शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
- सतर्कता विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2016 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया। सप्ताह का विषय "जन सहभागिता से ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को खत्म करना" थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अन्तर्गत, आन्ध्रा बैंक ने 4 नवम्बर, 2016



To augment the existing manpower and bridge the skill gaps in areas like Credit, Information Technology, Forex, Risk Management, Treasury etc., and to meet the demands of expansion, 195 Specialist Officers, 522 general officers and 999 clerks were inducted during the year.

Bank also ensured career progression by considering promotions in each grade as per the manpower and recruitment plan for the year.

#### Industrial Relations

Industrial Relations are cordial in the Bank. Quarterly meetings were held with the representatives of the recognized Officers' Federation and the Award Employees' Union. Apart from this, meetings were also held at Zonal level to sort out the local issues to better the working conditions as well as customer service.

#### Training:

Bank has an Apex College with state-of-the art training infrastructure located in the coveted IT hub of the Financial District in Hyderabad. In addition to Apex College, Bank has Staff Training College at Visakhapatnam to cater to the training needs of employees working in Orissa, West Bengal States and Coastal Districts of Andhra Pradesh.

To improve the core capabilities of employees, various training programmes on credit, leadership development and Product Awareness & Soft Skill development were conducted, besides induction & refresher programmes for newly inducted employees.

In Financial Year 2016-17, 338 in house training programmes / work shops were conducted covering 9048 employees. In addition to this, 474 officers were trained in external trainings conducted at NIBM, RBI/CAB/ BIRD, IDBRDT, & FEDAI.

To have an International exposure and to equip themselves with the accomplishments in the Global Financial Markets, 11 officers were sent to external programmes conducted abroad.

**Succession Planning:** Bank has created a talent pool in various grades and these officers are groomed by providing intensive training programmes on various fronts to occupy the top key posts in the years to come.

#### POs on-boarding process:

In view of the introduction of this new PO on boarding process, bank has reduced the probation period of the Probationary Officers from the 2 years to 1 year.

#### MOU with Manipal Academy

As done in previous years, our Bank has entered into an MOU with Manipal University during the year for hiring job-ready Officers and selected 150 candidates for undergoing one year PGDBF course. Upon completion of the course, they will be inducted into the bank.

#### Discontinuation of Interview Process:

As per the directions of Government of India, Bank has discontinued the interview process in recruitment of Clerks, Subordinate Staff and Part Time Sweepers.

#### Staff Strength as on 31.03.2017:

Category	Strength	% to total
Officers	10967	56.59
Clerks	5604	28.92
Sub Staff *	2809	14.49
<b>Total</b>	<b>19380</b>	<b>100.00</b>

\*Excluding Part Time Sweepers.

#### SC/ST/OBC Profile:

Our Bank has been implementing reservation policy for SCs and STs as per Government of India guidelines. The representation of SCs and STs is 4150 and 1645 respectively in total work force of 20981 working in the Bank as on 31st March 2017. Out of total 10967 officers, 1953 belong to SC category and 921 belong ST category

Our Bank has been implementing reservation policy for Other Backward Classes (OBCs) with effect from 08.09.1993 as per Government of India guidelines. The representation of OBCs is 5429 in the total work force of 20981 working in the Bank as on 31st March, 2017.

#### Differently Abled Persons:

Our Bank is providing 3% of total vacancies arising in Officer, Clerical and Subordinate staff cadre in a year. The 3% posts are distributed amongst 3 categories of Persons who are differently abled i.e., Blindness or low vision (B/LV)-1%; Hearing Impairment (HI)- 1%; Loco Motor disability or cerebral palsy (LM)-1%. The representation of Persons with Disabilities is 550 (2.62%) in total workforce of 20981 as on 31st March, 2017.

#### 11. OFFICIAL LANGUAGE

- Rajbhasha Link in AB Staff Portal has been revamped. Besides 'Rajbhasha Mission', Banking Terminology, Administrative Phraseology, Rajbhasha Margdarshika, various formats, Important Circulars, other related information, Hindi House Magazine, Monthly Hindi e-bulletin and Hindi Workshop material has also been kept in our Portal.
- Use of Hindi in our Tirupati, Bangalore, N. Delhi, Meerut and Kochi Z.Os., was appreciated by Ministry of Home Affairs.
- Our Bank won total 49 prizes in various Hindi Competitions conducted under the aegis of TOLIC.
- Head Office was awarded First Prize in Use of Hindi in Hyderabad by Ministry of Home Affairs.

#### 12. VIGILANCE

- Preventive Vigilance Inspection has been conducted in 2625 branches to ensure implementation of extant guidelines. Reports were reviewed by the department and necessary instructions have been issued to the branches for compliance.
- Vigilance Department observed "Vigilance Awareness Week" from 31st October to 5th November 2016 as per the directions of Central Vigilance Commission. The theme for the Week was "Public participation in promoting Integrity and eradicating Corruption". As part of the Vigilance Awareness Week, Andhra Bank organized a meeting of Bankers which was well attended





को विजयवाड़ा में बैंकों के लिये बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी बैंकों, के साथ साथ स्कूल/कॉलेज के छात्र उनके माता-पिता ने भी भाग लिया और माननीय केन्द्रीय श्री वी के चौधरी ने आयोजन में भाग लेकर इसका मान बढ़ाया

- बैंक ने भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों और ईमानदारी को प्रोत्साहन हेतु जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 2500 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संदेश/विषय का प्रसार करने के लिए देश भर में 1899 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 2055 जागरूकता ग्राम सभाएं की जिसमें 60,000 से अधिक नागरिकों ने प्रतिभागिता का। 103 निबन्ध/वक्तृता/वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, 231 मेले और 55 चौपालों/बैठकों का आयोजन जिसमें 7176 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता का। आंचलिक कार्यालयों द्वारा दो शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन भी किया गया।
- "मास इन्टेग्रेटी प्लेज", सतर्कता विभाग द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिकल्पित अवधारणा को भी आयोजित किया गया।
- तिमाही न्यूज बुलेटिन "सावधान" को धोखाधड़ी पर नवीनतम जानकारी के साथ स्वयं को और साथ ही बैंक के सुरक्षा उपायों से कर्मचारियों को अद्यतन करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के अवसर पर एक विशेष सतर्कता बुलेटिन जारी किया गया।
- सतर्कता विभाग को इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज, हैदराबाद से विशेष कॉर्पोरेट सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17 प्राप्त हुआ।

### 13. अग्रणी बैंक योजना

आन्धा बैंक 1984 से राज्य स्तर बैंकर समिति, आन्ध्र प्रदेश का संयोजक है। दिनांक 2 जून, 2014 से आन्ध्र प्रदेश के तंलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में विभाजन के बाद, आन्ध्र प्रदेश की राज्य स्तर बैंकर समिति का दायित्व पुनर्गठित आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिये आन्धा बैंक के पास ही है।

आन्धा बैंक के पास 15 जिलों यथा आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, ईस्ट गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर, ओडिशा में गंजम, गंजपति जिलो तथा तंलंगाना राज्य के सिीपेट, सिरसिला राजना, जगतियाल, पोपल्ली, मंचीरियाल, वानापटी, नागरकनूल, जोगुलम्बा गडवाल और वारंगल ग्रामीण में अग्रणी बैंक का दायित्व है। बैंक अग्रणी बैंक योजना के दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से कर रहा है।

अब तक पुनर्गठित आन्ध्र प्रदेश राज्य में 15 एसएलबीसी बैठकों सहित 198 एसएलबीसी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

चालू वर्ष के दौरान, राज्य स्तर बैंकर समिति(एसएलबीसी) ने विभिन्न प्रकृति की 37 बैठकों का आयोजन किया है। इन बैठकों के अलावा, संयोजक, राज्य स्तर बैंकर समिति(एसएलबीसी) ने विभिन्न बैठकों और वीडियो सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है जो भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबाई और विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित किये जाते हैं।

2016-17 की राज्य ऋण योजना का शुभारम्भ 09.06.2016 को आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। 21/11/2016 को विजयवाड़ा में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत उपायों तथा विमुद्रीकरण पर विशेष राज्य स्तर बैंकर समिति(एसएलबीसी) बैठक का आयोजन किया गया।

राज्य स्तर बैंकर समिति(एसएलबीसी) ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर निम्न समितियों के गठन और आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई है।

- ❖ कृषि और बटाईदार किसानों को वित्तपोषण
- ❖ एमएसएमई
- ❖ बैंक वित्त के साथ कल्याण योजनाओं का एकीकरण

एपीएसएलबीसी कॉल सेन्टर: एसएलबीसी ने 01.02.2017 से विजयवाड़ा में मुद्रा परिचालन के लिए विशेष रूप से 'एपीएसएलबीसी कॉल सेन्टर' टोल

फ्री टेलिफोन नम्बर यानी 1800 425 8525 तथा 1800 425 1525 से राज्य में सभी बैंकों के लिये एक कॉल सेन्टर की स्थापना की है।

**वेबसाइट:** आन्ध्र प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लिए एक विशेष वेबसाइट यूआरएल [www.slbcap.nic.in](http://www.slbcap.nic.in) सभी हितधारकों और आम जनता की जानकारी के लिए निश्चित किया गया है। वेबसाइट नवीनतम डेटा और जानकारी के साथ नियमित अन्तराल पर अद्यतन की जाती है।

### 14. वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

- ❖ बैंक ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जन-धन योजना(पीएमजेडीवाई) का कार्यान्वयन किया है तथा गत वर्ष के 21.78 लाख की तुलना में 31.03.2017 तक 24.23 लाख खाते खोले गये हैं।
- ❖ वर्ष 2015-16 के दौरान ₹212.91 करोड़ की तुलना में ₹326.33 करोड़ कुल जमा जुटाए गए हैं। जिनका औसत शेष गत वर्ष के ₹977.51/- से करोड़ 1346.57 है।
- ❖ शून्य शेष खाते उद्योग के औसत 20.80% की तुलना में 19.73%(31/03/2016 को 20.84%) रहे।

### आधार सीडिंग:

- ❖ प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण(डीबीटी) सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरण करने के लिये, वित्तीय सेवाएं विभाग ने आधार सम्बद्ध करने की सलाह दी है।
- ❖ तदनुसार बैंक ने 72.73% सक्रिय प्रधानमंत्री जन-धन योजना(पीएमजेडीवाई) खातों में आधार सम्बद्धता कार्य पूर्ण कर दिया है।

### प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा:

- ❖ प्रधानमंत्री जन-धन योजना(पीएमजेडीवाई) वित्तीय चैनल का अन्तिम पड़ाव जरूरतमन्दों को ओवरड्राफ्ट सुविधा का विस्तार करना है। लगभग ने 1,67,578 ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा के पात्र हैं और बैंक ने 47,124 ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा की
- ❖ 14,127 ग्राहकों ने 187.67 लाख की सीमा तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया है।
- ❖ हमारा बैंक एटीएम और माइक्रो एटीएम के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा आरम्भ करने वाला अग्रणी बैंक है।

### प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई):

- ❖ पीएमजेबीवाई 330/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं। जीवन जोखिम कवर 55 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा। कुल 7.12 लाख खाते जुटाए गये हैं तथा 2816 दावों का निस्तारण किया गया है।
- ❖ बीमा कम्पनी पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति उपरान्त 72 घन्टों में दावा निस्तारण कर रही है।

### प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):

- ❖ पीएमएसबीवाई 18-70 वर्ष आयु समूह वाले लोगों हेतु 12/- के प्रीमियम पर एक वर्ष का 2 लाख का दुर्घटना मृत्यु-सह-अपंगता कवर प्रदान करती है। 31.03.2017 तक हमारे बैंक ने 67.50 लाख ग्राहकों को पंजीकृत किया है।

### अटल पेंशन योजना (एपीवाई):

31.03.2017 तक बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1.39 लाख खातों का पंजीकरण किया है।

- ❖ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य उत्कृष्ट निष्पादनकर्ता बैंक के रूप में पीएफआरडीए द्वारा सम्मानित किया गया।



by all the Bankers and also students of school/colleges along with their parents/teachers at Vijayawada on 4th November, 2016 and Hon'ble Central Vigilance Commissioner Shri K V Choudary, graced the occasion.

- Bank has conducted more than 2500 programmes to create awareness among the public about ill effects of corruption and promoting integrity. Bank has conducted 2055 Awareness Gram Sabhas covering 1899 Gram Panchayats across the country where more than 60,000 citizens have participated. 103 Essay Writing/Elocution/Debate competitions were organized in schools and colleges, 231 Melas and 55 Choupals/Meetings with 7176 participants were organized to give wide publicity to propagate the message/theme of Vigilance Awareness Week. Two Grievances Redressal Camps were also organized at zonal offices.
- "Mass Integrity Pledge", a concept envisaged by Central Vigilance Commission was also taken up by the Vigilance Department.
- Quarterly News Bulletin "SAVDHAN" is being published for updating the staff with latest information on frauds and measures to safeguard themselves as well as Bank. A special Vigilance Bulletin was issued on the occasion of Vigilance Awareness Week 2016.
- Vigilance Department received special Corporate Vigilance Excellence Award 2016-17 from Institute of Public Enterprise, Hyderabad.

### 13. LEAD BANK SCHEME

Andhra Bank is the Convener Bank for State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh since 1984. Consequent to re-organization of AP into Telangana & Residual Andhra Pradesh w.e.f 2nd June, 2014, responsibility of Convener of SLBC of residual AP continued to be with Andhra Bank.

Andhra Bank is having Lead Bank responsibilities in fifteen districts, viz. Srikakulam, East Godavari, West Godavari, Guntur in Andhra Pradesh, Ganjam, Gajapathi districts in Odisha, Siddipet, Sircilla Rajanna, Jagtial, Peddapally, Mancherla, Wanaparty, Nagarkurnool, Jogulamba Gadwal and Warangal rural in Telangana State. Bank is discharging the responsibilities in implementation of Lead Bank Scheme.

So far 198 SLBC meetings have been organized including 15 SLBC Meetings in the reorganized state of Andhra Pradesh.

During the current year, SLBC has conducted 37 meetings of different nature. Besides these meetings, the Convener, SLBC has participated in various meetings and Video Conferences that are being organized by Government of India, Government of Andhra Pradesh, RBI, NABARD and various other Organizations on different subjects.

The State Credit Plan for 2016-17 was launched by the Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh on 09.06.2016. Special SLBC Meeting on Demonetization & Relief Measures in Drought Affected Areas was conducted on 21.11.2016 at Vijayawada. SLBC has taken proactive role in formulating & organizing the following committees as requested by GoAP.

- ❖ Financing to Agriculture and Tenant Farmers
- ❖ MSME
- ❖ Integration of Welfare schemes with Bank finance

**APSLBC CALL CENTRE:** SLBC has established a Call Centre namely `APSLBC CALL CENTRE` on behalf of all Banks in the state with toll free telephone Number i.e. 18004258525 & 18004251525 exclusively for MUDRA operating from Vijayawada from 01.02.2017.

**Website:** An exclusive website is set up for SLBC of Andhra Pradesh with URL [www.slbcap.nic.in](http://www.slbcap.nic.in) for the information of all the stake holders and general public. The website is being updated at regular intervals with the latest data and information.

### 14. FINANCIAL INCLUSION

#### Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

- ❖ Bank has successfully implemented PMJDY and as on 31.03.2017, 24.23 lakh accounts have been opened as against 21.78 lakhs during previous year.
- ❖ Total deposits of ₹326.33 Crore have been mobilized vis-à-vis ₹212.91 crores during 2015-'16 with an average balance of ₹1346.57 as against ₹977.51 the previous year.
- ❖ Zero balance accounts stood at 19.73% (20.84% as on 31.03.2016) as against the industry average of 20.80%.

#### Aadhaar Seeding:

- ❖ In order to pass on the DBT benefits directly into the beneficiaries accounts, Department of Financial Services has advised to take up Aadhaar Seeding.
- ❖ Accordingly Bank has achieved 72.73% of seeding in active PMJDY accounts.

#### Over Draft Facility under PMJDY:

- ❖ The last mile of PMJDY is the financial channel by extending the overdraft to the needy. About 1,67,578 customers are eligible for Over Draft and bank have sanctioned Over Draft to 47,124 customers.
- ❖ 14,127 customers availed over draft to the extent of ₹187.67 lacs.
- ❖ Our Bank is the pioneer in introducing OD facility through ATMs and Micro ATMs.

#### Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojana (PMJBY):

- ❖ PMJBY offers ₹ 2 lakh life insurance cover at a premium of ₹330 per annum. Bank account holders in the age 18 to 50 years are eligible to avail this facility. The life risk cover will get terminated after 55 years. Mobilized 7.12 lakh accounts and settled 2816 claims.
- ❖ Insurance Co. is settling the claims within 72 hours after receipt of complete set of documents.

#### Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

- ❖ PMSBY offers ₹2 lakh accidental death cum disability insurance coverage for people who fall in the age group of 18-70 years, at ₹12 premium. Our bank enrolled 67.50 lakh customers upto 31.03.2017.

#### Atal Pension Yojana (APY):

As on 31.03.2017 bank has enrolled about 1.39 lakh accounts under APY during the Financial Year.

- ❖ Bank was adjudged by PFRDA as the best performing bank among PSBs during the FY 2016 - '17.



- ❖ हमारी चक्कन शाखा, महाराष्ट्र ने 2,096 धारकों का वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकरण किया है, जो कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं के मध्य उच्चतम है।
- ❖ हमारी सुल्तानाबाद शाखा, तेलंगाना राज्य ने पीएफआरडीए द्वारा आयोजित फ्रीडम ऑफ लाईफ कैम्पेन के दौरान 846 धारकों का पंजीकरण अटल पेन्शन योजना के अन्तर्गत किया।

## बैंक मित्र की सक्रियता:

- ❖ बैंक ने 1,777 बैंक मित्र सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों को कवर करते हुए नियुक्त किया है। पिछले वर्ष के 1,476 बैंक मित्र की तुलना में वर्तमान में 1,518 बैंक मित्र सक्रिय रूप से लेन-देन कर रहे हैं।
- ❖ सभी बैंक मित्रों को अंतर-परिचालनीय मशीन जो रूपे लेन-देन और एईपीएस लेन-देन करने में सक्षम हैं उपलब्ध कराई गयी हैं।
- ❖ आन्ध्रा बैंक आन्ध्र प्रदेश राज्य में नकदी रहित आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) के कार्यान्वयन पश्चात एईपीएस लेन-देन करने में सभी बैंकों में प्रथम स्थान पर है।

## आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण तन्त्र(एईपीडीएस)

- ❖ बैंक ने आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पायलट के अलावा चार जिलों में एईपीडीएस का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया।
- ❖ औसत में, बैंक लगभग 30.00 लाख एईपीडीएस लेन-देन कर रहा है, जो कि उद्योग में उच्चतम है।

## वित्तीय समावेशन में तकनीकी विकास:

- ❖ ग्राहक के बायो-मैट्रिक प्राप्त करते हुए तथा उन्हें यूआईडीएआई द्वारा पुष्ट करते हुए ई-केवाईसी द्वारा खातों को खोला जाना।
- ❖ एईपीएस ऑफअस तथा ऑनअस लेन-देन सक्षम करना
- ❖ रूपे ऑनअस तथा ऑफअस लेन-देन सक्षम करना
- ❖ पीओएस मशीन द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पंजीकरण सक्षम करना
- ❖ पीओएस मशीन द्वारा अटल पेन्शन योजना में पंजीकरण सक्षम करना
- ❖ सभी बैंक मित्र के स्थानों पर ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना
- ❖ सभी पीओएस मशीन द्वारा आधार तथा मोबाईल सम्बद्धता
- ❖ सभी बैंक मित्र के स्थानों पर विप्रेषण सुविधा

## 15. अनुषंगी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

बैंक की एक अनुषंगी है आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि (एबीएफएसएल), जोकि पूर्ण रूप से बैंक के स्वामित्व में है। कम्पनी ने आय-कर पूर्व 173.37 लाख का लाभ अर्जित किया है तथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय-कर भुगतान उपरान्त 116.99 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है। इससे कम्पनी का निवल नकारात्मक मूल्य 812.46 लाख से 31.03.2017 तक कम होकर 695.47 लाख हो गया है।

बैंक ने चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया, जो गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित है तथा इसमें गुंटूर, पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी जिले की कुल 192 शाखाएं सम्मिलित है। 31.03.2017 को कुल व्यवसाय 6336.39 करोड़, तथा निवल लाभ आयकर पश्चात 55.17 करोड़ रहा। औसत अग्रिमों का सकल अनर्जक आस्तियों का 1.30 प्रतिशत रहा।

## 16. सुरक्षा व्यवस्था

शाखाओं, मुद्रा तिजोरियों तथा एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को अद्यतन करने हेतु उच्च प्राथमिकता दी गई। 2877 शाखाएं तथा 2510 एटीएम सीसीटीवी निगरानी के अधीन लाई गई। शेष सभी शाखाओं में सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना कार्य प्रगति पर है। 1753 संवेदनशील शाखाओं में

बेहतर एकीकृत संधमारी अलार्म सिस्टम स्थापित किया गया है। यह एक नवीन प्रकार का सिस्टम है जो कि शाखाओं में होने वाले संधमारी की विभिन्न प्रकृति के आपराधिक प्रयासों को सूचित तथा सुरक्षित करने में सक्षम है। आईआईबीएस द्वारा जोड़ी गयी शाखाओं को आगे केन्द्रीकृत निरीक्षण सिस्टम(कैम्स) के माध्यम से प्रधान कार्यालय द्वारा निगरानी की जाती है। ई-निगरानी 2125 एटीएम में स्थापना करते हुए एटीएम की 24\*7 केन्द्रीकृत सुरक्षा निगरानी की जाती है। तकनीकी का प्रयोग करते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने तथा बैंक के विरुद्ध अपराध दर में कमी लाने के लिये किया जाता है

## 17. एनआरआई कक्ष

एनआरआई कक्ष की स्थापना बैंक तथा उसके अनिवासी भारतीय ग्राहकों के बीच संचार के प्रभावी माध्यम के रूप में की गई जिससे अनिवासी भारतीय जमा में वृद्धि हो। एनआरआई कक्ष दुबई व यूएसए में प्रतिनिधि कार्यालय को सहायता तथा मार्गदर्शन देते हुए बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करता है।

बैंक उत्पादों के विपणन के अलावा, एनआरआई कक्ष प्रत्येक माह एनआरआई बुलेटिन (एबी कनेक्ट) द्वारा अनिवासी भारतीयों को बैंकिंग व विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। वर्तमान में लगभग 30260 एनआरआई ग्राहक (वर्तमान तथा संभावित दोनों) जोड़े गये हैं तथा एनआरआई बुलेटिन (एबी कनेक्ट) में उपलब्ध कराई गयी सूचना प्राप्त करते हैं।

बैंक का कुल एनआरआई व्यवसाय 31.03.2016 तक 2,504 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 तक 3,163 करोड़ हो गया यथा 26.31% की वृद्धि-दर रही। एनआरआई जमा, एसबीएनआरआई, टीडी एनआरआई तथा एफसीएनआर(बी) जमा 31.03.2016 के 2,340 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 तक 2,862 करोड़ हो गई तथा इसमें 22.31% की वार्षिक वृद्धि दर रही।

## 18. ब्राण्डिंग एवं संचार

विभाग ने बैंक के बेहतर दर्शन तथा अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान पब्लिसिटी तथा ब्राण्डिंग कार्य किया है। मुख्य पब्लिसिटी गतिविधियों में शामिल हैं:-

- 1) विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश के शहरी बस अड्डे पर हमारी ब्राण्डिंग के नाम अधिकार प्राप्त करना
- 2) राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारे उत्पाद तथा सेवाओं की पब्लिसिटी के लिये विज्ञापन स्थान का उपयोग
- 3) नारायणाद्री/फलकनुमा एक्सप्रेसों के 5 पूर्ण रेल रेक(80 कोच) जो तिरुपति, सिकन्दराबाद तथा हावड़ा के बीच चलती हैं की पूर्ण ब्राण्डिंग।
- 4) त्योहार के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर अनेक भाषाओं में -एफएम रेडियो पर 'रिटेल रिदम तथा मेगा व्हीकल लोन कार्निवाल' के ऑडियो जिंगल्स का ब्रॉडकास्ट
- 5) श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल(एसवीबीसी) पर श्रीवरी ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान विज्ञापन का प्रदर्शन
- 6) हैदराबाद में फ्रीडम 10 के द्वारा आयोजित हैदराबाद 10 के दौड़ का प्रायोजन -छवि निर्माण गतिविधि
- 7) तिरुपति में 99वीं भारतीय आर्थिक महासंघ के वार्षिक सम्मेलन का प्रायोजन
- 8) विशाखापट्टणम में आयोजित पार्टनरशिप सम्मिट(सीआईआई) का प्रायोजन तथा
- 9) अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, हैदराबाद जो कि 45 दिन तक चलती है, में अन्य बाकी के अलावा बैंक का स्टाल लगाना



- ❖ Our Chakkan Branch in Maharashtra enrolled 2096 subscribers during the Financial Year 2016-'17, the highest amongst all Bank branches in both Public and Private sectors.
- ❖ Our Sultanabad branch in Telangana State enrolled 846 APY subscribers during the Freedom for Life Campaign held by PFRDA. And the branch was awarded for being the topper during the campaign.

#### Activation of Bank Mitras:

- ❖ Bank has appointed 1777 Bank Mitras covering all allotted Sub Service Areas. Presently about 1518 bank mitras are actively doing transactions as against 1476 Bank mitras during previous year.
- ❖ All Bank Mitras are provided with interoperable devices which are capable of taking up Rupay transactions and AEPS transactions.
- ❖ Andhra Bank stands 1st among all Banks in conducting AEPS transactions after implementation of cashless Aadhaar Enabled Public Distribution System (AEPDS) in the State of Andhra Pradesh.

#### Aadhaar Enabled Public Distribution System (AEPDS):

- ❖ Bank has successfully implemented AEPDS in four districts of Andhra Pradesh apart from Krishna District as pilot.
- ❖ On an average, Bank is taking up around 30.00 lakh AEPDS transactions, which is the highest in the industry.

#### Technological Developments in FI:

- ❖ Opening of accounts through e-KYC by capturing bio metrics of the customers and mapping the same with UIDAI.
- ❖ Enabling of AEPS Offus & Onus transactions
- ❖ Enabling of Rupay Onus & Offus transactions
- ❖ Enabling of Social Security Schemes enrolments through PoS device.
- ❖ Enabling of APY enrolments through PoS device.
- ❖ Availing of Over Draft at all Bank Mitra locations.
- ❖ Aadhaar and Mobile Seeding in all PoS devices.
- ❖ Remittance facility at all Bank Mitra locations.

#### 15. SUBSIDIARIES & REGIONAL RURAL BANKS

The Bank has one Subsidiary, namely, Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), which is wholly-owned by the Bank. The Company has earned a profit of ₹173.37 lacs before Income Tax and a net profit of ₹116.99 lacs after tax during the year ending 31-03-2017, with this the negative net worth of the company has been brought down from ₹812.46 lacs to ₹695.47 Lacs as on 31.03.2017

Bank has one sponsored Regional Rural Bank namely Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the districts Guntur, East Godavari and West Godavari with 192 branches. As on 31.03.2017, the total business stood at ₹6336.39 Crore, and Net profit after Tax is ₹55.17 Crore. Percentage of Gross NPA to Average Advances is 1.30.

#### 16. SECURITY ARRANGEMENTS

High priority was accorded to up-grade security arrangements at branches, currency chests and ATMs. 2877 branches

and 2510 ATMs were brought under CCTV surveillance. Installation of CCTV system in remaining branches and ATMs is in progress. Improved Integrated Burglar Alarm System was installed in 1753 vulnerable branches. This is an innovative system which is capable of protecting and notifying criminal attempts of various natures perpetrated against branches. The branches connected with the IIBAS are further monitored 24 X 7 at Head Office through Central Monitoring Station (CAMS). E-surveillance is installed in 2125 ATMs which enables centralized monitoring of security of ATMs 24x7. Technology is being used to enhance security measures and minimize crime rate against the Bank.

#### 17. NRI CELL

The NRI Cell was set up with a view to serve as an effective channel of communication between the Bank and its NRI Clientele thereby increasing NRE Deposits. The Cell supports and guides Representative Offices in Dubai & USA thereby ensuring betterment in Customer Service.

NRI Cell provides useful information related to Banking & Foreign Exchange to NRIs through NRI Bulletin (AB Connect) every month. At present nearly 30260 NRI Customers (both existing and prospective) are being connected and accessing the information provided in the NRI Bulletin (AB Connect).

Total NRI business of the Bank increased from ₹2504 Crore as on 31.03.2016 to ₹3163 Crore as on 31.03.2017, i.e. a growth rate of 26.31%. The total Deposits under NRE segment comprising of SBNRE, TD NRE and FCNR (B) Deposits increased from ₹.2340 Crore as on 31.03.2016 to ₹2862 Crore as on 31.03.2017 registering an annual growth rate of 22.31%.

#### 18. BRANDING AND COMMUNICATIONS

The Department has undertaken publicity & branding during the financial year to derive good mileage and visibility for the Bank. Some of the major publicity activities include

- 1) acquiring naming rights at City Bus Port, Vijayawada, AP with our Branding ,
- 2) utilization of Ad Space at Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad for publicity on our products & services ,
- 3) full train branding on 5 train rakes (80 coaches) of Narayanadri / Falaknuma Expresses which ply between Tirupati, Secunderabad & Howrah – .
- 4) broadcast of audio jingles through FM Radio on 'Retail Rythm & Mega Vehicle Loan Carnival', the campaigns for marketing of our retail products - in multiple languages across pan India during festive season,
- 5) advertisement through Sri Venkateswara Bhakti Channel (SVBC) during live programmes of Srivari Brahmotsavams
- 6) sponsorship of 'Hyd 10 K Run' organised by Freedom 10K Run at Hyderabad – as image building activity,
- 7) sponsorship of 99th Annual Conference of Indian Economic Association conducted at Tirupati,
- 8) sponsorship of Partnership Summit (CII) held at Visakhapatnam and
- 9) Putting up of Bank's Stall at All India Industrial Exhibition at Hyderabad which run for 45 days, apart from several others.



## 19 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों/ट्रस्टों को 3.19 करोड़ की राशि स्वीकृत की है तथा बैंक द्वारा इनका समुचित लाभ भी लिया गया है। बैंक द्वारा की गयी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में मुख्यमन्त्री राहत कोश, तेलंगाना तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार प्रत्येक को 50 लाख का दान, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये 'हरिता हरम' परियोजना के लिये 25 लाख का दान, राष्ट्रीय खेल विकास निधि को 10 लाख का दान दिया गया। अन्य प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में धर्मार्थ ट्रस्टों, अनाथालयों, नगरपालिकाओं इत्यादि के द्वारा अपनाये गये सामाजिक उपायों यथा दिव्यांगों के लिये व्हीलचेयर का वितरण/संयोजक उपकरणों की आपूर्ति/एम्बुलेंस, वैन इत्यादि का वितरण कार्य किया है।

## 20. बैंक की वेब साइट

बैंक, अपनी सेवाओं और उत्पादनों के सम्बन्ध में सूचना देने हेतु, अपनी वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) तीन भाषाओं यथा अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में रखता है। बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपनी डब्ल्यूसीएजी (वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स) वेबसाइट 'दृष्टिहीन व्यक्तियों' के लिये भी उपलब्ध की है।

बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, आन्ध्र प्रदेश का संयोजक है और एक अलग वेबसाइट [www.slbcap.nic.in](http://www.slbcap.nic.in) रखता है यह वेबसाइट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) बैठकों की समस्त कार्यवाही, राज्य सरकार के निर्देश, बैंकर तथा जनता हेतु अनुदेश संसूचित किए जाते हैं।

बैंक सीईआरटी-आईएन(सर्ट-इन) (इंडियन कंप्यूटर इमरजेन्सी रिस्पान्स टीम) द्वारा बैंक की वेबसाइट की सुरक्षा सम्बन्धित अनुरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है।

## 21. पुरस्कार एवं पारितोषिक

- हमारे बैंक ने आईडीआरबीटी से जुलाई 2016 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किये:-
- मध्यम आकार के बैंकों के बीच आईटी ईको सिस्टम प्रबन्धन के लिये सर्वोत्तम बैंक तथा
- मध्यम आकार के बैंकों में डिजिटल बैंकिंग के लिये सर्वोत्तम बैंक
- आन्ध्रा बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य अटल पेन्शन योजना खातों के पंजीकरण के लिये सर्वोत्तम कार्य निष्पादन कर्ता बैंक का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- आन्ध्रा बैंक को राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा मध्यम श्रेणी में रु-पे कार्ड में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिये 'नैशनल पेमेन्ट एक्सीलेंस पुरस्कार 2016(सांत्वना)' प्रदान किया गया।
- आन्ध्रा बैंक ने भारतीय बैंकिंग संघ से दो बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार प्राप्त किये 'मध्यम आकार के बैंकों में उत्कृष्ट वित्तीय समावेशन पहल' तथा 'उत्कृष्ट मध्यम आकार के बैंकों में उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम तथा साईबर सिक्योरिटी पहल(सांत्वना)' का पुरस्कार प्राप्त किया।

## 22. भारतीय लेखा मानक - प्रगति

बैंक 01 अप्रैल 2018 से आरम्भ होने वाली लेखा अवधि की वित्तीय विवरणियों तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि की तुलनात्मक विवरणियों के लिये भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना करेगा जो कि तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का विषय है।

भारतीय लेखा मानक प्रभावी करने के लिये आसान परिवर्तन हेतु, बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा अन्य नीतियों में भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना के लिये किये जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों की पहचान की प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है।

## 23. वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के गठन में निम्न परिवर्तन हुए:

- श्री के थामैरसेल्वन, निदेशक की कार्य-अवधि दिनांक 24.11.2016 को समाप्त हुई
- डॉ नैना शर्मा, निदेशक की कार्य-अवधि दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हुई
- श्री अमित गोयल, निदेशक की कार्य-अवधि दिनांक 17.02.2017 को समाप्त हुई

बोर्ड उपर्युक्त सभी सदस्यों को उनकी अवधि के दौरान दी गई सेवाओं के लिये अभिव्यक्त प्रशंसा को अभिलेखित करता है।

## 24. निदेशकों के दायित्व की घोषणा:

निदेशक मण्डल एतद्वारा व्यक्त करता है कि

- वार्षिक लेखा तैयार करने के दौरान प्रभावी लेखा मानकों का अनुवर्तन तथा सामग्री निर्गमन से सम्बन्धित उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये हैं।
- लेखा पद्धतियों का चयन किया गया है और सुसंगत तथा उचित रूप से इन्हें लागू किया गया है और विवेकपूर्ण निष्कर्ष और अनुमान किए गये हैं ताकि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक के काम-काज और 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लाभ-हानि की सही और सटीक स्थिति दर्शाई जा सके।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा निषेध करने हेतु सम्बन्धित विनियामक प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखा अभिलेख (रिकार्ड) बनाने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गयी है।
- वार्षिक लेखा सतत विषय आधार पर तैयार किये गये हैं।
- बैंक द्वारा आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का अनुवर्तन करने हेतु मानदण्ड निर्धारित करते हुए अनुवर्तन किये गये हैं तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।
- सभी लागू नियमों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु उचित सिस्टम निर्धारित किये गए हैं तथा ऐसे सिस्टम पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

## 25. पावती

आन्ध्रा बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, नाबाई तथा अन्य प्राधिकारियों/एजेन्सियों, वित्तीय संस्थानों एवं प्रतिनिधि(कोरेस्पांडेंट) बैंकों का उनके अमूल्य समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। निदेशक मण्डल सभी कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवा एवं उल्लेखनीय व्यावसायिकता एवं अनवरत वृद्धि एवं लाभप्रदता बनाये रखने के लिए बैंक की दूरदृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भूरि भूरि प्रशंसा करता है। अन्त में निदेशक मण्डल सभी ग्राहक, शेयरधारकों तथा अन्य हिताधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद देता है।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से,

स्थान : हैदराबाद

(सुरेश एन पटेल)

दिनांक : 20.05.2017

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



## 19. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank sanctioned an amount of ₹ 3.19 crores to different institutions / trusts during the financial year and gained substantial mileage for the Bank. Notable CSR activities of the bank include Donation to CM Relief Fund with an amount of ₹50 lakh each for Govt of Telangana & Andhra Pradesh, Donation of ₹25 lakhs to 'Haritha Haram' project initiated by Govt of Telangana and made ₹10 lakhs contribution to National Sports Development Fund. The other major CSR activities are donations to charitable trusts, orphanages, municipalities etc., for undertaking social measures such as distribution of wheel chairs to physically handicapped / supply of composting equipment / purchase of ambulances, vans etc.

## 20. BANK'S WEB SITE

The Bank maintains its website www.andhrabank.in in three languages, viz., English, Hindi and Telugu for providing information about the Bank, its services and products offered. The Bank has made its WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) website accessible to 'visually impaired persons', as per Government of India guidelines.

The Bank being the Convener of State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh, maintains separate website www.slbcap.nic.in. This website communicates all the proceedings of SLBC Meetings, State Government directives, instructions to Bankers and public.

The Bank follows meticulously CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) guidelines issued from time to time in maintaining Bank's Website securely.

## 21. AWARDS AND REWARDS

- Our Bank has received two prestigious awards from IDRBT in July 2016:-
- Best Bank for Managing IT Eco System among mid-size banks and
- Best Bank for Digital Banking among mid-size banks
- Andhra Bank has been awarded as Best Performing Bank amongst all Public Sector Banks for excellent performance in enrolment of Atal Pension Yojana (APY) Accounts.
- Andhra Bank was given National Payment Excellence Award 2016 (Runner up) by NPCI for excellent performance under Rupay Card in midsize category.
- Andhra Bank achieves two Banking Technology Awards of IBA – Awarded winner in 'Best Financial inclusion initiatives under midsize banks and 'Best IT Risk and Cyber Security Initiatives (Runner Up) under midsize bank category'.

## 22. Indian Accounting Standards (Ind AS) - Progress

Bank shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for financial statements for accounting periods beginning from 1st April 2018 onwards with comparatives for the period ending 31st March 2018 and thereafter subject to the guidelines of Reserve Bank of India.

In order to facilitate smooth transition to the application of Ind AS, Bank is in the process of identifying the changes required to be made in the IT system and other policies to comply with Ind AS.

## 23. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

The following changes took place in the Composition of the Board during the FY 2016-17:

- Tenure of Shri K.Thamaraiselvan, Director came to an end on 24.11.2016.
- Tenure of Dr. Naina Sharma, Director came to an end on 11.12.2016
- Tenure of Shri Amit Goel, Director came to an end on 17.02.2017

Board wishes to place on record its appreciation of services rendered by the above members of the Board during their tenure.

## 24. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby states that,

- The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts and proper explanations have been furnished, relating to material departures.
- Accounting policies have been selected and applied consistently, reasonable and prudent judgments and estimates have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31.03.2017 and of the profit and loss of the Bank for the financial year ended on 31.03.2017.
- Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the relevant regulatory provisions for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- Internal Financial controls to be followed by the Bank have been laid down and such internal financial controls are adequate and are operating effectively.
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

## 25. ACKNOWLEDGEMENT

Andhra Bank is grateful to the Government of India, RBI, SEBI, NABARD, and other authorities/agencies, Financial Institutions and Correspondent Banks for their valuable support and guidance. The Directors also express their deep sense of appreciation to all the staff members of the Bank for their dedicated service, outstanding professionalism and commitment towards Bank's vision for a sustainable growth. Finally, the Directors wish to sincerely thank all the customers, shareholders and other stakeholders for their valuable support.

For and on behalf of the Board,

Place : Hyderabad (Suresh N Patel)  
Date : 20.05.2017 Managing Director & CEO



## व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2016-17

### भाग ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	आन्ध्रा बैंक
3	पंजीकृत पता	डॉ. पट्टाभि भवन, 5.9.11, सैफाबाद हैदराबाद - 500 004.
4	वेबसाइट	www.andhrabank.in
5	ई-मेल आईडी	mbd@andhrabank.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2016-17
7	कंपनी के कार्य-क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कूट-वार)	बैंकिंग
8	कंपनी के तीन मुख्य उत्पादनों/सेवाओं को बताएं (तुलन-पत्र के अनुसार)	क) जमाएं ख) ऋण ग) निवेश
9	स्थानों की संख्या जहां कंपनी के व्यापार कार्यकलाप किये जा रहे हैं	2908
i	अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण प्रस्तुत करें)	शून्य
ii	राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	2908
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान विपणन	पैन इंडिया

### भाग बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	681.16 करोड़
2	कुल टर्नोवर (आईएनआर)	रु. 3,39,673 करोड़ (जमा- रु. 1,95,441 करोड़ तथा अग्रिम रु. 1,44,232 करोड़)
3	कर के बाद कुल लाभ (आईएनआर)	रु. 174.34 करोड़
4	कर के बाद लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय	1.83% (रु.3.19 करोड़)
5	उपर्युक्त 4 में किया गया व्यय के क्रियाकलापों की सूची	1. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना मुख्य मंत्री राहत निधि को दान 2. हरितहारम परियोजना हेतु जीएचएमसी को दान 3. गरीब छात्रों (लड़कियों के लिए सरकारी छात्रावास) के अत्यंत गरीब के लिए किताब और स्कूल बैग का वितरण। 4. रेड क्रॉस सोसाइटीव को अंबुलेंस

### भाग सी : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की अनुबंधी कंपनी / कंपनियां हैं ?	1. आन्ध्रा बैंक फैनैशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
2	क्या अनुबंधी कंपनी पेरेंट कंपनी की बीआर पहलुओं में भाग लेती है ? यदि हाँ, तो उन कंपनी/कंपनियों की संख्या सूचित करें।	जी नहीं। ऊपर उल्लिखित अनुबंधी ने पेरेंट कंपनी अर्थात् बैंक के बीआर पहलुओं में भाग नहीं लिया है।
3	क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (उदा : पूर्तिकार, वितरणकार आदि), जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के बीआर पहलुओं में भाग लेते हैं ? यदि हाँ, तो उस संस्था/संस्थाओं के प्रतिशत सूचित करें ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	जी नहीं।



**BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2016-17**

**Section A: General Information about the Company**

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not applicable
2	Name of the Company	ANDHRA BANK
3	Registered Address	DR PATTABHI BHAVAN, 5-9-11, SAIFABAD, HYDERABAD – 500 004.
4	Website	www.andhrabank.in
5	E-mail id	mbd@andhrabank.co.in
6	Financial Year reported	2016-17
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	BANKING
8	List three key products/services that the Company manufactures/ provides (as in Balance Sheet)	A) DEPOSITS B) LOANS C) INVESTMENTS
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	2908
i	Number of International Locations (Provide details of major 5)	NIL
ii	Number of National Locations	2908
10	Markets served by the Company	PAN INDIA

**Section B: Financial Details of the Company**

1	Paid up Capital (INR)	681.16 Crs
2	Total Turnover (INR)	Rs.3,39,673 Crs (Deposit–Rs 1,95,441 Crs & Advances Rs.1,44,232 Crs)
3	Total profit after taxes (INR)	174.34 Crs
4	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	1.83% (Rs.3.19 crores)
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	1.Donation to CM Relief fund Andhra Pradesh and Telangana State. 2.Donation to GHMC for Harithaharam project. 3.Distribution of Books and School bags to the poorest of the poor students (Govt Girls Hostel). 4.Ambulance to Red cross society.

**Section C: Other Details**

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	1. ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LTD
2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of the Parent Company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	NO No, None of the above mentioned subsidiary participated in the BR initiatives of the parent company i.e. Bank.
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	NO





## भाग डी : बी आर सूचना

### 1. बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	06710946
नाम	श्री अजित कुमार रथ
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

### ख. बीआर प्रमुख के विवरण

क्रम सं.	विवरण	अनुक्रमण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री वाई. अमरनाथ
3	पदनाम	महा प्रबंधक
4	दूरभाष नंबर	040 - 23252031
5	ई-मेल आईडी	amaranth.y@andhrabank.co.in

### 2. सैद्धांतिक-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ (हाँ/नहीं उत्तर दें)

#### (क) अनुपालन के विवरण (हाँ/नहीं उत्तर दें)

क्रमांक	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1 @	क्या आपके पास नीति/ नीतियां हैं	हाँ *	हाँ ^	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए नीति तैयार की जा रही है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो यह एमडी / स्वामी / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड / निदेशक / आधिकारिक कंपनी की एक विशिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का संकेत मिलता है?	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को भेजी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या पॉलिसी/ नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9	नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित कंपनी की शिकायत निवारण तंत्र है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के काम के स्वतंत्र लेखा परीक्षा / मूल्यांकन किया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

@ बैंक द्वारा कई पॉलिसी औपचारिक रूप से स्थापित की जाती हैं जो बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कार्यों का संचालन करती हैं। यद्यपि, उसी समय, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देश होते हैं, जो ऑपरेटिंग इकाइयों के साथ-साथ नीतियों को औपचारिक रूप से लागू होते हैं। इसी तरह, बैंक नियामकों, संबद्ध संघों और अन्य विधियों द्वारा बैंकिंग कार्यों को पूरा करते हुए तैयार की गई नीतियों का भी पालन किया जाता है।

विभिन्न दिशा-निर्देशों को तैयार करते समय, नीतियों को हितधारकों के विचार / प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है।

\* सिद्धांत 1 के तहत, बैंक मुख्यतः सीवीसी दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में होता (लिंक: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>)

^ सिद्धांत 2 के तहत विभिन्न गतिविधियों को बैंक की ऋण नीति द्वारा शासित किया जाता है जो कि आंतरिक उपयोग के लिए ही है और इसलिए, ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता है।

\*\* क्रम सं. 3: बैंक द्वारा अनुपालन की जा रही सभी नीतियां विभिन्न नियामकों और भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत के संविधान, कानूनी अधिनियम आदि जैसे वैधानिक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। अतः, वे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

लिंक: [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in)



**Section D: BR Information**

**1.Details of Directors responsible for BR**

a. Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	06710946
Name	Sri Ajit Kumar Rath
Designation	Executive Director

**b.Details of the BR Head**

S.No.	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	NA
2	Name	Sri Y. Amarnath
3	Designation	General Manager
4	Telephone Number	040 - 23252031
5	e-mail id	amaranth.y@andhrabank.co.in

**2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)**

**(a) Details of Compliance (Reply in Y/N)**

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1@	Do you have a policy/ policies for	Y*	Y^	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5	Does the Company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

@ There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the Bank directly or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines issued by the Bank from time to time, that are followed by the operating units as well as the policies are formally put in place. Similarly, the Bank also implements the policies framed by regulators, affiliated associations and other statutes while carrying out the banking functions. While framing the various guidelines, policies the views/ feedback of stake holders is taken into consideration.

\* Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by

the Central Vigilance Commission. (Link: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

\*\* S. No. 3: All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, legal Acts etc. Hence, they conform to national standards.

Link : [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in)



## 2. ख. यदि क्रम सं. 1 का जवाब किसी भी सिद्धांत के प्रति नहीं है, तो, कृपया क्यों समझाएं: (2 विकल्प तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है।	पी 7 के लिए नीति न होने का कारण पी 7 के लिए कोई नीति नहीं है क्योंकि बैंक सार्वजनिक और विनियामक निकायों को प्रभावित करने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है। तथापि, बैंक "बैंकिंग सिस्टम" के संबंध में नीति निर्माताओं / नियामकों के साथ जुड़ा हुआ है।								
2	कंपनी निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है।									
3	कंपनी के पास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4	यह अगले 6 महीनों के अंदर किया जाने की योजना है।									
5	यह अगले 1 वर्ष के अंदर किया जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

### • बीआर से संबंधित गवर्नर्स

- \* निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के बी आर कार्यनिष्पादन का आकलन करने के अंतराल अवधि उल्लेख करें। 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वर्ष में एक बार, एक वर्ष से भी अधिक --- वर्ष में एक बार ---
- \* क्या कंपनी बीआर या एक वहनीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? प्रकाशित करने की आवश्यकता क्या है?

हाँ, बीआर रिपोर्ट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) देखी जा सकती है।

यह वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है।

### भाग ई: सिद्धांत-वार प्रदर्शन

#### सिद्धांत 1

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार नीति का कवर केवल कंपनी को किया जाता है? हाँ/ नहीं। क्या यह समूह/ संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार गैर-सरकारी संगठन/ अन्य के लिए विस्तारित है?

उत्तर : "व्यवसायों को आचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ स्वयं को शासन करना चाहिए"

हाँ, यह केवल बैंक को कवर करता है।

बैंककारी कंपनी) उपक्रमों का अर्जन और अंतरण( अधिनियम, 1980 के तहत नए बैंक के रूप में आन्ध्रा बैंक का गठन किया गया है।

बैंक को मजबूत नैतिक मूल्यों पर स्थापित किया गया है तथा अपने ईमानदार और विवेकपूर्ण नेतृत्व द्वारा आगे बढ़ाया गया है। वित्तीय अखंडता, व्यवसायिक समझदारी, सावधानी और लोगों की कड़ी कमाई की बचत के लिए एक स्थायी देखभाल और चिंता करते हुए बैंक सामाजिक जिम्मेदारी की एक गहरी समझ के साथ एक ग्राहक केंद्रित संगठन बनाने के लिए और विश्व स्तर के मानकों के कार्यनिष्पादन को प्राप्त करने के लिए लगातार तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक में "विजिल ब्लोअर" की नीति है तथा भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन और निधियों का दुर्विनियोजन की जांच हेतु सतर्कता प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

1. सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक आस्तियों और भ्रष्टाचार का विवरण प्रस्तुत करना

क. एपीएआर ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

ख. विवरणों की 100% जांच

2. संदेहास्पद अखंडता वाले अधिकारियों की सूची:

सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संदिग्ध अखंडता के अधिकारियों की सूची वर्ष में एक बार तैयार / समीक्षा की जाती है।

3. उपरोक्त सूचियों में सूचित अधिकारियों की पोस्टिंग:

मानव संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपरोक्त सूचियों में सूचित अधिकारियों को संवेदनशील कार्य में तैनात नहीं किया जाता। यह सतर्कता विभाग द्वारा निगरानी की जाती है।

4. कर्मचारियों का रोटेशन:

बैंक में संवेदनशील पदों में कर्मचारियों के रोटेशन की निगरानी की जाती है तथा मासिक रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग को जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने शेरधारक की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा किस प्रतिशत तक संतोषपूर्वक समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर : वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 1565 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी 1565 शिकायतों का समाधान किया गया। शिकायतें लाभांश नहीं प्राप्त होना, भौतिक शेरधारकों के लिए पते में परिवर्तन, शेरधारकों की मृत्यु पर शेरधारकों के शेरों के अंतरण, शेरों के अंतरण, ड्रॉफ्लिकेट शेर प्रमाण-पत्र, भौतिक शेरधारकों के लिए ईसीएस सुविधा हेतु बैंक खाते अद्यतन करना, ई-मेल (ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत) माध्यम से प्राप्त शेरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों तथा अनुरोधों का समाधान शेरधारकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है।

#### सिद्धांत 2

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिम तथा/या अवसरों को शामिल किया है।

#### I. वित्तीय समावेश अभियान

\* प्रधानमंत्री जन-धन: प्रधानमंत्री जन-धन योजना(पीएमजेडीवाई) खातों की कुल संख्या 24.23 लाख है और इन खातों में शेष राशि ₹327.10 करोड़ है।



**2.b. If answer to the question at Serial .No.1 against any principle, is ‘No’, please explain why: (Tick up to 2 options)**

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task.									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

Reason for not having policy for P7  
 There is no policy for P7 as Bank is not directly engaged in influencing public and Regulating Bodies. However Bank is associated with Policymakers / Regulators in respect of “Banking System”.

**3. Governance related to BR**

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year. ---ANNUALLY ---
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

YES , BR Report can be viewed at [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in)  
 It is published annually.

**Section E: Principle-wise performance**

**Principle 1**

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others?

Reply : “Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability”

Yes, it covers the Bank only.

Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.

The Bank has been founded on strong ethical values taken forward by its honest and prudent leadership. The financial integrity, business prudence, caution and an abiding care and concern for the hard earned savings of people, Bank is committed to create a customer centric organization with a deep sense of social responsibility and to continuously leverage technology to attain world class standards of performance and maximising the stake holders value.

Bank does have a policy of “Whistle blower” and procedures regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under :

- 1) Annual Assets and Liabilities return filed by all Officers:
  - a) Online submission of APAR has been made mandatory.
  - b) 100 % scrutiny of the Returns.

- 2) List of Officers of Doubtful integrity :

As per CVC guidelines, list of Officers of Doubtful integrity is prepared/ reviewed annually.

- 3) Posting of officers appearing in the above lists :

It is ensured by the HR Department that the officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department.

- 4) Rotation of staff :

Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the Central Vigilance Commission in monthly reports.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Reply : Total complaints received during 2016-17 1565 and all 1565 complaints resolved. The Complaints are with regard to dividend not received, change of address for physical share holders, transmission of shares in case of death of share holder, transfer of shares, duplicate share certificates, updating of Bank account details for ECS facility for physical share holders, Physical copy of Annual reports by share holders who receives through Emails (Under Green Initiative). All the complaints and requests received during 2016-17 are all resolved to the satisfaction of stakeholders.

**Principle 2**

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risk and/or opportunities.

**I. Financial Inclusion Campaign**

\* PMJDY : the Total number of PMJDY accounts stood at 24.23 Lakh and the outstanding balance in these accounts is at Rs. 327.10 Cr.



**\* अटल पेन्शन योजना (एपीवाई):** वर्ष 2016-17 वेद दौरान, 1,39,223 ग्राहक एपीवाई योजना के अधीन पंजीकृत किये गये हैं। आन्धा बैंक एपीवाई में निरन्तर बेहतर निष्पादन कर्ता बैंक है तथा जिसका प्रति शाखा औसत 49 पंजीकरण हैं जो कि सभी बैंकों में सबसे ज्यादा है। इस वर्ष के दौरान हमारे बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक का पुरस्कार मिला है।

**\* सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई):** बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मन्त्रालय के 20.00% के लक्ष्य की तुलना में 38.00% सम्भावित ग्राहकों को नामांकित किया है।

**\* प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा रूिह (पीएमएसबीवाई):** मार्च -17 तक कुल 67.33 लाख ग्राहक पंजीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें से तिमाही के दौरान 13,171 नवीन पंजीकरण हैं।

**\* प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):** मार्च -17 तक कुल 7.01 लाख ग्राहक पंजीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें से तिमाही के दौरान 8,511 नवीन पंजीकरण हैं।

**\* वित्तीय समावेश के अधीन नवीन पहल:** नकदीरहित आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ईपीडीएस) आरम्भ की गई तथा आन्ध्र प्रदेश के पांच जिलों यथा कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम तथा गुन्टूर में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गयी है। अभी तक आन्ध्र प्रदेश राज्य के पांच जिलों में 10,828 एफपीएस डीलरों को कैशलेस ईपीडीएस लेनदेन करने के लिए चिन्हित किया गया है।

## II. ग्रामीण विकास

आन्धा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट

आन्धा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट, आन्ध्र प्रदेश (9), तेलंगाना (2), ओडिशा (2) और केरल (1) राज्यों में 14 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन कर रहा है और क्षमता निर्माण/उद्यमिता विकास और ज्ञान के प्रसार के लिए किसानों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं तथा कारीगरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

स्थापना पश्चात, संस्थानों द्वारा 159615 उम्मीदवारों को 5456 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है तथा करीब 65.80% प्रशिक्षित उम्मीदवार लाभकारी उद्यमों में कार्यरत हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, संस्थानों ने 407 कार्यक्रमों के माध्यम से 10688 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

हमारे सभी ग्यारह आरएसईटीआई (3 आरएसईटीआई हाल ही में खोले गए हैं) को ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार वर्ष 2015-16 के लिए "ए" की उच्चतम रेटिंग प्रदान की गई है।

## वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र

बैंक ने जन चेतना वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श ट्रस्ट की स्थापना की है तथा सभी 10 अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केन्द्र चलाए जा रहे हैं। केन्द्र वित्तीय साक्षरता गतिविधियों को अभियान के माध्यम से तथा सेवा संबंधी विस्तारित सेवाएं प्रदान करते हुए बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सभी ग्रामीण शाखाएं तथा आरएसईटीआई स्थानीय कलाकारों/जादूगरों की सेवाओं का उपयोग करते हुए और कला जटारस के आयोजन के माध्यम से गांवों में

वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं।

**III. ग्रीन बैंकिंग-** बैंक ने कई पर्यावरण अनुकूल उपायों यथा कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इन्टरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, नकद/चैक स्वीकर्ता, बायोमेट्रिक एटीएम आदि आरम्भ किए हैं।

2. इस प्रकार के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद (वैकल्पिक) की प्रति इकाई उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयुक्त संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल इत्यादि) का निम्नलिखित विवरण प्रदान किया है:

I. मूल्य श्रृंखला के माध्यम से गत वर्ष की तुलना में सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान अर्जित कटौती?

**लागू नहीं**

II. गत वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान अर्जित की गई कटौती?

**लागू नहीं**

3. कम्पनी में धारणीय सोर्सिंग (परिवहन शामिल) के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं? नहीं

I. यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत धारणीय सोर्स में लाया गया? इसके अलावा, लगभग 50 या ऐसे ही शब्दों में इसका विवरण प्रदान करें।

4. क्या कम्पनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों, जिसमें कार्यस्थल के आसपास के समुदायों के लोग शामिल हैं, से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है?

**हमारी व्यावसायिक गतिविधि पर लागू नहीं है।**

यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

5. क्या कम्पनी के उत्पादों तथा अपशिष्ट को पुनःचक्रित (रिसाइकल) करने के लिए कोई तन्त्र है? यदि हां, उत्पाद तथा अपशिष्ट के पुनःचक्रित (रिसाइकलिंग) का प्रतिशत कितना है (पृथक रूप से यथा <5%, 5-10%, > 10%) इसके अलावा, लगभग 50 या ऐसे ही शब्दों में इसका विवरण प्रदान करें

**लागू नहीं**

## सिद्धांत 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बतायें : 20981
2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या बतायें शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें : 5925
4. कृपया स्थायी कर्मचारियों में दिव्यांगों की संख्या बतायें : 550
5. क्या प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है: हाँ
6. स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य है? - 94%
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बंधुआ श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल शिकायतों तथा लम्बित की संख्या, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अनुसार प्रदान करें।



\* Atal Pension Yojana (APY): During 2016-17, 1,39,223 customers have joined under APY scheme. Andhra Bank is the consistent performer in APY and with average branch participation of 49 enrolments which is highest among all Banks. During this year our bank received best performing bank award amongst all public sector banks.

\* Social Security Schemes (PMSBY and PMJJBY): Bank has enrolled 38.00% of the potential customers against the target of 20.00% given by DFS, MOF.

\* Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): 67.33 lakh customers are enrolled till March'17 of which 13,171 are fresh enrolments during the quarter.

\* Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojana (PMJJBY): 7.01 lakh customers are enrolled under the scheme till March 2017 and of these 8,511 are fresh enrolments during the quarter.

\* New Initiatives under Financial Inclusion: Cashless Aadhaar enabled Public Distribution System (AePDS) was introduced and is successfully being implemented in five Districts of Andhra Pradesh such as Krishna, East Godavari, West Godavari, Srikakulam and Guntur. So far 10,828 FPS dealers are mapped for undertaking cashless AePDS transactions in the five districts of Andhra Pradesh state.

## II. Rural Development :

### Andhra Bank Rural Development Trust

Andhra Bank Rural Development Trust is running 14 Rural Self Employment Training Institutes in A.P (9), Telangana (2), Odisha(2), & Kerala (1) states and imparting need based training for capacity building/entrepreneurial development and dissemination of knowledge to farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans.

Since inception, 159615 candidates have been trained through 5456 programmes by the Institutes and around 65.80% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. During the year FY 2016-17, the institutes imparted training to 10688 candidates through 407 programmes.

All our eleven RSETIs (3 RSETIs were recently opened) have been awarded with highest rating "AA" by Ministry of Rural Development, Government of India for the year 2015-16.

### Financial Literacy and Credit Counselling Centres

Bank has established Jana Chetana Financial Literacy and Credit Counselling Trust and running 10 Financial Literacy Centres in all Lead Districts. These centres are promoting financial literacy activities through campaign mode and providing service related extension services. All our Rural Branches and RSETIs are organizing Financial Literacy Camps in the villages by utilizing the services of local artists/magicians and organizing Kala Jataras.

**III. Green Banking** – The Bank has introduced several environment friendly measures, viz, Core Banking Solution, Internet Banking, Telebanking, Mobile banking, ATMs, Cash/cheque acceptor, Biometric ATMs etc.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

I. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

**Not Applicable**

II. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

**Not Applicable**

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

**No**

I. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

**Not Applicable to our business activity.**

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as < 5%, 5-10%, > 10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

**Not Applicable**

### Principle 3

1. Please indicate the Total number of employees. 20981

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis. Nil

3. Please indicate the Number of permanent women employees. 5925

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities. 550

5. Do you have an employees association that is recognized by management. - YES

6. What percentage of your permanent employees is member of this recognized employee association? - 94%.

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.



क्र.सं	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम/बंधुआ श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	कार्य में भेद-भाव	शून्य	शून्य

8. गत वर्ष आपके निम्न कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा तथा कौशल-विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया?

- क स्थायी कर्मचारी-20%
- ख स्थायी महिला कर्मचारी- 5% से अधिक
- ग आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी- शून्य
- घ दिव्यांग कर्मचारी - 1% से अधिक

#### सिद्धांत 4

1. कम्पनी ने अपने आन्तरिक तथा बाह्य हितधारकों को चिन्हित(मैप) किया है ?  
हाँ
2. उपरोक्त में से, कम्पनी ने वंचित, कमजोर तथा सीमान्त हितधारकों की पहचान की है।  
हाँ
3. क्या वंचित, कमजोर तथा सीमान्त हितधारकों के कार्य में संलग्न करने के लिए कम्पनी द्वारा कोई विशेष पहल की जा रही है? ईह हां, तो लगभग 50 या ऐसे ही शब्दों में इसका विवरण प्रदान करें।  
- बैंक ने वंचित, कमजोर तथा सीमान्त हितधारकों को कार्य में संलग्न करने तथा लाभ प्रदान करने के लिये कोई विशेष पहल की है।इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

#### अनुसूचित जाति(एससी)/ अनुसूचित जनजाति(एसटी) कर्मचारी

बैंक सभी कर्मचारियों के साथ बिना किसी भी भेदभाव तथा जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी पूर्वाग्रह के बिना समान व्यवहार नीति का पालन करता है। बैंक अनुसूचित जाति(एससी)/ अनुसूचित जनजाति(एसटी) से सम्बन्धित कर्मचारियों को कुछ विशेष लाभ/सुविधाएं/सहायता यथा भर्ती प्रक्रिया प्रशिक्षण, पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है।

#### दिव्यांग व्यक्ति

एक नियोजित के रूप में बैंक, अपने सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य प्रदत्त लाभ अन्य कर्मचारियों के समान हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के अपने पद पर नियुक्ति के समय, यह उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपने दिव्यांगता के बावजूद सरलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

#### बाह्य वंचित, कमजोर तथा सीमान्त हितधारकों को कार्य में संलग्न करने तथा लाभ प्रदान करने के लिये की गई विशेष पहल:

- ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी शाखाओं में कृषि ऋण हेतु "अशेष प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने से छूट।
- ₹1 लाख तक के कृषि ऋण हेतु मार्जिन और सम्पाश्विक प्रतिभूति आवश्यकताओं में छूट दी गई है।
- आन्ध्रा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड(ABKCC) योजना के तहत, फसल उत्पादन हेतु वित्त पोषण।

- किसान चक्र - किसानों को 2 पहिया और 4 पहिया हेतु वित्त पोषण।
- किसान बंधु - ट्रैक्टर खरीद और कृषि मशीनरी हेतु वित्त पोषण।
- किसान सम्पत्ति - ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु वित्त पोषण।
- मछली पकड़ने वाले किसानों के लिये किसान मत्स्य रक्षक योजना।
- किसान कल्पतरु - कृषि निवेश ऋण हेतु वित्त पोषण, किसान द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न कृषि निवेश गतिविधि को चलाने के लिये एक समग्र मियादी ऋण।
- महिला सशक्तिकरण तथा उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह वित्त पोषण।
- संयुक्त देयता समूह - बटाईदार किसानों को फसल की खेती हेतु वित्त पोषण।
- राईतु मित्र ह्वेल - किसानों के समूह(छोटे, सीमान्त मालिक किसान और बटाईदार किसान) हेतु वित्त पोषण
- दुग्ध पशुओं की खरीद हेतु डेयरी ऋण
- सौर ऋण - सौर जल पम्प और सौर घरेलू प्रकाश उपकरणों के क्रय को प्रोत्साहन।
- कृषि स्नातकों द्वारा कृषि इनपुट यथाउर्वरक(फर्टिलाइजर), बीज, कीटनाशक आदि की स्थापना द्रक्ष श्रद्ध कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र
- बैंक बालिकाओं के शिक्षा ऋण पर 0.50% ब्याज में छूट दे रहा है।
- बैंक कमजोर आय वर्ग से सम्बन्धित शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के लिये ब्याज में छूट योजना तथा शहरी गरीबों को आवास हेतु मानदण्डों को पूर्ण किये जाने पर आधारित ब्याज छूट योजना कार्यान्वित कर रहा है।

#### सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकार पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर-सरकारी संस्थान/ अन्य लोगों को भी कवर प्रदान करती है?  
बैंक की मानव अधिकार की रक्षा करने वाली विभिन्न नीतियां, प्रत्यक्ष या परोक्ष, केवल बैंक के संचालन को कवर करती हैं तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों इत्यादि को नहीं।
- बैंक इस तथ्य से भली-भाँति परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतन्त्र और समान हैं, और व्यक्तियों के मूलमानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बैंक इस प्रकार की नीतियों/प्रक्रियाओं जो कि राष्ट्रीय उद्गम, नागरिकता, रंग, जाति, विधास, धर्म, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, विकलांगता, आयु, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, सामाजिक स्थिति, या किसी अन्य प्रकार से विधि द्वारा निषिद्ध है का प्रयोग नहीं करता है।
- बैंक कार्य स्थल पर भारत के संविधान और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन मानवाधिकार घटकों को भली-भाँति समझता है बैंक संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है।



No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour / forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	NIL	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-grading training in the last year?

- (a) Permanent Employees - 20%
- (b) Permanent Women Employees - 5 % of the above
- (c) Casual/Temporary/Contractual Employees - NIL
- (d) Employees with Disabilities - 1 % of the above

#### Principle 4

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?

**Yes**

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

**Yes**

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

- The Bank has taken various special initiatives to engage and extend benefits to the internal disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Few of them are as under :

#### SC/ST Employees

The Bank practises policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/facilities/assistance to employees belonging to SC/ST category such as pre-recruitment training, pre promotion training.

#### Persons with Disabilities

The Bank as an employer, provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably despite their disability. ...

#### Initiatives to engage and extend benefits to the external disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders :

- Dispensed with obtaining "No Dues Certificate" for agriculture loans in Rural & Semi Urban branches.
- Margin and collateral security requirements are waived for agricultural loans up to Rs 1 Lakh.
- Under Andhra Bank Kisan Credit Card (ABKCC) Scheme, Extending finance for crop production.

- Kisan chakra – Finance to 2 Wheeler and 4 Wheeler to farmers.
- Kisan Bandhu – Finance to Tractor purchase and farm machinery.
- Kisan Sampathi – Finance for construction of rural godowns.
- Kisan Matsya rakshak scheme for Fishing farmers.
- Kisan Kalpataru – Finance for agri Investment credit, a composite Term loan to carry out different agri Investment farm activity to be undertaken by the farmer.
- Self Help Group Finance for upliftment women empowerment.
- Joint Liability groups – Finance to tenant farmers for cultivation of crops.
- Rythu Mithra Group – Finance to the group of farmers (Small and marginal owner farmer and tenant farmer).
- Dairy Loans for purchase of Milch animals.
- Solar Loans - Encouragement to purchase of solar water pumps and solar home lighting.
- Agri Clinics and Agri Business Centre for Agriculture Graduates for establishment of Agri Inputs like fertilizer, seeds pesticides etc.
- The Bank is giving 0.50% interest concession on education loan to girl students.
- The Bank is implement interest Subsidy Scheme for Education Loan borrowers belonging to weaker sections and interest Subsidy Scheme for Housing to Urban poor, subject to fulfilling the criteria.

#### Principle 5

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the group/ Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/ Others?
  - The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly, cover only the operations of the Bank and do not extend to its subsidiaries etc.
  - The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank follows such policies/practices of national origin, citizenship, colour, race belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the Law.
  - The Bank understands well the Human Rights content of the Constitution of India and other international laws on Human Rights at the work place. The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.





## यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- बैंक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़नका निषेध करता है। सेवा शर्तों में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशेष रूप से खण्ड हैं, तदनुसार कार्य स्थलों पर महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट विषयों के समाधान के लिए, बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक आंतरिक अनुपालन समिति जो कि उप महाप्रबंधक स्तरीय महिला अधिकारी अध्यक्षता में गठित की है।
- उपरोक्त पहल महिलाओं कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र और उचित निवारण को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से उचित निपटान के लिए महिला सम्पर्क अधिकारी को समय-समय पर आवधिक प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों, उनके अधिकार और यौन उत्पीड़न की रोकथामकी संवेदनशीलता और महत्व के अनुसार नियमों को नियमित रूप से सुदृढ़ किया जाता है। लंघ्न समय-समय पर सेवा शर्तों नियमों में सुदृढ़ता, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकारों, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश और उनके कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर परिपत्र जारी करता है।
- कॉर्पोरेट स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के विवरण अन्य संबंधित विवरणियों के साथ शिकायत/आरोप के अंतर्गत बैंक की वेबसाईट पर भी अपलोड किए गए हैं।

## बैंक वेबसाईट के माध्यम से आम लोगों के लिए सूचना :

- बैंक पब्लिक डोमेन में प्रकट की जाने योग्य किसी न्य सूचना/ आम लोगों के लिए उपलब्ध अपने उत्पादों/सेवाओं/सुविधाओं के बारे में आधुनिकतम सूचना प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी के रूप में, आम सूचना हेतु पब्लिक डोमेन में अपना वित्तीय परिणाम प्रदर्शित करता है।

## वार्षिक रिपोर्ट उेश्य 2016-17 के लिए शिकायतों का प्रकटन

क) ग्राहक शिकायतें (संख्या में)		ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड (संख्या में)	
क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित	1274 (638)	क) वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किया गया	शून्य (शून्य)
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	239899 (152451)	ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किया गया	शून्य (शून्य)
ग) वर्ष के दौरान निवारण	240413 (151815)	ग) वर्ष के दौरान लागू किया गया	शून्य (शून्य)
घ) वर्ष के अंत में लंबित	*760 (*1274)	घ) वर्ष के अंत तक लागू नहीं किया गया	शून्य (शून्य)

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या 230136 है जिसमें क्रेडिट कार्ड हेतु 91, आरटीजीएस/एनीएफटी हेतु 3384, पेंशन हेतु 107, एसएमएस अपसेट हेतु 1609, बैंकिंग लोकपाल हेतु 805 तथा सामान्य शिकायतों हेतु 3767 शिकायतें सम्मिलित हैं।

विश्वसनीयता चार्ज बैंक की संख्या अर्थात् 120 दिनों के पश्चात प्राप्त शिकायत, दि. 31.03.2017 को अन्य बैंकों के पास 19.48 लाख की राशि के साथ 421 शिकायतें हैं।

नोट : \* सभी लंबित शिकायतों का निवारण किया गया है।

- आन्ध्रा बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में जन प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार, जन प्राधिकरण है। अतएव, जनसदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है। बैंक में जन सूचना अधिकारी का प्रारूप
- केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)। सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को सीपीआईओ के रूप में पदनामित किया गया है जो लोगों से सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को अग्रेषित करेंगे। प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त सभी आंचलिक प्रबंधक / उप महा प्रबंधक आंचलिक कार्यालयों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित हैं तथा लोगों से अनुरोध की प्राप्ति पर, सीपीआईओ उसपर विचार करेगा तथा निर्धारित समय के अंतर्गत अनुरोध अस्वीकार करेगा अथवा सूचना भेजेगा।
- वरिष्ठतम महा प्रबन्धक जो कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय में पद स्थापित हैं को अधिनियम के तहत वरिष्ठ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित करते हुए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। वे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के निर्णय के विरुद्ध नागरिकों द्वारा पहली अपील याचिका की सनवाई करेंगे।

## शिकायतों का निवारण:

- बैंक ने ग्राहक शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधान कार्यालय में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए अलग विभाग है।
- 2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्वक निपटाए जाने का प्रतिशत क्या था ?

## सिद्धांत 6 'व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है अथवा समूह/उद्यम/संयुक्त समूह/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य लोगों तक विस्तारित किया है
- नीति केवल बैंक को कवर करती है।
2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यनीति पहल है ? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।



**Prevention of Sexual Harassment**

- The Bank prohibits sexual harassment at the work place. In the Service conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at workplace. Accordingly, for addressing issues related specifically to women employees in work places, the Bank has appointed a Internal Compliance Committee in Head office headed by a lady officer in rank of Deputy General Manager.
- The above initiatives have been taken to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. The Lady Liaison Officers are given periodical training to equip themselves to handle grievance of women employees effectively. There are regular reinforcements regarding sensitivity and importance of matters relating to women employees, their rights and prevention of sexual harassment. The Bank issues circulars from time to time reinforcing service condition rules, benefits to women employees, rights of women employees, prevention of sexual harassment, guidelines issued by Supreme court of India and their implementation.
- The details of members of Internal Complaints Committee at Corporate level is also uploaded on the Bank’s website under complaint / Grievance along with other relevant details.

**Dissemination of Information to public through the Bank’s web site:**

- The Bank places up-to-date information about its Products/ Services/ Facilities available to public/any other information, which can be disclosed, in public domain.

**Disclosure of Complaints for Annual Report purpose 2016-17**

a) Customer complaints (in numbers)		b) Awards passed by the Banking	
a) Pending at the beginning of the year	1274 (638)	a) Unimplemented at the beginning of the year	NIL (NIL)
b) Received during the year	239899 (152451)	b) Passed by the Banking Ombudsman during the year	NIL (NIL)
c) Redressed during the year	240413 (151815)	c) Implemented during the year	NIL (NIL)
d) Pending at the end of the year	*760 (*1274)	d) Unimplemented at the end of the year	NIL (NIL)

The total complaints received during the year include 230136 number of Complaints for ATM, 91 for Credit Card, 3384 for RTGS/NEFT, 107 for Pension, 1609 for SMS Upset, 805 for Banking Ombudsman & 3767 for General Complaints. The number of Good faith charge backs, i.e. complaints received after 120 days, raised on other Banks stood at 421 as on 31.03.2017 amounting to 19.48 lacs.

NOTE: \* All the pending complaints are since redressed.

Being a listed company, the Bank displays its financial results in the public domain for information to the public.

- Andhra Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and, thus, is under obligation to provide the information to members of public. The structure of Public information officer in Bank :
- Central assistant public information officer (CAPIO). Branch Managers of all branches have been designated as CAPIO who will receive the request for information from public and forward to the Central Public Information Officer (CPIO) for necessary action. All the Zonal Managers / Deputy General Managers posted at Zonal Offices are designated as Central public Information Officers on receipt of the request from the public, the CPIO shall consider the same and furnish the information or reject the request with the time specified.
- Appellate Authorities: A Senior most General Manager posted at corporate Head office is designated as Senior Central Public Information Officers (SCPIOs) who is Appellate Authority under the Act and he will hear the first appeal filed by citizens against the decision of the Central Public Information Officer.

**Redressal of Complaints:**

- The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. In Head office there is a separate department to attend the complaints of customers.
2. How many stakeholders complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

**Principle 6 ‘Business should respect, protect, and make efforts to restore the Environment’**

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/joint venture/suppliers/contractors/NGOs/others.
  - The policy covers Bank only.
2. Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change , global warming, etc? Y/N If yes, Please give hyperlink for webpage etc.



- बैंक ने निम्न अनुसार पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय आरंभ किए हैं:
  - बैंक उन उद्योगों को वित्त प्रदान नहीं करता है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है ओजोन घटाने वाले पदार्थों का उत्पादन करता है ।
  - बैंक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र जैसे वित्त, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में वित्त पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।
  - निर्माण के लिए हार्वेस्ट बारिश का जल ।
  - ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा को काम में लाना । कागज के उपभोग को घटाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए थे
  - हार्ड-प्रतियां भेजने के स्थान पर अंचल/सर्कल शाखाओं को ई-मेल भेजना ।
  - बचत खातों में डेबिट कार्डों के उपयोग को बढ़ावा देना । इंटरनेट बैंकिंग आदि को प्रोत्साहित करना।
  - पीओएस मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना ।
  - इंटरनेट लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देना ।
3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं
- हाँ**
- टीईवी अध्ययन/परियोजना मूल्यांकन में, संभावित पर्यावरणीय जोखिमों के निवारण के लिए उचित महत्व दिया जाता है ।
- हाँ**
4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें, अथवा हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की जाती है ?
- बैंक ने कागज रहित निविदा को बढ़ावा देने हेतु बैंक की ओर से ई-निवेदा, ई-निलामी तथा तथा रिवर्स नीलामी के निष्पादन के लिए मेसर्स अंतरास सिस्टम प्राइवेट लि., बैंगलोर तथा मेसर्स ऑक्सन टाइगर, के साथ एक समझौता किया है ।
  - कागज उपभोग की बचत के लिए विक्रेताओं को भुगतान ई-भुगतान पद्धति (आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा अथवा लाभार्थी खाता में जमा) के माध्यम से किया जाता है ।
  - विभिन्न केंद्रों पर बैंक के आगामी कार्यालय/आवासीय भवन को ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट के आधार पर डिजाइन किया गया है जिसका अर्थ है स्थल का चयन तथा निर्माण की डिजाइनिंग तथा निष्पादित परिचालन से लेकर निर्माण का प्रत्येक चरण पर्यावरण अनुकूल तथा संसाधन कुशल प्रक्रियाओं का समावेशन ।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेब-पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।
- समस्याओं की पहचान द्वारा बिजली बर्बादी को कम करना जो अधिक बिजली की खपत का कारण बनती है, बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता तथा महत्व देता है जो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, जैसे पवन मिल्स/सौर ऊर्जा परियोजना। बैंक की हरित तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु

प्राथमिकता प्रदान करने की योजना है ।

- साथ ही, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करते हुए अपने सभी परिसरों में एलईडी प्रतिस्थापित कर रहा है बैंक उच्चतर ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए रेटेड एनर्जी इफिसिएंट उपकरण अर्थात एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का भी पालन कर रहा है ।
6. क्या वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्सृजित उत्सर्जन/अपशिष्ट की सूचना दी जा रही है ?

**लागू नहीं**

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या, जो कि लंबित हैं (अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति संतोषपूर्वक नहीं निपटाया गया है)

**शून्य**

**सिद्धांत 7 "व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करता हो, तो इसे जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए"**

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा संघ का सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन प्रमुख नामों को दें जिनके साथ आपका व्यापार संबंधित है:
- (a) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
  - (b) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
  - (c) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
  - (d) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एससीआई)
  - (e) हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए)
2. क्या आपने जनहित के सुधार अथवा लाभ हेतु उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/लॉबी किया है? हाँ : यदि हाँ तो बोर्ड क्षेत्र निर्दिष्ट करें : ड्रॉप-बॉक्स ।
- देश के बैंक-रहित ग्रामीण स्थानों पर शाखाओं के नए व्यवहार्य स्वरूप के बारे में भारतीय बैंक संघ को सुझाव दिए गए ।

शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धांत, अन्य

- बैंक, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लाभों के विस्तार के सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित है । साथ ही, बैंक देश के सतत विकास में सहयोग देते हुए खाद्य सुरक्षा तथा समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा आर्थिक क्षेत्रों को समय-समय पर समग्र रूप से कवर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी सभी नीतिगत अनुदेशों/विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है ।
- डिजिटल बैंकिंग प्रवेश में सुधार के लिए एईपीडीएस प्रणाली के कार्यान्वयन में अग्रणी में से एक

**सिद्धांत 8 'व्यवसाय को समावेशी और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए'**

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 की नीति से संबंधित कार्यक्रम/पहल/परिया-जनाओं को निर्दिष्ट किया है ? यदि हां, तो इसका विवरण



- Bank has initiated certain important measures to protect environment and prevent pollution as under :
- The Bank does not extend finance to industries which affects environment/produce ozone depleting substances.
- Bank has committed to extend finance in Renewable energy sector viz solar, wind and other renewable energy projects.
- Harvest rain water for construction
- Harness solar energy to meet energy requirements.

Following measures were adopted to reduce consumption of paper

- Sending emails to Zones/Circles Branches etc instead of sending hard copies.
  - Promoting use of Debit cards in SB accounts. Encouraging Internet Banking etc.
  - Promoting use of POS machines
  - Promoting use of internet transactions.
3. Does the company identify and assess potential environmental risk? Y/N

**Yes**

- In TEV study/project appraisal, due weightage is given to the mitigation of potential environmental risks.

**Yes**

4. Does the company have any project related to clean Development mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also if yes, whether any environmental compliance report is filed?

- Bank has executed an agreement with M/s Antaras system Private Ltd., Bangalore

And M/s Auction Tiger to carry out e-tendering, e-auction and reverse auction on behalf of Bank to promote paper less tendering.

- Payments to vendors are being made through e-payment mode (RTGS/NEFT or credit to beneficiary account) to save paper consumption.
- Bank's upcoming Office /Residential building at different centres are designed by considering the Green Building Concept which means the incorporation of environment friendly and resource efficient processes at each stage of construction, right from site selection and designing to construction and operation followed

5. Has the company undertaken any other initiatives on-clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N if yes, please give hyperlink for web page etc.

- Minimization of electric wastage by identifying the problems that causes more electricity consumption. Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency Bank gives due weight age and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/ Solar power Projects. Bank has schemes

of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

- Further, the Bank is changing over to LED in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances viz, Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

6. Are the Emission/waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

**Not Applicable**

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction as on end of Financial Year.

**Nil**

**Principle 7 “Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, Should do so in a responsible manner”**

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, Name only those major ones that your business deals with:

- (a) Indian Banks Association (IBA)
- (b) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- (c) National institute of Bank Management (NIBM)
- (d) Administrative Staff College of India (ASCI)
- (e) Hyderabad Cricket Association (HCA).

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advantage or improvement of public good? Yes : if yes specify the board areas (drop box):

- Suggested to Indian Banks Association (IBA) about the opening new viable format of Branches at unbanked rural places of the country.

Governance and Administration, Economic Reform, Inclusive Development Policies, Energy security, water, food Security, Sustainable Business Principle, Others.

- The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/regulatory guidelines issued by the Government of India and Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.
- One of the forerunners in implementation of AEPDS system to improve digital Banking penetration.

**Principle 8 “Businesses should support inclusive growth and equitable development”**

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to principle 8? If yes details thereof.



- बैंक बैंक के सिद्धांत 8 के अनुसरण में कई पहल/कार्यक्रम/परियोजना आरंभ की हैं।

बैंक की वित्तीय समावेशन पहल उनमें से एक है :

बैंक ने ग्रामीण लोगों को वहन-योग्य लागत के साथ गैर-बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सेवा प्रदान करने की वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की तथा उन्हें समावेशी विकास हेतु मुख्य आर्थिक धारा में कवर किया है। इस सेगमेंट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष उत्पाद जैसे कि बचत सह इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, आन्ध्रा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कम लागत प्रीमियम के साथ बीमा उत्पाद तैयार किए हैं पीओएस आधारित व्यवसाय संवाददाता मॉडल यूबीबीएस आदि जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडलों को लागू किया गया है।

## अभी तक प्रगति:

\* **प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) :** पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 24.23 लाख थी तथा इन खातों में बकाया राशि 327.10 करोड़ रुपये है।

\* **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** 2016-17 के दौरान 1,39,223 ग्राहक एपीवाई योजना में सम्मिलित बैंकों में आन्ध्रा बैंक एपीवाई में सतत निष्पादक रहा है और शाखाओं की औसत भागीदारी 49 पंजीकरण रही जो सभी बैंकों में सबसे अधिक है। वर्ष के दौरान हमारे बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक पुरस्कार मिला।

\* **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (पीएमएसबीवाई तथा पीएमजेबीबीवाई):** बैंक ने डीएफएस, एमओएफ द्वारा दिए गए 20.00% के लक्ष्य के स्थान पर 38.00% संभावित ग्राहकों को नामांकित किया।

\* **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) :** 67.33 लाख ग्राहक मार्च 17 तक नामांकित हैं जिनमें से 13,171 तिमाही के दौरान नए नामांकन हैं।

\* **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीबीवाई) :** 7.01 लाख ग्राहक मार्च 2017 तक इस योजना के अंतर्गत नामांकित किए गए तथा इस तिमाही के दौरान 8,511 नए नामांकन हैं।

\* **वित्तीय समावेशन के अंतर्गत नवीन पहल :** नकदरहित आधार सक्षम जन वितरण प्रणाली (ईपीडीएस) आरंभ किया गया था और आन्ध्र प्रदेश के पाँच जिले कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम और गुंटूर में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। अभी तक 10,828 एफपीएस डीलरों को आन्ध्र प्रदेश राज्य के पांच जिलों में नकदरहित ईपीडीएस लेनदेन हेतु मैप किया गया है।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/स्वयं फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संस्थान के माध्यम से किए गए हैं ?

- इन-हाउस टीम

3. क्या आपने अपनी पहल में कोई प्रभावी आकलन किया है?

- हाँ, संस्थानों द्वारा 5456 कार्यक्रमों के माध्यम से 159615 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 65.80% प्रशिक्षित अभ्यर्थी लाभकारी उद्यमों में कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के

दौरान संस्थान ने 407 कार्यक्रमों द्वारा 10,688 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण जिससे वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ कर पाएँ। इस प्रशिक्षण ने उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया।

4. समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई गई सामुदायिक विकास पहल में प्रत्यक्ष रूप से आपका क्या योगदान है ? कृपया 50 शब्दों में स्पष्ट करें।

- हरिताहरम, सरकार का कार्यक्रम, हैदराबाद शहरी विकास द्वारा हैदराबाद तथा आस-पास के स्थानों में ग्रीन बेल्ट में वृद्धि ला रहा है, बैंक ने सीएसआर निधि द्वारा दान दिया।

## सिद्धांत 9 "व्यवसाय से अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को उचित महत्व तथा लाभ होना चाहिए।"

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का कितान प्रतिशत लंबित है।

**100% निपटान किया गया।**

2. क्या कंपनी स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की योग्यता सम्बन्धी उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है ? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

**लागू नहीं।**

3. क्या गत पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापनों तथा/अथवा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध किसी भी हितधारक द्वारा कोई मुकदमा फाइल किया गया अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित है। यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

**शून्य**

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों का पालन किया है ?

**हाँ।**

## अनुबन्ध II

**पर्यावरणीय, सामाजिक और शासकीय मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने हेतु सिद्धांत**

### सिद्धांत 1

**व्यवसायों को आचार संहिता, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के साथ संचालित तथा नियंत्रित करना चाहिए।**

1. व्यवसायों को प्रशासन संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों को विकसित करना चाहिए जो सभी स्तरों पर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा तथा इसकी मूल्य श्रृंखला में इस सिद्धांत को अपनाने हेतु बढ़ावा देने में पारदर्शी संवाद तथा अपने निर्णयों से सम्बन्धित जानकारी होनी चाहिए जो प्रासंगिक हितधारकों को प्रभावित करेगा।

2. व्यवसाय को अपमानजनक, भ्रष्ट अथवा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक कार्य-कलापों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

3. व्यवसाय में वित्त से सम्बन्धित अपनी जिम्मेदारियों तथा अन्य आवश्यक प्रकटीकरण को ईमानदारी से निभाना चाहिए।

4. व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति के उन कार्यों में सहभागिता से बचना चाहिए जिसमें इन दिशा-निर्देशों में सम्मिलित सिद्धांतों का उल्लंघन हो।

### सिद्धांत 2

**व्यवसाय में ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित तथा अपने जीवन-काल के दौरान स्थिर हो।**



- Bank has taken several initiatives / programmes / projects in pursuit of the Principle 8. Financial inclusion initiatives of the Bank is also one of them.

Details are as under :

Bank has implemented Financial inclusion project to provide banking service in un-banked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. Considering the need of the segment, bank has devised special products such as Savings cum inbuilt Overdraft facility, Recurring Deposit, Andhra Bank Kisan credit card, credit card and Insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various models have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based Business Correspondent model UBBS etc.

**Progress so far:**

\***PMJDY** : the Total number of PMJDY accounts stood at 24.23 Lakh and the outstanding balance in these accounts is at Rs. 327.10 Cr.

\***Atal Pension Yojana (APY)**: During 2016-17, 1,39,223 customers have joined under APY scheme. Andhra Bank is the consistent performer in APY and with average branch participation of 49 enrolments which is highest among all Banks. During this year our bank received best performing bank award amongst all public sector banks

\* **Social Security Schemes (PMSBY and PMJJBY)**: Bank has enrolled 38.00% of the potential customers against the target of 20.00% given by DFS, MOF.

\* **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)**: 67.33 lakh customers are enrolled till March'17 of which 13,171 are fresh enrolments during the quarter.

\* **Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojana (PMJJBY)**: 7.01 lakh customers are enrolled under the scheme till March 2017 and of these 8, 511 are fresh enrolments during the quarter.

\* **New Initiatives under Financial Inclusion**: Cashless Aadhaar enabled Public Distribution System (AePDS) was introduced and is successfully being implemented in five Districts of Andhra Pradesh such as Krishna, East Godavari, West Godavari, Srikakulam and Guntur. So far 10,828 FPS dealers are mapped for undertaking cashless AePDS transactions in the five districts of Andhra Pradesh state.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?
  - In house team.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?
  - Yes, 159615 candidates have been trained through 5456 programs by the institutes and around 65.80% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. During the financial year 2016-17, the institutes imparted training to 10688 candidates through 407 programs. Which made them to start their own business activities. This ameliorated them financially.

4. What is your company's direct contribution to community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words. Or so.

- Harithaharam the government programme improving green belt in Hyderabad and surrounding places through Hyderabad Urban Development, Bank has contributed to the programme.

**Principle 9 "Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner"**

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

**100 % redressed.**

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks(additional information)

**Not Applicable.**

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti- competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, Provide details thereof, in about 50 words or so.

**Nil**

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

**Yes.**

**ANNEXURE II**

**PRINCIPLES TO ASSESS COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE NORMS**

**Principle 1**

**Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and accountability**

1. Businesses should develop governance structures, procedures and practices that ensure ethical conduct at all levels: and promote the adoption of this principle across its value chain. Businesses should communicate transparency and assure access to information about their decisions that impact relevant stakeholders.
2. Business should not engage in practices that are abusive, corrupt, or anti competition.
3. Business should truthfully discharge their responsibility on financial and other mandatory disclosures.
4. Businesses should avoid complicity with the actions of any third party that violates any of the principles contained in these Guidelines

**Principle 2**

**Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle**



1. व्यवसाय में उत्पाद के जीवन-काल के दौरान प्रयोग हेतु डिजाइन से लेकर निपटान तक सुरक्षित एवं श्रेष्ठ संसाधन सुनिश्चित करना चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि इससे सम्बन्धित प्रत्येक डिजाइनर, निर्माता, मूल्य श्रृंखला के सदस्यों, ग्राहकों तथा रिसाइक्लर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हों।
2. व्यवसाय में शिक्षा, उत्पाद लेबलिंग, उचित तथा उपयोगी विपणन संचार, सामग्री एवं संरचना का पूर्ण विवरण तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के सुरक्षित उपयोग एवं निपटान में बढ़ावा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति ग्राहकों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।
3. उत्पाद डिजाइन करने में, व्यवसाय सुनिश्चित करें कि इसके उत्पादन हेतु आवश्यक विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के संसाधन प्रभावी तथा टिकाऊ हैं।
4. व्यवसाय में नई प्रौद्योगिकी के विकास, विनियोजन तथा व्यावसायीकरण, सम्मिलित सामाज, आचार संहिता तथा पर्यावरण विचार की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा तथा वृद्धि करनी चाहिए।
5. व्यवसाय में व्यक्ति के अधिकार को समझना एवं सम्मान करना चाहिए, जो पारंपरिक ज्ञान तथा बौद्धिक संपदा के अन्य प्रारूप के स्वामी हो सकते हैं।
6. व्यवसाय में समझना चाहिए कि अति-उपभोग हमारे संसाधनों के अरक्षणीय शोषण को प्रभावित करेगा, इसलिए संसाधनों की पुनरावृत्ति सहित स्थायी खपत को बढ़ावा देना चाहिए।

### सिद्धांत 3

#### व्यवसाय में अच्छे कार्य हेतु सभी कर्मचारियों द्रिबढ़ावा देना चाहिए।

1. व्यवसाय में संघ की भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए तथा उचित शिकायत निवारण तंत्र हेतु ऐक्सेस प्रदान करना चाहिए।
2. व्यवसाय में भर्ती के समय तथा साथ ही साथ जाति, सम्प्रदाय, लिंग, प्रजाति, धर्म, अक्षमता अथवा यौन अभिविन्यास के संदर्भ में रोजगार प्रदान करने के दौरान समान अवसर प्रदान करना तथा बनाए रखना चाहिए।
3. व्यवसाय में बाल श्रम, जबरन श्रम अथवा अनैच्छिक श्रम के किसी भी रूप, वैतनिक अथवा अवैतनिक, का उपयोग नहीं करना चाहिए।
4. व्यवसाय में अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं, के कार्य-जीवन संतुलन का संज्ञान लेना चाहिए।
5. व्यवसाय में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों सहित अपने कर्मचारी के लाभ हेतु सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए वे आर्थिक आवश्यकताओं तथा कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उचित वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
6. व्यवसाय में एक कार्यस्थल का माहौल प्रदान करना चाहिए, जो सुरक्षित, स्वच्छ हो, जिससे कर्मचारियों की गरिमा बनी रहे। अपने कर्मचारियों को इस प्रावधान की सूचना दे तथा उन्हें नियमित आधार पर प्रशिक्षित करे।
7. व्यवसाय एक समान तथा गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर शिक्षा के आवश्यक अवसर हेतु ऐक्सेस प्रदान कर सभी कर्मचारियों के सतत कौशल और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करे। वे प्रबुद्ध मानव संसाधन मध्यक्षेप द्वारा कर्मचारियों के मनोबल और कैरियर के विकास को बढ़ावा दें।

8. व्यवसाय में उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल जहां कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सुरक्षित महसूस करें, सुनिश्चित करने हेतु सिस्टम तथा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए।

### सिद्धांत 4

#### व्यवसाय सभी हितधारकों का सम्मान करे तथा उनके प्रति उत्तरदायी रहे विशेष रूप से जिन्हें हानि हुई हो, कमजोर तथा उपेक्षित हों।

1. व्यवसाय अपने हितधारकों की पहचान करे, उनके विचारों को समझे, सम्मिलित होने के उद्देश्य तथा क्षेत्र को परिभाषित करे तथा उनके साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध रहे।
2. व्यवसाय अपनी नीतियों, निर्णयों, उत्पाद एवं सेवाओं के प्रभाव तथा हितधारकों हेतु संबद्ध कार्य-कलाप को स्वीकार करे, जिम्मेदारी संभालने तथा पारदर्शी बने।
3. व्यवसाय में विकासशील क्षेत्रों के हितधारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
4. व्यवसाय में सरल, उचित तथा न्यायसंगत रूप से हितधारकों के साथ मतभेदों को दूर करना चाहिए।

### सिद्धांत 5 :

#### व्यवसाय मानव अधिकारों का सम्मान करे तथा बढ़ावा दे

1. व्यवसाय भारतीय संविधान में सम्मिलित मानव अधिकारों, राष्ट्रीय कानूनों तथा नीतियों एवं मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक की विषय-वस्तु को समझे। व्यवसाय मानव अधिकारों की सराहना करें क्योंकि इसका स्वरूप निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य तथा परस्पर-निर्भर है।
2. व्यवसाय, परिचालन पर मानव अधिकारों के प्रभाव को संचालित एवं प्रबन्ध करके तथा व्यवसाय से प्रभावित सभी व्यक्तियों हेतु शिकायत तंत्र का ऐक्सेस सुनिश्चित कर व्यक्तिगत रूप से प्रबन्धन प्रणाली में मानव अधिकारों हेतु सम्मान को एकीकृत करे।
3. व्यवसाय अपने कार्यस्थल से परे समुदायों, उपभोक्ताओं तथा कमजोर एवं उपेक्षित समूहों सहित प्रासंगिक हितधारकों तथा समूहों के मानव अधिकारों को समझे तथा सम्मान करे।
4. व्यवसाय, अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर, जागरूकता तथा अपने मूल्य श्रृंखला में मानव अधिकारों की वास्तविकता को बढ़ावा दे।
5. व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति के साथ मानवाधिकारों के दुरुपयोग में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

### सिद्धांत 6:

#### व्यवसाय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सम्मान, रक्षा तथा प्रयास करे।

1. व्यवसाय में श्रेष्ठ तथा जिम्मेदार रूप से प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित संसाधनों का प्रयोग करे तथा अपशिष्ट को कम कर, पुनः उपयोग कर, रीसाइक्लिंग एवं नियंत्रित कर संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करे।
2. व्यवसाय प्रदूषण की जाँच करने तथा रोकने हेतु कदम उठाए। वे पर्यावरण के नुकसान का आकलन करे तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण कमी की लागत वहन करे।



1. Businesses should assure safety and optimal resource use over the life-cycle of the product – from design to disposal- and ensure that everyone connected with it- designers, producers , value chain members , customers and recyclers are aware of their responsibilities.
2. Businesses should raise the consumer’s awareness of their rights through education, product labeling, appropriate and helpful marketing communication, full details of contents and composition and promotion of safe usage and disposal of their products and services.
3. In designing the product, business should ensure that the manufacturing processes and technologies required to produce it are resource efficient and sustainable.
4. Businesses should regularly review and improve upon the process of new technology development, deployment and commercialization, incorporating social, ethical, and environmental considerations.
5. Businesses should recognize and respect the right of people who may be owners of traditional knowledge, and other forms of intellectual property.
6. Businesses should recognize that over-consumption results in unsustainable exploitation of our plant’s resources, and should therefore promote sustainable consumption, including recycle of resources.

**Principle 3**

**Businesses should promote the well being of all employees**

1. Businesses should respect the right to freedom of association participation, collective bargaining and provide access to appropriate Grievance Redressal Mechanisms.
2. Businesses should provide and maintain equal opportunities at the time of recruitment as well as during the course of employment irrespective of caste, creed, gender, race, religion, disability or sexual orientation.
3. Businesses should not use child labour, forced labour or any form of involuntary labour, paid or unpaid.
4. Businesses should take cognizance of the work-life balance of its employees, especially that of women.
5. Business should provide facilities for the wellbeing of its employee including those with special needs. They should ensure timely payment of fair living wages to meet basic needs and economic security of the employees.
6. Businesses should provide a workplace environment that is safe, hygienic humane, and which upholds the dignity of the employees. Business should communicate this provision to their employees and train them, on a regular basis.
7. Businesses should ensure continuous skill and competence upgrading of all employees by providing access to necessary learning opportunities, on an equal and non- discriminatory basis. They should promote employee morale and career development through enlightened human resource interventions.

8. Business should create systems and practices to ensure a harassment free workplace where employees feel safe and secure in discharging their responsibilities.

**Principle 4**

**Businesses should respect the interest of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized**

1. Businesses should systematically identify their stakeholders, understand their concerns, define purpose and scope of engagement and commit to engaging with them.
2. Businesses should acknowledge, assume responsibility and be transparent about the impact of their policies, decisions, product & services and associated operations on the stakeholders.
3. Businesses should give special attention to stakeholders in areas that are underdeveloped.
4. Businesses should resolve differences with stakeholders in a just, fair and equitable manner.

**Principle 5:**

**Businesses should respect and promote human rights**

1. Businesses should understand the human rights content of the Constitution of India, national laws and policies and the content of International Bill of Human Rights. Businesses should appreciate that human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature.
2. Businesses should integrate respect for human rights in management systems, in particular through assessing and managing human rights impact of operations, and ensuring all individuals impacted by the business have access to grievance mechanisms.
3. Businesses should recognise and respect the human rights of all relevant stakeholders and groups within the beyond the workplace, including that of communities, consumers and vulnerable and marginalised groups.
4. Businesses should, within their sphere of influence, promote the awareness and realization of human rights across their value chain.
5. Businesses should not be complicit with human rights abuses by a third party.

**Principle 6**

**Business should respect, protect and make efforts to restore the environment**

1. Businesses should utilize natural and manmade resources in an optimal and responsible manner and ensure the sustainability of resources by reducing, reusing, recycling and managing waste.
2. Businesses should take measures to check and prevent pollution. They should assess the environmental damage and bear the cost of pollution abatement with due regard to public interest.





3. व्यवसाय सुनिश्चित करे कि जैविक तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायीकरण तथा संबद्ध पारंपरिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभ समान रूप से वितरित हो ।
4. व्यापार स्वच्छ उत्पादन प्रणाली अपनाकर, ऊर्जा कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर अपने पर्यावरण प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करे ।
5. व्यवसाय पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा आकस्मिक योजनाओं एवं प्रक्रिया को विकसित करे जो उन पर्यावरण हानि एवं आपदाओं को रोकने तथा कम करने एवं नियंत्रण करने में उनकी सहायता करेगा, जो उनके परिचालन अथवा उनके मूल्य श्रृंखला के सदस्यों के कारण हो सकता है ।
6. व्यवसाय अपने परिचालन में सम्मिलित संभावित पर्यावरण जोखिम सहित उचित एवं पारदर्शी रूप से हितधारकों हेतु अपना पर्यावरण कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्रदर्शित करे ।
7. व्यवसाय इस सिद्धन्त को अपनाने हेतु अपने मूल्य श्रृंखला को सक्रियता से समझाए तथा समर्थन करे ।

### सिद्धांत 7:

**व्यवसाय में सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना चाहिए ।**

1. व्यवसाय, जब नीति का पालन करे, तो यह सुनिश्चित करे कि उनके वकालत का स्तर इन दिशा-निर्देशों में निहित सिद्धांतों तथा मूल तत्वों के अनुरूप हो ।
2. जहां तक संभव हो, व्यवसाय ऐसी नीति आरम्भ करने हेतु व्यापार तथा उद्योग संगठनों एवं संघों तथा अन्य ऐसे सामूहिक प्लेटफार्मों का प्रयोग करे ।

### सिद्धांत 8:

**व्यवसाय समावेशी वृद्धि तथा समान विकास का समर्थन करे ।**

1. व्यवसाय सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर अपने प्रभाव को समझे, तथा नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु उचित कार्रवाई करे ।
2. व्यवसाय उत्पादों, तकनीकों और प्रक्रियाओं में नवीनता लाए तथा निवेश करे, जिससे समाज को लाभ होगा ।
3. व्यवसाय स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विकास की प्राथमिकताओं को पूरक तथा समर्थन करने का प्रयास करे, तथा उचित पुनर्वास तथा समुदायों के पुनर्वास को आश्वस्त करे, जो अपने व्यवसाय के संचालन हेतु विस्थापित किए गए हैं ।
4. विकासशील क्षेत्रों में व्यवसाय का संचालन विशेष रूप से स्थानीय विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ।

### सिद्धांत 9:

**व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार रूप से सम्मिलित हो तथा उन्हें महत्व प्रदान करे ।**

1. व्यवसाय, जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ग्राहकों तथा समाज की समग्र लाभ को ध्यान में रखे ।
2. व्यवसाय अपने उत्पादों की डिजाइनिंग, प्रमोटिंग तथा बिक्री करते समय यह सुनिश्चित करे कि वे किसी भी रूप से चुनाव और मुक्त प्रतियोगिता की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे हैं ।
3. व्यवसाय उत्पादों के उपयोग से सम्बन्धित सभी जानकारी, व्यक्तियों

के लिए, समाज के लिए तथा सभी के लिए लेबलिंग तथा अन्य साधनों के माध्यम से जोखिम सहित सटीक एवं तथ्यात्मक रूप से प्रकट करे, ताकि ग्राहक जिम्मेदार रूप से उपभोग हेतु अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। आवश्यक होने पर, व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग हेतु अपने ग्राहकों को शिक्षित करे ।

4. व्यवसाय अपने उत्पादों को बढ़ावा दे तथा विज्ञापन दे ताकि उपभोक्ताओं को भ्रम अथवा समस्या न हो अथवा इन दिशा निर्देशों में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन न हो ।
5. वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रमाणन करते समय व्यवसाय उचित देखभाल और सावधानी बरते जो प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन अथवा अत्यधिक विशिष्ट उपभोग का नेतृत्व करने में सहायक होगा ।
6. व्यवसाय ग्राहक के विचार तथा फीडबैक को सम्बोधित करने हेतु पर्याप्त शिकायत निपटान तंत्र प्रदान करे ।



3. Businesses should ensure the benefits arising out of access and commercialization of biological and other natural resources and associated traditional knowledge are shared equitably.
4. Businesses should continuously seek to improve their environmental performance by adopting cleaner production methods, promoting use of energy efficient and environment friendly technologies and use of renewable energy.
5. Businesses should develop Environmental Management Systems (EMS) and contingency plans and process that help them in preventing, mitigating and controlling environmental damages and disasters, which may be caused due to their operations or that of a member of its value chain.
6. Businesses should report their environmental performance, including the assessment of potential environmental risks associated with their operations, to the stakeholders in a fair and transparent manner.
7. Businesses should proactively persuade and support its value chain to adopt this principle.
2. Businesses should ensure that they do not restrict the freedom of choice and free competition in any manner while designing, promoting and selling their products.
3. Businesses should disclose all information truthfully and factually, through labelling and other means, including the risks to the individual, to society and to the planet from the use of products, so that the customers can exercise their freedom to consume in a responsible manner. When required, businesses should educate their customers on the safe and responsible usage of their products and services.
4. Businesses should promote and advertise their products in ways that do not mislead or confuse the consumers or violate any of the principles in these Guidelines.
5. Businesses should exercise due care and caution while providing goods and services that result in over exploitation of natural resources or lead to excessive conspicuous consumption.
6. Businesses should provide adequate grievance handling mechanisms to address customer concerns and feedback.

#### **Principle 7**

##### **Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**

1. Businesses, while pursuing policy advocacy, must ensure that their advocacy positions are consistent with the principles and Core Elements contained in these Guidelines.
2. To the extent possible, businesses should utilize the trade and industry chambers and associations and other such collective platforms to undertake such policy advocacy.

#### **Principle 8**

##### **Businesses should support inclusive growth and equitable development**

1. Businesses should understand their impact on social and economic development, and respond through appropriate action to minimise the negative impacts.
2. Businesses should innovate and invest in products, technologies and processes that promote the wellbeing of society.
3. Businesses should make efforts to complement and support the development priorities at local and national levels, and assure appropriate resettlement and rehabilitation of communities who have been displaced owing to their business operations.
4. Business operating in regions that are underdeveloped should be especially sensitive to local concerns.

#### **Principle 9**

##### **Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner**

1. Businesses, while serving the needs of their customers, should take into account the overall well-being of the customers and that of society.



**31-03-2017 को बेसल III पूंजी नियमन (पिलर III) के अंतर्गत प्रकटीकरण**

**सारणी डी एफ - I प्रयोग की गुंजाइश**

डीएफ 2 में रिपोर्ट किए गए जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर) के प्रति पूंजी बैंक की सोलो एवं समेकित स्थिति से संबंधित है। डीएफ-11, डीएफ-12, डीएफ-17 तथा डीएफ-18 में दी गई पूंजी बैंक की समेकित स्थिति से सम्बन्धित है। इस रिपोर्ट में अन्य सभी प्रकटन आन्ध्रा बैंक (सोलो) से सम्बन्धित हैं।

**बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम, जिसपर फ्रेमवर्क लागू होता है : आन्ध्रा बैंक**

**(i) गुणात्मक प्रकटन :**

संस्था का नाम/ निगमित देश	क्या संस्था समेकन के लेखा-स्कोप के अन्तर्गत सम्मिलित है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या संस्था समेकन के विनियामक स्कोप के अन्तर्गत सम्मिलित है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अन्तर का कारण बताएं	यदि समेकन केवल एक स्कोप के अन्तर्गत, तो कारण बताएं
<b>अनुषंगी</b>						
आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि/भारत	हां	एएस-21-आस्ति/ देयता/आय/ व्यय की प्रत्येक मद का पंक्ति -दर-पंक्ति कुल	हां	एएस-21-आस्ति/ देयता/आय/ व्यय की प्रत्येक मद का पंक्ति -दर-पंक्ति कुल	लागू नहीं	लागू नहीं
<b>सहयोगी संस्था</b>						
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	हां	एएस23-ईक्विटी पद्धति	हां	एएस23-ईक्विटी पद्धति	लागू नहीं	लागू नहीं
<b>संयुक्त उद्यम</b>						
इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी/भारत	हां	एएस27- समानुपातिक समेकन	नहीं	लागू नहीं	विनियामक दिशा निर्देश बीमा कंपनी पर लागू	संस्था बीमा गतिविधि में संलिप्त है। अतएव, परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी.बीसी.72/21.04. 018/ 2001-02, दिनांक फरवरी 25, 2003 के अनुसार समेकन के विनियामक क्षेत्र से बाहर।
ए एस आर ई सी (इंडिया) लिमिटेड/भारत	हां		हां	एएस27- समानुपातिक समेकन	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया	हां		हां		लागू नहीं	लागू नहीं

**क) समूह संस्थाओं की सूची जिनपर समेकन हेतु विचार किया गया :**

- आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि/भारत, अनुषंगी
- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक/भारत, सहयोगी संस्था
- ए एस आर ई सी (इंडिया) लिमिटेड/भारत, संयुक्त उद्यम
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/मलेशिया, संयुक्त उद्यम



**Disclosures under Basel III Capital Regulations (Pillar III) as on 31.03.2017**

(The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) reported in DF 2 pertains to Solo & Consolidated position of the Bank. The Composition of Capital furnished in DF 11, DF12 and table DF-17 & DF-18 pertain to the consolidated position of the Bank. All other disclosures in this report pertain to Andhra Bank (Solo))

**Table DF-1: Scope of Application**

Name of the head of the banking group to which the framework applies: **Andhra Bank**

**(i) Qualitative Disclosures:**

Name of the entity/ country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolida- tion	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consoli- dation
<b>Subsidiary:</b>						
Andhra Bank Financial Services Limited/India	Yes	AS21- Line by line aggregation of each item of asset/liability/in- come/expenses	Yes	AS21- Line by line aggre- gation of each item of asset/liability/ income/ex- penses	NA	NA
<b>Associate:</b>						
Chaitanya Godavari Grameena Bank/India	Yes	AS23- Equity Method	Yes	AS23- Equity Method	NA	NA
<b>Joint Ventures:</b>						
India First Life Insur- ance Com- pany Limited/ India	Yes	AS27- Pro- portionate consolidation	No	NA	Regulatory guidelines applied to an Insurance entity.	The entity is engaged in Insurance activity. Hence, excluded from the regulatory scope of consolidation in terms of RBI Circular no. DBOD.No.BP. BC.72/21.04.018 / 2001-02 dated February 25, 2003.
ASREC (In- dia) Limited/ India	Yes		Yes		NA	NA
India Interna- tional Bank (Malaysia) BHD / Malaysia	Yes		Yes		AS27- Pro- portionate consolidation	NA

**a. List of group entities considered for consolidation:**

- (i) Andhra Bank Financial Services Limited/India, Subsidiary
- (ii) Chaitanya Godavari Grameena Bank/India, Associate
- (iii) ASREC (India) Limited/India, Joint Venture
- (iv) India International Bank (Malaysia) BHD / Malaysia, Joint Venture



ख) समूह संस्थाओं की सूची जिनपर लेखा तथा विनियामक स्कोप दोनों हेतु विचार नहीं किया गया :

संस्था का नाम/ निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	तुलन पत्र कुल ईक्विटी (विधिक संस्था लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक के धारण का प्रतिशत	संस्था के पूंजी प्रलेख में बैंक के निवेश का विनियामक व्यवहार	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)
शून्य					

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ग) समूह संस्थाओं की सूची जिनपर समेकन हेतु विचार किया गया :

(रु मिलियन में)

संस्था का नाम/ निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	तुलन पत्र कुल ईक्विटी (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)
आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि/भारत	पट्टा, किराया खरीद, व्यापारी बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं जिस हेतु उसकी स्थापना की गई थी। अब कोई गतिविधि नहीं है।	(19.55)	342.12
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक/भारत	बैंकिंग	2872.88	4665.68
ए एस आर ई सी (इंडिया) लिमिटेड/भारत	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण	1418.65	1962.31
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/मलेशिया	बैंकिंग	4830.90	7190.75

घ) सभी अनुषंगियों में पूंजीगत-कमियों की कुल राशि, जो समेकन के विनियामक-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है याने जो काटी गई है : (रु मिलियन में)

अनुषंगी का नाम/ निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	तुलन पत्र कुल ईक्विटी (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक के धारण का प्रतिशत	पूंजीगत कमियां
शून्य				

ङ) कुल राशि, जो जोखिम-भारित है (याने बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल ब्याज का चालू बही मूल्य

(रु मिलियन में)

अनुषंगी का नाम/ निगमित देश	संस्था की मुख्य संस्था की मुख्य	तुलन पत्र कुल ईक्विटी (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक के धारण का प्रतिशत/वोटिंग अधिकारों का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति का प्रयोग बनाम जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग की विनियामक पूंजी पर परिमाणात्मक प्रभाव
इंडिया फर्स्ट लाइफ	बीमा व्यवसाय इन्शोरेन्स कंपनी/भारत	5503.56	30%	0.12%

च) बैंकिंग समूह में निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबन्ध या रोक - शून्य



**b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.**

Name of the entity/ country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

**(ii) Quantitative Disclosures:**

**c. List of group entities considered for consolidation:**

(₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets ( as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Andhra Bank Financial Services Limited/India	Leasing, Hire Purchase, Merchant Banking and other financial services for which it was established. However, no activity is undertaken now.	(19.55)	342.12
Chaitanya Godavari Grameena Bank/India	Banking	2872.88	4665.68
ASREC (India) Limited/ India	Securitisation and Reconstruction of Financial Assets	1418.65	1962.31
India International Bank (Malaysia) BHD / Malaysia	Banking	4830.90	7190.75

**d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

(₹ in Million)

Name of the subsidiaries/ country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Nil				

**e. The aggregate amounts e.g. current book value of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:**

(₹ in Million)

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity ( as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
India First Life Insurance Company Limited/India	Insurance Business	5503.56	30%	0.12%

**f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Nil**



## सारणी डी एफ - 2 : पूंजी पर्याप्तता

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

**वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों हेतु अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए बैंक के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त विवरण :**

बैंक बेसल -II और बेसल -III फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन शर्तों का कार्यान्वयन करते समय विश्व की उत्तम परंपराओं को अपनाने हेतु तत्पर है। बेसल -II और बेसल -III से संबंधित विभिन्न मामलों हेतु व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा उपलब्ध है। बैंक की पूंजी आवश्यकता का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) समिति पूंजी आयोजना समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन 3-5 वर्ष की मध्यम अवधि के लिए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं को मॉनिटर एवं निर्धारण करने तथा ऋण जोखिम बाजार जोखिम परिचालन जोखिम में जोखिम अधिभारित आस्तियों तथा व्यवसाय में अनुमानित वृद्धि को दृष्टि में रखकर किया गया है।

नियमित रूप से समिति की बैठक होती है और पूंजी के अधिकतम उपयोग करने हेतु परिप्रेक्ष्य विश्लेषण करते हुए पूंजी संवर्धन और पूंजी संरचना हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखकर पूंजी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण :**

(रु मिलियन में)

मद	दि.31.03.2017 तक राशि
ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
● मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	136270.30
● प्रतिभूतीकरण जोखिम	शून्य
ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
● ब्याज दर जोखिम	8657.30
● विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	51.20
● ईक्विटी स्थिति जोखिम	2581.70
घ) परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
- मूल सूचक दृष्टिकोण	11374.40
ड) पूंजी पर्याप्तता अनुपात (एकल)	
● साधारण ईक्विटी टीयर - I	7.69%
● टीयर - I सी आर ए आर	9.17%
● कुल सी आर ए आर	12.38%
समेकित ग्रुप के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात	
● साधारण ईक्विटी टीयर - I	7.75%
● टीयर - I सी आर ए आर	9.24%
● कुल सी आर ए आर	12.45%
महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित ग्रुप में नहीं है, के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर	लागू नहीं

## सारणी डी एफ - 3 : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

**बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

**कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं :**

ऋण जोखिम की परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि “**उधारकर्ताओं या प्रति पक्षकारों की ऋण की गुणवत्ता में कमी के कारण उत्पन्न होने वाली संभाव्य हानियां**”। उधारकर्ता द्वारा विभिन्न कारणों से को अपनी प्रतिबद्धता से चूकने की संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक का ऋण जोखिम मूर्त रूप धारण करता है। ग्राहक या पक्षकारों द्वारा विवशता या अनिच्छा के कारण उधार, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेनों के मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं से चूक के कारण ये हानियां होती हैं। दूसरे शब्दों में, हानियाँ ऋण की गुणवत्ता में वास्तविक या परिकल्पित कमियों के कारण उत्पन्न पोर्टफोलियो मूल्य में क्षति हैं। अतः ऋण जोखिम, चूक जोखिम और एक्सपोजर जोखिम दोनों का संयुक्त परिणाम है और यह बैंक द्वारा कार्पोरेट, वैयक्तिक बैंक, वित्तीय संस्था या राज्य के साथ ऋण कारोबार में उत्पन्न होता है।



**Table DF-2: Capital Adequacy**

**Qualitative disclosures:**

(a) A summary discussion of the bank’s approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Bank is geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. For periodic assessment of Capital needs of the Bank, an Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) Committee/ Capital Planning Committee comprising the top executives has been constituted, to monitor and assess the Capital requirement of the Bank over the medium horizon of 3-5 years, keeping in view the anticipated growth in the business and corresponding Risk Weighted Assets in Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Committee meets regularly and decides on the capital related issues, with due focus on different options available for capital augmentation and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.

**Quantitative disclosures:**

(₹ in Million)

Items	Amount as on 31.03.2017
(b) Capital requirements for credit risk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolios subject to standardized approach</li> <li>• Securitization exposures</li> </ul>	136270.30 NIL
(c) Capital requirements for market risk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardized duration approach                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interest rate risk</li> <li>• Foreign exchange risk (including gold)</li> <li>• Equity position risk</li> </ul> </li> </ul>	8657.30 51.20 2581.70
(d) Capital requirements for operational risk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basic indicator approach</li> </ul>	11374.40
(e) Capital Adequacy Ratios (solo) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Common Equity Tier I</li> <li>• Tier 1 CRAR</li> <li>• Total CRAR</li> </ul>	7.69% 9.17% 12.38%
Capital Adequacy Ratios for the consolidated Position <ul style="list-style-type: none"> <li>• Common Equity Tier I</li> <li>• Tier 1 CRAR</li> <li>• Total CRAR</li> </ul>	7.75% 9.24% 12.45%
Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which is not under consolidated group	NA

**Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks**

**Qualitative Disclosures:**

**(a) General qualitative disclosures with respect to credit risk**

**Discussion of the Bank’s Credit Risk Management Policy**

**Strategies and Processes:**

Credit Risk is defined as “the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties”. There is always a possibility for the borrower to default from his commitments for various reasons, resulting in crystallization of Credit risk to the Bank. These losses could stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counter party to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality. Credit risk is, therefore, a combined outcome of Default Risk & Exposure Risk and arises from the Bank’s dealings with or lending to a corporate, individual, bank, financial institution or a sovereign.





ऋण जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

- प्रत्यक्ष ऋण के मामले में : मूलधन/और या ब्याज न चुकाया जाना।
- गारंटियां या साख पत्रों के मामले में : दायित्व के क्रिस्टलीकरण पर ग्राहकों से निधियां प्राप्त न होना;
- राजकोष परिचालनों के मामले में संबद्ध करारों के अंतर्गत काउण्टर पार्टियों द्वारा देय अदायगियां या अदायगियों की शृंखला प्राप्त नहीं होना या बंद हो जाना;
- प्रतिभूतियां व्यापार व्यवसाय के मामले में : निधि / प्रतिभूतियों का निपटान नहीं किया जाना;
- सीमापार एक्सपोजर के मामले में : राज्य द्वारा विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता और निर्बंध अंतरण में प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना।

ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबंधन समेकित बृहत जोखिम प्रबंधन का एक विशिष्ट अंग है और किसी भी बैंकिंग संस्था की दीर्घ-कालिक सफलता के लिए अत्यावश्यक है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, ऋण रेटिंग/स्कोरिंग द्वारा माप, संभाव्य ऋण हानि का अनुमान लगाते हुए राशि परिमाण निर्धारण, वैज्ञानिक आधार पर मूल्य निर्धारण और प्रभावशाली ऋण निगरानी व्यवस्था और पोर्टफोलियो प्रबंधन द्वारा नियंत्रण, आदि शामिल हैं।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है जिसकी समीक्षा समय समय पर की जाती है। पिछले कई वर्षों से विकसित कार्यक्षेत्र और वास्तविक अनुभव के परिणाम स्वरूप इससे संबंधित नीति और पद्धतियों को सुदृढ़ किया गया है। नीति और पद्धतियों को बेसल II / बेसल III में बताये गये मार्गदर्शी सूत्रों के अनुरूप बनाया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति निम्न उद्देश्यों से तैयार की गयी है।

1. व्यवस्थित और स्वस्थ ऋण वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना।
2. आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना।
3. स्वीकार्य सीमाओं/विवेकपूर्ण एक्सपोजर के अंदर ऋण जोखिम एक्सपोजर को बनाये रखना।
4. बैंक के पास जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आस्ति पोर्टफोलियो का प्रबंधन।
5. बैंक में कार्यान्वित ऋण जोखिम रेटिंग मेट्रिक का उपयोग करते हुए आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच (आइ आर बी) को माइग्रेट करने के लिए आवश्यक डाटा बेस तैयार करना।
6. पद्धतियों और नियंत्रण को सुव्यवस्थित बनाते हुए जोखिम को समाप्त या कम करना।

**ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन :**

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है :

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक - एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय

**ऋण जोखिम रिपोर्टिंग और माप पद्धतियों का क्षेत्र एवं प्रकार:**

ऋण जोखिम मापन में विभिन्न संविभागों हेतु कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, उद्योग, संपार्श्विक प्रकार एवं भौगोलिक जैसी एक्सपोजर सीमाओं का निर्धारित सम्मिलित हैं। बेहतर जोखिम प्रबंधन एवं ऋण जोखिम तीव्रता से बचने के लिए व्यक्तिगत कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, बैंक, व्यक्तिगत उधारकर्ता, कार्पोरेट संस्थाएं, संवेदनशील क्षेत्र, जैसे पूंजी बाजार, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), संवेदनशील वस्तुओं, आदि के संबंध में बैंक में विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंडों पर आंतरिक दिशा-निर्देश हैं।

**हेजिंग एवं जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजिंग/ मिटिगेशन के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी**

बैंक में सुव्यवस्थित ऋण नीति भी है। ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदा, दर संबंधी मानक एवं बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएं, आस्ति केंद्रीकरण, ऋण संपार्श्विकता के लिए मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा प्रक्रिया (तंत्र), जोखिम केंद्रीकरण, जोखिम पर निगरानी एवं मूल्यांकन, ऋण का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, विनियामक/कानूनी अनुपालन, आदि के लिए बैंक ने मानकों पर नीतियां और प्रक्रियाएं बनायी है।

**ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण गत देय और अनर्जक की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु):**

आस्ति, पट्टे पर ली गयी आस्ति सहित जब भी बैंक को आय देना बंद कर देती है, अनर्जक आस्ति बन जाती है। 'अनर्जक आस्ति (एनपीए)' वह ऋण या अग्रिम है, जहां -

- i) सावधि ऋण के संबंध में जहां मूल धन का ब्याज तथा/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है,
- ii) ओवर ड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में, जब खाता निम्नानुसार अनियमित हो जाता है।
- iii) खरीदे गये/भुनाये गये बिलों के संबंध में जब बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाते हैं।
- iv) अल्पावधि फसल के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज दो फसल के मौसमों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है
- v) दीर्घावधि फसल के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज एक फसल के मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है।
- vi) फरवरी 1, 2006 के प्रतिभूतिकरण दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है।
- vii) डेरिवेटिव लेनदेनों के मामले में, डेरिवेटिव संविदा का बही में सकारात्मक बाजार मूल्य दर्शाने वाले अतिदेय प्राप्य भुगतान हेतु विनिर्दिष्ट तिथि से 90 दिन की अवधि तक अदत्त रहते हैं।



**Credit risk may take the following forms:**

- in the case of direct lending: principal/and or interest amount may not be repaid;
- in the case of guarantees or letters of credit: funds may not be forthcoming from the constituents upon crystallization of the liability;
- in the case of treasury operations: the payment or series of payments due from the counter parties under the respective contracts may not be forthcoming or ceases;
- in the case of securities trading businesses: funds/ securities settlement may not be effected;
- in the case of cross-border exposure: the availability and free transfer of foreign currency funds may either cease or restrictions may be imposed by the sovereign.

The effective management of credit risk is a critical component of comprehensive risk management and is essential for the long - term success of any banking institution. Credit Risk Management encompasses identification, measurement through credit rating/scoring, quantification through estimate of expected loan losses, pricing on a scientific basis and controlling through effective Loan Review Mechanism & Portfolio Management.

The Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II/Basel-III guidelines

**The Credit Risk Management Policy is designed with the following Objectives.**

1. Enhance the risk management capabilities to ensure orderly and healthy credit growth.
2. Maintain the Asset Quality.
3. Maintain credit risk exposure within acceptable parameters/prudential exposures.
4. Manage the asset portfolio in a manner that ensures bank has adequate capital to hedge risks.
5. Build database necessary for migration to the Internal Ratings Based (IRB) approach, using the Credit Risk Rating Model implemented in the Bank.
6. Mitigate and reduce the risk by streamlining the Systems and Controls.

**Structure and organization of the Credit Risk management function**

Credit Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Credit Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Office

**Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

**Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

The bank also has a well defined Loan Policy in place. The bank has formulated policies & procedures on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance etc.

**Definition of past due and impaired (for accounting purposes):**

An Asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A "Non Performing Asset" (NPA) is a loan or an advance where:

- (i) Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan,
- (ii) The account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC), \*
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- (iv) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- (v) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
- (vi) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on Securitisation dated February 1, 2006
- (vii) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.



ब्याज भुगतान के मामले में, किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज का तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूर्णतः भुगतान नहीं किए जाने पर ही बैंक खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करें।

### ‘अनियमित’ स्थिति - खाते को ‘अनियमित’ माना जाए यदि-

- बकाया शेष निरंतर मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक बनी रहे।
- प्रमुख परिचालनिक खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम है, लेकिन तुलन पत्र की तारीख को निरंतर 90 दिन तक कोई जमा न हो। या
- उसी अवधि के दौरान नामे ब्याज हेतु जमा पर्याप्त न हों।

**अस्थायी कमी वाले खाते** - खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना वसूली रिकार्ड पर आधारित है। अग्रिम खाते में अस्थायी प्रकार की कमियों यथा अद्यतन उपलब्ध स्टॉक विवरण के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति उपलब्ध नहीं होना, बकाया शेष अस्थायी तौर पर सीमा से अधिक होना, स्टॉक विवरणों का गैर- प्रस्तुतीकरण, देयता तारीख को सीमाओं का गैर-नवीकरण आदि के कारण से बैंक अग्रिम खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। ऐसे खातों के वर्गीकरण के मामले में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अपनाया जाता है:

- बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण पर्याप्त चल आस्तियों द्वारा कवर होते हैं, चूंकि आपदा के मामले में चल आस्तियों का पहले विनियोजन किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरण (याने 3 महीनों से अधिक पुराना नहीं) के आधार पर आहरण शक्ति का आकलन किया जाता है। यदि 3 महीनों से अधिक पुरानी की स्टॉक विवरणियों तथा/अथवा बही ऋण विवरणियों के प्रति अनुमत आहरण को अनियमित आहरण माना गया हों तथा उन अनियमित आहरण को लगातार 90 दिन की अवधि हेतु अनुमत किये गये हों, तो उन खातों को एनपीए माना जायेगा।
- कार्यशील पूंजी उधार खाते में यूनिट कार्यशील होते हुए या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक होते हुए भी 90 दिन की निरंतर अवधि हेतु खाते में ऐसे अनियमित आहरण की अनुमति दी जाने पर यह एनपीए बन जाएगा।
- देयता तारीख/ तदर्थ मंजूरी की तारीख से 180 दिन के भीतर नियमित / तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा /नवीकरण नहीं किए जाने पर खाते को एनपीए माना जाएगा।

### कृषि अग्रिम

अल्पावधि फसल हेतु प्रदत्त ऋण की मूल राशि या इस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहने पर इसे एनपीए माना जाएगा। दीर्घावधि फसल हेतु दिए ऋण की मूल राशि या इस पर ब्याज एक फसल मौसम हेतु अतिदेय रहने पर एनपीए माना जाएगा। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए एक वर्ष से अधिक फसल मौसम के फसल छद्दीर्घावधि हैं और फसल जो छद्दीर्घावधि नहीं हैं उन्हें छद्मअल्पावधि फसल माना जाता है। प्रत्येक फसल हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा फसल मौसम, यानी उगाई गई फसल की कटौती तक की अवधि, निर्धारित की जाएगी। कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उनके द्वारा लिए कृषि मीयादी ऋणों पर उपर्युक्त एनपीए मानक लागू किए जाएंगे।

### परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

**ख) कुल सकल ऋण जोखिम सीमाएं :**

(रुपये मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2017 तक राशि
निधि आधारित	1442320
गैर निधि आधारित	214455

ग) बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है, अतएव भौगोलिक ऋण जोखिम विवरण नहीं दिया गया है।



In case of interest payments, banks should, classify an account as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

**\*Out of Order' status** - An account is treated as 'out of order' if –

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power;
- ii. The outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet; or
- iii credits are not enough to cover the interest debited during the same period.

**Accounts with temporary deficiencies** - The classification of an asset as NPA is based on the record of recovery. Bank does not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies the following guidelines are adopted:

Bank ensures that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is arrived at based on the stock statement not older than 3 months. In case Drawings allowed against Stock statements and/or Book debts statements of more than three months old are treated as irregular drawings and accounts where such irregular drawings are allowed for a continuous period of 90 days are to be treated as NPA.

A working capital borrowal account will become NPA if drawings are permitted against stock statement of older than 3 months in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

An account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

**Agricultural advances:**

A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season. For the purpose of these guidelines, "long duration" crops are crops with crop season longer than one year and crops, which are not "long duration" crops, are treated as "short duration" crops. The crop season for each crop, which means the period up to harvesting of the crops raised, would be as determined by the State Level Bankers' Committee in each State. Depending upon the duration of crops raised by an agriculturist, the above NPA norms are also made applicable to agricultural term loans availed by him.

**Quantitative Disclosures:**

**b) The total Gross Credit Risk Exposures are :**

(₹ in Million)

Category	Amount as on 31.03.2017
Fund Based	1442320
Non Fund Based	214455

**c) Bank has no Overseas Branches. Hence, Geographical exposures are not given.**



उद्योगवार जोखिम वितरण :

31.03.2017 को उद्योगवार आंतरिक (निधिक) एक्सपोजर सीमाएं और एक्सपोजर:

(रुपये मिलियन में)

क्र. सं	उद्योग	31.03.2017 को वास्तविक निधि जोखिम राशि
1	ऊर्जा	130473.50
	क) नवीकरणीय उर्जा	10718.80
2	स्थावर संपदा	179550.80
2.क	आवासीय ऋण (उप सीमा)	148661.10
	आवास - प्रत्यक्ष	133623.10
	आवास - अप्रत्यक्ष	15038.00
2.ख	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (उप सीमा)	30889.70
3	एनबीएफसी	80671.00
	क) स्वर्ण संपार्श्विक के विरुद्ध	11959.60
4	लोहा और इस्पात	74166.90
5	टेक्सटाईल्स	54849.00
6	निर्माण और ठेकेदार	47053.20
7	धान मिलें	28048.20
8	इंजीनियरिंग (हेवी और लाइट)	20768.20
9	हीरे, जवाहरात और आभूषण	16829.10
10	दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स	21208.90
11	पेट्रोलियम उत्पाद	16744.30
12	चीनी	10829.30
13	होटेल	8109.40
14	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	9038.20
15	तंबाकू	7220.60
16	अस्पताल	6763.80
17	शैक्षिक संस्थाएं	6524.60
18	डिस्टिलरीस	1861.70
19	साफ्टवेयर	1137.30



**d) Industry type distribution of exposures:**

INDUSTRY WISE FUNDED CREDIT EXPOSURE AS ON 31.03.2017

(₹ in Millions)

Sl. No	Industry	Actual Fund based exposure as on 31.03.2017
1	POWER	130473.50
	a)Renewable Energy	10718.80
2	Real Estate	179550.80
2.a	HOUSING (Sub ceiling)	148661.10
	Housing – Direct	133623.10
	Housing – Indirect	15038.00
2.b	COMMERCIAL REAL ESTATES (Sub ceiling)	30889.70
3	NBFC	80671.00
	a) against GOLD collaterals	11959.60
4	IRON & STEEL	74166.90
5	TEXTILES	54849.00
6	CONSTRUCTION & CONTRACTORS	47053.20
7	RICE MILLS	28048.20
8	ENGINEERING(HEAVY&LIGHT)	20768.20
9	DIAMONDS GEMS & JEWELLERY	16829.10
10	DRUGS & PHARMACEUTICALS	21208.90
11	PETROLEUM PRODUCTS	16744.30
12	SUGAR	10829.30
13	HOTELS	8109.40
14	CEMENT & CEMENT PRODUCTS	9038.20
15	TOBACCO	7220.60
16	HOSPITALS	6763.80
17	EDUCATIONAL INSTITUTIONS	6524.60
18	DISTILLERIES	1861.70
19	SOFTWARE	1137.30



31.03.2017 को उद्योगवार आंतरिक (गैर निधिक) एक्सपोजर सीमाएं और एक्सपोजर (रुपये मिलियन में)

क्र.सं	उद्योग	31.03.2017 को वास्तविक गैर निधि आधारित एक्सपोजर
1	निर्माण और ठेकेदार	80543.00
2	लोहा और इस्पात	14587.50
3	ऊर्जा	15395.00
4	इंजीनियरिंग (हेवी और लाइट)	11755.70
5	दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स	4368.10
6	टेक्सटाइल्स	4094.90
7	एनबीएफसी	230.90
8	चीनी	1212.10
9	अस्पताल	930.50
10	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	399.60
11	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1069.50
12	धान मिलें	3249.60
13	डिस्टिलरीज	56.70
14	साफ्टवेयर	332.20
15	शैक्षिक संस्थाएं	763.20
16	हीरे, जवाहरातः तथा आभूषण	548.90
17	पेट्रोलियम उत्पाद	237.80
18	तंबाकू	139.40
19	होटेल	316.40

31.03.2017 को, कुल सकल ऋण एक्सपोजर(एफबी + एनएफबी) के 5% से अधिक का उद्योग वार बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है:

क्र.सं	उद्योग	कुल सकल ऋण एक्सपोजर
1	आवासऋण	8.97%
2	ऊर्जा	8.80%
3	निर्माणतथा ठेकेदार	7.70%
4	लौहातथा इस्पात	5.35%

ड) आस्तियों का रेसिडुअल संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण :

(रुपये मिलियन में)

परिपक्वता अवधि	अग्रिम (निवल)	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
0 से 1 दिन	4951.60	184.90	10195.40
2 से 7 दिन	5987.00	2981.20	291.10
8 से 14 दिन	9196.30	2415.60	276.90
15 से 30 दिन	15537.20	4718.10	1142.00
31 दिनों से 2 महीने	44171.00	12383.50	2140.30
2 महीनों से अधिक और 3 महीने तक	43206.80	4584.40	1416.30
3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	58342.90	1606.20	11420.80
6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	75084.40	4391.40	259.90
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	690590.20	36679.00	1.00
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्ष तक	186089.80	83688.10	0.00
5 वर्षों से अधिक	235306.10	443342.50	0.00
कुल	<b>1368463.30</b>	<b>596974.90</b>	<b>27143.70</b>



INDUSTRY WISE NON-FUNDED CREDIT EXPOSURE AS ON 31.03.2017

(₹ in Million)

Sl. No	Industry	Actual Non Fund based exposure as on 31.03.2017
1	CONSTRUCTION & CONTRACTORS	80543.00
2	IRON & STEEL	14587.50
3	POWER	15395.00
4	ENGINEERING (HEAVY&LIGHT)	11755.70
5	DRUGS & PHARMACEUTICALS	4368.10
6	TEXTILES	4094.90
7	NBFC	230.90
8	SUGAR	1212.10
9	HOSPITALS	930.50
10	CEMENT & CEMENT PRODUCTS	399.60
11	COMMERCIAL REAL ESTATES	1069.50
12	RICE MILLS	3249.60
13	DISTILLERIES	56.70
14	SOFTWARE	332.20
15	EDUCATIONAL INSTITUTIONS	763.20
16	DIAMONDS GEMS & JEWELLERY	548.90
17	PETROLEUM PRODUCTS	237.80
18	TOBACCO	139.40
19	HOTELS	316.40

As on 31.03.2017, the Bank's exposure to the industries with more than 5% of the total gross credit risk exposure (FB+NFB) are given below

Sno	Industry	Percentage to total gross credit risk exposure (FB+NFB)
1	HOUSING LOANS	8.97%
2	POWER	8.80%
3	CONSTRUCTION & CONTRACTORS	7.70%
4	IRON & STEEL	5.35%

e) Residual contractual Maturity breakdown of assets:

(₹ in Million)

Maturity Pattern	Advances (Net)	Investments (Net)	Foreign Currency Assets
0 to 1 day	4951.60	184.90	10195.40
2 to 7 days	5987.00	2981.20	291.10
8 to 14 days	9196.30	2415.60	276.90
15 to 30 days	15537.20	4718.10	1142.00
31 days to 2 months	44171.00	12383.50	2140.30
Over 2 months to 3 months	43206.80	4584.40	1416.30
Over 3 months & upto 6 months	58342.90	1606.20	11420.80
Over 6 months & upto 1 year	75084.40	4391.40	259.90
Over 1 year & upto 3 years	690590.20	36679.00	1.00
Over 3 year & upto 5 years	186089.80	83688.10	0.00
Over 5 years	235306.10	443342.50	0.00
<b>Total</b>	<b>1368463.30</b>	<b>596974.90</b>	<b>27143.70</b>





**च) एन पी ए की राशि (सकल) :**

(रुपये मिलियन में)

श्रेणी	राशि 31.03.2017 तक
अवमानक	66111.70
संदिग्ध-1	36923.80
संदिग्ध-2	62597.90
संदिग्ध-3	10476.10
हानि	590.30
<b>कुल</b>	<b>176699.80</b>

**छ) निवल एन पी ए :**

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2017
निवल एन पी ए	103548.10

**ज) एन पी ए अनुपात :**

	31.03.2017
सकल अग्रिमों का सकल एन पी ए (%)	12.25%
निवल अग्रिमों का निवल एन पी ए (%)	7.57%

**झ) एन पी ए में परिवर्तन (सकल) :**

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2017
(क) प्रारंभिक शेष	114436.30
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	94103.40
(ग) वर्ष के दौरान कमी	31839.90
(घ) अंतिम शेष	176699.80

**ञ) एन पी ए प्रावधानों में परिवर्तन :**

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2017
एन पी ए विशिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	54079.80
(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	38340.40
(ग) बट्टा खाता	19268.50
(घ) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
(ङ.) अंतिम शेष	73151.70

**बट्टे खाते तथा वसूलियां जिन्हे सीधा आय विवरणी में शामिल किया गया है:**

(रुपये मिलियन में)

तकनीकी बट्टे खाते खातों में की गई वसूली	837.00
पूर्ण बट्टे खाते खातों से ब्याज वसूली जिसे सीधे आय विवरणी में शामिल किया गया है	0.00

**ट) अनर्जक निवेश की राशि** :Rs. 2219.60 मिलियन

**ठ) अनर्जक निवेश हेतु रखे गए प्रावधानों की राशि** :Rs.1464.60 मिलियन



**f) Amount of NPAs (Gross):**

(₹ in Million)

CATEGORY	AMOUNT As on 31.03.2017
Sub-Standard	66111.70
Doubtful-1	36923.80
Doubtful-2	62597.90
Doubtful-3	10476.10
Loss	590.30
Total	176699.80

**g) Net NPAs:**

(₹ in Million)

	31.03.2017
Net NPAs	103548.10

**h) NPA Ratios:**

	31.03.2017
Gross NPA to Gross Advances (%)	12.25%
Net NPA to Net Advances (%)	7.57%

**i) Movement of NPAs (Gross):**

(₹ in Million)

	31.03.2017
(a) Opening Balance	114436.30
(b) Additions during the year	94103.40
(c) Reductions during the year	31839.90
(d) Closing Balance	176699.80

**j) Movement of Provision for NPAs:**

(₹ in Million)

	31.03.2017
Movement of Specific Provisions for NPAs	
(a) Opening Balance	54079.80
(b) Provisions made during the year	38340.40
(c) Write-off	19268.50
(d) Write-back of excess provisions	0.00
(e) Closing Balance	73151.70

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

(₹ in Million)

Recovery in Technically Write Off accounts	837.00
Interest recovery in TWO accounts directly booked to Income statement	0.00

**k) Amount of Non-Performing Investments : ₹ 2219.60 Million**

**l) Amount of provisions held for non-performing investments : ₹1464.60 Million**



## इ) निवेशों पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में परिवर्तन:

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2017
(क) प्रारंभिक शेष	2876.50
(ख) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1851.40
(ग) अपलेखन	263.20
(घ) अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	135.00
(ड.) अंतिम शेष	4329.70

## ढ) मुख्य उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार से

(रुपये मिलियन में)

उद्योग	एनपीए राशि	प्रावधान(प्रोविजन)	चालू वर्ष के दौरान बढ़े खाते
लौह तथा स्टील	45647.00	14167.70	1229.40
इन्फ्रास्ट्रक्चर	30609.40	14105.90	3812.60
कपड़ा सूती वस्त्र	13985.60	6012.20	247.20
निर्माण	12311.50	5616.20	422.80
अभियान्त्रिकी - अन्य	7937.80	2556.90	408.60
अन्य उद्योग	6507.80	3690.30	1611.70
भोजन उत्पाद - अन्य	4835.90	1895.50	180.30
वाहन, वाहन कलपुर्जे	4821.90	1224.20	0.00
अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	4552.70	2093.00	404.20
रसायन उद्योग	2990.60	1440.20	126.40
भोजन उत्पाद - अन्य	2202.80	816.70	774.70
पेट्रोलियम	2034.70	384.40	0.00
गहने तथा जवाहरात	1864.80	679.40	812.40
कपड़ा - अन्य	1820.30	1075.60	89.60
कपड़ा - जूट	1247.20	1106.50	3.50
खनन तथा उत्खनन	983.90	720.50	0.70
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	750.20	433.60	0.10
सीमेन्ट तथा सीमेन्ट उत्पाद	673.30	153.20	689.80
रसायन - उर्वरक	587.70	208.10	0.00
कागज तथा कागज उत्पाद	551.90	281.40	208.50
अभियान्त्रिकी - इलेक्ट्रॉनिक्स	387.20	323.70	0.10
ग्लास तथा ग्लास उत्पाद	337.50	133.40	0.00
भोजन उत्पाद - खाद्य तेल एवं वनस्पति	299.90	56.10	2135.10
रसायन - दवाईयां एवं फार्मास्यूटिकल्स	254.20	82.10	127.70
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	107.70	29.20	0.00
पेय पदार्थ	85.30	23.10	42.60
चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	55.80	13.90	0.10
कपड़ा - हस्तनिर्मित	19.90	7.80	0.30
<b>कुल</b>	<b>148464.50</b>	<b>59330.80</b>	<b>13328.40</b>



m) Movement of provisions for depreciation on investments:

(₹ in Million)

	<b>31.03.2017</b>
(a) Opening Balance	2876.50
(b) Provisions made during the period	1851.40
(c) Write –off	263.20
(d) Write back of excess provisions	135.00
(e) Closing Balance	4329.70

n) By major industry or counter party type:

(₹ in Million)

Industry	NPA Amount	Provisions	Write-offs during the current year
Iron & Steel	45647.00	14167.70	1229.40
Infrastructure	30609.40	14105.90	3812.60
Textiles - Cotton	13985.60	6012.20	247.20
Construction	12311.50	5616.20	422.80
Engineering - Others	7937.80	2556.90	408.60
Other Industries	6507.80	3690.30	1611.70
Food Products - Others	4835.90	1895.50	180.30
Vehicles, Vehicle Parts	4821.90	1224.20	0.00
Other Metal & Metal Products	4552.70	2093.00	404.20
Chemicals - Others	2990.60	1440.20	126.40
Food Products - Sugar	2202.80	816.70	774.70
Petroleum	2034.70	384.40	0.00
Gems & Jewellery	1864.80	679.40	812.40
Textiles - Others	1820.30	1075.60	89.60
Textiles - Jute	1247.20	1106.50	3.50
Mining and Quarrying	983.90	720.50	0.70
Rubber, Plastic and their Products	750.20	433.60	0.10
Cement and Cement Products	673.30	153.20	689.80
Chemicals - Fertilizers	587.70	208.10	0.00
Paper and Paper Products	551.90	281.40	208.50
Engineering - Electronics	387.20	323.70	0.10
Glass & Glassware	337.50	133.40	0.00
Food products - Edible Oils & Vanaspathi	299.90	56.10	2135.10
Chemicals - Drugs and Pharmaceuticals	254.20	82.10	127.70
Wood and Wood Products	107.70	29.20	0.00
Beverages	85.30	23.10	42.60
Leather and Leather products	55.80	13.90	0.10
Textiles - Man-made	19.90	7.80	0.30
<b>TOTAL</b>	<b>148464.50</b>	<b>59330.80</b>	<b>13328.40</b>



ण) विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र-वार एनपीए राशि जिसमें क्षेत्र-वार किये गये प्रावधान की राशि शामिल है:

31.03.2017 को राज्य वार एनपीए तथा किये गये प्रावधान

(रुपये मिलियन में)

क्र.सं	राज्य का नाम	एनपीए राशि	प्रावधान
1	दिल्ली	46460.30	15354.70
2	तेलंगाना	38431.60	18820.10
3	महाराष्ट्र	36461.80	15671.40
4	चंडीगढ़	12800.10	2519.70
5	आन्ध्र प्रदेश	12112.30	6824.00
6	तमिलनाडु	10879.10	4257.00
7	पश्चिम बंगाल	8224.30	4065.20
8	कर्नाटक	2569.90	1171.80
9	आड़ीशा	2551.60	1661.30
10	गुजरात	2151.10	1308.40
11	पंजाब	1937.50	694.50
12	हरियाणा	459.30	96.80
13	उत्तर प्रदेश	362.10	120.20
14	राजस्थान	328.20	259.10
15	मध्य प्रदेश	325.80	68.90
16	गोवा	183.80	40.00
17	छत्तीसगढ़	145.70	93.60
18	केरल	142.40	44.30
19	झारखण्ड	96.50	54.00
20	पुदुचेरी	40.60	9.90
21	उत्तराखण्ड	22.50	7.50
22	बिहार	10.70	7.10
23	असम	0.90	0.90
24	हिमाचल प्रदेश	0.60	0.20
25	जम्मू एवं कश्मीर	0.60	0.60
26	दादरा नागर हवेली	0.40	0.40
27	त्रिपुरा	0.10	0.10
	कुल	<b>176699.80</b>	<b>73151.70</b>



o) Amount of NPAs broken down by significant geographic areas including the amounts of specific provisions related to each geographical area.

**STATE-WISE NPA & PROVISIONS AS ON 31.03.2017**

(₹ In Million)

S. No.	Name of State	NPA Amount	Provision
1	DELHI	46460.30	15354.70
2	TELANGANA	38431.60	18820.10
3	MAHARASHTRA	36461.80	15671.40
4	CHANDIGARH	12800.10	2519.70
5	ANDHRA PRADESH	12112.30	6824.00
6	TAMILNADU	10879.10	4257.00
7	WEST BENGAL	8224.30	4065.20
8	KARNATAKA	2569.90	1171.80
9	ODISHA	2551.60	1661.30
10	GUJARAT	2151.10	1308.40
11	PUNJAB	1937.50	694.50
12	HARYANA	459.30	96.80
13	UTTAR PRADESH	362.10	120.20
14	RAJASTHAN	328.20	259.10
15	MADHYA PRADESH	325.80	68.90
16	GOA	183.80	40.00
17	CHATTISGARH	145.70	93.60
18	KERALA	142.40	44.30
19	JHARKHAND	96.50	54.00
20	PUDUCHERRY	40.60	9.90
21	UTTARAKHAND	22.50	7.50
22	BIHAR	10.70	7.10
23	ASSAM	0.90	0.90
24	HIMACHAL PRADESH	0.60	0.20
25	JAMMU & KASHMIR	0.60	0.60
26	DADRA NAGAR HAVELI	0.40	0.40
27	TRIPURA	0.10	0.10
	<b>Total</b>	<b>176699.80</b>	<b>73151.70</b>



## सारणी डी एफ - 4 : ऋण जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन है

### गुणात्मक प्रकटीकरण :

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के लिए : उपयोग की गयी ऋण निर्धारण एजेंसियों के नाम तथा किसी प्रकार के परिवर्तनों के कारण

- क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)
- क्रेडिट अनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
- इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्रा लि
- आई सी आर ए लिमिटेड
- लघु एवं मध्यम इंड ट्राइसेस रेटिंग एजेंसी (रेटिंग्स लिमिटेड)
- ब्रिक-वर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा.लि.

### एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए एजेंसियों का उपयोग किया गया :

- एक वर्ष से कम या एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता के साथ एक्सपोजर के लिए (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर) अनुमोदित दर निर्धारण एजेंसी द्वारा दिये गये अल्पावधि दर निर्धारण का उपयोग किया जाता है।
- देशी नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया।
- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मांगे गये दर निर्धारण का उपयोग करता है, जिसकी समीक्षा वैध एवं मान्यता प्राप्त ई सी ए आई द्वारा की जाती है।
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक एक्सपोजर के लिए एक ई सी ए आई का दर निर्धारण और अन्य एक्सपोजर के लिए अन्य ईसीएआई के दर निर्धारण का एक साथ उपयोग नहीं करता है यदि संबंधित एक्सपोजर का दर निर्धारण एक ही चयनित ई सी ए आई द्वारा न किया गया हो। आगे, बैंक एक कार्पोरेट ग्रुप की अन्य संस्थाओं पर जोखिम भारत के लिए रेटिंग का उपयोग नहीं करता है।
- जहां एक्सपोजर/उधारकर्ता को चयनित ई सी ए आई से बहु दर निर्धारण है, वहां जोखिम भारत संगणना के लिए बैंक ने निम्न प्रक्रिया अपनायी है
  - यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा दो दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारतों को दर्शाता है, तो उच्च दर का जोखिम भारत लगाया जाता है।
  - यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारतों को दर्शाता है, तो निम्नतम दो संबंधित दरों का संदर्भ लिया जाता है और इन दोनों में से उच्चतम दर का जोखिम भारत लगाया जाता है।

### बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों को सार्वजनिक निर्गमित दर के अन्तरण में प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण:

ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं है।

### परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ख) निम्नलिखित प्रमुख जोखिम समूहों में एक्सपोजर राशियों के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम उपशमनों और साथ में कटौती की गयी बैंक की बकाया राशि (दर निर्धारित व दर अनिर्धारित) :

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2017 तक	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
100% से कम जोखिम भारत	646270	75180
100% जोखिम भारत	434380	72545
100% से ज्यादा जोखिम भारत	259660	45030
घटाया गया	102010	21700
<b>कुल</b>	<b>1442320</b>	<b>214455</b>

## सारणी डी एफ - 5: ऋण जोखिम उपशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण :

ऋण जोखिम शमन के संदर्भ में शामिल सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता :

क) ऑन एंड ऑफ बैलन्स शीट नेटिंग हेतु नीतियां और प्रक्रियाएं, और यह बताने के लिए कि बैंक उनका कहां तक उपयोग करता है, बैंक ऑन बैलन्स शीट और ऑफ बैलन्स शीट के नेटिंग का प्रयोग तभी करता है जब जमा राशियाँ/नकद किसी विशिष्ट ऋण आस्ति के विरुद्ध रखे जाते हैं।

### संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया :

बैंक आस्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पालन करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार, संपार्श्विक मूल्य से प्रभावी रूप से जोखिम राशि को कम करते हुए बैंक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जो एक्सपोजर जोखिम के प्रति संपार्श्विकों को पूरा करता है (उपयुक्त मार्जिन के पश्चात्)।



**Table DF-4 - Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach**

**Qualitative Disclosures:**

**(a) For portfolios under the standardized approach:**

Name of the credit rating agencies approved by the Reserve Bank of India and used.

- Credit Rating Information Services India Limited (CRISIL)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- India Ratings and Research Private Limited
- ICRA Limited
- SMERA Ratings Limited
- Brick Work Ratings India Private Limited

**Types of exposure for which each agency is used:**

- For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except cash credit, overdraft) Short term rating given by approved Rating Agencies is used.
- For domestic cash credit, overdraft and for term loan exposures of over 1 year, Long Term Rating is used.
- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized ECAs.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure to the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAs. Further, the bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
- If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
- If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

**A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book:**

No such process is applied

**Quantitative Disclosures:**

(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of bank's outstandings (rated & unrated) in the following major risk buckets as well as those that are deducted:

(₹ in Million)

	31.03.2017	
	Fund Based	Non Fund Based
Below 100% risk weight	646270	75180
100% risk weight	434380	72545
More than 100% risk weight	259660	45030
Deducted (Mitigants)	102010	21700
<b>Total</b>	<b>1442320</b>	<b>214455</b>

**Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches**

**Qualitative Disclosures**

**The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:**

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off- balance sheet netting

The Bank makes use of on-balance sheet and off-balance sheet netting only in cases where deposits/cash is held against the particular loan asset.

**Policies and processes for collateral valuation and management:**

A Board approved Policy on valuation of properties obtained by the Bank, is in place.

As per RBI guidelines, the Bank adopts the comprehensive approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.





## बैंक द्वारा लिये जाने वाले प्रमुख संपार्श्विकों का वर्णन :

जोखिम शमन के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतया लिये जाने वाले प्रधान संपार्श्विक निम्न प्रकार हैं :

1. नकद/बैंक जमा राशियां
2. स्वर्ण
3. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र
5. घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ भारतीय जीवन बीमा पालिसी
6. ऋण प्रतिभूतियाँ (नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेम वर्क में परिभाषित अनुसार)
7. म्यूचुअल फंड की इकाइयां.
8. संयंत्र और मशीनरी, भूमि व भवन (केवल एन पी ए खातों के मामले में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार ऋण जोखिम शमन लागू किया जाता है.

## गारंटर काउण्टर-पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण पात्रता :

जहाँ कहीं आवश्यक हो, ऋण जोखिम के उपशमन के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी लेता है, जिसके लिए गारंटर पर सीधा दावा किया जा सकता है और यह शर्त रहित एवं अविकल्पी है, गारंटर की ऋण पात्रता सामान्यतया उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित या प्रभावित नहीं है. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूत सुविधा के रूप में दी गयी गारंटी भी बैंक स्वीकार करता है. ऐसी गारंटियां निरंतर प्रभावित रहती है, जब तक सुविधा की संपूर्ण चुकौती या निपटान नहीं किया जाता है.

## किये गये उपशमनों के अंदर जोखिम केंद्रीकरण (बाजार या ऋण)के संबंध में सूचना:

बैंक में आस्तियों का एक अच्छा प्रकीर्ण पोर्टफोलियो है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित है :

- ऊपर सूचिबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक
- स्वतन्त्र एवं अच्छे मूल्य निर्धारित कॉर्पोरेटों द्वारा गारंटियां
- प्रतिपक्षकार की अचल संपत्ति और चालू संपत्तियां

## ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रुपये मिलियन में)

विवरण	राशि
क) मार्जिन के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किय गये कुल एक्सपोजर. जिनमें से :	123710
i) स्वर्ण	82920
ii) बैंक की जमा राशियां	40410
iii) बीमा पॉलिसियां	360
iv) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र आदि .	20
गारंटियों द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	51500
क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	-

सारणी डी एफ - 6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण : शून्य



**Description of the main types of collateral taken by the Bank:**

The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprise -

1. Cash / Bank's deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Government
4. NSCs and KVPs
5. LIC policies with a declared surrender value
6. Debt securities (as defined in the New Capital Adequacy Framework)
7. Units of Mutual Funds.
8. Plant & Machinery, Land & Building (In case of NPAs only)

The Credit Risk Mitigants are applied in accordance with the RBI guidelines.

**Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:**

Wherever required, the Bank obtains Personal or Corporate guarantee, as an additional comfort for mitigation of credit risk, which can be translated into a direct claim on the guarantor, and is unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled.

**Information about risk concentration (market or credit) within the mitigation taken:**

Bank has a well dispersed portfolio of assets which are secured by various types of securities, such as:

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporate
- Fixed and current assets of the counterparty

(b) Quantitative Disclosures:

(₹ in Millions)

Particulars	Amount
Total exposure covered by eligible financial collateral after application of haircuts.	
Of which :	123710
i) Gold :	82920
ii) Bank Deposits :	40410
iii) Insurance Policies :	360
iv) NSCs / KVPs etc. :	20
<b>Total exposure covered by guarantees</b>	<b>51500</b>
<b>Total exposure covered by credit derivatives</b>	<b>-</b>

**Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach:**

NIL



## सारणी डी एफ - 7: ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

### क) गुणात्मक प्रकटीकरण कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक में सुपरिभाषित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति एवं बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए संगठनात्मक संरचना है। नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ऑन ऑफ बैलेंस शीट मदों में अंतर्निहित बाजार संबंधी जोखिम को कैप्चर करने और बैंक के बेहतर हित में इनकी निगरानी एवं प्रबंधन।
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक की निवल बयाज दर बाजार संबंधी पहलुओं के घटने-बढ़ने से संरक्षित है
- बाजार जोखिम से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्तर में सुधार करना।
- पूंजी स्रोतों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूंजी संगणन की आधुनिकतम पद्धतियों को अपनाने के लिए बैंक को तैयार करना।

### संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है:-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को)
- महाप्रबंधक - एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय
  - इंटीग्रेटेड मिड ऑफीस
  - आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष

### जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति :

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए ओवरनाइट सीमा, इंटाडे सीमा, कुल गैप सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, ब्रोकर टर्नोवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, उत्पादवार एक्सपोजर सीमा, इश्यूअरवार एक्सपोजर सीमा जैसे विभिन्न प्रकार की एक्सपोजर सीमाएँ बनाई हैं।
- बैंक में ट्रेडिंग डेस्क से बोर्ड स्तर तक के विभिन्न स्तरों में जोखिम सीमा निगरानी हेतु जोखिम रिपोर्टिंग योजना विद्यमान है।
- जोखिम प्रबंधन के लिए या लेखा प्रयोजनों के लिए अंकित बाजार-दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जाती है।
- बैंक की रणनीति के अनुसार निष्पादन एवं जोखिम की निगरानी व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन के लिए रिपोर्टों का प्रयोग किया जाता है।
- रिपोर्टिंग सिस्टम समय पालन, स्वचालीकरण के साथ यथोचित यथार्थता को सुनिश्चित करता है। रिपोर्ट लचीली हैं और निर्णय प्रक्रिया में सुधार लाती हैं।
- डीलिंग रूम गतिविधियाँ केंद्रीकृत हैं
- रिपोर्टिंग फार्मेट एवं बारंबारिता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि वे बैंक की जोखिम मानीटरिंग, माप एवं निवारण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

### हेजिंग एवं जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजिंग/ मिटिगेशन के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी

बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड की विभिन्न अनुमोदित नीतियां (निवेश एवं फॉरेक्स) जिसमें बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति, प्रतिपक्षकार बैंक जोखिम प्रबंधन नीति सम्मिलित हैं। बैंक में बैंक के प्रतिपक्षकार के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रबंधन हेतु हेजिंग नीति है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, जोकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, जिसमें विभिन्न विनियामक तथा आंतरिक जोखिम सीमा के पालन के लिए चलनिधि प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन की निगरानी विद्यमान हैं। नीति जोखिम निर्धारण, पहचान, माप एवं शमन, जोखिम सीमा एवं ट्रिगर, जोखिम निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए प्रेमवर्क प्रदान करती है।

प्रासंगिक निधीयन योजना बनाने द्वारा दबाव की स्थिति में अनुकूल चलनिधि स्थिति बनाए रखने हेतु चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। आकस्मिकताएं निधीयन योजना भी बनाई गई है।

### मानकीकृत अवधि अप्रोच में कवर हुई नीतियां

1. ट्रेडिंग हेतु धारित (एचएफटी) और बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियां

### ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रुपये मिलियन में)

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
- मानकीकृत अवधि अप्रोच	8657.30
• ब्याज दर जोखिम	51.20
• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	2581.70
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	



**Table DF-7: Market Risk in Trading Book**

(a) Qualitative Disclosures:

**Strategies and processes:**

The Bank has in place a well-defined Board approved 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for Market risk management functions. The objectives of the policy are-

- to capture all the market related risks inherent in on and off-balance sheet items, monitor and manage them in the best interests of the bank.
- to ensure that the bank's NII is protected from the volatilities in the market related factors
- to improve the sophistication levels of the risk management systems pertaining to Market Risk; and
- to prepare the bank for adoption of the advanced methods of capital computation to ensure optimum utilization of the capital sources.

**Structure and organization of the Market Risk management function:**

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Market Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Office-
  - Integrated Mid Office
  - Asset Liability Management Cell

**Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

- Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation. The reports are flexible and enhance decision-making process.
- The Dealing room activities are centralized
- The reporting formats & the frequency is periodically reviewed so as to ensure that they suffice the risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

**Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

Bank has a Board approved Integrated (Investments & Forex) Policy and Market risk management Policy which covers Market Risk Management, Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management. Bank has in place Hedging Policy for management of unhedged foreign currency exposures of the counterparties of the Bank. The Integrated Risk Management Framework provides guidance on adopting a more holistic approach to manage risk, emphasizing four related elements: Developing the Corporate Risk Profile, Establishing an Integrated Risk Management Function, Practicing Integrated Risk Management, Ensuring Continuous Risk Monitoring. The policies provide the framework for risk assessment, identification, measurement & mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

As part of Liquidity risk management Bank has various guidelines in place to ensure that the liquidity position is comfortable during times of stress. A Contingency Funding Plan is also put in place.

**Portfolios covered by the Standardised approach**

Securities held under Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.

(b) Quantitative Disclosures:

(₹ in Million)

Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
• Interest rate risk	8657.30
• Foreign exchange risk (including gold)	51.20
• Equity position risk	2581.70



## सारणी डी एफ - 8 : परिचालनात्मक जोखिम :

### गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन एक सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति एवं स्वस्थ परिचालनात्मक प्रक्रिया, कार्पोरेट मूल्यों सहित, प्रवृत्ति, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रासंगिक योजना युक्त है। बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां बनायी गयी हैं।

नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं -

- परिचालनिक जोखिम के संबंध में समझना और इसके प्रबंधन में सहायक होना
- उचित संगठनात्मक ढांचा बनाना
- प्रत्येक उत्पाद / गतिविधि/प्रक्रिया में बैंक के समक्ष आने वाले परिचालनिक जोखिम की पहचान
- बैंक के समक्ष आने वाले परिचालनिक जोखिम के प्रबंधन/न्यूनीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुदृढ़
- परिचालनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
- पाई गई कमियों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाना

### परिचालनिक जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- महाप्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय (मुख्य जोखिम कार्यपालक)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष (आईआरएमडी) प्रधान कार्यालय

### जोखिम रिपोर्टिंग और माप का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं बाह्य घटनाओं के संबंध में होने वाली परिचालन जोखिम हानि की घटनाएँ निहित हैं। हानि की घटनाओं पर एमआईएस की तैयारी के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा प्राप्त किया जाता है.

### हेजिंग एवं जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजिंग/ मिटिगेशन के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी

बैंक में परिचालनिक जोखिम प्रबंधन नीति के अन्तर्गत परिचालनिक जोखिम, जोखिम प्रबंधन संरचना, परिचालनिक जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप और निगरानी कवर की गई हैं.

### परिचालनात्मक जोखिम पूंजी निर्धारण

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच अपनाई है.

## सारणी डी एफ - 9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

### क) गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर के विनियमन, विनिमय दर प्रणाली के उदारीकरण, बांड के लिए द्वितीयक बाजार का विकास एवं वित्तीय प्रणाली के क्षेत्र में विस्तार के कारण बैंक ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनिमय दर जोखिम इत्यादि को एक्सपोज होते हैं. आस्ति देयता प्रबंधन में विभिन्न जोखिमों की मानीटरिंग एवं प्रबंधन के माप के लिए व्यापक एवं गतिशील फ्रेमवर्क निर्धारित किया जाता है. बैंक के समग्र जोखिम को सहने की क्षमता के अंतर्गत निवल ब्याज आय को बढ़ाना एएलएम का प्रधान उद्देश्य है.

आघात सहनीयता शक्ति एवं/या इसके प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु चलनिधि एवं ब्याज दर और बेसिस जोखिम संरचनाओं में परिवर्तन द्वारा विभिन्न स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं में ब्याज दरों में समानान्तर शिफ्ट के जरिए जोखिम पर अर्जन मूल्यांकित करता है.

स्ट्रेस की स्थिति का अनुमान लगाते हुए स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं, जिसमें ऋण का पूर्वभुगतान, जमा के परिपक्वतापूर्व क्लोजर जैसे निहित विकल्प लागू किए जाते हैं जो स्ट्रेस-स्तर परीक्षण हेतु व्यवहारात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से बेहतर हैं.

अर्जन परिप्रेक्ष्य से आईआरआर के परिकलन के लिए भारिबैंक द्वारा बनाया गया परंपरागत गैप विश्लेषण का पालन किया जाता है.

प्रतिशत के रूप में शर्तों में ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु भारिबैंक द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताये अनुसार संशोधित ड्यूरेशन गैप पद्धति का पालन किया जाता है.

आल्को वैश्विक स्तर पर व घरेलू स्तर पर बृहत् आर्थिक परिदृश्य और लागत-लाभ, स्पिन ऑफ, वित्तीय समावेशन एवं अन्य कई पहलुओं पर विचार करने के बाद आस्ति एवं देयताओं का ब्याज दर निर्धारित करने का निर्णय करता है.

### कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ

विभिन्न परिदृश्य का अनुकरण करते हुए पहले ही स्ट्रेस टेस्ट करके जोखिम निवारण की नीति अपनायी जाती है ताकि संभावी घटना हेतु तैयार रह सकें और आवश्यक हो तो उसका निवारण कर सकें. आस्ति एवं देयता के सम्मिश्रण के परिवर्तन, ड्यूरेशन गैप को शून्य के निकट लाने, ब्याज दरों में परिवर्तन इत्यादि द्वारा जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया की पहल की जाती है.



**Table DF-8: Operational Risk**

**Qualitative Disclosures:**

**Strategies and processes:**

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The main objectives of the policy are –

- To have common understanding of Operational Risk and facilitate its management.
- Put in place a suitable Organizational Structure.
- Identification of the Operational Risks faced by the bank in each of the products / activities / processes.
- Developing sound Operational Risk Management systems consistent with the guidelines issued by Reserve Bank of India for management / mitigation of operational risks faced by the bank.
- Suggesting measures for strengthening of internal control systems & procedures based on the deficiencies observed.
- To facilitate the bank moving over to Advanced Methodology for calculation of capital.

**Structure and organization of Operational Risk management function:**

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- General Manager of Integrated Risk Management Department, Head Office (Chief Risk Executive)
- Operational Risk Management Cell (IRMD), Head Office

**Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

Operational Risk Management is an important component of sound risk management. The Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of MIS on loss event types.

**Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

Bank has put in place an Operational Risk Management Policy covering the terms of operational risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of operational risk.

**Operational risk capital assessment:**

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

**Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)**

**(a) Qualitative Disclosures:**

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to interest rates risk, liquidity risk, exchange rate risk etc.; Asset Liability Management outlines a comprehensive and dynamic framework for measuring, monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is to maximize the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various stress tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and/or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities.

The stress tests are carried out by assuming stress conditions wherein embedded options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the behavioral studies to test the stress levels.

Traditional Gap Analysis method suggested by RBI is followed for calculation of IRR from Earnings perspective.

Modified Duration Gap method is followed, as per RBI guidelines, to assess the effect of interest rate changes on the Market Value of Equity in percentage terms.

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

**Strategies and process:**

The strategy adopted for mitigating the risk is conducting stress tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition, bringing the duration gap closer to zero, change in interest rates etc.



## संबंधित दर जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना एवं संगठन:

एएलएम कक्ष महाप्रबंधक आईआरएमडी को रिपोर्ट करता है तथा संरचनात्मक चलनिधि समेत विभिन्न विषयों पर एएलएम रिपोर्टों, ब्याज दर की संवेदनशीलता एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण पाक्षिक आधार पर आल्को को और मासिक तौर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं। आल्को की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक एवं कार्यकारी विभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

## जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप योजना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण चलनिधि स्थिति एवं बैंक के ब्याज दर जोखिम को दर्शाते हैं। बोर्ड के अनुमोदन से सहन सीमाएँ तय की जाती हैं जिसके अंतर्गत बैंक को काम करना होता है। सीमाओं में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर आल्को को रिपोर्ट किया जाता है जो उपचारात्मक उपाय आरम्भ करने हेतु निदेश देता है।

## हेजिंग एवं जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजिंग/ मिटिगेशन के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी

चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आल्को द्वारा निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं। रेसिडुअल मेचुरिटी के आधार पर आल्को को चलनिधि एवं ब्याज दर संरचना की जानकारी के लिए पाक्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न समय अवधियों के अंतर्गत गैप, चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम बतलाते हैं। विस्तृत रूप में गैप की स्थिति के अध्ययन के बाद आल्को असंतुलन को कम करने के लिए कार्यनीतियाँ बनाता है ताकि चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम कम किए जा सकें।

## बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रकार और मुख्य धारणाएं, इसमें ऋण पूर्व-चुकौती और गैर परिपक्वता जमाराशियों का व्यवहार और आईआरआरबीबी माप शामिल हैं।

आईआरआरबीबी का आकलन प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को किया जाता है। आईआरआरबीबी का आकलन आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में किया जाता है (आशोधित अवधि अंतर पद्धति) और अर्जन परिप्रेक्ष्य (परंपरागत अंतर विश्लेषण पद्धति)

आईआरआरबीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाता है और धारणाएं अपनाई गई हैं- आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य :

- सभी दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को 11 समय समूहों में वितरित किया गया है, जो शेष परिपक्वता / पुनः मूल्यनिर्धारण तिथि पर आधारित है।
- आस्ति, देयताएं और तुलन-पत्रेतर मदों को स्थूल शीर्षों में बांटा गया है यथा जमाराशियां, उधार, अन्य देयताएं, प्रावधान, अन्य बैंकों में शेष राशि, निवेश (एचटीएम), अग्रिम और अनर्जक आस्तियां।
- आस्ति / देयता / तुलन-पत्रेतर मद की प्रत्येक मद/ श्रेणी के लिए समूह-वार नकदी प्रवाह का आकलन किया जाता है।
- प्रत्येक समय समूह के मध्य-पाइंट को संबंधित समय समूह की आस्ति और देयताओं की परिपक्वता के लिए प्रॉक्सी अवधि के रूप में लिया जाता है।
- आस्ति / देयता / तुलन-पत्रेतर मद की प्रत्येक श्रेणी के लिए आशोधित अवधि का आकलन, परिपक्वता तिथि, कूपन, प्रतिफल और ब्याज बारंबारिता को ध्यान में रखे हुए किया जाता है।
- तुलन-पत्रेतर मदों सहित सभी आस्तियों (डीए) और सभी देयताओं (डीएल) हेतु भारित औसत आशोधित अवधि का आकलन किया जाता है।

## धारणाएं:

1. समस्त अतिदेय जमाराशियों को दो समान समय समूह में रखा जाता है।
2. समस्त चालू खाता जमाराशियों और बचत खाता जमाराशियों को व्यवहार अध्ययन के आधार पर समूहों में रखा जाता है।
3. मांग और मीयादी ऋणों को मूल परिपक्वता के स्थान पर बैंक के व्यवहार अध्ययन के आधार पर पूर्व चुकौती व्यवहार पैटर्न के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा गया है। देशी खुदरा मीयादी जमाराशियों को व्यवहार अध्ययन के अनुसार बांटा गया है।

आईआरआरबीबी- अर्जन परिप्रेक्ष्य के आकलन के लिए निम्नलिखित पद्धति / धारणाओं को अपनाया गया है:-

- अर्जन परिप्रेक्ष्य से आईआरआर के आकलन के लिए एक वर्ष तक दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) और दर संवेदनशील देयताओं (आरएसएल) पर विचार किया जाता है।
- बैंक एएलएम प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए अनुसार विभिन्न व्यवहार अध्ययन को ध्यान में लेते हुए मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार कर रहा है।
- अंतर के आकलन के लिए एक वर्ष तक की दर संवेदनशील आस्तियों और दर संवेदनशील देयताओं पर विचार किया जाता है।
- दर संवेदनशील अंतर के आकलन हेतु दर संवेदनशील आस्तियों से दर संवेदनशील देयताओं को घटाया जाता है।
- ब्याज दर शॉक के आकलन के लिए दर संवेदनशील अंतर को धारणा के अनुसार ब्याज दर परिवर्तन से गुना किया जाता है।
- सभी परिपक्वता समूहों में प्रतिफल कर्व में एक समान शिफ्ट (पैरलल) मानी जाती है।

## ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

### जोखिम पर अर्जन

(रु. मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष तक पुनः मूल्य निर्धारण
0.25%	544.60
0.50%	1089.20
0.75%	1633.70
1.00%	2178.30

## ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

दरों में 200 बीपीएस परिवर्तन हेतु ईक्विटी मूल्य में कमी (प्रारक्षिती सहित)	10263.50
----------------------------------------------------------------------------	----------



**Structure and organization of the relevant risk management functions:**

The ALM cell reports to the General Manager- Integrated Risk Management Department and the ALM reports on various subjects/ topics along with the structural liquidity, and the interest rate sensitivity statements are presented to the ALCO and the Risk Management Committee of the Board on a periodical basis. The ALCO is chaired by the Managing Director & CEO of the Bank and has the Executive Directors and GMs of functional Departments as its members.

**Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest rate risk of the Bank. With the approval by the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO which in turn directs remedial measures to be initiated.

**Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the liquidity risk and interest rate risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the liquidity risk and interest rate risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to minimize the liquidity and interest rate risks.

The nature of Interest rate risk in banking book and key assumptions including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and Frequency of IRRBB measurement

IRRBB is calculated every month as on the last day of each month. IRRBB is calculated from Economic value perspective (Modified duration gap method) & Earnings perspective (Traditional gap analysis method).

**Following are the Methodology followed & Assumptions made for calculating IRRBB - Economic value perspective.**

- All rate sensitive assets and liabilities are distributed into 11 time buckets, based on the residual maturity/ repricing date.
- Assets, liabilities and off balance sheet items are grouped under the broad heads viz., Deposits, Borrowings, Other liabilities, Provisions, Balance with other banks, Investments (HTM), Advances & Non performing assets.
- Bucket-wise cash flows for each item/category of asset/liability/off balance sheet item are arrived at.
- The mid-point of each time bucket is taken as proxy duration for the maturity of all assets and liabilities in the respective time bucket
- Modified duration of each category of asset/liability/off balance sheet item is calculated using the maturity date, coupon, yield and interest frequency.
- Weighted average modified duration of all the assets (DA) and all the liabilities (DL) is calculated including the off balance sheet items.

**Assumptions :**

1. Entire overdue term deposits are placed equally in first two time buckets.
2. Entire Current account deposits and saving account deposits are bucketed as per behavioral studies.
3. Demand and Term Loans are distributed into various buckets based on the behavioral pattern of prepayments as per bank's behavioral studies instead of the original maturity. Domestic Retail Term Deposits are distributed as per behavioral studies.

Following is the Methodology followed / Assumptions made for calculating IRRBB - Earnings perspective.

Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate sensitive Liabilities (RSL) upto one year are considered for calculation of IRR from earnings perspective.

- Bank is preparing interest rate sensitivity statement on Monthly basis, duly taking into consideration the various behavioral studies as envisaged in RBI guidelines as part of ALM process.
- Rate sensitive assets and Rate sensitive liabilities upto one year are taken to arrive at the gap.
- Rate sensitive liabilities are reduced from Rate sensitive assets to arrive at the rate sensitive gap.
- The rate sensitive gap is multiplied by assumed interest rate changes to arrive at the interest rate shock.
- A uniform shift (parallel) in yield curve across all the maturity buckets is assumed.

In addition to this Bank is monitoring liquidity position by calculating various ratios like LCR, NSFR, additional liquidity and stock ratios

**(b) Quantitative Disclosures:**

**EARNINGS AT RISK**

(₹ in Million)

Change in interest rate	Re-pricing up to 1 year
0.25%	544.60
0.50%	1089.20
0.75%	1633.70
1.00%	2178.30

**ECONOMIC VALUE OF EQUITY**

For a 200 bps rate shock the drop in equity value (including reserves)	10263.50
------------------------------------------------------------------------	----------





## सारणी डीएफ--10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम को लेन-देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले लेन-देन के चूक जाने के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा वित्तीय लेन-देन में डेरिवेटिव्स और प्रतिभूतियों के लिए जोखिम का प्राथमिक स्रोत है। एक ऋण से बैंक के ऋण जोखिम एक्सपोजर के विपरीत, जहां ऋण जोखिम एकतरफा है और केवल उधार दाता बैंक हानि के जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम प्रकृति में द्विपक्षीय है यथा लेन-देन के किसी भी प्रतिपक्ष के लिए और समय-समय पर अंतर्निहित बाजार कारकों की गति के साथ लेन-देन का बाजार मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। एक आर्थिक नुकसान तब होगा यदि प्रतिपक्ष के लेन-देन या लेन-देन के संविभाग(पोर्टफोलियो) के पास चूक के समय पर सकारात्मक आर्थिक मूल्य होता है।

बैंक में काउंटर पार्टी एक्सपोजर की सीमाओं के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है। एक्सपोजर सीमाओं को "आंतरिक रेटिंग आकलन विधि (आईआरएम)" के आधार पर निश्चित किया जाता है जिसमें पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, तरलता, लाभप्रदता आदि से सम्बन्धित विभिन्न मापदण्डों का लेखांकन किया जाता है। इन सीमाओं को काउंटर पार्टी बैंक/संस्था के आंतरिक रेटिंग आकलन विधि के स्कोर के आधार पर नेट वर्थ के प्रतिशत के रूप में निश्चित किया जाता है। सम्बन्धित प्रतिपक्षों की सीमा तय करते समय सीसीआर सीमा की राशि और अवधि निर्धारित की जाती है। सीसीआर एक्सपोजर की पूंजी के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

### संख्यात्मक प्रकटीकरण :

राशि(रु मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	कल्पित राशि	चालू एक्सपोजर
		31.03.2017	31.03.2017
क	अग्रेषित संविदाएं	783166.05	15943.90
	उपरोक्त में से		
	अग्रेषित विदेशी मुद्रा संविदाएं	734117.13	14962.92
	अग्रेषित विदेशी मुद्रा संविदाएं(14 दिन से कम की अवधि में मुलतः परिपक्व)	49048.92	980.98
ख	अन्तर मुद्रा ब्याज दर स्वैप	शून्य	शून्य
	उपरोक्त में से	-	-
	बैंकों के साथ	-	-
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ	-	-
	अन्तर बैंक (14 दिन से कम की अवधि में मुलतः परिपक्व)	-	-
ग	एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप	शून्य	शून्य
	<b>कुल (ए+बी+सी)</b>	<b>783166.05</b>	<b>15943.90</b>



**Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk**

**(a) Qualitative Disclosures:**

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors. An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

The bank has a board approved policy for the counterparty exposure limits. The exposure limits are fixed on the basis of an "Internal Rating Assessment Method" (IRAM) which takes into account various parameters relating to Capital Adequacy, Asset quality, Liquidity, Profitability etc. These limits are fixed as a percentage of net worth of the counter party bank/institution based on the score arrived as per the Internal Rating Assessment Method. CCR limits are set on the amount and tenor while fixing the limits to respective counterparties. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardized Approach.

**(b) Quantitative Disclosures:**

Amount (₹ in Millions)

SI No	Particulars	Notional Amount	Current Exposure
		31.03.2017	31.03.2017
A	Forward Contracts	783166.05	15943.90
	Out of above---		
	Forward Forex contracts	734117.13	14962.92
	Forward Forex contracts (Original maturity less than 14 days)	49048.92	980.98
B	Cross Currency Interest rate Swaps	NIL	NIL
	Out of above—	-	-
	With Banks	-	-
	With RBI	-	-
	Inter Bank (Original maturity less than 14 days)	-	-
C	Single Currency Interest Rate Swaps	Nil	Nil
	Credit Derivatives	Nil	Nil
	<b>Total (A+B+C)</b>	<b>783166.05</b>	<b>15943.90</b>



## सारणी डीएफ-11: पूंजी की संरचना

(रु. मिलियन में)

डीएफ-11 : पूंजी की संरचना		संदर्भ सं.
<b>सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी: लिखत एवं प्रारक्षिती</b>		
1	सीधे निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	31724.76 ए + बी
2	प्रतिधारित उपार्जन	11.14 सी-डी
3	संचित अन्य बृहत आय (और अन्य प्रारक्षिती)	89106.18 ई+एफ + जी+एच+ (I*45%)
4	सीईटी 1 से फेस आउट होने की शर्त पर सीधे निर्गमित पूंजी (केवल गैर जाइंट स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	-
	सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त पूंजी जिसे 1 जनवरी 2018 तक भविष्यगामी विनियामक छूट प्राप्त है	-
5	अनुषंगियों द्वारा निर्गमित और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	-
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी	120842.08
<b>सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी: विनियामक समायोजन</b>		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-
8	सुनाम (संबंधित कर देयता का निवल)	29.00 डब्ल्यू का 100%
9	बंधक चुकौती अधिकार के अलावा अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	378.15 वी का 100%
10	आस्थगित कर आस्तियां	-
11	नकदी प्रवाह बचाव प्रारक्षिती	-
12	अनुमानित हानियों के प्रति प्रावधान की कमी	-
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-
14	उचित मूल्यांकन की देयताओं पर स्वयं क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	-
15	परिभाषित सुविधा पेंशन निधि निवल आस्तियां	-
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर प्रदत्त पूंजी में पहले से घटाया न गया हो)	281.41 यू का भाग
17	सामान्य ईक्विटी में रिसप्रोकल क्रॉस-होल्टिंग	126.05 आर का भाग
18	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में पूंजी का निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (10% सीमा से अधिक राशि)	-
19	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (10% सीमा से अधिक राशि)	-
20	बंधक सर्विसिंग अधिकारी (10% सीमा से अधिक राशि)	लागू नहीं
21	अस्थायी अंतरण से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (10% सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	लागू नहीं
22	15% सीमा से अधिक राशि	लागू नहीं
23	जिसमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं
24	जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	लागू नहीं
25	जिसमें से: अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तिया	लागू नहीं
26	राष्ट्र विशेष का विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	-



**Table DF-11: Composition of Capital**

(₹ in Million)

DF-11 : COMPOSITION OF CAPITAL			Ref No
<b>Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves</b>			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	31724.76	a+b
2	Retained earnings	11.14	c-d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves including Revaluation Reserve at a discount of 55%)	89106.18	e+f+g+h-j+(i*45%) + Part of m
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	120842.08	
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	29.00	100% of w
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	378.15	100% of v
10	Deferred tax assets	-	
11	Cash-flow hedge reserve	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	Securitisation gain on sale	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	-	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	281.41	Part of u
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	126.05	Part of r
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	NA	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	NA	
22	Amount exceeding the 15% threshold	NA	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	NA	
24	of which: mortgage servicing rights	NA	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	NA	
26	National specific regulatory adjustments(26a+26b+26c+26d)	-	



26क	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-	
26ख	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-	
26ग	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिनका समेकन बैंक के साथ नहीं किया गया है	-	
26घ	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	
	पूर्व बेसल III व्यवहार की शर्त पर राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टायर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	-	
27	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टायर 1 और टायर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टायर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-	
28	<b>सामान्य ईक्विटी टायर 1 में कुल विनियामक समायोजन</b>	814.61	
29	<b>सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूंजी ( सीईटी 1 )</b>	120027.47	
<b>अतिरिक्त टायर 1 पूंजी : लिखत</b>			
30	सीधे निर्गमित अर्हक अतिरिक्त टायर 1 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक (31+32)	22000.00	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिनमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखत)	22000.00	के का भाग
33	सीधे निर्गमित पूंजी लिखत अतिरिक्त टायर 1 से फेस आउट की शर्त पर	1000.00	के का भाग
34	अतिरिक्त टायर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत) अनुषंगियों द्वारा निर्गमित और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)	-	
35	जिनमें से: अनुषंगियों द्वारा निर्गमित लिखत फेस आउट की शर्त पर	-	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टायर 1 पूंजी	23000.00	
<b>अतिरिक्त टायर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन</b>			
37	स्वयं के अतिरिक्त टायर 1 लिखतों में निवेश	-	
38	अतिरिक्त टायर 1 लिखतों में रेसिप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	-	
39	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में पूंजी का निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (10% सीमा से अधिक राशि)	-	
40	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शार्ट स्थिति का निवल)	-	
41	राष्ट्र विशेष का विनियामक समायोजन (41क+41ख)	-	
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों का अतिरिक्त टायर 1 पूंजी में निवेश	-	
41ख	बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टायर 1 पूंजी में कमी, जिनका समेकन बैंक के साथ नहीं किया गया है	-	
	पूर्व बेसल III व्यवहार की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टायर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	-	
	जिसमें से: 'समायोजन का प्रकार जोड़ें' उदा : डीटीए	-	
	जिसमें से: 'समायोजन का प्रकार जोड़ें' उदा - टायर 1 से 50% की दर से घटाए गए वर्तमान समंजन	-	
	जिसमें से: 'समायोजन का प्रकार जोड़ें' उदा - सुनाम और अमूर्त आस्तियां	-	



26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	-	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	814.61	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	120027.47	
<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	22000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	22000.00	Part of k
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	1000.00	Part of k
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	23000.00	
<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	-	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]- Goodwill and Intangible assets	-	



42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-	
43	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन</b>	-	
44	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी ( एटी1 )</b>	23000.00	
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना में ली गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	23000.00	
45	<b>टियर 1 पूंजी ( टी1 = सीईटी1 + एटी1 ) ( 29 + 44क )</b>	143027.47	
<b>टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान</b>			
46	सीधे निर्गमित टियर 2 लिखत सहित अधिक स्टॉक	20000.00	आई का भाग
47	टियर 2 से फेस आउट की शर्त पर सीधे निर्गमित पूंजी लिखत	13100.00	आई का भाग
48	टियर 2 लिखत ( और सीईटी1 तथा एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं ) अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित ( टियर 2 समूह में अनुमत राशि )	-	
49	जिनमें से : फेस आउट की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	-	
50	प्रावधान	16887.65	एम + एएन
51	<b>विनियामक समायोजन से पूर्व टियर 2 पूंजी</b>	49987.65	
<b>टियर 2 पूंजी: विनियामक समंजन</b>			
52	स्वयं टियर 2 लिखतों में निवेश	-	
53	टियर 2 लिखतों में रेसिप्रोकल क्रॉस - होल्डिंग	231.89	एस का भाग
54	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में पूंजी का निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है ( 10% सीमा से अधिक राशि )	-	-
55	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश ( पात्र शार्ट स्थिति का निवल )	-	-
56	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	-	-
56क	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	-	-
56ख	जिसमें से : बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी, जिनका समेकन बैंक के साथ नहीं किया गया है	-	-
	पूर्व बेसल III व्यवहार की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 2 हेतु लागू विनियामक समायोजन	-	-
	जिसमें से: 'समायोजन का प्रकार जोड़ें' उदा - टियर 2 से 50% की दर से घटाए गए वर्तमान समंजन	-	-
	जिसमें से: 'समायोजन का प्रकार जोड़ें'	-	-
57	<b>टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन</b>	231.89	-
58	<b>टियर 2 पूंजी ( टी2 )</b>	49755.76	-
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना में ली गई टियर 2 पूंजी	49755.76	-
58ख	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना में ली गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
58ग	पूंजी पर्याप्तता हेतु अनुमेय कुल टियर 2 पूंजी ( 58क + 58ख )	49755.76	-
59	<b>कुल पूंजी ( टीसी = टी1 + टी2 ) ( 45 + 58ग )</b>	192783.23	-
60	<b>कुल जोखिम भारांकित आस्तियाँ ( 60क + 60ख + 60ग )</b>	1548353.23	-
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारांकित आस्तियाँ	1326444.74	-
60ख	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारांकित आस्तियाँ	110938.49	-
60ग	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारांकित आस्तियाँ	110970.00	-



42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	-	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	23000.00	
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	23000.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	143027.47	
<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	20000.00	Part of I
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	13100.00	Part of I
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50	Provisions	16887.65	n+o
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	49987.65	
<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>			
52	Investments in own Tier 2 instruments	-	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	231.89	Part of s
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	-
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	-
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-	-
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-	-
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	-
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	231.89	-
58	Tier 2 capital (T2)	49755.76	-
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	49755.76	-
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	-	-
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	49755.76	-
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	192783.23	-
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1548353.23	-
60a	of which: total credit risk weighted assets	1326444.74	-
60b	of which: total market risk weighted assets	110938.49	-
60c	of which: total operational risk weighted assets	110970.00	-





<b>पूंजी अनुपात</b>			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.75%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.24%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.45%	
64	संस्था विशेष बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा सहित पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रिय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.75%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षा	1.25%	
66	जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्रिय बफर अपेक्षा	0	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.25%	
<b>राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)</b>			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III से भिन्न हो तो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III से भिन्न हो तो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III से भिन्न हो तो)	9.00%	
<b>कटौती हेतु सीमा से कम राशियां (जोखिम भारांकन से पहले)</b>			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	5413.40	आर और एस का भाग
73	वित्तीय संस्थाओं की सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	1875.00	टी का भाग
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	लागू नहीं	
75	अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	शून्य	
<b>टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएं</b>			
76	मानकीकृत अप्रोच की शर्त पर एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	16887.65	
77	मानकीकृत अप्रोच के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु सीमा	16581.31	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच की शर्त पर एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने हेतु सीमा	लागू नहीं	



<b>Capital ratios</b>			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.75%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.24%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.45%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.25%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.25%	
<b>National minima (if different from Basel III)</b>			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	5413.40	Part of r & s
73	Significant investments in the common stock of financial entities	1875.00	Part of t
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	NA	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	NIL	
<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	16887.65	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	16581.31	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	



डीएक की पंक्ति संख्या	विवरण	(रुपए मिलियन में)
10	संचित हानि से संबंधित आस्थगित कर आस्तियाँ	-
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानियों से संबंधित के अलावा) आस्थगित कर देयता का निवल	-
	पंक्ति 10 में बताए अनुसार कुल	-
19	यदि बीमा अनुबंधियों में निवेश की कटौती पूर्णतः पूंजी से किए बिना कटौती की 10% सीमा के अंतर्गत विचार किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: अतिरिक्त टायर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: टायर 2 पूंजी में वृद्धि	-
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश की कटौती नहीं की गई और इस हेतु जोखिम भारांकित किया गया है :	-
	(i) सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	(ii) जोखिम भारांकित आस्तियों में वृद्धि	-
44क	अतिरिक्त टायर 1 पूंजी का आधिक्य पूंजी जिसकी गणना पूंजी पर्याप्तता हेतु नहीं की गई (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए अनुसार अतिरिक्त टायर 1 पूंजी और 44 क में रिपोर्ट किए अनुसार अनुमेय अतिरिक्त टायर 1 पूंजी का अंतर)	-
	जिसमें से : अतिरिक्त टायर 1 पूंजी का आधिक्य जिसे पंक्ति 58ख के अंतर्गत टायर 2 पूंजी के रूप में विचार किया गया	-
	टायर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	16887.65
50	टायर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती	
	पंक्ति 50 का कुल	16887.65
58(क)	पूंजी पर्याप्तता हेतु टायर 2 पूंजी आधिक्य गणना में नहीं लिया गया (पंक्ति 58 में रिपोर्ट किए अनुसार टायर 2 पूंजी और 58 क में रिपोर्ट किए अनुसार टी 2 में अंतर)	0



Row No. of DF-11	Particulars	(₹ in Million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	-
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	-
	Total as indicated in row 10	-
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	-
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	-
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	16887.65
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	
	Total of row 50	16887.65
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00



**सारणी डीएफ-12: पूँजी की संरचना- समाशोधन अपेक्षाएं**

(रुपए मिलियन में)

डीएफ-12: पूँजी की संरचना- समाशोधन अपेक्षाएं		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	विनियामक समेकन परिधि के अंतर्गत तुलन-पत्र
चरण-1		31-03-2017 को	31-03-2017 को
<b>क</b>	<b>पूँजी और देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूँजी	6811.64	6811.64
	प्रारक्षिती एवं आधिक्य	107479.99	107703.92
	अल्पांश हित	-	-
	<b>कुल पूँजी</b>	<b>114291.63</b>	<b>114515.56</b>
ii	<b>जमा राशियां</b>	<b>1954759.42</b>	<b>1954759.42</b>
	जिनमें से : बैंकों से जमाराशियां	603.83	603.83
	जिनमें से: ग्राहकों से जमाराशियां	1840010.68	1840010.68
	जिनमें से: अन्य जमाराशियां (जमा प्रमाणपत्र)	114144.91	114144.91
iii	<b>उधार</b>	<b>88669.04</b>	<b>88669.04</b>
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
	जिनमें से: अन्य बैंकों से	117.27	117.27
	जिनमें से : अन्य संस्था एवं एजेंसियों से	11866.77	11866.77
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)- भारत से बाहर ऋण व्यवस्था	6485.00	6485.00
	जिनमें से : पूँजी लिखत	70200.00	70200.00
iv	<b>अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>	<b>96743.19</b>	<b>65007.77</b>
	<b>कुल</b>	<b>2,254,463.28</b>	<b>2,222,951.79</b>

ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशियां	93230.89	93227.30
	बैंकों में शेष राशियां और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	88562.77	85716.80
ii	<b>निवेश</b>	<b>623890.06</b>	<b>596,665.65</b>
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	567176.25	558784.69
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3252.75	0.00
	जिनमें से : शेयर	9907.90	5455.42
	जिनमें से: डिबेंचर और बॉंड	21685.32	19674.16
	जिनमें से : अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी	1005.51	2880.51
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	20862.33	9870.87
iii	<b>ऋण और अग्रिम</b>	<b>1368709.21</b>	<b>1368693.72</b>
	जिनमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	-	-
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1368709.21	1368693.72
iv	<b>अचल आस्तियां</b>	<b>15398.26</b>	<b>15343.48</b>
v	<b>अन्य आस्तियां</b>	<b>64643.09</b>	<b>63275.84</b>
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0	0
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	2936.39	2936.39
vi	<b>समेकन पर गुडविल</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>
vii	<b>लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>2254463.28</b>	<b>2222951.79</b>



**Table DF-12: Composition of Capital – Reconciliation Requirements**

(₹ in Million)

DF-12- Composition of Capital- Reconciliation Requirements		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
Step-1		As on 31-03-2017	As on 31-03-2017
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	6811.64	6811.64
	Reserves & Surplus	107479.99	107703.92
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	114291.63	114515.56
ii	Deposits	1954759.42	1954759.42
	of which: Deposits from banks	603.83	603.83
	of which: Customer deposits	1840010.68	1840010.68
	of which: Other deposits (Certificate of Deposit)	114144.91	114144.91
iii	Borrowings	88669.04	88669.04
	of which: From RBI	-	-
	of which: From banks	117.27	117.27
	of which: From other institutions & agencies	11866.77	11866.77
	of which: Others - Outside India Line of Credit	6485.00	6485.00
	of which: Capital instruments	70200.00	70200.00
iv	Other liabilities & provisions	96743.19	65007.77
	<b>Total</b>	<b>2,254,463.28</b>	<b>2,222,951.79</b>

<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	93230.89	93227.30
	Balance with banks and money at call and short notice	88562.77	85716.80
ii	Investments:	623890.06	596,665.65
	of which: Government securities	567176.25	558784.69
	of which: Other approved securities	3252.75	0.00
	of which: Shares	9907.90	5455.42
	of which: Debentures & Bonds	21685.32	19674.16
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1005.51	2880.51
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	20862.33	9870.87
iii	Loans and advances	1368709.21	1368693.72
	of which: Loans and advances to banks	-	-
	of which: Loans and advances to customers	1368709.21	1368693.72
iv	Fixed assets	15398.26	15343.48
v	Other assets	64643.09	63275.84
	of which: Goodwill and intangible assets	0	0
	of which: Deferred tax assets	2936.39	2936.39
vi	Goodwill on consolidation	29.00	29.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	<b>Total Assets</b>	<b>2254463.28</b>	<b>2222951.79</b>



(रुपए मिलियन में)

	डीएफ-12 :पूँजी की संरचना - समाशोधन अपेक्षाएं	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	विनियामक समेकन परिधि के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं.
चरण-2		31-03-2017 को	31-03-2017 को	
<b>क</b>	<b>पूँजी और देयताएं</b>			
<b>i</b>	<b>प्रदत्त पूँजी</b>	6811.64	6811.64	
	जिसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	6811.64	6811.64	ए
	जिसमें से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-	
	<b>प्रारक्षिती एवं आधिक्य</b>	107479.99	107703.92	
	जिसमें से:			
	शेयर प्रीमियम	25303.12	24913.12	बी
	लाभ/हानि खाते में शेष	(602.79)	11.14	सी
	जिसमें से:			
	(क) पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ चालू अवधि का लाभ नहीं गिना जाएगा ।	-	-	डी
	सांविधिक रिज़र्व	28150.00	28150.00	ई
	सामान्य रिज़र्व	25654.55	25654.5	एफ
	पूँजी रिज़र्व	6104.17	6104.17	जी
	आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) की विशेष रिज़र्व	14550.00	14550.00	एच
	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व	8497.23	8497.23	आई
	विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व	(176.29)	(176.29)	जे
	अल्पसंख्यक हित	-	-	
	जिसमें से पूँजी निधि के अंतर्गत विचारा गया	-	-	
	कुल पूँजी	114291.63	114515.56	
<b>ii</b>	<b>जमाराशि</b>	1954759.42	1954759.42	
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशि	603.83	603.83	
	जिसमें से : ग्राहकों की जमाराशि	1840010.68	1840010.68	
	जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया स्पष्ट करें) - जमा प्रमाणपत्र	114144.91	114144.91	
<b>iii</b>	<b>उधार</b>	<b>88669.04</b>	<b>88669.04</b>	
	जिसमें : भारिबैं से	-	-	
	जिसमें : बैंकों से	117.27	117.27	
	जिसमें : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	11866.77	11866.77	
	जिसमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें) - भारत से बाहर का ऋण	6485.00	6485.00	
	जिसमें : पूँजीगत विलेख	70200.00	70200.00	
	जिसमें :			
	(क) एटी1 पूँजी हेतु पात्र	23000.00	23000.00	के
	(ख) बैंक द्वारा जारी टी2 पूँजी हेतु पात्र	33100.00	33100.00	एल
	(ग) अनुषंगी द्वारा जारी टी2 पूँजी हेतु पात्र	-	-	
<b>iv</b>	<b>अन्य देयताएं व प्रावधान</b>	<b>96743.19</b>	<b>65007.77</b>	<b>एम</b>
	जिसमें :			



(₹ in Million)

DF-12- Composition of Capital- Reconciliation Requirements		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
Step-2		As on 31-03-2017	As on 31-03-2017	
A	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital	6811.64	6811.64	
	of which: Amount eligible for CET1	6811.64	6811.64	a
	of which: Amount eligible for AT1	-	-	
	Reserves & Surplus	107479.99	107703.92	
	of which:			
	Share premium	25303.12	24913.12	b
	Balance in Profit/Loss A/c	(602.79)	11.14	c
	of which:			
	(a) Current period profits not reconed for capital adequacy purpose	-	-	d
	Statutory Reserves	28150.00	28150.00	e
	General Reserve	25654.55	25654.55	f
	Capital Reserve	6104.17	6104.17	g
	Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act	14550.00	14550.00	h
	Revaluation Reserve	8497.23	8497.23	i
	Foreign Currency Translation Reserve	(176.29)	(176.29)	j
	Minority Interest	-	-	
	Of which considered under capital funds	-	-	
	Total Capital	114291.63	114515.56	
ii	Deposits	1954759.42	1954759.42	
	of which: Deposits from banks	603.83	603.83	
	of which: Customer deposits	1840010.68	1840010.68	
	of which: Other deposits - Certificate of Deposit	114144.91	114144.91	
iii	Borrowings	88669.04	88669.04	
	of which: From RBI	-	-	
	of which: From banks	117.27	117.27	
	of which: From other institutions & agencies	11866.77	11866.77	
	of which: Others - Outside India Line of Credit	6485.00	6485.00	
	of which: Capital instruments	70200.00	70200.00	
	of which:			
	(a) Eligible AT1 capital	23000.00	23000.00	k
	(b) Eligible T2 capital issued by Bank	33100.00	33100.00	l
	© Eligible T2 capital issued by subsidiaries	-	-	
iv	Other liabilities & provisions	96743.19	65007.77	m
	of which:			





	मानक आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान	12714.46	12714.46	एन
	एआरसी II हेतु प्रावधान	4173.19	4173.19	ओ
	साख से संबंधित डीटीएल	-	-	
	अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	<b>कुल</b>	<b>2254463.28</b>	<b>2222951.79</b>	
<b>ख</b>	<b>आस्तियाँ</b>			
<b>i</b>	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष राशियाँ</b>	93230.89	93227.30	
	बैंकों में शेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	88562.77	85716.80	
<b>ii</b>	<b>निवेश</b>	<b>623890.06</b>	596665.65	
	जिसमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	567176.25	558784.69	<b>पी</b>
	जिसमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3252.75	0	<b>क्यू</b>
	जिसमें : शेयर	9907.90	5455.42	<b>आर</b>
	जिसमें : डिबेचर तथा बॉण्ड	21685.32	19674.16	<b>एस</b>
	जिसमें : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	1005.51	2880.51	<b>टी</b>
	जिसमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड इत्यादि )	20862.33	9870.87	<b>यू</b>
<b>iii</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>1368709.21</b>	1368693.72	
	जिसमें : बैंक को ऋण एवं अग्रिम	0	0	
	जिसमें : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1368709.21	1368693.72	
<b>iv</b>	<b>अचल आस्तियाँ</b>	<b>15398.26</b>	<b>15343.48</b>	
	जिसमें :			
	बंधक को छोड़कर अमूर्त ङ सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल	398.53	378.15	<b>वी</b>
<b>v</b>	<b>अन्य आस्तियाँ</b>	<b>64643.09</b>	<b>63275.84</b>	
	जिसमें : अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी	-	-	
	जिसमें : साख एवं अमूर्त आस्तियाँ			
	जिसमें से: आएथगित कर आस्तियां	-	-	
	साख	-	-	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)	-	-	
	आस्थगित कर आस्तियाँ	2936.39	2936.39	
<b>vi</b>	<b>समेकन पर साख</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>डब्ल्यू</b>
<b>vii</b>	<b>लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष</b>	-	-	
	<b>कुल आस्तियाँ</b>	<b>2254463.28</b>	<b>2222951.79</b>	



	Provision against standard assets	12714.46	12714.46	n
	Provision for ARCIL	4173.19	4173.19	o
	DTLs related to goodwill	-	-	
	DTLs related to intangible assets	-	-	
	Total	2254463.28	2222951.79	
B	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	93230.89	93227.30	
	Balance with banks and money at call and short notice	88562.77	85716.80	
ii	Investments	623890.06	596665.65	
	of which: Government securities	567176.25	558784.69	p
	of which: Other approved securities	3252.75	0	q
	of which: Shares	9907.90	5455.42	r
	of which: Debentures & Bonds	21685.32	19674.16	s
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1005.51	2880.51	t
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	20862.33	9870.87	u
iii	Loans and advances	1368709.21	1368693.72	
	of which: Loans and advances to banks	0	0	
	of which: Loans and advances to customers	1368709.21	1368693.72	
iv	Fixed assets	15398.26	15343.48	
	of which:			
	Intangibles other than mortgage - servicing rights (net of related tax liability)	398.53	378.15	v
v	Other assets	64643.09	63275.84	
	of which: Un amortized pension and gratuity	-	-	
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-	
	Out of which:			
	Goodwill	-	-	
	Other intangibles (excluding MSRs)	-	-	
	Deferred tax assets	2936.39	2936.39	
vi	Goodwill on consolidation	29.00	29.00	w
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-	
	Total Assets	2254463.28	2222951.79	



(रुपए मिलियन में)			
बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट की विवरण (जोडे गए कॉलम सहित)			
<b>सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षिती</b>			
	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए नियंत्रित पूंजी के घटक	चरण 2 से समेकन के नियंत्रण परिधि के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या / पत्र पर आधारित स्रोत	
1	प्रत्यक्ष रूप में जारी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी (गैर जुआइंट स्टॉक कंपनियों के लिए समकक्ष) प्लस संबंधित स्टॉक अधिशेष	31724.75	ए+बी
2	रिटेन आय	11.14	सी-डी
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य प्रारक्षिती )	89106.18	ई+एफ+जी+एच+जे + एम
4	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी बशर्ते कि सीईटी 1 से फेज आउट (केवल गैर जुआइंट स्टॉक कंपनियों के लिए लागू )	-	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पार्टी द्वारा रखी गयी सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमति देना)	-	
6	नियंत्रक समायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूंजी	120842.08	
7	पूडेंशियल मूल्यांकन समायोजन	-	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल )	29.00	डब्ल्यू के 100%



(₹ in Million)

Extract of Basel III common disclosure template (with added column)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	31724.76	a+b
2	Retained earnings	11.14	c-d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	89106.18	e+f+g+h-j+ part of m
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	120842.08	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	29.00	100% of w



**सारणी डीएफ-13 : विनियामक पूंजी लिखतों के मुख्य लक्षण**

(रुपए मिलियन में)

31 03 2017 को विनियामक पूंजी लिखतों के मुख्य लक्षणों के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट								
			गौण ऋण बांड VI इश्यु	गौण ऋण बांड VII इश्यु	गौण ऋण बांड VIII इश्यु	नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण बांड	अपर टीयर II बांड -I इश्यु श्रंखला-ए	अपर टीयर II बांड -II इश्यु श्रंखला-बी
	विवरण	ईक्विटी शेयर	निम्नतर टीयर II	निम्नतर टीयर II	निम्नतर टीयर II	टीयर I	टीयर II	टीयर II
1	निर्गमकर्ता	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक
2	अद्वितीय परिचयकर्ता (उदाहरणार्थ निजी स्थान नियोजन के लिए सीयुएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग परिचयकर्ता)	आईएनई 434ए01013	आईएनई 434ए09073	आईएनई 434ए09081	आईएनई 434ए09131	आईएनई 434ए09099	आईएनई 434ए09107	आईएनई 434ए09115
3	लिखतों के शासी कानून	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं
	विनियामक व्यवहार							
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	ईक्विटी टीयर I	टीयर II	टीयर II	टीयर II	टीयर I	उच्चतर टीयर II	उच्चतर टीयर II
5	अंतर्राष्ट्रीय -पश्व बेसल III नियम	ईक्विटी टीयर I	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	सोलो / ग्रुप / ग्रुप तथा सोलो	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप
7	लिखत प्रकार	ईक्विटी शेयर	सोलो तथा ग्रुप	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रु. मिलियन में, मान्यता जैसा कि अधिकांश हाल ही की तारीख)	6811.60	1118.00	959.00	1023.00	1000.00	2000.00	5200.00
9	लिखत का सममूल्य (प्रत्येक शेयर / बांड का अंकित मूल्य)	रु. 10/-	रु. 7000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु. 10,00,000/-	रु. 6000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु. 10,00,000/-	रु. 3200 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु. 10,00,000/-	रु. 2000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु. 10,00,000/-	रु. 2000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु. 10,00,000/-	रु. 5200 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु. 10,00,000/-
10	लेखा वर्गीकरण	शेयरधारक ईक्विटी	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	निर्गम की मूल तारीख (आबंटन की तारीख)	विभिन्न तिथि *	11.01.2008	10.09.2008	24.12.2009	31.12.2008	25.03.2009	08.06.2009
12	शाश्वत या दिनांकित	शाश्वत	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	शाश्वत	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	परिपक्वता नहीं	11.05.2018	10.09.2018	24.12.2019	शाश्वत**	25.03.2024***	08.06.2024***
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
15	पुकलिक माँग दिनांक आकस्मिक कॉल तिथि तथा प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	31.12.2018#	25.03.2019###	08.06.2019###
16	परवर्ती मांगा तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



**Table DF-13: Main features of Regulatory Capital Instruments**

(₹ in Million)

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments as on 31.03.2017								
			Subordinated Debt Bonds VI Issue	Subordinated Debt Bonds VII Issue	Subordinated Debt Bonds VIII Issue	Innovative Perpetual Debt Bonds	Upper Tier-II Bonds - I Issue Series-A	Upper Tier-II Bonds - II Issue Series-B
	Particulars	Equity shares	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Tier I	Tier II	Tier II
1	Issuer	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE434A01013	INE434A09073	INE434A09081	INE434A09131	INE434A09099	INE434A09107	INE434A09115
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
	Regulatory treatment							
4	Transitional Basel III rules	Equity Tier I	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I	Upper Tier II	Upper Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Equity Tier I	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Equity shares	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6811.60	1118.00	959.00	1023.00	1000.00	2000.00	5200.00
9	Par value of instrument (Face value of each share / bond)	Rs.10/-	Rs 7000 million and each instrument of Rs.10,00,000/-	Rs 6000 million and each instrument of Rs.10,00,000/-	Rs 3200 million and each instrument of Rs.10,00,000/-	Rs 2000 million and each instrument of Rs.10,00,000/-	Rs 2000 million and each instrument of Rs.10,00,000/-	Rs 5200 million and each instrument of Rs.10,00,000/-
10	Accounting classification	Shareholders' equity	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance (Date of allotment)	various dates*	11.01.2008	10.09.2008	24.12.2009	31.12.2008	25.03.2009	08.06.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated	Dated
13	Original maturity date	No maturity	11.05.2018	10.09.2018	24.12.2019	Perpetual**	25.03.2024***	08.06.2024***
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	31.12.2018#	25.03.2019###	08.06.2019###
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable



	कूपन / लाभांश	लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या अस्थिर कूपन / लाभांश	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर एवं कोई संबंधित इंडेक्स	लागू नहीं	9.15% वार्षिक	11.00% वार्षिक	8.55% वार्षिक	9.50% वार्षिक	9.30% वार्षिक	8.72% वार्षिक
19	लाभांश बंद करने वाले का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अधिदेशी	संपूर्ण विवेकाधीन	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी
21	वृद्धशील का अस्तित्व अन्य पुनः प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	वृद्धशील	वृद्धशील	वृद्धशील
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	संपरिवर्तनीय या असंपरिवर्तनीय	लागू नहीं	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24	यदि असंपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीय ट्रीगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीय ट्रीगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीय अधिदेशी या वैकल्पिक संपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीयता के लिखत प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीयता के लिखत के निर्गमकर्ता स्पष्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलोकन लक्षण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन है, अवलेखन ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, बट्टे खाते डाले मेकानिज्म का वर्णन करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not applicable	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not applicable	9.15% p.a.	11.00% p.a.	8.55% p.a.	9.50% p.a.	9.30% p.a.	8.72% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO	NO	NO	NO	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
23	Convertible or non-convertible	Not applicable	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
25	If convertible, fully or partially	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
26	If convertible, conversion rate	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
30	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
32	If write-down, full or partial	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable





35	परिसमापन में गौणतों पदानुक्रम की स्थिति ऋणदाताएं एवं (लिखत का तुरंत वरीयता लिखत)	सभी अन्य दावों से गौण	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता एवं टीयर II बांडों में निवेशक	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता
36	गैर-अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालित विशेषताएं विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other claims	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank & All Investors in Tier-II Bonds	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable



## 31 03 2017 को विनियामक पूंजी लिखतों के मुख्य लक्षणों के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

(रु. मिलियन में)

		उच्चतर टीयर - II बॉण्ड - III इश्यु श्रृंखला - सी	बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर-I परपेचुअल कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-I	बेसल III अनुपालन टीयर-II बॉण्ड श्रृंखला-ए	बेसल III अनुपालन टीयर-II बॉण्ड श्रृंखला-बी	बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर-I परपेचुअल कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-II	बेसल III अनुपालन टीयर-II बॉण्ड - श्रृंखला-सी	बेसल III अनुपालन टीयर-I परपेचुअल कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-III
	विवरण	टीयर II	शाश्वत	टीयर II	टीयर II	शाश्वत	टीयर II	शाश्वत
1	निर्गमकर्ता	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक	आन्धा बैंक
2	अद्वितीय परिचयकर्ता (उदाहरणार्थ निजी स्थान नियोजन के लिए सीयुएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग परिचयकर्ता)	आईएनई 434ए09123	आईएनई 434ए09149	आईएनई 434ए08026	आईएनई 434ए08034	आईएनई 434ए08042	आईएनई 434ए08059	आईएनई 434ए08067
3	लिखतों के शासी कानून	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय स्टेट्यूट एवं विनियामक अपेक्षाएं
	विनियामक व्यवहार							
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	उच्चतर टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I
5	अंतर्राष्ट्रीय -पश्च बेसल III नियम	अपात्र	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I
6	सोलो / ग्रुप / ग्रुप तथा सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप
7	लिखत प्रकार	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रु. मिलियन में, मान्यता जैसा कि अधिकांश हाल ही की तारीख)	2800.00	5000.00	5000.00	5000.00	8000.00	10000.00	9000.00
9	लिखत का सममूल्य (प्रत्येक शेयर / बॉण्ड का अंकित मूल्य)	रु. 2800 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु.10,00,000/	रु. 5000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु..10,00,000/	रु. 5000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु.10,00,000/	रु. 5000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु..10,00,000/	रु. 8000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु.10,00,000/	रु. 10000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु.10,00,000/	रु. 9000 मिलियन तथा प्रत्येक लिखत का रु.10,00,000/
10	लेखा वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	निर्गम की मूल तारीख (आबंटन की तारीख)	18.12.2009	26.12.2014	16.09.2015	18.12.2015	19.02.2016	27.06.2016	05.08.2016
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित	शाश्वत	दिनांकित	दिनांकित	शाश्वत	दिनांकित	शाश्वत
13	मूल परिपक्वता तारीख	18.12.2024***	शाश्वत~	16.09.2025	18.12.2025~	शाश्वत~	27.06.2026~	शाश्वत~



**Disclosure template for main features of regulatory capital instruments as on 31.03.2017**

(₹ in Million)

		Upper Tier-II Bonds - III Issue Series-C	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-I	BASEL III Compliant Tier II Bonds A-Series	BASEL III Compliant Tier II Bonds B-Series	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-II	Basel III Compliant Tier-II Bonds-Series C	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - III
	Particulars	Tier II	Perpetual	Tier II	Tier-II	Perpetual	Tier-II	Perpetual
1	Issuer	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE434A09123	INE434A09149	INE434A08026	INE434A08034	INE434A08042	INE434A08059	INE434A08067
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
	Regulatory treatment							
4	Transitional Basel III rules	Upper Tier II	Additional Tier I	Tier II	Tier II	Additional Tier I	Tier II	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Additional Tier I	Tier II	Tier II	Additional Tier I	Tier II	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2800.00	5000.00	5000.00	5000.00	8000.00	10000.00	9000.00
9	Par value of instrument (Face value of each share / bond)	Rs 2800 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 8000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 10000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 9000 million and each instrument of Rs.10,00,000/
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance (Date of allotment)	18.12.2009	26.12.2014	16.09.2015	18.12.2015	19.02.2016	27.06.2016	05.08.2016
12	Perpetual or dated	Dated	Perpetual	Dated	Dated	Perpetual	Dated	Perpetual
13	Original maturity date	18.12.2024***	Perpetual~	16.09.2025	18.12.2025~	Perpetual~	27.06.2026~	Perpetual~



14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
15	पूकलिका मांग हिनोक कॉल तिथि तथा प्रतिदान राशि	18.12.2019##	26.12.2019****	16.09.2020****	18.12.2020****	19.02.2021****	27.06.2021****	05.08.2021****
16	परवर्ती मांगा तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या अस्थिर कूपन / लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर एवं कोई संबंधित इंडेक्स	8.70% वार्षिक	9.55% वार्षिक	8.58% वार्षिक.	8.63% वार्षिक	10.95% वार्षिक	8.65% वार्षिक	10.99% वार्षिक
19	लाभांश बंद करने वाले का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू	लागू नहीं	लागू
20	संपूर्ण विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी
21	वृद्धशील का अस्तित्व अन्य पुनः प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन	बढ़ाया गया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	संपरिवर्तनीय या असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24	यदि असंपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीय ट्रीगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तन पर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय, अधिदेशी या वैकल्पिक संपरिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीयता के लिखत प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



14	Issuer call subject to prior supervisory approval	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	18.12.2019##	26.12.2019****	16.09.2020****	18.12.2020****	19.02.2021****	27.06.2021****	05.08.2021****
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.70% p.a.	9.55% p.a.	8.58% p.a.	8.63% p.a.	10.95% p.a.	8.65% p.a	10.99% p.a
19	Existence of a dividend stopper	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Applicable	Not applicable	Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	NO	NO	NO	NO	NO	NO
22	Non-cumulative or cumulative	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
25	If convertible, fully or partially	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
26	If convertible, conversion rate	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable



29	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीयता के लिखत के निर्गमकर्ता विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन लक्षण	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां
31	यदि अवलेखन है, अवलेखन ट्रिगर्स	लागू नहीं	ट्रिगर्स से अभिप्राय निर्गमकर्ता का सामान्य ईक्विटी टैयर1 अनुपात: (1) 31 मार्च 2019 से पहले यदि किसी समय आकलन किया गया हो या आरडब्ल्यूए 5.5 प्रतिशत या (2) 31 मार्च 2019 से या को यदि किसी समय आकलन किया गया हो या आरडब्ल्यूएस (सीईटी 1 ट्रिगर ईवेंट 6.125 प्रतिशत से कम में श्रेयोल्ड	लागू नहीं	लागू नहीं	ट्रिगर्स से अभिप्राय निर्गमकर्ता का सामान्य ईक्विटी टैयर1 अनुपात: (1) 31 मार्च 2019 से पहले यदि किसी समय आकलन किया गया हो या आरडब्ल्यूए 5.5 प्रतिशत या (2) 31 मार्च 2019 से या को यदि किसी समय आकलन किया गया हो या आरडब्ल्यूएस (सीईटी 1 ट्रिगर ईवेंट 6.125 प्रतिशत से कम में श्रेयोल्ड	लागू नहीं	ट्रिगर्स से अभिप्राय निर्गमकर्ता का सामान्य ईक्विटी टैयर1 अनुपात: (1) 31 मार्च 2019 से पहले यदि किसी समय आकलन किया गया हो या आरडब्ल्यूए 5.5 प्रतिशत या (2) 31 मार्च 2019 से या को यदि किसी समय आकलन किया गया हो या आरडब्ल्यूएस (सीईटी 1 ट्रिगर ईवेंट 6.125 प्रतिशत से कम में श्रेयोल्ड
32	यदि अवलेखन हो, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	संपूर्ण या आंशिक
33	यदि अवलेखन हो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	अस्थायी	लागू नहीं	अस्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन, बट्टे खाते डाले मेकानिजम का वर्णन करें	लागू नहीं	बैंक भविष्य में अपने एकमात्र विवेक से बांडों को इनके मूल मूल्य में बट्टे खाते डाल सता है, जब वह प्रदर्शित करें कि अपनी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अच्छी है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से है।	लागू नहीं	लागू नहीं	बैंक भविष्य में अपने एकमात्र विवेक से बांडों को इनके मूल मूल्य में बट्टे खाते डाल सता है, जब वह प्रदर्शित करें कि अपनी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अच्छी है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से है।	लागू नहीं	बैंक भविष्य में अपने एकमात्र विवेक से बांडों को इनके मूल मूल्य में बट्टे खाते डाल सता है, जब वह प्रदर्शित करें कि अपनी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अच्छी है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से है।



29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
30	Write-down feature	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not applicable	Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii) If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event Threshold).	Not applicable	Not applicable	Pre-specified Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii) If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event Threshold).	Not applicable	Pre-specified Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii) If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event Threshold).
32	If write-down, full or partial	Not applicable	Full or Partial	Not applicable	Not applicable	Full or Partial	Not applicable	Full or Partial
33	If write-down, permanent or temporary	Not applicable	Temporary	Not applicable	Not applicable	Temporary	Not applicable	Temporary
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI	Not applicable	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI





35	परिसमापन में गौणतों पदानुक्रम की स्थिति ऋणदाताएं एवं (लिखत का तुरंत वरीयता लिखत)	बैंक के अन्य सभी लेनदारों एवं जमाकर्ता	(i) ईक्विटी शेयरों तथा गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से सुपीरियर (ii) जमाकर्ता, सामान्य लेनदारों तथा गौण ऋण बांड के दावों को गौण (iii) न ही जारीकर्ता की गारंटी अथवा सम्बन्धित ईकाई से कवर है तथा न ही अन्य व्यवस्था से, जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदार तथा दावे में वृद्धि करे।	(i) ईक्विटी शेयरों तथा गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से सुपीरियर (ii) जमाकर्ता, सामान्य लेनदारों तथा गौण ऋण बांड के दावों को गौण (iii) न ही जारीकर्ता की गारंटी अथवा सम्बन्धित ईकाई से कवर है तथा न ही अन्य व्यवस्था से, जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदार तथा दावे में वृद्धि करे।	(i) ईक्विटी शेयरों तथा गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से सुपीरियर (ii) जमाकर्ता, सामान्य लेनदारों तथा गौण ऋण बांड के दावों को गौण (iii) न ही जारीकर्ता की गारंटी अथवा सम्बन्धित ईकाई से कवर है तथा न ही अन्य व्यवस्था से, जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदार तथा दावे में वृद्धि करे।	(i) ईक्विटी शेयरों तथा गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से सुपीरियर (ii) जमाकर्ता, सामान्य लेनदारों तथा गौण ऋण बांड के दावों को गौण (iii) न ही जारीकर्ता की गारंटी अथवा सम्बन्धित ईकाई से कवर है तथा न ही अन्य व्यवस्था से, जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदार तथा दावे में वृद्धि करे।	(i) ईक्विटी शेयरों तथा गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से सुपीरियर (ii) जमाकर्ता, सामान्य लेनदारों तथा गौण ऋण बांड के दावों को गौण (iii) न ही जारीकर्ता की गारंटी अथवा सम्बन्धित ईकाई से कवर है तथा न ही अन्य व्यवस्था से, जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदार तथा दावे में वृद्धि करे।	(i) ईक्विटी शेयरों तथा गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से सुपीरियर (ii) जमाकर्ता, सामान्य लेनदारों तथा गौण ऋण बांड के दावों को गौण (iii) न ही जारीकर्ता की गारंटी अथवा सम्बन्धित ईकाई से कवर है तथा न ही अन्य व्यवस्था से, जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदार तथा दावे में वृद्धि करे।
36	गैर-अनुपालक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यण	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यणों को स्पष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(#) बैंक सीआरआर स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुए ऐसा लिखत जिसे 10 वर्ष हो चुके हों की माँग विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

(##) यदि लिखत को 10 वर्ष हो चुके हैं तो माँग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। माँग विकल्प का प्रयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माँग विकल्प के प्रयोग पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ, माँग विकल्प के प्रयोग के समय बैंक के सीआरआर की स्थिति पर भी विचार करेगा तत्पश्चात विकल्प प्रयोग करने देगा।

(\*) ईक्विटी शेयरों के आबंटन की तारीखें : प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर 24.03.2001, अनुवर्ती सार्वजनिक ऑफर 03.02.2006, भारत सरकार को अधिमानी आबंटन 25.03.2011, भारत सरकार को अधिमानी आबंटन 21.12.2013, भारत सरकार को अधिमानी आबंटन 25.03.2015 30.09.2015 को भारत सरकार को अधिमानी आबंटन तथा 29.03.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आबंटन

(\*\*) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से माँग विकल्प के साथ जारी नवोन्मेषी शाश्वत कर्ज बांड जो लिखत के 10 वर्ष के लिए चालू रहने के उपरांत प्रयोग में लाया जा सकता है, यदि माँग विकल्प निष्पादित न किया जाता हो तो लिखत के 10 वर्ष के उपरांत कूपन में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि होगी एवं 31.12.2018 के बाद कूपन 10.00 प्रतिशत होगा।

(\*\*\*) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से माँग विकल्प के साथ जारी उच्चतर टीयर - II बांड जो लिखत के 10 वर्ष के लिए चालू रहने के उपरांत प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि माँग विकल्प निष्पादित न किया जाता हो तो लिखत के 10 वर्ष के उपरांत कूपन में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तदुपरांत कूपन निम्न प्रकार होंगे।

उच्चतर टीयर-II (I निर्गम) 25.3.2019 के बाद 25.03.2024 तक 9.80%

उच्चतर टीयर-II (II निर्गम) 08.6.2019 के बाद 08.06.2024 तक 9.22%

उच्चतर टीयर-II (III निर्गम) 18.12.2019 के बाद 18.12.2024 तक 9.20%

: वैकल्पिक माँग तारीख (\*\*\*\*)



35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other creditors and Depositors of the Bank	(i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii) Subordinate to the claims of depositors, general creditors and subordinate debt bonds; (iii) Is neither secured or covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors	(i) Superior to the claims of investors in equity shares and in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors;	(i) Superior to the claims of investors in equity shares and in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors;	(i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii) Subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt bonds issued by the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors	(i) Senior to the claims of investors in equity shares and in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors;	(i) Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii) Subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt bonds issued by the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors
36	Non-compliant transitioned features	NO	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(#) The Bank have an option to exercise Call Option after the instrument has run for atleast 10 years with the prior approval of RBI considering the CRAR position of the Bank.

(##) Call option may be exercised only if the instrument has run for atleast 10 years. Call option may exercised only with the prior approval of RBI ( Department of Banking Operations and Development). While considering the proposals received from banks from exercising the call option the RBI would, among other things, take into consideration the Bank's CRAR position both at the time of exercise of the call option and after the exercise of the option.

(\*) Dates of allotment of equity shares: Initial Public Offer..24.03.2001; Follow-on Public Offer..03.02.2006; Preferential allotment to Govt of India..25.03.2011; Preferential allotment to Govt of India..21.12.2013; Preferential allotment to Govt. of India .. 25.03.2015; Preferential allotment to Govt. of India..30.09.2015 and Preferential allotment to Life Insurance Corporation of India on 29.03.2016;

(\*\*) Innovative Perpetual Debt Bonds issued with a Call option that may be exercised after the instrument has run for 10 years, with prior permission of Reserve Bank of India. If Call Option is not exercised, coupon has a step-up option of 0.50% after 10 years of the instrument and the coupon will be at 10.00% after 31.12.2018.

(\*\*\*) Upper Tier-II Bonds issued with a Call option that may be exercised after the instrument has run for 10 years, with prior permission of Reserve Bank of India. If call option is not exercised, coupon will be step-up with 0.50% after 10 years of the instrument. Then the coupons will be as under:

Upper Tier-II (I Issue) .. 9.80% after 25.03.2019 upto 25.03.2024

Upper Tier-II (II Issue) .. 9.22% after 08.06.2019 upto 08.06.2024

Upper Tier-II (III Issue) .. 9.20% after 18.12.2019 upto 18.12.2024

(\*\*\*\*) Optional Call Date..(a) The instrument has to run for atleast 5 years; (b) With the prior approval of Reserve Bank of India; (c) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is



क) लिखत कम से कम 5 वर्ष के लिए चालू रहना है

ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ

ग) लिखत को उसी पूंजी के साथ या बेहतर ईक्विटी में प्रतिस्थापित किया जाता है एवं इस पूंजी का प्रतिस्थापन शर्तों के साथ किया जाता है जो बैंक की आय क्षमता के लिए उपयुक्त हो या बैंक प्रदर्शित करता है कि इसकी पूंजी स्थिति मांग विकल्प के प्रयोग के बाद न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अच्छी है।

न्यूनतम 8 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) (आरडब्ल्यूए के 2.5 प्रतिशत का पूंजी संरक्षण बफर सहित) का साधारण ईक्विटी टीयर-1 है एवं पिलर-11 के अंतर्गत पहचानी गयी अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यू के 11.5 प्रतिशत की कुल पूंजी है।

(#) बैंक द्वारा मांग-विकल्प पर निम्न वर्णित सभी शर्तें लागू होंगी।

क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष का हो।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन।

ग) (i) प्रलेख उसकी पूंजी अथवा बेहतर स्तर से बदला जाए तथा इस पूंजी का परिवर्तन बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो।

(अथवा)

(ii) बैंक की पूंजी स्थिति मांग विकल्प के पश्चात न्यूनतम

पूंजी अपेक्षाओं से काफी अधिक है।

न्यूनतम का अर्थ है जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के

8% का सामान्य ईक्विटी टीयर-1 (आरडब्ल्यूए के 2.5% पूंजी संरक्षण बफर तथा पिलर-2 के अन्तर्गत पहचानी गई अतिरिक्त पूंजी

अपेक्षाओं सहित आब्ल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी

पीओएनवी (गैर संभाव्यता पाइंट) पर बट्टे खाते

भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप



done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank OR The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised. Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including additional capital requirements identified under Pillar 2.

(~) Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below :

a) The instrument has run for at least five years;

b) Prior approval of Reserve Bank of India;

c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank;

(or)

c) (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised;

Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2.

WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY)

AS PER APPLICABLE RBI GUIDELINES



## सारणी डीएफ - 14: नियंत्रक पूंजी लिखतों के संपूर्ण नियम एवं शर्तें

निर्गमकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, गौण बॉन्ड (VI निर्गम - सिरीज एफ)
लिखत की प्रकृति	वचन पत्र
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए09073
निर्गम आकार	रु.7000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	124 माह
कूपन दर	9.15% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक
ब्याज अदायगी	प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को
आबंटन की तारीख	11.01.2008
परिपक्वता की तारीख	11.05.2018
रिकार्ड तारीख	बॉन्डधारकों को ब्याज अदा किया जाएगा जिनका नाम बॉन्डधारकों के रजिस्टर में रिकार्ड तारीख को पंजीकृत किया गया है। बॉन्डों के रिकार्ड तारीख/ बुक संवरण तारीख किसी भी दिन व्यवसाय समय के संवरण पर प्रत्येक ब्याज अदायगी के पहले 30 दिन के अंदर एवं /या मूलधन अदायगी तारीख.
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बोम्बाई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
विक्रय विकल्प	कुछ नहीं
मांग विकल्प	कुछ नहीं
न्यासी	आईडीबीआई न्यासधारिता सेवाएँ लिमिटेड
वृद्धि विकल्प	कुछ नहीं
वृद्धि विकल्प के साथ कूपन	लागू नहीं
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स केयर : केयर ए+ (डब्ल ए प्लस) मेसर्स इंडिया रेटिंग्स (एफआईटीसीएच): आईएनडी एए/आउटलुक स्टेबल
व्यवसाय दिवस परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जो वाणिज्यिक बैंक आंध्रा प्रदेश में व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं, तब परवर्ती व्यवसाय दिवस को ब्याज का भुगतान किया जाएगा परंतु विलंब अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के लिए देयता के बिना।



**Table DF- 14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments**

<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Subordinated Bonds (VI Issue-Series F)
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09073
<b>Issue size</b>	Rs.7000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	124 months
<b>Coupon Rate</b>	9.15% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 11th of January
<b>Date of allotment</b>	11.01.2008
<b>Date of maturity</b>	11.05.2018
<b>Record date</b>	Payment of interest will be made to the holders of the Bonds whose name is registered in the Registrar of Bondholders as on the Record Date. The Record Date/Book Closure Date for the Bonds shall be on the close of business hours on any day within 30 days before each interest payment and/or principal repayment date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	None
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CARE: CARE AA+ (Double A Plus) M/s.India Ratings (FITCH): IND AA+/Outlook Stable
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business Day being a day on which commercial banks are open for business in the State of Andhra Pradesh, then payment of interest will be made on the next Business day but without liability for making payment of interest for the delayed period.



निर्गमकर्ता का नाम	आन्धा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, गौण बॉन्ड (VII निर्गम - सिरीज जी)
लिखत की प्रकृति	वचन पत्र
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए09081
निर्गम आकार	रु.6000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	120 महीने
कूपन दर	11.00% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक।
ब्याज अदायगी	प्रति वर्ष 10 सितंबर को
आबंटन की तारीख	10.09.2008
परिपक्वता की तारीख	10.09.2018
रिकार्ड तारीख	बॉन्डधारकों को ब्याज अदा किया जाएगा जिनका नाम बॉन्डधारकों के रजिस्टर में रिकार्ड तारीख को पंजीकृत किया गया है। बॉन्डों के रिकार्ड तारीख/ बुक संवरण तारीख किसी भी दिन व्यवसाय समय के संवरण पर प्रत्येक ब्याज अदायगी के पहले 30 दिन के अंदर एवं /या मूलधन अदायगी तारीख.
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बोम्बार्ड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
विक्रय विकल्प	कुछ नहीं
मांग विकल्प	कुछ नहीं
वृद्धि विकल्प	आईडीबीआई न्यासधारिता सेवाएँ लिमिटेड
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स केयर : केयर ए+ (डब्लू ए प्लस) मेसर्स इंडिया रेटिंग्स (एफआईटीसीएच): आईएनडी एए/आउटलुक स्टेबल
न्यासी	कुछ नहीं
साख निर्धारण	लागू नहीं
व्यवसाय दिवस परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह है जब वाणिज्यिक बैंक नई दिल्ली नगर में व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं तब मध्यवर्ती अवधि के लिए अतिरिक्त ब्याज सहित परवर्ती व्यवसाय दिवस को ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
	मोचन प्राप्तिः व्यवसाय दिवस वह है जब वाणिज्यिक बैंक नई दिल्ली नगर में व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं तब मध्यवर्ती अवधि के लिए अतिरिक्त ब्याज सहित परवर्ती व्यवसाय दिवस को ब्याज का भुगतान किया जाएगा।



<b>Name of the Issuer</b>	<b>Andhra Bank</b>
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Subordinated Bonds (VII Issue-Series G)
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09081
<b>Issue size</b>	Rs.6000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	120 months
<b>Coupon Rate</b>	11.00% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 10th September
<b>Date of allotment</b>	10.09.2008
<b>Date of maturity</b>	10.09.2018
<b>Record date</b>	Payment of interest will be made to the holders of the Bonds whose name is registered in the Registrar of Bondholders as on the Record Date. The Record Date/Book Closure Date for the Bonds shall be on the close of business hours on any day within 30 days before each interest payment and/or principal repayment date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	None
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CARE: CARE AA+ (Double A Plus) M/s.India Ratings (FITCH): IND AA/Outlook Stable
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business Day being a day on which commercial banks are open for business in the City of New Delhi, then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	Redemption Proceeds: In case if the principal redemption date falls on a day which is not a business day (business day being a day on which commercial banks are open for business in City of New Delhi then the payment due shall be made on the next business day together with additional interest for the intervening period.





जारीकर्ता का नाम	आन्धा बैंक
प्रलेख का प्रकार	अरक्षित, प्रतिदेय, अरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गौण परपेचुअल बांड
प्रलेख की प्रकृति	वचन पत्र
जारी करने का स्रोत	निजी प्लेसमेंट
आईएसआईएन नम्बर	आईएनई 434A09131
जारी आकार	रु. 3200.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000/- प्रति बॉण्ड ।
अवधि	120 माह
कूपन दर	8.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	नियत
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को ।
आबंटन की तिथि	24.12.2009
परिपक्वता तिथि	24.12.2019
रिकार्ड तिथि	प्रत्येक ब्याज भुगतान तथा/अथवा मूल चुकौती तिथि से पूर्व बॉण्डों की रिकार्ड तिथि 30 दिन पूर्व होगी।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
लिस्टेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि (बम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि)
पुट ऑप्शन	कोई नहीं।
कॉल ऑप्शन	कोई नहीं।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स केयर : केयर ए+ (डबल ए प्लस) मेसर्स ब्रिकवर्क- बीडब्ल्यूआर एए प्लस / नकारात्मक दृष्टिकोण।
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब नई दिल्ली शहर में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।
	यदि मूलधन मोचन की तारीख के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले हैं) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Subordinated Bonds (VIII Issue-Series H)
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09131
<b>Issue size</b>	Rs.3200.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	120 months
<b>Coupon Rate</b>	8.55% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 24th December
<b>Date of allotment</b>	24.12.2009
<b>Date of maturity</b>	24.12.2019
<b>Record date</b>	The Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment / or principal repayment date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	None
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CARE: CARE AA+ (Double A Plus) M/s.Brickwork: BWR AA+/ Negative Outlook
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business day being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	Redemption Proceeds: In case if the principal redemption date falls on a day which is not a business day (business day being a day on which commercial banks are open for business in Hyderabad, Andhra Pradesh), then the payment due shall be made on the next business day together with additional interest for the intervening period.



जारीकर्ता का नाम	आन्धा बैंक
प्रलेख का प्रकार	अरक्षित, प्रतिदेय, अरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गौण परपेचुअल बांड
प्रलेख की प्रकृति	वचन पत्र
जारी करने का स्रोत	निजी प्लेसमेंट
आईएसआईएन नम्बर	आईएनई 434A09099
जारी आकार	रु. 2000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000/- प्रति बॉण्ड ।
अवधि	बेमियादी ।
कूपन दर	9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	नियत
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को ।
आबंटन की तिथि	31.12.2008
परिपक्वता तिथि	बेमियादी।
रिकार्ड तिथि	प्रत्येक ब्याज भुगतान तथा/अथवा मूल चुकौती तिथि से पूर्व बॉण्डों की रिकार्ड तिथि 30 दिन पूर्व होगी। (कॉल-ऑप्शन के मामले में)
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
लिस्टेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि (बीएसई)
पुट ऑप्शन	कोई नहीं।
कॉल ऑप्शन	प्रलेख के 10 वर्ष के पश्चात - भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल - क्रिसिल एए/स्थायी (पुनःपुष्टि की गयी) मेसर्स ब्रिकवर्क-बीडब्ल्यूआरएए/ नकारात्मक दृष्टिकोण।
स्टेप-अप ऑप्शन	यदि कॉल-आप्शन का प्रयोग नहीं किया गया हो तो प्रलेख के 10 वर्ष पश्चात 0.50% सहित
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	यदि कॉल-आप्शन का प्रयोग नहीं किया गया हो तो 31.12.2018 से 10.00 प्रतिशत।
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब नई दिल्ली शहर में व्यवसाय हेतु कर्मशियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा । यदि मूलधन मोचन की तारीख के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन दिल्ली शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले हैं) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Non-cumulative Subordinated Perpetual Bonds
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09099
<b>Issue size</b>	Rs.2000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	Perpetual
<b>Coupon Rate</b>	9.50% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 31st December
<b>Date of allotment</b>	31.12.2008
<b>Date of maturity</b>	Perpetual
<b>Record date</b>	The Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment and / or principal repayment date ( in case of exercise of call option)
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	After 10 years run of the instrument - with prior permission of Reserve Bank of India
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CRISIL:CRISIL AA/Stable (Reaffirmed) M/s.Brickwork: BWRAA/ Negative Outlook
<b>Step-up Option</b>	with 0.50% after 10 years run of the instrument, if call option is not exercised
<b>Coupon with Step-option</b>	10.00% from 31.12.2018 if call option is not exercised
<b>Business Day definition</b>	If any interest payments falls on a day which is not a Business day (Business Day being a day on which commercial banks are open for business in the City of New Delhi), then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case the date of redemption falls on a holiday, then the redemption proceeds will be paid on the next working day (i.e. a day on which scheduled commercial banks are open for business in Delhi), at the time of exercise of call option



जारीकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
प्रलेख का प्रकार	अरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय (ऊपरी टायर-II) बॉण्ड- इश्यू-  श्रंखला - ए
प्रलेख की प्रकृति	वचन पत्र
जारी करने का स्रोत	निजी तौर पर शेयर आवंटन।
आईएसआईएन नम्बर	आईएनई 434ए09107
जारी आकार	रूपये 2000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000/- प्रति बॉण्ड।
अवधि	15 वर्ष
कूपन दर	9.30% प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	नियत
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 25 मार्च को।
आबंटन की तिथि	25.03.2009
परिपक्वता तिथि	25.03.2024
रिकार्ड तिथि	क्रय विकल्प का प्रयोग किये जाने की स्थिति में बॉण्डों की रिकार्ड तिथि प्रत्येक ब्याज भुगतान और/या मूलधन चुकौती तिथि से 30 दिन पूर्व होगी। (मॉग विकल्प प्रयोग के मामले में)
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
लिस्टेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि (बीएसई)
पुट ऑप्शन	कोई नहीं।
कॉल ऑप्शन	प्रलेख के 10 वर्ष के पश्चात ङ भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल - क्रिसिल एए/स्थायी (पुनःपुष्टि की गयी) मेसर्स ब्रिकवर्क-बीडब्ल्यूआरएए/ नकारात्मक दृष्टिकोण।
स्टेप-अप ऑप्शन	यदि कॉल-आप्शन का प्रयोग नहीं किया गया हो तो प्रलेख के 10 वर्ष पश्चात 0.50% सहित
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया हो तो 25.03.2019 से 25.03.2024 तक 9.80 प्रतिशत।
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर में व्यवसाय हेतु कर्मशियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।
	यदि मूलधन मोचन की तारीख के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले हैं) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा ।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Redeemable, Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds - Issue-I Series-A
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09107
<b>Issue size</b>	Rs.2000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	15 years
<b>Coupon Rate</b>	9.30% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 25th March
<b>Date of allotment</b>	25.03.2009
<b>Date of maturity</b>	25.03.2024
<b>Record date</b>	The Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment and/or principal repayment date (in case of exercise of call option).
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	After 10 years run of the instrument - with prior permission of Reserve Bank of India
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CRISIL:CRISIL AA/Stable M/s.Brickwork: BWR AA/Negative outlook
<b>Step-up Option</b>	with 0.50% after 10 years run of the instrument, if call option is not exercised
<b>Coupon with Step-option</b>	9.80% from 25.03.2019 till 25.03.2024 if call-option is not exercised
<b>Business Day definition</b>	If any interest date falls on a day which is not a Business Day (Business Day being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad), then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day (Business Day being a day on which Commercial Banks are open for business in the City of Hyderabad), then the payment due shall be made on the next Business Day together with additional interest for the intervening period.



जारीकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
प्रलेख का प्रकार	अरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय (ऊपरी टीयर-II) बॉण्ड- इश्यू-II श्रंखला - बी
प्रलेख की प्रकृति	वचन पत्र
जारी करने का स्रोत	निजी तौर पर शेयर आवंटन।
आईएसआईएन नम्बर	आईएनई434ए09115
जारी आकार	रूपये 5200.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रूपये 10,00,000.00
अवधि	15 वर्ष
कूपन दर	8.72% प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	नियत
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष आठ जून को
आवंटन की तिथि	08.06.2009
परिपक्वता तिथि	08.06.2024
रिकार्ड तिथि	क्रय विकल्प का प्रयोग किये जाने की स्थिति में बॉण्डों की रिकार्ड तिथि प्रत्येक ब्याज भुगतान और/या मूलधन चुकौती तिथि से 30 दिन पूर्व होगी। (माँग विकल्प प्रयोग के मामले में)
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
लिस्टेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि (बीएसई)
पुट ऑप्शन	कोई नहीं।
कॉल ऑप्शन	प्रलेख के 10 वर्ष के पश्चात - भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल - क्रिसिल एए/स्थायी (पुनःपुष्टि की गयी) मेसर्स ब्रिकवर्क-बीडब्ल्यूआरएए/ नकारात्मक दृष्टिकोण।
स्टेप-अप ऑप्शन	यदि कॉल-आप्शन का प्रयोग नहीं किया गया हो तो प्रलेख के 10 वर्ष पश्चात 0.50% सहित
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया हो तो 08.06.2019 से 08.06.2024 तक 9.22 प्रतिशत।
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा।
	यदि मूलधन मोचन की तारीख के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले हैं) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Redeemable, Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds - Issue-II Series-B
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09115
<b>Issue size</b>	Rs.5200.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	15 years
<b>Coupon Rate</b>	8.72% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 8th June
<b>Date of allotment</b>	08.06.2009
<b>Date of maturity</b>	08.06.2024
<b>Record date</b>	The Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment and / or principal repayment date (in case of exercise of call option).
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	After 10 years run of the instrument - with prior permission of Reserve Bank of India
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CRISIL:CRISIL AA/Stable M/s.Brickwork: BWR AA/Negative Outlook
<b>Step-up Option</b>	with 0.50% after 10 years run of the instrument, if call option is not exercised
<b>Coupon with Step-option</b>	9.22% from 08.06.2019 till 08.06.2024 if call-option is not exercised
<b>Business Day definition</b>	If any interest payment date falls on a day which is not a Business Day (Business Day, being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad), then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day (Business Day being a day on which Commercial Banks are open for business in the City of Hyderabad), then the payment due shall be made on the next Business Day together with additional interest for the intervening period.





जारीकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
प्रलेख का प्रकार	अरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय (ऊपरी टायर-II) बॉण्ड- इश्यू-III श्रंखला सी
प्रलेख की प्रकृति	वचन पत्र
जारी करने का स्रोत	निजी तौर पर शेयर आवंटन।
आईएसआईएन नम्बर	आईएनई434ए09123
जारी आकार	रूपये 2800.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000.00 प्रति बॉण्ड।
अवधि	15 वर्ष
कूपन दर	8.70% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	नियत
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर को।
आबंटन की तिथि	18.12.2009
परिपक्वता तिथि	18.12.2024
रिकार्ड तिथि	क्रय विकल्प का प्रयोग किये जाने की स्थिति में बॉण्डों की रिकार्ड तिथि प्रत्येक ब्याज भुगतान और/या मूलधन चुकौती तिथि से 30 दिन पूर्व होगी। (माँग विकल्प प्रयोग किए जाने के प्रकरण में)
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
लिस्टेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि (बीएसई)
पुट ऑप्शन	कोई नहीं।
कॉल ऑप्शन	प्रलेख के 10 वर्ष के पश्चात -भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स केयर ए/ केयर मेसर्स ब्रिकवर्क- बीडब्ल्यूआरए/ नकारात्मक दृष्टिकोण।
स्टेप-अप ऑप्शन	यदि कॉल-आप्शन का प्रयोग नहीं किया गया हो तो प्रलेख के 10 वर्ष पश्चात 0.50% सहित
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया हो तो 18.12.2019 से 18.12.2024 तक 9.20 प्रतिशत।
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।
	यदि मूलधन मोचन की तारीख के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले हैं) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Redeemable, Non-Convertible(Upper Tier-II)Bonds-Issue-III Series-C
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09123
<b>Issue size</b>	Rs.2800.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	15 years
<b>Coupon Rate</b>	8.70% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 18th December
<b>Date of allotment</b>	18.12.2009
<b>Date of maturity</b>	18.12.2024
<b>Record date</b>	The Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment and/or principal repayment date (in case of exercise of call option)
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	After 10 years run of the instrument - with prior permission of Reserve Bank of India
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CARE:CARE AA (Double A) M/s.Brickwork: BWR AA/ Negative Outlook
<b>Step-up Option</b>	with 0.50% after 10 years run of the instrument, if call option is not exercised
<b>Coupon with Step-option</b>	9.20% from 18.12.2019 till 18.12.2024 if call-option is not exercised
<b>Business Day definition</b>	If any interest payment date falls on a day which is not a Business Day (Business Day, being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad), then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day (Business Day being a day on which Commercial Banks are open for business in the City of Hyderabad), then the payment due shall be made on the next Business Day together with additional interest for the intervening period



जारीकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
प्रलेख का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टीयर-1 परपेचुअल ऋण प्रलेख-सिरीज ए
प्रलेख की प्रकृति	वचन पत्र
जारी करने का स्रोत	निजी तौर पर शेयर आबंटन।
आईएसआईएन नम्बर	आईएनई 434A09149
जारी आकार	रूपये 5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रूपये 10,00,000.00
अवधि	बेमियादी
कूपन दर	9.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	नियत
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 26 दिसम्बर को
आबंटन की तिथि	26.12.2014
परिपक्वता तिथि	बेमियादी
रिकार्ड तिथि	ब्याज एवं मोचन भुगतान की रिकार्ड तिथि प्रत्येक ब्याज भुगतान और/या मोचन तिथि से 15 दिन पूर्व होगी।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
लिस्टेड	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई)
पुट ऑप्शन	कोई नहीं।
कॉल ऑप्शन	वैकल्पिक कॉल तिथि (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भा रि बैं के पूर्वानुमोदन से ;(ग) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो अथवा बैंक स्पष्ट करे कि कॉल-आप्शन के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है। न्यूनतम से तात्पर्य है 8% आर डब्ल्यू ए का कॉमन ईक्विटी टीयर 1 (आर डब्ल्यू के 2.5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित 11.5% की कुल पूंजी।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल - क्रिसिल एए/स्थायी
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद, तेलंगाना शहर में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments – Series I
<b>Nature of Instrument</b>	Promissory Notes
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A09149
<b>Issue size</b>	Rs.5000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	Perpetual
<b>Coupon Rate</b>	9.55% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 26th December
<b>Date of allotment</b>	26.12.2014
<b>Date of maturity</b>	Perpetual
<b>Record date</b>	The Record Date for interest and redemption payment would be 15 days prior to interest and / or redemption date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	Optional Call Date..(a) The instrument has to run for atleast 5 years; (b) With the prior approval of Reserve Bank of India; (c) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank OR The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised. Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including additional capital requirements identified under Pillar 2.
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CRISIL: CRISIL AA-/Stable
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the next business day without liability for making payment of interest for the delayed period.



निर्गमकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, पुर्नभुगतान योग्य बेसल III अनुपालित टायर-II बॉन्ड-सिरीज ए
लिखत की प्रकृति	डिबेंचर
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए08026
निर्गम आकार	रु.5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	10 वर्ष
कूपन दर	8.58% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक
ब्याज अदायगी आबंटन की तारीख	प्रत्येक वर्ष 16 सितम्बर को 16.09.2015
परिपक्वता की तारीख	16.09.2025
रिकार्ड तारीख	ब्याज की भुगतान / मूलधन चुकौती तिथि हेतु संदर्भ तिथि ब्याज भुगतान तिथि और/या मोचन तिथि से 15 दिन पूर्व होगी।
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका को सूचीबद्ध	केवल डीमेट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
पुटऑप्शन	कुछ नहीं
मांग विकल्प	निम्नांकित सभी शर्तों को स्वीकृत करने के पश्चात बैंक द्वारा कॉल विलल्प का प्रयोग किया जाएगा।
	<p>क. लिखत कम से कम पाँच वर्षों तक जारी है।</p> <p>ख. भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व मंजूरी प्राप्त है।</p> <p>ग. (अ) लिखत को उसी की पूंजी या उससे बहतर गुणवत्ता से भर्ती किया जाता है एवं यह पूंजी की भर्ती उन शर्तों पर किया जाता है जो बैंक की आय क्षमता हेतु धारणीय हो। या</p> <p>ग. (आ) कॉल विकल्प कि प्रयोग के पश्चात, बैंक प्रदर्शित करेगा कि उसकी पूंजी स्तर न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से पर्याप्त अधिक है।</p> <p>न्यूनतम का अर्थ है जोखिम-भारित आस्तियाँ (आर डब्ल्यू ए) (आर डब्ल्यू ए की 2.5% की पूंजी संतुलित बफर को मिला कर) की 8% की सामान्य ईक्विटी टायर I एवं पिलर-2 के अंतर्गत आर डब्ल्यू ए की कुल पूंजी की 11.5% जो अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के साथ है।</p> <p>भा.रि.बैं. की लागू दिशा-निर्देशानुसार (अव्यवहार्यता की बिंदु) पीओएनवी पर अपलिखत करें।</p>
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	क्रिसिल ए ए+ / मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा स्थिर एवं मेसर्स केर रेटिंग द्वारा केर ए ए+ (डबल ए प्लस)
स्टेप-अपऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अपऑप्शनसहितकूपन	लागू नहीं।
व्यवसायदिनपरिभाषा	व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर, तेलंगाणा में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों। यदि कोई कूपन भुगतान तारीख उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-II Bonds - Series A
<b>Nature of Instrument</b>	Debentures
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A08026
<b>Issue size</b>	Rs.5000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	10 years
<b>Coupon Rate</b>	8.58% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 16th September
<b>Date of allotment</b>	16.09.2015
<b>Date of maturity</b>	16.09.2025
<b>Record date</b>	The Reference Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	<p>Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below :</p> <p>a) The instrument has run for at least five years;</p> <p>b) Prior approval of Reserve Bank of India;</p> <p>c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2.</p> <p>WRITE OFF AT THE PONV (POINT OF NON VIABILITY) as per applicable RBI guidelines.</p>
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	CRISIL AA+/Stable by M/s.CRISIL Limited and CARE AA+(Double A Plus) by M/s.CARE Ratings
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the next business day without liability for making payment of interest for the delayed period.



निर्गमकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, पुर्नभुगतान योग्य बेसल III अनुपालित टायर-II बॉन्ड-सिरीज बी
लिखत की प्रकृति	डिबेंचर
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए08034
निर्गम आकार	रु.5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	10 वर्ष
कूपन दर	8.63% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक
ब्याज अदायगी	प्रत्येक वर्ष 18दिसंबर को
आबंटन की तारीख	18.12.2015
परिपक्वता की तारीख	18.12.2025
रिकार्ड तारीख	ब्याज की भुगतान / मूलधन चुकौती तिथि हेतु संदर्भ तिथि ब्याज भुगतान तिथि और/या मोचन तिथि से 15 दिन पूर्व होगी।
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
पुटऑप्शन	कुछ नहीं
मांग विकल्प	निम्नांकित सभी शर्तों को स्वीकृत करने के पश्चात बैंक द्वारा कॉल विलल्प का प्रयोग किया जाएगा । क. लिखत कम से कम पाँच वर्षों तक जारी है । ख. भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व मंजूरी प्राप्त है । ग. (अ) लिखत को उसी की पूंजी या उससे बहतर गुणवत्ता से भर्ती किया जाता है एवं यह पूंजी की भर्ती उन शर्तों पर किया जाता है जो बैंक की आय क्षमता हेतु धारणीय हो । या ग. (आ) कॉल विकल्प कि प्रयोग के पश्चात, बैंक प्रदर्शित करेगा कि उसकी पूंजी स्तर न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से पर्याप्त अधिक है । न्यूनतम का अर्थ है जोखिम-भारित आस्तियाँ (आर डब्ल्यू ए) (आर डब्ल्यू ए की 2.5% की पूंजी संतुलित बफर को मिला कर) की 8% को सामान्य ईक्विटी टायर I एवं पिलर-2 के अंतर्गत आर डब्ल्यू ए की कुल पूंजी की 11.5% जो अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के साथ है । भा.रि.बैं. की लागू दिशा-निर्देशानुसार (अव्यवहार्यता की बिंदु) पीओएनवी पर अपलिखत करें ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	क्रिसिल ए ए+ / मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा स्थिर एवं मेसर्स केर रेटिंग द्वारा केर ए+ (डबल ए प्लस)
स्टेप-अपऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अपऑप्शनसहितकूपन	लागू नहीं।
व्यवसायदिनपरिभाषा	व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर, तेलंगाणा में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों । यदि कोई कूपन भुगतान तारीख उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-II Bonds - Series B
<b>Nature of Instrument</b>	Debentures
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A08034
<b>Issue size</b>	Rs.5000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	10 years
<b>Coupon Rate</b>	8.63% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 18th December
<b>Date of allotment</b>	18.12.2015
<b>Date of maturity</b>	18.12.2025
<b>Record date</b>	The Reference Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	<p>Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below :</p> <p>a) The instrument has run for at least five years;</p> <p>b) Prior approval of Reserve Bank of India;</p> <p>c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2.</p> <p>WRITE OFF AT THE PONV (POINT OF NON VIABILITY) as per applicable RBI guidelines.</p>
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	CRISIL AA+/Stable by M/s.CRISIL Limited and CARE AA+(Double A Plus) by M/s.CARE Ratings
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the next business day without liability for making payment of interest for the delayed period..





निर्गमकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टायर-I परपेचुअल ऋण प्रलेख-लिखत - सिरीज II
लिखत की प्रकृति	डिबेंचर
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए08042
निर्गम आकार	रु.8000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	स्थायी
कूपन दर	10.95% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक
ब्याज अदायगी	प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को
आबंटन की तारीख	19.02.2016
परिपक्वता की तारीख	स्थायी
रिकार्ड तारीख	ब्याज की भुगतान / मूलधन चुकौती तिथि हेतु संदर्भ तिथि ब्याज भुगतान तिथि और/या मोचन तिथि से 15 दिन पूर्व होगी।
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
पुटऑप्शन	कुछ नहीं
मांग विकल्प	निम्नांकित सभी शर्तों को स्वीकृत करने के पश्चात बैंक द्वारा कॉल विलल्प का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प मांग तिथि : क. लिखत कम से कम पाँच वर्षों तक जारी है। ख. भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व मंजूरी प्राप्त है। ग.(अ) लिखत को उसी की पूंजी या उससे बहतर गुणवत्ता से भर्ती किया जाता है एवं यह पूंजी की भर्ती उन शर्तों पर किया जाता है जो बैंक की आय क्षमता हेतु धारणीय हो। या ग.(आ) कॉल विकल्प कि प्रयोग के पश्चात, बैंक प्रदर्शित करेगा कि उसकी पूंजी स्तर न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से पर्याप्त अधिक है। घ न्यूनतम का अर्थ है जोखिम-भारित आस्तियाँ (आर डब्ल्यू ए) (आर डब्ल्यू ए की 2.5% की पूंजी संतुलित बफर को मिला कर) की 8% की सामान्य ईक्विटी टायर I एवं पिलर-2 के अंतर्गत आर डब्ल्यू ए की कुल पूंजी की 11.5% जो अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के साथ है। भा.रि.बैं. की लागू दिशा-निर्देशानुसार (अव्यवहार्यता की बिंदु) पीओएनवी पर अपलिखित करें।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा क्रिसिल ए ए- /स्थिर
स्टेप-अपऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अपऑप्शनसहितकूपन	लागू नहीं।
व्यवसायदिनपरिभाषा	व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर, तेलंगाणा में व्यवसाय हेतु कर्मशियल बैंक खुले हों। यदि कोई कूपन भुगतान तारीख उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है,बीचकी अवधिहेतुदेय अतिरिक्तब्याज समेतबकायेका भुगतान अगलेकार्य-दिवसपरकियाजायेगा। आगे, उस अतिरिक्त अवधि हेतु प्रदत्त ब्याज का अगले कूपन भुगतान तिथि पर देय ब्याज से कटौती किया जाएगा।



<b>Name of the Issuer</b>	Andhra Bank
<b>Type of Instrument</b>	Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments - Series II
<b>Nature of Instrument</b>	Debentures
<b>Mode of Issue</b>	Private Placement
<b>ISIN No.</b>	INE434A08042
<b>Issue size</b>	Rs.8000.00 Million
<b>Face Value</b>	Rs.10,00,000/- per bond
<b>Tenor</b>	Perpetual
<b>Coupon Rate</b>	10.95% per annum
<b>Coupon Type</b>	Fixed
<b>Interest payment frequency</b>	Annual
<b>Interest payment</b>	Every year on 19th February
<b>Date of allotment</b>	19.2.2016
<b>Date of maturity</b>	Perpetual
<b>Record date</b>	The Reference Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the relevant interest payment date or the redemption date.
<b>Issue/Trading mode of the instrument</b>	Demat only
<b>Listed on</b>	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
<b>Put Option</b>	None
<b>Call Option</b>	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all of the below mentioned conditions: Optional Call Date..(a) The instrument has to run for atleast 5 years; (b) With the prior approval of Reserve Bank of India; (c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank OR (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised. Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including additional capital requirements identified under Pillar 2.
<b>Trustees</b>	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	M/s.CRISIL: CRISIL AA-/Stable (Double A Minus)
<b>Step-up Option</b>	None
<b>Coupon with Step-option</b>	Not applicable
<b>Business Day definition</b>	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the immediately succeeding Business Day along with interest for such additional period. Further, interest for such additional period so paid, shall be deducted out of the interest payable on the next coupon payment date.



निर्गमकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय तथा पुर्नभुगतान योग्य बेसल III अनुपालित टायर-II बॉण्ड - सिरीज सी
लिखत की प्रकृति	डिबेंचर
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए08059
निर्गम आकार	रु.10000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	10 वर्ष
कूपन दर	8.65% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक
ब्याज अदायगी	प्रत्येक वर्ष 27 जून को
आबंटन की तारीख	27.06.2016
परिपक्वता की तारीख	27.06.2026
रिकार्ड तारीख	ब्याज की भुगतान / मूलधन चुकौती तिथि हेतु संदर्भ तिथि ब्याज भुगतान तिथि और/या मोचन तिथि से 15 दिन पूर्व होगी।
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
पुटऑप्शन	कुछ नहीं
मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्प का प्रयोग निम्न शर्तों का विषय है : (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भा रि बैं के पूर्वानुमोदन से ; (ग) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो अथवा बैंक स्पष्ट करे कि कॉल-आप्शन के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । या न्यूनतम से तात्पर्य है 8% आर डब्ल्यू ए का कॉमन ईक्विटी टायर, 1 (आर डब्ल्यू के 2.5% के कैपिटल कनजरवेशन बफर सहित) तथा इच्छुम्ब-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित 11.5% की कुल पूंजी । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार (अव्यवहार्ता बिन्दु) पीओएनवी को अपलिखित करें ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	नकारात्मक द्वारा मैसर्स क्रिसिल लिमिटेड तथा मैसर्स केयर रेटिंग द्वारा केयर एए+ (डबल ए+)
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद, तेलंगाना शहर में व्यवसाय हेतु कमर्शियल बैंक खुले हों) तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।



<b>Name of the Issuer</b>	<b>Andhra Bank</b>
Type of Instrument	Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-2 Bonds - Series C
Nature of Instrument	Debentures
Mode of Issue	Private Placement
ISIN No.	INE434A08059
Issue size	Rs. 10000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	10 years
Coupon Rate	8.65% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every Year on 27th June
Date of allotment	27.06.2016
Date of maturity	27.06.2026
Record date	The Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) The instrument has run for at least five years; b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2. WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY) .. as per applicable RBI Guidelines.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CRISIL AA+/Negative by M/s CRISIL Limited and CARE AA+ (Double A Plus) by M/s CARE Ratings
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day definition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon date falls on a Day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day along with interest for such additional period. Further, interest for such additional period so paid, shall be deducted out of the interest payable on the next Coupon Payment Date. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date ) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date on a Day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.



निर्गमकर्ता का नाम	आन्ध्रा बैंक
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टायर-I परपेचुअल ऋण प्रलेख-लिखत - सिरीज III
लिखत की प्रकृति	डिबेंचर
निर्गम का तरीका	निजी स्थान नियोजन
आईएसआई संख्या	आईएनई434ए08067
निर्गम आकार	रु.9000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
परिपक्वता काल	स्थायी
कूपन दर	10.99% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज अदायगी अंतराल	वार्षिक
ब्याज अदायगी	प्रत्येक वर्ष 5 अगस्त को
आबंटन की तारीख	05.08.2016
परिपक्वता की तारीख	स्थायी
रिकार्ड तारीख	ब्याज की भुगतान / मूलधन चुकौती तिथि हेतु संदर्भ तिथि ब्याज भुगतान तिथि और/या मोचन तिथि से 15 दिन पूर्व होगी।
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
पुट ऑप्शन	कुछ नहीं
मांग विकल्प	बैंक द्वारा माँग विकल्प का प्रयोग निम्न शर्तों का विषय है : (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भा रि बैं के पूर्वानुमोदन से ; (ग) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो अथवा बैंक स्पष्ट करे कि काल-आपन के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है। (या)  न्यूनतम से तात्पर्य है 8% आर डब्ल्यू ए का कॉमन ईक्विटी टीयर -1 (आर डब्ल्यू के 2.5% के कैपिटल कन्जरवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित 11.5% की कुल पूंजी। # भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार (अव्यवहार्ता बिन्दु) पीओएनवी को अपलिखित करें।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा क्रिसिल एए+ /स्थायी एण्ड मेसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा केयर एए+ (डबल ए प्लस)
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन होगा जब हैदराबाद शहर, तेलंगाना के सभी वाणिज्यिक बैंक व्यवसाय के लिये खुले होंगे। यदि कोई कूपन भुगतान दिनांक ऐसे दिन जो कि व्यवसाय दिवस नहीं है, पर पड़ती है तो भुगतान अगले कार्य दिवस पर देय ब्याज के साथ दिया जाएगा और आगे ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिये भुगतान किये गये ब्याज को अगले कूपन भुगतान दिनांक को देय ब्याज में से काटा जाएगा। यदि पुनर्भुगतान दिनांक (इसे कूपन भुगतान भी कहा जाता है) ऐसे दिन जो व्यवसाय दिवस नहीं है, पर पड़ती है तो पुनर्भुगतान राशि को बैंक द्वारा अगले कार्य दिवस पर भुगतान किया जाएगा बॉण्ड पर उपचित ब्याज के साथ, इस प्रकरण में अभिलेखन अवधि वह है जो कि व्यवसाय दिवस नहीं है, तो अगला कार्य दिवस जिस पर भुगतान किया गया है, को अभिलेखन दिनांक माना जाएगा।



<b>Name of the Issuer</b>	<b>Andhra Bank</b>
<b>Type of Instrument</b>	<b>Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Bonds - Series III</b>
<b>Nature of Instrument</b>	<b>Debentures</b>
<b>Mode of Issue</b>	<b>Private Placement</b>
<b>ISIN No.</b>	<b>INE434A08067</b>
<b>Issue size</b>	<b>Rs. 9000.00 Million</b>
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	Perpetual
Coupon Rate	10.99% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every Year on 05th August
Date of allotment	05.08.2016
Date of maturity	Perpetual
Record date	The Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) The instrument has run for at least five years; b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2. WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY) .. as per applicable RBI Guidelines.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
<b>Credit Rating at the time of issue</b>	CARE AA- ( Double A Minus) by M/s CARE Ratings and CRISIL AA-/ Negative by M/s CRISIL
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day definition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, Telangana. If any Coupon Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day along with interest for such additional period. Further, interest for such additional period so paid, shall be deducted out of the interest payable on the next Coupon Payment Date. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date falls on a day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.



## सारणी डीएफ-16 ईक्विटी-बैंकिंग बुक पोजीशन हेतु प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण

ईक्विटी जोखिम के संकर्म में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता के अंतर्गत :

<ul style="list-style-type: none"> <li>शेयर पूंजी में अंतर जिन पर पूंजीगत लाभ का प्रत्याशित है एवं वह अन्य उेश्यों के अंतर्गत लिया गया हो जैसे संबंध एवं कार्यनीतिक कारण एवं</li> </ul>	<p>छोटी अवधि पूंजीगत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ईक्विटी होल्डिंग ऑफ कोटेड शेयर्स एवं ईक्विटी ओरियटेड म्यूचुअल फंड को अर्जित किया है। लंबी अवधि पूंजीगत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ईक्विटी होल्डिंग ऑफ अनकोटेड शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स एवं वेंचर कैपिटल फंड को अर्जित किया है। हमारे पास संबंध एवं कार्यनीतिक कारण हेतु सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम में भी ईक्विटी होल्डिंग्स उपलब्ध है।</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>महत्वपूर्ण नीतियों की चर्चा जहाँ बैंकिंग बुक में ईक्विटी होल्डिंग की लेखांकन एवं मूल्यांकन सम्मिलित है। इसमें उपयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यांकन पद्धतियाँ समेकित है जिसमें आधारभूत कल्पनाएं एवं मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली पद्धतियाँ एवं इन पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी समेकित है।</li> </ul>	<p>बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) एवं ट्रेडिंग हेतु धारण(एचएफटी) के अंतर्गत शेयर्स पृथक रूप से लेखांकित है। वेंचर एन वेंचर कैपिटल फंड्स को फंड की गिरावट तिथि से 3 वर्षों तक परिपक्वता तक चारण(एचटीएम) में रखा जाएगा एवं उसके पश्चात बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) को अंतरण किया जाएगा।</p> <p>उद्धत भाव वाले शेयर्स की मूल्यांकन रिस्क की मार्केट मूल्य पर निर्भर है। गैर उद्धत वाले शेयर्स के मूल्यांकन कंपनी की नवीन तुलन पत्र से निश्चित किया गया विश्लेषित मूल्य पर निर्भर होगा। प्राइवेट ईक्विटी वेंचर कैपिटल फंड की मूल्य कंपनी की निवल आस्ति मूल्य पर निर्भर होगा। जहाँ परिपक्वता तक चारण(एचटीएम) के वेंचर कैपिटल फंड बही मूल्य में उपलब्ध रहेगा, वहीं बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) के वेंचर कैपिटल फंड्स की मूल्यांकन फंड की निवल आस्ति मूल्य पर निर्भर रहेगा। सहायक एवं संयुक्त वेंचर परिपक्वता तक चारण(एचटीएम) श्रेणी में उपलब्ध होगा एवं बही मूल्य में जारी रहेगा। चूंकि सभी पद्धतियाँ मूल्यांकन पर जारी भा रि बैं की मास्टर परिपत्र पर आधारित है, इन पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।</p>

### मात्रात्मक प्रकटीकरण

### (रुपये मिलियन में)

	बही मूल्य 31.03.2017	उचित मूल्य 31.03.2017
1 निवेश की तुलन पत्र में प्रकट किया गया मूल्य एवं उन निवेशों की उचित मूल्य; उद्धत भाव वाले प्रतिभूतियों हेतु, सार्वजनिक किया गया उद्धत भाव वाले शेयरोकी मूल की तुलना जहाँ शेयर मूल्य से उचित मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर है।	4806.58	5056.93
सार्वजनिक की गई उद्धत भाव वाले शेयर मूल्य जहाँ जहाँ शेयर मूल्य से उचित मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर है।	शून्य	शून्य
2 निवेश के प्रकार एवं प्रकृति, जहाँ धन राशि समेकित है जो निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है :	शून्य	शून्य
• सामूहिक रूप से ट्रेडिंग	शून्य	शून्य
• एफआई (आईएफसीआई)	शून्य	शून्य
• निजी रूप से उपलब्ध	4806.58	5056.93
वित्तीय निगम	शून्य	शून्य
जेवी (भारत में)	2159.00	2159.00
जेवी (भारत से बाहर)	1432.81	1432.81
आरआरबी	26.05	26.05
अनुषंगी (भारत में)	50.00	0.00
अनुषंगी (भारत से बाहर)	शून्य	शून्य
3 संचयी प्राप्त लाभ (हानि) जो रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री एवं परिसमापन से आविर्भाव हुआ	12.81	--
4 कुल अप्राप्त लाभ (हानि) 1	शून्य	--
5 अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि) 2	300.34	--



**Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions**

<b>(a) Qualitative Disclosures</b>			
1	The general qualitative disclosure requirement with respect to equity risk, including:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and</li> </ul>	Equity Holding of Quoted shares and units of Equity oriented Mutual Funds are acquired with a view to achieve short term capital gains. Equity Holding of Unquoted shares, Preference Shares and units of Venture Capital Funds acquired with a view to achieve long term capital gains. We also have equity holdings in Subsidiary, Associate and Joint Ventures for relationship and strategic reasons.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.</li> </ul>	Shares under AFS and HFT are accounted for separately. Value in Venture Capital Funds are held in HTM for 3 years from the date of drawdown and then transferred to AFS. The valuation of quoted shares is based on the Market value of the scrips. Unquoted shares are valued at break up value ascertained from the latest balance sheet of the company. Private Equity Venture Capital funds are valued based on the Net Asset Value of the Funds. While the Venture Capital Funds in HTM are carried at Book Value, the Venture Capital Funds under AFS are subjected to valuation based on the Net Asset Value of the Fund. Subsidiaries and Joint Ventures are held in HTM category and carried at Book Value. There have been no significant changes in these practices since the practices are based on RBI Master Circular on Valuations.	
		<b>(b) Quantitative Disclosures</b>	
		<b>(₹ in Million)</b>	
		<b>BOOK VALUE 31.03.2017</b>	<b>FAIR VALUE 31.03.2017</b>
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	4806.58	5056.93
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Nil	Nil
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:		
	• Publicly traded.	Nil	Nil
	Fis (IFCI)	Nil	Nil
	• Privately held.	4806.58	5056.93
	Financial Corporation	Nil	Nil
	JVs (In India)	2159.00	2159.00
	JVs (Outside India)	1432.81	1432.81
	RRBs	26.05	26.05
	Subsidiaries(In India)	50.00	0.00
	Subsidiaries(Outside India)	Nil	Nil
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	12.81	--
4	Total unrealised gains (losses)1	Nil	--
5	Total latent revaluation gains (losses)2	300.34	--





6	कोई भी उक्त धन राशि जो टियर-1 एवं/या टियर 2 पूंजी में समेकित है	--	--
7	उपयुक्त ईक्विटी समूह द्वारा पूंजी आवश्यकता में रुकावट, बैंक पद्धतियों से स्थिरता, संकलित राशियों एवं ईक्विटी निवेश के प्रकार, जहाँ पर्यवेक्षण संक्रमण हो या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के संदर्भ में उच्चतम सजावट के साथ	--	--

- 1 तुलन पत्र में पहचानी गई अप्राप्त लाभ (हानि) लेकिन लाभ व हानी खाता से नहीं ।
- 2 ना तुलन पत्र में और ना लाभ व हानि खाता में नहीं पहचानी गई ।



6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	--	--
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	--	--

1 Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account.

2 Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.



## सारणी डी एफ - 17 : लेखांकन अस्तियों की संक्षिप्त तुलना बनाम लिवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय

बैसल-III लिवरेज अनुपात का अर्थ है, पूंजी उपाय (टीयर - I पूंजी की जोखिम आधारित पूंजी रूपरेखा) को एक्सपोजर उपाय से बांटना, यह अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना। भा.रि.बैं. कि दिशा-निर्देशानुसार, समेकित स्तर पर बैंक हेतु लिवरेज अनुपात हेतु प्रकटीकरण 31 मार्च 2017 तक निम्नांकित है :

(रूपए मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित अस्तियाँ	2254463.28
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाई में निवेश हेतु समायोजन जो लेखांकन प्रयोजन हेतु समेकित हो लेकिन विनियमित समेकन की सीमा से बाहर है	31511.50
3	परिचालित लेखांकन रूपरेखा की तुलना पत्र की पहचानी गई प्रत्ययी अस्तियाँ हेतु समायोजन	--
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत हेतु समायोजन	--
5	प्रतिभूतियाँ वित्तीय लेनदेन हेतु समायोजन (याने रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	--
6	गैर-तुलन पत्र विषयों हेतु समायोजन (याने गैर-तुलन पत्र एक्सपोजर की ऋण समानांतर राशि की परिवर्तन)	202416.17
7	अन्य समायोजन	814.60
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोजर	<b>2424553.35</b>



**Table DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure**

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, expressed as a percentage. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank at the consolidated level at March 31, 2017 is as follows.

(₹ in Million)

S.No	Particulars	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	2254463.28
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	31511.50
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	-
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	202416.17
7	Other adjustments	814.60
8	<b>Leverage ratio exposure</b>	<b>2424553.35</b>



**डी एफ -18 लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैम्प्लेट**

(रुपये मिलियन में)

<b>लिवरेज अनुपात रूपरेखा</b>		
<b>तुलन पत्र एक्सपोजर पर</b>		<b>राशि</b>
1	तुलन पत्र विषयों पर (व्युत्पन्नी एवं एस.एफ.टी रहित लेकिन संपार्श्विक सहित )	2222951.78
2	(आस्ति का राशि बेसल-III टियर 1 पूंजी को निर्धारित करने में घटाया)	-814.60
3	कुल तुलन पत्र एक्सपोजर्स (व्युत्पन्नीयों एवं एस.एफ.टी रहित) (लाईन 1 एवं 2 की कुल)	2222137.18
<b>व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स</b>		<b>राशि</b>
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेन के साथ प्रतिस्थापित लागत (याने पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन की निवल)	252.20
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेन के साथ पीएफई हेतु राशि की जोड़	572.50
6	व्युत्पन्नी संपार्श्विक हेतु सकल दिए गए हैं जहाँ परिचालित खाता फ्रेमवर्क के तुलन पत्र आस्ति से आहरित है	-
7	(नकद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्ति योग्य आस्तियाँ का आहरण डेरिवेटिव लेन-देन में दिए गए हैं)	-
8	(ग्राहक-रहित व्यापार एक्सपोजर की छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9	बट्टे खाते ऋण डेरिवेटिव की समायोजित लागू कल्पित राशि	-
10	(बट्टे खाते डेरिवेटिव हेतु समायोजित लागू कल्पित ऑफसेट तथा ऐडऑन आहरण	-
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (लाईन 4 से 10 तक कुल)	824.70
<b>प्रतिभूति वित्तीकरण लेन-देन एक्सपोजर</b>		
12	समग्र एसएफटी आस्तियाँ (अज्ञात), समायोजन पश्चात	-
13	(देय नकद का ज्ञात राशि तथा समग्र एसएफटी आस्तियाँ प्राप्ति योग्य नकद)	-
14	एसएफटी आस्ति का सीसीआर एक्सपोजर	-
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तीकरण लेन-देन एक्सपोजर (लाईन 12 से 15 तक कुल)	-
<b>अन्य ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर</b>		
17	समग्र कल्पित राशि पर ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर	504965.34
18	(ऋण समतुल्य राशि के परिवर्तन हेतु समायोजन )	303373.87
19	ऑफ तुलन पत्र मदे (लाईन 17 तथा 18)	201591.47
<b>पूंजी तथा कुल एक्सपोजर</b>		
20	<b>टीयर 1 पूंजी</b>	143027.50
21	<b>कुल एक्सपोजर (लाईन 3,11,16 तथा 19 तक कुल)</b>	2424553.35
<b>लीवरेज अनुपात</b>		<b>5.90%</b>



**DF-18 – Leverage ratio common disclosure template**

(₹ in Million)

<b>Leverage ratio framework</b>		
<b>On-balance sheet exposures</b>		<b>Amount</b>
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2222951.78
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-814.60
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2222137.18
<b>Derivative exposures</b>		<b>Amount</b>
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	252.20
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	572.50
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	824.70
<b>Securities financing transaction exposures</b>		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
<b>Other off-balance sheet exposures</b>		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	504965.34
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	303373.87
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	201591.47
<b>Capital and total exposures</b>		
20	Tier 1 capital	143027.50
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2424553.35
<b>Leverage Ratio</b>		<b>5.90%</b>



## कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

### 1. कार्पोरेट गवर्नेंस - दर्शन

आन्धा बैंक का दर्शन ग्राहकों की निरंतर बदलती आवश्यकताओं के प्रति सदैव जागरूक रहना है। बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कार्पोरेट गवर्नेंस से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण में मदद मिलती है। इससे बैंक अपनी व्यावसायिक नीति के स्तर को बनाये रखता है और अपने सभी पणधारियों के लिए मूल्य में वृद्धि करता है। कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत हेतु उच्चस्तरीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पणधारियों में मूल्यों के निर्माण के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता आवश्यक है। संक्षेप में उद्देश्यों निम्न प्रकार हैं:

- नैतिक सिद्धांतों एवं देश के कानूनी ढांचे के अंदर पणधारियों के मूल्य को कायम रखना
- ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज सहित शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हित की रक्षा करना
- संप्रेषण में पारदर्शिता और एकीकरण को सुनिश्चित करना और सभी संबंधितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।

### 2. निदेशक मंडल

- 2.1 आन्धा बैंक का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के तहत तदनु रूप नए बैंक के रूप में किया गया है।
- 2.2 बोर्ड का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है।
- 2.3 बोर्ड के प्रमुख प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं जिनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1), खंड 6, और खंड 8 के उपखंड (1) के संदर्भ में की जाती है।
- 2.4 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अतिरिक्त बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यपालक निदेशक) की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है जो बोर्ड के भी सदस्य हैं। बैंक के कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) तथा खंड 8 के उपखंड (1) के तहत की जाती है।
- 2.5 31 मार्च 2017 को बोर्ड में 07 निदेशक हैं जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक (एक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और 2 कार्यपालक निदेशक हैं), एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। एक निदेशक भारिबैं की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, तथा दो निदेशक केंद्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(एच) एवं 9(3-क) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप खंड (1) के साथ पढ़े जाने वाले बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम, 1970/1980 के अंतर्गत, नामित हैं।
- 2.6 बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों का आयोजन आवर्ती अंतराल में किया जाता है और वे उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा, नीतिपरक कार्य और बैंक के व्यावसायिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती हैं।
- 2.7 नीति निर्धारण, कार्यनिष्पादन की समीक्षा और विश्लेषण जैसे दायित्व बोर्ड द्वारा निभाए जाते हैं। बोर्ड ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप कार्यपालकों और बैंक के कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार सौंपे हैं। बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अधिकारों की समीक्षा की जाती है और बैंक के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।
- 2.8 वार्षिक आधार पर बैंक की नीतियों की समीक्षा की जाती है और बदलते परिदृश्य तथा बाजार की मांगों के अनुरूप आवश्यक आशोधन किये जाते हैं।
- 2.9 बोर्ड के अध्यक्ष पूर्ण कालिक निदेशक हैं। बोर्ड में 31 मार्च, 2017 के अनुसार निम्न सदस्य हैं।

निदेशकों के प्रकार	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक	3
गैर- कार्यपालक	4 (जिनमें से 2 स्वतंत्र निदेशक हैं)
कुल	7



## CORPORATE GOVERNANCE REPORT

### 1. CORPORATE GOVERNANCE - PHILOSOPHY

The Philosophy of Andhra Bank is to continue to remain dynamic to the ever changing needs of the customers. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business. This, in turn, enables the Bank to maintain a level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The principles of Corporate Governance require the commitment of the Bank to attain high standard of transparency, accountability, responsibility and financial stability with the ultimate objective of building up values to the stakeholders. The objectives can be summed up as under:

- Upholding the shareholders value within the principles of ethics and legal framework of the country;
- to protect interest of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large;
- to ensure transparency and integration in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.

### 2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.
- 2.2 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.
- 2.3 The Board is headed by the Managing Director & CEO who is appointed by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India. The Managing Director & CEO is appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 6, and sub-clause (1) of clause 8 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.4 In addition to the Managing Director & CEO, two Whole-time Directors (Executive Directors) of the Bank are appointed by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India, who are also members of the Board. The Executive Directors of the Bank are appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.5 As on 31st March, 2017 there are 07(seven) Directors on the Board consisting of Three Whole Time Directors (one Managing Director & CEO and two Executive Directors), One Director who is an official of the Central Government nominated by it, One Director who is an Officer of Reserve Bank of India nominated by the Central Government on the recommendation of RBI, and two Directors nominated by the Central Government under Sec 9 (3)(h) & Sec 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) clause 3 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.6 The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of customer services, ethical practices and professional Management of the Bank.
- 2.7 The responsibilities such as policy formulations, performance review and analysis are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives, and Committees of Executives of the Bank in tune with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank.
- 2.8 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.
- 2.9 The Chairman of the Board is a Whole Time Director and the composition of the Board as on 31st March, 2017 is as under:

Type of Directors	No. of Directors
Executive	3
Non-executive	4 (out of which 2 are Independent Directors)
Total	07





## 2.10 वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के निदेशकों का प्रोफाइल

### 1. श्री सुरेश एन पटेल

वे 02.11.2015 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं। वह सीएआईआईबी सहित विज्ञान तथा कानून में स्नातक हैं तथा वर्ष 1981 में देना बैंक में कृषि अधिकारी के रूप में उन्होंने अपना बैंकिंग कैरियर प्रारम्भ किया। वे 01.02.2011 को महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए तथा 50,000 करोड़ रु. से अधिक के कुल व्यवसाय वाले, 8 अंचलों में 597 शाखाओं (47 सैटेलाइट कार्यालय सहित) सहित, गुजरात राज्य तथा 3 संघ-शासित प्रदेशों में परिचालन-दायित्व संभाला। उन्होंने गुजरात राज्य में एसएलबीसी के संयोजक तथा दादर नगर हवेली, दिऊ एवं दमन की संघ-शासित स्तर की बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) के संयोजक के रूप में भी कार्य किया। आन्ध्रा बैंक में वर्तमान संवर्ग में पदोन्नति से पूर्व, वे 01.01.2014 से ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में कार्यपालक निदेशक थे। आपको विभिन्न पदों का तीन दशक से अधिक का बैंकिंग अनुभव है।

### 2. श्री एस.के.कालरा

उन्होंने दि. 05.10.2012 को बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे विज्ञान में स्नातकोत्तर और एमबीए(वित्त) तथा सीएआईआईबी हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में इलाहाबाद बैंक में सेवारंभ की। उन्हें बैंक में 31 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने परिचालन, औद्योगिक वित्त और कार्पोरेट ऋण में विभिन्न पदों पर कार्य किया और परिचालन, कार्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय और औद्योगिक वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें अच्छा अनुभव प्राप्त है। उन्होंने विभिन्न अंचलों के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे इलाहाबाद बैंक में महा प्रबंधक राजकोष शाखा के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्हें दिनांक 15.05.2015 से 01.11.2015 तक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

### 3. श्री अजीत कुमार रथ

उन्होंने दि. 13.03.2015 को बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे एएमआईई (इलेक्ट्रोनिक्स व टेलिकॉम) सहित एक इंजीनियर हैं। उन्होंने स्केल-III संवर्ग में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जुआइन किया तथा वर्ष 2000-2001 में कार्य किया। बाद में उन्होंने वेतनमान IV में यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2001 में जुआइन किया तथा 12 मार्च 2015 तक कार्य किया। यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने कैरियर के दौरान वे महा प्रबंधक संवर्ग तक पदोन्नत हुए। यूनिनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वे स्विफ्ट इंडिया डोमस्टिक सर्विसेस प्रा.लि. के बोर्ड में निदेशक थे। वे एनपीसीआई/स्विफ्ट इंडिया व स्टार यूनिनियन दाईची बीमा कंपनी के तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य थे।

### 4. श्री आनंदराव विष्णु पाटिल

उन्होंने भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में दिनांक 30.09.2013 को बोर्ड में जुआइन किया। वे तमिलनाडु संवर्ग के वर्ष 1998 बैच के आईएएस हैं। उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी, कमिश्नर, जिला मैजिस्ट्रेट, सचिव, संयुक्त-आयुक्त, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यमों के माननीय मंत्री के निजी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माननीय मंत्री के निजी सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माननीय मंत्री के निजी सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, माइक्रो एवं लघु एवं मध्यम उद्यमी (एमएसएमई) मंत्री के निजी सचिव जैसे - विभिन्न पदों पर कार्य किया। वर्तमान में वे संयुक्त सचिव, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली हैं।

### 5. श्री ई ई कार्तिक

वे जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। वर्तमान में वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलूरु हैं। वे दिनांक 13.03.2014 से बोर्ड में भारिबैंक के नामिती निदेशक हैं। उन्हें विभिन्न पदों का 29 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है। वे भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो चरणों में वर्ष 1991 से 1993 तथा वर्ष 2002 से 2008 तक रहे। उन्होंने प्रभारी अधिकारी के रूप में सिक्किम में परिचालन प्रारंभ किया तथा वर्ष 2013 तक उसके प्रमुख रहे।

### 6. श्री के तामरसेलवन

वे विधि में स्नातक हैं तथा वाणिज्यिक में स्नातकोत्तर एवं सीएआईआईबी हैं। उन्होंने वर्ष 1985 में लिपिक के रूप में बैंक जुआइन किया और वर्तमान में पोरूर शाखा, चेन्नई अंचल में विशेष सहायक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में आप एआईबीईए के सामान्य परिषद सदस्य, अखिल भारतीय आन्ध्रा बैंक पंचाट कर्मचारी यूनिनियन के उप महा सचिव, तमिलनाडु बैंक कर्मचारी फेडरेशन के केन्द्रीय समिति सदस्य तथा आन्ध्रा बैंक कर्मचारी यूनिनियन, मद्रास के महा सचिव हैं।

### 7. डॉ. नैना शर्मा

उन्होंने बोर्ड में दि. 12.12.2013 को जुआइन किया। वे सोशियोलोजी में स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट हैं। वे सोशियोलोजी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रोफेसर हैं। उन्हें वर्ष 2012 में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक तथा "शिक्षा रत्न पुरस्कार" प्रदान किया गया। उन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा "सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार" प्राप्त हुआ है। पूर्व में, वे वर्ष 2008 से 2011 के दौरान युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक रहीं। समाजिक विज्ञान के जर्नलों में सोशियोलोजी पर उनके विभिन्न लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने "भारत में बैंकिंग तथा समाजिक परिवर्तन" तथा "बुक वैल्यू एजूकेशन एवं सोशल ट्रांसफार्मेशन" नामक दो पुस्तकें तथा समाज शास्त्र पर विभिन्न लेख लिखे। उन्होंने नैतिक शिक्षा पर कई राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनकी व्यापक प्रशंसा हुई।



## **2.10 Profile of Directors on the Board during the Year 2016-17**

### **1. Sri Suresh N Patel**

He is the Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. 02.11.2015. He is a Graduate in Science and Law with CAIIB and started his banking career as Agriculture Officer in Dena Bank in 1981. He was promoted as General Manager on 01.02.2011 and assumed operational responsibility of Gujarat State and 3 Union Territories comprising of 597 branches (inclusive of 47 Satellite Offices) in 8 Zones, having total business mix of more than Rs.50,000 crore. He also acted as the Convener of SLBC in the State of Gujarat and also of Union Territory Level Banker's Committee (UTLBC) for Dadra Nagar Haveli, Diu and Daman. Prior to the elevation to the present cadre in Andhra Bank, he was Executive Director in Oriental Bank of Commerce since 01.01.2014. Having worked in various assignments, he has over three decades of rich Banking experience.

### **2. Sri S.K. Kalra**

He joined as an Executive Director in the Bank on 05.10.2012. He is a Post Graduate in Science and MBA (Finance) with CAIIB. He joined Allahabad Bank as Probationary Officer during 1981; he had 31 years of experience in the Bank. He worked in various capacities in Operations, Industrial Finance, and Corporate Credit and acquired good exposure in various fields like Operations, Corporate Credit, International and Industrial Finance. He also served as Zonal Head of various Zones. Before joining the Bank as an Executive Director he was heading Treasury Branch in Allahabad Bank as General Manager. He had been given an additional charge of the Managing Director & Chief Executive Director of the Bank from 15.05.2015 till 01.11.2015.

### **3. Sri Ajit Kumar Rath**

He assumed charge as Executive Director of the Bank on 13.03.2015 for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier U/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub clause (1) of clause 3 and sub clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980. He joined Union Bank of India in Scale IV cadre in 2001 and worked till 12th March 2015. During his career in Union Bank of India, he was elevated upto General Manager Cadre. He was a Director on the Board of Swift India Domestic Services Pvt. Ltd., on behalf of Union Bank of India. He was a member of Technical Advisory Committee of NPCI / SWIFT India & Star Union Daichi Insurance Company.

### **4. Sri Anandrao Vishnu Patil**

He joined the Board on 30.09.2013 as Nominee Director of Government of India. He is an IAS, 1998 Batch of Tamil Nadu Cadre. He worked in various capacities like Additional Collector and Project Officer, Commissioner, District Magistrate, Secretary, Joint Commissioner, PS to Hon'ble Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, PS to Hon'ble Minister of Rural Development and Minister of Panchyati Raj, PS to Hon'ble Minister of Science & Technology, Minister of Earth Science, Minister of Micro, and Small & Medium Enterprises (MSME), Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance. Presently, he is Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi.

### **5. Sri E.E. Karthak**

He is post graduate in Political Sciences from Jawaharlal Nehru University, Delhi. Presently he is Regional Director, RBI, Bengaluru. He is Nominee Director of Reserve Bank of India on the Board since 13.03.2014. He has 29 years of Banking experience in various capacities. He was also with Government of India on deputation basis in two phases 1991 to 1993 and 2002 to 2008. He started operations in Sikkim as Officer-in-Charge and continued to head till 2013.

### **6. Sri K. Thamaraiselvan**

He is a Graduate in Law and a Post Graduate in Commerce with CAIIB. Joined as a Clerk in 1985 and presently working as Single Window Operator-B at Porur Branch, Chennai Zone. He is presently General Council Member AIBEA, Deputy General Secretary, All India Andhra Bank Award Employees Union, Central Committee Member Tamilnadu Bank Employees Federation, General Secretary Andhra Bank Employees Union Madras.

### **7. Dr. Naina Sharma**

She joined the Board on 12.12.2013. She is a Post Graduate and Doctorate in Sociology. She is a Professor in the Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur. She has been awarded "Best Citizen of India", "Shiksha Ratan Puraskar" by India International Friendship Society during 2012 and recipient of "Best Teacher Award" from various organizations. Earlier she was a Director on the Board of United Bank of India during the period 2008 – 2011. She has published various articles on Sociology in Social Science Journals and has authored two books titled 'Banking and Social Change in India' and 'Book Value Education and Social Transformation'. Also had organized a number of National Conferences on Moral Education, etc which has been widely appreciated.



**8. श्री अमित गोयल**

उन्होंने बोर्ड में दि.18.02.2014 को जुआइन किया और वे वाणिज्य एवं विधि में स्नातक हैं। वे “समावेशी प्रगति - सामूहिक शासन” नीति पर कार्य करते हैं। वे वर्तमान में आंचलिक सांस्कृतिक समितियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा हेतु समन्वयक समिति के पूर्ण-कालिक सलाहकार हैं। पूर्व में, वे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों तक सांस्कृतिक पहुंच हेतु स्थापित उच्च-स्तरीय समिति के पूर्ण-कालिक सलाहकार थे, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड सरकार के सलाहकार रहे। वर्ष 2006-08 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आरबीएच) तथा भारतीय उद्योग-सीआईआई कनफेडरेशन के भी सलाहकार रहे।

वे सार्वजनिक माल एवं सेवाओं की कुशल सुपुर्दगी हेतु पंचायतों के लीवरेज की विशेषज्ञ समिति के सलाहकार-सचिव रहे।

श्री गोयल महिला एसएचजी आंदोलन, कलाकारों एवं कारीगरों के जीविका-स्तर में सुधार, कमजोर-वर्गों के वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन, माइक्रो फाइनेंस तथा कौशल विकास के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने कई डाक्युमेंटरी फिल्में बनाई हैं तथा “थिंक इंडिया”-भारत-केंद्रित तिमाही जर्नल का संपादन भी करते हैं।

**9. श्री ए कृष्ण कुमार**

उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से दि.14.03.2015 से दि.13.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक चुना गया है। उन्होंने अपना करियर 1975 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में प्रारम्भ किया था। उन्होंने एसबीआई में अहमदाबाद में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रभारी उप महा प्रबंधक तथा बाद में बैंक के हैदराबाद सर्कल के सर्कल वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात् महा प्रबंधक के रूप में वे बैंक के कार्पोरेट केंद्र में मानव संसाधन विभाग में अध्ययन एवं विकास के प्रभारी रहे। सितम्बर, 2004 में वे बैंक के चंडीगढ़ सर्कल में महा प्रबंधक के रूप में तैनात किए गए, अगली पदोन्नति पर उन्होंने मुख्य महा प्रबंधक के रूप में बैंक के मध्यम कार्पोरेट समूह को सम्भाला। अक्टूबर 2007 में वे मुख्य महा प्रबंधक के रूप में बैंक के पटना सर्कल में तैनात किए गए। उप प्रबंध निदेशक के रूप में वे बैंक के कार्पोरेट केंद्र में जुलाई 2009 से अप्रैल 2011 तक बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख रहे।

उन्हें अप्रैल 2011 में प्रबंध निदेशक व ग्रूप कार्यपालक के रूप में पदोन्नति मिली और राष्ट्रीय बैंकिंग का कार्यभार सौंपा गया। इस कार्य के दौरान वे लगभग 16000 शाखाओं में फैले संपूर्ण खुदरा जमा, वाणिज्यिक ऋण, कृषि ऋण, आवास ऋण, आटो ऋण और अन्य खुदरा ऋण सहित एसबीआई के संपूर्ण खुदरा व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें अप्रैल 2014 में 36 देशों में एसबीआई के 190 कार्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों की निगरानी का कार्य सौंपा गया। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तीन अनुषंगी कार्यालयों, एसबीआई जीवन बीमा, एसबीआई सामान्य बीमा और एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बोर्ड में भी रहे। नवम्बर 2014 में अधिवर्षिता तक वे बैंक के लिए नीति बनाने तथा रणनीति तैयार करने के लिए प्रमुख व्यक्ति थे।

**10. श्री जी शिवकुमार**

उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से दि.14.03.2015 से दि.13.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक चुना गया है। वे आईआईटी, मद्रास के बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग), इलिनोयस् विश्वविद्यालय, अरबनाकैम्पेन, युएसए से पीएचडी हैं। वे सितम्बर 1988 से अगस्त 1991 तक दिलावेर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइन्स विभाग में सहायक प्रोफसर थे। अगस्त 1991 से वे कंप्यूटर साइन्स एवं इंजिनियरिंग के प्रोफसर के रूप में आईआईटी, मुम्बई में कार्यरत हैं।

उन्हें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन व वेरिफिकेशन, थियोरम प्रूविंग, नेटवर्क सुरक्षा व प्रबंधन के शोध में रुचि है। टर्म री-राइटिंग पर आईएफआईपी कार्यकारी ग्रूप (डब्ल्यू जी 1.6) के एक स्थापक सदस्य हैं। वे स्थाई समिति, कंप्यूटिंग विज्ञान शोध हेतु भारतीय संघ (आईएआरसीएस) के सदस्य हैं। वे आईआईटी मुम्बई के गवर्नरों के बोर्ड (2006-2007) में सीनेट नामिती, आईडीआरबीटी(2005 से) के शासकीय कॉउन्सिल के सदस्य, आरबीआई, सीसीआईएल, एनएसडीएल, एसईबीआई के आईटी सलाहकार समिति के सदस्य, ओपन सोर्स साफ्टवेयर रिसोर्स सेंटर (ओएसएसआरसी) के स्थापक सदस्य, ई-गवर्नेन्स में मुक्त मानकों के लिए इंटरओपरेबिलिटी फ्रेमवर्क समिति के अध्यक्ष थे।

**2.11 वर्ष 2016-2017 के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम : शून्य**

**2.12 वर्ष 2016-2017 के दौरान निदेशक के रूप में अवधि समाप्त व्यक्तियों के नाम :**

निदेशक का नाम	अवधि-समाप्ति तिथि
श्री के तामरसेलवन, वर्कमेन कर्मचारी निदेशक	25.11.2016
डॉ. नैना शर्मा, अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक	12.12.2016
श्री अमित गोयल, अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक	18.02.2017



**8. Sri Amit Goel**

He joined the Board on 18.02.2014 and is a Graduate in Commerce and Law. He works in the space of policy for 'inclusive growth – inclusive governance'. He is currently a full time Adviser to a Coordination Committee for Zonal Cultural Committees. Earlier he was a full time Adviser to the High Powered Committee for review of the functioning of Zonal Cultural Centres set up for cultural outreach of the underprivileged sections of society in rural and urban areas, Adviser to the Government of Chattisgarh and Uttarakhand. He was also Adviser to Confederation of Indian Industry – CII and full time Adviser, Rural Business Hubs (RBH) in the Ministry of Panchayat Raj, Government of India during 2006-08.

Further he was Adviser-Secretary to the Expert Committee on leveraging Panchayats for efficient delivery of public goods and services.

Shri Goel is a strong votary of women SHG movement, promotion of livelihoods of artistes and artisans, financial and digital inclusion of the underprivileged, micro finance and skills development. He has made a number of documentary films and edits, Think India, an India centric quarterly journal.

**9. Sri A. Krishnakumar**

He has been elected as Director from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2015 for a period of three years till 13.03.2018. He had started his career in 1975 as a Probationary Officer in State Bank of India. During last 15 years in State Bank of India, he worked as Deputy General Manager in-charge of Commercial Banking at Ahmedabad and later Circle Financial Officer in the Hyderabad Circle of the Bank. Subsequently as General Manager he was in-charge of Learning and Development in the Human Resources Department at the Bank's Corporate Centre. In September 2004, he was posted as General Manager in the Bank's Chandigarh Circle, On his next promotion, he handled the Mid Corporate Group of the Bank as its Chief General Manager. In October 2007, he was posted as the Chief General Manger of the Bank's Patna Circle. As Deputy Managing Director he headed the Bank's Information Technology Department from July 2009 till April 2011 in the Bank's Corporate Centre.

He was elevated as Managing Director & Group Executive in April 2011 and given charge of National Banking. In this assignment, he was responsible for the entire Retail Business of SBI covering the entire gamut of Retail Deposits, Commercial Loans, Agricultural Loans, Home Loans, Auto Loans and other Retail Loans spread over nearly 16000 branches. In April 2014, he was assigned the task of overseeing the International Operations of SBI covering 190 offices in 36 countries. He was also on the Boards of SBI Life Insurance, SBI General Insurance, and SBI Credit Cards, three subsidiaries of State Bank of India. He was one of the key persons in policy making and formulating the strategies for the Bank till his superannuation in November 2014.

**10. Sri G. Sivakumar**

He has been elected as Director from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2015 for a period of three years till 13.03.2018. He is a B.Tech (Electrical Engineering) IIT, Madras, Ph.D. (Computer Science) from University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. He was Assistant Professor, Computer Science Department, University of Delaware from Sept 1988 to August 1991. Since August 1991 he is working as Professor in Computer Science and Engineering, IIT Bombay.

His research interests are Formal Specification and Verification, Theorem Proving, Network Security and Management. He is one of the Founder Members of the IFIP Working Group (WG 1.6) on Term Rewriting. He is Steering Committee Member, Indian Association for Research in Computing Sciences (IARCS). He was Senate Nominee on IIT Bombay's Board of Governor's (2006-2007). Member of Governing Council of IDRBT (since 2005); Member, IT Advisory Committee of RBI, CCIL, NSDL, SEBI; Founder Member of Open Source Software Resource Centre (OSSRC); Chair, Interoperability Framework Committee for Open Standards in E-governance.

**2.11 Names of persons who were appointed as Directors during the year 2016-17: NIL**

**2.12 Names of persons who ceased to be Directors during the year 2016-17**

Name of the Director	Date of Cessation
Shri K. Thamaraiselvan, Workmen Employee Director	w.e.f. 25.11.2016
Dr. Naina Sharma, Part-time Non-Official Director	w.e.f. 12.12.2016
Shri Amit Goel, Part-time Non-Official Director	w.e.f. 18.02.2017



## 2.13 वर्ष 2016-2017 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को निदेशक मंडल की 09 बैठकें हुई :-

07.05.2016	06.08.2016	27.12.2016
30.05.2016	19.09.2016	09.02.2017
20.07.2016	11.11.2016	27.03.2017

दि.01.04.2016 से दि. 31.03.2017 की अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित बोर्ड की बैठकों एवं प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम / प्रकार	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	20.07.2016 को हुई 16 वीं एजीएम में उपस्थिति	शेयरों की संख्या
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	उपस्थित	शून्य
श्री एस के कालरा कार्यपालक निदेशक	01.04.2016 to 31.03.2017	09	08	उपस्थित	शून्य
श्री अजीत कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	उपस्थित	शून्य
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल भारत सरकार के नामित निदेशक	01.04.2016 to 31.03.2017	09	शून्य	अनुपस्थित	शून्य
श्री ई ई कार्तिक भारिबैंक नामिभारिबैंकती निदेशक	01.04.2016 to 31.03.2017	09	08	अनुपस्थित	शून्य
श्री के तामरैसेलवन कामगार कर्मचारी के प्रतिनिधि निदेशक	01.04.2016 to 24.11.2016	06	06	अनुपस्थित	शून्य
डा. नैना शर्मा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2016 to 11.12.2016	06	06	उपस्थित	शून्य
श्री अमित गोयल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2016 to 17.02.2017	08	08	उपस्थित	शून्य
श्री ए कृष्णकुमार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	उपस्थित	200
श्री जी शिवकुमार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	अनुपस्थित	100

## 2.14 बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है, जो बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों की गवर्नेंस और बैंक के मामलों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान देती हैं :

- प्रबंधन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- अनुशासनिक कार्रवाई समिति
- उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों पर निगरानी हेतु विशेष समिति
- स्टैकहोल्डर संबंध समिति
- शेयर अंतरण समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- ऋण अनुमोदन समिति
- मानव संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति
- एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक
- इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति



**2.13 During the year 2016-17, the Board of Directors met on 09 (nine) occasions on the following dates:**

07.05.2016	06.08.2016	27.12.2016
30.05.2016	19.09.2016	09.02.2017
20.07.2016	11.11.2016	27.03.2017

**The details of attendance of each Director at the Board along with the number of meetings held during the period from 01.04.2016 to 31.03.2017 are as under:**

Name / Type of the Director	Period	No. of Board meetings held during the period	Board Meetings attended	Attendance at the Sixteenth AGM held on 20.07.2016	No. of Shares held
Sri Suresh N Patel Managing Director & CEO	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	Attended	Nil
Sri S.K. Kalra Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	09	08	Attended	Nil
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	Attended	Nil
Sri Anandrao Vishnu Patil Govt. of India Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	09	Nil	Absent	Nil
Sri E.E. Karthak RBI Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	09	08	Absent	Nil
Sri K. Thamaraiselvan, Representing Workmen Employee Director	01.04.2016 to 24.11.2016	06	06	Absent	Nil
Dr. Naina Sharma Part-time Non-Official Director	01.04.2016 to 11.12.2016	06	06	Attended	Nil
Sri Amit Goel Part-time Non-Official Director	01.04.2016 to 17.02.2017	08	08	Attended	Nil
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Govt	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	Attended	200
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst share- holders other than Central Govt	01.04.2016 to 31.03.2017	09	09	Absent	100

**2.14** The Board has constituted various committees as under, which provide specific and focused governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Disciplinary Proceedings Committee
- Special Committee for monitoring large value frauds
- Stakeholders Relationship Committee
- Share Transfer Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Information Technology Strategy Committee
- Credit Approval Committee
- Steering Committee on Human Resources Management
- Committee for Monitoring of Recovery in NPAs
- Customer Service Committee
- Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service
- Review Committee on Wilful Defaulters
- Review Committee on Non Cooperative Borrowers



## 2.15 निदेशकों के विवरण तथा समितियों में उनकी सदस्यता

निदेशकों के नाम / प्रकार	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्युरेन्स लिमिटेड - नामिती निदेशक	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बोर्ड की प्रबंधन समिति</li> <li>2. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति</li> <li>3. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति</li> <li>4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति</li> <li>5. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति</li> <li>6. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति</li> <li>7. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति</li> <li>8. ग्राहक सेवा समिति</li> <li>9. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति</li> <li>10. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक</li> <li>11. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बोर्ड की प्रबंधन समिति</li> <li>2. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति</li> <li>3. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति</li> <li>4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति</li> <li>5. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति</li> <li>6. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति</li> <li>7. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति</li> <li>8. ग्राहक सेवा समिति</li> <li>9. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति</li> <li>10. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक</li> <li>11. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति</li> </ol>	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री एस. के. कालरा कार्यपालक निदेशक	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आन्ध्रा बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड- बोर्ड के अध्यक्ष</li> <li>2. इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्युरेन्स कं. लिमिटेड - नामिती निदेशक तथा लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बोर्ड की प्रबंधन समिति</li> <li>2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति</li> <li>3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति</li> <li>4. शेयरधारक संबंध समिति</li> <li>5. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति</li> <li>6. शेयर अंतरण समिति</li> <li>7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति</li> <li>8. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति</li> <li>9. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति</li> <li>10. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक</li> </ol>	शेयर अंतरण समिति	01.04.2016 से 31.03.2017



**2.15 Particulars of Directors and their membership in Committees**

Name / Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Sri Suresh N Patel Managing Director & CEO	IndiaFirst Life Insurance Company Limited – Nominee Director	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board</li> <li>2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board</li> <li>3. Special Committee for monitoring large value frauds</li> <li>4. Risk Management Committee of the Board</li> <li>5. Credit Approval Committee of the Board</li> <li>6. Steering Committee of Board on Human Resources.</li> <li>7. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs</li> <li>8. Customer Service Committee</li> <li>9. Review Committee on Wilful Defaulters</li> <li>10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>11. Review Committee on Non Cooperative Borrowers</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Management Committee of the Board</li> <li>2 Disciplinary Proceedings Committee of the Board</li> <li>3 Special Committee for monitoring large value frauds</li> <li>4 Risk Management Committee of the Board</li> <li>5 Credit Approval Committee of the Board</li> <li>6 Steering Committee of Board on Human Resources.</li> <li>7 Committee for Monitoring of Recovery in NPAs</li> <li>8 Customer Service Committee</li> <li>9 Review Committee on Wilful Defaulters</li> <li>10 Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>11 Review Committee on Non Cooperative Borrowers</li> </ol>	01.04.2016 to 31.03.2017
Sri S.K. Kalra Executive Director	Andhra Bank Financial Services Ltd –Chairman of the Board  IndiaFirst Life Insurance Company Limited – Nominee Director;  Member –Audit Committee	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board</li> <li>2. Audit Committee of the Board</li> <li>3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board</li> <li>4. Stakeholders Relationship Committee</li> <li>5. Risk Management Committee of the Board</li> <li>6. Share Transfer Committee</li> <li>7. Credit Approval Committee of the Board</li> <li>8. Steering Committee of Board on Human Resources.</li> <li>9. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs</li> <li>10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> </ol>	Share Transfer Committee	01.04.2016 to 31.03.2017





श्री अजीत कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. शेयरधारक संबंध समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 6. शेयर अंतरण समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति 9. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 10. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 11. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	शून्य	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल भारत सरकार नामिती निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. बोर्ड की विभागीय पदोन्नति समिति 3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 6. बोर्ड की नामांकन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 2. बोर्ड की नामांकन समिति	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री ई ई कार्तक भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की विभागीय पदोन्नति समिति 4. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 5. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति	शून्य	01.04.2016 से 31.03.2017



<p>Sri Ajit Kumar Rath Executive Director</p>	<p>None</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board</li> <li>2. Audit Committee of the Board</li> <li>3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board</li> <li>4. Stakeholders Relationship Committee</li> <li>5. Risk Management Committee of the Board</li> <li>6. Share Transfer Committee</li> <li>7. Credit Approval Committee of the Board</li> <li>8. Steering Committee of Board on Human Resources.</li> <li>9. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs</li> <li>10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>11. Information Technology Strategy Committee</li> </ol>	<p>None</p>	<p>01.04.2016 to 31.03.2017</p>
<p>Sri Anandrao Vishnu Patil, Govt. of India Nominee Director</p>	<p>None</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Committee of the Board</li> <li>2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board</li> <li>3. Risk Management Committee of the Board</li> <li>4. Special Committee for Monitoring Large value Frauds</li> <li>5. Remuneration Committee of the Board</li> <li>6. Nomination Committee of the Board</li> <li>7. Steering Committee of Board on Human Resources.</li> <li>8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs</li> <li>9. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remuneration Committee of the Board</li> <li>2. Nomination Committee of the Board</li> </ol>	<p>01.04.2016 to 31.03.2017</p>
<p>Sri E.E. Karthak, RBI Nominee Director</p>	<p>None</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board</li> <li>2. Audit Committee of the Board</li> <li>3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board</li> <li>4. Remuneration Committee of the Board</li> <li>5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>6. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs</li> </ol>	<p>None</p>	<p>01.04.2016 to 31.03.2017</p>



श्री के तामरैसेलवन कामगार कर्मचारी निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (29.01.2016 से 28.07.2016 तथा 14.09.2016 से 24.11.2016) 2. ग्राहक सेवा समिति 3. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 4. नामांकन समिति 01.03.2016 से 5. ग्राहक-सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	शून्य	01.04.2016 से 24.11.2016
डा. नैना शर्मा अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (21.07.2016 से 11.12.2016) 2. बोर्ड की नामांकन समिति 3. शेयरधारक संबंध समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 6. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति 8. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति 9. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक	शून्य	01.04.2016 से 11.12.2016
श्री अमित गोयल अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक	निदेशक, एनर्जी इंडिया लि.	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (18.02.2016 से 20.07.2016) 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (21.07.2016 से 17.02.2017) 3. शेयरधारक संबंध समिति 4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 6. बोर्ड की नामांकन समिति 7. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा बैठक 8. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 9. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 10. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति	शून्य	01.04.2016 से 17.02.2017



<p>Sri K. Thamarai selvan Workmen Employee Director</p>	<p>None</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board (w.e.f 29.01.2016 to 28.07.2016 &amp; 14.09.2016 to 24.11.2016)</li> <li>2. Customer Service Committee</li> <li>3. Spl. Committee for Monitoring Large Value Frauds</li> <li>4. Nomination Committee w.e.f.01.03.2016</li> <li>5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>6. Information Technology Strategy Committee</li> </ol>	<p>None</p>	<p>01.04.2016 to 24.11.2016</p>
<p>Dr. Naina Sharma Part-time Non- Official Director</p>	<p>None</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board (21.07.2016 to 11.12.2016)</li> <li>2. Nomination Committee of the Board</li> <li>3. Share Transfer Committee</li> <li>4. Customer Service Committee</li> <li>5. Spl. Committee for Monitoring Large Value Frauds</li> <li>6. Steering Committee of Board on HR</li> <li>7. Review Committee on Wilful Defaulters</li> <li>8. Review Committee on Non-Cooperative Borrowers</li> <li>9. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> </ol>	<p>None</p>	<p>01.04.2016 to 11.12.2016</p>
<p>Sri Amit Goel Part-time Non- Official Director</p>	<p>Energy India Limited, Director</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Committee of the Board (w.e.f. 18.02.2016 to 20.07.2016)</li> <li>2. Audit Committee of the Board (w.e.f. 21.07.2016 to 17.02.2017)</li> <li>3. Stakeholders' Relationship Committee</li> <li>4. Risk Management Committee</li> <li>5. Nomination Committee of the Board</li> <li>6. Review Committee on Wilful Defaulters</li> <li>7. Review Committee on Non-Cooperative Borrowers</li> <li>8. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>9. Spl. Committee for Monitoring Large Value Frauds</li> <li>10. Steering Committee of the Board on HR</li> </ol>	<p>None</p>	<p>01.04.2016 to 17.02.2017</p>



<p>श्री ए कृष्ण कुमार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक</p>	<p>1. ग्रामीण विद्युत निगम लि. - गैर सरकारी अंश- कालिक निदेशक ।  अध्यक्ष - लेखा परीक्षा समिति तथा सदस्य - स्टैकहोल्डर संबंध समिति</p>	<p>1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 2. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 3. नामांकन समिति 4. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 5. मानव संसाधन पर बोर्ड की स्थायी समिति 6. एनपीए में वसूली पर निगरानी हेतु समिति बैठक 7. प्रबंधन समिति (14.03.2016 से 13.09.2016 तथा 25.11.2016 से 31.03.2017) 8. ग्राहक-सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 9. ग्राहक सेवा समिति 10. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 11. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति 12. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति</p>	<p>शून्य</p>	<p>01.04.2016 से 31.03.2017</p>
<p>श्री जी शिवकुमार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक</p>	<p>शून्य</p>	<p>1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. शेयरधारक संबंध समिति 3. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 4. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. ग्राहक सेवा समिति 7. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 8. शेयर अंतरण समिति 9. नामांकन समिति 10. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 11. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति</p>	<p>1. शेयरधारक संबंध समिति 2. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. लेखा परीक्षा समिति</p>	<p>01.04.2016 से 31.03.2017</p>

### 3. निदेशक मंडल की समितियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों/निदेशों के अनुसार निदेशकों की कई समितियां गठित की गयीं हैं ताकि इनके संदर्भ क्षेत्र में आने वाले विविध क्रियाकलापों के मामले में शीघ्र निर्णय और उचित निगरानी एवं अनुवर्तन में सहायता मिल सके।

#### बोर्ड की समितियां निम्नानुसार हैं :

##### 3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में विभिन्न व्यावसायिक मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौता/ बटुटे-खाते प्रस्ताव की मंजूरी, पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है ।



<p>Sri A Krishna kumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government</p>	<p>Rural Electrification Corporation Ltd – Non-official Part time Director Chairman – Audit Committee  Member - Stakeholders Relationship Committee</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risk Management Committee of the Board</li> <li>2. Special Committee for monitoring large value of frauds</li> <li>3. Nomination Committee</li> <li>4. Remuneration Committee of the Board</li> <li>5. Steering Committee of the Board on Human Resources</li> <li>6. Committee Meeting for Monitoring Recovery in NPAs</li> <li>7. Management Committee (w.e.f. 14.03.2016 to 13.09.2016 &amp; 25.11.2016 to 31.03.2017)</li> <li>8. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>9. Customer Service Committee</li> <li>10. Information Technology Strategy Committee</li> <li>11. Review Committee on Wilful defaulters</li> <li>12. Review Committee on Non-cooperative Borrowers</li> </ol>	<p>None</p>	<p>01.04.2016 to 31.03.2017</p>
<p>Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government</p>	<p>None</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Committee of the Board</li> <li>2. Stakeholders Relationship Committee</li> <li>3. Remuneration Committee of the Board</li> <li>4. Information Technology Strategy Committee</li> <li>5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service</li> <li>6. Customer Service Committee</li> <li>7. Spl. Committee for monitoring Large Value Frauds</li> <li>8. Share Transfer Committee</li> <li>9. Nomination Committee</li> <li>10. Review Committee on Wilful defaulters</li> <li>11. Review Committee on Non cooperative Borrowers</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stakeholders Relationship Committee</li> <li>2. Information Technology Strategy Committee</li> <li>3. Audit Committee</li> </ol>	<p>01.04.2016 to 31.03.2017</p>

### **3. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Various committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India guidelines / directives in order to expedite the decision making and proper monitoring and follow up of the various activities falling within their terms of reference.

**The Committees of the Board are as under:-**

#### **3.1 Management Committee of the Board**

Pursuant to the directive of the Government of India, Ministry of Finance, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise / write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.



वर्तमान में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, दो कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक, निदेशक एवं एक स्वतंत्र निदेशक समिति के सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को कुल 13 बैठकें आयोजित की गईं :-

06.05.2016	06.08.2016	08.12.2016	27.03.2017
30.05.2016	19.09.2016	27.12.2016	
28.06.2016	19.10.2016	08.02.2017	
20.07.2016	10.11.2016	15.03.2017	

अवधि के दौरान प्रबंधन समिति(एमसी) बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति व आयोजित बैठकों की संख्या सहित विवरण नीचे सारणी में दिया गया है

निदेशक का नाम / प्रकार	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित एम सी बैठकें	एम.सी. बैठकों में उपस्थित की संख्या
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	13	13
श्री एस.के.कालरा कार्यपालक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	13	12
श्री अजीत कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	13	12
श्री ई ई कार्तक भारिबैंक नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	13	11
श्री के तामरैसेलवन कामगार कर्मचारी निदेशक	01.04.2016 से 28.07.2016 तक 14.09.2016 से 24.11.2016 तक	07	07
डा. नैना शर्मा अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक	21.07.2016 से 11.12.2016 तक	05	05
श्री अमित गोयल अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 20.07.2016 तक	04	04
श्री ए कृष्ण कुमार शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (केंद्र सरकार के अलावा)	01.04.2016 से 13.09.2016 तक 25.11.2016 से 31.03.2017 तक	10	10

### 3.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में पांच निदेशक यथा कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक और शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) में से निर्वाचित एक निदेशक की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन किया गया। शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) में से चुने गए निदेशक लेखा परीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 8 बैठकें हुई तिथियों का विवरण निम्नानुसार है:

07.05.2016	19.09.2016	09.02.2017
30.05.2016	11.11.2016	27.03.2017
06.08.2016	27.12.2016	---

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है और बैंक के सभी लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण भी करती है जिसमें संस्था, आन्तरिक लेखा तथा निरीक्षण प्रणाली के परिचालन और गुणवत्ता नियन्त्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का अनुवर्तन शामिल है।



Presently, the committee consists of Managing Director & CEO, two Executive Directors, Nominee Director of Reserve Bank of India, and one Independent Director.

In all, 13 Meetings of the Committee were held during the year, on the following dates:

06.05.2016	06.08.2016	08.12.2016	27.03.2017
30.05.2016	19.09.2016	27.12.2016	
28.06.2016	19.10.2016	08.02.2017	
20.07.2016	10.11.2016	15.03.2017	

The attendance of the Members at the Management Committee (MC) meetings along with the number of meetings held during the period is given below in the table:

Name / Type of the Director	Period	No. of M.C. meetings held during the period	No. of M.C. Meetings attended
Sri Suresh N Patel Managing Director & CEO	01.04.2016 to 31.03.2017	13	13
Sri S.K. Kalra Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	13	12
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	13	12
Sri E.E. Karthak RBI Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	13	11
Sri K. Thamaraiselvan Workmen Employee Director	01.04.2016 to 28.07.2016 14.09.2016 to 24.11.2016	07	07
Dr. Naina Sharma Part-time Non-Official Director	21.07.2016 to 11.12.2016	05	05
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director	01.04.2016 to 20.07.2016	04	04
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst Shareholders (other than Central Government)	01.04.2016 to 13.09.2016 25.11.2016 to 31.03.2017	10	10

### 3.2 Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, the Audit Committee of the Board was constituted / re-constituted with five directors viz. Executive Directors, Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India and One Director elected from amongst shareholders (other than Central Government). The Director elected from amongst shareholders (other than Central Government) chairs the meetings of the Audit Committee.

The Committee met 8 times during the year under review, on the following dates:

07.05.2016	19.09.2016	09.02.2017
30.05.2016	11.11.2016	27.03.2017
06.08.2016	27.12.2016	---

The Audit Committee of the Board provides directions and also oversees the operations of the total Audit Functions of the Bank which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the Statutory / External Audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India.

The Committee reviews internal inspection / audit functions, follows up on all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with the external auditors in respect of LFAR. The committee also reviews the compliance of the Accounting Standards in terms of reporting process, disclosure of financial information and compliance in terms of other statutory requirements.





समिति आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की समीक्षा, लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये सभी मामलों का अनुवर्तन और लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करती है। समिति रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में लेखा मानकों के अनुपालन, वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा भी करती है।

यह समिति विशेषीकृत एवं बहुत बनी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग की सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति हाउसकीपिंग स्थिति की समीक्षा के अलावा अंतर शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में दीर्घकाल से बकाया असमायोजित प्रविष्टियों की समीक्षा भी करती है।

अवधि के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा बैठकों की संख्या के साथ बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :-

निदेशक का नाम / प्रकार	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री एस.के.कालरा कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	सदस्य	08	07
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	सदस्य	08	08
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	सदस्य / गैर कार्यपालक	08	शून्य
श्री ई ई कार्तक भारिबैंक नामिती निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	सदस्य / गैर कार्यपालक	08	07
श्री ए कृष्णकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (01.04.2016 से 20.07.2016 तक)	अध्यक्ष / गैर- कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक	02	02
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (21.07.2016 से 31.03.2017 तक अध्यक्ष 01.04.2016 से 31.03.2017 तक अध्यक्ष)	अध्यक्ष / गैर- कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक	08	08
श्री अमित गोयल अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (21.07.2016 से 17.02.2017 तक)	अध्यक्ष / गैर- कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक	06	06

### 3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

बैंक द्वारा सामना किये जा रहे समग्र जोखिम का निर्धारण करने और जोखिम स्तर निर्धारण का दायित्व एक समूह को सौंपने के उद्देश्य से, जो बैंक के बेहतर हित में है, बैंक ने 28.06.2001 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। वर्तमान में गठित समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामिती निदेशक एवं एक अन्य निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की छह बैठकें हुईं और बैंक के परिचालन, बाजार एवं ऋण जोखिम जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

**वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की छह बार निम्नलिखित तारीखों को बैठकें हुईं:**

30.05.2016	20.07.2016	19.09.2016	10.11.2016
27.12.2016	08.02.2017		

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है.



The Committee reviews inspection reports of the specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also reviews inter branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in inter bank accounts besides reviewing the position of housekeeping.

The attendance of members at the Audit Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below in the table:

Name / Type of the Director	Type of Director	Number of Audit Committee meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri S.K. Kalra, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	Member	08	07
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	Member	08	08
Sri Anandrao Vishnu Patil, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	Member / Non Executive	08	Nil
Sri E.E. Karthak RBI Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	Member / Non Executive	08	07
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst Shareholders (other than Central Government) (From 01.04.2016 to 20.07.2016)	Chairman / Non Executive / Independent Director	02	02
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Chairman From 21.07.2016 to 31.03.2017 Member from 01.04.2016 to 31.03.2017)	Chairman / Non Executive / Independent Director	08	08
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director (From 21.07.2016 to 17.02.2017)	Member / Non-Executive / Independent Director	06	06

### 3.3 Risk Management Committee of the Board (RMC)

The Bank has constituted a Risk Management Committee of the Board on 28.06.2001 with an objective to empower one group with full responsibility of evaluating overall risks faced by the Bank and determining the level of risks, which will be in the best interest of the Bank. Presently, the Committee is constituted with Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. of India Nominee Director and one other Director. The Committee met six times during the year and discussed various matters relating to operational, market and credit risks of the Bank.

The Risk Management Committee met six times during the year on the following dates:

30.05.2016	20.07.2016	19.09.2016	10.11.2016
27.12.2016	08.02.2017		

The attendance of the members at the Risk Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below in the table:



निदेशक का नाम / प्रकार	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष 01.04.2016 से 31.03.2017	06	06
श्री एस.के.कालरा कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2016 से 31.03.2017	06	05
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2016 से 31.03.2017	06	06
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल भारत सरकार नामित निदेशक	सदस्य 01.04.2016 से 31.03.2017	06	शून्य
श्री ए कृष्णकुमार केंद्र सरकार के अलावा अन्य श्रेयधारकों में से निर्वाचित निदेशक	सदस्य 01.04.2016 से 31.03.2017	06	06
श्री जी शिवकुमार केंद्र सरकार के अलावा अन्य श्रेयधारकों में से चुने गए निदेशक	सदस्य 01.04.2016 से 30.05.2016	01	01
श्री अमित गोयल अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक	सदस्य 31.05.2016 से 17.02.2017	05	05

**3.4 बोर्ड की अनुशासनिक कार्यवाही समिति :**

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप बोर्ड की अनुशासनिक कार्यवाही समिति का गठन विशेष रूप से बैंक में सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान तथा विभागीय जाँच की समीक्षा हेतु हुआ है।

वर्तमान में, समिति के 5 निदेशक हैं:-

1. श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.04.2016 से 31.03.2017)
2. श्री एस.के.कालरा, कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)
3. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)
4. श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)
5. श्री डी.ई.कार्तिक, भारिबैं नामित निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)

समिति की बैठक वर्ष के दौरान तीन बार निम्न तिथियों को हुई :

30.05.2016	27.12.2016	27.03.2017
------------	------------	------------

अनुशासनिक कार्यवाही समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है :

निदेशक का नाम / प्रकार	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित डीपीसी बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	03	03
श्री एस.के.कालरा कार्यपालक निदेशक	सदस्य	03	03
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	सदस्य	03	03
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल भारत सरकार नामित निदेशक	सदस्य	03	शून्य
श्री ई ई कार्तिक भारिबैंक नामिती निदेशक	सदस्य	03	03



Name / Type of the Director	Type of Director	Number of Risk Management Committee meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri Suresh N Patel Managing Director & CEO	Chairman From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	06
Sri S.K. Kalra, Executive Director	Member From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	05
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director	Member From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	06
Sri Anandrao Vishnu Patil Govt. of India Nominee Director	Member From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	Nil
Sri A. Krishnakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	06
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member From 01.04.2016 30.05.2016	01	01
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director	Member From 31.05.2016 to 17.02.2017	05	05

### 3.4 Disciplinary Proceedings Committee of the Board:

Disciplinary Proceedings Committee of the Board is constituted in terms of Govt. of India directions to specifically look into the Review of the position of disposal of vigilance disciplinary cases and Departmental Enquiries in the Bank.

Presently, the Committee consists of 5 Directors:-

1. Sri Suresh N Patel, Managing Director & CEO (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Sri S.K. Kalra, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
3. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
4. Sri Anandrao Vishnu Patil, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
5. Sri E.E. Karthak, RBI Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)

The Committee met three times during the year on the following dates:

30.05.2016	27.12.2016	27.03.2017
------------	------------	------------

The attendance of the members at the Disciplinary Proceedings Committee meetings along with the number of meetings held during the year is given below in the table:

Name / Type of the Director	Type of Director	Number of D.P.C. meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri Suresh N Patel Managing Director & CEO	Chairman	03	03
Sri S.K. Kalra Executive Director	Member	03	03
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	Member	03	03
Sri Anandrao Vishnu Patil, Govt. of India Nominee Director	Member	03	Nil
Sri E.E. Karthak, RBI Nominee Director	Member	03	03



### 3.5 उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार विशेष रूप से रु. 1.00 करोड़ तथा अधिक की राशि वाली धोखाधड़ी वाले मामलों पर निगरानी और अनुवर्तन हेतु एक बोर्ड स्तरीय समिति, उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति, का गठन किया गया है।

वर्तमान में, समिति के 4 निदेशक हैं :-

1. श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.04.2016 से 31.03.2017)
2. श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)
3. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)
4. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (18.02.2017 से 31.03.2017)

वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें दिनांक 30.05.2016, 20.07.2016, 19.09.2016, 10.11.2016 एवं 08.02.2017 को आयोजित की गयीं।

उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है :

निदेशक का नाम / प्रकार	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति की बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	05	05
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल भारत सरकार नामित निदेशक	सदस्य	05	शून्य
श्री ए कृष्णकुमार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	सदस्य	05	05
श्री के तामरैसेल्वन, कामगार कर्मचारी निदेशक (01.04.2016 से 24.11.2016 तक)	सदस्य	04	04
डा. नैना शर्मा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 11.12.2016 तक)	सदस्य	04	04
श्री अमित गोयल अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (25.11.2016 से 17.02.2017)	सदस्य	01	01
श्री जी शिवकुमार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (18.02.2017 से 31.03.2017)	सदस्य	शून्य	लागू नहीं

### 3.6 हितधारकों की संबंध समिति

**3.6.1** बैंक ने हितधारकों एवं अन्य धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष रूप से बोर्ड की समिति - "हितधारक संबंध समिति" का गठन किया है।

वर्तमान में, इस समिति में तीन निदेशक हैं यथा:

1. श्री जी शिवकुमार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)
2. श्री एस के कालरा, कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)
3. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

शेयरधारक सम्बन्ध समिति की चालू वर्ष के दौरान चार बैठकें दिनांक 07.05.2016, 20.07.2016, 10.11.2016 तथा 08.02.2017 को आयोजित की गईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गयी।



### **3.5 Special Committee for Monitoring Large Value Frauds:**

Special Committee for Monitoring Large Value Frauds, a Board level Committee is constituted as per the directions of Reserve Bank of India to specifically look into monitoring and following up the cases of frauds involving an amount of Rs.1.00 crore & above exclusively.

Presently, the Committee consists of 4 Directors:-

1. Sri Suresh N Patel, Managing Director & CEO (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Sri Anandrao Vishnu Patil, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
3. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
4. Shri G. Sivakumar, Director (From 18.02.2017 to 31.03.2017)

The Committee met five times during the year on 30.05.2016, 20.07.2016, 19.09.2016, 10.11.2016 & 08.02.2017

The attendance of the members at the Meetings of Special Committee for Monitoring Large Value Frauds along with the number of meetings held during the year is given below in the table:

<b>Name / Type of the Director</b>	<b>Type of Director</b>	<b>Number of Special Committee for Monitoring Large Value Frauds meetings held during the period</b>	<b>Number of meetings attended</b>
Sri Suresh N Patel, Managing Director & CEO	Chairman	05	05
Sri Anandrao Vishnu Patil Govt. of India Nominee Director	Member	05	Nil
Sri A. Krishnakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member	05	05
Sri K. Thamaraiselvan Workmen Employee Director (From 01.04.2016 to 24.11.2016)	Member	04	04
Dr. Naina Sharma Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 11.12.2016)	Member	04	04
Sri Amit Goel Part-time Non-Official Director (From 25.11.2016 to 17.02.2017)	Member	01	01
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 18.02.2017 to 31.03.2017)	Member	Nil	NA

### **3.6 Stakeholders' Relationship Committee**

**3.6.1** The Bank has constituted a Committee of the Board - "Stakeholders' Relationship Committee" – to specifically look into the redressal of grievances of Shareholders and other security holders.

Presently, the Committee consists of three Directors i.e.

1. Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Sri S.K. Kalra, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
3. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)

The Stakeholders' Relationship Committee met four times during the current year i.e., on 07.05.2016, 20.07.2016, 10.11.2016 & 08.02.2017 and reviewed the position of the complaints.



निदेशक का नाम / प्रकार	शेयरधारक संबंध समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थित
श्री जी शिवकुमार, समिति के अध्यक्ष/ केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक	04	04
श्री एस. के. कालरा, सदस्य / कार्यपालक निदेशक निदेशक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक	04	04
श्री अजित कुमार रथ, सदस्य / कार्यपालक निदेशक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक	04	04
डा. नैना शर्मा सदस्य / अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 30.05.2016 तक)	01	01
श्री अमित गोयल सदस्य / अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (31.05.2016 से 17.02.2017)	03	03

**3.6.2** अनुपालन अधिकारी सेबी (सूचीकरण करार एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 6(1) के अनुरूप, सेबी द्वारा जारी शेयर बाजार सूचीकरण करार तथा दिशा-निर्देशों की विभिन्न शर्तों एवं निदेशों की अनुपालना के प्रयोजन हेतु श्री वाई अमरनाथ, कम्पनी सचिव को अनुपालना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

**3.6.3** बैंक और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड, मुम्बई द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल प्राप्त अनुरोध/शिकायतों की संख्या क्रमशः 3884/06 थी।

**31.03.2017 को स्थिति**

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं निपटायी गयी शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

**3.7 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति**

शेयर अंतरण समिति का गठन समय समय पर निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाता है:

1. श्री जी शिवकुमार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)
2. श्री एस के कालरा, कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)
3. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

वर्ष 2016-2017 के दौरान समिति ने 144 शेयर अंतरण तथा कुल 57,700 शेयरों की पुष्टि की है। शेयर अंतरण समिति की चार बैठकें वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 07.05.2016, 20.07.2016, 10.11.2016 तथा 08.02.2017 को आयोजित की गयी। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों की जमा तिथि से 15 दिन की अवधि के अंदर सभी अंतरण विधिवत् प्रभावी किये जाएं।

निदेशक का नाम / प्रकार	शेयर अंतरण समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थित
श्री एस.के.कालरा समिति के अध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	04	04
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017)	04	04
श्री जी शिवकुमार सदस्य/केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	04	04



Name / Type of Director	No. of Meetings of Stakeholders' Relationship Committee	
	Held during the period	At- tended
Sri G. Sivakumar Chairman of the Committee / Director elected from amongst shareholders other than Central Government From 01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Sri S.K. Kalra Member / Executive Director From 01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Sri Ajit Kumar Rath Member / Executive Director From 01.04.2016 to 31.03.2017	04	04
Dr. Naina Sharma Member / Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 30.05.2016)	01	01
Sri Amit Goel Member / Part-time Non-Official Director (From 31.05.2016 to 17.02.2017)	03	03

**3.6.2** In terms of Regulation 6(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Mr. Y. Amarnath, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances.

**3.6.3** The total number of requests / complaints received by the Bank and the Share Transfer Agents, M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai during the year under review was 3884 / 06 respectively.

**Position as on 31.03.2017:**

Number of requests / complaints not resolved to the satisfaction of the Shareholders is	<b>NIL</b>
Number of complaints pending	<b>NIL</b>

**3.7 Share Transfer Committee of the Board**

Share Transfer committee is being constituted from time to time with the following members:

1. Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Sri S.K. Kalra, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
3. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)

The committee confirmed 144 share transfers aggregating 57,700 shares during the year 2016-17. The Share Transfer Committee met four times during the year 2016-17 on 07.05.2016, 20.07.2016, 10.11.2016 & 08.02.2017. The Bank ensures that all the transfers are duly effected within a period of 15 days from the date of their lodgment.

Name / Type of Director	No. of Meetings of Share Transfer Committee	
	Held during the period	Attended
Sri S.K. Kalra, Chairman of the Committee / Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	04	04
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Member – (from 01.04.2016 to 31.03.2017)	04	04
Sri G. Sivakumar Member / Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	04	04





श्री अमित गोयल सदस्य/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 30.05.2016 तक)	01	01
डा. नैना शर्मा सदस्य/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (31.05.2016 से 11.12.2016 तक)	02	02

साथ ही बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि शिकायतें निर्धारित समय में निपटाई जाएं और शिकायतों के अंतिम निपटान हेतु जहां जाँच की आवश्यकता है वहां शेयरधारकों को तुरंत अंतरिम उत्तर/सूचना देकर निपटान किया जाता है।

कोई शेयर अंतरण अनुरोध 15 दिन से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं था और 31.03.2017 को अंतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

### 3.8 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) पत्र संख्या एफ 20/1/2005- बीओआई, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार बैंक ने दिनांक 24.03.2007 को बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्रालय के पत्र के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र होंगे जो "लक्ष्यों के आशय के विवरण" के आधार पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के लिए निर्धारित स्थूल परिमाणात्मक मानक एवं पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर बेच मार्क की प्राप्ति के अधीन है जो कि संबंधित वर्ष के 31 मार्च को बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय डाटा के परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता मानकों के मूल्यांकन का आधार होगा।

पारिश्रमिक समिति बैंक के कार्य निष्पादन/पूर्णकालिक निदेशकों का मूल्यांकन पूर्णकालिक निदेशकों यथा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन भुगतान का निर्णय लेने हेतु समीक्षा करेगी।

#### समिति के निम्न सदस्य हैं:

श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, भारत सरकार नामिती निदेशक (समिति के अध्यक्ष) (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

1 श्री ई ई कार्तक, भारिबैंक नामिती निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

2. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

3. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

### 3.9 बोर्ड की नामांकन समिति

30.11.2007 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया और दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है तथा वर्तमान में निम्नलिखित निदेशक हैं।

#### समिति के निम्न सदस्य हैं:

1. श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, (समिति के अध्यक्ष) भारत सरकार नामिती निदेशक, (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

2. डा. नैना शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 11.12.2016 तक)

3. श्री अमित गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 17.02.2017 तक)

4. श्री के तामरसेलवन, कामगार कर्मचारी निदेशक (01.04.2016 से 24.11.2016 तक)

5. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (18.02.2017 से 31.03.2017 तक)

6. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (18.02.2017 से 31.03.2017 तक)

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की नामांकन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

### 3.10 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं भारिबैं/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.नं.6/31.02.2008/2010-11 द्वारा जारी नौ प्रमुख क्षेत्रों यथा आई टी गवर्नेन्स, सूचना सुरक्षा, आई एस ऑडिट, आई टी परिचालन, आई टी सेवाओं की आउटसोर्सिंग, साइबर धोखाधड़ी, व्यवसाय निरंतरता योजना, ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम और विधिक पक्ष जैसे क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की छः बैठकों का आयोजन निम्न तिथियों को 07.05.2016, 06.08.2016, 19.09.2016, 10.11.2016, 27.12.2016 तथा 08.02.2017 को किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है :



Sri Amit Goel Member / Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 30.05.2016)	01	01
Dr. Naina Sharma Member / Part-time Non-Official Director (From 31.05.2016 to 11.12.2016)	02	02

The Bank further ensures that complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which needs enquiry for final disposal are attended with immediate interim reply / information to the shareholders.

There was no share transfer request pending for more than a fortnight and no shares are pending for transfer as on 31.03.2017.

### **3.8 Remuneration Committee of the Board:**

The Bank has in terms of Ministry of Finance (MOF) letter no. F20/1/2005-BOI, dated 09.03.2007, constituted a Remuneration Committee of the Board on 24.03.2007. In terms of MOF letter, the Whole Time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on the “Statement of Intent of Goals” and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last financial year. The basis of evaluation of the quantitative and qualitative parameters would be the Bank’s audited financial data as on March 31st of the relevant year.

The Remuneration Committee shall evaluate the performance of the Bank / full time Directors for deciding the performance linked incentives to be paid to the whole time Directors i.e., Managing Director & CEO and Executive Directors of the Bank.

#### **The Committee consists of following members:**

Sri Anandrao Vishnu Patil, GOI Nominee Director (Chairman of the Committee)

(From 01.04.2016 to 31.03.2017)

1. Sri E.E. Karthak, RBI Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
3. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)

No meeting of Remuneration Committee of the Board was held during 2016-17.

### **3.9 Nomination Committee of the Board**

Nomination Committee of the Board constituted on 30.11.2007 and reconstituted from time to time as per the guidelines and the following are present Directors:

#### **The Committee consists of following members:**

1. Sri Anandrao Vishnu Patil, (Chairman of the Committee) GOI Nominee Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Dr. Naina Sharma, Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 11.12.2016)
3. Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 17.02.2017)
4. Sri K. Thamaraiselvan, Workmen Employee Director (From 01.04.2016 to 24.11.2016)
5. Sri A. Krishnakumar, Director (From 18.02.2017 to 31.03.2017)
6. Sri G. Sivakumar, Director (From 18.02.2017 to 31.03.2017)

No meeting of Nomination Committee of the Board was held during 2016-17.

### **3.10 Information Technology Strategy Committee**

The IT Strategy Committee has been constituted in terms of guidelines issued by RBI letter no. RBI/2010-11/494DBS. CO.ITC.BC.NO. 6/31.02.2008/2010-11 for implementation of recommendations issued by Reserve Bank of India in nine broad areas such as IT governance, Information Security, IS Audit, IT Operations, IT Services Outsourcing, Cyber Fraud, Business Continuity Planning, Customer Awareness programmes and Legal aspects.

The committee met six times during the year 2016-17 i.e., on 07.05.2016, 06.08.2016, 19.09.2016, 10.11.2016, 27.12.2016 & 08.02.2017

The attendance of the members at the meetings of Information Technology Strategy Committee along with the number of meetings held during the year is given below in the table:



निदेशक का नाम / प्रकार	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री जी. शिव कुमार, निदेशक समिति के अध्यक्ष 01.04.2016 से 31.03.2017 तक	06	06
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक	06	06
श्री अमित गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 01.04.2016 से 30.05.2016 तक	01	01
श्री के तामरसेलवन, कामगार कर्मचारी निदेशक 31.05.2016 से 24.11.2016 तक	03	03
श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (25.11.2016 से 31.03.2017 तक)	02	02
महाप्रबंधक (आई.टी) (मुख्य सूचना अधिकारी)	06	06

**3.11 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति**

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.12.2011 के अनुरूप, दिनांक 02.02.2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया। यह समिति ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करती है।

- तीन लाख करोड़ रु. अथवा अधिक के व्यवसाय वाले द्र श्रेणी के बैंकों के मामले में चार सौ करोड़ रु. तक या अधिक अथवा
- अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में दो सौ पचास करोड़ रु. तक
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकारों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक के ऋण प्रस्ताव तथा प्रबंधन समिति द्वारा विचार किए जा रहे ऋण प्रस्तावों पर ऋण अनुमोदन समिति विचार करेगी, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं की शर्त पर होगी तथा ऐसी सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति विचार करेगी।

**समिति की बैठक वर्ष 2016-17 के दौरान निम्न तिथियों को 35 बार हुई :**

20.04.2016	14.09.2016	25.01.2017
05.05.2016	23.09.2016	04.02.2017
11.05.2016	01.10.2016	16.02.2017
21.05.2016	15.10.2016	28.02.2017
04.06.2016	27.10.2016	06.03.2017
17.06.2016	09.11.2016	16.03.2017
23.06.2016	18.11.2016	21.03.2017
30.06.2016	30.11.2016	27.03.2017
11.07.2016	14.12.2016	31.03.2017
26.07.2016	28.12.2016	--
18.08.2016	07.01.2017	--
29.08.2016	13.01.2017	--
02.09.2016	21.01.2017	--

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है:

निदेशक का नाम / प्रकार	ऋण अनुमोदन समितिकी अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	35	35
श्री एस.के.कालरा, कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	35	35
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	35	35



Name / Type of Director	No. of Meetings of Information Technology Strategy Committee	
	Held during the period	Attended
Sri G. Sivakumar, Director Chairman Of the Committee From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	06
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director From 01.04.2016 to 31.03.2017	06	06
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director From 01.04.2016 to 30.05.2016	01	01
Sri K. Thamaraiselvan, Workmen Employee Director (From 31.05.2016 to 24.11.2016)	03	03
Sri A. Krishnakumar, Director (From 25.11.2016 to 31.03.2017)	02	02
General Manager (IT) (Chief Information Officer)	06	06

### 3.11 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 02.02.2012 in terms of Gazette notification dated 05.12.2011 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The Committee shall exercise powers of the Board with regard to credit proposals:-

- Upto four hundred crore rupees in case of the category A Banks having business of three lakh crore rupees or more or
- Upto two hundred fifty crore rupees in case of the other Nationalised Banks.
- The credit proposals which exceed the power delegated to the officials of the Nationalised Banks including powers delegated to the Chairman and Managing Director, and the credit proposals being considered by the Management Committee shall be considered by the Credit Approval Committee subject to the limit specified as above and the credit proposals which exceed such limits be considered by the Management Committee.

**The Committee met 35 times during the year 2016-17 on the following dates:**

20.04.2016	14.09.2016	25.01.2017
05.05.2016	23.09.2016	04.02.2017
11.05.2016	01.10.2016	16.02.2017
21.05.2016	15.10.2016	28.02.2017
04.06.2016	27.10.2016	06.03.2017
17.06.2016	09.11.2016	16.03.2017
23.06.2016	18.11.2016	21.03.2017
30.06.2016	30.11.2016	27.03.2017
11.07.2016	14.12.2016	31.03.2017
26.07.2016	28.12.2016	--
18.08.2016	07.01.2017	--
29.08.2016	13.01.2017	--
02.09.2016	21.01.2017	--

The attendance of the members at the Credit Approval Committee of the Board along with the number of meetings held during the year is given below in the table:

Name / Type of Director	No. of Meetings of Credit Approval Committee Held during the period	Attended
Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO Chairman (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	35	35
Sri S.K. Kalra, Executive Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	35	35
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	35	35



**3.12 मानव संसाधन प्रबंधन पर बोर्ड की स्थायी समिति**

दीर्घावधि मानव शक्ति आयोजना कार्य, नई क्षमताओं के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तराधिकार आयोजना तथा नेतृत्व विकास की समीक्षा हेतु खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के निदेशों के अनुसार दिनांक 05.06.2012 को बोर्ड ने उपर्युक्त समिति का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 06.08.2016, 10.11.2016, 27.12.2016 एवं 23.01.2017 को आयोजित की गईं। मानव संसाधन प्रबंधन पर बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है :

निदेशक का नाम / प्रकार	मानव संसाधन प्रबंधन पर बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	04	04
श्री एस.के.कालरा, कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	04	04
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	04	04
श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, भारत सरकार नामिती निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	04	शून्य
डा नैना शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 11.12.2016 तक)	02	02
श्री अमित गोयल, अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक (31.05.2016 से 17.02.2017 तक)	04	04
श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक 01.04.2016 से 30.05.2016, 18.02.2017 से 31.03.2017 तक	शून्य	लागू नहीं

**3.13 एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति**

वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार नियमित आधार पर एनपीए में वसूली की प्रगति की निगरानी हेतु बोर्ड ने दिनांक 28.11.2012 को बोर्ड स्तर की समिति का गठन किया। समिति का पुनर्गठन दिनांक 22.01.2016 को किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान सात बैठकें दिनांक 30.05.2016; 20.07.2016, 19.09.2016, 10.11.2016, 27.12.2016, 08.02.2017 तथा 27.03.2017 को आयोजित की गईं।

एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सहित वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है :

निदेशक का नाम / प्रकार	एनपीए वसूली निगरानी हेतु समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	07	07
श्री एस.के.कालरा, कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	07	06
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	07	07



**3.12 Steering Committee of the Board on Human Resources Management:**

Board constituted the above committee on 05.06.2012 in terms of Govt. of India directions for implementation of Khandelwal Committee recommendations for review of long term Manpower planning exercise, Training arrangements for new competencies and Succession Planning and Leadership Development.

The Committee met four times during the year on 06.08.2016, 10.11.2016, 27.12.2016 & 23.01.2017

The attendance of the members at the meetings of the Steering Committee of the Board on Human Resources Management along with the number of meetings held during the year is given below in the table:

Name / Type of Director	No. of Meetings of Steering Committee of the Board on Human Resources Management	
	Held during the period	Attended
Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO Chairman (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	04	04
Sri S.K. Kalra, Executive Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	04	04
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	04	04
Sri Anandrao Vishnu Patil, GOI Nominee Director From 01.04.2016 to 31.03.2017	04	Nil
Dr. Naina Sharma, Part-time Non-Official Director From 01.04.2016 to 11.12.2016	02	02
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director From 31.05.2016 to 17.02.2017	04	04
Sri A. Krishnakumar, Director From 01.04.2016 to 30.05.2016, 18.02.2017 to 31.03.2017	NIL	NA

**3.13 Committee for Monitoring of Recovery in NPAs:**

Board constituted a Board Level Committee to monitor the progress in recovery in NPAs on regular basis on 28.11.2012 in terms of Ministry of Finance directions. The Committee was reconstituted w.e.f. 22.01.2016.

The Committee met seven times during the year 2016-17 on 30.05.2016, 20.07.2016, 19.09.2016, 10.11.2016, 27.12.2016, 08.02.2017 & 27.03.2017.

The attendance of the members at the Committee for Monitoring of Recovery in NPAs meetings along with the number of meetings held during the year is given below in the table:

Name / Type of Director	No. of Meetings of Committee for Monitoring of Recovery in NPAs	
	Held during the period	Attended
Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO Chairman (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	07	07
Sri S.K. Kalra, Executive Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	07	06
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	07	07



श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, भारत सरकार नामिती निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	07	शून्य
श्री ई ई कार्तिक, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	07	06
श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक सदस्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	07	07

### 3.14 ग्राहक सेवा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है।

#### वर्तमान में समिति के निम्न सदस्य हैं :

1. श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)
2. श्री अमित गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 30.05.2016 तक)
3. डा नैना शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (01.04.2016 से 11.12.2016 तक)
- 4 श्री के तामरसेलवन, कामगार कर्मचारी निदेशक (01.04.2016 से 24.11.2016 तक)
- 5 श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (25.11.2016 से 31.03.2017 तक)
- 6 श्री जी शिवकुमार, निदेशक (31.05.2016 से 31.03.2017 तक)

ग्राहक सेवा पर चर्चा एवं समीक्षा हेतु दिनांक 30.05.2016 को समिति की बैठक हुई। श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति के बैठक की अध्यक्षता की। समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

### 3.15 ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं चर्चा हेतु विशेष बोर्ड-बैठक का आयोजन दिनांक 19.09.2016 तथा 27.03.2017 को ग्राहक सेवा की समीक्षा तथा चर्चा की गई। श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

### 3.16. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 25(3) तथा (4) के अनुसार, गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, वर्ष में न्यूनतम एक बार बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों का अलग से आयोजन किया जाए। कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे।

बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाएगी तथा बोर्ड, समग्र रूप में, कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखकर बैंक के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगा तथा बोर्ड हेतु उनके कार्यों का निर्वह उचित एवं प्रभावी रूप से करने हेतु आवश्यक बैंक प्रबंधन व बोर्ड के बीच सूचना के समय पर प्रवाह, स्तर एवं प्रमात्रा का मूल्यांकन करेगा।

उक्त के अनुरूप, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 27.03.2017 को आयोजित की गई। निम्न स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया:-

- 1 श्री ए कृष्ण कुमार
- 2 श्री जी शिवकुमार

### 3.17 स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा:

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(10) के अनुसार बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा बोर्ड के द्वारा दिनांक 27.03.2017 को आयोजित बैठक में की गई।

### 3.18 इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति :

'इरादतन चूककर्ताओं' पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुरूप, बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की तीन बैठकें दिनांक 30.05.2016, 20.07.2016, तथा 10.11.2016 को हुईं।

इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित, नीचे सारणी में प्रस्तुत हैं :



Sri Anandrao Vishnu Patil, GOI Nominee Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	07	Nil
Sri E.E. Karthak, RBI Nominee Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	07	06
Sri A. Krishnakumar, Director Member (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	07	07

### **3.14 Customer Service Committee:**

The Committee of the Board on Customer Service is constituted in the Bank, in terms of RBI Master Circular.

#### **The Committee consists of following members:**

1. Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO, Chairman of the Committee (From 01.04.2016 to 31.03.2017)
2. Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 30.05.2016)
3. Dr. Naina Sharma, Part-time Non-Official Director (From 01.04.2016 to 11.12.2016)
4. Sri K. Thamaraiselvan, Workmen Employee Director (From 01.04.2016 to 24.11.2016)
5. Sri A. Krishnakumar, Director (From 25.11.2016 to 31.03.2017)
6. Sri G. Sivakumar, Director (From 31.05.2016 to 31.03.2017)

The Committee met on 30.05.2016 to review and deliberate on Customer Service.

Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO chaired the Committee meeting. All members had attended the meeting.

### **3.15 Exclusive Board Meeting to Review Customer Service:**

In terms of RBI Master Circular on Review of Customer Service, an Exclusive Board Meeting was convened on 19.09.2016 & 27.03.2017 to review and deliberate on Customer Service.

Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO chaired the Committee meeting. All members of the Board had attended the meeting.

### **3.16 Meeting of Independent Directors:**

As per Regulation 25 (3) & (4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, separate Meetings of the Independent Directors of the Bank shall be convened at least one meeting in a year, without the attendance of non-independent directors and members of Management. All the independent directors of the Company shall strive to be present at such meeting.

The meeting shall review the Performance of non-independent directors and the Board as a whole, review the performance of the Chairman of the Bank, taking into account the views of executive Directors and non-executive directors, assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

In accordance with the above, a Meeting of Independent Directors was convened on 27th March, 2017. The following independent Directors attended the Meeting:

1. Sri A. Krishnakumar,
2. Sri G. Sivakumar.

### **3.17 Performance Evaluation of Independent Directors**

In accordance with Regulation 17(10) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, performance evaluation of Independent Directors had been carried out by the Board at its meeting on 27th March, 2017.

### **3.18 Review Committee on Wilful Defaulters:**

In terms of RBI Master Circular on 'Wilful Defaulters', Review Committee on Wilful Defaulters has been constituted by the Bank.

The Committee met three times during the year 2016-17 on 30.05.2016, 20.07.2016 & 10.11.2016

The attendance of the members at the meetings of Review Committee on Wilful Defaulters along with the number of meetings held during the year is given below in the table:





निदेशक का नाम / प्रकार	इरादतन चूककर्ताओं की निगरानी हेतु समीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष (01.04.2016 से 31.03.2017)	03	03
डा. नैना शर्मा, अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक 01.04.2016 से 11.12.2016	03	03
श्री अमित गोयल, अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक 01.04.2016 से 17.02.2017	03	03
श्री ए. कृष्ण कुमार, निदेशक (12.12.2016 से 31.03.2017)	शून्य	लागू नहीं
श्री जी. शिवा कुमार, निदेशक (18.02.2017 से 31.03.2017)	शून्य	लागू नहीं

**3.19 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति :**

गैर-सहयोगी ऋणग्रहण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुरूप, बैंक द्वारा गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा समिति का गठन किया गया है ।

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की दो बैठकें दिनांक 10.11.2016 तथा 08.02.2017 को हुई ।

गैर-उधारकर्ताओं सहयोगी पर समीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित, नीचे सारणी में प्रस्तुत है :

निदेशक का नाम / प्रकार	गैर-सहयोगी सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री सुरेश एन पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष (01.04.2016 से 31.03.2017)	02	02
डा. नैना शर्मा, अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक 01.04.2016 से 11.12.2016	01	01
श्री अमित गोयल, अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक 01.04.2016 से 17.02.2017	02	02
श्री ए. कृष्ण कुमार, निदेशक (18.02.2016 से 31.03.2017)	शून्य	लागू नहीं
श्री जी. शिवा कुमार, निदेशक (12.12.2016 से 31.03.2017)	01	01

**अन्य प्रकटन :**

- क) स्वतंत्र निदेशकों हेतु परिचय कार्यक्रम के विवरण 'निदेशक मंडल' टैब के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) पर उपलब्ध है ।
- ख) उचित आचरण कूट 'निवेशक संबंध' टैब के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) पर उपलब्ध है । .

**4. अन्य समितियां :**

दैनंदिन क्रिया-कलापों, व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा एवं निगरानी हेतु अन्य कार्यकारी समितियाँ हैं जिनके सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक तथा विभागीय कार्यपालक हैं । कुछ महत्वपूर्ण कार्यकारी समितियां निम्नलिखित हैं :-

- क. आस्ति देयता समिति (ऑलको)
- ख. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- ग. निवेश समिति (आईसी)
- घ. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी)
- ड. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- च. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएपी)
- छ. आर.बी.एस. कार्यपालक समिति



Name / Type of Director	No. of Meetings of Review Committee on Willful Defaulters	
	Held during the period	Attended
Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO Chairman (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	03	03
Dr. Naina Sharma, Part-time Non-Official Director From 01.04.2016 to 11.12.2016	03	03
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director From 01.04.2016 to 17.02.2017	03	03
Sri A. Krishnakumar, Director (From 12.12.2016 to 31.03.2017)	Nil	NA
Sri G. Sivakumar, Director (From 18.02.2017 to 31.03.2017)	Nil	NA

### 3.19 Review Committee on Non Cooperative Borrowers:

In terms of RBI Master Circular on 'Non Cooperative Borrowers, Review Committee on 'Non Cooperative Borrowers has been constituted by the Bank.

The Committee met two times during the year 2016-17 on 10.11.2016 & 08.02.2017

The attendance of the members at the meetings of Review Committee on 'Non Cooperative Borrowers along with the number of meetings held during the year is given below in the table:

Name / Type of Director	No. of Meetings of Review Committee on Non Cooperative Borrowers	
	Held during the period	Attended
Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO Chairman (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	02	02
Dr. Naina Sharma, Part-time Non-Official Director From 01.04.2016 to 11.12.2016	01	01
Sri Amit Goel, Part-time Non-Official Director From 01.04.2016 to 17.02.2017	02	02
Sri A. Krishnakumar, Director (From 18.02.2017 to 31.03.2017)	Nil	NA
Sri G. Sivakumar, Director (From 12.12.2016 to 31.03.2017)	01	01

#### Other Disclosures:

- Details of Familiarisation programmes imparted to independent directors are available on the Bank's website: [www.andhrabank.co.in](http://www.andhrabank.co.in) under the tab " Board of Directors"
- Code of fair practices is available on the Bank's website: [www.andhrabank.co.in](http://www.andhrabank.co.in) under the tab " Investor Relations".

#### 4. Other Committees:

There are other Functional Committees consisting of Managing Director & CEO, Executive Directors, General Managers and Departmental Executives which have been constituted for day-to-day functioning, review and monitoring of various aspects of business. Some of the important Functional Committees are as under:

- Asset Liability Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Investment Committee(IC)
- Risk Based Supervision Committee (RBSC)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP)
- RBS Executive Committee



## 4.1 आस्ति देयता प्रबंधन (ऑलको)

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- क. प्रबंध निदेशक एव सीईओ/कार्यपालक निदेशक (समिति के प्रमुख)
- ख. महा प्रबंधक (आईआरएमडी)
- ग. महा प्रबंधक (कार्पोरेट आयोजना)
- घ. महा प्रबंधक (बड़े कारपोरेट विभाग)
- ड. महा प्रबंधक (निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग)
- च. समप्र/मुप्र (आईआरएमडी) - संयोजक

**समिति के तीन कार्य हैं :**

- (i) कार्यनीतिक आयोजना
- (ii) उत्पाद मूल्य निर्धारण और
- (iii) जोखिम प्रबंधन

1. ऑलको ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के कार्यनीतिक प्रबंधन सहित जोखिम प्रतिफल के परिप्रेक्ष्य में तुलनपत्र आयोजना हेतु उत्तरदायी, निर्णय लेने वाला यूनिट है।
2. ऑलको बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं / मानदंडों में परिचालन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
3. ऑलको बैंक की वर्तमान ब्याज दर दृष्टिकोण व्यक्त करता है और तदनुसार भविष्य की व्यवसाय कार्यनीति हेतु अपने निर्णय इस पर आधारित करता है।

प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न टिप्पणियों पर चर्चा करने और निर्णय लेने हेतु वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 84 बैठकें हुईं। साथ ही, समिति ने दैनिक आधार पर थोक जमाराशियों पर अधिमानी ब्याज दरें देने के संबंध में भी चर्चा की और अनुमोदन प्रदान किया।

## 4.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति [ओआरएमसी]

समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- क. प्रबंध निदेशक एव सीईओ (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक गण
- ग. प्र.का. के सभी महा प्रबंधक
- घ. प्र.का. के मुख्य अनुपालन अधिकारी
- ड. प्र.का. के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी.आई.एस.ओ.)
- च. सहायक महा प्रबंधक (आईआरएमडी) - संयोजक

**समिति के कार्य :**

1. बैंक द्वारा अपनाए गए जोखिम न्यूनीकरण उपायों की समीक्षा ताकि इन उपायों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके;
2. जोखिम न्यूनीकरण हेतु आर्बिट्रल संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
3. परिचालन जोखिम पद्धतियों के विकास और कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुमोदन, इसमें मूल्यांकन, रिपोर्टिंग, पूंजी और क्षति इवेंट डाटाबेस;
4. संभाव्य जोखिम, जो विनियामक परिवर्तन /या आर्थिक/राजनैतिक वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, की सक्रिय समीक्षा और प्रबंधन;
5. धोखाधड़ी, संभाव्य हानि, गैर-अनुपालन, उल्लंघन आदि का विश्लेषण करना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना;
6. सभी व्यवसाय यूनिटों में निरंतर आधार पर जोखिम जागरूकता का प्रचार करना।  
वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 28 बैठकें हुईं।

## 4.3 निवेश समिति (आई.सी)

समिति के निम्न सदस्य हैं :

- क. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक गण
- ग. महाप्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग)
- घ. महा प्रबंधक (आयोजना)
- ड. महा प्रबंधक (ऋण)
- च. महा प्रबंधक (निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग)
- छ. सहायक महा प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक (आईआरएमडी) - संयोजक



#### **4.1 Asset Liability Committee (ALCO)**

The following are the Members of the Committee:

- a. Managing Director & CEO / Executive Director (Head of the Committee)
- b. General Manager (Integrated Risk Management Department)
- c. General Manager (Corporate Planning)
- d. General Manager (Large Corporate Department)
- e. General Manager (Investments and International Banking Division)
- f. Assistant General Manager /Chief Manager (Integrated Risk Management Department) – Convener

#### **Functions of the Committee are three fold:**

- i. Strategic Planning
  - ii. Product Pricing, and
  - iii. Risk Management
1. ALCO is a decision making unit responsible for Balance Sheet planning from Risk Returns perspective, including the strategic management of the interest and liquidity risks;
  2. ALCO will monitor implementation of operations within the limits/parameters set by the Board;
  3. ALCO articulates the current interest rate view of the Bank and accordingly bases its decisions for future business strategies.

The Committee met 84 times during the financial year 2016-17 to discuss and decide on various notes submitted by different Departments of Head Office. Further, the Committee also deliberated and accorded approvals to offer Preferential Rates of Interest on bulk deposits on day-to-day basis.

#### **4.2. Operational Risk Management Committee [ORMC]**

The following are the Members of the Committee:

- a. Managing Director & CEO [Head of the Committee]
- b. Executive Director/s
- c. All General Managers at Head Office
- d. Chief Compliance Officer (CCO) at Head Office
- e. Chief Information Security Officer (CISO) at Head Office
- f. Asst. General Manager (Integrated Risk Management Department)-Convener

#### **Functions of the Committee:**

1. To review the risk mitigation measures adopted in the Bank and to ensure the adequacy of such measures;
2. To ensure adequate resources are assigned to mitigate risks;
3. To review and approve the development and implementation of operational risk methodologies and tools including assessment, reporting, capital and loss event database;
4. To proactively review and manage potential risks that may arise from regulatory changes/or changes in economic/political environment;
5. To analyse frauds, potential losses, non compliance, breaches etc., and recommend corrective measures to prevent recurrence of such events;
6. To promote risk awareness across all business units on a continuing basis.

The Committee met 28 times during the Financial Year 2016-17

#### **4.3. Investment Committee (IC)**

The following are the Members of the Committee:

- a. Managing Director & CEO [Head of the Committee]
- b. Executive Director/s
- c. General Manager (Integrated Risk Management Department)
- d. General Manager (Planning)
- e. General Manager (Credit)
- f. General Manager (Investments and International Banking Division)
- g. Asst. General Manager/Chief Manager (Integrated Risk Management Department)-Convener



## समिति के कार्य :

1. निवेश समिति बैंक के निवेश संविभाग की तुलना में वित्तीय बाज़ार में महत्वपूर्ण चलन के प्रभाव का दैनिक जायज़ा लेने हेतु बैठक करती है;
2. यह आईआईबी की दैनिक गतिविधियों की निगरानी करती है तथा एफएस/एचटीएम संविभाग में निवेश की सलाह / अनुमोदन देती है;
3. यह नियोजित निधि पर प्रतिफल को अधिकतम करने में सहायक है ।

समिति की बैठक वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान शनिवार को छोड़कर सभी कार्य-दिवस को हुई।

## 4.4 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी) :

समिति के निम्न सदस्य हैं :

- क. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक गण
- ग. प्र.का. के सभी महा प्रबंधक
- घ. प्र.का. के मुख्य अनुपालन अधिकारी
- ड. मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)
- च. सहायक महा प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक (आईआरएमडी) - संयोजक

## समिति के कार्य :

प्रगति पर समीक्षा रिपोर्टें तिमाही अंतराल पर बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी जैसे आईआरएमडी द्वारा त्रैमासिक आधार पर बैंक का अद्यतन जोखिम प्रोफाइल, आरबीआईए के अंतर्गत तिमाही आधार पर शाखाओं की जोखिम रेटिंग ।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 9 बैठकें हुई ।

## 4.5 ऋण जोखिम प्रबंधन समिति

समिति के सदस्य :

- क. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक गण
- ग. महा प्रबंधक (सी एवं आईएफडी)
- घ. महा प्रबंधक (आईआरएमडी)
- ड. महा प्रबंधक (ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग)
- च. महा प्रबंधक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नीति)
- छ. महा प्रबंधक (एमएसएमई)
- ज. महा प्रबंधक (खुदरा ऋण )
- झ. समप्र/मुप्र (आईआरएमडी) - संयोजक

## समिति के कार्य :

बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति/कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए समिति उत्तरदायी है ।

समिति बैंक की ऋण जोखिम नीति, ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए नीतियां / मानक, वित्तीय प्रसंविदा, श्रेणी निर्धारण मानदंड एवं बेचमार्क तैयार करके बोर्ड / आरएमसी को समीक्षा करती है तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति को सिफारिश करती है ।

समिति ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएँ, ऋण संपार्श्वकों के लिए मानदंड, पोर्टफोलिओ प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम केंद्रीकरण, जोखिम निगरानी एवं मूल्यांकन, ऋणों का मूल्य निर्धारण, प्रावधानीकरण और विनियामक / कानूनी अनुपालन इत्यादि पर भी निर्णय लेती है ।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 28 बैठकें हुई

## 4.6 आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएपी):

समिति के निम्न सदस्य हैं :

- क. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- ख. कार्यपालक निदेशक गण
- ग. प्र.का. के सभी महा प्रबंधक
- घ. सहायक महा प्रबंधक (आईआरएमडी) - संयोजक

## समिति के कार्य :

1. आईसीएपी की कार्यपालक स्तर समिति आईसीएपी प्रलेख में किए गए मूल्यांकन की जांच करेगी तथा प्रलेख में आशोधन / परिवर्तन, यदि हो, का सुझाव देती है ।
  2. समिति आईसीएपी प्रलेख को प्रबंधन निदेशक एवं सीईओ के समक्ष रखने तथा तत्पश्चात अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष रखती है ।
- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई ।



**Functions of the Committee:**

1. Investment Committee meets daily to take stock of the impact of significant movements in financial markets vis a vis Bank's investment portfolio;
2. It monitors the day to day activities of IIB and advises/approves the investment in AFS/HTM portfolio;and
3. It facilitates for maximizing the return on funds deployed.

**4.4. Risk Based Supervisory Committee (RBSC)**

The following are the Members of the Committee -

- a. Managing Director & CEO [Head of the Committee]
- b. Executive Director/s
- c. All General Managers at Head Office
- d. Chief Compliance Officer at Head Office
- e. Chief Information Security Officer (CISO)
- f. Asst. General Manager/Chief Manager (Integrated Risk Management Department)-Convener

**Functions of the Committee:**

The review reports on progress shall be placed before the Board at quarterly intervals – like Risk Profile Template of the Bank updated on quarterly basis by IRMD, Risk Rating of branches under Risk Based Internal Audit on a quarterly basis.

The Committee met 9 times during the Financial Year 2016-17.

**4.5. Credit Risk Management Committee**

Members of the committee –

- a. Managing Director & CEO [Head of the Committee]
- b. Executive Directors
- c. General Manager (C & IFD)
- d. General Manager (Integrated Risk Management Dept.)
- e. General Manager(Credit Monitoring & Review Dept.)
- f. General Manager (Priority Sector Policy)
- g. General Manager (MSME)
- h. General Manager (Retail Credit)
- i. Assistant General Manager / Chief Manager (Integrated Risk Management Department) - Convener

**Functions of the Committee:**

The Committee is responsible for implementation of the credit risk policies/strategies approved by the Board/Risk Management Committee.

The Committee reviews the credit risk policy of the Bank, policies/standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks and recommend to Board/ Risk Management Committee for approval.

The Committee also decides on the delegation of credit approving powers, prudential limits on credit exposures, standards for loan collaterals, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc

The Committee met 28 times during the Financial Year 2016-17

**4.6. Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP)**

Members of the committee:

- a. Managing Director & CEO
- b. Executive Director/s
- c. All General Managers at Head Office
- d. Assistant General Manager (IRMD) Convener

**Functions of the Committee:**

1. The Executive Level Committee of ICAAP scrutinizes the assessment made in the ICAAP document and suggest modifications/changes, if any, to the document. and
2. The Committee recommends the ICAAP document to be placed before the Managing Director & Chief Executive Officer and, thereafter to the Board for approval.

The Committee met three times during the Financial Year 2016-17.



## 4.7 आरबीएस कार्यपालक समिति

समिति के सदस्य :

- क.. प्रबंध निदेशक (समिति के अध्यक्ष)
- ख. महा प्रबंधक (आईआरएमडी)
- ग. महा प्रबंधक (निवेश एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
- घ. महा प्रबंधक (केंद्रीय लेखा)
- ड. महा प्रबंधक (लार्ज कॉर्प)
- च. महा प्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा)
- छ. महा प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
- ज. महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
- झ. समप्र/मुप्र (आईआरएमडी) - संयोजक

### समिति के कार्य :

समिति के कार्य निम्नलिखित हैं :

1. डाटा संग्रहण, अनुकूलन, शुद्धता तथा संकलन; तथा
2. निर्धारित समय-सीमा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को डाटा प्रस्तुति का अनुमोदन ।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं ।

## 5. आम सभा बैठकें:

### 5.1 वार्षिक सामान्य बैठकें

साधारण बैठक	तिथि	समय	स्थान
चौदहवीं एजीएम	18.07.2014	02.30 PM	श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद - 500 073.
पन्द्रहवीं एजीएम	08.07.2015	11.00 AM	श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद - 500 073
सोलहवीं एजीएम	20.07.2016	11.00 AM	पट्टाभि भावनालय आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004

चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया । पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में दिनांक 08.07.2015 तथा 20.07.2016 को संपन्न एजीएम में शेयरधारकों द्वारा निम्न विशेष संकल्प पारित किया गया ।

• पात्र संस्थागत प्लेसमेंट, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर आदि द्वारा पूंजी जुटाना ।

गत तीन वर्षों के दौरान डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

### 5.2 असाधारण सामान्य बैठक

पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है :

तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
19.12.2013	पूर्वाह्न 11.00 बजे	श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2, श्री नगर कालोनी, हैदराबाद 500 073	भारत सरकार को अधिमाम्य आबंटन द्वारा 3,00,34,539 ईक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन । (विशेष संकल्प)
12.03.2015	पूर्वाह्न 11.30 बजे	श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2, श्री नगर कालोनी, हैदराबाद 500 073	भारत सरकार को अधिमाम्य आबंटन द्वारा 1,32,31,888 ईक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन । (विशेष संकल्प)
23.09.2015	अपराह्न 04.30 बजे	आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नं. 27-29, फाईनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक राम गुडा, गच्छीबाउली, हैदराबाद- 500 032	भारत सरकार को अधिमाम्य आबंटन द्वारा 4,94,63,491 ईक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन । (विशेष संकल्प)
21.03.2016	पूर्वाह्न 11.00 बजे	आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नं. 27-29, फाईनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक राम गुडा, गच्छीबाउली, हैदराबाद- 500 032	भारत सरकार को अधिमाम्य आबंटन द्वारा 2,88,53,210 ईक्विटी शेयरों का भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्गम और आबंटन । (विशेष संकल्प)

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई असाधारण बैठक आयोजित नहीं की गई ।



#### 4.7. RBS EXECUTIVE COMMITTEE

Members of the Committee -

- a. Executive Director (Chairman of the Committee)
- b. General Manager (Integrated Risk Management Department)
- c. General Manager (Investments & International Banking)
- d. General Manager (Central Accounts)
- e. General Manager (Large Corp)
- f. General Manager (Inspection & Audit)
- g. General Manager (Dept. of Information Technology)
- h. General Manager (Human Resources)
- i. Asst. General Manager/Chief Manager (Integrated Risk Management Department) - Convener

#### **Functions of the Committee:**

The functions of the Committee are to -

1. Review the progress of data collection, customization, sanitization and compilation; and
2. To approve submission of the data to the Reserve Bank of India as per the timelines stipulated.

The Committee met four times during the Financial Year 2016-17.

#### 5. General Body Meetings:

##### 5.1 Annual General Meeting

General Body Meeting	Date	Time	Venue
Fourteenth AGM	18.07.2014	02.30 PM	Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad-500 073.
Fifteenth AGM	08.07.2015	11.00 AM	Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad-500 073.
Sixteenth AGM	20.07.2016	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004

In the Fourteenth Annual General Meeting, no Special Resolutions were passed. In the Fifteenth and Sixteenth Annual General Meetings, the given below Special Resolutions were passed by the shareholders at the AGM held on 08.07.2015 and 20.07.2016:

- Raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer, etc.

No Special Resolution was passed through postal ballot during the previous three years.

##### 5.2 Extraordinary General Meeting

The details of Extraordinary General Meetings of the shareholders held during the last 3 years are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
19.12.2013	11.00 AM	Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad – 500 073.	To issue and allot 3,00,34,539 equity shares to Government of India on preferential basis. (Special Resolution)
12.03.2015	11.30 AM	Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad – 500 073.	To issue and allot 1,32,31,888 equity shares to Government of India on preferential basis. (Special Resolution)
23.09.2015	4.30 PM	Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.	To issue and allot 4,94,63,491 equity shares to Government of India on preferential basis. (Special Resolution)
21.03.2016	11.00 AM	Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.	To issue and allot 2,88,53,210 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis. (Special Resolution)

During the financial year 2016-17, no Extra-ordinary General Meeting was held.





## 5.3 घोषणाएं तथा प्रमाण पत्र

- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु बैंक की कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा वह रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सीईओ तथा सीएफओ का प्रमाण पत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है तथा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- बैंक ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन से आचरण-कूट अपनाया है, जोकि बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आचरण-कूट के अनुपालन की पुष्टि की है तथा अनुपालन-पुष्टि का प्रमाण पत्र कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अन्त में दिया गया है।
- बैंक ने बैंक की प्रतिभूतियों में अन्दरूनी ट्रेडिंग को रोकने हेतु एक आचरण-कूट भी बनाया है।

## 6.1 प्रकटन

- बैंक ने शेयर सूचीकरण से पूंजी बाजार संबंधी मामलों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया एवं शेयर बाजार या सेबी या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर अनुपालन के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कोई दंड नहीं लगाया गया।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार 31.03.2017 के तुलनपत्र के लेखों व अनुसूची पर टिप्पणियों में बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संबंधित पार्टी लेन-देन का कोई मामला नहीं आया है।
- निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने बैंक द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता की पुष्टि की है तथा इसे बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है।
- सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुरूप बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) द्वारा निष्पादित अनुपालन प्रमाण-पत्र कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- 31.03.2017 तक गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरों की संख्या निम्न प्रस्तुत है :
  - श्री ए कृष्णकुमार 200 शेयर
  - श्री जी शिवकुमार 100 शेयर
 अन्य सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों के पास बैंक के इक्विटी शेयर नहीं हैं।
- बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार बैंक द्वारा निदेशकों अथवा किसी फर्म को जिसमें निदेशक ईच्छुक हों अथवा किसी कंपनी को जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई भी निदेशक गारंटर, कर्मचारी, प्रबंधक अथवा निदेशक हो अथवा जिसमें उनका पर्याप्त हित हो, ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना प्रतिबंधित है।  
अतएव, बैंक का अपने निदेशकों, प्रबन्धन तथा/अथवा रिश्तेदारों का कोई महत्वपूर्ण सम्बन्धित लेनदेन नहीं है, जिसकी बैंक के हित से सम्भावित मतभेद हो सकता है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने टीयर-1/टीयर-2 पूंजी हेतु निम्न प्रलेख जारी किए हैं :-

प्रलेख विवरण	जारी करने की तिथि (आबंटन)	इश्यु का मूल्य	राशि (राशि करोड़ रु में)
बेसल-III अनुपालन टीयर-2 बांड (सीरीज़-सी)	27.06.2016	रु 10 लाख प्रति बांड	1000
बेसल-III अनुपालन टीयर-1 परपेचुअल ऋण-बांड (सीरीज़- III)	05.08.2016	रु 10 लाख प्रति बांड	900

- बेसल-III पूंजी विनियमों के अनुसार बैंक की पूंजी अपेक्षाओं को सुदृढ़ करने हेतु टीयर-1 तथा टीयर-2 पूंजी में वृद्धि के प्राथमिक उद्देश्य हेतु निधि जुटाई गई। पूंजी का उपयोग पूंजी-पर्याप्तता तथा बैंक की सामान्य व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया।
- बोर्ड की उप-समितियों का गठन एवं क्षेत्र भा रि बैं/भारत सरकार तथा अन्य लागू वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- कॉमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कॉमोडिटी बचाव गतिविधियाँ : लागू नहीं
- बैंक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा 46(2)(बी) से (i) में विनिर्दिष्ट अन्य सभी कारपोरेट गवर्नेंस अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
- बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची-V के उप-पैरा (2) से (10) की कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

### • आवश्यक एवं गैर-आवश्यक अपेक्षाएं :

बैंक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप सभी लागू आवश्यक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

### • विट्सल-ब्लोअर नीति :

बैंक "सार्वजनिक हित प्रकटन एवं सूचना-प्रदाता की सुरक्षा" (पीआईडीपीआई) तथा सेबी सूचीकरण विनियम, 20 के संकल्प के अनुरूप विट्सल-ब्लोअर नीति बनाई है।



**5.3 DECLARATIONS AND CERTIFICATES**

1. In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance of the Bank for the year 2016-17 and the same is annexed to the Report.
2. The certificate of CEO & CFO has been submitted to the Board of Directors and is annexed to this Report.
3. The Bank has adopted code of conduct from the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.andhrabank.in . All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming compliance is given at the end of corporate governance report.
4. The Bank has also framed a Code of Conduct for prevention of insider trading in Bank Securities.

**6.1. Disclosures**

1. The Bank had complied with all the requirements regarding Capital Market related matters since its listing of shares and no penalties or strictures has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority for non-compliance of any matter related to capital markets during the last three years.
2. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts, Schedule of the Balance Sheet as on 31.03.2017 as per Accounting Standards-18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2016-17.
3. The Directors and the Senior Management personnel affirm by the Model Code of Conduct framed by the Bank and the same is posted on the Bank’s website.
4. The Compliance Certificate executed by the Chief Executive Officer (CEO) and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank in terms of Regulation 17(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached to the Corporate Governance Report.
5. The number of shares held by Non Executive Directors as on 31.03.2017 is furnished below:
  1. Sri A. Krishnakumar 200 shares
  2. Sri G. Sivakumar 100 shares
 All other Non Executive Directors do not hold equity shares of the Bank.
6. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 prohibits grants of loans and advances by the Bank to Directors or to any firm in which the Directors are interested or to any company of which any of the Director of the Banking Company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.
7. During the year under review, the Bank has issued the following instruments to raise the Tier 1/ Tier 2 capital:

Instrument Details	Date of Issue (Allotment)	Issue Price	Amount Raised (Amt in Crores)
Basel III Compliant Tier -2 Bonds (Series – C)	27.06.2016	Rs.10 Lakhs per bond	1000
Basel III Compliant Additional Tier – 1 Perpetual Debt Bonds (Series- III)	05.08.2016	Rs.10 Lakhs per bond	900

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-1 & Tier 2 capital for strengthening Capital Adequacy requirements of the Bank in terms of Basel III Capital regulations. The capital raised was utilised to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

8. The constitution and scope of the sub-committees of Board is as per the extant Reserve Bank of India/ Government of India and other applicable guidelines.
9. Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: **Not Applicable.**
10. The Bank has complied with all other Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
11. The Bank has complied with the requirement of Corporate Governance Report of sub-para (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

• **MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS**

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

• **WHISTLE BLOWER POLICY**

The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the Government of India Resolution on “Public Interest Disclosures & Protection of Informer” (PIDPI) and SEBI Listing Regulations, 2015. Under this, a mechanism has been incorporated as to how an employee can report to about unethical behavior, if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or



। इसके अंतर्गत, एक पद्धति है कि किस प्रकार एक कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, यदि हो, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा आचरण अथवा नैतिकता के उल्लंघन को सूचना प्रमुख सतर्कता अधिकारी / प्रबंधन को दे सकता है। यह पद्धति अनुचित बरखास्तगी तथा इस पद्धति का प्रयोग करने वाले के विरुद्ध अन्य अनुचित रोजगार-चलन से कर्मचारी के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है, जिसने इस पद्धति का उपयोग किया है तथा किसी भी कर्मचारी को लेखा-परीक्षा समिति के संपर्क हेतु इंकार नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा बनायी गयी विट्सल-ब्लोअर नीति उप-टैब "नीतियां" के अन्तर्गत 'निवेशक-कोना' में बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) पर उपलब्ध है।

• **सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग ई में वर्णित अनुसार गैर-आवश्यक अपेक्षाओं को कार्यान्वयन निम्न अनुसार हैं :**

क्र.सं.	गैर-आवश्यक अपेक्षाएं	कार्यान्वयन का स्तर
1.	<b>बोर्ड</b> गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध ईकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय के रख-रखाव हेतु पात्र है तथा अपने कार्यों के निर्वाह हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति को अनुमति है।	बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा (9) (3) के अनुसार बोर्ड का गठन किया गया है। अतएव, यह खंड हम पर लागू नहीं है।
2.	<b>शेयरधारकों के अधिकार</b> गत 6 माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जानी चाहिए।	बैंक ने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सभी शेयरधारकों को भिजवाए हैं।
3.	<b>लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत</b> सूचीबद्ध ईकाई अनाशोधित लेखा-परीक्षा अभिमत सहित वित्तीय विवरण दे सकती है।	सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों पर लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में कोई पात्रता जारी नहीं की है।
4.	<b>अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद</b> सूचीबद्ध ईकाई अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग व्यक्ति नियुक्त कर सकती है।	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ. सं. 4/6/2015 ज्.बी. ओ.। दिनांक 02 नवंबर, 2015 द्वारा बैंक का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया चूंकि बैंक का बोर्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण तथा उपक्रम का अंतरण), अधिनियम, 1980 की धारा (9)(3) के अनुसार गठित किया गया है।
5.	<b>आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग</b> आंतरिक लेखा-परीक्षक सीधे लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है।	महा प्रबंधक, निरीक्षण विंग (आंतरिक लेखा-परीक्षा) तथा उनके द्वारा नामित अधिकारी को सभी रिकार्ड, आस्तियों, कार्यों तथा अधिकारियों तक असीमित पहुंच है तथा वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति तक पूर्ण एवं फ्री पहुंच है।

• 'मैटैरियल सब्सिडरी' के निर्धारण हेतु नीति बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in/English/GenInvestcorner.aspx](http://www.andhrabank.in/English/GenInvestcorner.aspx) पर उपलब्ध है।

• संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in/UserFiles/File/POLICY\\_ON\\_RELATED\\_PARTY\\_TRANSACTION.pdf](http://www.andhrabank.in/UserFiles/File/POLICY_ON_RELATED_PARTY_TRANSACTION.pdf) पर उपलब्ध है।

## 6.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशकों को दिये गये पारिश्रमिक \* का विवरण

निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदान किया जाता है। बैंक के पूर्ण-कालिक निदेशकों को वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदत्त वेतन का विवरण निम्न अनुसार है :

(राशि रुपये में)

निदेशक	वेतन	बैठक शुल्क	कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि	
			वि.व.अवधि	राशि
श्री सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.04.2016 से 31.03.2017)	2678854	--	2015-16	--
श्री एस.के.कालरा कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	2519353	--	2015-16	--
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक (01.04.2016 से 31.03.2017)	2349553	--	2015-16	--
श्री के तामरै सेलवन कामगार कर्मचारी निदेशक (01.04.2016 से 25.11.2016)	891594	--	2015-16	--

\* पारिश्रमिक में वेतन, लाभ परिलब्धियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं।



ethics. It is affirmed that this mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employee from unfair termination and other unfair employment practices who have used this mechanism and no personnel has been denied access to the Audit Committee.

The Whistle Blower Policy formulated by the Bank is available on the Bank's website: [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) under the tab 'Investor's Corner' under the sub tab: 'Policies'.

**The extent of implementation of non-mandatory requirements as mentioned in Schedule II Part E of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is furnished hereunder:**

SL. NO.	NON MANDATORY REQUIREMENT	STATUS OF IMPLEMENTATION
1.	<b>The Board</b> A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain the Chairperson's office at the listed entity's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Board is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. Hence the clause is not applicable to us.
2.	<b>Shareholder Rights</b> The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six-months should be sent to each household of shareholders.	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
3.	<b>Modified Opinion(s) in Audit Report</b> The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	Statutory Auditors have not issued any qualifications in the Auditor's Report on the Annual Accounts for the year ended 31.03.2017
4.	<b>Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer</b> The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	Government of India vide its Notification No. F. No.4/6/2015-BO.I dated 02nd November, 2015 appointed Managing Director & CEO of the Bank, since the Board of the Bank is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.
5.	<b>Reporting of Internal Auditor</b> The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

- The policy for determining 'Material Subsidiaries' is available on the Bank's website: [www.andhrabank.in/English/GenInvestcorner.aspx](http://www.andhrabank.in/English/GenInvestcorner.aspx)
- The policy on dealing with Related Party transactions is available on Bank's website: [www.andhrabank.in/UserFiles/File/POLICY\\_ON\\_RELATED\\_PARTY\\_TRANSACTIONS.pdf](http://www.andhrabank.in/UserFiles/File/POLICY_ON_RELATED_PARTY_TRANSACTIONS.pdf)

**6.2 Details of remuneration\* paid to the Directors for the Financial year 2016-17**

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the Whole-Time Directors of the Bank, during the year 2016-17 are as under:

(Amount in ₹)

Director	Salary	Sitting Fees	Performance based Incentive	
			Period FY	Amount
Sri Suresh N Patel Managing Director & Chief Executive Officer (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	2678854	--	2015-16	--
Sri S K Kalra Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	2519353	--	2015-16	--
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director (From 01.04.2016 to 31.03.2017)	2349553	--	2015-16	--
Sri K. Thamaraiselvan Workmen Employee Director (From 01.04.2016 to 25.11.2016)	891594	--	2015-16	--

\* The remuneration includes salary, benefits, perquisites etc.



गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र निदेशकों को, बैठक शुल्क, यात्रा एवं ठहरने हेतु व्यय के अलावा, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोर्ड/समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु, कोई पारितोषिक प्रदान नहीं किया जा रहा है। बैठक शुल्क भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदान किया जाता है।

## 7. सूचना के साधन

शेयर बाजार, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, को तिमाही वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं।

बैंक का मानना है कि सभी पणधारियों को विभिन्न गतिविधियों, कार्यनिष्पादन एवं उत्पाद पहल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वर्ष 2016-2017 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये। बैंक की वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) पर भी परिणाम उपलब्ध कराये गये। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन प्रेस बैठक बुलायी जाती है जिसमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप, वित्तीय परिणाम तथा अन्य संवेदनशील सूचनाएं शेयर बाजारों को भेजी जाती हैं। बैंक अपने वेबसाइट में दिए गए अधिकारिक समाचार को प्रदर्शित भी करता है।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं अन्य उच्च कार्यपालक अपने दौरों के समय भारत के अन्य स्थानों पर और विदेश के दौरों के समय निधि प्रबंधकों के साथ आपसी बैठक एवं प्रेस के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक के निष्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। बैंक ने वित्तीय परिणामों पर संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण दिया, ये प्रस्तुतियों शेयर बाजारों को भेजी जाती हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यतः निम्न समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम एवं नोटिस दिये जाते हैं :

अंग्रेजी	इकनामिक टाइम्स, मिनट, फाईनेंशियल एक्सप्रेस, बिजिनेस स्टैंडर्ड, बिजिनेस लाइन, हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, हंस इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन क्रॉनिकल, तेलंगाना टूडे
तेलुगु	विशालान्धा, नव तेलंगाना, मना तेलंगाना, नमस्ते तेलंगाना, ईनाडु, साक्षी, आन्ध्र ज्योति, आन्ध्र प्रभा
हिन्दी	हिन्दी मिलाप, जनसत्ता
उडिया	सियासत, मुनिसिफ डेली, रेहनुमा-ए-डेक्कन

## 8. शेयरधारक जानकारी

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है। 31.03.2017 को बैंक की 2908 शाखाएँ, सीआर सहित 3929 एटीएम, 36 आंचलिक कार्यालय तथा 8 सर्कल कार्यालय देश भर में फैले हैं।

निम्नलिखित शेयर बाजारों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं :-

- क. बीएसई लिमिटेड सिंबल : 532418  
 25 वां तल, फिरोज जीजीभाई टावर स्टॉक कूट/सिस्टम : ANDBKDM  
 दलाल स्ट्रीट, मुंबई -400 001,
- ख. दि नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक कूट /सिंबल: ANDHRABANK  
 एक्सचेंज प्लाजा,  
 बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,  
 बांद्रा पूर्व, मुम्बई - 400 051.

वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान 31.03.2017 तक कर दिया गया है।

### 8.1 शेयरों का अमूर्तिकरण तथा तरलता

बैंकों के शेयर सेबी की अनिवार्य अमूर्त सूची के अंतर्गत हैं एवं बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए एक निर्गमी कम्पनी के रूप में बैंक नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में निक्षेपागार सेवाओं का सदस्य है। शेयरधारक अपने शेयरों का एनएसडीएल या सीडीएसएल में अमूर्तिकरण कर सकते हैं। निक्षेपागार सेवाओं ने बैंक को निम्न आईएसआईएन संख्याएँ आबंटित की हैं..

एनएसडीएल - INE434A01013

सीडीएसएल - INE434A01013

मार्च 31, 2017 को बैंक के 2,31,792 शेयरधारकों में से 32,763 शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में हैं और 1,99,029 शेयरधारक के शेयर अमूर्त रूप में हैं। बैंक के कुल 68,11,63,492 इक्विटी शेयरों में से 41,73,10,282 इक्विटी शेयर भारत सरकार के पास हैं एवं शेष 26,38,53,210 आम जनता को निर्गमित किये गये हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के पास हमारे बैंक की 14.5000% शेयर पूंजी है। किसी प्रकार के बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखतें नहीं हैं।



The Non-Executive / Independent Directors are not being paid any remuneration, except the sitting fees, travelling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees are paid as per Government of India Directives.

### 7. Means of Communication

Quarterly Financial Results are submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed within the stipulated time frame.

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on different activities, performance and product initiatives. Annual, half yearly and quarterly results of the Bank for the year 2016-17 were published in the leading newspapers. The results were also made available on the Bank's website www.andhrabank.in; The Annual Report is sent to all the shareholders of the Bank. Every year, after the annual, half yearly and quarterly results are declared, a Press Meet is held on the same day in which the Managing Director & Chief Executive Officer answers to the queries of the Media.

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information's are furnished to Stock Exchanges. The Bank also displays official news releases in its website.

The Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and other top functionaries, in the course of their visits to other centers in India as well as abroad, undertake one to one meeting with the Fund Managers as well as Press personally and appraise them about the performance of the Bank. The Bank made presentations on financial results to institutional investors/ analysts, these presentations are furnished to Stock Exchanges and also made available on the Bank's website. The following news papers mainly cover the Financial Results and Notices:

English	Economic Times, Mint, Financial Express, Business Standard, Business Line, Hindu, Times of India, Nav Bharat Times, Hindustan Times, Hans India, Indian Express, Deccan Chronicle, Telangana Today
Telugu	Visalandhra, Nava Telangana, Mana Telangana, Namasthe Telangana, Eenadu, Saakshi, Andhra Jyothi, Andhra Prabha
Hindi	Hindi Milap, Jansatta
Urdu	Siaset, Munisiff Daily, Rehnuma-e-deccan

### 8. Shareholders Information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with the Head Office situated at Hyderabad. The Bank has its presence in 2908 branches, 3929 ATMs including CRs, 36 Zonal Offices and 8 Circle Offices as on 31.03.2017.

The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges:

- |                                                                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a. BSE Limited<br>25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers<br>Dalal Street<br>Mumbai – 400 001.                            | Symbol: 532418<br>Stock Code/System: ANDBKDM |
| b. The National Stock Exchange of India Ltd.,<br>Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,<br>Bandra East, Mumbai – 400 051 | Stock Code/ Symbol:ANDHRABANK                |

The annual listing fee has been paid till 31.03.2017.

#### 8.1 Dematerialisation of shares and liquidity

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank is a Member of the Depository Services with National Securities Depository Ltd (NSDL) and Central Depository Services ( India ) Ltd (CDSL), as an issuer company for dematerialisation of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The Depository Services have allotted the following ISIN number to the Bank.

NSDL -- INE434A01013  
CDSL -- INE434A01013

As on March 31, 2017, out of 2,31,792 shareholders of the Bank 32,763 shareholders hold the shares of the Bank under physical mode and 1,99,029 shareholders hold the shares in demat form. Out of the total equity shares of 68,11,63,492 of the Bank, 41,73,10,282 equity shares are held by the Government of India and the remaining 26,38,53,210 are held by the public. Life Insurance Corporation of India is holding 14.5000% on the share capital of our Bank. There are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.



## 8.2 वित्त-वर्ष 2016-17 के दौरान लाभांश प्रस्तावित नहीं है।

### 8.3 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंतरण उनके प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 15 दिन की अवधि के अंदर प्रभावी हों। बोर्ड ने अंतरणों की पुष्टि के लिए एक शेयर अंतरण समिति बनायी है जिसकी नियमित अंतरालों पर बैठकें होती हैं। रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट निर्धारित सांविधिक अवधि के अंदर अंतरण प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका पुष्टिकरण शेयर अंतरण समिति द्वारा किया जाता है।

शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलापों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, मुंबई के कार्यालय में की जाती है।

शेयरधारक अंतरण विलेख एवं अन्य कोई दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के निम्न पते पर भेज सकते हैं :

**मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.**

**यूनिट : आन्ध्रा बैंक**

**002, भू-तल,**

**काशीराम जमनादास बिल्डिंग**

**5, पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई - 400 009**

**फोन नं. 022-40206020 / 22 / 23 24**

**फैक्स नं. 022-40206021**

**संपर्क व्यक्ति : श्री सुबोध विचारे**

**ई-मेल आईडी : mcssta.mumbai@gmail.com**

**subodh@mcsregistrars.com**

बैंक प्रधान कार्यालय के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग में निवेशक सेवाओं से संबंधित कार्य भी करता है और संसूचना/पत्राचार/फरियाद/शिकायतों को निवारणार्थ निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

**कंपनी सचिव**

**शेयरधारकों/निवेशक सेवाएँ अनुभाग**

**आन्ध्रा बैंक,**

**डा. पट्टाभि भवन, प्रधान कार्यालय**

**5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004.**

**टेलीफोन : 040 - 23252371 फैक्स सं 040 - 23230883,**

**ई मेल पता: mbd@andhrabank.co.in**

### 8.4 एस्को खाता खोलना

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010, दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 5 ए में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, पब्लिक इश्यू अथवा अन्य इश्यू के कारण मृत रूप में जारी शेयरों हेतु, जो अदावे रूप में रह जाते हैं, जारीकर्ता कंपनी को उसमें निहित प्रक्रिया का पालन करना है।

बैंक ने आन्ध्रा बैंक केंद्रीयकृत डीपी शाखा, सोमाजिगुडा, हैदराबाद में एस्को खाता खोला है और 25.03.2010 को हमारे फालो ऑन पब्लिक ऑफर में भाग लेने वाले शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को अंतरित किया है। बैंक ने 183 शेयरधारकों से संबंधित 27,279 अदावाकृत शेयरों को उपर्युक्त एस्को खाते में अंतरित किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान खाते से शेयरधारकों के डीमैट खातों में ईक्विटी शेयरों के अंतरण हेतु कोई अनुरोध नहीं आया है। उक्त खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों तथा शेयरधारकों की संख्या 19,051 शेयर तथा 134 शेयरधारक हैं।

इन अदावी शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे शेयरों के असली हकदार शेयरोंका दावा नहीं करते हैं।

**8.5 निम्न अदावी लाभांश राशि का शेष बैंकिंग कंपनी (अभिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाएगा तथा इसके पश्चात शेयरधारकों द्वारा बैंक अथवा आईईपीएफ को भुगतान हेतु कोई दावा नहीं होगा।**

क्र सं	अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण	लाभांश भुगतान तिथि	दिनांक 31.03.2017 तक शेष (रु में)	आईईपीएफ को अंतरण की तिथि
1	अप्रदत्त लाभांश खाता 2009-10	28.06.2010	24781140.00	05.09.2017
2	अप्रदत्त लाभांश खाता 2010-11	29.06.2011	26536949.50	06.10.2018
3	अप्रदत्त लाभांश खाता 2011-12	11.07.2012	28840537.50	18.10.2019
4	अप्रदत्त लाभांश खाता 2012-13	29.07.2013	31398445.00	05.11.2020
5	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013-14	31.01.2014	9033726.10	07.04.2021
6	अप्रदत्त लाभांश खाता 2014-15	17.07.2015	16666850.00	24.10.2022
7	अप्रदत्त लाभांश खाता 2015-16	26.07.2016	6621591.50	02.11.2023



**8.2** No Dividend is proposed during the financial year 2016-2017.

**8.3 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances**

The Bank ensures that all transfers are duly effected within the period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee for confirmation of the transfers, which meets at regular intervals.

The Registrars & Share Transfer Agents undertake the process of transfers within the stipulated statutory period which is confirmed by the Share Transfer Committee.

Share Transfers, Dividend Payments and all other Investor related activities are attended to and processed at the Office of the Registrars and Share Transfer Agents, M/S.MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai.

The Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at the following address of the Registrars and Share Transfer Agents:

**M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED**  
**Unit: ANDHRA BANK**  
**002, GROUND FLOOR**  
**KASHIRAM JAMNADAS BLDG.,**  
**5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST**  
**MUMBAI - 400 009.**  
**PH.NO. 022-40206020/22/23/24 FAX NO. 022-40206021**  
**Contact Person: Mr. Subodh Vichare**  
**Email id: mcssta.mumbai@gmail.com;**  
**subodh@mcsregistrars.com**

The Bank also undertakes the investor services in Merchant Banking Division at Head Office of the Bank. Any communication / correspondence /grievances/ complaints can be sent to the following address for redressal:

**The Company Secretary**  
**Shareholders/ Investor Relation Section**  
**Andhra Bank**  
**Dr.Pattabhi Bhavan, Head Office**  
**5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.**  
**Tel: 040-23252371; Fax. 040-23230883**  
**E-mail id: mbd@andhrabank.co.in**

**8.4 Opening of an ESCROW Account**

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure therein.

The Bank has opened an ESCROW Account with Andhra Bank Centralised DP Branch, Somajiguda, Hyderabad and on 25.03.2010 transferred the unclaimed shares of the shareholders who have participated in our Follow-on Public Offer. 27,279 unclaimed shares pertaining to 183 shareholders were transferred to the above Escrow Account.

During the year 2016-17, no request has come for transferring of equity shares from the account to the shareholders' demat account. The number of unclaimed shares and shareholders outstanding in the Suspense account are 19,051 shares and 134 shareholders.

The voting rights on these unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

**8.5** The balance of the following Unclaimed Dividend amount will be transferred as per details mentioned below to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF by the shareholders:

Sl No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	Dividend Payment Date	Balance as on 31.03.2017 (In ₹)	Due Date to transfer to IEPF
1	Unpaid Dividend A/c 2009-10	28.06.2010	24781140.00	05.09.2017
2	Unpaid Dividend A/c 2010-11	29.06.2011	26536949.50	06.10.2018
3	Unpaid Dividend A/c 2011-12	11.07.2012	28840537.50	18.10.2019
4	Unpaid Dividend A/c 2012-13	29.07.2013	31398445.00	05.11.2020
5	Unpaid Dividend A/c 2013-14	31.01.2014	9033726.10	07.04.2021
6	Unpaid Dividend A/c 2014-15	17.07.2015	16666850.00	24.10.2022
7	Unpaid Dividend A/c 2015-16	26.07.2016	6621591.50	02.11.2023





## 9. वित्तीय कैलेंडर

### 9.1. शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक:

बैंक के शेयर धारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण .

वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय एवं स्थान	21 जुलाई, 2017 प्रातः 10.00 बजे, 'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक प्रधान कार्यालय, डॉ पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 9.2 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

अवधि की समाप्ति पर त्रैमासिक परिणामों का अनुमोदन :

30 जून 2017	--- जुलाई 2017 के अंत तक
30 सितंबर 2017	--- अक्टूबर 2017 के अंत तक
31 दिसंबर 2017	--- जनवरी 2018 के अंत तक
31 मार्च 2018	--- लेखा परीक्षित वार्षिक खाते - अप्रैल 2018

### 9.3 वार्षिक सामान्य बैठक हेतु लेखा बंदी की तिथि

दिनांक 15.07.2017 से 21.07.2017 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक लेखा बंदी ।

### 9.4 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है ।

### 9.5 दिनांक 31.03.2017 को शेयरधारिता का स्वरूप

क्र.सं.	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर का %
01	भारत सरकार	1	417310282	61.2643
02	आम जनता	228199	98329737	14.4355
03	एनआरआई /ओसीबी	1844	3065653	0.4501
04	प्राइवेट कार्पोरेट निकाय	1574	20171708	2.9614
05	म्यूच्युअल फंड एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट	10	2563039	0.3762
06	बैंक/ वित्तीय संस्था/बीमा कम्पनी	36	101647611	14.9227
07	विदेशी संस्थागत निवेशक	97	37531439	5.5099
08	अन्य	31	544023	0.0799
	<b>कुल</b>	<b>231792</b>	<b>681163492</b>	<b>100.0000</b>

दिनांक 31 मार्च, 2017 तक कुल विदेशी शेयरधारिता 5.5102% रही (दिनांक 31 मार्च 2016 तक 6.5049%) जो बैंक की प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है ।

क्र सं	श्रेणी	दिनांक 31.03.2016 तक		दिनांक 31.03.17 तक	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	104	42125849	97	37531439
2.	एनआरआई / ओसीबी	1749	2183248	1844	3065653
	<b>कुल</b>	<b>1853</b>	<b>44309097</b>	<b>1941</b>	<b>40597092</b>

### 9.6 बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किये हैं.

### 9.7 दिनांक 31.03.2017 तक बैंक के शीर्ष पांच शेयरधारक :

क्र.सं.	निवेशक का नाम	कुल धारिता का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या
01	भारत सरकार	61.2643	417310282
02	भारतीय जीवन बीमा निगम (अन्य 27 योजनाओं सहित)	14.5000	98768706
03	आम्रपल्लि कैपिटल तथा वित्त सेवाएं लिमिटेड	0.6787	4622989
04	स्विस वित्त कोर्पोरेशन (मारिशस) लिमिटेड	0.4285	2918522
05	आयामी उभरती बाजार मूल्य निधि	0.3956	2694402



## 9. Financial Calendar

### 9.1 Annual General Meeting of the Shareholders:

Particulars of the Seventeenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

Date, Time & Venue of the AGM	21st July, 2017 at 10 am at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 9.2 Financial Calendar (Tentative)

Approval of quarterly results for the period ending:

June 30, 2017	--	End of July, 2017
September 30, 2017	--	End of October, 2017
December 31, 2017	--	End of January, 2018
March 31, 2018	--	Audited Annual Accounts – April, 2018

### 9.3 Date of Book Closure for Annual General Meeting

Book Closure from 15.07.2017 to 21.07.2017 (both days inclusive).

### 9.4 No Dividend is proposed for the Financial Year 2016-17.

### 9.5 SHARE HOLDING PATTERN AS ON 31.03.2017

Sl. No.	Category	No. of Holders	No. of Shares	% to Shares
01	Government of India	1	417310282	61.2643
02	General Public	228199	98329737	14.4355
03	NRIs / OCBs	1844	3065653	0.4501
04	Private Corporate Bodies	1574	20171708	2.9614
05	Mutual Funds & UTI	10	2563039	0.3762
06	Banks / Financial Institutions / Insurance Cos.	36	101647611	14.9227
07	Foreign Portfolio Investors	97	37531439	5.5099
08	Others	31	544023	0.0799
	<b>TOTAL</b>	<b>231792</b>	<b>681163492</b>	<b>100.0000</b>

The total foreign shareholding as on 31st March, 2017 was 5.5102% (6.5049% as on 31st March, 2016) as under, which is within the stipulated level of 20% of the paid up capital of the Bank:

Sl. No	Category	As on 31.03.2016		As on 31.03.2017	
		No. of shareholders	No. of shares	No. of shareholders	No. of shares
1.	Foreign Portfolio Investors	104	42125849	97	37531439
2.	NRIs / OCBs	1749	2183248	1844	3065653
	Total	1853	44309097	1941	40597092

### 9.6 Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments

### 9.7 Top 5 shareholders of the Bank as on 31.03.2017

Sl.No	Name of the Investor	Percentage of total holding	Total number of shares
01	Government of India	61.2643	417310282
02	Life Insurance Corporation of India (including 27 other schemes)	14.5000	98768706
03	Amrapali Capital and Finance Services Limited	0.6787	4622989
04	Swiss Finance Corporation (Mauritius) Limited	0.4285	2918522
05	Dimensional Emerging Markets Value Fund	0.3956	2694402



## 10. दिनांक 31.03.2017 को श्रेणी-वार शेयरधारकों का वितरण

नामिनल मूल्य	शेयरधारक		शेयर राशि	
	धारक	%	राशि	%
Upto 5000	193396	83.4351	327703960	4.8109
5001 - 10000	22736	9.8088	188667280	2.7698
10001 - 20000	9285	4.0057	133892330	1.9656
20001 - 30000	2523	1.0885	63456700	0.9316
30001 - 40000	986	0.4254	35413520	0.5199
40001 - 50000	803	0.3464	37889800	0.5563
50001 - 100000	1090	0.4703	81360010	1.1944
100001 and above	973	0.4198	5943251320	87.2515
<b>Total</b>	<b>231792</b>	<b>100.00</b>	<b>6811634920</b>	<b>100.00</b>

## 11. दिनांक 31.03.2017 तक राज्य-वार शेयरधारिता वितरण (पिनकोड-वार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	धारक	धारिता	%
1	अंडामन निकोबार	9	394	0.0001
2	आन्ध्र प्रदेश	48352	21500852	3.1565
3	अरुणाचल प्रदेश	5	1253	0.0002
4	असम	666	336147	0.0493
5	बिहार	1587	455047	0.0668
6	चंडीगढ़	436	310769	0.0456
7	छत्तीसगढ़	834	322842	0.0474
8	नई दिल्ली	9835	424268971	62.2859
9	गोवा	550	492237	0.0723
10	गुजरात	13270	9735716	1.4293
11	हरियाणा	2243	1008248	0.1480
12	हिमाचल प्रदेश	221	77935	0.0114
13	जम्मू व कश्मीर	258	132292	0.0194
14	झारखण्ड	1493	576388	0.0846
15	कर्नाटक	13641	5293360	0.7771
16	केरल	4479	1690915	0.2482
17	मध्य प्रदेश	2934	1267885	0.1861
18	महाराष्ट्र	28151	160407719	23.5491
19	मणिपुर	8	7085	0.0010
20	मेघालय	34	42620	0.0063
21	मिज़ोरम	5	4600	0.0007
22	नागालैंड	26	8125	0.0012
23	ओडीशा	4764	1597614	0.2345
24	पौडिचेरी	323	115761	0.0170
25	पंजाब	1816	1168201	0.1715
26	राजस्थान	4243	2677910	0.3931
27	सिक्किम	16	36324	0.0053
28	तमिलनाडु	17446	7617389	1.1183
29	तेलंगाना	35209	17690718	2.5971
30	त्रिपुरा	60	20374	0.0030
31	उत्तर प्रदेश	7222	2995260	0.4397
32	उत्तरांचल	521	138544	0.0203
33	पश्चिम बंगाल	9463	5511108	0.8091
34	अन्य	21672	13652889	2.0043
	<b>कुल :</b>	<b>231792</b>	<b>681163492</b>	<b>100.0000</b>

(\*) मुंबई में प्रतिनिधि कार्यालय वाले, एफआईआई / एनआरआई शेयरधारक सम्मिलित हैं।



**10 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS RANGE-WISE AS ON 31-03-2017**

Nominal Value	SHARE HOLDERS		SHARE AMOUNT	
	Holders	%	Amount	%
Upto 5000	193396	83.4351	327703960	4.8109
5001 - 10000	22736	9.8088	188667280	2.7698
10001 - 20000	9285	4.0057	133892330	1.9656
20001 - 30000	2523	1.0885	63456700	0.9316
30001 - 40000	986	0.4254	35413520	0.5199
40001 - 50000	803	0.3464	37889800	0.5563
50001 - 100000	1090	0.4703	81360010	1.1944
100001 and above	973	0.4198	5943251320	87.2515
<b>Total</b>	<b>231792</b>	<b>100.00</b>	<b>6811634920</b>	<b>100.00</b>

**11. STATE WISE SHAREHOLDING DISTRIBUTION AS ON 31-03-2017 (PINCODE-WISE)**

SRL_NO	STATE_NAME	HOLDERS	HOLDING	%
1	ANDAMAN NICOBAR	9	394	0.0001
2	ANDHRA PRADESH	48352	21500852	3.1565
3	ARUNACHAL PRADESH	5	1253	0.0002
4	ASSAM	666	336147	0.0493
5	BIHAR	1587	455047	0.0668
6	CHANDIGARH	436	310769	0.0456
7	CHHATTISGARH	834	322842	0.0474
8	DELHI	9835	424268971	62.2859
9	GOA	550	492237	0.0723
10	GUJARAT	13270	9735716	1.4293
11	HARYANA	2243	1008248	0.1480
12	HIMACHAL PRADESH	221	77935	0.0114
13	JAMMU KASHMIR	258	132292	0.0194
14	JHARKHAND	1493	576388	0.0846
15	KARNATAKA	13641	5293360	0.7771
16	KERALA	4479	1690915	0.2482
17	MADHYA PRADESH	2934	1267885	0.1861
18	MAHARASHTRA	28151	160407719	23.5491
19	MANIPUR	8	7085	0.0010
20	MEGHALAYA	34	42620	0.0063
21	MIZORAM	5	4600	0.0007
22	NAGALAND	26	8125	0.0012
23	ORISSA	4764	1597614	0.2345
24	PONDICHERRY	323	115761	0.0170
25	PUNJAB	1816	1168201	0.1715
26	RAJASTHAN	4243	2677910	0.3931
27	SIKKIM	16	36324	0.0053
28	TAMIL NADU	17446	7617389	1.1183
29	TELANGANA	35209	17690718	2.5971
30	TRIPURA	60	20374	0.0030
31	UTTAR PRADESH	7222	2995260	0.4397
32	UTTARANCHAL	521	138544	0.0203
33	WEST BENGAL	9463	5511108	0.8091
34	OTHERS	21672	13652889	2.0043
	<b>TOTAL :</b>	<b>231792</b>	<b>681163492</b>	<b>100.0000</b>


(\*) includes FII / NRI shareholders having correspondent offices in Mumbai



**12. शेयरों का मूल्य, शेयर बाजार में व्यापार किये गये शेयरों की मात्रा**

अवधि माह	भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड			बीएसई लिमिटेड, मुंबई		
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा
अप्रैल, 2016	57.20	50.00	34938630	57.20	50.20	3139886
मई, 2016	55.90	44.70	45826611	55.85	44.80	3603853
जून, 2016	58.95	48.00	74119962	57.25	48.00	7678929
जुलाई, 2016	63.75	56.55	75906561	64.50	56.60	7255243
अगस्त, 2016	61.85	54.30	69763400	61.90	54.45	5729586
सितम्बर, 2016	64.05	55.10	63799053	63.95	55.15	6287081
अक्तूबर, 2016	59.50	54.25	43940890	59.90	54.05	3860092
नवम्बर, 2016	58.75	47.80	61614874	58.65	47.95	7062801
दिसम्बर, 2016	52.30	45.85	30543180	52.35	45.60	2657846
जनवरी, 2017	51.90	47.05	38653890	52.25	47.00	2588810
फरवरी, 2017	58.70	49.80	88465841	58.65	49.80	5915952
मार्च, 2017	59.10	53.20	80285941	58.75	53.30	5346348

बैंक निफ्टी, एनएसई तथा बीएसई के संचालन की तुलना में बैंक के शेयर का निष्पादन निम्न प्रस्तुत है :-




बैंक के शेयर का मूल्य दिनांक 31 मार्च, 2017 को, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड, मुम्बई में रु 57.95 पैसे एवं मुम्बई शेयर बाजार लिमिटेड में रु. 57.90 पैसे पर बंद हुआ।





**12 SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED ON STOCK EXCHANGES**



Period	National Stock Exchange of India Limited			BSE Limited, Mumbai		
	Month	High	Low	Volume	High	Low
April 2016	57.20	50.00	34938630	57.20	50.20	3139886
May 2016	55.90	44.70	45826611	55.85	44.80	3603853
June 2016	58.95	48.00	74119962	57.25	48.00	7678929
July 2016	63.75	56.55	75906561	64.50	56.60	7255243
August 2016	61.85	54.30	69763400	61.90	54.45	5729586
September 2016	64.05	55.10	63799053	63.95	55.15	6287081
October 2016	59.50	54.25	43940890	59.90	54.05	3860092
November 2016	58.75	47.80	61614874	58.65	47.95	7062801
December 2016	52.30	45.85	30543180	52.35	45.60	2657846
January 2017	51.90	47.05	38653890	52.25	47.00	2588810
February 2017	58.70	49.80	88465841	58.65	49.80	5915952
March 2017	59.10	53.20	80285941	58.75	53.30	5346348

**Performance of Bank’s share in comparison with the movement of Bank Nifty, NSE and BSE is shown here below:**







The Bank’s share price as on 31st March, 2017 closed at ₹ 57.95p. on the National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and at ₹ 57.90p. on the BSE Limited













13 प्रति शेयर डाटा

	2014-15	2015-16	2016-17
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-	10/-
दिनांक 31 मार्च तक बाजार भाव - एनएसई (रु.)	79.00	52.25	57.95
प्रति शेयर आय (रु.)	10.82	8.60	2.56
प्रति शेयर लाभांश (रु.)	2.00	0.50	-
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	153.84	150.68	153.84
लाभांश भुगतान (निवल लाभ का %)	22.66%	7.59%	-

14. चलनिधि :

आन्ध्रा बैंक का शेयर बी.एस.ई. में ग्रुप/सूची ए/ 'एस एवं पी बीएसई 200' एवं एनएसई के 'एनआईएफटीवाई 500' में सम्मिलित है । व्यापार की पर्याप्त मात्रा शेयरधारकों को प्रवेश/निकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है ।

15. दिनांक 31.03.2017 तक बैंक बॉड के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता निम्नानुसार है :-

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवाएं लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग

17, भू-तल, आर. कमानी मार्ग

बलार्ड एस्टेट,

मुम्बई-400001

फोन नं. 022-40807037



### **13 PER SHARE DATA**

	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>
Face Value (₹)	10/-	10/-	10/-
Market Quotation as on 31st March – NSE (₹)	79.00	52.25	57.95
Earnings Per Share (₹)	10.82	8.60	2.56
Dividend Per Share (₹)	2.00	0.50	-
Book Value Per Share (₹)	153.84	150.68	153.84
Dividend payout (% of Net Profit)	22.66%	7.59%	-

### **14. LIQUIDITY**

Andhra Bank scrip belongs to Group / Index 'A/S&P BSE 200' on BSE and 'NIFTY 500' on NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

15. The name and address of Debenture Trustees in respect of Bank's Bonds as on 31.03.2017 are as follows:

IDBI Trusteeship Services Limited  
 Asian Building  
 17, Ground Floor, R. Kamani Marg  
 Ballard Estate  
 Mumbai – 400 001  
 Ph No. 022-40807037



**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा**

(सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में)

निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों ने दिनांक 31.03.2017 तक निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन की आचार-संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

(सुरेश एन. पटेल)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



**DECLARATION BY MD AND CEO**

(Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of Board of Directors and Senior Management as on 31.03.2017.

Sd/-

(Suresh N. Patel)

Managing Director and CEO



**प्रमाणपत्र**

सेबी के विनियम 17 (8) के अनुसरण में (सूचीबद्ध देयता एवं प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015)

निदेशक मंडल

आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय,

हैदराबाद

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

(क) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण तथा नकद-प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है तथा हमारी उत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी तथ्यात्मक जानकारी को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हों ।

ii. ये सभी विवरण एक साथ बैंक के कार्यों का सही एवं उचित चित्रण करते हैं तथा लागू कानून, विनियम एवं वर्तमान लेखा मानकों के अनुरूप हैं ।

हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण, गैर-कानूनी अथवा बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई लेनदेन नहीं किए गए हैं ।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की जांच कर ली है तथा हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को, ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियाँ, यदि हों, तथा जो हमें ज्ञात हुई हों, सूचित कर दी हैं तथा इन कमियों को दूर करने हेतु हमारे द्वारा किए अथवा प्रस्तावित उपायों के बारे में भी सूचित कर दिया है ।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति को निम्न की सूचना दी है :-

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उनकी सूचना वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गई है ।

और

iii. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं, जो हमारे ध्यान में आईं तथा प्रबंधन अथवा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि हो।

(के रायर)

महाप्रबंधक (लेखा)

एवं

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(सुरेश एन पटेल)

प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 16.05.2017



**CERTIFICATE**

(Pursuant to Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015)

The Board of Directors  
ANDHRA BANK  
Head Office  
Hyderabad.

This is to certify that..

- A. The financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2017, have been reviewed and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
  - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with the existing accounting standards, applicable laws and regulations;
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee
- i. significant changes in internal control over Financial reporting during the year;
  - ii. significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - iii. instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-  
(K. Rayar)  
General Manager (Accounts)  
& Chief Financial Officer

Sd/-  
(Suresh N Patel)  
Managing Director  
& Chief Executive Officer

Place: Hyderabad

Date: 16.05.2017





मैसर्ज प्रेम गुप्ता एंड कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
नई दिल्ली

मैसर्ज वी कृष्णन एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
चैन्नई

मैसर्ज बाशा एंड नरसिम्हन  
सनदी लेखाकार  
विशाखपट्टणम

मैसर्ज सागर एंड एसोशिएटस  
सनदी लेखाकार  
हैदराबाद

### कारपोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र

सेवा में

आन्ध्रा बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट अनुसार कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा - परीक्षा या इन पर राय का प्रकटन नहीं है।

उपर्युक्त की शर्त पर हमारी राय एवं उत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा विनिर्दिष्ट, जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू है, कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यकलापों की निर्वहण सक्षमता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है।

कृते प्रेम गुप्ता एंड कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 000425एन

ह/-

सनदी लेखाकार शकुन गुप्ता  
साझेदार (सदस्यता सं. 0506838)

कृते वी कृष्णन एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 001541एस

ह/-

सनदी लेखाकार एम गोपीनाथ  
साझेदार (सदस्यता सं 023819)

कृते बाशा एंड नरसिम्हन  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 006031एस

ह/-

सनदी लेखाकार फायजाजी बाशा साहेब  
साझेदार(सदस्यता सं 023417)

कृते सागर एंड एसोशिएटस  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 003510एस

ह/-

सीए बी अरुणा  
साझेदार (सदस्यता सं 216454)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक 16.05.2017



M/s. Prem Gupta & Co  
Chartered Accountants  
New Delhi

M/s. Basha & Narasimhan  
Chartered Accountants  
Visakhapatnam

M/s. V. Krishnan & Co  
Chartered Accountants  
Chennai

M/s Sagar & Associates  
Chartered Accountants  
Hyderabad

**CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE**

To,

The Members of Andhra Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Andhra Bank, for the year ended 31st March, 2017, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as far as applicable to the Nationalised Banks.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to what is stated above:

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent applicable to the Nationalised Banks.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

for PREM GUPTA & Co  
Chartered Accountants  
FRN – 000425N

for BASHA & NARASIMHAN  
Chartered Accountants  
FRN – 006031S

Sd/-  
CA SHAKUN GUPTA  
Partner (M.No.0506838)

Sd/-  
CA SK. PHYAJI BASHA SAHEB  
Partner (M.No. 023417)

for V. KRISHNAN & Co  
Chartered Accountants  
FRN- 001541S

for SAGAR & ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN- 003510S

Sd/-  
CA M. GOPINATH  
Partner (M.No.023819)

Sd/-  
CA B. ARUNA  
Partner (M.No. 216454)

PLACE: HYDERABAD

DATE: 16.05.2017



31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>निधि का स्रोत SOURCE OF FUNDS</b>			
पूंजी CAPITAL	1	681,16,35	681,16,35
प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	10685,49,61	10313,22,58
जमा DEPOSITS	3	195441,24,51	174302,40,23
उधार BORROWINGS	4	8855,17,67	9715,59,20
अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	6463,04,96	4949,37,50
<b>कुल TOTAL</b>		<b>222126,13,10</b>	<b>199961,75,86</b>
<b>निधि का प्रयोजन APPLICATION OF FUNDS</b>			
भा रि बैं में नकदी एवं शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	9322,59,10	8791,01,35
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	8412,55,22	181,33,83
निवेश INVESTMENTS	8	59697,48,89	53864,19,38
अग्रिम ADVANCES	9	136846,33,36	130787,89,26
अचल आस्तियां FIXED ASSETS	10	1530,70,38	1368,44,45
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	11	6316,46,15	4968,87,59
<b>कुल TOTAL</b>		<b>222126,13,10</b>	<b>199961,75,86</b>
आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES	12	111024,14,47	41688,86,17
वसूली हेतु बिल BILLS FOR COLLECTION		7652,89,50	7010,42,71
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet. .

सुरेश एन पटेल प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी		एस के कालरा कार्यपालक निदेशक	अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	
निदेशक			निदेशक	
अंजना दुबे	ई.ई.कार्तिक		के.रायर	बी. सत्यनारायण राव
ए. कृष्णा कुमार	जी.शिवकुमार		महा प्रबंधक	सहायक महा प्रबंधक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 000425एन  
(सीए प्रेम बिहारी गुप्ता)  
साझेदार (एम.सं.080245)

कृते बाशा एंड नरसिम्हन  
सनदा लेखाकार  
एफआरएन - 006031एस  
(सीए के शुन्मुगा सुन्दरम)  
साझेदार (एम.सं.222455)

कृते वी कृष्णन एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 001541एस  
(सीए गीता)  
साझेदार (एम.सं.202607)

कृते सागर एंड असोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन - 003510 एस  
(सीए बी. अरुणा)  
साझेदार (एम.सं.216454)

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 16.05.2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No	31.03.2017 के अनुसार Year Ended 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार Year Ended 31.03.2016
<b>आय INCOME</b>			
उपचित ब्याज INTEREST EARNED	13	18027,41,81	17634,67,52
अन्य आय OTHER INCOME	14	2308,30,54	1564,47,45
<b>कुल आय TOTAL INCOME</b>		<b>20335,72,35</b>	<b>19199,14,97</b>
<b>व्यय EXPENDITURE</b>			
विस्तरित ब्याज INTEREST EXPENDED	15	12495,77,44	12313,71,09
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	3451,99,35	2925,43,58
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ PROVISIONS AND CONTINGENCIES		4213,62,35	3420,16,63
<b>कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE</b>		<b>20161,39,14</b>	<b>18659,31,30</b>
<b>वर्ष हेतु निवल लाभ NET PROFIT FOR THE YEAR</b>		<b>174,33,21</b>	<b>539,83,67</b>
आगे लाया गया लाभ PROFIT BROUGHT FORWARD		95,00,25	94,99,50
<b>कुल TOTAL</b>		<b>269,33,46</b>	<b>634,83,17</b>
<b>विनियोजन APPROPRIATIONS</b>			
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		43,60,00	134,95,92
पूंजी आरक्षिती को अंतरण Transfer to Capital Reserve		129,20,00	36,80,00
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Revenue & Other Reserves		-	126,64,00
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Special Reserve		95,00,00	200,00,00
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		-	34,05,82
लाभांश पर कर Dividend Tax		-	6,93,35
गत वर्ष के लाभांश पर कर Dividend Tax of earlier year		-	43,83
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष Balance carried over to Balance Sheet		1,53,46	95,00,25
<b>कुल TOTAL</b>		<b>269,33,46</b>	<b>634,83,17</b>
<b>प्रति शेयर आय (मूल एवं अवमिश्रित) Earning per share (Basic and diluted) ₹</b>		<b>2.56</b>	<b>8.60</b>

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं। The schedules refer to above form an integral part of profit & loss Account.

SURESH N PATEL Managing Director & Chief Executive Officer		S.K.KALRA Executive Director	AJIT KUMAR RATH Executive Director	
<u>Directors</u>				
ANJANA DUBE	E.E.KARTHAK	K.RAYAR General Manager	B.SATYANARAYANA RAO Assistant General Manager	
A.KRISHNA KUMAR	G.SIVAKUMAR			

As per our report of even date

For **PREM GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
FRN- 000425N

(CA Prem Behari Gupta)  
Partner (M. No. 080245)

For **BASHA & NARASIMHAN**  
Chartered Accountants  
FRN- 006031S  
(CA C. SHUNMUGASUNDARAM)  
Partner (M. No. 222455)

For **V.KRISHNAN & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN- 001541S

(CA. P GEETHA)  
Partner (M. No. 202607)

For **SAGAR & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN- 003510S  
(CA B. ARUNA)  
Partner (M. No. 216454)

Place : Hyderabad  
Date : 16.05.2017



**तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET**

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE-1:: पूंजी CAPITAL</b>		
<b>I. अधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL</b>		
10/- ₹ प्रत्येक के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of '10/- each	3000,00,00	3000,00,00
<b>II. जारी, अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED CALLED UP AND PAID UP</b>		
10/- ₹ प्रत्येक के 68,11,63,492 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष 60,28,46,791 ईक्विटी शेयर) (केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 41,73,10,282 ईक्विटी शेयर सहित) (गत वर्ष 41,73,10,282 ईक्विटी शेयर) 68,11,63,492 Equity Shares of '10/- each (Previous year 68,11,63,492 Equity Shares) [Including 41,73,10,282 Equity Shares (Previous year 41,73,10,282 Equity Shares) held by Central Government]	681,16,35	681,16,35
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 1</b>	<b>681,16,35</b>	<b>681,16,35</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE- 2 : प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS</b>		
<b>I. सांविधिक प्रारक्षिती STATUTORY RESERVE</b>		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	2751,91,42	2616,95,50
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	43,60,00	134,95,92
<b>कुल TOTAL - I</b>	<b>2795,51,42</b>	<b>2751,91,42</b>
<b>II. पूंजी प्रारक्षिती CAPITAL RESERVE</b>		
<b>क. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती A. REVALUATION RESERVE</b>		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	690,30,46	712,87,49
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	3,45,827	-
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास) DEDUCTION DURING THE YEAR (BEING ACCUMULATED DEPRECIATION ON REVALUED PORTION OF PROPERTY)	(124,83,57)	22,57,03
<b>कुल TOTAL - II A</b>	<b>849,72,30</b>	<b>690,30,46</b>
<b>ख. अन्य प्रारक्षिती B. OTHER RESERVES</b>		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	475,37,71	438,57,71
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	129,20,00	36,80,00
<b>कुल TOTAL - II B</b>	<b>604,57,71</b>	<b>475,37,71</b>
<b>कुल TOTAL-II A+B</b>	<b>1454,30,01</b>	<b>1165,68,17</b>
<b>III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM</b>		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	2491,31,22	2055,15,32
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	-	436,15,90
<b>कुल TOTAL - III</b>	<b>2491,31,22</b>	<b>2491,31,22</b>



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>IV. राजस्व तथा अन्य प्रारक्षिती REVENUE AND OTHER RESERVES</b>		
क. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती <b>A. REVENUE RESERVE</b>		
वर्ष के दौरान जमा OPENING BALANCE	2449,31,52	2382,68,52
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	60,01,00	126,64,00
घटाएं : समायोजन LESS : ADJUSTMENTS	21,49,02	60,01,00
<b>कुल TOTAL - IV A</b>	<b>2487,83,50</b>	<b>2449,31,52</b>
ख. आई.टी. अधिनियम की धारा 36(1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती B. SPECIAL RESERVE U/s 36 (1) (viii) of IT Act		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	1360,00,00	1160,00,00
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	95,00,00	200,00,00
Less : Deductions	-	-
<b>कुल TOTAL - IV B</b>	<b>1455,00,00</b>	<b>1360,00,00</b>
<b>कुल TOTAL - IV A+B</b>	<b>3942,83,50</b>	<b>3809,31,52</b>
लाभ एवं हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	1,53,46	95,00,25
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 2</b>	<b>10685,49,61</b>	<b>10313,22,58</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE- 3 :: जमा DEPOSITS</b>		
I-A. मांग जमा DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	58,31,48	59,60,10
ii) अन्य से FROM OTHERS	8602,14,78	7481,53,68
<b>कुल TOTAL</b>	<b>8660,46,26</b>	<b>7541,13,78</b>
I-B. बचत बैंक जमा SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	-	-
ii) अन्य से FROM OTHERS	48654,64,63	37923,88,94
<b>कुल TOTAL</b>	<b>48654,64,63</b>	<b>37923,88,94</b>
I-C. मीयादी जमा TERM DEPOSITS		
i) बैंक से FROM BANKS	2,06,84	9,43,85
ii) अन्य से FROM OTHERS	138124,06,78	128827,93,66
<b>कुल TOTAL</b>	<b>138126,13,62</b>	<b>128837,37,51</b>
<b>कुल TOTAL-I</b>	<b>195441,24,51</b>	<b>174302,40,23</b>
II-A. भारत में शाखाओं की जमा DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	195441,24,51	174302,40,23
II-B. भारत से बाहर शाखाओं की जमा DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	-	-
<b>कुल TOTAL-II</b>	<b>195441,24,51</b>	<b>174302,40,23</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 3</b>	<b>195441,24,51</b>	<b>174302,40,23</b>



## तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS</b>		
<b>I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA</b>		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से FROM RESERVE BANK OF INDIA	-	24,400,000
ii) अन्य बैंकों से FROM OTHER BANKS	-	299,77,82
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियों से OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	686,57,67	587,15,58
<b>iv) गौण ऋण SUBORDINATED DEBTS</b>		
क) 9.15% 124 माह बांड a) 9.15% 124 Months Bonds	700,00,00	700,00,00
ख) 11.00% 120 माह बांड b) 11.00% 120 Months Bonds	600,00,00	600,00,00
ग) 8.55% 120 माह बांड c) 8.55% 120 Months Bonds	320,00,00	320,00,00
v) नवोन्मेषी परपेच्युअल ऋण बॉण्ड INNOVATIVE PERPETUAL DEBT BONDS	200,00,00	200,00,00
vi) अपर टियर- II बॉण्ड UPPER TIER II BONDS	1000,00,00	1000,00,00
vii) 7 वर्षीय इनफ्रा बॉण्ड 7 YEARS INFRA BONDS	500,10,00	500,10,00
viii) अतिरिक्त टियर-I परपेच्युअल ऋण बॉण्ड ADDITIONAL TIER-I PERPETUAL DEBT BONDS	2200,00,00	1300,00,00
ix) टियर-II बॉण्ड बेसल-III TIER-II BONDS BASEL-III	2000,00,00	1000,00,00
<b>उप जोड़ SUB-TOTAL I</b>	<b>8206,67,67</b>	<b>8947,03,40</b>
<b>II. भारत से बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>	648,50,00	768,55,80
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 4</b>	<b>8855,17,67</b>	<b>9715,59,20</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 5 :: अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
I. देय बिल BILLS PAYABLE	2123,69,86	829,26,30
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	-	-
III. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	361,49,87	330,98,99
IV. मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	-	-
IV. CONTINGENT PROVISIONS AGAINST STANDARD ASSETS	1271,44,63	1154,03,73
V. आस्थगित कर देयता DEFERRED TAX LIABILITY	-	548,68,25
VI. अन्य (प्रावधान सहित) OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)*	2706,40,60	2086,40,23
चालू वर्ष राशि में भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि ₹ 11,00,00,00,000/- मूल्य के प्राथमिकता आधार पर जारी इक्विटी शेयर शामिल हैं Current Year Amount includes Share Application money of Rs.11,00,00,00,000/- received from Govt of India against preferential issue of equity shares		
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 5</b>	<b>6463,04,96</b>	<b>4949,37,50</b>



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

विवरण Particulars	(₹ हजारों में) (₹ in '000)	
	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 6 :: भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी तथा शेष CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) CASH IN HAND (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	961,50,65	884,72,28
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	8361,08,45	7906,29,07
ii) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	-	-
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 6</b>	<b>9322,59,10</b>	<b>8791,01,35</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 7 :: बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>		
I. भारत में IN INDIA		
i). बैंकों में शेष BALANCES WITH BANKS		
क). चालू खातों में a) IN CURRENT ACCOUNTS	27,51,87	30,47,81
ख). अन्य खातों में b) IN OTHER ACCOUNTS	-	-
<b>कुल TOTAL</b>	<b>27,51,87</b>	<b>30,47,81</b>
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क) बैंकों में a) WITH BANKS	8300,00,00	-
ख) अन्य संस्थाओं में b) WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
<b>कुल TOTAL</b>	<b>8300,00,00</b>	<b>-</b>
<b>कुल TOTAL - I</b>	<b>8327,51,87</b>	<b>30,47,81</b>
II. भारत से बाहर OUTSIDE INDIA		
i). चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	85,03,35	150,86,02
ii). अन्य जमा खातों में IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
iii). मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	-	-
<b>कुल TOTAL - II</b>	<b>85,03,35</b>	<b>150,86,02</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 7</b>	<b>8412,55,22</b>	<b>181,33,83</b>





## तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 8 :: निवेश INVESTMENTS</b>		
<b>I. भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA</b>		
i).सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES	558,70,78,68	496,71,88,56
ii).अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES	-	-
iii).शेयर SHARES	545,48,43	312,51,80
iv).डिबेंचर तथा बांड DEBENTURES AND BONDS	19,67,41,56	20,27,17,80
v).अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	218,50,47	218,50,47
vi).अन्य OTHERS	9,52,01,67	14,90,82,67
<b>कुल TOTAL - I</b>	<b>595,54,20,81</b>	<b>537,20,91,30</b>
<b>II. भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA</b>		
i).सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES	-	-
ii).अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES	-	-
iii).शेयर SHARES	-	-
iv).डिबेंचर तथा बांड DEBENTURES AND BONDS	-	-
v).अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	1,43,28,08	1,43,28,08
vi).अन्य OTHERS	-	-
<b>कुल TOTAL - II</b>	<b>1,43,28,08</b>	<b>1,43,28,08</b>
<b>कुल जोड़ GRAND TOTAL ( I &amp; II )</b>	<b>596,97,48,89</b>	<b>538,64,19,389</b>
सकल निवेश GROSS INVESTMENTS	6,01,304,579	541,51,84,54
घटायें : LESS: मूल्यहास DEPRECIATION	432,96,90	287,65,16
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 8</b>	<b>596,97,48,89</b>	<b>538,64,19,38</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 9 :: अग्रिम ADVANCES</b>		
I-क खरीदे एवं भुनाए गए बिल I-A.BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	21,25,51,70	25,17,86,00
I-ख . नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण I-B.CASH CREDITS,OVERDRAFTS AND LOANS REPAYBLE ON DEMAND	710,45,06,09	686,25,34,85
I-ग. मियादी ऋण I-C.TERM LOANS	636,75,75,57	596,44,68,41
<b>कुल TOTAL - I</b>	<b>1368,46,33,36</b>	<b>1307,87,89,26</b>
II-क. मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋणों के विरुद्ध अग्रिमों सहित) II-A.SECURED BY TANGIBLE ASSETS (INCLUDES ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	1258,08,54,75	1207,46,88,51
II-ख. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर II-B.COVERED BY BANK/GOVERNMENT GUARANTEES	33,49,39,29	40,84,31,41
II-ग. अरक्षित अग्रिम II-C.UNSECURED ADVANCES	76,88,39,32	59,56,69,34
<b>कुल TOTAL - II</b>	<b>1368,46,33,36</b>	<b>1307,87,89,26</b>
III-A. भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिक क्षेत्र PRIORITY SECTOR	609,84,86,13	539,41,55,33
ii) सार्वजनिक क्षेत्र PUBLIC SECTOR	51,45,93,35	53,77,45,41
iii) बैंक BANKS	-	-
iv) अन्य OTHERS	707,15,53,88	714,68,88,52
<b>कुल TOTAL</b>	<b>1368,46,33,36</b>	<b>1307,87,89,26</b>
III-B. भारत से बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	-	-
<b>कुल TOTAL - III</b>	<b>1368,46,33,36</b>	<b>1307,87,89,26</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 9</b>	<b>1368,46,33,36</b>	<b>1307,87,89,26</b>



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 10 :: अचल आस्तियां FIXED ASSETS</b>		
<b>A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS</b>		
<b>I. परिसर PREMISES</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	1709,75,49	1705,19,56
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	26,08,62	4,55,93
मूल लागत में पुनर्मूल्यांकन के कारण जमा ADDITION ON ACCOUNT OF REVALUATION IN ORIGINAL COST	345,827	-
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTION DURING THE YEAR	-	-
तिथि को कटौती (पुनर्मूल्यांकन के कारण (-)₹. 124,83,57 के संचित मूल्यहास सहित (विगत वर्ष ₹.897,59,35) DEPRECIATION TO DATE INCLUDING ACCUMULATED DEPRECIATION OF (-) ₹1,24,83,57 (PREVIOUS YEAR ₹ 897,59,35) ON ACCOUNT OF REVALUATION	822,95,84	943,21,59
<b>वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>947,46,54</b>	<b>766,53,90</b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियां OTHER FIXED ASSETS</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	1384,24,81	1182,83,95
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	135,07,17	230,48,78
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTION DURING THE YEAR	35,73,98	29,07,92
तिथि को मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	983,86,01	885,20,92
<b>वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>499,71,99</b>	<b>499,03,89</b>
<b>III. पूंजीगत चालू कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	62,56,75	42,06,82
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	18,49,48	38,80,69
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTION DURING THE YEAR	35,35,88	18,30,76
<b>वर्ष की समाप्ति पर मूल्य VALUE AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>45,70,35</b>	<b>62,56,75</b>
<b>B. अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS</b>		
<b>I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	186,49,02	168,18,79
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	13,37,97	18,34,93
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTION DURING THE YEAR	-	4,70
तिथि को मूल्यहास/परिशोधन DEPRECIATION / AMORTIZATION TO DATE	162,05,49	146,19,11
<b>वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>37,81,50</b>	<b>40,29,91</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 10</b>	<b>1530,70,38</b>	<b>1368,44,45</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 11 :: अन्य आस्तियां OTHER ASSETS</b>		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	262,10,73	107,84,65
II. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	1515,21,60	1365,99,83
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION)	1041,73,95	2248,00,62
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS	13,20,72	12,64,47
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल) DEFERRED TAX ASSET (NET)	2,925,904	-
VI. अन्य OTHERS	3191,60,11	1234,38,02
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 11</b>	<b>6316,46,15</b>	<b>4968,87,59</b>



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 12 :: आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंकों के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता CLAIMS AGAINST BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	807,78,37	673,72,05
II. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर/निवेश हेतु देयता LIABILITY FOR PARTLY PAID SHARES/INVESTMENTS	-	-
III. पूंजी प्रतिबद्धता CAPITAL COMMITMENTS	36,52,32	38,19,38
IV. विकल्प एवं व्युत्पन्न OPTIONS & DERIVATIVES	-	-
V. बकाया वायदा विनिमय करार OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	78316,60,44	20943,20,37
VI. घटकों की ओर से दी गई गारंटियां GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क) भारत में a) IN INDIA	14536,79,57	12482,28,59
ख) भारत से बाहर b) OUTSIDE INDIA	-	-
VII. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	6067,93,42	5034,60,55
VIII. लैटर ऑफ कम्फर्ट LETTER OF COMFORT	844,14,77	1118,51,30
IX. ब्याज-दर स्वैप INTEREST RATE SWAPS	-	-
X. विवादग्रस्त कर देयता DISPUTED TAX LIABILITY	2293,90,00	1215,59,00
XI. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है OTHER ITEMS FOR WHICH BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	8120,45,58	182,74,93
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 12</b>	<b>111024,14,47</b>	<b>41688,86,17</b>



लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT AS ON 31ST MARCH, 2017

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार Year Ended 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार Year Ended 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 13 :: अर्जित ब्याज INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	13597,70,77	13467,42,50
II. निवेश पर आय INCOME ON INVESTMENTS	4230,06,08	3875,86,39
III. भा रि बैं में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधि INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	109,38,87	63,80,45
IV. अन्य आय OTHERS	90,26,09	227,58,18
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 13</b>	<b>18027,41,81</b>	<b>17634,67,52</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 14 :: अन्य आय OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	521,53,10	429,28,54
II. निवेश की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	7,64,34,30	2,30,97,45
III. निवेश के प्रतिदान पर लाभ / (हानि) PROFIT / (LOSS) ON REDEMPTION OF INVESTMENTS	31,13	(42,09)
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND, BUILDINGS AND OTHER ASSETS	11,00	43,00
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS	114,92,42	127,33,76
VI. अनुषंगी/कम्पनियों/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय INCOME BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES / JOINT VENTURES IN INDIA	3,39,50	6,39,00
VII. विविध आय MISCELLANEOUS INCOME	903,69,09	770,47,79
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 14</b>	<b>2308,30,54</b>	<b>1564,47,45</b>



## लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार Year Ended 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार Year Ended 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 15 :: विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमा पर ब्याज INTEREST ON DEPOSITS	11692,33,70	11405,28,82
II. भारि बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज INTEREST ON RBI/INTER-BANK BORROWINGS	115,71,83	499,49,30
III. अन्य OTHERS	687,71,91	408,92,97
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 15</b>	<b>12495,77,44</b>	<b>12313,71,09</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 16 :: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	2096,77,59	1734,72,11
II. किराया, कर तथा बिजली RENT, TAXES AND LIGHTING	304,39,85	269,26,79
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री PRINTING AND STATIONERY	27,06,90	36,23,29
IV. विज्ञापन तथा प्रचार ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	13,51,94	15,60,06
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	151,94,87	143,71,38
VI. निदेशक की फीस, भत्ते एवं व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	42,63	62,40
VII. लेखा परीक्षक की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS)	28,27,80	22,81,06
VIII. विधि प्रभार LAW CHARGES	6,01,07	6,83,89
IX. डाक, तार एवं दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	46,37,18	40,83,98
X. मरम्मत तथा रख-रखाव REPAIRS AND MAINTENANCE	123,22,00	110,81,35
XI. बीमा INSURANCE	184,67,60	163,73,86
XII. अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE	469,29,92	380,23,41
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 16</b>	<b>3451,99,35</b>	<b>2925,43,58</b>



LEFT BLANK



## अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 1. सामान्य:

#### 1.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, लेखांकन के विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी शर्तों/ दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों, मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

#### 1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) के संबंध में रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के संबंध में प्राक्कलन और अनुमान का उपयोग किया जाता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और युक्ति संगत हैं। भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन प्राक्कलन में किसी प्रकार के परिशोधन को चालू और भविष्य की अवधि में भविष्यगामी मान्यता दी जाती है।

### 2. राजस्व की पहचान

#### 2.1 निम्नलिखित को छोड़कर, आय और व्यय की पहचान सामान्यतः संचयी आधार पर की जाती है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, ऐसे मामलों में आय की वसूली में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वसूली के आधार पर किया जाता है।
- कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क, अतिदेय बिलों पर ब्याज, एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है। वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है।

#### 2.2 अनर्जक अग्रिमों में आंशिक वसूली को निम्नानुसार प्राथमिकता आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

- वसूली हेतु व्यय/ कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय।
- ब्याज अनियमितताएं / संचित ब्याज
- मूल राशि अनियमितताएं याने खातों में बकाया मूल राशि।

#### 2.3 अनर्जक अग्रिमों में समझौता निपटान वाले मामलों में वसूलियाँ पहले मूल राशि के लिए समायोजित की जाती हैं।

### 3. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

#### 3.1 आय एवं व्यय की मर्दे लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।

#### 3.2 मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

#### 3.3 वायदा विनिमय संविदा को प्रारम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है। इन्हें फेडाई द्वारा अधिसूचित वर्ष के अंत में दरों पर अंतरित किया जाता है तथा लाभ/हानि को राजस्व में सम्मिलित किया जाता है।

#### 3.4 विदेशी साख पत्रों, लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मर्दों का पुनः वर्णन किया जाता है।

#### 3.5 बैंक टू बैंक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-संविदा, अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सचेंजर की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, अंतिम तिथि के रूप में रिपोर्ट किये जाते हैं। इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति पर या संविदा के समय-पूर्व समाप्ति पर समानुपातिक अवधि के लिए किया जाता है। बैंक टू बैंक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है।

### 4. निवेश:

#### 4.1 तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।

- सरकारी प्रतिभूतियाँ
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- शेयर
- डिबेंचर एवं बॉंड
- अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/ एसोसिएटस तथा
- अन्य

#### 4.2 निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।

- परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

#### 4.3 वर्गीकरण का आधार

- "परिपक्वता तक रखे गये निवेश" के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं।
- "व्यापार के लिए रखे गये" के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं।
- "बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ" वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं।

#### iv. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश परिपक्वता तक रखे गए निवेश के रूप में वर्गीकृत हैं।

#### v. निवेश के खरीद के समय इसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन श्रेणियों में अंतरण किया जाता है।

### 4.4 मूल्यांकन :

#### निवेश की प्राप्ति लागत निर्धारित करने हेतु

- अंशदान पर प्राप्त ब्रोकरेज / कमीशन निवेश की लागत से घटा दिए जाते हैं। प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन लाभ एवं हानि खाते में जमा किए जाते हैं।
- निवेश की प्राप्ति हेतु खर्च किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।



**SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:**

**1. GENERAL:**

**1.1. Basis of preparation**

The financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

**1.2. Use of estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

**2. REVENUE RECOGNITION:**

**2.1 Income and Expenditure are generally recognised on accrual basis, except the following;**

- i. Interest on non-performing advances and non performing investments is recognized based on realisation as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India, in view of uncertainties of collection of income in such cases.
- ii. Income by way of Commission, exchange, brokerage, fee, interest on overdue bills, and rent on lockers are accounted for on realisation.
- iii. Dividend is accounted on accrual basis when the right to receive the same is established
- iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

**2.2 Partial recoveries in non performing advances are appropriated in the following order of priority.**

- i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery.
- ii. Interest irregularities/accrued interest.
- iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account.

**2.3 In case of non performing advances involving compromise settlements in which case the recoveries are first adjusted towards principal.**

**3. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:**

- 3.1 Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
- 3.2 Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange Rates notified by FEDAI at the close of the year and the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.
- 3.3 Forward exchange contracts are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are translated at the yearend rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to Profit & Loss Account.
- 3.4 Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.
- 3.5 Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging Bank's own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

**4. INVESTMENTS:**

**4.1 Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads.**

- i. Government Securities
- ii. Other Approved Securities
- iii. Shares
- iv. Debentures and Bonds
- v. Subsidiaries / Joint Ventures /Associates and
- vi. Others.

**4.2 Investments are further classified into the following three categories:**

- i. Held to Maturity (HTM)
- ii. Available for Sale (AFS)
- iii. Held for Trading (HFT)

**4.3 Basis of classification**

- i. "Held to Maturity" category comprises – securities acquired with the intention to hold them up to maturity.
- ii. "Held for Trading" category comprises securities acquired with the intention of trading.
- iii. "Available for Sale" securities are those which are not classified under either of the above two categories. .
- iv. Investments in Subsidiaries/Joint ventures/Associates are classified as "Held to Maturity".





- iii. ऋण लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और लागत/ बिक्री प्रतिफल से घटाया जाता है।  
iv. निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत आधार पर निर्धारित की जाती है।

**भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है।**

#### i) परिपक्वता तिथि तक रखे गए:

क) इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत को कम कर लिये जाते हैं। यदि अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है। इस प्रकार प्रीमियम के परिशोधन को निवेश पर ब्याज शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समाशोधित किया जाता है।

ख) अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट (भारत में और विदेशी दोनों) का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

ग) अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा उद्यमों के निवेश मूल्यों का अलग निधारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है।

#### ii) बिक्री के लिए उपलब्ध:

क. इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश, बाजार में तामाही अंतराल में बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं और फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य/ प्रतिफल, स्टॉक एक्सचेंजों के व्यापार/दरों से प्रत्येक तामाही के अंतिम दिन (तुलनपत्र की तिथि) पर उपलब्ध बाजार दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

ख. पांच समूहों में से (अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम /एसोसिएट्स में निवेश को छोड़कर) प्रत्येक के अंतर्गत निवल मूल्यहास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अंतर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

ग. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पेपरों को निहित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

#### iii) व्यापारार्थ रखे गये:

क. इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक महीने के अंत में एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित कीमत/प्रतिफल, बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है।

ख. प्रत्येक 5 शीर्ष (अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम /एसोसिएट्स में निवेश को छोड़कर) में निवल मूल्यहास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य में मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

#### 4.5 विवेकपूर्ण मानदंड :

i. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है और उन पर प्रावधान किये जाते हैं।

ii. रेपो / प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन हेतु लेखांकन

रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद भारतीय रिजर्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा तथा मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा के अंतर्गत रेपो/प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन संपार्षिकयुक्त ऋण और उधार लेनदेन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य

सीधे बिक्री / खरीद लेनदेन के रूप में ही किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचालन का रेपो / प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए किया जाता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को वापस किया जाता है। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर दिशा निर्देशों के अनुसार रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) और प्रतिवर्ती रेपो खाते में शेष को अनुसूची 8 (निवेश) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्पावधि पर राशि)।

#### 4.6. निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि:

i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बांडों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है।

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापारार्थ रखे गये श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

iii. परिपक्वता तक रखे गये श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है। (कर तथा राशि का निवल सांविधिक आरक्षित को अंतरण होना अपेक्षित है)

iv. इन तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

#### 4.7 सामान्य:

i. बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री रिकार्ड करने हेतु निपटान तिथि लेखा का अनुपालन कर रहा है।

ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण:

अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, वृद्धि की अपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, उस प्रतिभूति के विरुद्ध पहले ही रखे गए मूल्यहास के विरुद्ध प्रावधान और बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाता है तथा अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, को मान्यता दी जाती है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

(ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :

यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी-

- बट्टे पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में वही मूल/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है।

- प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-हास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-हास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-हास



- v. An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the guidelines issued by Reserve Bank of India.

#### 4.4 Valuation:

##### In determining the acquisition cost of an investment

- i. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost of Investments. The incentives received after the sale of securities is credited to Profit and Loss Account
- ii. Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments are treated as revenue expenditure.
- iii. Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- iv. Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments

##### The Investments are valued in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:-

##### i. Held to Maturity:

- a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost, net of amortization. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortised over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is adjusted against income under the head 'Interest on Investments'
- b. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost.
- c. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for on each such investment individually.

##### ii. Available for Sale:

- a. Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades/quotes on the Stock Exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.
- b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- c. Treasury bills and Commercial Papers are valued at carrying cost

##### iii. Held for Trading:

- a. Investments classified under this category are valued at

market price based on market quotations, prices/yields declared by FIMMDA at the end of every month.

- b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

#### 4.5 Prudential Norms:

- i. The identification of non performing investments and provisions made thereon is as per Reserve Bank of India guidelines.

##### ii. Accounting for Repo/Reverse Repo transactions

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo (including repo/ reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF) with RBI) are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balances with Banks & Money at Call & Short Notice) as per RBI Master directions issued.

#### 4.6 Profit / Loss on Sale of Investments:

- i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.
- ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.
- iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).
- iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

#### 4.7 General

- i. Purchase and sale transactions in Government and other than Government Securities are recorded on the date of settlement.

- ii. **a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category:** Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation already held



तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।

iii) सुरक्षित रसीद (एसआर) जारी करने के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश (क) वित्तीय आस्ति के निवल पुस्तक मूल्य (एनबीवी) (याने पुस्तक मूल्य के लिए कम प्रावधान); और (ख) एसआर के मोचन मूल्य के न्यूनतम में मान्य है। एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर गैर-एसएलआर उपकरणों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के क्रम में मूल्यांकित हैं। इस क्रम में, एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर के मामलों में, संबंधित योजना के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों को दिए गए उपकरणों की वास्तविक वसूली में सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त, निवल आस्ति मूल्य, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है।

## 5. ब्याज दर स्वेप

### 5.1. ब्याज दर का स्वेप : (हेजिंग)

i. सतत स्वेप लेनदेनों पर आय उस स्वेप को छोड़कर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है। उस मामले में स्वेप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूप में लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं।

ii. जब समायोजित लाभ/ हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वेप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वेप पर लाभ या हानि, स्वेप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं।

### 5.2. ब्याज दर स्वेप (व्यापार)

i. व्यापार स्वेप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है।

ii. ऐसे स्वेपों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है।

iii. शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है।

iv. स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई है।

## 6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण और अग्रिमों का उल्लेख अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है।

6.2 अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियां ऋण वार किया गया है।

6.3 अनर्जक आस्तियों के लिए भा रि बैं के निदेशों के अनुसार प्रावधान किए गए तथा अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

6.4 तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान का निवल है।

6.5 पुनः संरचित/ पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनके अनुसार पुनर्निर्धारण से पूर्व और इसके बाद ऋण के उचित मूल्य में अंतर हेतु प्रावधान किया गा है। उचित मूल्य में कमी (डीएफवी) हेतु प्रावधान अग्रिम से कम किया जाता है।

6.6 अनर्जक के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

6.7 पिछले वर्ष अपलिखित ऋणों में वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

6.8 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया जाता है। इन प्रावधानों की तुलन पत्र की अनुसूची 5 अन्य में देयताएं और प्रावधान के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिन्हें निवल अनर्जक आस्तियों के आकलन के समय ध्यान में नहीं लिया जाता है।

## 7. अचल आस्तियाँ :

7.1 भूमि / परिसर, जिन का पुनः मूल्यांकन किया गया है, को छोड़कर, अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है। अचल आस्तियों की पुनः मूल्यांकित राशि सकल बही मूल्य और संचित मूल्यहास दोनों के पुनः कथन के बाद उल्लेख किया जाता है ताकि निवल बही मूल्य निवल पुनः मूल्यांकित राशि के समान हो। पुनः मूल्यांकन पर मूल्य-वर्धन को पुनः मूल्यांकन रिजर्व को जमा किया जाता है और वृद्धिशील मूल्यहास, यदि पुनः मूल्यांकित राशि से संबंधित हो, को इससे घटाया जाता है।

## 7.2 मूल्यहास

i. परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों पर प्रबंधन द्वारा उचित माने गए निम्नलिखित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है।

परिसर - फ्रीहोल्ड	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर	18.10%
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक और कार्यालय उपकरण	13.91%
मोटर वाहन	25.89%

ii. कंप्यूटरों तथा अन्य कलपुर्जों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर पर लगाया गया है।

iii. एटीएम पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार जिसके संबंध में बैंक ने 7 वर्ष का अनुमान लगाया है।

iv. ₹.5000/- के बराबर अथवा कम मूल लागत वाली आस्तियों के 100% मूल्यहास करते हुए केवल ₹.1 की शेष मूल्य रह जाती हैं।

## 7.3 परिशोधन

i) पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है।

ii) जहाँ भूमि की लागत अलग से उपलब्ध न हो, भूमि और भवन की समेकित लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

iii) साफ्टवेयर के मूल्य को अमूर्त आस्ति माना गया है।

क) कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत प्राप्त साफ्टवेयर को पाँच वर्ष की उपयोगिता अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

ख) अन्य साफ्टवेयर को अधिप्राप्ति के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

## 8. कर्मचारी लाभ

### 8.1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में गैर बट्टे के आधार पर व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं जिसमें संबंधित सेवाएँ दी गयी हैं।



against that security and the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer is recognized and adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

- b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category:

If the security originally placed under HTM category;

- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.

-is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortised cost.

After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

- c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and depreciation already held if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

- iii. In case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

## 5. INTEREST RATE SWAPS:

### 5.1 Interest Rate Swaps: (Hedging)

- Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.
- Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset/liability.

### 5.2 Interest Rate Swaps: (Trading)

- Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss Account;
- Income and Expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;
- Fee is recognized as income or expense as the case may be;

- Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

## 6. ADVANCES

6.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower wise.

6.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by Reserve Bank of India and additional provision as assessed.

6.4 Advances stated in the Balance Sheet are net of specific loan loss provisions.

6.5 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) is reduced from advances.

6.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

6.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

6.8 General provision is also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities and Provisions" and are not considered for arriving at Net NPAs.

## 7. FIXED ASSETS

7.1 Fixed Assets are stated at historical cost except Land/ premises, which have been revalued. At the date of revaluation, accumulated depreciation is calculated by restating proportionately with the change in gross carrying amount so that the carrying amount after revaluation equals its revalued amount, as per the Accounting Standard AS-10-(Revised) Property, Plant and Equipment. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

### 7.2 Depreciation

- Depreciation on Premises and on other Fixed Assets, is provided on WDV method at the following rates considered appropriate by the Management.

Premises- Freehold	5.00%
Furniture & Fixture	18.10%
Electricals, Electronics and Office Equipments	13.91%
Motor Vehicles	25.89%



## 8.2 दीर्घावधि लाभ

### i. परिभाषित योगदान योजनाएं :

बैंक में 1 अप्रैल 2010 के बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण किये हुए सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए नई पेशन योजना (एनपीएस) परिचालन में है, जो परिभाषित योजना है। ऐसे नए भर्ती वर्तमान पेशन योजना के भागी बनने हेतु पात्र नहीं हैं। योजना के अनुसार कवर प्राप्त कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और बैंक द्वारा तदनुसूची राशि का अंशदान देते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की पूर्ति तक संबंधित कर्मचारियों के अंशदान बैंक में रख लिए जाते हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष में गणना में लेता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (प्रान) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को अंतरित किया जाता है।

### ii. परिभाषित सुविधा योजनाएं :

#### क) ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना के जरिए जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है। ग्रेच्युटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है।

#### ख) पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है। पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है।

### ग) अवकाश नकदीकरण :

साधिकार अवकाश दीर्घावधि लाभ हैं। तथा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि के प्रस्तावित इकाई जमा पर स्वतंत्र वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित मान्य होता है।

### iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं :

क) बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति, रजत जयंती पुरस्कार, छट्टी यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पुरस्कार और रीसेटलमेंट भत्ते के लिए पात्र हैं। कर्मचारी की ऐसी दीर्घावधि सुविधाओं की लागत का वहन बैंक द्वारा आंतरिक निधीकरण से किया जाता है।

ख) अन्य दीर्घावधि सुविधाएं प्रदान करने की लागत का पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को बीमांकक मूल्यांकन करते हुए निर्धारित किया जाता है। पिछली सेवा लागत की गणना लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल गणना में

ली जाती है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता।

## 9. आय पर कर

### 9.1. आयकर व्यय निम्नलिखित की कुल राशि है।

i. चालू कर प्रावधान और

ii. आस्थगित कर प्रभार

9.2. चालू कर प्रावधान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्धारित अवधि हेतु कर राशि है।

9.3. आस्थगित कर प्रभार का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 "आय पर कर हेतु लेखांकन" के अनुसरण में किया गया है और यह वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता का निवल अंतर है। आस्थगित आय कर में वर्तमान वर्ष के दौरान कर देय आय और लेखांकन आय के बीच के समय अंतर और पिछले वर्ष के समय अंतर के विभेद का प्रभाव प्रतीत होता है।

9.4. आस्थगित कर आकलन तुलन-पत्र की तिथि को कर दरें और पारित या पर्याप्त रूप से पारित कर विधि के आधार पर किया जाता है।

9.5. आस्थगित कर आस्तियों को गणना में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक की युक्तिपूर्ण निश्चितता न हो कि, भविष्य में ऐसे आस्थगित कर आस्तियों के प्रति पर्याप्त करदेय आय की वसूली होगी।

9.6. आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली के युक्तिपूर्ण / निश्चितता के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गणना में लिया जाता और पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

### 9.7. विशेष रिजर्व

राजस्व और अन्य रिजर्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व शामिल है। बोर्ड के निदेशक मंडल ने रिजर्व के सृजन को अनुमोदित करते हुए और विशेष रिजर्व से आहरण करने का उद्देश्य न होने के संबंध में पुष्टि करते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने संकल्प पारित किया है।

## 10. अपसामान्य आस्तियाँ

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार का संकेत रहता है तो वसूल की जाने वाली राशि और अपसामान्य आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।



- ii. The depreciation on Computers and other Peripherals is provided @ 33.33 % on Straight Line Method.
- iii. Depreciation on ATMs is provided on straight line method based on the estimated useful life of seven years.
- iv. Assets having original cost less than or equal to Rs 5000/- are being depreciated 100% leaving a residual value of ₹ 1/- only.

### 7.3 Amortisation

- i. Premium wherever is paid for acquisition of leasehold land, such premium along with cost of the buildings constructed thereon is amortised over the period of lease.
- ii. Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- iii. Acquisition cost of software is treated as intangible assets.
  - a. Software acquired under Core Banking Solution (CBS) is amortised over its estimated useful life of five years.
  - b. Other software acquired is charged off in the year of acquisition.

## 8. EMPLOYEES BENEFITS

### 8.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term, and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

### 8.2 Long Term Employee Benefits:

#### i. Defined Contribution Plans:

Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), are defined contribution plan and charged to the profit & loss account.

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

#### ii. Defined Benefit Plans

Employees' gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans.

##### a. Gratuity:

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manage their funds through approved schemes of Life Insurance Companies. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

#### b. Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

#### c. Leave Encashment:

The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each balance sheet date.

#### iii. Other Long Term Employee Benefits:

- a. All eligible employees of the Bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.
- b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

## 9. TAXES ON INCOME

### 9.1 Income tax expense is the aggregate amount of

- i. current tax provision and
- ii. deferred tax charge.

**9.2** Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and the rules made there under.

**9.3** Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.

**9.4** Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

**9.5** Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

**9.6** Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgment as to whether realisation is considered as reasonably/virtually certain.

### 9.7 Special Reserve:

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that there is no intention to make withdrawal from the Special Reserve.



### 11. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियाँ

- 11.1.** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 29 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक आस्तियाँ के अनुपालन में, बैंक प्रावधानों को निम्नलिखित स्थिति में ही गणना में लेता है:
- पूर्व घटना के कारण वर्तमान बाध्यता है
  - बाध्यता के निपटान हेतु आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना है और
  - बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सके।

### 11.2 निम्नलिखित हेतु प्रावधान को गणना में नहीं लिया जाता है:

- पूर्व घटना के कारण बाध्यता के उत्पन्न होने की संभावना जो भविष्य में एकाधिक घटनाओं, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में न हो, के घटित होने या न होने पर आधारित हो।
  - पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान बाध्यता पर जो मान्य नहीं है क्योंकि
- क)** बाध्यता का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नहीं है।

**ख)** बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसी बाध्यताओं को प्रासंगिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। नियमित अंतराल पर इनका आकलन किया जाता है और आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना वाले अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, जहाँ कोई विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

**11.3** वित्तीय विवरणों में प्रासंगिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

### 12. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट निवल लाभ निम्नलिखित के बाद है:

- निवेशों पर मूल्यहास का प्रावधान
- कराधान हेतु प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- अनर्जक निवेशों पर प्रावधान
- अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान।



## 10. IMPAIRMENT OF ASSETS

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

## 11. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

11.1 In conformity with AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when :

- i. it has a present obligation as a result of a past event.
- ii. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- iii. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

### 11.2 No provision is recognized for :

- i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- ii. any present obligation that arises from past events but is

not recognized because;

- a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that Part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

11.3 Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

## 12. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

- i. Provision for depreciation on Investments.
- ii. Provision for Taxation.
- iii. Provision on loan losses
- iv. Provision on Standard Assets.
- v. Provision for non-performing investments
- vi. Other usual and necessary provisions.





## अनुसूची 18 - लेखों पर टिप्पणियां

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकटीकरण प्रस्तुत है :

1.1. पूंजी

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	बेसल -II	बेसल -III	बेसल -II	बेसल -III
i. सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	7.69	लागू नहीं	7.77
ii. टीयर-I पूंजी अनुपात (%)	8.99	1.48	8.96	1.04
iii. टीयर II पूंजी अनुपात (%)	3.70	3.21	2.90	2.77
iv. कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) %	12.69	12.38	11.86	11.58
v. भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	61.26		61.26	
vi. जुटाई गयी ईक्विटी पूंजी राशि	शून्य		514.48	
vii. जुटाई गयी अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी, जिसमें स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) शाश्वत कर्ज लिखत	900.00@		800.00	
	शून्य		शून्य	
	900.00		800.00	
viii. जुटाई गयी टीयर II पूंजी राशि, जिसमें ऋण पूंजी लिखत अधिमानी शेयर पूंजी लिखत स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	1000.00#		1000.00	
	1000.00		1000.00	
	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	

@ बैंक ने निजी स्थान नियोजन आधार पर दि. 05.08.2016 को 900 करोड़ रु राशि के 10.99%- बेसल - III अनुपालित अतिरिक्त टीयर - 1 स्थायी उधार बांड जुटाया है।

# बैंक ने निजी स्थान नियोजन आधार पर दि. 27.06.2016 को 1000 करोड़ रु राशि के 8.65 %- 10 वर्षीय बेसल - III अनुपालित टीयर - II बांड (श्रेणी - ग) जुटाया है।

## 1.2 निवेश

(रु. करोड़ों में)

मद	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य	#59987.18	#54008.56
क) भारत में	*143.28	*143.28
ख) भारत के बाहर,		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	432.97	287.65
क) भारत में	0.00	0.00
ख) भारत के बाहर,		
(iii) निवेश का निवल मूल्य	#59554.21	#53720.91
क) भारत में	*143.28	*143.28
ख) भारत के बाहर		
(2) निवेश पर मूल्यहास के प्रति रखे गए प्रावधान में उतार-चढ़ाव		
i) प्रारंभिक शेष	287.65	219.22
ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	185.14	283.22
iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान बटटे खाते में डाले गए/(राइट बैंक) किया गया अतिरिक्त प्रावधान	39.82	214.79
iv) अंतिम शेष	432.97	287.65

# भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रु 10/- (रु 100) प्रति शेयर के 26,04,770 (70,000/-) शेयरों और शून्य (रु 1.90 करोड़) के शेयर पूंजी जमा में निवेश किए गए रु 2.60 (0.70) करोड़ सम्मिलित है।

\* निम्नलिखित सम्मिलित है:

क) रु 1 (रु1) मूल्य के मास्टर कार्ड इंक के निवेश में 162 (162) शेयर (क्लास बी)

ख) रु 1 (रु1) मूल्य के स्विफ्ट के 8 (8) शेयर में निवेश

ग) रु 143.28 करोड़ (रु 143.28 करोड़) की राशि के मलेशियन रिगिट रु.10/- प्रत्येक के 8250000 (8000000) शेयरों का इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में निवेश।

मास्टर कार्ड इंक के साथ विगत व्यवसाय संबंध के दृष्टिगत इसके शेयर वस्तु के रूप में प्रोत्साहन हेतु नि:शुल्क आबंटित किए गए हैं।

स्विफ्ट के शेयरों में प्रारंभिक सदस्यता में आबंटित शेयर तथा पुर्न आबंटन पर उपचित शेयर सम्मिलित हैं। शेयरों का पुर्न आबंटन बैंक द्वारा स्विफ्ट नेटवर्क आधारित वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर आधारित है।

प्रतिभूति निपटान हेतु क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., आईसीसीएल, बीएसई, एनएसई, भारिबैं, एमएसईआई में मार्जिन के रूप में रु 14,853.50 करोड़ (रु 11,636.89 करोड़) की प्रतिभूतियाँ रखी गई हैं।

### 1.2.1 रेपो लेनदेन : (मुद्रित मूल्य में)

(रु. करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	31 मार्च 2017 को शेष
रेपो के अंतर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	150.00	8450.00	272.66	0.00
	(123.76)	(10291.84)	(3495.75)	(2440.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	50.00	7891.57	896.68	7891.57
	(52.00)	(2522.00)	(323.26)	(0.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)



### Schedule 18 - Notes on Accounts

1. In terms of the Guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the following disclosures are made:

#### 1.1 Capital

(₹in crore)

Particulars	31st March-2017		31st March-2016	
	BASEL-II	BASEL-III	BASEL-II	BASEL-III
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	NA	7.69	NA	7.77
ii) Tier I capital ratio (%)	8.99	1.48	8.96	1.04
iii) Tier II Capital ratio (%)	3.70	3.21	2.90	2.77
iv) Total Capital ratio (CRAR) (%)	12.69	12.38	11.86	11.58
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	61.26		61.26	
vi) Amount of equity capital raised	NIL		514.48	
vii) Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which: Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS): Perpetual Debt Instruments (PDI):	900.00@		800.00	
	NIL		NIL	
	900.00		800.00	
viii) Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	1000.00#		1000.00	
	1000.00		1000.00	
	NIL		NIL	
	NIL		NIL	
	NIL		NIL	

@ The Bank has raised 10.99% Basel-III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds on Private Placement basis on 05.08.2016 amounting to ₹ 900.00 crores.

# The Bank has raised 8.65% - 10 years Basel – III Compliant Tier-II Bonds (Series-C) on Private Placement basis on 27.06.2016 amounting to ₹ 1000.00 crores.

### 1.2 Investments

(₹in crore)

Particulars	31st March 2017	31st March 2016
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	#59987.18	#54008.56
(b) Outside India	*143.28	*143.28
(ii) Provision for Depreciation		
(a) In India	432.97	287.65
(b) Outside India	0.00	0.00
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	#59554.21	#53720.91
(b) Outside India	*143.28	*143.28
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
i) Opening balance	287.65	219.22
ii) Add: Provisions made during the year	185.14	283.22
iii) Less: Write-off/(write-back) of excess provisions during the year	39.82	214.79
iv) Closing balance	432.97	287.65

# Investment includes ₹2.60 (₹ 0.70) Crore invested in 26,04,770 (70,000) shares of ₹10 (₹100) each of Regional Rural Bank and Share Capital Deposit amounting to ₹Nil (₹1.90 crore) pursuant to Government of India directions.

\* Includes the following

- Investments in 162 (162) shares (class B) of Master card Inc valued at ₹ 1 (₹ 1)
- Investments in 8 (8) shares of SWIFT valued at ₹ 1 (₹ 1)
- Investment in 82,50,000 (82,50,000) shares of Malaysian Ringgit 10 each amounting to ₹ 143.28 crore (₹143.28 crore) in India International Bank (Malaysia) BHD.

Shares of Master Card Inc. are allotted in kind, free of cost, as an incentive in view of the past business relation with these entities. Shares of SWIFT include shares allotted in initial membership and shares accrued on re-allocation. The reallocation of share is based on bank's utilization of SWIFT's network based financial services.

Securities amounting to ₹14,853.50 crore (₹11636.89 crore) are kept as margin with the Clearing Corporation of India Ltd., ICCL, BSE, NSE, RBI, MSEI towards securities settlement.

#### 1.2.1 Repo Transactions : (in face value terms)

(₹in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Balance as on 31st March 2017
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities	150.00 (123.76)	8450.00 (10291.84)	272.66 (3495.75)	0.00 (2440.00)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities	50.00 (52.00)	7891.57 (2522.00)	896.68 (323.26)	7891.57 (0.00)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)



## 1.2.2. गैर एसएलआर निवेश संविभाग

i) गैर एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना (31.03.2017 को)

(रुपये करोड़ों में)

क्रमांक (1)	निर्गमकर्ता (इश्यूअर) (2)	राशि (3)	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा (4)	निवेश श्रेणी से कम की प्रतिभूतियों की मात्रा (5)	गैर श्रेणीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा (6)	असूचीगत प्रतिभूतियों की मात्रा (7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	1130.73 (1270.67)	1102.13 (1240.79)	- (-)	- (-)	24.50 (24.50)
2	वित्तीय संस्थान	788.04 (296.19)	769.61 (212.67)	25.91 (58.06)	- (-)	1.00 (1.00)
3	बैंक	130.17 (1140.13)	100.05 (135.00)	- (-)	- (-)	- (-)
4	प्राइवेट कार्पोरेट	1907.41 (1392.69)	1833.01 (1309.29)	151.64 (138.34)	- (-)	30.32 (33.37)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	366.79 (366.79)	366.79 (366.79)	- (-)	- (-)	- (-)
6	अन्य	1099.31 (1581.20)	1099.31 (1581.21)	- (-)	- (-)	- (-)
	<b>कुल</b>	<b>5422.45 (6047.67)</b>	<b>5270.90 (4845.75)</b>	<b>177.55 (196.40)</b>	<b>- (-)</b>	<b>55.82 (58.87)</b>
7	घटाए : मूल्यहास के प्रति प्रावधान	367.34 (273.14)	351.76 (260.58)	91.19 (105.36)	- (-)	0.38 (0.43)
8	शेष	<b>5055.11 (5774.53)</b>	<b>4919.14 (4585.17)</b>	<b>86.36 (91.04)</b>	<b>- (-)</b>	<b>55.44 (58.44)</b>

कॉलम (3) में कुल के अंतर्गत तुलन-पत्र की अनुसूची-8 में विनिर्दिष्ट निवेश की निम्न श्रेणियाँ सम्मिलित हैं:-

(रु. करोड़ों में)

विवरण	निवल मूल्य	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
शेयर	545.48	312.52
डिबेंचर तथा बांड	1967.42	2027.18
अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	361.79	361.79
अन्य	2180.42	3073.04
कुल	5055.11	5774.53

ii) अनर्जक गैर एलएलआर निवेश :

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रारंभिक शेष	211.63	156.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	41.66	54.87
वर्ष के दौरान अपमार्जन	31.32	0.00
अंतिम शेष	221.97	211.63
किए गए कुल प्रावधान	146.46	155.15

क) वर्ष के दौरान, बैंक ने बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस) श्रेणी/व्यापार हेतु धारित(एचएफटी) श्रेणी से कुल रु 2466.30 करोड़ (रु 0.00 करोड़) की केन्द्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का निम्नतर अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य/बाजार मूल्य पर परिपक्वता तक धारण(एचटीएम) श्रेणी में अंतरण किया गया तथा लाभ एवं बही

खाते में रु 17.33 करोड़ (रु 0.00 करोड़) की अंतरण हानि दर्ज की गई। बैंक ने परिपक्वता तक धारण(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय हेतु उपलब्ध (एफएस) श्रेणी में कुल रु 4362.84 करोड़ (रु 6602.73 करोड़) की केन्द्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को अंतरित किया और रु 0.00 करोड़ (रु 0.00 करोड़) की अंतरण हानि दर्ज की गई। बैंक ने परिपक्वता तक धारण(एचटीएम) श्रेणी की जोखिम पूंजी निधि से रु 34.91 करोड़ (रु 55.02 करोड़) के निवेश का विक्रय हेतु उपलब्ध(एफएस) उद्यम पूंजी निधि में अंतरण किया तथा रु 0.33 करोड़ (रु 3.84 करोड़) का मूल्यहास का प्रावधान किया।

ख) बैंक ने एचएमटी श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से कुल रु 263.22 करोड़ (रु 74.59 करोड़) का लाभ अर्जित किया जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार रु 129.09 करोड़ (रु 36.58 करोड़) कर के बाद निवल राशि जिसका सांविधिक रिजर्व में अंतरण अपेक्षित है, को पूंजी रिजर्व खाते को अंतरित की गई है।

ग) मार्च 31, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बेचा गया तथा एचटीएम श्रेणी से/को अंतरण किया गया निवेश का कुल पुस्तक मूल्य एचटीएम श्रेणी में रखे गये निवेश के मूल्य वर्ष के प्रारंभ में पुस्तक मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश का पुस्तक मूल्य के अधिक मार्केट मूल्य के प्रति शून्य है। भारिबैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार बिक्री तथा से / को अंतरण हेतु एचटीएम श्रेणी अपवर्जित है।

ii) निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखा वर्ष के प्रारंभ में बैंक के हेतु अनुमत प्रतिभूतियों के एक-बारगी अंतरण तथा पूर्व प्रकटित खुला मार्केट परिचालन नीलामी के अंतर्गत भारिबैंक को बिक्री



### 1.2.2. Non S.L.R. Investment Portfolio

(i) Issuer composition of Non SLR Investments (As on 31.3.2017)

(₹in crore)

Sr. No. (1)	Issuer (2)	Amount (3)	Extent of Private Placement (4)	Extent of ₹ below Investment Grade Securities (5)	Extent of ₹ unrated securities (6)	Extent of ₹ unlisted securities (7)
1	PSUs	1130.73 (1270.67)	1102.13 (1240.79)	- (-)	- (-)	24.50 (24.50)
2	FIs	788.04 (296.19)	769.61 (212.67)	25.91 (58.06)	- (-)	1.00 (1.00)
3	Banks	130.17 (1140.13)	100.05 (135.00)	- (-)	- (-)	- (-)
4	Private Corporates	1907.41 (1392.69)	1833.01 (1309.29)	151.64 (138.34)	- (-)	30.32 (33.37)
5	Subsidiaries/ Joint Ventures	366.79 (366.79)	366.79 (366.79)	- (-)	- (-)	- (-)
6	Others	1099.31 (1581.20)	1099.31 (1581.21)	- (-)	- (-)	- (-)
	<b>Total</b>	<b>5422.45</b> <b>(6047.67)</b>	<b>5270.90</b> <b>(4845.75)</b>	<b>177.55</b> <b>(196.40)</b>	<b>-</b> <b>(-)</b>	<b>55.82</b> <b>(58.87)</b>
7	Less: Provision held towards depreciation	367.34 (273.14)	351.76 (260.58)	91.19 (105.36)	- (-)	0.38 (0.43)
8	<b>Balance</b>	<b>5055.11</b> <b>(5774.53)</b>	<b>4919.14</b> <b>(4585.17)</b>	<b>86.36</b> <b>(91.04)</b>	<b>-</b> <b>(-)</b>	<b>55.44</b> <b>(58.44)</b>

Total under column 3 include the following categories of investments specified in Schedule 8 to the Balance Sheet.

(₹in crore)

Particulars	Net Value	
	31st March-2017	31st March-2016
Shares	545.48	312.52
Debentures & Bonds	1967.42	2027.18
Subsidiaries / Joint Ventures	361.79	361.79
Others	2180.42	3073.04
Total	5055.11	5774.53

### ii) Non Performing Non SLR Investments :

(₹in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening Balance	211.63	156.76
Additions during the year	41.66	54.87
Reduction during the year	31.32	0.00
Closing Balance	221.97	211.63
Total provisions held	146.46	155.15

a) During the year, the Bank has shifted Central/State Government securities aggregating ₹ 2466.30 crore (₹0.00 crore) from Available for Sale Category (AFS) /Held for Trading (HFT) Category to Held to Maturity (HTM) Category at lower of acquisition cost/book value / market value and booked a shifting loss of ₹ 17.33 crore (₹ 0.00 Crore) to P&L Account. Bank also shifted Central/State Government Securities aggregating to ₹ 4362.84 crore (₹ 6602.73 crore) from Held to

Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category and booked a shifting loss of ₹ 0.00 crore (₹ 0.00 crore). Bank also shifted investment of ₹ 34.91 crore (₹ 55.02 crore) in Venture Capital funds from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category and provided a depreciation of ₹ 0.33 Crore (₹ 3.84 Crore).

b) The Bank has earned gross amount of ₹ 263.22 crore (₹ 74.59 crore) as profit on sale of securities in HTM category out of which an amount of ₹ 129.09 crore (₹ 36.58 crore), net of tax and amount required to be transferred to Statutory Reserve, has been appropriated to capital reserve account as per RBI guidelines.

c) During the year ended March 31, 2017, the aggregate book value of investment sold from, and transferred to/from HTM category was in excess of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The excess of Book value of the investments held in HTM category as on March 31, 2017 over the Market value is Nil. In accordance with the RBI guidelines, sale from, and transfer to/from, HTM category excludes:

- One-time transfer of securities permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year with approval of the Board of Directors and
- Sale to the RBI under pre-announced open market operation auctions.



## 1.3 डेरिवेटिव

### 1.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2016-17	2015-16
स्वैप करार का अनुमानित मूल	शून्य	शून्य
काउंटर पार्टियों के बाध्यता न पूरा करने से होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
स्वैप के कारण बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

### 1.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव:

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं	विवरण	राशि	
		2016-17	2015-16
(i)	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि	331.55	शून्य
(ii)	बकाया (लिखत-वार) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iii)	अत्यधिक प्रभावी नहीं (लिखत-वार) तथा बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iv)	अत्यधिक प्रभावी नहीं (लिखत-वार) तथा बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि का अंकित बाजार मूल्य	शून्य	शून्य

### 1.3.3 डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

#### ए) गुणात्मक प्रकटीकरण :

#### क) डेरिवेटिव में जोखिम प्रबंधन हेतु संरचना और संगठन :

- ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) एवं अग्रिम दर करार (एफआरए) पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ब्याज दर स्वैप के लिए नीति एवं प्रक्रिया, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखांकन नीति, मूल्यांकन के लिए नीति, आईएसडीए प्रलेखन, कट लॉस, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया है एवं रु. 1500 करोड़ का कैप निर्धारित किया है (ट्रेडिंग बही के लिए रु. 500 करोड़ की उप सीमा)। बैंक ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के समग्र ढाँचे के अंतर्गत डेरिवेटिव आपरेशन का संचालन किया है।
- बैंक ने विभिन्न प्रकार के मुद्रा स्वैप में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेने के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखांकन नीति, आईएसडीए प्रलेखन, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया है जो विभिन्न प्रकार के मुद्रा स्वैप

एवं ब्याज दर स्वैप जो कार्पोरेट ऋण ग्राहकों, अन्य बैंकों तथा गैर ऋण ग्राहक के साथ दुतरफा आधार पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है। बैंक की नीति दुतरफा आधार पर अपने अग्रिम एक्सपोजर के लिए बचाव-व्यवस्था/कीमत निर्धारण के लिए बैंक ग्राहकों को प्लेन वनिला यूरोपियन स्टाइल विकल्प के लिए भी अनुमोदन देती है।

- दुतरफा आधार पर लिए गए डेरिवेटिव करारों या बचाव व्यवस्था के लिए अपने विदेशी एक्सपोजर को संविदा की तारीख को विद्यमान दर पर रिकार्ड किया गया है और तुलनपत्र तारीख की समाप्ति दर पर रिपोर्ट किया गया है। इन लेनदेनों से संबंधित राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक अनुपातिक अवधि के लिए किया गया है। दुतरफा आधार पर किए गए संविदाओं के संबंध में संविदा के जल्दी समाप्त किए जाने पर राजस्व का निर्धारण संविदा समाप्ति पर किया गया।

- जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रक्रिया का क्षेत्र एवं प्रकृति :

सभी बकाया स्वैप, नए स्वैप में प्रवेश, स्वैप से बाहर, स्वैप के बाजार मूल्य पर अंकित की जाने इत्यादि की स्थिति की समीक्षा बैंक की निवेश समिति तथा बोर्ड द्वारा मासिक अंतराल पर किया जाता है। आईआरएस के अंतर्गत किए गए लेनदेनों का विवरण भी भारतीय रिजर्व बैंक को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाता है।

- बचाव व्यवस्था एवं/या न्यूनीकरण नीति एवं बचाव व्यवस्था बचाव कार्य के प्रभाव को जारी रखने की निगरानी हेतु रणनीति एवं प्रक्रिया :

बाजार में उपलब्ध अवसरों के अनुसार ब्याज दर के उत्तर चढ़ाव पर निर्णय लिया जाता है तथा उस पर कार्रवाई की जाती है। यद्यपि स्वैप की शर्तों के अनुसार, नियत तिथि/तिथियों को स्वैपों का निपटान होता है, स्वैप बुक पर बाजार में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए दैनिक आधार पर मूल्य की निगरानी की जाती है। जब नकारात्मक बाजार गति एकदिशा में हो, हानि घटाने के लिए स्वैप को एक्जिट किया जाता है। हानि घटाने की सीमा, एक्जिट अधिकार, समीक्षा प्राधिकारी इत्यादि निर्धारित हैं।

- बचाव व्यवस्था एवं गैर बचाव व्यवस्था लेनदेन के रिकार्ड, आय, प्रीमियम एवं छूट की पहचान, बकाया संविदा का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम मिटिगेशन के लिए लेखांकन नीति :

बोर्ड द्वारा विस्तृत लेखा नीति एवं मूल्यांकन नीति अनुमोदित की जाती है। उस स्वैप के अलावा जो उस आस्ति/देयता के रूप में माना जाता हो जो निम्नतर कीमत अथवा बाजार मूल्य पर हो, बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन के लिए लेनदेन को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ऐसे मामले में, निर्धारित आस्ति या देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में परिणामी लाभ या हानि के साथ स्वैप को बाजार को मार्क किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि निर्धारित की जाती है जब निर्धारित आस्ति एवं देयता पर ऑफसेटिंग लाभ एवं हानि निर्धारित की जाती है। समाप्त स्वैप पर निर्धारित लाभ या हानि आस्थगित किया जाता है और स्वैप के शेष करार समय या आस्ति/देयता के शेष समय में जो भी कम हो के दौरान मान्यता दी जाती है।

आय विवरण में प्रभार रिकार्ड करते हुए व्यापार संबंधी लेनदेन बाजार को अंकित किया जाना है। आय, व्यय, शुल्क, स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि सभी को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।



**1.3. Derivatives**

**1.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swaps**

(₹in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
The fair value of the swap book	Nil	Nil

**1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:**

(₹in crore)

S. No.	Particulars	Amount	
		2016-17	2015-16
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	331.55	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding (instrument-wise)	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

**1.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives :**

**A) Qualitative Disclosures:**

**a) Structure and Organization for Management of risk in derivatives trading:**

- i) In terms of Reserve Bank of India guidelines on Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRA) the Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, policy for valuation, ISDA documentation, cut loss, reporting etc., for Interest Rate Swaps and fixed a cap of ₹1500 crore for interest rate swaps (sub-limit of ₹500 crore for Trading Book). Bank has conducted the derivative operations within the overall framework of these guidelines.
- ii) The Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, ISDA documentation, reporting etc., for undertaking forex derivatives in various forms of

currency swaps & various types of interest rates swaps not specifically prohibited by Reserve Bank of India with the corporate borrower customers, other banks and non-borrower customers to be covered on back to back basis. Bank's policy also permits entering into Plain Vanilla European Style Option to Bank's customers for hedging / pricing their forward exposures on back to back basis, or for hedging foreign currency exposures.

- (iii) Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till the expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

**b) Scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:**

The position of all outstanding swaps, new swaps entered, swaps exited, mark to market value of swaps etc., is being reviewed by the bank's investment committee and Board at monthly intervals. Details of transactions undertaken in IRS are also reported to Reserve Bank of India on a fortnightly basis.

**c) Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:**

Depending on the market opportunities a view on interest rate movement is taken and acted upon. Though the settlement of swaps takes place on due date/dates as per the terms of the swaps, the value monitoring is carried out daily to know the impact of market changes on Swap Book. When unfavorable market movements are unidirectional, swaps are exited cutting loss. Cut loss limits, exit powers, reviewing authority etc., are prescribed.

**d) Accounting policy for recording the hedge and non-hedge transactions, recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation:**

Detailed accounting policy and valuation policy are approved by Board. Transactions for hedging purposes are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset / liability that is carried at lower of cost or market value. In that case, the swap is marked to market, with the resultant gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability. On termination of swap, gain or loss is recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Any gain or loss on the terminated swap was deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

Trading transactions have to be marked to market with charges recorded in the income statement. Income, expenditure, fee, gains or losses on termination of swaps are all recorded as immediate income or expenses.



**बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण**

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
I	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्यवस्था के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II	मार्कड टू मार्केट स्थिति				
	क) बचाव व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III	ऋण एक्सपोजर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
IV	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)				
	क. बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. व्यापार डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 पर देखे गये अधिकतम व न्यूनतम				
	क) बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

**1.4 आस्ति गुणवत्ता**

**1.4.1 अनर्जक आस्तियां :**

(रु. करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए (%)	7.57	4.61
(ii)	एनपीए का उतार चढ़ाव (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	11443.63	6876.54
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	9410.34	6332.04
	(ग) वर्ष के दौरान अपमार्जन	3183.99	1764.95
	(घ) अंतिम शेष	17669.98	11443.63
(iii)	निवल एनपीए का उतार चढ़ाव		
	(क) प्रारंभिक शेष	6035.65	3688.63
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (निवल)	4319.16	2347.02
	(ग) वर्ष के दौरान अपमार्जन	0.00	0.00
	(घ) अंतिम शेष	10354.81	6035.65
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अलावा)		
	(क) प्रारंभिक शेष	5407.98	3187.9
	(ख) वर्ष के दौरान रखे गए प्रावधान	3834.04	3100.01
	(ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते में डालना/राइट बैक	1926.85	879.94
	(घ) अंतिम शेष	7315.17	5407.98



**B) Quantitative Disclosure**

(₹ in crore)

S.No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate Derivatives	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
I	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For Hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
II	Marked to Market Positions	NIL	NIL	NIL	NIL
	A. Hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
	B. Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset(+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
III	Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
IV	Likely Impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) On hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
V	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) On hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On trading	NIL	NIL	NIL	NIL

**1.4 Asset Quality**

**1.4.1 Non-Performing Assets:**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(i) Net NPA to Net Advances (%)	7.57	4.61
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	11443.63	6876.54
(b) Additions during the year	9410.34	6332.04
(c) Reductions during the year	3183.99	1764.95
(d) Closing Balance	17669.98	11443.63
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	6035.65	3688.63
(b) Additions during the year (Net)	4319.16	2347.02
(c) Reductions during the year	0.00	0.00
(d) Closing Balance	10354.81	6035.65
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening Balance	5407.98	3187.91
(b) Provisions made during the year	3834.04	3100.01
(c) Write off/write back of excess provisions	1926.85	879.94
(d) Closing Balance	7315.17	5407.98





## 1.4.2 पुनर्संचित खातों का विवरण

पुनर्संचित खातों का प्रकटीकरण : 31.03.2017 को																						
क्र.सं.	पुनर्संचना → का प्रकार	सीडीआर तंत्र के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संचना तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल					
		मानक	अवम लनक	संदि ग्ध	हानि	कुल	मानक	अवम लनक	संदि ग्ध	हानि	कुल	मानक	अवम लनक	संदि ग्ध	हानि	कुल	मानक	अवम लनक	संदि ग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष अप्रैल 1 को पुनर्संचित खाते (आरंभिक आंकड़े)* - 31.03.2016 को	उधारकर्ताओं की संख्या	23	0	1	0	24	47	0	0	0	47	94	0	2	0	96	164	0	3	0	167
	बकाया राशि	2493.80	0.00	173.17	0.00	2666.97	340.28	0.00	0.00	0.00	340.28	8335.46	0.00	50.38	0.00	8385.84	11169.54	0.00	223.55	0.00	11393.09	
	प्रावधान	151.61	0.00	0.00	0.00	151.61	17.12	0.00	0.00	0.00	17.12	431.24	0.00	0.00	0.00	431.24	599.97	0.00	0.00	0.00	599.97	
2	वर्ष 2016-17 के दौरान नई पुनर्संचना	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	0	0	8	6	3	0	0	9	
	बकाया राशि	188.44	0.00	0.00	0.00	188.44	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	1557.35	82.69	0.00	0.00	1640.04	1753.23	82.69	0.00	0.00	1835.92	
	प्रावधान	13.67	0.00	0.00	0.00	13.67	0.37	0.00	0.00	0.37	76.61	0.00	0.00	0.00	76.61	90.65	0.00	0.00	0.00	90.65		
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी में कोटि उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	2	0	-2	0	0	
	बकाया राशि	214.79	0.00	-173.17	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	60.52	0.00	-45.53	0.00	14.99	275.31	0.00	-218.70	0.00	56.61		
	प्रावधान	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	11.38	0.00	0.00	0.00	11.38		
4	पुनर्संचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/या अतिरिक्त जोखिम भार लागू नहीं है और इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	3				3	17			17	17			17	37					37	
	बकाया राशि	269.37				269.37	40.90			40.90	219.88			219.88	530.15					530.15		
	प्रावधान	15.43				15.43	2.52			2.52	13.08			13.08	31.03					31.03		
5	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रेड घटाए गए पुनर्संचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	8	0	0	0	8	6	0	0	0	6	13	0	1	0	14	27	0	1	0	28
	बकाया राशि	1042.78	0.00	0.00	0.00	1042.78	181.65	0.00	0.00	0.00	181.65	2179.57	0.00	4.85	0.00	2184.42	3404.00	0.00	4.85	0.00	3408.85	
	प्रावधान	57.24	0.00	0.00	0.00	57.24	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32	109.08	0.00	0.00	0.00	109.08	174.64	0.00	0.00	0.00	174.64	
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों का अपलेखन वित्त वर्ष 2016-17	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	0	0	1	5	0	0	0	5	9	0	0	0	9	15	0	0	0	15
	बकाया राशि	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	21.86	0.00	0.00	0.00	21.86	1590.51	0.00	0.00	0.00	1590.51	1654.87	0.00	0.00	0.00	1654.87	
7	वित्तीय वर्ष के मार्च 31 को पुनर्संचित खाते (अंतिम आंकड़े 31.03.2017)	उधारकर्ताओं की संख्या	13	0	0	0	13	19	0	0	0	19	61	3	0	64	93	3	0	0	96	
	बकाया राशि	1542.38	0.00	0.00	0.00	1542.38	103.31	0.00	0.00	0.00	103.31	5963.37	82.69	0.00	0.00	6046.06	7609.06	82.69	0.00	0.00	7691.75	
	प्रावधान	91.48	0.00	0.00	0.00	91.48	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37	297.14	0.00	0.00	297.14	393.99	0.00	0.00	0.00	393.99		

\*\* मानक पुनर्संचित अग्रिम, जिन पर जोखिम भार या उच्चतर प्रावधानीकरण लागू नहीं है, (यदि लागू हो) के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

फुटनोट : 1. क्रम सं. 2 व 3 के अंतर्गत 36 विद्यमान खातों की प्रति रु 609.31 करोड़ राशि तथा 9 नए खातों के प्रति 1283.22 करोड़ रु को देयताओं में वृद्धि सम्मिलित हैं ।

2. क्रम सं 6 में दिये गये आंकड़ों के मामले में, बट्टे खाते शून्य हैं तथा रु 619.56 करोड़ के 15 खाते बंद किए गए तथा 52 विद्यमान खातों में वसूली/कटौती से संबंधित रु 1035.31 करोड़ राशि देयता में कटौती की गयी ।



1.4.2 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts :: AS ON 31.03.2017 (₹ in Crore)																						
SI NO	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total					
		Stand	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Stand	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Stand	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Stand	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
		1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY.(opening figures)* - as on 31.03.2016	No. of borrowers	23	0	1	0	24	47	0	0	0	47	94	0	2	0	96	164	0	3
	Amount outstanding	2493.80	0.00	173.17	0.00	2666.97	340.28	0.00	0.00	0.00	340.28	8335.46	0.00	50.38	0.00	8385.84	11169.54	0.00	223.55	0.00	11393.09	
	Provision there on	151.61	0.00	0.00	0.00	151.61	17.12	0.00	0.00	0.00	17.12	431.24	0.00	0.00	0.00	431.24	599.97	0.00	0.00	0.00	599.97	
2	Fresh restructuring / disbursements during the year 2016-17	No. of borrowers	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	0	0	8	6	3	0	0	9	
	Amount outstanding	188.44	0.00	0.00	0.00	188.44	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	1557.35	82.69	0.00	0.00	1640.04	1753.23	82.69	0.00	0.00	1835.92	
	Provision there on	13.67	0.00	0.00	0.00	13.67	0.37	0.00	0.00	0.37	76.61	0.00	0.00	0.00	76.61	90.65	0.00	0.00	0.00	90.65		
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2016-17	No. of borrowers	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	2	0	-2	0	0	
	Amount outstanding	214.79	0.00	-173.17	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	60.52	0.00	-45.53	0.00	14.99	275.31	0.00	-218.70	0.00	56.61		
	Provision there on	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	11.38	0.00	0.00	0.00	11.38		
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the period and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	3				3	17			17	17			17	37				37		
	Amount outstanding	269.37				269.37	40.90			40.90	219.88			219.88	530.15					530.15		
	Provision there on	15.43				15.43	2.52			2.52	13.08			13.08	31.03					31.03		
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of borrowers	8	0	0	0	8	6	0	0	6	13	0	1	0	14	27	0	1	0	28	
	Amount outstanding	1042.78	0.00	0.00	0.00	1042.78	181.65	0.00	0.00	181.65	2179.57	0.00	4.85	0.00	2184.42	3404.00	0.00	4.85	0.00	3408.85		
	Provision there on	57.24	0.00	0.00	0.00	57.24	8.32	0.00	0.00	8.32	109.08	0.00	0.00	109.08	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	174.64		
6	Write-offs / recoveries/ closures in restructured accounts during the FY 2016-17	No. of borrowers	1	0	0	0	1	5	0	0	5	9	0	0	9	15	0	0	0	15		
	Amount outstanding	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	21.86	0.00	0.00	21.86	1590.51	0.00	0.00	1590.51	1654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.87		
7	Restructured Accounts as on 31.03.2017	No. of borrowers	13	0	0	0	13	19	0	0	19	61	3	0	64	93	3	0	0	96		
	Amount outstanding	1542.38	0.00	0.00	0.00	1542.38	103.31	0.00	0.00	103.31	5963.37	82.69	0.00	6046.06	7609.06	82.69	0.00	0.00	0.00	7691.75		
	Provision there on	91.48	0.00	0.00	0.00	91.48	5.37	0.00	0.00	5.37	297.14	0.00	0.00	297.14	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	393.99		

\*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

FOOT NOTE : 1. Figures under SI No. 2&3 include a sum of Rs 1283.22 Crore towards 9 new accounts and ₹609.31 crore towards increase in liabilities in 36 number of existing accounts. 2. In case of figures under SI.No. 6, the write offs are NIL, 15 accounts closed amounting to ₹619.56 crore and decreased in liability by ₹1035.31 crore related to recovery/reduction in liabilities in 52 existing accounts.



**1.4.3 वित्त वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूति करण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण:** (रुपये करोड़ों में)

विवरण	2016-17	2015-16
(i) खातों की संख्या	60	8
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	390.86	135.07
(iii) कुल प्रतिफल	717.07	234.37
(iv) पूर्व वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	1.28	0.00
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	327.49	99.30

**1.4.4 31.03.2017 को मानक पुनर्संरचित आस्तियों पर प्रावधान** (रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	श्रेणी	लागू विशेष प्रावधान	बकाया राशि	एफ आई टीएल राशि	एफआई टीएल तथा जमा शेष को छोड़कर बकाया राशियां	प्रावधान राशि
1	2 वर्ष से कम के मानक खाते (मोर्टोरियम खाते सहित) 31.03.2017 तक पुनर्संरचित	5.00%	7609.06	226.92	7382.14	369.11

**1.4.5 31.03.2017 को त्याग प्रावधान**

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	श्रेणी	आस्ति स्थिति	खातों की संख्या	बकाया राशि	त्याग राशि
1	₹1.00 करोड एवं उससे अधिक देयता खाता	मानक	68	7599.41	24.43
2	₹1.00 करोड से कम देयता खाता	मानक	25	9.66	0.46
3	₹1.00 करोड एवं उससे अधिक देयता खाता	एनपीए	2	81.85	0.00
4	₹1.00 करोड से कम देयता खाता	एनपीए	1	0.83	0.00
	उप जोड़		96	7691.75	24.89
5	जोड़ : 31.03.2017 तक दो वर्ष तथा मोर्टोरियम समाप्त किए गए मानक खातों पर त्याग (प्रकटीकरण नियम से निर्गमित खाते)	मानक	2581	407.42	45.58
	कुल		2677	8099.17	70.47

**1.4.6 बेची गयी / खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण - बैंक :**

**i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण :**

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. कुल बकाया शेष	शून्य	शून्य
2	क. इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. कुल बकाया शेष	शून्य	शून्य

**II) विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय सम्पत्तियों का विवरण**

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1	विक्रय किये गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	सकल विचारणीय प्राप्तियां	शून्य	शून्य

**III) प्रतिभूति कम्पनियों (एससी) और पुनर्संरचित कम्पनियों (आरसी) को वित्तीय सम्पत्ति का विक्रय** (रुपये करोड़ों में)

विवरण	बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय आधारित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय आधारित		कुल	
	31-मार्च -17	31-मार्च -16	31-मार्च -17	31-मार्च -16	31-मार्च -17	31-मार्च -16
सुरक्षा रसीदों में निवेश का बुक मूल्य	281.94	131.51	0.00	0.00	281.94	131.51

विवरण	गत 5 वर्षों में जारी की गई सुरक्षा रसीद	5 वर्ष से अधिक तथा 8 वर्ष के भीतर जारी सुरक्षा रसीद	8 वर्ष से अधिक के पूर्व जारी सुरक्षा रसीद
(i) बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय पर आधारित सुरक्षा रसीदों का बुक मूल्य	425.43	शून्य	शून्य
(i) के विरुद्ध किये गये प्रावधान	143.49	शून्य	शून्य
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा विक्रित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की बिक्री द्वारा सुरक्षा रसीद आधारित का बुक मूल्य ।	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) के विरुद्ध किये गये प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i) + (ii)	425.43	शून्य	शून्य



**1.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:**

(₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
(i) No. of accounts	60	8
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	390.86	135.07
(iii) Aggregate consideration	717.07	234.37
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	1.28	0.00
(v) Aggregate gain/loss over net book value	327.49	99.30

**1.4.4 Provision on standard Restructured Assets as on 31.03.2017**

(₹ in crore)

Sl. No	Category	Special Provision Applicable	Amt. Outstanding	FITL Amnt.	Amt. O/s excluding FITL & Credit Balances	Amt. Of Provision
1	Standard accounts of less than 2 years (inc. accounts with moratorium) restructured up to 31.03.2017	5.00%	7609.06	226.92	7382.14	369.11

**1.4.5 Sacrifice Provision as on 31.03.2017**

(₹ in crore)

Sl. No.	Category	Asset status	No. of A/cs	Amount Outstanding	Sacrifice Amount
1	A/c with Liability of ₹1.00 Crore and above	Standard	68	7599.41	24.43
2	A/cs with liability below ₹1.00 Crore	Standard	25	9.66	0.46
3	A/cs with liability of ₹1.00 Cr and above	NPA	2	81.85	0.00
4	A/cs with liability below ₹1.00 Crore	NPA	1	0.83	0.00
	Sub Total		96	7691.75	24.89
5	Add: Sacrifice on Standard Accounts which have completed Two years and moratorium up to 31.03.2017 (Accounts Exited from Disclosure Norms)	Standard	2581	407.42	45.58
	<b>Total</b>		<b>2677</b>	<b>8099.17</b>	<b>70.47</b>

**1.4.6 Details of non performing financial assets sold / purchased – Banks:**

**i) Details of non performing financial assets purchased:**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2016-17	2015-16
1	a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a) Of these, No. of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

**ii) Details of non performing financial assets sold**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2016-17	2015-16
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

**iii) Sale of Financial Assets to Securitization Companies (SCs) and Reconstruction Companies (RCs)**

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31-Mar -17	31-Mar -16	31-Mar -17	31-Mar -16	31-Mar -17	31-Mar -16
Book value of investments in security receipts	281.94	131.51	0.00	0.00	281.94	131.51

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying.	425.43	Nil	Nil
Provision held against (i)	143.49	Nil	Nil
(ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying.	Nil	Nil	Nil
Provision held against (ii)	Nil	Nil	Nil
Total (i) + (ii)	425.43	Nil	Nil



**1.4.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान:**

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च-2017	31 मार्च -2016
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान *	1341.92	1268.77

\* पुनर्गठित मानक आस्तियों के सम्बन्ध में ₹ 70.47 करोड़ (₹ 114.73 करोड़ रुपये) राशि की हानि के प्रावधान भी शामिल हैं ।

**1.4.8 अस्थिर तथा अतिरिक्त प्रावधान**

क) बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित के ऊपर तथा सकल गैर निष्पादन अग्रिमों हेतु दिनांक 31.03.2017 को ₹13.00 करोड़(₹ 13.00 करोड़) का अस्थायी प्रावधान  
ख) उपरोक्त अस्थायी प्रावधान अग्रिमों से बंद किये गये हैं ।

**i) 31 मार्च 2017 को, दबावग्रस्त आस्तियों (S4A) की सतत संरचना योजना के लिय प्रकटीकरण**

( ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एस 4 ए लागू किया गया है	खातों की संख्या	कुल राशि बकाया	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक वर्गीकृत	1	43.22	19.93	18.40 (NPI)	15.14
एनपीए वर्गीकृत	0	--	--	--	--

**ii) वर्तमान ऋण हेतु प्रत्यास्थ संरचना पर प्रकटीकरण**

( ₹ करोड़ में)

अवधि	प्रत्यास्थ संरचना के लिये लिए गए ऋणियों की संख्या	प्रत्यास्थ संरचना हेतु किए ऋणों की राशि		प्रत्यास्थ संरचना के लिये लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारत और अंतर्राष्ट्रीय	
		मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	प्रत्यास्थ संरचना लागू करने से पहले	प्रत्यास्थ संरचना लागू करने के बाद
गत वित्तीय वर्ष	13	2003.39	शून्य	8.18	18.05
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक)	5	476.35	शून्य	9.69	18.25

**iii) कार्यनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं।)**

( ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनमें कार्यनीतिक कर्ज पुनर्संरचना लागू की गई है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		ऋण के इक्विटी में रूपान्तरण के लिये लम्बित खातों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		ऋण के इक्विटी में रूपान्तरित खातों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
15	2422.35	146.56	706.11	48.30	1716.24	98.26

**iv) कार्यनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं ।)**

( ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिन पर बैंकों ने प्रभाव डालने का निर्णय किया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		कर्ज के इक्विटी/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को प्रभावी करने के रूपान्तरण के लम्बित होने से सम्बन्धित खाते में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		कर्ज के इक्विटी/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को प्रभावी करने हेतु रूपान्तरण किये जा चुके सम्बन्धित खाते में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन से सम्बन्धित खातों में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
1	94.61	शून्य	94.61	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



**1.4.7 Provisions on Standard Assets:**

(₹ in crore)

Particulars	31st March-2017	31st March-2016
Provisions towards Standard Assets*	1341.92	1268.77

\* Including provision for sacrifice in respect of restructured standard assets amounting to ₹ 70.47 crores (₹114.73 crores).

**1.4.8 Floating and additional provisions:**

- a) Floating Provision of ₹13.00 crore (₹13.00 crore) is held as at 31.03.2017 in respect of gross non performing advances over and above the minimum prescribed as per guidelines issued by Reserve Bank of India with a view to strengthening the financial position of the Bank.
- b) The above floating provision is netted off from advances.

**i) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31st March, 2017**

(₹ in crore)

No. of accounts where S4A has been applied	No of A/ Cs	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	1	43.22	19.93	18.40 (NPI)	15.14
Classified as NPA	0	--	--	--	--

**ii) Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans**

(₹ in crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	13	2003.39	Nil	8.18	18.05
Current Financial Year (From April 2016 to March 2017)	5	476.35	Nil	9.69	18.25

**iii) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
15	2422.35	146.56	706.11	48.30	1716.24	98.26

**iv) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crore)

No. of accounts where banks have decided to effect	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
1	94.61	NIL	94.61	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



**V) कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण(खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं ।)**

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय बैंकों द्वारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		
	मानक वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना में वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
1	122.08	122.08	शून्य

**1.4.9 अनर्जक आस्तियों के आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन के लिए अनुलग्नक**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	रकम
1.	31 मार्च 2016* तक बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	11443.63
2.	31 मार्च 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलन किया गया सकल एनपीए	12320.52
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	876.89
4.	बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 को रिपोर्ट किये गये अनुसार निवल एनपीए	6035.65
5.	31 मार्च 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलन किया गया निवल एनपीए	6728.65
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	693.00
7.	31 मार्च 2016 को रिपोर्ट किये गये अनुसार बैंक द्वारा एनपीए के लिए किये गये प्रावधान	5407.98
8.	31 मार्च 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलन किये गये एनपीए के लिए किए गए प्रावधान	5591.87
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7)	183.89
10.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर(पीएटी) कटौती के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ	539.84
11.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों के विचलन को ध्यान में रखते हुए कर(पीएटी) कटौती के बाद समायोजित निवल लाभ	419.59

\* आकलित किये गये विचलन की सन्दर्भ अवधि की 31 मार्च 2016 को समाप्त है ।

**1.5 व्यवसाय अनुपात**

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज †	8.38	9.25
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय †	1.07	0.82
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनिक लाभ †	2.04	2.08
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल (%) ‡	0.08	0.28
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय * (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)*	17.52	16.65
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) #	0.01	0.03

† बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को फार्म X में रिपोर्ट किए अनुसार कार्यशील निधियों को कुल आस्तियों के औसत (संचित हानि, यदि हो, को छोड़ते हुए) के रूप में माना गया है।

‡ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को फार्म X में रिपोर्ट किए अनुसार आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों के (संचित हानि, यदि हो, को छोड़कर कुल आस्तियों) संदर्भ में है ।

\* प्रति कर्मचारी व्यवसाय के आकलन के प्रयोजन के लिए (जमा योग सकल अग्रिम), अंतर बैंक जमा शामिल नहीं है ।

# वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित



**V) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):**

(₹ in crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
1	122.08	122.08	NIL

**1.4.9 Annexure to Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2016* as reported by the bank	11443.63
2.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	12320.52
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	876.89
4.	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	6035.65
5.	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	6728.65
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	693.00
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	5407.98
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	5591.87
9.	Divergence in provisioning (8-7)	183.89
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	539.84
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	419.59

\* March 31, 2016 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed:

**1.5 Business Ratios**

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) Interest income as percentage to working funds†	8.38	9.25
(ii) Non-interest income as percentage to working funds†	1.07	0.82
(iii) Operating profit as percentage to working funds†	2.04	2.08
(iv) Return on assets (%) ‡	0.08	0.28
(v) Business* (deposits plus advances) per employee (₹in crores)	17.52	16.65
(vi) Profit per employee (₹in crores)#	0.01	0.03

† Working funds reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year.

‡ Return on assets is with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any), as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year.

\* For the purpose of computation of business (deposits plus gross advances) per employee, inter-bank deposits are excluded.

# Based on the number of employees as at year end.





**1.6 आस्ति देयता प्रबंधन:**

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 को आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मर्दों का परिपक्वता ढाँचा												
आस्ति तथा देयता	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15- 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक एवं 3 महीने तक	3 महीने से अधिक एवं 6 माह तक	6माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	927.54 (983.87)	4945.18 (5987.29)	3199.86 (2647.10)	8405.84 (6200.39)	14438.25 (10630.31)	10960.23 (10287.41)	31791.18 (30631.46)	46766.91 (48152.10)	35852.23 (28263.09)	18413.62 (14559.80)	19740.41 (15959.58)	195441.25 (174302.40)
ऋण/ अग्रिम	495.16 (306.14)	598.70 (762.41)	919.63 (1908.32)	1553.72 (1940.07)	4417.10 (5470.00)	4320.68 (5293.58)	5834.29 (10139.21)	7508.44 (13443.06)	69059.02 (53430.60)	18608.98 (15969.18)	23530.61 (22125.32)	136846.33 (130787.89)
निवेश	18.49 (18.39)	298.12 (2342.47)	241.56 (912.05)	471.81 (1215.51)	1238.35 (1219.56)	458.44 (1180.14)	160.62 (155.41)	439.14 (280.83)	3667.90 (6933.62)	8368.81 (5137.33)	44334.25 (34756.54)	59697.49 (54151.85)
उधार	0.00 (299.78)	0.00 (2450.61)	0.00 (0.00)	0.00 (15.73)	0.00 (244.51)	454.43 (236.70)	206.45 (282.26)	58.79 (49.96)	3343.79 (2089.05)	4788.49 (3504.94)	3.22 (542.05)	8855.17 (9715.59)
विदेशी मुद्रा आस्ति	1019.54 (281.56)	29.11 (23.14)	27.69 (48.96)	114.20 (161.25)	214.03 (245.29)	141.63 (237.38)	1142.08 (1176.59)	25.99 (0.00)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	2714.37 (2174.17)
विदेशी मुद्रा देयता	143.18 (85.31)	28.04 (0.78)	1.61 (3.30)	6.12 (22.92)	9.39 (253.75)	458.24 (245.57)	258.90 (293.79)	90.86 (92.08)	472.91 (230.21)	83.61 (70.34)	0.75 (0.00)	1553.61 (1298.05)

प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

**1.7 एक्सपोजर**

**1.7.1 स्थावर सम्पदा क्षेत्र में एक्सपोजर**

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
i) आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधन से ऋण प्रतिभूत रहता है सम्पत्ति में ऋणकर्ता रहता है या रहेगा या किराए पर दी गई है:	14401.78	12171.84
इसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं ।	8512.44	7519.59
(ii) वाणिज्यिक भूसम्पदा - वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा पर बंधन से ऋण प्रतिभूत रहता है (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित सीमाएं भी शामिल हैं । (निधि आधारित : ₹3527.34 करोड़ (गत वर्ष ₹3654.63 करोड़) + गैर निधि आधारित . ₹ 140.16 करोड़ (गत वर्ष ₹94.12 करोड़ )	3667.50	3748.75
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति एक्सपोजर		
क. आवासीय	425.43	131.51
ख. वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	---	---
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर तथा हाउसिंग फाईनेन्स कम्पनियों(एचएफसी) निधि आधारित - निधि आधारित एक्सपोजर रु.1588.77 करोड़ (निधि आधारित : रु.1882.77 करोड़) +निवेश रु 283.87 करोड़ (गत वर्ष रु 202.06 करोड़)	1872.19	2084.83
<b>स्थावर सम्पदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर</b>	<b>20366.90</b>	<b>18136.93</b>



**1.6 Asset Liability Management:**

(₹ in crore)

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2017												
Assets and Liabilities	Day 1	2 To 7 Days	8 to 14 Days	15 to 30 Days	31 Days to 2 Months	Over 2 Months & Upto 3 Months	Over 3 Months & Upto 6 Months	Over 6 Months & Upto 1 Year	Over 1 year & Upto 3 Years	Over 3 year & Upto 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	927.54 (983.87)	4945.18 (5987.29)	3199.86 (2647.10)	8405.84 (6200.39)	14438.25 (10630.31)	10960.23 (10287.41)	31791.18 (30631.46)	46766.91 (48152.10)	35852.23 (28263.09)	18413.62 (14559.80)	19740.41 (15959.58)	195441.25 (174302.40)
Loans/ Advances	495.16 (306.14)	598.70 (762.41)	919.63 (1908.32)	1553.72 (1940.07)	4417.10 (5470.00)	4320.68 (5293.58)	5834.29 (10139.21)	7508.44 (13443.06)	69059.02 (53430.60)	18608.98 (15969.18)	23530.61 (22125.32)	136846.33 (130787.89)
Investments	18.49 (18.39)	298.12 (2342.47)	241.56 (912.05)	471.81 (1215.51)	1238.35 (1219.56)	458.44 (1180.14)	160.62 (155.41)	439.14 (280.83)	3667.90 (6933.62)	8368.81 (5137.33)	44334.25 (34756.54)	59697.49 (54151.85)
Borrowings	0.00 (299.78)	0.00 (2450.61)	0.00 (0.00)	0.00 (15.73)	0.00 (244.51)	454.43 (236.70)	206.45 (282.26)	58.79 (49.96)	3343.79 (2089.05)	4788.49 (3504.94)	3.22 (542.05)	8855.17 (9715.59)
Foreign Currency Assets	1019.54 (281.56)	29.11 (23.14)	27.69 (48.96)	114.20 (161.25)	214.03 (245.29)	141.63 (237.38)	1142.08 (1176.59)	25.99 (0.00)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	2714.37 (2174.17)
Foreign Currency Liabilities	143.18 (85.31)	28.04 (0.78)	1.61 (3.30)	6.12 (22.92)	9.39 (253.75)	458.24 (245.57)	258.90 (293.79)	90.86 (92.08)	472.91 (230.21)	83.61 (70.34)	0.75 (0.00)	1553.61 (1298.05)

As compiled by the management and relied upon by the Auditors.

Note: Figures in bracket represent values as on 31.03.2016

**1.7 Exposures**

**1.7.1 Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in crore)

Category	As on 31st March -2017	As on 31st March-2016
a) Direct exposure		
i) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	14401.78	12171.84
Of which individual housing loans eligible in inclusion in priority sector	8512.44	7519.59
ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.).Exposure would also include non-fund based (NFB) limits. (Fund based ₹3527.34 Crores (Previous year ₹3654.63 crores.)+ Non fund based ₹140.16 crores (Previous Year ₹94.12 crores)	3667.50	3748.75
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential	425.43	131.51
b. Commercial Real Estate	----	----
b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) Fund based ₹1588.32 crores (Previous Year ₹1882.77 crores)+ Investments ₹283.87 crores(Previous Year ₹202.06 crores)	1872.19	2084.83
<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>20366.90</b>	<b>18136.93</b>



**1.7.2 पूंजी बाजार को ऋण जोखिम**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
i) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड बॉण्ड तथा यूनिट, जिसकी संचित निधि कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है।	104.75	126.49
(ii) शेयर/बॉण्ड/डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों के लिये बेजमानती आधार पर शेयर में निवेश के लिये अग्रिम (आईपीओ/ईएसओपीएस शामिल), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	0.03	0.12
(iii) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	0.26	0.31
(iv) शेयर की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाई द्वारा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये अग्रिम यथा जहां प्रारंभिक प्रतिभूति शेयर/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेन्चर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड द्वारा पूर्ण रूप से कवर नहीं किये जाने वाले अग्रिम	0.00	0.00
(v) स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं गैर-प्रतिभूत अग्रिम एवं स्टाक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर के पक्ष की ओर से जारी की गई गैरटियां	175.00	100.15
(vi) कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण शेयर/बॉण्ड/डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों या नई कम्पनियों में संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में हुई बैंक में प्रायोजकों के अंशदान पर आधारित बेजमानती आधार की प्रतिभूति पर	0.00	0.00
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के सन्दर्भ में बैंकों द्वारा ली गई लिखित प्रतिबद्धता	0.00	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्त पोषणा	0.00	0.00
(x) जोखिम पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों)	251.53	279.19
<b>पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>531.57</b>	<b>506.26</b>

**ऋण का इक्विटी में अन्तरण कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना के भाग के रूप में विवरण के प्रकटीकरण से सीएमई सीमाओं में छूट प्राप्त है।**

उपरोक्त के अलावा, बैंक के पास नौ कम्पनियों में इक्विटी शेयर जिनका बही मूल्य ₹ 361.03 करोड़ [अंकित मूल्य ₹ 316.65 करोड़] है कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना के भाग के रूप में ऋण से इक्विटी में रुपान्तरण का प्रतिनिधित्व करता है।

बैंक ने वर्तमान नियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा को सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बकाया की पुनर्संरचना सीमा से अधिक नुकसान/क्षति (निवल वर्तमान मूल्य शर्तों में खाते की उचित मूल्य में क्षति) की क्षतिपूर्ति के लिये कम्पनी की प्रत्यक्ष इक्विटी जारी करते हुए, वर्तमान नियामक तथा सांविधिक प्रतिबद्धताओं के विषय में, पार नहीं किया है।

**1.7.3 जोखिम श्रेणी वार राष्ट्रीय एक्सपोजर\***

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	एक्सपोजर (निवल)	रखा गया प्रावधान	एक्सपोजर (निवल)	एक्सपोजर (निवल)
अमहत्वपूर्ण (ए1)	1168.10	शून्य	1351.32	शून्य
कम (ए2)	613.91	शून्य	609.43	शून्य
सामान्य से कम (बी 1)	22.20	शून्य	29.63	शून्य
सामान्य (बी 2)	16.19	शून्य	11.60	शून्य
सामान्य से अधिक (सी 1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उच्च (सी 2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अति उच्च (डी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>कुल</b>	<b>1820.40</b>		<b>2001.98</b>	

\* भारतीय निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम लि. के अनुक्रमण में श्रेणीवार आधारित प्रत्येक देश से विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित निवल एक्सपोजर निधि बैंक की कुल आस्ति के 1% के भीतर है, अतएव, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है।



**1.7.2 Exposure to Capital Market**

(₹ in crore)

Particulars	As on 31st March 2017	As on 31st March-2016
(i) Direct investments in equity shares, convertible debentures / bonds and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	104.75	126.49
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPS), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	0.03	0.12
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.26	0.31
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures or units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	175.00	100.15
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Financing to stock brokers for margin trading.	0.00	0.00
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	251.53	279.19
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>531.57</b>	<b>506.26</b>

**Details of Disclosure of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits.**

Apart from the above, the Bank is holding equity shares of nine Companies having Book Value of ₹ 361.03 crore [Face value ₹ 316.65 crore) representing conversion of debt into equity as a part of Strategic Debt Restructuring.

The Bank has not exceeded the extant regulatory capital market exposures (CME) limit for restructuring of dues in respect of listed companies for compensating the loss/ sacrifice (diminution in fair value of accounts in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to extant regulations and statutory requirements.

**1.7.3 Risk Category wise Country Exposure\***

(₹ in crore)

Risk Category	As on March 31, 2017		As on March 31, 2016	
	Exposure (net)	Provision held	Exposure (net)	Provision held
Insignificant (A1)	1168.10	NIL	1351.32	NIL
Low (A2)	613.91	NIL	609.43	NIL
Moderately Low (B1)	22.20	NIL	29.63	NIL
Moderate (B2)	16.19	NIL	11.60	NIL
Moderately High (C1)	NIL	NIL	NIL	NIL
High (C2)	NIL	NIL	NIL	NIL
Very High (D)	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Total</b>	<b>1820.40</b>		<b>2001.98</b>	

\*Based on categorization followed by Export and Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

The net funded exposure of the bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required to be made as per RBI guidelines.



## 1.7.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसजीएल), समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण:

(₹ करोड़ में)

ऋणी का नाम	एक्सपोजर सीमा	स्वीकृति सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा का अतिक्रमण हुआ	अवधि के दौरान अधिकतम बकाया राशि
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बैंक ने किसी भी समूह खाते में किसी एकल ऋणी अथवा समूह ऋणी की एक्सपोजर सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है।

**1.7.5 गैर-जमानती अग्रिम:** अग्रिमों की राशि, जिसके लिये अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स इत्यादि को प्रतिभूति के रूप में शून्य लिया जाता है तथा कथित अग्रिमों को अनुसूची-9 मद II-सी में गैर जमानती अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे अग्रिम कुल गैर जमानती अग्रिमों का शून्य (शून्य %) है।

## 1.8 वर्ष के लिए आय-कर के प्रावधान हेतु राशि :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
आयकर के लिए प्रावधान	1026.27	327.17
आस्थगित कर	(841.27)	137.02

## 1.9 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभारित दण्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत 'शून्य करोड़ (00 करोड़ ₹) का आर्थिक दण्ड प्रभारित किया है।

## 2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों (एस) जहां भारिबैंक ने प्रकटीकरण मर्दों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, के अनुसार प्रकटीकरण।

**2.1** लेखा मानक 3- ई अनुपालना में, नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुत नकदी तथा नकदी समान घटकों के तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई सम्बन्धित समान मर्दों से समंजन के लिये निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखा मानक -3 के अनुसार नकदी प्रवाह प्रकटीकरण	2016-17	2015-16
वर्ष के आरम्भ में नकदी तथा नकदी सम घटक		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष	8791.01	7517.41
बैंकों के साथ शेष तथा माँग पर मुद्रा तथा लघु नोटिस	181.34	666.36
	<b>8972.35</b>	<b>8183.77</b>
वर्ष के अन्त में नकदी तथा नकदी सम घटक		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष	9322.59	8791.01
बैंकों के साथ शेष तथा माँग पर मुद्रा तथा लघु नोटिस	8412.55	181.34
	<b>17735.14</b>	<b>8972.35</b>
नकदी तथा नकदी सम घटकों में निवल बढ़ोत्तरी/घटाव	8762.79	788.58

## 2.2 लेखा मानक 5- अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, लेखा नीतियों में अवधि पूर्व मर्दें और परिवर्तन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत लाभ एवं हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मद प्रकटीकरण हेतु नहीं है।

## 2.3 लेखा मानक 9 राजस्व मान्यता

अनुसूची 17 की लेखाकरण नीति (2) के अनुसार कुछ मर्दें नकद के आधार पर सांविधिक/विनियामक आवश्यकता एवं महत्ता के अनुसार ली जाती हैं।

## 2.4 लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ

बैंक ने 01.04.2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 (संशोधित) अपनाया है।

### 2.4.1 ग्रेच्युटी

बैंक उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है जो नियमानुसार बैंक से सेवानिवृत्त/पदत्याग करते हैं। बैंक प्रतिवर्ष देय, ग्रेच्युटी के निधियन हेतु, न्यास में योगदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुसार, प्रतिवर्ष ग्रेच्युटी का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है। ऋण बीमांकन पद्धति ईकाई के अनुमान के अनुसार ग्रेच्युटी देयता के बीमांक मूल्यांकन की आकलन छूट दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा स्टाफ ह्रास दर से संबंधित कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है।

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी का आकलन दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, याने, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 तथा सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी अत्यधिक लाभदायक राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

### 2.4.2 पेंशन

बैंक द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है तथा उन्हें भी जो 29.09.1995 को अथवा उसके बाद किंतु 01.04.2010 से पहले बैंक की सेवा में आए। आन्धा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार योजना के तहत बैंक से उनकी सेवाओं की समाप्ति पर इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन निधि का प्रबंध आन्धा बैंक कर्मचारी पेंशन न्यास द्वारा किया जाता है।

दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद कार्यरत होने वाले कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसके अंतर्गत कर्मचारी आय एवं पात्र भत्ते का 10% देगा तथा इतनी ही राशि बैंक द्वारा दी जाएगी और इसका प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर किया जाएगा।

### 2.4.3 भविष्य निधि

बैंक सांविधानिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31.03.2010 को उसके पहले बैंक सेवा कार्यभार ग्रहण किया है, हेतु सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान रखता है। निधि का संचालन एक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा पात्र भत्ते का 10% योगदान करता है तथा बैंक इतनी ही राशि गैर-पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों हेतु फंड में योगदान देता है। फंड में निवेश भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश प्रक्रिया के अनुसार होता है।



**1.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank :**

(₹ in crore)

Name of the borrower	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Maximum Amount outstanding during the period
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

The bank has not exceeded the ceiling for Single Borrower or Group Borrower wise exposures in any of the Group accounts.

**1.7.5 Unsecured advances:** The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses etc., have been taken as security is NIL (NIL) and the said advances have been classified as unsecured forming part of Unsecured advances in Schedule 9 Item II-C. Such advances constitute NIL% (NIL%) of total unsecured advances.

**1.8 Amount of Provisions for Income-tax for the year :**

(₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Provision for Income Tax	1026.27	327.17
Provision for Deferred Tax	(841.27)	137.02

**1.9 Penalties imposed by Reserve Bank of India:**

Monetary Penalty to the tune of ₹ NIL Crore (₹ NIL Crore) has been imposed by Reserve Bank of India under Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

**2 Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items.**

**2.1** In compliance to AS-3, the reconciliation of the components of Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow statement with the equivalent items reported in the balance sheet is furnished below.

(₹ in crore)

Cash Flow Disclosure as per AS-3	2016-17	2015-16
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		
Cash & Balances with RBI	8791.01	7517.41
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	181.34	666.36
	<b>8972.35</b>	<b>8183.77</b>
Cash and Cash Equivalents at the end of the year		
Cash & Balances with RBI	9322.59	8791.01
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	8412.55	181.34
	<b>17735.14</b>	<b>8972.35</b>
Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents	8762.79	788.58

**2.2 Accounting Standard 5 –Net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies**

There is no material prior period item included in Profit and Loss account which is required to be disclosed as per the Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India read with guidelines issued by Reserve Bank of India.

**2.3 Accounting Standard 9 Revenue Recognition**

As mentioned in Accounting Policy (2) of Schedule 17 certain items are accounted on cash basis on account of statutory/regulatory requirements and materiality.

**2.4 Accounting standard 15 Employee benefits**

The Bank has adopted Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India with effect from 01.04.2007

**2.4.1 Gratuity**

Bank pays gratuity to employees who retire/resign from Bank's service as per rules. The Bank makes contributions to the Trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity funds rules, actuarial valuation of gratuity is done every year. Actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding discount rate, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The gratuity payable to the employees is worked out by way of two methodologies i.e., as per the Payment of Gratuity Act, 1972 and other as per service rules and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

**2.4.2 Pension**

Bank pays pension under a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.09.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from the bank's service as provided for in Andhra Bank Employee Pension Regulations, 1995. Pension Fund is managed by Andhra Bank Employees Pension Fund Trust.

Employees who joined on or after 01.04.2010 are entitled to Defined Contributory Pension scheme where under the scheme, employee will contribute 10% of pay and eligible allowance with equivalent contribution being made by the Bank and the same will be maintained as per the guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time.

**2.4.3 Provident Fund**

Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to the employees who joined the banks service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances



## 2.4.4 अवकाश नकदीकरण

प्रत्येक कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश अधिकतम 240 दिनों तक के नकदीकरण के लिए पात्र हैं तथा त्याग-पत्र पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश में से उक्त का 50% याने 120 दिनों के साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे।

प्रति वर्ष अवकाश नकदीकरण का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार बैंक न्यास फंड में योगदान देता है।

## 2.4.5 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते में नियोजनोत्तर लाभ एवं दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ की स्थिति का विवरण:-

### (क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4069.73 (3749.44)	574.62 (521.52)	406.64 (328.77)
जोड़ें-ब्याज लागत	329.65 (292.46)	45.16 (40.68)	31.96 (25.64)
जोड़ें-चालू सेवा लागत	296.45 (186.54)	60.73 (51.93)	78.60 (77.87)
घटाएं-प्रदत्त लाभ	291.31 (-317.43)	77.97 (-98.06)	73.86 (-82.50)
जोड़ें-बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	250.89 (158.72)	14.94 (58.55)	41.90 (56.86)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	4655.41 (4069.73)	617.48 (574.62)	485.24 (406.64)

### (ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य *	4070.32 (3751.82)	537.01 (564.02)	338.79 (329.57)
विगत वर्ष समायोजन	(0.59)	37.61 (-42.50)	67.85 (2.90)
अधीग्रहण समायोजन	-	-	-
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	361.00 (368.26)	47.69 (46.00)	35.43 (28.62)
नियोजन का योगदान	474.00 (267.67)	70.00 (62.50)	70.00 (60.20)
प्रदत्त लाभ	291.31 (-317.43)	77.97 (-98.06)	73.86 (-82.50)
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	4613.42 (4070.32)	614.34 (537.01)	438.21 (338.79)

\*प्रतिभूतियों के बही मूल्य उचित मूल्य माने गए हैं।

### (ग) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	4655.41 (4069.73)	617.48 (574.62)	485.24 (406.64)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4613.42 (4070.32)	614.34 (537.01)	438.21 (338.79)
तुलनपत्र में निवल देयता	41.99 (-0.59)	3.14 (37.61)	47.03 (67.85)

### (घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटी (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्तमान सेवा लागत	296.45 (186.54)	60.73 (51.93)	78.60 (77.87)
ब्याज लागत	329.65 (292.46)	45.16 (40.68)	31.96 (25.64)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	361.00 (-368.26)	47.69 (-46.00)	35.43 (-28.62)
वर्ष में मान्यता दी गई निवल बीमांक (लाभ)/हानि	250.89 (158.72)	14.94 (58.55)	41.90 (56.86)
पिछली सेवा लागत - मान्यता प्राप्त	0.59 (-)	(37.61) (-)	(67.85) (-)
निधियों को योगदान/लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	516.58 (269.46)	35.53 (105.16)	49.18 (131.75)

### (ड.) पेंशन निधि न्यास के निवेश का विवरण:

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	राशि	निवेश का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	359.42 (359.42)	7.72 (8.83)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	70.71 (70.71)	1.52 (1.74)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश*	242.37 (375.53)	5.21 (9.23)
अन्य निवेश	3927.37 (3215.33)	84.36 (78.99)
प्रतिभूतियों और बैंक शेष पर उपचित ब्याज	55.54 (49.33)	1.19 (1.21)
<b>कुल</b>	<b>4655.41 (4070.32)</b>	<b>100.00 (100.00)</b>

\* \*आन्ध्रा बैंक में ₹ 91.52 करोड़ की निधि से युक्त है।



and Bank contributes an equal amount to the fund in respect of non-pension optees. The investment of the fund is made according to the investment pattern prescribed by the government of India.

#### 2.4.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death however on resignation encashment of privilege leave will be restricted to the tune of 50% of privilege leave standing to the credit of the employee subject to a maximum of 120 days.

Actuarial valuation of leave encashment liability is done every year and accordingly, Bank is contributing to the fund.

2.4.5 The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

#### (a) Changes in the present value of the obligations:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	4069.73 (3749.44)	574.62 (521.52)	406.64 (328.77)
Add -Interest Cost	329.65 (292.46)	45.16 (40.68)	31.96 (25.64)
Add-Current Service Cost	296.45 (186.54)	60.73 (51.93)	78.60 (77.87)
Less-Benefits Paid	291.31 (-317.43)	77.97 (-98.06)	73.86 (-82.50)
Add-Actuarial loss/ (gain) on obligations	250.89 (158.72)	14.94 (58.55)	41.90 (56.86)
Present value of obligation at year end	4655.41 (4069.73)	617.48 (574.62)	485.24 (406.64)

#### (b) Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year *	4070.32 (3751.82)	537.01 (564.02)	338.79 (329.57)
Previous Year's Adjustments	(0.59) (-)	37.61 (-42.50)	67.85 (2.90)
Acquisition Adjustments	- (-)	- (5.05)	- (-)
Expected Return on Plan Assets	361.00 (368.26)	47.69 (46.00)	35.43 (28.62)
Employer's contribution	474.00 (267.67)	70.00 (62.50)	70.00 (60.20)
Benefits Paid	291.31 (-317.43)	77.97 (-98.06)	73.86 (-82.50)
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4613.42 (4070.32)	614.34 (537.01)	438.21 (338.79)

\*Book value of securities considered as fair value.

#### (c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	4655.41 (4069.73)	617.48 (574.62)	485.24 (406.64)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	4613.42 (4070.32)	614.34 (537.01)	438.21 (338.79)
Net Liability recognized in Balance Sheet	41.99 (-0.59)	3.14 (37.61)	47.03 (67.85)

#### (d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	296.45 (186.54)	60.73 (51.93)	78.60 (77.87)
Interest Cost	329.65 (292.46)	45.16 (40.68)	31.96 (25.64)
Expected return on Plan Asset	361.00 (-368.26)	47.69 (-46.00)	35.43 (-28.62)
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	250.89 (158.72)	14.94 (58.55)	41.90 (56.86)
Past service cost – recognized	0.59 (-)	(37.61) (-)	(67.85) (-)
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account/ contributed to funds	516.58 (269.46)	35.53 (105.16)	49.18 (131.75)

#### (e) Investment details of Pension Fund Trust:

(₹ in crore)

Description of investments	Amount	% of investments
Central Government Securities	359.42 (359.42)	7.72 (8.83)
State Government Securities	70.71 (70.71)	1.52 (1.74)
Investments in PSUs*	242.37 (375.53)	5.21 (9.23)
Other Investments	3927.37 (3215.33)	84.36 (78.99)
Interest accrued on securities and Bank Balance	55.54 (49.33)	1.19 (1.21)
<b>Total</b>	<b>4655.41 (4070.32)</b>	<b>100.00 (100.00)</b>

\* Includes funded with Andhra Bank ₹ 91.52 crores.





**(च) तुलनपत्र की तारीख को मूल बीमांकिक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित):**

बीमांक अनुमान	पेंशन (निधियुक्त) %	ग्रेच्युटी (निधियुक्त) %	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त) %
बढ़ता दर	7.69 (8.10)	7.40 (7.86)	7.40 (7.86)
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00 (9.00)	लागू नहीं (9.00)	लागू नहीं (9.00)
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00 (5.00)	5.00 (4.00)	5.00 (4.00)
प्रयोग की गई पद्धति	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई

मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमा आकलनकर्ता द्वारा किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, भविष्य में वेतनवृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर किया जाता है।

**(छ) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है:-**

बढ़ता दर:- बढ़ता दर रिपोर्टिंग की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर बाजार आय को देखकर चुनी गई है।

प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर : पेंशन के मामले में, प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर सरकारी बॉण्डों पर आय के आधार पर ली गई है। ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, वास्तविक प्रतिफल लिया गया है।

वेतन वृद्धि : विगत डाटा के आधार पर।

**(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर-निधि):**

(₹ करोड़ में)

	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण	रजत जयंती अवार्ड	बीमारी छुट्टी	अनुग्रह राशि	पुनर्स्थापन व्यय
1.04.2017 को देयता	32.78	0.51	66.72	0.71	4.13
1.04.2016 को देयता	28.98	0.45	59.85	0.89	4.28
परिवर्ती देयता	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि को नामे की गई राशि	3.80 (7.44)	0.06 (0.07)	6.87 (6.12)	-0.18 (-0.14)	-0.15 (0.53)

(झ) कर्मचारी के अल्पावधि लाभ:

अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति: ₹1.04 करोड़ (₹ 1.04 करोड़)

(ञ) भविष्य निधि को अंशदान: ₹ 0.48 करोड़ (₹ 0.47 करोड़)



**(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):**

ACTUARIAL ASSUMPTIONS	PENSION (Funded) %	GRATUITY (Funded) %	LEAVE ENCASHMENT (Funded)%
Discount Rate	7.69 (8.10)	7.40 (7.86)	7.40 (7.86)
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.00 (9.00)	NA (9.00)	NA (9.00)
Expected Rate of Salary Increase	5.00 (5.00)	5.00 (4.00)	5.00 (4.00)
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

Valuation has been carried out by an independent Actuary appointed by the Bank.

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

**(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:**

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting.

Expected Rate of Return: In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds / investments. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary increase: On the basis of past data.

**(h) Other long term employees' benefits (Un-Funded):**

(₹ in crore)

	LTC/LFC Encashment	Silver Jubilee Award	Sick Leaves	Ex-Gratia	Relocation Expenses
Liability as on 01.04.2017	32.78	0.51	66.72	0.71	4.13
Liability as on 01.04.2016	28.98	0.45	59.85	0.89	4.28
Transitional Liability	-	-	-	-	-
Amount debited to Profit & Loss Account	3.80 (7.44)	0.06 (0.07)	6.87 (6.12)	-0.18 (-0.14)	-0.15 (0.53)

(i) Short term Employees' benefits:

Short term Compensated Absences: ₹ 1.04 crore (₹1.04 crore)

(j) Contribution to Provident Fund: ₹0.48 crore (₹0.47 crore)



## 2.4 लेखा मानक 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग (प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार) खंड परिणामों पर टिप्पणी

- लेखा मानक एएस-17 के अनुपालन हेतु भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने "राजकोष परिचालन", "कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग", "खुदरा बैंकिंग" एवं "अन्य बैंकिंग परिचालन" प्राथमिक व्यापार खंड के रूप में एवं "देशी" खंड को गौण/भौगोलिक खंड के रूप में चुना है।
  - खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
  - संबंधित क्षेत्र के राजस्व के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों के परिणामों का आकलन किया जाता है।
- भौगोलिक खंड:-**

बैंक की भारत के बाहर कोई शाखा नहीं है, रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड केवल देशी परिचालन है, इसलिए अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।

### व्यवसाय सेगमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यवसाय खंड	2016-17	2015-16
<b>1</b>	<b>खंड राजस्व</b>		
	(क) राजकोष	5,232.41	4,308.99
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	6,714.66	7,029.72
	(ग) खुदरा बैंकिंग	6,230.62	5,778.68
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	2,158.04	2,081.77
	कुल	20,335.73	19,199.16
	कम: अंतर-खंड राजस्व	-	-
	<b>परिचालन से आय</b>	<b>20,335.73</b>	<b>19,199.16</b>
<b>2</b>	<b>खंड परिणाम</b>		
	(क) राजकोष	1,129.03	888.77
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	1,448.86	1,449.94
	(ग) खुदरा बैंकिंग	1,344.42	1,191.91
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	465.65	429.39
	कुल	4,387.96	3,960.01
	कम: अन्य-अनाबंटित व्यय	4,028.62	2,955.98
	<b>कर पूर्व कुल लाभ</b>	<b>359.34</b>	<b>1,004.03</b>
	आयकर एवं अन्य प्रदत्त कर	185.00	464.19
	<b>निवल लाभ</b>	<b>174.34</b>	<b>539.84</b>
<b>3</b>	<b>खंड आस्तियां</b>		
	(क) राजकोष	72,522.21	57,284.96
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	74,674.60	79,928.50
	(ग) खुदरा बैंकिंग	59,886.43	48,947.97
	(घ) अन्य बैंकिंग व्यापार	12,417.41	10,183.88
	(ङ) अनाबंटित आस्तियां	2,625.47	3,616.45
	कुल आस्तियां	2,22,126.12	1,99,961.76
<b>4</b>	<b>खंड देयताएँ</b>		
	(क) राजकोष	70,551.25	55,781.31
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	71,803.92	77,299.08
	(ग) खुदरा बैंकिंग	57,048.12	46,568.07
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	11,279.80	9,229.38
	(ङ) अनाबंटित देयताएँ	76.39	89.53
	<b>कुल</b>	<b>2,10,759.48</b>	<b>1,88,967.37</b>
	पूजी एवं प्रारक्षितियां	11,366.64	10,994.39
	<b>कुल देयताएँ</b>	<b>2,22,126.12</b>	<b>1,99,961.76</b>



**2.4 Accounting Standard 17 Segment reporting (Compiled by the management and relied upon by the auditors)**

**Note on Segment Results**

- (i) As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted “Treasury Operations”, “Corporate/Wholesale Banking”, “Retail Banking” and “Other Banking Operations” as Primary business segments and “Domestic” Segment as secondary / geographic segment.
- (ii) Segment revenue represents revenue from external customers.
- (iii) Results of various segments are arrived at in the proportion of revenue of respective segments.

**Geographic segments:-**

The Bank does not have any branches outside India, the only reportable Geographical segment is of domestic operations, and hence no separate disclosure is made.

**Business segments**

(₹ in crore)

S. No.	Business Segments	2016-17	2015-16
<b>1</b>	<b>Segment Revenue</b>		
	(a) Treasury	5,232.41	4,308.99
	(b) Corporate/Wholesale Banking	6,714.66	7,029.72
	(c) Retail Banking	6,230.62	5,778.68
	(d) Other Banking Operations	2,158.04	2,081.77
	Total	20,335.73	19,199.16
	Less: Inter Segment Revenue	-	-
	<b>Income from Operations</b>	<b>20,335.73</b>	<b>19,199.16</b>
<b>2</b>	<b>Segment Results</b>		
	(a) Treasury	1,129.03	888.77
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1,448.86	1,449.94
	(c) Retail Banking	1,344.42	1,191.91
	(d) Other Banking Operations	465.65	429.39
	Total	4,387.96	3,960.01
	Less : Other Un-allocable Expenditure	4,028.62	2,955.98
	<b>Total Profit Before Tax</b>	<b>359.34</b>	<b>1,004.03</b>
	Income Tax and other taxes paid	185.00	464.19
	<b>Net Profit</b>	<b>174.34</b>	<b>539.84</b>
<b>3</b>	<b>Segment Assets</b>		
	(a) Treasury	72,522.21	57,284.96
	(b) Corporate/Wholesale Banking	74,674.60	79,928.50
	(c) Retail Banking	59,886.43	48,947.97
	(d) Other Banking Operations	12,417.41	10,183.88
	(e) Un-allocable Assets	2,625.47	3,616.45
	<b>Total Assets</b>	<b>2,22,126.12</b>	<b>1,99,961.76</b>
<b>4</b>	<b>Segment Liabilities</b>		
	(a) Treasury	70,551.25	55,781.31
	(b) Corporate/Wholesale Banking	71,803.92	77,299.08
	(c) Retail Banking	57,048.12	46,568.07
	(d) Other Banking Operations	11,279.80	9,229.38
	(e) Un-allocable Liabilities	76.39	89.53
	<b>Total</b>	<b>2,10,759.48</b>	<b>1,88,967.37</b>
	Capital & Reserves	11,366.64	10,994.39
	<b>Total Liabilities</b>	<b>2,22,126.12</b>	<b>1,99,961.76</b>



## 2.5 लेखा मानक 18 से संबंधित पार्टि प्रकटन

### संबंधित पार्टि के नाम एवं बैंक से उनका संबंध

(क) बैंक ने लेखा मानकों के अनुसार निम्न व्यक्तियों को मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रूप में मान्यता दी है:

- श्री सुरेश एन. पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 02-11-2015 से)
- श्री सी. वी.आर. राजेन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30-04-2015 तक)
- श्री एस. के. कालरा, कार्यपालक निदेशक
- श्री ए. के. रथ, कार्यपालक निदेशक

### (ख) अनुषंगी

आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड

### (ग) सहयोगी

चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

### (घ) संयुक्त उद्यम

- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी
- असरेक इंडिया (प्रा.) लिमिटेड

### संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन:-

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	नाम	संबंध	लेन-देन की प्रकृति	2016-17	2015-16
1	श्री सुरेश एन. पटेल	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 02-11-2015 से)	पारिश्रमिक	26,78,854	8,21,214
2	श्री सी. वी.आर. राजेन्द्रन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30-04-2015 तक)	पारिश्रमिक	-----	1,79,637
3	श्री एस. के. कालरा	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	25,19,353	18,53,068
4	श्री ए. के. रथ	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	23,49,553	17,03,161

संबंधित पार्टि प्रकटीकरण पर एस-18 के अनुच्छेद 9 के दृष्टिगत जहां राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य पार्टियों से अपने लेनदेन के प्रकटीकरण से छूट है जो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं है, बैंक की अनुषंगी एवं सहयोगी बैंकों के साथ लेनदेन प्रकट नहीं किया गया है।

iv) संयुक्त उद्यम में निवेश की गई पूँजी -

(क) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी - ₹ 143.28 करोड़ (₹ 143.28 करोड़)

(ख) असरेक इंडिया (प्रा) लिमिटेड ₹ 28.40 करोड़ (₹ 28.40 करोड़)

(ग) इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड ₹ 187.50 करोड़ (₹ 187.50 करोड़)

## 2.6 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)

विवरण	2016-17	2015-16
मूल ई.पी.एस ₹	2.56	8.60
डाइल्यूटेड ई.पी.एस. ₹	2.56	8.60
मूल ई.पी.एस. का परिकलन	-	-
निवल लाभ (₹ करोड़ में) (असाधारण मदों व कुल करों को छोड़कर)	174.33	539.84
शेयरों की औसत अधिभारिता सं. (करोड़ में)	68.12	62.80
प्रति शेयर मूल उपार्जन ₹	2.56	8.60



## 2.5 Accounting Standard 18 Related party disclosures

### Names of the Related Parties and their relationship with the Bank

(a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per the Accounting Standard.

- i) Sri Suresh N. Patel, Managing Director & CEO (From 02-11-2015)
- ii) Sri C. VR. Rajendran, Chairman and Managing Director (Upto 30-04-2015)
- iii) Sri S K Kalra, Executive Director
- iv) Sri A.K. Rath, Executive Director

### (b) Subsidiary

Andhra Bank Financial Services Ltd.

### (c) Associate

Chaitanya Godavari Grameena Bank

### (d) Joint Ventures

- i) India First Life Insurance Company Ltd.,
- ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.
- iii) ASREC India (P) Ltd.,

### Transactions with Related parties:-

(in Rupees )

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2016-17	2015-16
1	Sri Suresh N. Patel	Managing Director & CEO (w.e.f.02-11-2015)	Remuneration	26,78,854	8,21,214
2	Sri C VR Rajendran	Chairman & Managing Director (upto 30.04.2015)	Remuneration	-----	1,79,637
3	Sri S K Kalra	Executive Director	Remuneration	25,19,353	18,53,068
4	Sri A.K. Rath	Executive Director	Remuneration	23,49,553	17,03,161

The transactions with the Subsidiary and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 on Related Party Disclosures, which exempts State Controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

#### iv) Capital invested in Joint Ventures-

- a) India International Bank (Malaysia) Bhd ₹143.28 crore (₹143.28 crore)
- b) ASREC India (P) Ltd. ₹ 28.40 crore (₹28.40 crore)
- c) IndiaFirst Life Insurance Company Limited ₹ 187.50 crore (₹187.50 crore)

## 2.6 Accounting standard 20 Earnings per share (Face Value ₹10/- each)

Particulars	2016-17	2015-16
Basic EPS ₹	2.56	8.60
Diluted EPS ₹	2.56	8.60
Calculation of Basic E P S	-	-
Net Profit (₹ In crore) (excluding extra ordinary items, net of taxes)	174.33	539.84
Weighted Average No. of Shares (units in crore)	68.12	62.80
Basic Earnings per Share ₹	2.56	8.60



## 2.7 लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखा

31.03.2017 को प्रमुख घटक निम्न अनुसार है:-

(₹ करोड़ों में)

समय अंतर	मार्च 31, 2017		मार्च 31, 2016	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान तथा धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत दावा कटौती	1286.58*	-	597.95*	-
(2) अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व के कारण	-	503.55	-	470.67
(3) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार दावा अधिक/कम मूल्यहास	2.77	-	-	8.31
(4) निवेश पर मूल्यहास	-	493.21*	-	667.65*
<b>कुल</b>	<b>1289.35</b>	<b>996.76</b>	<b>597.95</b>	<b>1146.63</b>

\*वर्ष के दौरान, बैंक ने आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत आशोध्य ऋण कटौती से संबंधित ₹ 1286.58 करोड़ (₹ 597.95 करोड़) की आस्थगित कर आस्तियाँ सृजित की हैं तथा निवेश पर मूल्यहास हेतु ₹ 493.21 करोड़ (₹ 667.66 करोड़) की आस्थगित कर देयता भी सृजित की है।

## 2.8 लेखा मानक 24 - परिचालन बंद करना :

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बन्द नहीं किया है जिससे देयता अथवा आस्तियों की वसूली पर प्रभाव पड़े तथा उक्त प्रभाव पड़ने वाले किसी परिचालन को बंद करने हेतु निर्णय नहीं लिया गया है।

## 2.9 लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

लेखा मानक 28 के पैरा 8 से 10 में दर्शाए गए सूचक - अनर्जक आस्तियों (आइसीएआई द्वारा जारी) की जाँच पर यह पाया गया कि बैंक के मामले में कोई सूचक नहीं हैं। वसूली-योग्य राशि का अनुमान नहीं लगाया गया है तथा किसी संभावित अनर्जक हानि का कोई संकेत नहीं है।

## 2.10 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

अनुसूची 12 में वर्णित आकस्मिक देयताएँ न्यायालय के निर्णय/ विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते, अपील के निपटान, माँगी गई राशि, संविदात्मक दायित्व, संबंधित पार्टियों द्वारा माँग, जैसा मामला हो, पर निर्भर हैं।

देयताओं के लिए प्रावधान का संचालन (अन्य हेतु प्रावधान छोड़कर)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	विधिक मामले/ आकस्मिकताएँ	
	2016-17	2015-16
आरंभिक शेष	2.05	2.21
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00	0.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.10	0.20
अंतिम शेष	1.95	2.05
बहिर्गमन / आकस्मिकताओं का समय	निपटान / क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन	निपटान / क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन

## 3. अतिरिक्त प्रकटन

### 3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ों में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अंतर्गत दर्शाई "प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ" का ब्रेक-अप	2016-17	2015-16
(i) निवेश के मूल्य में ह्रास	189.29	72.27
(ii) अनर्जक आस्तियाँ	3834.04	3100.01
(iii) मानक आस्तियाँ	117.41	66.54
(iv) आय-कर	1026.27	327.17
(v) आस्थगित कर	(841.27)	137.02
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ :		
क) पुनर्गठित अग्रिम	(44.27)	(318.76)
ख) अन्य प्रावधान	(67.85)	35.92
<b>कुल</b>	<b>4213.62</b>	<b>3420.17</b>

### 3.2 अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रिय प्रोविज़निंग भंडार)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रारंभिक शेष	13.00	13.00
वर्ष के दौरान जमा	--	--
वर्ष के दौरान कटौती (डॉडाउन मोड का उद्देश्य एवं राशि)	--	--
अंतिम शेष	13.00	13.00

### 3.3 प्रारक्षिती में गिरावट :

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. भारिबैंक/2015-16/376, डीबीआर नं. बीपी.बीसी.92/ 21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 बैंक ने धोखाधड़ी प्रकट किए गए खातों के प्रावधान का गैर-परिशोधित भाग के प्रति राजस्व रिज़र्व से ₹ 21.49 करोड़ (₹ 60.01 करोड़) नामे किया है। राजस्व रिज़र्व को नामे की गयी आहरित राशि रिवर्स की जाएगी तथा अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुवर्ती तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में नामे करते हुए प्रावधानीकरण पूरा किया जाएगा।



## 2.7 Accounting Standard 22 Accounting for taxes on income

The major components as on 31.03.2017 are as follows:  
(₹ in crore)

Timing Difference	31st March-2017		31st March-2016	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision for NPA as per books and deduction claimed under section 36(1)(viiia)	1286.58*	-	597.95*	-
(2) On account of Special Reserve created under section 36 (1)(viii) of the Act	-	503.55	-	470.67
(3) Excess/Lower Depreciation claimed as per Income Tax Act, 1961	2.77	-	-	8.31
(4) Depreciation on Investments	-	493.21*	-	667.65*
<b>Total</b>	<b>1289.35</b>	<b>996.76</b>	<b>597.95</b>	<b>1146.63</b>

\*During the year, Bank has created deferred tax assets of ₹1286.58 crore (₹.597.95 crore) in respect of deduction for bad debts under section 36(1)(viiia) of the Income Tax Act and also created deferred tax liability in respect of depreciation on Investment amounting to ₹ 493.21 crore (₹ 667.65 crore).

## 2.8 Accounting standard 24 Discontinuing operations :

During the financial year 2016-17, the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized.

## 2.9 Accounting Standard 28 Impairment of Assets :

The indications listed in paragraphs 8 to 10 of Accounting Standard 28– Impairment of Assets. (issued by the ICAI) have been examined and on such examination, it has been found that none of the indications are present in the case of the bank. A formal estimate of the recoverable amount has not been made, as there is no indication of a potential impairment loss.

## 2.10 Accounting Standard 29 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Contingent liabilities mentioned in Schedule 12 are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties as the case may be.

Movement of provisions for liabilities (excluding provision for others)  
(₹ in crore)

Particulars	Legal cases / contingencies	
	2016-17	2015-16
Opening balance	2.05	2.21
Provided during the Year	0.00	0.04
Amounts used during the year	0.10	0.20
Closing balance	1.95	2.05
Timing of outflow/ uncertainties	Outflow on Settlement/ crystallization	Outflow on Settlement/ crystallization

## 3. Additional disclosures

### 3.1 Provisions and contingencies (₹ in crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2016-17	2015-16
(i) Depreciation in value of Investments	189.29	72.27
(ii) Non Performing Assets	3834.04	3100.01
(iii) Standard Assets	117.41	66.54
(iv) Income Tax	1026.27	327.17
(v) Deferred Tax	(841.27)	137.02
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	(44.27)	(318.76)
b) Other provisions	(67.85)	35.92
<b>TOTAL</b>	<b>4213.62</b>	<b>3420.17</b>

### 3.2 FLOATING PROVISIONS (Counter cyclical provisioning buffer) (₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance	13.00	13.00
Additions during the year	--	--
Reduction during the year ( Purpose and amount of drawdown made)	--	--
Closing balance	13.00	13.00

### 3.3 Draw Down from Reserves:

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. RBI/2015-16/376, DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016, Bank has debited ₹ 21.49 crore (₹ 60.01 crore) from Revenue Reserve towards unamortized portion of provision on accounts reported as fraud. The drawn amount debited to Revenue Reserve will be reversed and complete the provisioning by debiting Profit & Loss Account, in the subsequent quarters of the next financial year 2017-18.





### 3.4 शिकायतों का प्रकटन तथा बैंकिंग लोकपाल के निर्णय जो कार्यान्वित नहीं हुए।

क) ग्राहक शिकायतें (संख्या)		ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय (संख्या)	
क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित	1274 (638)	क) वर्ष के प्रारंभ में जो अकार्यान्वित थे	शून्य (शून्य)
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	239899 (152451)	ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय	शून्य (शून्य)
ग) वर्ष के दौरान निपटाए गए	240413 (151815)	ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित	शून्य (शून्य)
घ) वर्ष की समाप्ति पर लंबित	*760 (*1274)	घ) वर्ष की समाप्ति पर अकार्यान्वित	शून्य (शून्य)

नोट: \* सभी लंबित शिकायतें निपटाई गई हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में 230136 (एटीएम), 91 (क्रेडिट कार्ड), 3384 (आरटीजीएस/नेफ्ट), 107 (पेंशन), 1609 (एसएमएस अपसेट), 805 (बैंकिंग लोकपाल) तथा 3767 (सामान्य) शिकायतें सम्मिलित हैं।

गुड फेथ चार्जबैक अर्थात्, दिनांक 31-03-2017 को अन्य बैंकों के प्रति 120 दिन के बाद प्राप्त शिकायत 421 हैं जिनके मूल्य ₹19.48 लाख हैं।

### 3.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटन:

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा 1207 (1147) के चुकौती आश्वासन पत्र/घोषणा-पत्र जारी किए गए हैं,

जिनकी राशि करोड़ ₹ 2004.06 करोड़ (₹ 2725.27 करोड़) है। 31.03.2017 तक बकाया चुकौती आश्वासन पत्र की राशि ₹785.81 करोड़ (118.51 करोड़) है।

### संयुक्त उद्यम की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र:

बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के नाम से दिनांक 13.08.2010 को बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी में मलेशिया में संयुक्त उद्यम बैंक का गठन किया है।

संयुक्त उद्यम में आन्ध्रा बैंक का अंश 25% और बैंक ऑफ बड़ौदा का अंश 40% और इंडियन ओवरसीज बैंक का अंश 35% है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम बैंक की स्थापना हेतु मलेशियन रिगोट 82.50 मिलियन (जो मलेशियन रिगोट 330 मिलियन के कुल प्रदत्त पूंजी का 25% है) के समतुल्य पूंजीगत निधि लगाने हेतु बैंक को अनुमोदन प्रदान किया है।

अपने संयुक्त उद्यम इंडियन इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन के लिए बैंक ने बैंक नेगरा मलेशिया को दि. 05.08.2010 को वचन पत्र और चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है। इस प्रकार के वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव पूंजी अंशदान में आन्ध्रा बैंक के अंश तक सीमित है। दि. 31.03.2017 को इंडियन इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी की इक्विटी पूंजी में आन्ध्रा बैंक का अंशदान मलेशियन रिगोट 82.50 मिलियन है जो मलेशियन रिगोट 10 प्रति शेयर के 82,50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों का समतुल्य है। इस प्रकार के पूंजीगत अंशदान का रूपया समतुल्य बैंक द्वारा अनुवंगी इकईयों में निवेश और संयुक्त के शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार बैंक ने मलेशियन रिगोट 330.00 मिलियन के प्रदत्त पूंजी में अपने अंश के प्रति जारी चुकौती आश्वासन पत्र के अंतर्गत मलेशियन रिगोट 82.50 मिलियन का पूर्ण प्रेषण कर दिया है।

### 3.6 प्रावधान कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

1	2	3	4	5
क्रमांक	विवरण	दि. 31.03.2017* को सकल एनपीए@ जमा तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	तकनीकी/विवेकपूर्ण, बट्टे खाते@ जमा एनपीए वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में हास हेतु प्रावधान सहित रखे गए विशिष्ट प्रावधान	(4) से (3) अनुपात
1.	अवमानक अग्रिम	6611.17	1154.18	17.46%
2.	संदिग्ध अग्रिम (क+ख+ग)	10999.78	6088.96	55.36%
a	< 1 वर्ष	3692.38	1252.46	33.92%
b	1-3 वर्ष	6259.79	3788.89	60.53%
c	>3 वर्ष	1047.61	1047.61	100.00%
3.	हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिम (59.03) + तकनीकी रूप से बट्टे खाते (3476.35)	3535.38	3535.38	100.00%
4.	कुल	21146.33	10778.52	50.97%
5	अग्रिमों हेतु अस्थिर प्रावधान (केवल उस सीमा तक जहाँ उनका प्रयोग टायर II पूँजी के रूप में नहीं हो रहा है)	XX	13.00	XX
6	प्राप्त डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावे तथा समायोजन तक बकाया रखे गए।	XX	XX	XX
7	प्राप्त आंशिक भुगतान तथा उचित खाते अथवा किसी अन्य वैसे ही खाते में रखा गया।	XX	XX	XX
8	कुल	21146.33	10791.52	51.03%
9	प्रावधान कवरेज अनुपात #		51.03%	

\* तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे-खाते अनर्जक ऋणों की राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है किंतु प्र.का. स्तर पर बट्टे-खाते डाले गए (पूर्ण रूप से अथवा आंशिक)

@ विशिष्ट प्रावधानों में तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते जमा एनपीए वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में हास हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

# एनपीए पर कुल प्रावधान + अस्थिर प्रावधान + एनपीए परिकलन के लिए विचार की गयी डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावा राशि + तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गयी / सकल एनपीए राशि + तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गयी राशि



### 3.4 Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman

a) Customer complaints (in numbers)		b) Awards passed by the Banking Ombudsman (in numbers)	
a) Pending at the beginning of the year:	1274 (638)	a) Unimplemented at the beginning of the year:	Nil (Nil)
b) Received during the year:	239899 (152451)	b) Passed by the Banking Ombudsman during the year:	Nil (Nil)
c) Redressed during the year:	240413 (151815)	c) Implemented during the year:	Nil (Nil)
d) Pending at the end of the year:	*760 (*1274)	d) Unimplemented at the end of the year:	Nil (Nil)

Note:\* All the pending complaints are since redressed.

The total complaints received during the year include 230136 (ATM), 91 (Credit Card), 3384 (RTGS/NEFT), 107 (Pension), 1609 (SMS upset), 805 (Banking Ombudsman) & 3767 (General).

The number of Good faith charge backs i.e. complaints received after 120 days, raised on other Banks stood at 421 amounting to ₹19.48 lacs as on 31-03-2017.

### 3.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoC) issued by bank:

During the year ended 31.03.2017, 1207 (1147) Letter of Comfort/Letter of Undertaking have been issued by the bank

amounting to ₹ 2004.06 crore (₹ 2725.27 crore). The Letter of Comfort outstanding as on 31.03.2017 are amounting to ₹ 785.81 crore (₹ 1118.51 crore).

### Letter of Comfort on behalf of Joint Venture:

The Bank has formed a joint venture Bank in Malaysia with joint venture partnership of Bank of Baroda and Indian Overseas Bank on 13.08.2010 in the name of INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD.

Andhra Bank's share of joint venture is 25% whereas 40% is held by Bank of Baroda and 35% by Indian Overseas Bank. Reserve Bank of India and Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services have accorded approvals for the Bank for infusing capital funds equivalent to Malaysian Ringgit 82.50 million (being 25% of total paid up capital of Malaysian Ringgit 330 Mio).

For the purpose of fulfillment of capital requirements of its joint venture India International Bank (Malaysia) BHD,, Andhra Bank has issued a Letter of Undertaking and a Letter of Comfort on 05.08.2010 favoring Bank Negara Malaysia. The financial impact on such LOC/LOU is limited to the extent of Andhra Bank's share of capital contribution. As on 31.03.2017, Andhra Bank's contribution to equity capital of India International Bank (Malaysia) BHD is Malaysian Ringgit 82.50 Mio representing 82,50,000 fully paid equity shares of Malaysian Ringgit 10 per share. The rupee equivalent of such capital contribution is included under the head "Investments in Subsidiaries and Joint Ventures" by the Bank.

Thus, the Bank has fully remitted Malaysian Ringgit 82.50 Mio under the Letter of Comfort issued, towards its share in the paid up capital of Malaysian Ringgit 330.00 Mio.

### 3.6 Provisioning Coverage Ratio

(₹ in crore)

1	2	3	4	5
Sl. No.	Particulars	Gross NPA@ plus technical / prudential write-off as on 31.03.2017 *	Specific Provisions held including provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs plus technical / prudential write-off @	Ratio of (4) to (3)
1.	Sub-Standard Advances	6611.17	1154.18	17.46%
2.	Doubtful Advances (a+b+c)	10999.78	6088.96	55.36%
a	< 1 year	3692.38	1252.46	33.92%
b	1-3 Years	6259.79	3788.89	60.53%
c	>3 years	1047.61	1047.61	100.00%
3.	Advances classified as Loss Assets (59.03 )+ Technically Written-off (3476.35)	3535.38	3535.38	100.00%
4.	Total	21146.33	10778.52	50.97%
5	Floating Provisions for Advances (only to the extent they are not used as Tier II Capital)	XX	13.00	XX
6	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment	XX	XX	XX
7	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account	XX	XX	XX
8	Total	21146.33	10791.52	51.03%
9	Provisioning Coverage Ratio #		51.03%	

\* Technical or prudential write off is the amount of non-performing loans which are written off at branch level and loans which are outstanding in the books of the branches but have been written off (fully or partially) at Head Office level.

@ Specific Provisions held including provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs plus technical/ prudential write off.

# Total provisions held on NPAs + Floating provision + DICGC/ECGC claim amount considered for calculating NPA + amount technically written off / Gross NPA + amount technically written off.



### 3.7 बैंक-बीमा व्यवसाय

बैंक ने बैंक-बीमा लाइफ से शुल्क के रूप में ₹ 37.89 करोड़ (₹ 23.49 करोड़) प्राप्त किए हैं। इसमें बैंक-बीमा जीवन से शुल्क के रूप में ₹ 23.08 करोड़ (₹ 11.57 करोड़) तथा गैर जीवन से शुल्क के रूप में ₹ 14.82 करोड़ (₹ 11.92 करोड़) शामिल हैं।

### 3.8 जमा, अग्रिम, एक्सपोजर तथा एनपीए का केन्द्र :

#### 3.8.1 जमा का केन्द्र\* : (₹ करोड़ में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	23818 (17956)
बैंक के कुल जमा के प्रति 20 बड़े जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	12.19 (10.30)

\* ग्राहक व्यक्तिगत आईडी के आधार पर प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

#### 3.8.2 अग्रिमों का केन्द्र\* (₹ करोड़ में)

20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	24282 (20194)
20 बड़े उधारकर्ताओं को बैंक के कुल अग्रिम का प्रतिशत	16.77% (14.80%)

\* अग्रिमों की एक्सपोजर नियमों पर भारिबैंक के मास्टर परिपत्र में दिये गये नियमों सहित क्रेडिट एक्सपोजर परिभाषा के आधार पर गणना की गयी है।

### 3.9 क्षेत्र-वार अग्रिम / अनर्जक आति (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष 2016-17			गत वर्ष 2015-16		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए प्रतिशत
<b>क</b>	<b>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	26643.33	1156.88	4.34%	24079.91	1094.82	4.55%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों के लिए अग्रिम	16655.74	2085.12	12.52%	12794.59	1367.48	10.69%
3	सेवाएं	8374.79	469.83	5.61%	8279.56	307.56	3.71%
4	वैयक्तिक ऋण	10015.85	200.88	2.01%	9391.31	183.42	1.95%
	उप-जोड़ (क)	61689.71	3912.71	6.34%	54545.37	2953.28	5.41%
<b>ख</b>	<b>गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	929.59	0.00	0.00	599.09	0.00	0.00
2	उद्योग	56685.76	12868.35	22.70%	55846.29	8246.25	14.77%
	पावर @	13047.35	2049.53	15.71%	12563.66	838.41	6.67%
3	सेवाएं	2229.58	631.54	28.33%	13956.07	62.18	0.45%
	एनबीएफसी @	6913.26	0.00	0.00	9293.34	40.30	0.43%
4	वैयक्तिक ऋण	22697.33	257.38	1.13%	11423.80	181.91	1.59%
	<b>उप-जोड़ (ख)</b>	<b>82542.26</b>	<b>13757.27</b>	<b>16.67%</b>	<b>81825.25</b>	<b>8490.34</b>	<b>10.38%</b>
	<b>कुल (क + ख)</b>	<b>144231.97</b>	<b>17669.98</b>	<b>12.25%</b>	<b>136370.62</b>	<b>11443.62</b>	<b>8.39%</b>

@ उप क्षेत्रों के संबद्ध क्षेत्र का 10% अतिक्रमण करते हुए

### 3.8.3 जोखिमों का केन्द्र\* (₹ करोड़ में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	24491 (20524)
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	10.57% (10.36%)

\* भारिबैंक मास्टर परिपत्र में निर्धारित ऋण एवं निवेश एक्सपोजर के आधार पर एक्सपोजर की गणना की गयी है।

### 3.8.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्र (₹ करोड़ में)

सर्वोच्च चार एन पी ए खातों को कुल एक्सपोजर	3015.27 (1586.61)
--------------------------------------------	----------------------



**3.7 Bancassurance business**

The Bank has received total ₹37.89 crore (₹23.49 crore) as fee from Bancassurance. It includes fees from Bancassurance Life ₹23.08 crore (₹11.57 crore) and Non-Life ₹14.82 crore (₹11.92 crore).

**3.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**

**3.8.1 Concentration of Deposits:\*** (₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	23818 (17956)
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	12.19 (10.30)

\*Compiled by the management based on individual customer IDs and relied upon by the auditors.

**3.8.2 Concentration of Advances\*** (₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	24282 (20194)
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	16.77% (14.80%)

\* Advances have been computed as per the definition of credit exposure including derivatives furnished in RBI

**3.9 Sector-wise Advances / NPA :**

(₹ in crore)

Sl. No.	Sector	Current year 2016-17			Previous year 2015-16		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
<b>A</b>	<b>Priority Sector</b>						
1	Agriculture and allied activities	26643.33	1156.88	4.34%	24079.91	1094.82	4.55%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	16655.74	2085.12	12.52%	12794.59	1367.48	10.69%
3	Services	8374.79	469.83	5.61%	8279.56	307.56	3.71%
4	Personal loans	10015.85	200.88	2.01%	9391.31	183.42	1.95%
	<b>Sub-total (A)</b>	<b>61689.71</b>	<b>3912.71</b>	<b>6.34%</b>	<b>54545.37</b>	<b>2953.28</b>	<b>5.41%</b>
<b>B</b>	<b>Non Priority Sector</b>						
1	Agriculture and allied activities	929.59	0.00	0.00	599.09	0.00	0.00
2	Industry	56685.76	12868.35	22.70%	55846.29	8246.25	14.77%
	Power @	13047.35	2049.53	15.71%	12563.66	838.41	6.67%
3	Services	2229.58	631.54	28.33%	13956.07	62.18	0.45%
	NBFC @	6913.26	0.00	0.00	9293.34	40.30	0.43%
4	Personal loans	22697.33	257.38	1.13%	11423.80	181.91	1.59%
	<b>Sub-total (B)</b>	<b>82542.26</b>	<b>13757.27</b>	<b>16.67%</b>	<b>81825.25</b>	<b>8490.34</b>	<b>10.38%</b>
	<b>Total (A+B)</b>	<b>144231.97</b>	<b>17669.98</b>	<b>12.25%</b>	<b>136370.62</b>	<b>11443.62</b>	<b>8.39%</b>

@ Sub Sectors exceeding 10% of the respective sector.

Master circular on exposure norms.

**3.8.3 Concentration of Exposures\*** (₹ in crore)

Total exposure to twenty largest borrowers/customers	24491 (20524)
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	10.57% (10.36%)

\* Exposure has been computed based on credit and investment exposure as prescribed in the RBI Master circular on exposure norms.

**3.8.4 Concentration of NPAs:** (₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	3015.27 (1586.61)
-----------------------------------------	----------------------



### 3.10 एन.पी.ए. का संचालन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-मार्च-2017	31-मार्च-2016
वर्ष के प्रारंभ में सकल एनपीए	11443.63	6876.54
वर्ष के दौरान जमा (नए एनपीए)	9410.34	6332.04
कुल-योग (क)	20853.97	13208.58
घटाएं :-		
(i) कोटि उन्नयन	357.27	221.44
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	1203.60	729.19
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1108.85	598.49
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	514.27	215.83
कुल-योग (ख)	3183.99	1764.95
वर्ष के अंत में सकल एनपीए (क-ख)	<b>17669.98</b>	<b>11443.63</b>

तकनीकी बट्टे-खाता के स्टॉक तथा की गयी वसूलियाँ : (₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष	2557.05	2105.83
योग : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1108.85	598.49
उल-योग (क)	3665.90	2704.32
घटाएं : वर्ष के दौरान विगत तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में की गयी वसूली (ख)*	189.55	147.27
<b>अंतिम शेष (क-ख)</b>	<b>3476.35</b>	<b>2557.05</b>

\*तकनीकी बट्टे खाते में समझौते निपटानों के अंतर्गत सम्मिलित अनुमानित बट्टे खाते सहित

### 3.11 ओवरसीज़ आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	शून्य
कुल एनपीए	शून्य
कुल राजस्व	शून्य

### 3.12 एस.पी.वी. प्रायोजित ऑफ-तुलन पत्र (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है) :

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

### 3.13 दिनांक 31 मार्च, 2017 तक के अंतर बैंक लेन-देन का समायोजन किया जा चुका है ।

3.14 आय कर के लिए प्रावधान लागू नियमों एवं विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं के आधार पर किया गया है । समान मामलों में न्यायिक उद्घोषणाओं के दृष्टिगत, मूल्यांकन वर्ष 2014-15 हेतु, जिसका मूल्यांकन समाप्त/अपील की गई है, रु 2293.90 करोड़ (रु 1215.59 करोड़) की विवादित कर माँग के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है । उक्त विवादित कर माँग के प्रति बैंक द्वारा भुगतान की गई/विभाग द्वारा समंजित राशि को प्रदत्त अग्रिम/स्रोत पर कर कटौती में सम्मिलित किया गया है । (अनुसूची 11 की मद III - अन्य आस्तियाँ)

3.15 बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत उक्त धारा में यथा विनिर्दिष्ट पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ के संबंध में कटौती का दावा कर रहा है और तदनुसार उक्त धारा के अंतर्गत बनाए रखे गए तदनुसूची विशेष प्रारक्षिती खाते में रु. 95 करोड़ (विगत वर्ष रु. 200 करोड़) अंतरित किया है तथा इसे अनुसूची-2 प्रारक्षिती एवं अधिशेष की मद V के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

3.16 **ऋण चूक स्वैप** : बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण चूक स्वैप नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य) ।

### 3.17 इंट्रा-समूह एक्सपोजर :

#### 3.17.1 इंट्रा-समूह संस्थाएं

संस्था का नाम	संबंध का प्रकार
आन्धा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड,	अनुषंगी
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	सहयोगी
इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीचडी	संयुक्त उद्यम
असरेक इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

3.17.2 इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि - रु 387 करोड़ (रु 516 करोड़)

3.17.3 श्रेष्ठ-20 इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि - रु 387 करोड़ (रु 516 करोड़)

3.17.4 उधारकर्ता/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंट्रा समूह एक्सपोजर प्रतिशत 0.17% (0.26%) है ।

3.17.5 इंट्रा समूह एक्सपोजर तथा उस पर नियंत्रण कार्रवाई, यदि हो, तो सीमाओं के भंग का विवरण - शून्य

3.18 **जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता निधि (डी.ई.ए.एफ.) में अंतरण** : अदावी देयताओं का विवरण, जहाँ देय राशि डीईएफ में 'आकस्मिक देयता - अन्य मद जिसके लिए बैंक आकस्मिक जिम्मेदार है' के रूप में तुलन पत्र की अनुसूची 12 के अंतर्गत अंतरण की जा चुकी है:



**3.10 Movement of NPAs**

(₹ in crore)

Particulars	31-Mar-2017	31-Mar-2016
Gross NPAs at the beginning of the year	11443.63	6876.54
Additions (Fresh NPAs) during the year	9410.34	6332.04
Sub-total (A)	20853.97	13208.58
Less:-		
(i) Up gradations	357.27	221.44
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1203.60	729.19
(iii) Technical/Prudential Write offs	1108.85	598.49
(iv) Write offs other than those (iii) above	514.27	215.83
Sub-total (B)	3183.99	1764.95
<b>Gross NPAs at the end of the year (A-B)</b>	<b>17669.98</b>	<b>11443.63</b>

Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon: (₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance of Technical/ Prudential Written off Accounts	2557.05	2105.83
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	1108.85	598.49
Sub-Total (A)	3665.90	2704.32
Less: Recoveries made from previously technical/prudential write-off Accounts during the year (B)*	189.55	147.27
<b>Closing balance (A-B)</b>	<b>3476.35</b>	<b>2557.05</b>

\*Including notional write off involved under compromise settlements in Technically Written Off accounts.

**3.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Total Assets	NIL
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

**3.12 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

**3.13** Reconciliation of Inter Bank transactions have been done up to 31st March 2017.

**3.14** Provision for Income Tax has been made on the basis of the applicable laws and various judicial pronouncements available. In view of judicial pronouncements in similar cases, no additional provision is considered necessary towards disputed tax demands of ₹2293.90 crore (₹1215.59 crore) up to assessment year 2014-15 for which assessments are completed/appealed. Amounts paid by the bank/ adjusted by the department on account of the said disputed tax demands have been included in tax paid in advance/tax deducted at source (item III of Schedule 11 – Other Assets)

**3.15** The Bank has been claiming deduction under Section 36(1)(viii) of the Income tax Act, 1961 in respect of the profits derived out of eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of ₹95 crore (previous year ₹200 crore) to the corresponding Special Reserve account maintained under the said section and the same is shown under Item V of Schedule -2 “Reserves and Surplus”.

**3.16 Credit Default Swaps:** The Bank has not entered into Credit Default Swaps during the current Financial Year (previous year NIL).

**3.17 Intra-Group Exposures:**

**3.17.1 Intra-group entities**

Name of the entity	Nature of Relationship
Andhra Bank Financial Services Ltd.,	Subsidiary
Chaitanya Godavari Grameena Bank	Associate
India First Life Insurance Company Ltd.,	Joint Venture
India International Bank (Malaysia) Bhd	Joint Venture
ASREC India (P) Ltd.,	Joint Venture

**3.17.2** Total amount of intra-group exposures - ₹387 crore (₹ 516 crore)

**3.17.3** Total amount of top 20 intra-group exposures ₹387 crore (₹ 516 crore)

**3.17.4** Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers is 0.17% (0.26%).

**3.17.5** Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any. NIL

**3.18 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) :** Details of unclaimed liabilities where the amount due has been transferred to DEAF reflected as “Contingent Liability - Other items for which the bank is contingently liable” under Schedule 12 of the Balance Sheet :



(₹ करोड़ में)

विवरण	31-मार्च-2017	31-मार्च-2016
डीईएफ को अंतरण की गयी राशि का प्रारंभिक शेष	182.07	148.93
योग : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरण की गयी राशि	45.87	34.37
घटाएं : दावे हेतु डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि	3.08	1.23
डीईएफ को अंतरण की गयी राशि का अंतिम शेष	224.86	182.07

**3.19 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :**

बैंक के पास बोर्ड द्वारा ' अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर ' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गयी अनुमोदित नीति है । नीति उधारकर्ताओं की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी, रिपोर्टिंग, समीक्षा एवं मूल्य पद्धति कवर करती है ।

उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा ऋण/उधार के समस्त विदेशी एक्सपोजर की गणना हेतु, विदेशी मुद्रा में कार्यशील पूंजी मांग ऋण/मियादी ऋण, बाहरी वाणिज्यिक उधार, विदेशी वचन पत्र (एलओयू) / क्रेता ऋण सहित चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी), आयात ऋण पत्र, विदेशी गारंटी पत्र / विदेशी स्टैंड बाई ऋण पत्र / विदेशी मुद्रा में जारी आस्थगित भुगतान गारंटी पर विचार किया जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं की संभाव्य हानि एवं ईबीआईडी पर विचार करते हुए वृद्धिशील प्रावधानों/पूंजीगत अपेक्षा की गणना की जाती है ।

दिनांक 31 मार्च, 2017 तक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में बैंक द्वारा प्रदान किए गए वृद्धिशील प्रावधान / पूंजीगत अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

वृद्धिशील प्रावधान (मानक आस्ति प्रावधान से अधिक)	उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हेतु वृद्धिशील पूंजीगत अपेक्षा
6.62	18.37



(₹ in Crore)

Particulars	31-March-2017	31-March-2016
Opening balance of amounts transferred to DEAF	182.07	148.93
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	45.87	34.37
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	3.08	1.23
Closing balance of amounts transferred to DEAF	224.86	182.07

**3.19 Unhedged Foreign Currency Exposure :**

Bank has in place a Board approved policy on “Hedging of Forex Currency Exposures of the Borrowers” prepared in line with RBI guidelines. The policy covers monitoring, reporting, reviewing and pricing mechanism of Unhedged Forex Exposures

of Borrowers.

For computing aggregate forex exposures of the borrowers Foreign currency loans/borrowings, Working capital demand loan/term loan in foreign currency, Foreign Letter of Undertaking (LoU)/Letter of Comfort (LoC) including buyers credit, import letter of credit, Foreign Letter of Guarantees/Foreign Stand by Letter of Credit/Deferred Payment Guarantees issued in Foreign currency are considered.

The incremental provisions/Capital requirement is arrived by considering likely loss & EBID of the borrowers as per RBI guidelines.

In respect of the Unhedged Foreign Currency Exposures, Incremental provisions and capital requirements that are provided by the bank as on 31st March 2017 are given below.

(₹ in Crore)

Incremental Provisioning (over and above extant standard asset provisioning)	Incremental Capital requirement for Unhedged foreign currency exposures of borrowers
6.62	18.37





## 3.20 तरलता कवरेज अनुपात :

### 3.20.1 प्रकटीकरण प्रास्य :

(₹ करोड़ में)

		31-मार्च-2017#		31-मार्च-2016*	
		कुल *अभारित मूल्य (औसत)	# कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल *अभारित मूल्य (औसत)	# कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियां (एचक्यूएलए)		41385.10		21120.02
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमाएं तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों की जमाएं, जिनमें :	91846.51	8769.63	81024.43	7779.28
(i)	स्थिर जमाएं	8300.52	415.03	6463.34	323.17
(ii)	कम स्थिर जमाएं	83545.99	8354.60	74561.09	7456.11
3	असुरक्षित थोक निधीकरण, जिसमें	63007.30	21450.69	43317.63	19546.54
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	--	--	--	--
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	63007.30	21450.69	43317.63	19546.54
(iii)	अरक्षित ऋण	--	--	--	--
4	सुरक्षित थोक निधीकरण		--		--
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिनमें	36388.27	10879.30	23756.31	5014.95
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्गमन	8213.04	8213.04	3030.54	3030.54
(ii)	ऋण उत्पाद पर निधीकरण हानि से संबंधित बहिर्गमन	--	--	--	--
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	28175.23	2666.26	20725.77	1984.41
6	अन्य निधीकरण करार दायित्व	1829.41	1829.41	3375.55	3375.55
7	अन्य आकस्मिक निधीकरण दायित्व	17711.33	531.34	2605.93	78.65
8	कुल नकदी बहिर्गमन		43456.93		35794.97
नकद अंतर्वाह					
9	रक्षित उधार (उदा: रिवर्स रेपो)	--	--	309.83	309.83
10	पूर्ण रूप से कार्यनिष्पादित एक्सपोजरों से अंतर्वाह	1224.31	612.15	1388.27	694.13
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	9126.61	9126.61	4029.31	4029.31
12	<b>कुल नकदी अंतर्वाह</b>	<b>10350.92</b>	<b>9738.76</b>	<b>5727.40</b>	<b>5033.27</b>
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		41385.10		21120.02
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		33718.17		30761.69
23	चल कवरेज अनुपात (%)		122.73%		68.66%

# पिछली तिमाही के दैनिक अवलोकन पर आधारित ।

\* वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 12 माह हेतु मासिक औसत ।

### एलसीआर के प्रति गुणवत्ता प्रकटीकरण :

क. चल कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना अगले 30 कैलेण्डर दिनों की दबावपूर्ण परिस्थितियों में निवल नकदी बहिर्गमन की उच्च गुणवत्ता चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के अनुपात के रूप में की जाती है ।

ख. उच्च गुणवत्ता चल आस्तियों में निम्न शामिल हैं :

➤ हाथ में नकदी;

- अधिक सीआरआर शेष;
- न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां ;
- एमएसएफ (एनडीटीएल का @2%) तथा एफएलएलसीआर (एनडीटीएल का @9%) के अंतर्गत भारिबै द्वारा अनुमत अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां;
- सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, कार्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, ईक्विटी शेयरों पर दावे अथवा इनके द्वारा गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां (भारिबैक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हेयरकट/समायोजन किए गए स्तर 2ए तथा 2बी आस्तियों के रूप में वर्गीत आस्तियां)



**3.20 Liquidity Coverage Ratio :**

**3.20.1 Disclosure format :**

(₹ in crore)

		31-March-2017#		31-March-2016*	
		Total *Unweighted Value (average)	Total #Weighted Value (average)	Total *Unweighted Value (average)	Total #Weighted Value (average)
<b>High Quality Liquid Assets</b>					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		41385.10		21120.02
<b>Cash Outflows</b>					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	91846.51	8769.63	81024.43	7779.28
(i)	Stable deposits	8300.52	415.03	6463.34	323.17
(ii)	Less stable deposits	83545.99	8354.60	74561.09	7456.11
3	Unsecured wholesale funding, of which:	63007.30	21450.69	43317.63	19546.54
(i)	Operational deposits (all counterparties)	--	--	--	--
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	63007.30	21450.69	43317.63	19546.54
(iii)	Unsecured debt	--	--	--	--
4	Secured wholesale funding		--		--
5	Additional requirements, of which	36388.27	10879.30	23756.31	5014.95
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	8213.04	8213.04	3030.54	3030.54
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	--	--	--	--
(iii)	Credit and liquidity facilities	28175.23	2666.26	20725.77	1984.41
6	Other contractual funding obligations	1829.41	1829.41	3375.55	3375.55
7	Other contingent funding obligations	17711.33	531.34	2605.93	78.65
8	Total Cash Outflows		43456.93		35794.97
<b>Cash Inflows</b>					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	--	--	309.83	309.83
10	Inflows from fully performing exposures	1224.31	612.15	1388.27	694.13
11	Other cash inflows	9126.61	9126.61	4029.31	4029.31
12	Total Cash Inflows	<b>10350.92</b>	<b>9738.76</b>	<b>5727.40</b>	<b>5033.27</b>
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		41385.10		21120.02
22	Total Net Cash Outflows		33718.17		30761.69
23	Liquidity Coverage Ratio (%)		122.73%		68.66%

# Based on the daily observations over the previous quarter.

\* Monthly average for the 12 months during FY 2016-17.

**LCR Qualitative Disclosure:**

a. The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is calculated as a ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash outflows under stress conditions over the next 30 calendar days.

b. High Quality Liquidity Assets (HQLA) comprise:

➤ Cash on hand;

- Excess CRR balance;
- Government Securities in excess of minimum SLR requirement;
- Government securities within the mandatory SLR requirement to the extent allowed by RBI under MSF (@2% of NDTL) & FALLCR (@9% of NDTL);
- Marketable securities representing claims on or guaranteed by Public Sector Entities, Corporate Bonds, Commercial Papers, Equity shares (Assets classified as Level 2A and 2B Assets are subject to hair-cuts / adjustments as per RBI guidelines)



**3.21. वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु मासिक एलसीआर का संचालन निम्नानुसार है :**

अनुपात	संकेतक न्यूनतम बेंचमार्क	30.04.16	31.05.16	30.06.16	30.07.16	31.08.16	30.09.16
चलनिधि कवरेज अनुपात (ए/बी)	70% (दिनांक 01.01.16 से प्रभावी एवं 80% दिनांक 01.01.17 से प्रभावी)	86.72%	76.23%	101.57%	97.45%	103.51%	102.62%
		31.10.16	30.11.16	31.12.16	31.01.17	28.02.17	31.03.17
		103.95%	111.77%	131.35%	124.27%	111.35%	128.61%

मार्च, 2017 तक एलसीआर, पिछली तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन के आधार पर 122.73% रही। दिनांक 01.01.2017 से, प्रत्येक माह के अंत में न्यूनतम अपेक्षित एलसीआर 80% रही। एलसीआर, न्यूनतम अपेक्षा 80 प्रतिशत के प्रति जनवरी-17, फरवरी-17 तथा मार्च-17 माह के अंत तक क्रमशः 124.27%, 111.35%, 128.61% रही।

एचक्यूएलए के प्रमुख भाग एफएलएलसीआर, एमएसएफ तथा अधिक एसएलआर हैं। एचक्यूएलए के अन्य प्रमुख भाग पीएसई, अधिक सीआरआर, नकदी शेष पर दावे का प्रतिनिधित्व करने वाली विपणन प्रतिभूतियां हैं।

बैंक द्वारा नियंत्रक अपेक्षाओं के अनुसार नियमित आधार पर न्यूनतम एलसीआर अपेक्षाएं बनाये रखने हेतु उच्च गुणात्मक चल आस्ति उचित परिमाण में रखी जा रही हैं।

**3.22 धोखाधड़ी खातों के प्रावधान संबंधी प्रकटीकरण :**

विवरण	31-मार्च-2017	31-मार्च-2016
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	66	53
इन धोखाधड़ी में सम्मिलित राशि (रु करोड़ में)	245.60	250.20
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा (रु करोड़ में)	190.77	192.87
अन्य आरक्षित से नामे प्रावधानों की गैर-परिशोधित मात्रा (रु करोड़ में)	21.49	60.01

भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं. भारिबैंक/2015-16/376, डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/ 21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार, बैंक ने धोखाधड़ी प्रकट किए गए खातों के प्रावधान के गैर-परिशोधित भाग के प्रति राजस्व रिजर्व से रु. 21.49 करोड़ (रु. 60.01 करोड़) नामे किया है। राजस्व रिजर्व को नामे की गयी आहरित राशि रिवर्स की जाएगी तथा अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुवर्ती तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में नामे करते हुए प्रावधानीकरण पूरा किया जाएगा।

**3.23 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र :**

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसएलसी का प्रकार	31-मार्च-2017		31-मार्च-2016	
		विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय
1.	पीएसएलसी - कृषि (पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ के अलावा)	--	--	--	--
2.	पीएसएलसी -एसएफ/एमएफ	1200.00	--	--	--
3.	पीएसएलसी - सूक्ष्म उद्यम	--	600.00	--	--
4.	पीएसएलसी - साधारण (कृषि एवं सूक्ष्म उद्यम के अलावा)	1584.00	--	--	--

भारिबैं के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपत्र सं. भारिबैं/2015-16/366 एफआईडीडी.सीओ.योजना.बीसी23/04.09.01/2015-16 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में।

**3.24. आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर)**

आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन खातों की समीक्षा की है जहाँ विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन की समस्या अथवा पुनर्चना शर्तों की आपूर्ति के कारण सीडीआर पुनर्चना नहीं हो पाई तथा एक्यूआर आस्तियों के वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर इस समीक्षा का प्रभाव निम्नानुसार है।

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	वर्गीकरण	दिनांक 31.03.2017 तक खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2017 तक एकस्पोजर	दिनांक 31.03.2017 तक आईआरएसी मानदंड के अनुसार प्रावधान
1.	मानक	14	2603.70	299.75
2.	एनपीए	08	575.26*	363.02*
	कुल	22	3178.96	662.77

\*49.43 करोड़ रु के एकस्पोजर वाले एक तकनीकी बट्टे खाते को छोड़कर।



3.21. The movement of monthly LCR for the FY 2016-17 is as follows:

Ratio	Indicative Minimum Benchmark	30.04.16	31.05.16	30.06.16	30.07.16	31.08.16	30.09.16
Liquidity Coverage Ratio (A/B)	70% (w.e.f. 01.01.16 & 80% w.e.f. 01.01.17)	86.72%	76.23%	101.57%	97.45%	103.51%	102.62%
		31.10.16	30.11.16	31.12.16	31.01.17	28.02.17	31.03.17
		103.95%	111.77%	131.35%	124.27%	111.35%	128.61%

LCR as on March 2017, based on the daily observations over the previous quarter stood at 122.73%. From 01.01.2017, minimum required LCR as on every month end is 80%. LCR as on month ends of Jan-17, Feb-17 and March-17 stood at 124.27%, 111.35%, 128.61% respectively as against the minimum requirement of 80%.

Major components of HQLA are FALLCR, MSF and Excess SLR. Other components of HQLA are marketable securities representing claims on PSEs, excess CRR, cash balance, etc.

Bank is maintaining sufficient quantity of High Quality Liquid Assets to meet the minimum LCR requirements on an ongoing basis as per regulatory requirements.

### 3.22 Disclosures related to Provisions pertaining to fraud accounts :

Particulars	31-March-2017	31-March-2016
Number of frauds reported during the year	66	53
Amount involved in such frauds (₹ in Crore)	245.60	250.20
Quantum of Provision made during the year (₹ in Crore)	190.77	192.87
Quantum of Un-amortised Provision debited to "Other Reserves" (₹ in Crore)	21.49	60.01

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. RBI/2015-16/376, DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016, Bank has debited ₹21.49 crore (₹ 60.01 crore) from Revenue Reserve towards unamortized portion of provision on accounts reported as fraud. The drawn amount debited to Revenue Reserve will be reversed and complete the provisioning by debiting Profit & Loss Account, in the subsequent quarters of the next financial year 2017-18.

### 3.23 Priority Sector Lending Certificates :

(₹ in crore)

S.No.	Type of PSLCs	31-March-2017		31-March-2016	
		Sold	Purchased	Sold	Purchased
1.	PSLC – Agriculture (Other than PSLC-SF/MF)	--	--	--	--
2.	PSLC - SF/MF	1200.00	--	--	--
3.	PSLC – Micro Enterprises	--	600.00	--	--
4.	PSLC – General (Other than agriculture & micro enterprises)	1584.00	--	--	--

Pursuant to RBI guidelines vide Circ. No. RBI/2015-16/366 FIDD.CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/2015-16 Dt. April 7, 2016

### 3.24. Asset Quality Review (AQR)

Pursuant to Asset Quality Review, Reserve Bank of India has reviewed the accounts where CDR restructuring had failed due to performance issues within the specified period or non-fulfillment of restructuring conditions and the effect of such review on classification and provisioning on AQR assets is as under.

(₹ in crore)

S. No.	Classification	Number of Accounts as on 31.03.2017	Exposure as on 31.03.2017	Provision as per IRAC norms as on 31.03.2017
1.	Standard	14	2603.70	299.75
2.	NPAs	08	575.26*	363.02*
	Total	22	3178.96	662.77

\*Excluding one technically written off account with an exposure of ₹49.43 Crore.



**3.25 विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) :** दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तक एसबीएन की संग्रहण मद VI, अनुसूची 11 के अधिसूचना - II की मद सं. VI अन्य आस्तियों सहित 55.89 करोड़ रु भारिबैं तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट किए गए तथा जो भारिबैं के परिपत्र सं. भारिबैं/2016-17/201 डीसीएम (प्रतिज्ञा) सं.2013/10.27.00/2016-17 दिनांक 30.12.2016 के अनुसार भारिबैं अथवा इसके मुद्रा तिजोरी के किसी भी कार्यालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को जमा करने हेतु आवश्यक था तथा उक्त तिथि तक भारिबैं अथवा इसकी मुद्रा तिजोरी में जमा नहीं किया गया। उक्त राशि बैंक द्वारा दिनांक 31/12/2016 को अन्य मुद्रा तिजोरी/भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा नहीं किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बैंक द्वारा इस मामले पर कार्यवाई की जा रही है तथा बैंक इसके शीघ्र समाधान हेतु आश्वस्त है।

### **3.26 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :**

बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकक तथा बोर्ड निदेशकों के अनुमोदन के आधार पर वर्तमान बाजार मूल्य को प्रभावित करने हेतु वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। 175.63 करोड़ रु (आस्तियों की वास्तविक लागत में 34.58 करोड़ रु की वृद्धि तथा 141.05 करोड़ रु (-) के संचित मूल्यहास सहित) का निवल मूल्य-वृद्धि पुनर्मूल्यांकन रिवर्स हेतु जमा किया गया।

**3.27** पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां चालू वर्ष के आंकड़ों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो, पुनः श्रेणीकृत / पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किए गए हैं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं।



**3.25 Specified Bank Notes (SBNs):** Item VI, 'Others' of Schedule 11-Other Assets includes a sum of ₹55.89 crore, being collection of SBNs upto 30th December, 2016 reported to RBI and Ministry of Finance, Govt of India and which are required to be deposited in any office of RBI or its Currency Chests on 31st December 2016 by virtue of RBI Circular No.RBI/2016-17/201 DCM (Pig) No.2013/10.27.00/2016-17 dated 30.12.2016 and not deposited with RBI or its Currency Chests on the said date. The said amount could not be deposited by the Bank on 31/12/2016 with other Currency Chests / Reserve Bank of India. The matter is being pursued by Bank with Reserve Bank of India and the Bank is confident of resolving the same at the earliest.

**3.26 Revaluation of Fixed Assets:**

During the year properties owned by the Bank was revalued to reflect the present market value based on the reports of External Independent Valuers and approved by the Board of Directors. The net appreciation of ₹175.63 Crore (with increase in original cost of assets by ₹34.58 Crore and accumulated depreciation by (-) ₹141.05 crore has been credited to revaluation reserve.

**3.27** Previous year figures have been regrouped / reclassified /rearranged wherever necessary to confirm to current year's figures. Figures in the brackets indicate figures of previous year.



## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	8972,35,18	8183,76,85
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	17735,14,32	8972,35,18
<b>अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)</b>	<b>8762,79,14</b>	<b>788,58,33</b>
<b>परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह</b>		
कर पूर्व निवल लाभ	359,33,21	1004,02,67
समायोजन:		
परिशोधन / निवेश पर मूल्यहास	28,02,941	148,58,73
समनुषंगी-संस्था/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश पर प्राप्त लाभांश	-	-
एनपीए हेतु प्रावधान	3834,03,91	3100,00,69
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	117,40,90	66,53,73
अन्य आस्तियों (निवल) हेतु प्रावधान	(112,11,74)	(282,83,37)
गौण ऋण एवं अन्य उधार पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान	803,43,74	908,42,27
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	151,94,87	143,71,38
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1,101	(43,00)
<b>परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन</b>		
जमा में वृद्धि / (कमी)	21138,84,29	19290,15,77
निवेश में वृद्धि / (कमी)	(6113,58,92)	(8679,57,12)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(9892,48,01)	(6794,47,98)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(1742,63,20)	(603,34,30)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	350,52,37	(810,35,10)
परिचालन जनित नकदी	<b>9175,11,83</b>	<b>7490,44,37</b>
प्रदत्त कर	50,71,637	(255,44,69)
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (ए)	<b>9682,28,21</b>	<b>7234,99,68</b>
<b>निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह</b>		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	(314,20,80)	(270,72,69)
समनुषंगी-संस्था/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश में (वृद्धि) / कमी	-	(45,00,00)
समनुषंगी-संस्था/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश पर प्राप्त लाभांश	-	-
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह (बी)	(314,20,80)	(315,72,69)
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	-	514,47,57
लंबित आबंटन, भारत सरकार से आवेदन राशि	1,10,00,000	-
उधार में वृद्धि / (कमी)	(860,41,53)	(5591,62,52)
प्रदत्त गौण ऋण और अन्य उधार पर ब्याज	(803,43,74)	(908,42,27)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर मिलाकर)	(41,43,00)	(145,11,44)
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह (सी)	<b>(605,28,27)</b>	<b>(6130,68,66)</b>
<b>वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि (+)/ कमी(-) (ए) + (बी) + (सी)</b>	<b>8762,79,14</b>	<b>78,85,833</b>

सुरेश एन पटेल

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जी.शिवकुमार  
निदेशक

कृते प्रेम गुप्ता एवं कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं.000425एन  
(सीए प्रेम बिहारी गुप्ता)  
साझेदार (एम.सं. 080245)

अंजना दुबे  
निदेशक

कृते वी.कृष्णन एवं कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं.001541एस  
(सीए पी गीता)  
साझेदार (एम सं.202607)

एस के कालरा

कार्यपालक निदेशक

ई.ई.कार्तिक  
निदेशक

कृते बाशा एवं नरसिंहन  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं. 006031एस  
(सीए सी शुन्मुग सुन्दरम)  
साझेदार (एम.सं.222455)

अजित कुमार रथ

कार्यपालक निदेशक

ए. कृष्णा कुमार  
निदेशक

कृते सागर एवं एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं. 003510एस  
(सीए बी. अरूण)  
साझेदार (एम सं.216454)

स्थान: हैदराबाद

तिथि : 16.मई, 2017



## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ in '000)

Particulars	For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
Opening balance of Cash and Cash equivalents	8972,35,18	8183,76,85
Closing balance of Cash and Cash equivalents	17735,14,32	8972,35,18
<b>Net Increase(+)/Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period</b>	<b>8762,79,14</b>	<b>788,58,33</b>
<b>Cash Flow from Operating Activities:</b>		
Net Profit before tax	359,33,21	1004,02,67
Adjustment for:		
Amortisation/Depreciation on Investments	28,02,941	148,58,73
Dividend received on Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	-	-
Provision for NPA	3834,03,91	3100,00,69
Provision for Standard Assets	117,40,90	66,53,73
Provision for Other Assets (Net)	(112,11,74)	(282,83,37)
Payment / provision for Interest on Subordinated Debt & Other Borrowings	803,43,74	908,42,27
Depreciation on Fixed Assets	151,94,87	143,71,38
Profit on Sale of Assets	1,101	(43,00)
<b>Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities:</b>		
Increase / (Decrease) in Deposits	21138,84,29	19290,15,77
(Increase) / Decrease in Investments	(6113,58,92)	(8679,57,12)
(Increase) / Decrease in Advances	(9892,48,01)	(6794,47,98)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(1742,63,20)	(603,34,30)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	350,52,37	(810,35,10)
<b>Cash Generated from Operations</b>	<b>9175,11,83</b>	<b>7490,44,37</b>
Taxes Paid	50,71,637	(255,44,69)
<b>Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>9682,28,21</b>	<b>7234,99,68</b>
<b>Cash Flow from Investing Activities:</b>		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	(314,20,80)	(270,72,69)
(Increase) / Decrease of Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	-	(45,00,00)
Dividend received on Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	-	-
Cash Flow from Investing Activities (B)	(314,20,80)	(315,72,69)
<b>Cash Flow from Financing Activities:</b>		
Equity Capital including Premium	-	514,47,57
Application money from GOI, pending allotment	1,10,00,000	-
Increase / (Decrease) in Borrowings	(860,41,53)	(5591,62,52)
Interest paid / payable on Subordinated Debt & Other Borrowings	(803,43,74)	(908,42,27)
Dividend paid (including tax on dividend)	(41,43,00)	(145,11,44)
Cash Flow from Financing Activities (C)	<b>(605,28,27)</b>	<b>(6130,68,66)</b>
<b>Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)</b>	<b>8762,79,14</b>	<b>78,85,833</b>

**SURESH N PATEL**

Managing Director & Chief Executive Officer

**S.K.KALRA**

Executive Director

**AJIT KUMAR RATH**

Executive Director

**G.SIVAKUMAR**

Director

**ANJANA DUBE**

Director

**E. E. KARTHAK**

Director

**A. KRISHNA KUMAR**

Director

**For PREM GUPTA & CO**

Chartered Accountants  
FRN- 000425N

**(CA Prem Behari Gupta)**  
Partner (M. No. 080245)

**For V.KRISHNAN & CO.**

Chartered Accountants  
FRN- 001541S

**(CA P. Geetha)**  
Partner (M. No. 202607)

**For BASHA & NARASIMHAN**

Chartered Accountants  
FRN- 006031S

**(CA C. Shunmugasundaram)**  
Partner (M. No. 222455)

**For SAGAR & ASSOCIATES**

Chartered Accountants  
FRN- 003510S

**(CA B. Aruna)**  
Partner (M. No. 216454)

Place: Hyderabad  
Date: 16.05.2017





## स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

### सेवा में

### आन्धा बैंक के सदस्य

### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने आन्धा बैंक के दिनांक 31 मार्च 2017 की संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है। इन विवरणियों में दिनांक 31 मार्च 2017 को तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा और उस अवधि के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 1375 शाखाओं की लेखा परीक्षित विवरणियाँ हैं। हमने तथा अन्य लेखा परीक्षकों ने जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया। साथ ही 1513 शाखाएं, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई, उनकी विवरणियों को तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा में सम्मिलित किया गया है। ऑग्रियों का 8.92 प्रतिशत, जमाराशियों का 19.67 प्रतिशत, ब्याज आय का 5.90 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 17.31 प्रतिशत इन गैर-लेखा परीक्षित शाखाओं से है।

### वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का दायित्व

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, धोखाधड़ी या त्रुटियों के कारण तात्त्विक मिथ्याकथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण सम्मिलित है।

### लेखा परीक्षकों का दायित्व

- लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में राय देना हमारा दायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हम योजना बनाएं तथा लेखा परीक्षा करें कि ये वित्तीय विवरणियाँ तात्त्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकृटीकरण तथा राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के संबंध में जाँच आधार पर किया गया परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा के लिए चयन की गई प्रक्रिया का स्वरूप लेखा परीक्षक के विवेकाधीन है। वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तात्त्विक मिथ्याकथन के जोखिम का निर्धारण भी इसमें शामिल है। ऐसे जोखिम निर्धारण के समय लेखा परीक्षक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने हेतु बैंक हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणियों के उचित रूप से प्रस्तुतीकरण पर

भी विचार करेगा। प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है।

- हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा प्रमाण प्राप्त किए हैं, लेखा परीक्षा से सम्बन्धित अपनी राय हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

### राय

- हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है, तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - तुलन पत्र उसकी अनुसूचियों सहित संपूर्ण एवं सही तुलन पत्र है तथा उचित रूप से बनाया गया है एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा स्तरों के अनुसार है ताकि दिनांक 31 मार्च 2017 तक बैंक की कार्यकलापों की सही स्थिति को दर्शाया जा सके।
  - लाभ एवं हानि खाता, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप खातों द्वारा कवर किए गए वर्ष हेतु लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा
  - उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण सही तथा समुचित स्थिति को दर्शाता है।

### अन्य विधि तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की अनुसूची 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- उक्त पैरा 1 से 5 तक विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा की परिसीमा तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अंतरण एवं अभिग्रहण) अधिनियम, 1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटन की परिसीमा की शर्तों पर हम निम्नलिखित सूचित करते हैं :
  - हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो लेखा के उद्देश्य हेतु हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक था तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
  - हमारे ध्यान में आए बैंक के लेन-देन, बैंक के अधिकारों के अंदर है।
  - बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखा के उद्देश्य हेतु पर्याप्त पाई गई हैं।
- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
  - इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता लेखा एवं विवरणी बहियों के अनुरूप है।
  - बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की अनुसूची 29 के अन्तर्गत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के रिपोर्ट हमें भेजे गए तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा पूर्ण रूप से जाँच किए गए।
  - हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों का पालन करते हैं।

कृते प्रेम गुप्ता एवं कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं.000425एन  
(सीए प्रेम बिहारी गुप्ता)  
साझेदार (एम.सं. 080245)

कृते वी.कृष्णन एवं कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं.001541एस  
(सीए पी गीता)  
साझेदार (एम सं.202607)

कृते बाशा एवं नरसिंहन  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं. 006031एस  
(सीए सी शुन्मुग सुन्दरम)  
साझेदार (एम.सं.222455)

कृते सागर एवं ऐसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
एफआर सं. 003510एस  
(सीए बी. अरूण)  
साझेदार (एम सं.216454)

स्थान: हैदराबाद

तिथि : 16.मई, 2017



**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

To

**The Members of Andhra Bank**

**Report on the Financial Statements**

1. We have audited the accompanying financial statements of Andhra Bank ("the Bank") as at 31st March, 2017 which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1375 branches audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1513 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.92% of advances, 19.67 % of deposits, 5.90 % of interest income and 17.31 % of interest expenses.

**Management's Responsibility for the Financial Statements**

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors' Responsibility**

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting

estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up as per the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

- (a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- (b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- (c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

**For PREM GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
FRN- 000425N

**(CA Prem Behari Gupta)**  
Partner (M. No. 080245)

**For V.KRISHNAN & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN- 001541S

**(CA P.GEETHA)**  
Partner (M. No. 202607)

**For BASHA & NARASIMHAN**  
Chartered Accountants  
FRN- 006031S

**(CA C.SHUNMUGASUNDARAM)**  
Partner (M. No. 222455)

**For SAGAR & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN- 003510S

**(CA B.ARUNA)**  
Partner (M. No. 216454)

Place: Hyderabad  
Date: 16.05.2017



हमारी प्रगति - एक झलक

(रु करोड़ में)

वर्ष/मानदंड	1969 *	1980 **	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17
शाखाओं की संख्या	155	627	1712	1867	2114	2507	2803	2908
व्यवसाय डिलीवरी चैनलों की संख्या	155	754	2821	3125	4009	4782	6477	6875
कुल स्टाफ	2163	7585	15099	16523	18725	18525	18656	19383
निवल लाभ	0.06	1	1345	1289	436	638	540	174
कुल जमा	52	666	105851	123796	141845	155012	174302	195441
निवल अग्रिम#	35	356	83642	98373	107644	125955	130788	136846
निवेश \$	16	170	29656	37795	45639	46719	54152	60130
पूंजी	0.5	1	560	560	590	603	681	681
रिज़र्व एवं अधिशेष	0.4	4.9	6920	7882	8148	9461	10313	10686
कार्यकारी पूंजी	58	708	124964	146299	167341	185170	199962	222126
प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम	-	128	27027	35132	41293	45508	54545	61690

# प्रावधानों का निवल

\$ पूर्व - मूल्यहास

\* बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वर्ष

\*\* आन्ध्रा बैंक के राष्ट्रीयकरण का वर्ष



## OUR PROGRESS AT A GLANCE

(₹ Crore)

Year / Parameters	1969 *	1980 **	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15	Mar-16	Mar-17
No of Branches	155	627	1712	1867	2114	2507	2803	2908
No of Business Delivery Channels	155	754	2821	3125	4009	4782	6477	6875
Staff Strength	2163	7585	15099	16523	18725	18525	18656	19383
Net Profit	0.06	1	1345	1289	436	638	540	174
Total Deposits	52	666	105851	123796	141845	155012	174302	195441
Net Advances #	35	356	83642	98373	107644	125955	130788	136846
Investments \$	16	170	29656	37795	45639	46719	54152	60130
Capital	0.5	1	560	560	590	603	681	681
Reserves & Surplus	0.4	4.9	6920	7882	8148	9461	10313	10686
Working Funds	58	708	124964	146299	167341	185170	199962	222126
Priority Sector Advances	-	128	27027	35132	41293	45508	54545	61690

# Net of Provisions

\$ Pre – Depreciation

\* Year of Nationalisation of Banks

\*\* Year of Nationalisation of Andhra Bank



<b>प्रमुख कार्य-निष्पादन अनुपात</b>			
	<b>मार्च 2017</b>	<b>मार्च 2016</b>	<b>मार्च 2015</b>
	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>
<b>पूंजी पर्याप्तता</b>			
1. (सी आर ए आर) बेसल-III	12.38	11.58	10.63
2. कवरेज अनुपात	0.06	2.18	3.08
3. निवल मूल्य के प्रति निवल एन पी ए	98.81	58.81	39.78
<b>आस्ति स्तर</b>			
1. कुल निवेश के प्रति सरकारी प्रतिभूतियां	93.59	92.21	91.41
2. कुल अग्रिमों के प्रति कुल एन पी ए	7.57	4.61	2.93
3. कुल आस्तियों के प्रति ऑफ तुलन-पत्र मर्दे	49.98	20.85	29.73
4. कुल अग्रिमों के प्रति मानक अग्रिम	87.75	91.62	94.69
5. कुल आस्तियों के प्रति कुल एन पी ए	4.66	3.02	1.99
<b>प्रबन्धन स्तर</b>			
1. कुल जमा के प्रति सकल बैंक ऋण	73.80	78.27	83.61
2. कुल आस्तियों में वृद्धि	11.08	8	10.65
3. औसत उत्पादकता (रु लाख में)	1661.44	1511.58	1367.4
4. लाभ प्रति कर्मचारी (रु लाख में)	0.09	2.89	3.45
<b>आय</b>			
1. कुल आय के प्रति गैर-ब्याज आय	11.35	8.15	8.39
2. आस्तियों पर प्रतिफल	0.08	0.28	0.38
3. निवल ब्याज मार्जिन	3.07	3.18	3
4. आय के प्रति लागत का अनुपात	44.03	42.49	45.37
5. स्टाफ-लागत/(निवल ब्याज आय + अन्य आय)	26.74	25.19	28.12
6. अग्रिमों पर औसत उपज	9.77	10.71	11.38
7. कूपन-आधारित निवेश पर औसत उपज	7.77	8.05	8.19
8. औसत कार्यकारी निधि के प्रति परिचालन लाभ	2.04	2.08	1.94
<b>चल निधि</b>			
1. कुल आस्तियों के प्रति सरकारी प्रतिभूतियां	25.15	24.84	22.95
2. कुल आस्तियों के प्रति नकदी	0.43	0.44	0.36
3. कुल आस्तियों के प्रति कुल निवेश	27.07	27.08	25.11



<b>KEY PERFORMANCE RATIOS</b>			
	<b>March 2017</b>	<b>March 2016</b>	<b>March 2015</b>
	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>
<b>Capital Adequacy</b>			
1. (CRAR) – Basel III	12.38	11.58	10.63
2. Coverage Ratio	0.06	2.18	3.08
3. Net NPAs to Net Worth	98.81	58.81	39.78
<b>Asset Quality</b>			
1. Govt. Securities to Total Investments	93.59	92.21	91.41
2. Net NPAs to Net Advances	7.57	4.61	2.93
3. Off Balance Sheet Items to Total Assets	49.98	20.85	29.73
4. Standard Advances to Total Advances	87.75	91.62	94.69
5. Net NPAs to Total Assets	4.66	3.02	1.99
<b>Management Quality</b>			
1. Gross Bank Credit to Aggregate Deposit	73.80	78.27	83.61
2. Growth in Total Assets	11.08	8.00	10.65
3. Average Productivity (Rs Lakhs)	1661.44	1511.58	1367.40
4. Profit per Employee (Rs Lakhs)	0.90	2.89	3.45
<b>Earnings</b>			
1. Non Interest Income to Total Income	11.35	8.15	8.39
2. Return on Assets	0.08	0.28	0.38
3. Net Interest Margin	3.07	3.18	3.00
4. Ratio of Cost to Income	44.03	42.49	45.37
5. Staff Cost / (Net Interest Income + Other Income)	26.74	25.19	28.12
6. Average Yield on Advances	9.77	10.71	11.38
7. Average Yield on Coupon Based Investments	7.77	8.05	8.19
8. Operating Profit to Average Working Funds	2.04	2.08	1.94
<b>Liquidity</b>			
1. Govt. Securities to Total Assets	25.15	24.84	22.95
2. Cash to Total Assets	0.43	0.44	0.36
3. Total Investments to Total Assets	27.07	27.08	25.11



## विदेशी मुद्रा में आन्ध्रा बैंक का संक्षिप्त वित्तीय विवरण

31.03.2017 के अनुसार तुलन - पत्र

(तुलन-पत्र की तिथि को लागू याने 1 यू एस \$ = रु 64.8386 दो मुद्राओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ दर पर यू एस \$ में परिवर्तित भारतीय रूपए में राशि)

	(भारतीय रु करोड़ में)	(यू एस \$ मिलियन में)
<b>पूंजी एवं देयताएं</b>		
पूंजी	681.16	10.51
प्रारक्षिती एवं अधिशेष	10685.50	164.80
जमा	195441.25	3014.27
उधार	8855.18	136.57
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	6463.05	99.68
<b>कुल</b>	<b>222126.13</b>	<b>3425.83</b>
<b>आस्तियां</b>		
भा रि बैं में नकदी एवं शेष	9322.59	143.78
बैंकों में शेष तथा मांग पर तथा अल्प-सूचना पर धनराशि	8412.55	129.75
निवेश	59697.49	920.71
अग्रिम	136846.33	2110.57
अचल आस्तियां	1530.70	23.61
अन्य आस्तियां	6316.46	97.42
<b>कुल</b>	<b>222126.13</b>	<b>3425.83</b>
आकस्मिक देयताएं	111024.14	1712.32
वसूली हेतु बिल	7652.89	118.03
<b>31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता</b>		
<b>आय</b>		
कमाया हुआ ब्याज	18027.42	278.04
अन्य आय	2308.31	35.60
<b>कुल</b>	<b>20335.72</b>	<b>313.64</b>
<b>व्यय</b>		
विस्तारित ब्याज	12495.77	192.72
परिचालन व्यय	3451.99	53.24
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	4213.62	64.99
<b>कुल</b>	<b>20161.39</b>	<b>310.95</b>
<b>विनियोजन</b>		
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण	43.60	0.67
पूंजी प्रारक्षिती को अंतरण	129.20	1.99
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण	0.00	0.00
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण	95.00	1.47
प्रदत्त अंतरिम प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00
लाभांश पर कर	0.00	0.00
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष	1.53	0.02



## ABRIDGED FINANCIAL STATEMENT OF ANDHRA BANK IN FOREIGN CURRENCY

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

(Amount in Indian Rupee converted into US\$ at RBI Reference Rate for two currencies applicable as on the date of Balance Sheet i.e. 1 US\$ = Rs 64.8386)

	(Indian ₹ in Crore)	(US\$ in million)
<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>		
Capital	681.16	10.51
Reserves and Surplus	10685.50	164.80
Deposits	195441.25	3014.27
Borrowings	8855.18	136.57
Other Liabilities & Provisions	6463.05	99.68
<b>Total</b>	<b>222126.13</b>	<b>3425.83</b>
<b>ASSETS</b>		
Cash and Balances with RBI	9322.59	143.78
Balances with banks and Money at Call and Short Notice	8412.55	129.75
Investments	59697.49	920.71
Advances	136846.33	2110.57
Fixed Assets	1530.70	23.61
Other Assets	6316.46	97.42
<b>Total</b>	<b>222126.13</b>	<b>3425.83</b>
Contingent Liabilities	111024.14	1712.32
Bills for collection	7652.89	118.03
<b>PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017</b>		
<b>INCOME</b>		
Interest Earned	18027.42	278.04
Other Income	2308.31	35.60
<b>Total</b>	<b>20335.72</b>	<b>313.64</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
Interest Expended	12495.77	192.72
Operating Expenses	3451.99	53.24
Provisions & Contingencies	4213.62	64.99
<b>Total</b>	<b>20161.39</b>	<b>310.95</b>
<b>APPROPRIATIONS</b>		
Transfer to Statutory Reserve	43.60	0.67
Transfer to Capital Reserve	129.20	1.99
Transfer to Revenue & Other Reserves	0.00	0.00
Transfer to Special Reserve	95.00	1.47
Proposed Dividend	0.00	0.00
Tax on Dividend	0.00	0.00
Balance carried over to Balance Sheet	1.53	0.02





## शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या समूहवार CLASSIFICATION OF BRANCHES - POPULATION GROUP WISE

क्षेत्र/राज्य/यू टी Region/ State/ U.T.	मार्च, 2016 की समाप्ति पर शाखाएं Branches as at the end of March 2016	2016-17 के दौरान खोली गई शाखाएं Branches opened during 2016-17	ग्रामीण Rural	अर्ध-शहरी Semi-Urban	शहरी Urban	मेट्रो Metro	मार्च, 2017 की समाप्ति पर शाखाएं Branches as at the end of March 2017
<b>उत्तरी क्षेत्र Northern Region</b>	<b>293</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>315</b>
हरियाणा Haryana	76	12	13	25	45	5	88
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	5	0	0	4	1	0	5
पंजाब Punjab	70	6	20	29	17	10	76
राजस्थान Rajasthan	65	2	13	19	23	12	67
चंडीगढ़ (यू टी) Chandigarh (UT)	9	0	1	0	8	0	9
नई दिल्ली New Delhi	64	2	0	0	0	66	66
जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	4	0	0	2	2	0	4
<b>उत्तरी पूर्वी क्षेत्र North Eastern Region</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
असम Assam	8	1	1	1	7	0	9
मेघालय Meghalaya	1	0	0	0	1	0	1
तिरुपुरा Tripura	1	0	0	0	1	0	1
<b>पूर्वी क्षेत्र Eastern Region</b>	<b>296</b>	<b>18</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>314</b>
बिहार Bihar	43	3	8	6	18	14	46
झारखंड Jharkhand	20	5	4	7	8	6	25
ओडीशा Odisha	173	8	77	63	41	0	181
सिक्किम Sikkim	1	0	0	0	1	0	1
पश्चिमी बंगाल West Bengal	59	2	10	8	24	19	61
<b>केन्द्रीय क्षेत्र Central Region</b>	<b>185</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>203</b>
छत्तीसगढ़ Chattisgarh	27	3	2	11	11	6	30
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	39	6	2	6	15	22	45
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	104	9	15	12	40	46	113
उत्तराखंड Uttarakhand	15	0	1	4	10	0	15
<b>पश्चिमी क्षेत्र Western Region</b>	<b>185(1)</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>115(1)</b>	<b>200(1)</b>
गोवा Goa	4	0	0	4	0	0	4
गुजरात Gujarat	63	4	5	7	21	34	67
महाराष्ट्र Maharashtra	117(1)	11	4	20	23	81(1)	128(1)
दादर नागर हवेली (यू टी) Dadra Nagar Haveli (UT)	1	0	0	1	0	0	1
<b>दक्षिणी क्षेत्र Southern Region</b>	<b>1834(3)</b>	<b>31</b>	<b>569</b>	<b>541(1)</b>	<b>347(2)</b>	<b>408</b>	<b>1865(3)</b>
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	925(2)	10	361	284	201(2)	89	935(2)
तेलंगाणा Telangana	576(1)	7	172	158(1)	62	191	583(1)
कर्नाटक Karnataka	113	9	12	14	30	66	122
केरल Kerala	36	3	0	19	20	0	39
तमिल नाडु Tamilnadu	180	2	24	63	33	62	182
पुदुचेरी (यू टी) Puducherry (UT)	4	0	0	3	1	0	4
<b>कुल Total</b>	<b>2803(4)</b>	<b>105</b>	<b>745</b>	<b>770(1)</b>	<b>664(2)</b>	<b>729(1)</b>	<b>2908(4)</b>

नोट - ब्रैकेट में आंकड़े विस्तार पटल दर्शाते हैं

Note: Figures in brackets indicate Extension Counters.



## अनुषंगी के वित्तीय विवरण

## FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARY

आन्धा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

---

**Andha Bank Financial Services Ltd.**



**31.03.2017 को तुलन पत्र**

विवरण	नोट नं	31.03.2017		31.03.2016	
		₹	₹	₹	₹
<b>i ईक्विटी और देयताएं</b>					
<b>1 शेयरधारक निधि</b>					
(क) शेयर पूंजी	3	50,000,000		50,000,000	
(ख) प्रारक्षिति और अधिशेष	4	-69,547,546	-19,547,546	-81,246,726	-31,246,726
(ग) शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त धन			0		0
<b>2 शेयर आवेदन राशि आबंटन हेतु लंबित</b>			0		0
<b>3 गैर चालू देयताएं</b>					
(क) दीर्घावधि उधार			0		0
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			0		0
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं			0		0
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	5		360,736,930		360,736,930
<b>4 चालू देयताएं</b>					
(क) अल्पावधि उधार		0		0	
(ख) व्यापार देयताएं	6	880,412		930,537	
(क) सुधम एतं लघु उधम की कुल बकाया राशि					
(ख) सुधम एतं लघु उधम को छोड़कर ऋणदाताओं की कुल बकाया					
(ग) अन्य चालू देयताएं		0		0	
(घ) अल्पावधि प्रावधान		46,465	926,877	0	930,537
<b>कुल</b>			<b>342,116,261</b>		<b>330,420,741</b>
<b>II आस्तियां</b>					
<b>1 गैर चालू आस्तियां</b>					
(क) अचल आस्तियां	7				
(i) मूर्त आस्तियां					
सकल ब्लॉक		3,223,853		3,223,853	
कम : मूल्यहास		3,223,360		3,215,820	
<b>निवल ब्लॉक</b>			493		8,033
(ii) अमूर्त आस्तियां		0		0	
(iii) चालू पूंजिगत कार्य		0		0	
(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां		0		0	
(ख) गैर चालू निवेश		0		0	
(ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		0		0	
(घ) दीर्घावधि मीयादी ऋण और अग्रिम	11		103,923,557		103,878,905
(ङ) अन्य गैर-चालू आस्तियां		0		0	
<b>2 चालू आस्तियां</b>					
(क) चालू निवेश		0		0	
(ख) स्टॉक	8	571,652		567,719	
(ग) व्यापार प्राप्य	9	0		0	
(घ) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	237,620,559		225,966,084	
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		0		0	
(च) अन्य चालू आस्तियां		0	238,192,211	0	226,533,803
<b>कुल</b>			<b>342,116,261</b>		<b>330,420,741</b>

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2**

उपर्युक्त नोट हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार अभिन्न अंग है। हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते घंटसाला एण्ड कंपनी**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000921S

एस के कालरा  
अध्यक्ष

आर.पद्मनाभन  
निदेशक

वाई.अमरनाथ  
निदेशक

वी.बी.भागवती  
निदेशक

**(हुमायून शेख)**

साझेदार  
सदस्यता नंबर 217227

एम. एन. सुधाकर  
निदेशक

एल.प्रसन्ना  
प्रबंध निदेशक

एम.रघुराम  
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 08.05.2017



Balance Sheet as at 31.03.2017						
	Particulars	Note No	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
			₹	₹	₹	₹
<b>I</b>	<b>EQUITY AND LIABILITIES :</b>					
1	<b>Shareholders' Funds</b>					
	(a) Share Capital	3	50,000,000		50,000,000	
	(b) Reserves and Surplus	4	-69,547,546	-19,547,546	-81,246,726	-31,246,726
	(c) Money Received against Share Warrants			0		0
	<b>Share Application Money Pending allotment</b>			0		0
3	<b>Non Current Liabilities</b>			0		0
	(a) Long Term Borrowings			0		0
	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)			0		0
	(c) Other Long Term Liabilities			0		0
	(d ) Long Term Provisions	5		360,736,930		360,736,930
4	<b>Current Liabilities</b>					
	(a) Short Term Borrowings		0		0	
	(b) Trade Payables	6				
	A. Total Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		0		0	
	B. Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		880,412		930,537	
	(c) Other Current Liabilities		0		0	
	(d) Short Term Provisions		46,465	926,877	0	930,537
	<b>TOTAL</b>			<b>342,116,261</b>		<b>330,420,741</b>
<b>II</b>	<b>ASSETS :</b>					
1	<b>Non-current assets</b>					
	(a) Fixed assets	7				
	(i) Tangible assets					
	Gross Block		3,223,853		3,223,853	
	Less : Depreciation		3,223,360		3,215,820	
	<b>Net Block</b>			493		8,033
	(ii) Intangible assets		0		0	
	(iii) Capital work-in-progress		0		0	
	(iv) Intangible assets under development		0		0	
	(b) Non -current investments		0		0	
	(c ) Deferred tax assets (Net)		0		0	
	(d) Long term loans and advances	11		103,923,557		103,878,905
	(e) Other non current assets		0		0	
2	<b>Current assets</b>					
	(a) Current investments		0		0	
	(b) Inventories	8	571,652		567,719	
	(c) Trade receivables	9	0		0	
	(d) Cash and Cash Equivalents	10	237,620,559		225,966,084	
	(e) Short term loans and advances					
	(f) Other current assets		0	238,192,211	0	226,533,803
	<b>TOTAL</b>			<b>342,116,261</b>		<b>330,420,741</b>

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2**

The Notes referred to above form an integral part As per our report attached

As per our report attached

**For Ghantasala&Co**

**Chartered Accountants**  
FRN : 000921S

( Humayun Shaik)  
Partner

Membership No 217227  
Place : Hyderabad  
Date : 08-05-2017

**S.K.Kalra**  
Chairman

**M.N.Sudhakar**  
Director

**R.Padmanabhan**  
Director

**L.Prasanna**  
Managing Director

**Y.Amarnath**  
Director

**M.Raghuram**  
Company Secretary

**V.B.Bhagavathi**  
Director



**31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता**

विवरण	नोट नं	2016-17		2015-16	
		₹	₹	₹	₹
<b>I परिचालन से राजस्व</b>					
ब्याज आय :	15		18,813,993		18,604,480
<b>II अन्य आय : (लाभ)</b>	15		4,101		208,540
<b>III कुल राजस्व (I+II)</b>			<b>18,818,094</b>		<b>18,813,020</b>
<b>IV व्यय :</b>					
खपत हुई सामग्री का मूल्य			0		0
व्यापारगत स्टॉक की खरीद			0		0
तैयार माल की सूची में परिवर्तन					
चालू कार्य तथा विक्रेय माल			0		0
कर्मचारी परिलाभ व्यय	16		1,308,100		1,217,432
प्रशासनिक और अन्य व्यय	17		50,730		52,596
<b>मूल्यहास और परिशोधन व्यय</b>	7		7,540		14,111
अन्य व्यय - किराया, विधि एवं व्यावसायिक शुल्क	18		113,976		2,206,111
<b>कुल व्यय</b>			<b>1,480,346</b>		<b>3,490,250</b>
<b>V अपवादात्मक और असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ</b>			<b>17,337,748</b>		<b>15,322,770</b>
<b>VI अपवादात्मक मदें</b>			0		0
<b>VII असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V - VI)</b>			17,337,748		15,322,770
<b>VIII असाधारण मदें</b>			0		0
<b>IX कर से पहले लाभ (VII + VIII)</b>			<b>17,337,748</b>		<b>15,322,770</b>
<b>X कर व्यय</b>	<b>19</b>				
(1) चालू कर		5,542,956		4,966,656	
(2) आस्थगित कर		0		0	
(3) पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए आय कर		95,612	5,638,568	3,356	4,970,012
<b>XI परिचालन प्रारंभ से अवधि हेतु लाभ (हानि)</b>			<b>11,699,180</b>		<b>10,352,758</b>
XII परिचालनों को बंद करने से लाभ / (हानि)			0		0
XIII परिचालन बंद करने का कर व्यय			0		0
XIV परिचालन को बंद करने से लाभ/ (हानि) (कर के पश्चात्) (XII- XIII)			0		0
<b>XV अवधि हेतु लाभ (हानि) (XI+XIV)</b>			<b>11,699,180</b>		<b>10,352,758</b>
<b>XVI प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन :</b>	<b>20</b>				
(1) मूल			2.34		2.07
(2) डायल्यूटेड			2.34		2.07

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2**

उपर्युक्त नोट हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार अभिन्न अंग है। हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते घंटसाला एण्ड कंपनी**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000921S

एस के कालरा  
अध्यक्ष

आर. पद्मनाभन  
निदेशक

वाई. अमरनाथ  
निदेशक

वी. बी. भागवती  
निदेशक

**(हुमायून शेख)**

साझेदार  
सदस्यता नंबर 217227

एम. एन. सुधाकर  
निदेशक

एल. प्रसन्ना  
प्रबंध निदेशक

एम. रघुराम  
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 08.05.2017



Andhra Bank Financial Services Ltd.

Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.2017						
	Particulars	Note No	2016-17		2015-16	
			₹			₹
<b>I</b>	<b>Revenue from operations</b>					
	Interest income :	15		18,813,993		18,604,480
II	Other income : (profit)	15		4,101		208,540
III	<b>Total Revenue ( I + II )</b>			<b>18,818,094</b>		<b>18,813,020</b>
IV	<b>Expenses :</b>					
	Cost of material consumed			0		0
	Purchase of stock - in - trade			0		0
	Changes in inventories of finished goods work-in-progress and stock-in- Trade			0		0
	Employee Benefits expenses	16		1,308,100		1,217,432
	Administrative and other Expenses	17		50,730		52,596
	<b>Depreciation and amortization expenses</b>	7		7,540		14,111
	Other Expenses	18		113,976		2,206,111
	<b>Total expenses</b>			<b>1,480,346</b>		<b>3,490,250</b>
V	Profit before exceptional and extraordinary items and tax			<b>17,337,748</b>		<b>15,322,770</b>
VI	Exceptional Items			0		0
VII	Profit before extraordinary items and tax ( V - VI )			17,337,748		15,322,770
VIII	<b>Extraordinary Items</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
IX	<b>Profit before Tax ( VII + VIII )</b>			<b>17,337,748</b>		<b>15,322,770</b>
X	<b>Tax Expense</b>	19				
	(1) Current tax -		5,542,956		4,966,656	
	(2) Deferred tax		0		0	
	(3) Income Tax for earlier Asst Years		95,612	5,638,568	3,356	4,970,012
XI	Profit (Loss ) for the period from continuing operations			<b>11,699,180</b>		<b>10,352,758</b>
XII	<b>Profit/ ( Loss ) from discontinuing Operations</b>			0		0
XIII	Tax expense of discontinuing operations			0		0
XIV	Profit/ (Loss ) from discontinuing operations (after tax ) ( XII - XIII )			0		0
XV	Profit ( Loss ) for the period (XI + XIV)			<b>11,699,180</b>		<b>10,352,758</b>
XVI	Earnings per equity share :	20				
	(1) Basic			2.34		2.07
	(2) Diluted			2.34		2.07

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2**

The Notes referred to above form an integral part As per our report attached

As per our report attached

**For Ghantasala&Co**

**Chartered Accountants**  
FRN : 000921S

( Humayun Shaik )

Partner

Membership No 217227

Place : Hyderabad

Date : 08-05-2017

**S.K.Kalra**  
Chairman

**M.N.Sudhakar**  
Director

**R.Padmanabhan**  
Director

**L.Prasanna**  
Managing Director

**Y.Amarnath**  
Director

**M.Raghuram**  
Company Secretary

**V.B.Bhagavathi**  
Director



## 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह</b>				
कर पूर्व निवल लाभ	17,337,748		15,322,770	
<b>समायोजन :</b>				
मूल्यहास	7,540		14,111	
निवेश व्यवसाय से नकदी प्रवाह स्टॉक मूल्य में परिवर्तन (कमी)-	-3,933		-184,540	
प्राप्त ब्याज	0		0	
प्रदत्त ब्याज	0		0	
प्रदत्त लाभांश	0		0	
निवेश से प्रतिफल एवं वित्तीय सर्विसिंग से निवल नकदी इनफ्लो / आउटफ्लो	0		0	
देनदार में कमी			4,756	
देनदार में वृद्धि (कमी)	340			
<b>परिचालन से सृजित नकद</b>		17,341,695		15,157,097
निवल वापसी से प्रदत्त प्रत्यक्ष कर यदि हो तो		5,687,220		4,925,928
<b>परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद</b>		11,654,475		10,231,169
<b>निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह :</b>				
अमूर्त मीयादी आस्तियां अर्जन करने हेतु भुगतान	0		0	
मूर्त मीयादी आस्तियां अर्जन करने हेतु भुगतान	0		41,900	
मूर्त मीयादी आस्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	0		0	
निवेश क्रियाकलापों से नकदी इनफ्लो / आउटफ्लो		0		0
<b>वित्तपोषण से पहले निवल नकदी इनफ्लो</b>		11,654,475		10,231,169
वित्तपोषण	0		0	
साधारण पूंजी जारी करना	0		0	
डिबेंचर ऋण की पुनः खरीदी	0		0	
शेयर जारी के संबंध में प्रदत्त व्यय	0		0	
वित्तपोषण से निवल नकदी इनफ्लो / (आउटफ्लो)				
<b>नकदी / नकदी समकक्ष में वृद्धि / कमी</b>		<b>11,654,475</b>		<b>10,231,169</b>
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	225,966,084		215,734,915	
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	237,620,559	<b>11,654,475</b>	<b>225,966,084</b>	<b>10,231,169</b>

**नोट** : 1. नकद प्रवाह विवरण कंपनीज (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार परोक्ष पद्धति के अंतर्गत लेखा मानक सं. 3 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

2. नकदी एवं नकदी समकक्ष का अर्थ है नकदी एवं बैंक शेष
3. जहां लागू है, गत वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया गया है।

**उक्त संदर्भित टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग है। 1 से 22**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते घंटसाला एण्ड कंपनी**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000921S

एस के कालरा  
अध्यक्ष

आर.पद्मनाभन  
निदेशक

वाई.अमरनाथ  
निदेशक

वी.बी.भागवती  
निदेशक

**(हुमायून शेख)**

साझेदार  
सदस्यता नंबर 217227

एम. एन. सुधाकर  
निदेशक

एल.प्रसन्ना  
प्रबंध निदेशक

एम.रघुराम  
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 08.05.2017



Andhra Bank Financial Services Ltd.

Cash Flow Statement for the Year ended 31 March, 2017

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>Net cash inflow from operating activities</b>				
<b>Profit Before Tax</b>	17,337,748		15,322,770	
Adjustments :				
Depreciation	7,540		14,111	
Cash flow from investment business - change in the value of stocks (increase)	-3,933		-184,540	
Interest received	0		0	
Dividend paid	0		0	
Net cash inflow/ (outflow) from returns on investments and servicing of finance	0		0	
decrease in Debtors			4,756	
Increase(Decrease) in Creditors	340			
<b>Cash Generated from operations</b>		17,341,695		15,157,097
Direct Taxes paid net of refunds,if any		5,687,220		4,925,928
<b>Net Cash from Operating Activities</b>		11,654,475		10,231,169
<b>Cash flow from Investing activities :</b>				
Payments to acquire intangible fixed assets	0		0	
Payments to acquire tangible fixed assets	0		41,900	
Receipts from sales of tangible fixed assets	0		0	
Net cash inflow/ (outflow) from investing activities		0		0
<b>Net cash inflow before financing</b>		11,654,475		10,231,169
Financing	0		0	
Issue of ordinary capital	0		0	
Repurchase of debenture loan	0		0	
Expenses paid in connection with share issues	0		0	
Net cash inflow/ (outflow) from financing				
<b>Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents</b>		<b>11,654,475</b>		<b>10,231,169</b>
Cash and Cash Equivalents as at beginning of the year	225,966,084		215,734,915	
Cash and Cash Equivalent as at the end of the year	237,620,559	<b>11,654,475</b>	<b>225,966,084</b>	<b>10,231,169</b>

- NOTES :** 1. Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method as set out in the Accounting Standard No 3 " Cash Flow Statement " as per Companies (Accounting Standard) Rules, 2006.  
2. Cash and Cash equivalent represent cash and Bank Balances.  
3. Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

The Notes referred to above form an integral part of the financial statements 1 to 22

**For Ghantasala&Co**

Chartered Accountants  
FRN : 000921S  
( Humayun Shaik)  
Partner

S.K.Kalra  
Chairman

R.Padmanabhan  
Director

Y.Amarnath  
Director

V.B.Bhagavathi  
Director

Membership No 217227  
Place : Hyderabad  
Date : 08-05-2017

M.N.Sudhakar  
Director

L.Prasanna  
Managing Director

M.Raghuram  
Company Secretary





## नोट सं : 1 : खाते तैयार करने का आधार

कंपनी सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों ( जीएपी ) के अनुरूप ऐतिहासिक आधार पर मूल्य परंपरा का अनुसरण करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी नियमों (लेखांकन मानक) में विशिष्टीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार उपचय आधार पर खातों का रखरखाव करती है ।

जीएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए यह अपेक्षित है कि कंपनी के प्रबंधन को अनुमान और प्रतिमान लगाना होगा कि रिपोर्ट की गयी अवधि की आय और व्यय की राशियां वित्तीय वित्तीय विवरणियों की तिथि को रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों व देयता शेषों तथा आकस्मिक देयताओं के संबद्ध प्रकटीकरण को प्रभावित करता है ।

## नोट सं : 2 : विशिष्ट लेखांकन नितियां

**क. पट्टा वित्त : शून्य**

**ख. किराया खरीद : शून्य**

**ग. निवेश व्यापार : शून्य**

**घ. ब्याज:**

**निवेशों पर ब्याज**

मीयादी जमाओं पर ब्याज उपचय आधार पर माने गए हैं ।

दावे और प्रति दावे होने पर प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं शेषों पर लाभांश को मान्यता नहीं दी जायेगी, जब तक कि ऐसी विलंबित प्रतिभूतियों का निपटान नहीं हो जाता ।

शेषों पर लाभांश आय को तब मान्यता दी जायेगी जब भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वामित्व अधिकार की पुष्टि होगी ।

**ड. व्यापार में स्टॉक:**

शेषों के स्टॉक के मामले में नियंत्रण और उत्तरदायित्व की दृष्टि से गैर-उद्धृत भाव वाले शेषों का मूल्य 1/- रूपया रखा गया है और दि.31.03.2017 तक उद्धृत भाव वाले शेषों का मूल्य बाजार मूल्य के साथ रखा गया है तथा वर्ष के प्रारंभ और 31 मार्च, 2017 तक शेष के बीच के अंतर को आय माना गया है ।

**च. अचल परिसंपत्तियाँ:**

रु 1 के मूल्य वाली पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के अलावा सभी अचल परिसंपत्तियाँ मूल्य पर आंका गया है ।

**छ. मूल्य ह्रास:**

1. स्व उपयोगार्थ परिसंपत्तियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि और रखरखाव के आधार पर मूल्य की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास का प्रावधान किया गया है ।

2. पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियाँ

मेसर्स इंकैब इंडस्ट्री लिमिटेड को पट्टे के अंतर्गत मशीनरी का अवशिष्ट मूल्य रु 1/- आंका गया है, पट्टे से बाहर की गई परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास नहीं दिया गया ।

**ज. बट्टे खाते में न डाले जाने की सीमा तक विविध व्यय: शून्य**

**झ. विदेशी मुद्रा लेन-देन**

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी मुद्रा का लेन-देन नहीं किया है ।

## त्र. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

कंपनी के पूर्व आयोजनों के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यताओं के होने पर प्रावधानों को मान्यता दी गई है और यह संभावित है कि वर्तमान बाध्यताओं के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी जिसके लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा । प्रावधानों के वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी गई और तुलन-पत्र तिथि पर बाध्यता के निपटाने के लिए उपयुक्त लक्ष्य पर आधारित हैं । प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की गई है तथा वर्तमान उपयुक्त लक्ष्य दिखाने के लिए समायोजित किए गए हैं । सभी वस्तुनिर्दिष्ट परिसंपत्तियाँ और जो वस्तु परिसंपत्तियाँ हैं तथा जिनके भविष्य का परिणाम निश्चित रूप से ठीक प्रकार पता नहीं लगाया जा सका है वे आकस्मिकताओं के लिए प्रदान किए जाते हैं और खातों की टिप्पणियों द्वारा बताए जाते हैं ।

**त. आय पर कर**

वर्तमान कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष हेतु विचाराधीन सुविधाओं/अस्वीकार भत्तों के पश्चात कर-योग्य आय पर देय कर की राशि है । कर नियमों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान किया गया है, जो भविष्य आयकर देयता को समायोजन के रूप में भविष्य की आर्थिक सुविधाएं देता है, उसे मानने योग्य साक्ष्य होने पर कि कंपनी साधारण कर का भुगतान करेगी, परिसंपत्ति माना गया है । इसलिहा कंपनी ने साधारण प्रावधानों के अनुसार कर दिया है ।

**थ. आस्थगित कर**

आस्थगित कर समय अंतरों के कर प्रभाव की संगणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में सावधानी के लिए उत्तरदायी है, जो वर्ष के दौरान आते हैं और परवर्ती अवधि में विपरीत हो जाते हैं । आस्थगित कर तुलन पत्र तिथि द्वारा पर्याप्त चालू कर दरों पर मूल्यांकित किए जाते हैं । समय अंतरों के न होने पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष में आस्थगित कर नहीं दिया गया ।

**द. संबंधित पार्टी लेन-देन**

**लेन-देन की प्रकृति:** धारक कंपनी के साथ मीयादी जमाओं पर अर्जित ब्याज की आय

**धारक कंपनी:** आन्ध्रा बैंक कंपनी की 100% इक्विटी धारण किए हुए है

**लेन-देन के मूल्य:** दि.31.03.2016 तक रु 1,88,13,993 एवं जमा रु 23,26,00,000 है

**घ. लेखा परीक्षकों को क्षतिपूर्ति:**

	रु वर्तमान वर्ष	रु पिछला वर्ष
सांविधिक लेखा परीक्षा	25000	25000
कर लेखा परीक्षा	15000	15000
सेवा कर	6000	5800
<b>कुल</b>	<b>46000</b>	<b>45800</b>

**न. परिचालन चक्र**

कंपनी की गतिविधियों एवं परिसंपत्तियों की प्राप्ति की साधारण अवधि के बीच में और उनके नकद की वसूली तथा समतुल्य नकद के आधार पर, कंपनी ने उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर-वर्तमान और वर्तमान रूप में विभाजित करने के उद्देश्य से 12 महीनों के परिचालन चक्र का निर्धारण किया है ।



**NOTE No : 1 : - BASIS OF PREPARATION**

The Company maintains its accounts on accrual basis following the historical cost convention in accordance with generally accepted accounting principles (“GAAP”) and in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards as specified in the Companies (Accounting Standard) Rules prescribed by the Central Government.

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires that the management of the Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements.

**NOTE No: 2: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**A. LEASE FINANCE: NIL**

**B. HIRE PURCHASE: NIL**

**C. INVESTMENT BUSINESS: NIL**

**D. INTEREST:**

Interest on Investments

Interests on fixed deposits have been recognized on accrual basis.

Interest on securities and dividend on share are not recognised until the claims and counter claims if any, pending on such securities are cleared.

Dividend Income on Shares is recognised when the owner’s right to receive payment is established.

**E. STOCK IN TRADE:**

In case of stock of shares of unquoted shares are valued at Re. 1/- with a view to have a control and accountability and in case of quoted shares are valued with market price as at 31.03.2017 and the deference between the balance as at 31st March 2017 and balance as at the beginning of the year recognized as income.

**F. FIXED ASSETS:**

All fixed assets are valued at cost except leased assets which were valued at Rs.1

**G. DEPRECIATION:**

**1. Assets for own use.**

Depreciation is provided on straight-line method on the basis of useful life and carrying cost in accordance with Schedule II of the Companies Act, 2013.

**2. Assets leased out.**

The residual value of machinery under lease to M/s Incab Industries Ltd is valued at Rs.1/- no depreciation has been provided on the Assets Leased out.

**H. Miscellaneous Expenses to the extent not written off: NIL**

**I. Foreign Currency Transactions**

The company has not carried out any foreign currency transactions during the year 2016-17

**J Provisions and Contingent liabilities**

Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. All material known liabilities are provided for and liabilities which are material and whose future outcome cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as contingent and disclosed by way of notes to accounts.

**L. Taxes on income**

Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year after taking into consideration the benefits / disallowances admissible under the provisions of the Income Tax Act 1961. Minimum Alternate Tax paid in accordance with the tax laws which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the company will pay normal income tax. Accordingly the Company has provided tax as per normal provisions

**M. Deferred Tax**

Deferred Tax is accounted for by computing the tax effect of timing differences, subject to the consideration of prudence in respect of deferred tax assets, which arise during the year and reverse in subsequent periods. Deferred tax is measured at substantively enacted tax rates by the Balance Sheet date. As there are no timing differences, the Company has not been provided Deferred Tax during the financial year.

**N. Related Party Transactions**

**Nature of Transactions:** Interest income earned on fixed deposits with the Holding Company.

**Holding Company:** Andhra Bank holding 100% of the equity of the company

**Value of Transactions:** Rs.1,88,13,993 and the Deposits as at 31.03.2016 is Rs.23,26,00,000

**O. Auditor’s Remuneration:**

	Current Year ₹	Previous Year ₹
Statutory Audit	25000	25000
Tax Audit	15000	15000
Service Tax	6000	5800
<b>TOTAL</b>	<b>46000</b>	<b>45800</b>

**O. Operating Cycle**

Based on the nature of activities of the Company and normal time between acquisition of assets and their realization of cash and cash equivalent, the company has determined operating cycle as 12 months for the purpose of classifications of its assets and liabilities as non- current and current.



**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां**  
**नोट नं. 3 : शेयर पूंजी**

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	₹	₹	₹	₹
<b>प्राधिकृत</b> (पिछले वर्ष: 100,00,000 ईक्विटी शेयर रु.10 प्रत्येक)		50,000,000		50,000,000
<b>निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त</b> 50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10 पूर्णतः प्रदत्त (सभी शेयर आन्ध्रा बैंक और इसके नामितियों द्वारा धारित हैं) (पिछले वर्ष: 50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10)		50,000,000		50,000,000
		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>

**क. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और समाप्ति पर बकाया शेयरों का समायोजन**

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	शेयरों की संख्या	₹	शेयरों की संख्या	₹
<b>ईक्विटी शेयर :</b> अवधि के आरंभ में				
वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से जारी	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000
	-	-	-	-
<b>अवधि की समाप्ति पर बकाया शेयर</b>	<b>5,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>50,000,000</b>

**ख. ईक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्त / अधिकार**

कंपनी में रु.10/- प्रत्येक शेयर के सममूल्य की एक ही श्रेणी के ईक्विटी शेयर हैं। ईक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को एक वोट की पात्रता होगी। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया (गत वर्ष - शून्य)

**ग. धारक / अंतिम धारक कंपनी और / या उनके अनुबंधी / एसोसिएट द्वारा धारित शेयर**

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	₹	₹	₹	₹
<b>आन्ध्रा बैंक, मूल/धारक बैंक</b> 50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10 पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष: 50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10 )		50,000,000		50,000,000
		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>

**घ. कंपनी में 5% से अधिक धारण वाले शेयरधारकों का ब्यौरा**

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
<b>रु.10 प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर</b> <b>आन्ध्रा बैंक, धारक कंपनी</b>				
	<b>5,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100.00%</b>

ड. विकल्प के अंतर्गत निर्गम हेतु आरक्षित शेयर :		शून्य		शून्य
च. रिपोर्टिंग तारीख के तुरंत पहले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान जारी बोनस शेयरों की कुल संख्या, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु जारी शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या :		शून्य		शून्य
छ. ईक्विटी / अधिमानी शेयरों के रूप में निर्गमित परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, परिवर्तन की शीघ्रतम तारीख		शून्य		शून्य
ज. अप्रदत्त कॉल		शून्य		शून्य
i. जब्त शेयर		शून्य		शून्य



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017				
NOTE No. : 3 : SHARE CAPITAL				
Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>Authorized</b> (Previous year: 100,00,000 Equity Shares of Rs10 each)		50,00,000		50,00,000
<b>Issued, Subscribed &amp; Paid-up</b> 50,00,000 Equity Shares of Rs 10 each fully paid up. (All the shares are held by the Andhra Bank and its nominees) (Previous year: 50,00,000 Equity Shares of Rs 10 each)		50,00,000		50,00,000
		<b>50,00,000</b>		<b>50,00,000</b>

**a.Reconciliation of the Shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:**

Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	No of Shares	₹	No of Shares	₹
<b>Equity Shares:</b>				
At the beginning of the period	5,00,000	50,00,000	5,00,000	50,00,000
Issued during the year as fully paid	-	-	-	-
<b>Outstanding at the end of the period</b>	<b>5,00,000</b>	<b>5,00,000</b>	<b>5,00,000</b>	<b>5,00,000</b>

**b. Terms / Rights attached to Equity Shares**

"The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs.10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. During the year ended 31st March 2017, no dividend is declared by the Company. (Previous year - Nil)

**c. Shares held by Holding/Ultimate holding company and/or their subsidiaries/associates:**

Particulars	Ast at 31st March 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
Andhra Bank, Parent / holding Bank 5000,000/- equity shares of Rs.10 each fully paid up (Previous year : 5000,000 Equity Shares of Rs 10 each)		50,00,000		50,00,000
		50,00,000		50,00,000

**d. Details of Shareholders holding more than 5% shares in the company:**

Particulars	Ast at 31st March 2017		As at 31st March, 2016	
	No of Shares	%	No of Shares	%
Equity Shares of Rs.10/- each fully paid				
Andhra Bank, holding Company	50,00,000	100%	50,00,000	100%

**e. Shares reserved for issue under options**

		NIL		NIL
<b>f. Aggregate number of bonus shares issued, shares issued for consideration other than cash and shares brought back during the period of five years immediately preceding the reporting date:</b>		NIL		NIL

**g. Securities convertible into equity / preference shares issued along with the earliest date of conversion:**

		NIL		NIL
<b>h. Calls unpaid:</b>		NIL		NIL
<b>i. Forfeited Shares</b>		NIL		NIL



## नोट नं.4- प्रारक्षिती एवं अधिशेष

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	₹	₹	₹	₹
<b>लाभ और हानि के विवरणी में अधिशेष/ (कमी)</b>				
अंतिम वित्तीय विवरणी के अनुसार शेष	(81,246,726)		(91,599,484)	
जोड़ : अवधि के दौरान लाभ	11,699,180		10,352,758	
अंतिम शेष		69,547,546		(81,246,726)
<b>कुल प्रारक्षिती और अधिशेष</b>		<b>69,547,546</b>		<b>(81,246,726)</b>

## नोट सं 5 : गैर चालू देयाताएं : दीर्घावधि प्रावधान

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	₹	₹	₹	₹
दावे हेतु प्रावधान		360,736,930		360,736,930
<b>कुल</b>		<b>360,736,930</b>		<b>360,736,930</b>

कंपनी ने विशेष अदालत, मुंबई और अन्य अदालतों / प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे विवादित है। फिर भी, निदेशकों ने प्रासंगिक देयताओं और 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावे, जो विवेक आधार पर ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है, के प्रति 36.07 करोड़ ₹. का विद्यमान प्रावधान जारी रखने का निर्णय लिया है।

## नोट सं 6 : चालू देयाताएं : व्यापार देयताएं

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	₹	₹	₹	₹
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को देयताएं		0		0
अन्य को देयताएं :				
i) मेसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंटस एण्ड पेपर्स लिमिटेड.	880,412		880,412	
ii) अन्य	46,465	926,877	50,125	930,537
<b>कुल</b>		<b>926,877</b>		<b>930,537</b>

i) टीएनपीएल ने 31.07.1995 को मद्रास उच्च न्यायालय में कथित दावित प्रतिफल तथा वास्तविक प्रतिफल के अंतर रु. 5.50 करोड़ की राशि हेतु तथा साथ ही वाद के दाखिले की तिथि से नकदीकरण तक 24% के प्रति वर्ष ब्याज दर से 1.88 करोड़ व्यय हेतु एक दावा दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2001 को अपना निर्णय दिया और मुकदमें में वाद के दाखिले की तिथि से नकदीकरण तक रु 1.88 करोड़ की राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ब्याज तथा सहित रु 366.02 लाख की डिक्री दी गई।

टीएनपीएल ने मद्रास उच्च न्यायालय न्याय पीठ के समक्ष व्यथित होकर ब्याज वाले भाग को नकारते हुए अपील का दूसरा हिस्सा(309/01) माना। एबीएफएसएल दावे की डिक्री से व्यथित होकर अपील के दूसरे हिस्से (328/01) को माना जो मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी(एबीएफएसएल) द्वारा डिक्री की गई रु 80,351 करोड़ राशि के तिहाई भाग रु 1.42 करोड़ के जमा किए।

21 जनवरी 2010 को माननीय जज ने सहर्ष टीएनपीएल द्वारा चयनित ओएसए 309/01 को खारिज किया और हमारी कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा चयनित आंशिक ओएसए 328/01 को स्वीकृति दी। निर्णय के अनुसार, कंपनी (एबीएफएसएल) वसूली की तिथि तक टीएनपीएल के 02.04.2001 से 12 % प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित 8,80,412/- रु कंपनी द्वारा देय हैं।

उक्त आदेश से व्यथित होकर टीएनपीएल ने भारत के उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का एसएलपी(सी) सं. 11659-11660 दावा दाखिल किया और 01.03.2011 को अवकाश दिया गया। मुकदमा नियमित सुनवाई हेतु नहीं आया है।

इस दौरान, 05.04.2010 को, एबीएफएसएल ने 2010 को मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका 2718 दायर की जिसमें उच्च न्यायालय के अनुसार एबीएफएसएल तथा टीएनपीएल द्वारा देय राशि के समायोजन के पश्चात मद्रास उच्च न्यायालय में पहले जमा की गई राशि (रु 1.42 करोड़) को लागू ब्याज सहित लौटाने का निवेदन किया गया।

29.09.2010 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एबीएफएसएल की याचिका को माना तथा उच्च न्यायालय के 21 जनवरी 2010 के निर्णय के अनुसार टीएनपीएल को 08.10.2010 से पहले एबीएफएसएल को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

29.09.2010 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर टीएनपीएल मामले को उच्चतम न्यायालय ले गए जहाँ कोर्ट की सुनवाई पर अंतरिम स्थगन आदेश 07.10.2010 जारी किया बशर्ते कि एबीएफएसएल को देय राशि को मद्रास उच्च न्यायालय में जमा की जाय।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार टी एन पी एल द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में रु 2.51 करोड़ की राशि जमा किए जाने पर एबीएफएसएल की 2010 की मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका 2718 दिनांक 27.10.2010 को खारिज कर दी गई।



<b>NOTE NO 4 - RESERVES &amp; SURPLUS</b>				
<b>Particulars</b>	<b>As at 31st March, 2017</b>		<b>As at 31st March, 2016</b>	
	₹	₹	₹	₹
<b>Surplus/(deficit) in the Statement of Profit and Loss</b>				
Balance as per the last financial statement	(81,246,726)		(91,599,484)	
Add: Profit for the year	11,699,180		10,352,758	
<b>Closing Balance</b>		69,547,546		(81,246,726)
<b>Total of Reserves and Surplus</b>		<b>69,547,546</b>		(81,246,726)

**Note No 5 : NON CURRENT LIABILITIES : LONG TERM PROVISIONS :**

<b>Particulars</b>	<b>As at 31st March, 2017</b>		<b>As at 31st March, 2016</b>	
	₹	₹	₹	₹
<b>Provision for Claims</b>		360,736,930		360,736,930
		<b>360,736,930</b>		<b>360,736,930</b>

The Company disputed the other claims made against the company in the Special Court, Mumbai and other Courts/ Judicial Authorities. However the directors have decided to continue the existing provision of Rs 36.07 Crore made on contingent liabilities and claims not acknowledged as debts on prudent basis for the financial year ending 31.03.2017.

**Note No 6 : CURRENT LIABILITIES : TRADE PAYABLE :**

<b>Particulars</b>	<b>As at 31st March 2017</b>		<b>As at 31st March, 2016</b>	
	₹	₹	₹	₹
Due to Micro and Small Enterprises		0		0
Due to others :				
i) A/c M/s Tamilnadu Newsprints & Papers Ltd	880,412		880,412	
ii) Others	46,465	926,877	50,125	930,537
		<b>926,877</b>		<b>930,537</b>

i) TNPL filed a suit in the High Court of Madras on 31.07.1995, for a sum of Rs.5.50 Crore being the difference of interest between the alleged return claimed and the actual return and further interest at 24% per annum on amount of Rs.1.88 Crore from date of plaint till realization and for costs.

The Hon'ble High Court passed the judgment on 2nd April 2001 and the suit was decreed for a sum of ₹ 366.02 lakhs together with interest at 12% p.a. on the sum of ₹ 1.88 Crore from the date of judgment till realization and for costs.

TNPL, aggrieved by the disallowed portion of the interest, had preferred other side appeal (309/01) before Division Bench of Madras High Court.

ABFSL, aggrieved by the decreeing of the Suit, preferred other side appeal (328/01), which was admitted by the Division Bench of Madras High Court on depositing of ₹ 1.42 Crore and ₹ 80,351 being one third of the decretal amount by the Company (ABFSL).

On 21st January 2010, the Learned Judges were pleased to dismiss the OSA 309/01 preferred by TNPL and were pleased to partly allow OSA 328/01 preferred by our Company (ABFSL). As per the Judgment, the Company (ABFSL) is liable to pay ₹ 8,80,412/- along with interest at 12% p.a. from 02.04.2001 to TNPL till the date of realization.

Aggrieved by the said order, TNPL filed SLP(C) No 11659-11660 of 2010 before Hon'ble Supreme Court of India and Leave was granted on 01.03.2011. The suit has not come up for regular hearing.

In the meantime, on 05.04.2010, ABFSL filed a petition No 2718 of 2010 in Madras High Court, with a request to refund the money deposited earlier in the Madras High Court (₹ 1.42 Crore) along with applicable interest, after adjusting the money to be paid by the ABFSL to TNPL as per High Court order.

The petition of ABFSL was considered by Madras High Court on 29.09.2010 and ordered the TNPL to pay the amount to ABFSL before 08.10.2010 as per the High Court Judgment dt. 21st January 2010.

Aggrieved by the said order of Madras High Court dt. 29.09.2010, TNPL moved the matter in the Hon'ble Supreme Court of India and after hearings the Court granted interim stay to TNPL on 07.10.2010 subject to depositing the amount payable to ABFSL in Madras High Court.

The petition of ABFSL 2718 of 2010 at Madras High Court was closed on 27.10.2010, on depositing a sum of ₹ 2.51 Crore by TNPL in Madras High Court as per the direction of Hon'ble Supreme Court of India.



**नोट सं 7: गैर चालू आस्तियाँ : मूर्त आस्तियाँ**

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
<b>(क) स्वत्व आस्तियाँ</b>				
कार्यालय उपस्कर	7,270		7,270	
फर्नीचर एवं उपकरण	35,791		35,791	
कंप्यूटर	54,400		54,400	
<b>(ख) पट्टे पर दी गई आस्तियाँ :</b>				
प्लांट व मशीनरी	3,126,392		3,126,392	
<b>सकल ब्लॉक</b>		3,223,853		3,223,853
घटाएँ: संग्रहित मूल्यहास		3,223,360		3,215,820
<b>निवल ब्लॉक</b>		<b>493</b>		<b>8,033</b>

मार्च 31, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु मूल्यहास विवरण

**नोट : 7 : गैर चालू आस्तियाँ: अचल आस्तियाँ : मूर्त आस्तियाँ**

आस्तियों का प्रकार	सकल ब्लाक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक	
	01.04.2016 को बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अपमार्जन	31.03.2017 को कुल	01.04.2016 तक का कुल	वर्ष हेतु	31.03.2017 तक का कुल	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
<b>क: स्वत्व आस्तियाँ</b>									
1) कार्यालय उपस्कर	7,270	0	0	7,270	7,177	0	7,177	93	93
2) फर्नीचर एवं उपकरण	35,791	0	0	35,791	35,790	0	35,790	1	1
3) कंप्यूटर	12,500	0	0	12,500	12,499	0	12,499	1	1
कंप्यूटर एचसीएल	34,650	0	0	34,650	28,846	5,514	34,360	5,804	290
एच पी प्रिंटर	7,250	0	0	7,250	5,117	2,026	7,143	2,133	107
3 का कुल (कंप्यूटर)	54,400	0	0	54,400	46,462	7,540	54,002	7,938	398
(क) का कुल	97,461	0	0	97,461	89,429	7,540	96,969	8,032	492
<b>ख.पट्टे पर दी गयी आस्तियाँ</b>									
प्लांट व मशीनरी	3,126,392	0	0	3,126,392	3,126,391	0	3,126,391	1	1
<b>क + ख का कुल</b>	<b>3,223,853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,223,853</b>	<b>3,215,820</b>	<b>7,540</b>	<b>3,223,360</b>	<b>8,033</b>	<b>493</b>
<b>गत वर्ष</b>	<b>3,223,853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,223,853</b>	<b>3,201,709</b>	<b>14,111</b>	<b>3,215,820</b>	<b>22,144</b>	<b>8,033</b>

i) दिल्ली उच्च न्यायालय में मेसर्स इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध अक्टूबर 1992 से पट्टेदारी किराए रु 45.29 लाख के नकदीकरण हेतु दाखिल दावा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के अभाव में लंबित है। इस दौरान मेसर्स इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोर्ड के समक्ष औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना (बीआईएफआर) का एक प्रस्ताव रखा। कंपनी (एबीएफएसएल) ने बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष एक याचिका दायर की जिसने कंपनी(एबीएफएसएल) को इंकैब लैब की पट्टेकृत मशीनरी का कब्जा करने की अनुमति दी। परंतु कर्मचारी संघ ने मशीनरी ले जाने का इस निवेदन के साथ विरोध किया कि कुछ पार्टियां इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु बातचीत कर रही हैं। मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास अंतिम योजना (डीआरएस) पर बीआईएफआर विचार कर रहा है। वर्ष के दौरान बोर्ड ने इंकैब इंडस्ट्रीज लि. से पट्टे किराया बकाया स्थिति की समीक्षा की और यह पाया कि वसूली संभावनाएं कम हैं तथा यह निर्णय लिया गया कि अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाला जाए।

बीआईएफआर ने विगत अवधि अर्थात रुग्णता की तारीख से अब तक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सभी लेखा परीक्षित खातों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इंकैब इंडस्ट्री को निदेश दिया ताकि रुग्णता और पुनर्वास अधिनियम तहत किये जाने वाले उपाय का निर्धारण किया जा सके। उपर्युक्त के मेनजर पुनर्वास प्रक्रिया बीआईएफआर के समक्ष प्रक्रियाधीन है।

ii) चूंकि 31.03.2017 तक मशीनरी की वहन लागत रु 1/- है तथा निर्धारित लागत से कहीं कम है, मशीनरी पर कोई अनर्जक हानि नहीं है।



NOTE No : 7 : NON CURRENT ASSETS : TANGIBLE				
Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>(A) OWNED ASSETS :</b>				
Office Equipment	7,270		7,270	
Furniture & Fittings	35,791		35,791	
Computers	54,400		54,400	
<b>(B) ASSETS GIVEN ON LEASE :</b>				
Plant & Machinery	3,126,392		3,126,392	
<b>GROSS BLOCK</b>		3,223,853		3,223,853
Less : Decreciation accumulated		3,223,360		3,215,820
<b>Net Block</b>		<b>493</b>		<b>8,033</b>

**DEPRECIATION STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017**

Nature of Assets	Gross Block				Depreciation				
	Balance as on 01.04.2016	Additions during the year	Deletions	Total as on 31.03.2017	Total up to 01.04.2016	For the year	Total up to 31.03.2017	As on 31.03.2016	As on 31.03.2017
<b>A: Owned Assets</b>									
1) Office Equipment	7,270	0	0	7,270	7,177	0	7,177	93	93
2)Furniture & Fittings	35,791	0	0	35,791	35,790	0	35,790	1	1
3)Computers	12,500	0	0	12,500	12,499	0	12,499	1	1
ComputerHCL	34,650	0	0	34,650	28,846	5,514	34,360	5,804	290
HpPrinter	7,250	0	0	7,250	5,117	2,026	7,143	2,133	107
Total of 3(Computers)	54,400	0	0	54,400	46,462	7,540	54,002	7,938	398
Total of (A)	97,461	0	0	97,461	89,429	7,540	96,969	8,032	492
<b>B: Assets given on Lease</b>									
Plant & Machinery	3,126,392	0	0	3,126,392	3,126,391	0	3,126,391	1	1
<b>Total of A + B</b>	<b>3,223,853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,223,853</b>	<b>3,215,820</b>	<b>7,540</b>	<b>3,223,360</b>	<b>8,033</b>	<b>493</b>
<b>Previous Year</b>	<b>3,223,853</b>		<b>0</b>	<b>3,223,853</b>	<b>3,201,709</b>	<b>14,111</b>	<b>3,215,820</b>	<b>22,144</b>	<b>8,033</b>

(i) The suit filed against M/s. Incab Industries Ltd in Delhi High Court, for realization of lease rentals since October 1992 amounting to Rs.45.29 lacs, is pending for appointment of the third arbitrator. In the mean time M/s Incab Industries Ltd.,submitted a proposal before the Board for Industrial and Financial Reconstruction [BIFR]. The Company (ABFSL) filed a petition before the Board [BIFR] who has permitted the Company (ABFSL) to take possession of the leased machinery with Incab Industries Ltd. But the workers union is protesting to take the machinery with a plea that some interested parties are negotiating for takeover of Incab Industries Ltd. The final Rehabilitation Scheme (DRS) submitted by M/s Tata Steel Ltd under consideration by the BIFR. The Board during the year reviewed the position of recovery of lease rentals dues from the Incab Industries Ltd and found that the recovery chances are remote and decided to write off as bad debt.

BIFR directed the Incab Industries Ltd to submit all the Audited Accounts along with Auditors's Reports thereon for the past period i.e from the date of sickness to till date to Board for determination of the sickness and the measures to be taken under the Act for the company's rehabilitation. In view of the above the Rehabilitation process is still under process before BIFR.

(ii) As the carrying cost of the machinery is Rs.1/- on 31.03.2017 and is much below the valued cost, there is no impairment loss on the machinery.





**नोट सं: 8 : व्यापारगत स्टॉक: शेयरों एवं प्रतिभूतियों का स्टॉक**

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
निर्दिष्ट भाव वाले शेयर की कुल राशि - कीमत पर मूल्यांकित अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर	376,190		372,257	
सूची से इतर प्रतिभूतियों की कुल राशि - एक रुपए पर मूल्यांकित	195,462	571,652	195,462	567,719

निर्दिष्ट भाव वाले शेयर तथा सूची से इतर प्रतिभूतियों के बीच अंतर 31.03.2017 को व्यापार के लेनदेन पर बीएसई/एनएसई बुलेटिन पर आधारित है। साथ ही यदि ऐसे शेयर अगर 31.03.2017 से तीन माह की अवधि से पहले बेचे/खरीदे गए नहीं हैं तो शेयर सूची से इतर श्रेणीकृत किए जाते हैं।

मात्रा वार	प्रारंभिक स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	खरीद/परिवर्धन अपमार्जन	खरीद/प्रतिफल/ विक्रय	अंतिम स्टॉक	अंतिम स्टॉक
	01.04.2016	01.04.2016			31.03.2017	31.03.2017
	संख्या	₹			संख्या	₹
पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (गत वर्ष के आँकड़े)	216,790	567,719	-	-	216,790	571,652
	216,790	383,179	-	-	216,790	567,719



<b>Note No : 8 : STOCK IN TRADE : STOCK OF SHARES &amp; SECURITIES</b>				
<b>Particulars</b>	<b>As at 31st March, 2017</b>		<b>As at 31st March, 2016</b>	
	₹	₹	₹	₹
<b>Aggregate amount of quoted share - Valued at Cost or Market value whichever is less</b>	376,190		372,257	
Aggregate amount of unquoted shares - Valued at Rupee one	195,462	571,652	195,462	<b>567,719</b>

Segregation between quoted and unquoted share is made on BSE / NSE Bulletin for the Business transacted on 31.03.2017. Further the shares are classified as unquoted, if such shares are not traded during three months period before 31.03.2017.

<b>Quantity wise</b>	Opening Stock	Opening Stock	Purchases/ Additions	Purchase/ Returns/ Deletions	Sales	Closing Stock	Closing Stock
	01.04.2016	01.04.2016				31.03.2017	31.03.2017
	Qty.	₹				Qty.	₹
Equity Shares fully paid up	216790	567,719	-	-	-	216,790	571,652
Previous Year's figures	<b>216790</b>	<b>383,179</b>	-	-	-	216,790	567,719

..Contd



**31.03.2017 के अनुसार बकाया शेयरों की सूची**

**क: मूर्त रूप में शेयर:**

**नोट नं : 8 - जारी**

स्क्रिप/ईक्विटी शेयर का नाम	मात्रा 31.03.2017	लागत ₹	लागत का मूल्य ₹	बाजार दर 31.03.2017	बाजार मूल्य 31.03.2017	लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी हो कम 31.03.17 ₹
	<b>01.04.2016</b>					<b>31.03.17</b>
	<b>परिमाण</b>	<b>₹</b>			<b>₹</b>	<b>परिमाण</b>
आधुनिक सिंथेटिक्स लिमिटेड	3,000	50.00	150,000	1.00	3,000	3,000
अखिल सिरामेक्स लिमिटेड	5,000	28.75	143,750	1.00	5,000	5,000
अलैबस् लिमिटेड	5,000	150.00	750,000	1.00	5,000	5,000
आर्यन फाइनेबस् लिमिटेड	11,400	56.25	641,250	1.00	11,400	11,400
भीष्म रियाल्टी लिमिटेड	3	1	3	1	3	3
कैपरीकॉन रियाल्टी लिमिटेड	3	1	3	1	3	3
सीफैम और गैनिक्स लिमिटेड	6,600	40.00	264,000	1.00	6,600	6,600
धार सीमेंट लिमिटेड	20,300	100.00	2,030,000	1.00	20,300	20,300
ईलैक्ट्रा (इंडिया) लिमिटेड	3,300	37.50	123,750	1.00	3,300	3,300
गुजरात टेलिफोन केबलस् लिमिटेड (डीमैट हेतु एसएचसीआइएल)	46,850	28.75	1,352,688	1.00	46,850	46,850
एच एम जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4,600	87.50	402,500	1.00	4,600	4,600
इंडो गल्फ एक्सप्लोजिस्व लिमिटेड / (इंडो गल्फ कोर्पो लिमिटेड)	4,850	130.00	630,500	1.00	4,850	4,850
कुनाल इंजीनियरिंग को. लिमिटेड	450	170.00	76,500	1.00	450	450
निरंजन पिरामल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
नोवा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स लिमिटेड	55,400	51.25	2,839,250	1.00	55,400	55,400
प्रेस्टीज फूड्स लिमिटेड	2,700	145.00	391,500	1.00	2,700	2,700
प्रेस्टीज एचएम - पौली कंटेनर्स लिमिटेड	5,000	42.50	212,500	1.00	5,000	5,000
प्यारेलाल टेक्सटाइल लिमिटेड	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
रामपुर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	240	80.00	19,200	1.00	240	240
श्री इशर अलौय स्टीलस् लिमिटेड.	2,000	67.50	135,000	1.00	2,000	2,000
सिपानी ऑटो मोबाइल्स लिमिटेड	2,100	50.00	105,000	1.00	2,100	2,100
<b>क का कुल</b>	<b>195,462</b>		<b>1,02,84,060</b>		<b>1,95,462</b>	<b>1,95,462</b>

**ख: शेयर, जो 31.03.2017 के अनुसार अमूर्तिकृत स्वरूप में हैं**

एशनूर टेक्सटाइल लिमिटेड	21,280	89.29	1,900,000	17.35	369,208	369,208
बलरामपुर चीनी मिल्स लि	48	0.00	0	145.45	6,982	6,982
<b>ख का कुल</b>	<b>21,328</b>		<b>1,900,000</b>		<b>376,190</b>	<b>376,190</b>
<b>क एवं ख का कुल</b>	<b>216,790</b>		<b>12,184,056</b>		<b>571,652</b>	<b>571,652</b>



Contd.. Note No.8

List of outstanding shares as on 31.03.2017						
A: Shares, which are in physical form:						
Name of the Scrip / Equity Shares	Quantity	Cost	Cost	Mkt. Rate	Mkt. Value	Cost or Mkt.
	31.03.2017	₹	Value ₹	31.03.2017	31.03.2017	Value which-
	01.04.2016					ever is less
	Qty.	₹				31.03.2017
						Qty.
Adhunik Synthetics Ltd	3,000	50.00	150,000	1.00	3,000	3,000
Akhil Ceramics Ltd.	5,000	28.75	143,750	1.00	5,000	5,000
Arlabs Ltd.	5,000	150.00	750,000	1.00	5,000	5,000
Aryan Finefab Ltd.	11,400	56.25	641,250	1.00	11,400	11,400
Bhishma Realty Ltd.	3	1.00	3	1.00	3	3
Capricon Realty Ltd.	3	1.00	3	1.00	3	3
Cephram Organics Ltd.	6,600	40.00	264,000	1.00	6,600	6,600
Dhar Cement Ltd.	20,300	100.00	2,030,000	1.00	20,300	20,300
Electra (India) Ltd.	3,300	37.50	123,750	1.00	3,300	3,300
Gujarat Telephone Cables Ltd. (sent to SHCIL for Demat)	46,850	28.75	1,352,688	1.00	46,850	46,850
HMG Industries Ltd.	4,600	87.50	402,500	1.00	4,600	4,600
Indu Gulf Industries Ltd	4,850	130.00	630,500	1.00	4,850	4,850
Kunal Engineering Co. Ltd.	450	170.00	76,500	1.00	450	450
Niranjan Piramal Textile Mills Ltd	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
Nova Electro Magnetics Ltd.	55,400	51.25	2,839,250	1.00	55,400	55,400
Prestige Foods Ltd.	2,700	145.00	391,500	1.00	2,700	2,700
Prestige HM-Poly containers Ltd.	5,000	42.50	212,500	1.00	5,000	5,000
Pyarelal Textile Ltd.	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
Rampur Fertilizers Ltd.	240	80.00	19,200	1.00	240	240
Shri Ishar Alloy Steels Ltd.	2,000	67.50	135,000	1.00	2,000	2,000
Sipani Auto Mobiles Ltd.	2,100	50.00	105,000	1.00	2,100	2,100
<b>Total of A</b>	<b>195,462</b>		<b>1,02,84,060</b>		<b>195,462</b>	<b>195,462</b>

**B: Shares, which are in dematerialized form as on 31.03.2017**

Ashnoor Textile Mills Ltd.	21,280	89.29	1,900,000	17.35	369,208	369,208
Balrampur Chini Mills Ltd	48	0.00	0	145.45	6,982	6,982
<b>Total of B</b>	<b>21,328</b>		<b>1,900,000</b>		<b>376,190</b>	<b>376,190</b>
<b>Total of A and B</b>	<b>216,790</b>		<b>12,184,060</b>		<b>571,652</b>	<b>571,652</b>



**नोट सं 9 : व्यापार प्राप्य :**

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
जमा पर संचित ब्याज लेकिन अप्राप्त		0		0
व्यापार प्राप्य - अरक्षित, संदिग्ध माने गए इकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड खाते (संदर्भ सं 7)			0	0
घटाएँ : अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य हेतु प्राप्य	0	0		
		<b>0</b>		<b>0</b>

**नोट सं 10 : नकद एवं नकद समतुल्य :**

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(i) बैंक के पास शेष ; चालू खाते में		5,020,559		4,366,084
(ii) बैंक जमाएँ (क) 12 माह की परिपक्वता तक :	85,000,000		16,600,000	
(ख) 12 माह से अधिक की परिपक्वता	147,600,000	232,600,000	205,000,000	221,600,000
<b>कुल</b>		<b>237,620,559</b>		<b>225,966,084</b>

**नोट सं 11 : दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम :**

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण तथा अग्रिम		<b>0</b>		<b>0</b>
(ख) अन्य - अरक्षित, अच्छा माना गया:				
ii) आय कर हेतु प्रावधान वित्त वर्ष 2007-08, 2011-12 तथा 2015-16	23,160,469		22,584,169	
घटाएँ : अग्रिम कर तथा टीडीएस	23,630,762	470,293	23,009,810	425,641
ii) वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1999-00 एवं 2008-09, 2009-10 हेतु अग्रिम-कर तथा टीडीएस		103,322,264		103,322,264
iii) वकीलों को अग्रिम	100,000		100,000	
iv) टेलीफोन विभाग के पास जमा	31,000	131,000	31,000	131,000
<b>कुल</b>		<b>103,923,557</b>		<b>103,878,905</b>

अग्रिम आय कर भुगतान का विवरण - वर्षवार :	वित्तीय वर्ष	संबंधित मूल्यांकन वर्ष	31.03.2017	31.03.2016
			₹	₹
	1994-95	1995-96	28,311,822	28,311,822
	1995-96	1996-97	43,581,300	43,581,300
	1996-97	1997-98	30,257,801	30,257,801
	2007-08	2008-09	3,900,000	3,900,000
	2007-08	2008-09	6,800	6,800
	2009-10	2010-11	1,075	1,075
	2010-11	2011-12	0	0
	2011-12	2012-13	10,900,000	10,900,000
	2011-12	2012-13	382,200	382,200
	2012-13	2013-14	108,178	108,178
	2013-14	2014-15	120,514	120,514
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	3,150,000
	2016-17	2017-18	3,750,000	
	<b>Total</b>		<b>121,319,690</b>	<b>120,719,690</b>



<b>NOTE No : 9 : TRADE RECEIVABLE :</b>				
Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
Interest accrued on deposit but not received		0		0
Trade Receivable - unsecured, considered bad - a/c Incab Industries Ltd ( Ref Note No 7)			0	0
Less : Bad debts written off	0	0		
		0		<b>0</b>

<b>Note No 10 : CASH AND CASH EQUIVALENTS :</b>				
Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>(i) Balances with Banks ;</b>				
In Current Account		5,020,559		4,366,084
<b>(ii) Bank Deposits</b>				
(a) Up to 12 Months Maturity :	85,000,000		16,600,000	
(b) More than 12 Months maturity	147,600,000	232,600,000	205,000,000	221,600,000
<b>Total</b>		<b>237,620,559</b>		<b>225,966,084</b>

<b>Note No 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES :</b>				
Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>(a) Loans and advances to related parties</b>		0		0
<b>(b) Others - Unsecured, considered good:</b>				
i) Provision for Income Tax - Financial Year 2007-08, 2011-12, and 2016-17	23,160,469		22,584,169	
Less : Advance Tax and TDS	23,630,762	470,293	23,009,810	425,641
ii) Advance Tax and TDS for the Financial Year 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1999-00, 2008-09, 2009-10, 2012-13 and 2013-14		103,322,264		103,322,264
iii) Advance to Advocates	100,000		100,000	
iv) Deposit with Telephones Department	31,000	131,000	31,000	131,000
c) Doubtful Advances	0			0
<b>Total</b>		<b>103,923,557</b>		<b>103,878,905</b>

Details of advance Income Tax Payment - Year wise :	Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2017	31.03.2016
			₹	₹
	1994-95	1995-96	28,311,822	28,311,822
	1995-96	1996-97	43,581,300	43,581,300
	1996-97	1997-98	30,257,801	30,257,801
	2007-08	2008-09	3,900,000	3,900,000
	2007-08	2008-09	6,800	6,800
	2009-10	2010-11	1,075	1,075
	2010-11	2011-12	0	0
	2011-12	2012-13	10,900,000	10,900,000
	2011-12	2012-13	382,200	382,200
	2012-13	2013-14	108,178	108,178
	2013-14	2014-15	120,514	120,514
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	3,150,000
	2016-17	2017-18	3,750,000	
			<b>121,319,690</b>	<b>120,719,690</b>



टीडीएस का विवरण - वर्ष वार	वित्तीय वर्ष	संबंधित मूल्यांकन वर्ष	31.03.2017	31.03.2016
			₹	₹
	1996-97	1997-98	819,506	819,506
	1999-00	2000-01	15,232	15,232
	2007-08	2008-09	1,342,714	1,342,714
	2008-09	2009-10	106,836	106,836
	2011-12	2012-13	1,467,648	1,467,648
	2012-13	2013-14	0	0
	2013-14	2014-15	0	0
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	1,860,448
	2016-17	2017-18	1,881,400	
	<b>कुल</b>		<b>5,633,336</b>	<b>5,612,384</b>

नोट नं. 11 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम :

उपयोग किये गये एमएटी क्रेडिट के विवरण	वित्तीय वर्ष	संबंधित मूल्यांकन वर्ष	31.03.2017	31.03.2016
			₹	₹
	2011-12	2012-13	5,677,308	5,677,308
	2012-13	2013-14	1,435,896	1,435,896
	2013-14	2014-15	1,599,186	1,599,186
	2014-15	2015-16	533,314	533,314
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	<b>कुल</b>		<b>9,245,704</b>	<b>9,245,704</b>

रु 55,42,956/- के मैट क्रेडिट हकदारी पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर प्रावधान रखा गया है । एमएटी क्रेडिट पात्रता शून्य है ।

टिप्पणी सं. :12 आकस्मिक देयता एवं प्रतिबद्धता

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
<b>(i) प्रासंगिक देयताएँ :</b>				
<b>कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया :</b>				
<b>क) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ( एस सी बी )</b>				
एस सी बी ने कंपनी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया तथा मामला माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई में है. (वाद सं. 1/1998)		79,869,658		79,869,658
ख) तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि.		24,600,000		24,600,000
ग) अपील में मूल्यांकन वर्ष से संबंधित आय कर		102,150,923		102,150,923
घ) ट्रिब्यूनल आदेशों के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा दाखिल ब्याज-कर अपीलें		7,624,756		7,624,756
<b>कुल</b>		<b>214,245,337</b>		<b>214,245,337</b>

क) विशेष न्यायालय, मुंबई में 1998 का वाद सं. 1 : इस वाद में एससीबी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 23,12,10,617.33 रु. के दिनांक 26.09.1991 को एबीएफएसएल से 23 करोड़ रु. के एफ वी सहित 11.5% भारत सरकार के बांड खरीदे थे तथा 23,11,10,821.92 रु. के कुछ स्टॉक के लेनदेन मूल्य, जो वादी (एससीबी) द्वारा प्रतिवादी को बेचे गए को ध्यान में रखकर 99,795.41 रु. की राशि खरीदी द्वारा देय थी, जो पी.ओ. दि. 26.09.1991 को प्रदत्त बताई गयी तथा आन्ध्रा बैंक के पक्ष में तथा उनके हित में आहरित थी । एससीबी ने कहा कि उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि कथित भुगतान-आदेश की प्राप्तियां श्री एच पी दलाल के खाते में जमा कर दी गयी थीं । वादी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पाया कि उन्हें कथित प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं हुई थीं । अतएव, कथित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी का दावा करते हुए, विकल्प के रूप में 23,12,10,617.33 रु के कुल रिफंड की मांग की ।



Details of the TDS - Year wise	Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2017	31.03.2016
			₹	₹
	1996-97	1997-98	819,506	819,506
	1999-00	2000-01	15,232	15,232
	2007-08	2008-09	1,342,714	1,342,714
	2008-09	2009-10	106,836	106,836
	2011-12	2012-13	1,467,648	1,467,648
	2012-13	2013-14	0	0
	2013-14	2014-15	0	0
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	1,860,448
	2016-17	2017-18	1,881,400	
	<b>Total</b>		<b>5,633,336</b>	<b>5,612,384</b>

**Note No 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES :**

Details of MAT Credit Utilised	Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2017	31.03.2016
			₹	₹
	2011-12	2012-13	5,677,308	5,677,308
	2012-13	2013-14	1,435,896	1,435,896
	2013-14	2014-15	1,599,186	1,599,186
	2014-15	2015-16	533,314	533,314
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	<b>Total</b>		<b>9,245,704</b>	<b>9,245,704</b>

Provision for Income Tax for the financial year 2016-17 is made Rs 55,42,956/- MAT credit entitlement is nil-

**Note No :12 :CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS :**

Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>(i) Contingent Liabilities :</b>				
<b>Claims against the company not acknowledged as debts :</b>				
a) Standard Chartered Bank (SCB)		79,869,658		79,869,658
The SCB filed suit against the Company and the matter is in the Hon'ble Special Court, Mumbai. {Suit No.1/1998}				
b) Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd		24,600,000		24,600,000
c) Income Tax relating to the asst years in appeal		102,150,923		102,150,923
d) Interest Tax Appels filed by the I T Dept against the Tribunal Orders.		7,624,756		7,624,756
<b>Total</b>		<b>214,245,337</b>		<b>214,245,337</b>

a) Suit No 1 of 1998 in the Special Court, Mumbai : In this suit the SCB alleged that they had purchased 11.5% GOI Bonds with F V of Rs 23 Crore on 26.09.1991 from ABFSL for Rs 23,12,10,617.33 and that after taking into consideration the transaction value of certain stock sold by the Plaintiffs (SCB) to the Defendants, amounting to Rs 23,11,10,821.92, the sum of Rs 99,795.41 was payable by the plaintiffs which was alleged to have paid by PO dated 26.09.1991 drawn and in favour of the Andhra Bank. SCB stated that they have subsequently learnt that the proceeds of the said pay order were credited to the account of Mr H P Dalal. The Plaintiffs alleged that they found that they had not received delivery of the said securities. Hence claiming allegedly the delivery of the said securities alternatively asking for refund the aggregate sum of Rs 23,12,10,617.33.





एबीएफएसएल ने वाद संबंधी लेनदेन में एससीबी से किसी लेनदेन के बारे में इंकार किया तथा कथित 3 लेनदेनों में एससीबी से करार के उल्लंघन से भी इंकार किया। बाद में एससीबी, जो वादी है, ने कहा कि दिनांक 26.09.1991 को वादी द्वारा प्रतिवादी को प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्रमाणित करने की वादी की असमर्थता के दृष्टिगत, बीआर सं. 1265 की सुपुर्दगी के अलावा, वादी वर्तमान वाद में अपना दावा 79,869,658.42 रु. कर रहे हैं। कंपनी ने एससीबी से किसी लेनदेन हेतु भी इंकार किया है, जैसाकि वाद / संशोधित वाद में दावा किया गया है। मुा दिनांक 10.02.2017 को माननीय विशेष न्यायालय में न्यायाधीश श्री ए.के.मेनन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया तथा श्री धर्मेश पांड्या हमारी ओर से उपस्थित थे तथा अभियोगी का वकील भी उपस्थित थे।समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी तथा मामला 17 फरवरी 2017 के लिए स्थगित हो गया।

ख) टीएनपीएल द्वारा फाइल सिविल मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में है और इसका नंबर वर्ष 2011 का सिविल अपील नंबर 2291-2292 है। (संदर्भ नोट सं.6)

## **नोट नं :12: प्रासंगिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं :**

### **आय कर :**

**ग) आय कर :** कंपनी (एबीएसएफएल) ने मूल्यांकन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तथा 1999-2000 के लिए आय-कर अपील प्रस्तुत की है जो माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश के समक्ष अनिर्णीत हैं। इन अपीलों के निपटान बकाया रहने तक अग्रिम कर तथा स्व मूल्यांकन कर के भुगतान को विभाग द्वारा धनवापसी में से समायोजित किया गया।

**घ) ब्याज कर :** मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन वर्ष 1993-94 से 1997-98 हेतु किराया खरीद आय तथा पट्टा किराया को जोड़ कर, आय कर अधिनियम, 1974 के अंतर्गत मूल्यांकन पूरा किया। मूल्यांकन अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध, कंपनी ने आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (ए) ने कंपनी की अपीलों की अनुमति दी। सीआईटी (ए) के आदेशों से व्यथित होकर, आय-कर विभाग ने आय-कर एपीलेट ट्रिब्युनल ने विभाग की अपीलों को खारिज किया।

ट्रिब्युनल के उक्त आदेशों से वयथित होकर, विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 1993-94 हेतु आईटीए सं 6/एच/2003 दिनांक 18.01.2007 में ट्रिब्युनल के आदेश के विरुद्ध तथा मूल्यांकन वर्ष 1995-96 हेतु रआई टीटीए सं. 86/2012 उच्च न्यायालय, ए.पी. के समक्ष दा अपील दायर कीं। विभाग का मानना है कि ट्रिब्युनल ने यह मानने में चूक की कि किराया-खरीद प्रभार आय-कर अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कर हेतु पात्र नहीं है। इन दो मूल्यांकन वर्ष 1993-94 तथा 1995-96 हेतु किराया-खरीद प्रभार क्रमशः रु 2,426,473/- तथा रु 8,07,806/- है।

### **अन्य आय कर मामले**

**क) मूल्यांकन वर्ष 2008-09:** कंपनी (ए बी एफ एस एल) को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अंतर्गत रु.5,28,790/- की मांग करते हुए 12.03.2010 को सूचना प्राप्त हुई जिसमें आय कर विभाग ने बैंकों द्वारा किए गए सभी टी डी एस भुगतान / की गई वसूलियों तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) द्वारा किए आय कर भुगतानों पर विचार नहीं किया। कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने मूल टी डी एस प्रमाणपत्रों तथा आय कर विभाग को एफ बी टी के विप्रेषण संबंधी अध पत्रों की प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी करें. कंपनी की और भुगतान करने की कोई कर देयता नहीं है. कंपनी (एबीएफएसएल) संशोधित आदेश के लिए अनुवर्तन कर रही है।

**ख) मूल्यांकन वर्ष 2010-11:** कंपनी को सीपीसू, बेंगलूर ने धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि मूल्यांकन वर्ष 2008-09 हेतु बकाया मांग के प्रति 1075/- रु की राशि के समायोजन के पश्चात् कंपनी को 92,065 रु की राशि लौटाई जानी थी, जोकि पहले ही उनकी सूचना दिनांक 25/02/2011 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009-10 हेतु रिफंड में से समायोजित है। रु 92065/- की रिफंड-राशि दि 18/04/2013 को प्राप्त हुई है।

**(ग) मूल्यांकन वर्ष 2012-13 :** कंपनी द्वारा फाइल की गयी विवरणी प्रोसेस की गयी तथा आय-कर अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना 3,82,200/- रु की मांग सहित प्राप्त हुई। विभाग ने आय-कर अधिनियम, 1981 के मैट प्रावधानों तथा एससी एवं ईसी सहित सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय-कर के अंतर्गत के रूप में (सरचार्ज तथा शिक्षा उप-कर के अलावा) मैट ऋण दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कर मांगा गया है। कंपनी ने भुगतान किया तथा 29.10.2014 को सीआईटी (ए) में अपील दायर की और यह अपील अनुमत की गयी।

**घ) निर्धारण वर्ष 2013-14 :** कंपनी द्वारा आय कर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अपनी आय घोषित करते हुए रु. 1,15,44,934/- के लिए रिटर्न दर्ज किया है एवं उक्त रिटर्न के विरुद्ध रु.2,57,160/- की धन वापसी का दावा किया, धारा 143(1) के अंतर्गत कंपनी को आय के रिटर्न में घोषित आय स्वी कार करने की सूचना प्राप्त हुई है परंतु रु.1,48,960/- की धन वापसी की। उक्त सूचना का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि धारा 115 जे के अंतर्गत कर के लिए जमा करते समय अधिभार एवं शिक्षा सेस को छोड़ देने के कारण यह मांग उत्पन्न हुई है। कंपनी ने सीआईटी (ए) की अपील दर्ज की है जिस पर अभी सुनवाई की जानी है। अपील स्वीकृति दिनांक 27-10-2016 को आदेश संख्या 0701/सीआईटी(ए) -1/हैदराबाद/2014-15/2016-17 दिनांक 27.10.2016 से की गई तदर्थ आदेश अभी प्राप्त किए जाने हैं

**च) निर्धारण वर्ष 2014-15 :** कंपनी द्वारा आय कर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अपनी आय घोषित करते हुए रु. 4,63,758/- की धन वापसी का दावा करते हुए रु. 1,51,94,322/- के लिए रिटर्न दर्ज किया, जो तथापि धारा 234 सी के अंतर्गत ब्याज रु. 63,908/- की गलत गणना के बाद रु. 3,99,850/- परिकलित किया गया। उक्त रिटर्न के विरुद्ध कंपनी को आय के रिटर्न में घोषित आय स्वीकार करने की सूचना प्राप्त हुई परंतु रु. 3,43,240/- की धन वापसी की गयी। उक्त सूचना की जांच करने पर यह पाया गया कि धारा 115 के अंतर्गत कर के लिए जमा करते समय अधिभार एवं शिक्षासेस को छोड़ देने के कारण यह मांग उत्पन्न हुई है। कम्पनी ने अपील दायर की और अपील स्वीकृति आदेश संख्या 0711/सीआईटी(ए)-1/हैदराबाद/2014-15/2016-17 दिनांक 27.10.2016 से की गई है



ABFSL had denied having any transaction with SCB in the suit transactions and it was further denied having any privity of contract with the SCB in the suit transactions. Later on SCB, the Plaintiffs, stated that in view of the Plaintiffs inability to conclusively establish delivery of the securities sold by the plaintiffs to the defendants on 26.09.1991, save and except the delivery of BR No 1265, the plaintiffs in the present suit are confining their claim in the present suit to Rs 79,869,658.42. The Company had also denied having any transactions with SCB as claimed in the plaint/amended plaints. On 10th February, 2017 the above matter had appeared on board before His Lordship the Hon'ble Mr. Justice A.K. Menon for framing issues, Mr. Dharmesh Pandya appeared on our behalf, advocate for the plaintiff was also present. At the time aforesaid due to paucity of time the matter didn't reach hearing and postponed further to 17 February 2017.

b) The Civil Suit filed by the TNPL is now on its appeal before the Hon'ble Supreme Court and numbered as Civil Appeal No 2291-2292 of 2011 (Ref. Note No 6)

**NOTE No:12: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS :**

**INCOME TAX :**

**c) Income Tax :** The Company (ABFSL) had gone on Income Tax appeals for the Asst. Years 1993-94 to 1997-98 & 1999-00 which are pending before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Pending disposal of these appeals, the advance tax and self assessment taxes paid and taxes adjusted out of refunds by the department are outstanding.

**d) Interest Tax :** The Assessing officer completed the assessments under Interest Tax Act, 1974 making additions of lease rentals and hire purchase income for the Asst Years 1993-94 to 1997-98. As against the orders of the Assessing officer, the company filed appeals before the commissioner of Income Tax (Appeals). The CIT(A) allowed the company's Appeals. Aggrieved by the orders of the CIT(A), the Income Tax department filed appeals before Income Tax Appellate Tribunal, Hyderabad. The Tribunal Dismissed the department's appeals.

Aggrieved by the above orders of the Tribunal, the department filed two appeals before the High Court, A.P in ITTA No 86/2012 against the Tribunal Order in ITA No 6/H/2003 for the Asst. Year 1995-96 and ITTA No : 149/2012 against the Tribunal Order in ITA No 4/H/2003 dated 18.01.2007 for the Asst. Year 1993-94. The contention of the department is that the tribunal erred in holding that Hire Purchase charges are not exigible to tax under Interest Tax Act, 1974. The Hire Purchase charges for these two assessment years 1993-94 and 1995-96 are Rs 2,426,473/- and Rs 807,806/- respectively.

**Other Income Tax Issues**

**a) Assessment Year 2008-09:** The Company (ABFSL) received on 12.03.2010 an intimation U/s 143(1) of Income Tax Act, 1961 with a demand of Rs 528,790/-, wherein IT Department has not taken into consideration all TDS remittances / recovered by Bankers and the FBT & Income Tax remittances made by Company (ABFSL). The Company (ABFSL) submitted detailed proofs of original TDS certificates and copies of the counterfoils remitting the FBT to Income Tax Department with a request to issue modified orders U/s 154 of IT Act, 1961, there is no tax liability for the company to pay further. The Company (ABFSL) is pursuing for the modified orders.

**b) Assessment Year 2010-11:** The Company received the intimation u/s 143(1) from the CPC, Bangalore indicating that an amount of Rs 92,065 was refundable to the company after adjusting an amount of Rs 1075 towards arrears demand outstanding for the Asst Year 2008-09 which itself already adjusted out of the refund for Asst Year 2009-10 vide their intimation dated 25.02.2011. The refund amount of Rs 92065/- has been received on 18.04.2013.

**c) Assessment Year 2012-13:** The return filed by the company was processed and an intimation under section 143(1) of the Income Tax Act was received with a demand of Rs 3,82,200/-. The department has given the MAT credit as difference of Income Tax (excluding surcharge & education cess) under normal provisions and MAT provisions instead of difference between the total tax paid under normal provisions including SC & EC and MAT Provisions of Income Tax Act, 1961, which had resulted in the demanding the Tax. The company had paid the same and filed an appeal before the CIT(A) and on 29.10.2014 the appeal is allowed. Consequential orders not yet received.

**d) Assessment year 2013-14:** The return filed by the company declaring its income under normal provisions of income tax act at Rs.1,15,44,934/- and claimed refund of Rs.2,57,160/-. Against the said return the company received intimation under section 143(1) accepting the income declared in the return of income but received refund Rs.1,48,960/-. On Verification of the said intimation it is observed that the demand arose due to not taking into account surcharge and education cess while giving credit for tax u/s 115J. The company filed appeal before CIT A(A) which is yet to come for hearing. Appeal allowed on 27-10-2016 vide order no. 0701/CIT(A)-1/Hyd/2014-15/2016-17 dated 27-10-2016. Consequential order not yet received.

**e) Assessment Year 2014-15:** The return filed by company declaring its income under normal provisions of income tax act at 1,51,94,322/- by claiming a refund of Rs.4,63,758, which however calculated as Rs.3,99,850/- after considering interest erroneously u/s 234c of Rs.63,908/-. Against the said return the company received intimation under section 143(1) accepting the income declared in the return of income but received refund of Rs.3,43,240/-. On verification of the said intimation it is observed that the demand arose due to not taking into account surcharge and education cess while giving credit for tax u/s 115j. The company file appeal before CIT (A) and appeal is allowed vide order no. 0711/CIT/(A)-1/HYd/2014-15/2016-17 dated 27-10-2016.



## अन्य मामले :

1. अन्तर कार्पोरेट जमाओं पर ब्याज - खाता मेसर्स कुदरेमुख अयर्न ओर कं. लि. कंपनी (ए बी एफ एस एल) तथा मेसर्स कुदरेमुख अयर्न ओर कं. लि. (के आई ओ सी एल) के बीच विवाद वर्ष 2003-2004 में निपटा दिया गया। फिर भी, के आई ओ सी एल ने अन्तर कार्पोरेट जमाओं की परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के बाद प्राच्य अधिशेष, यदि हो, तो अन्य पी एस यू के साथ समानुपातिक आधार पर दावा प्रस्तुत करने संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है।

2) कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने मेसर्स मिश्र धातु निगम लि (मिधानी) द्वारा प्रस्तुत रु.4.00 करोड़ की अन्तर कार्पोरेट जमाओं की संविदात्मक तिथि तक ब्याज सहित पुनर्भुगतान 1997 में कर दिया है। मिधानी ने 1997 में पूर्ण एवं अंतिम निपटान स्वरूप प्राप्ति की पावती दी है। फिर भी, मिधानी ने संविदात्मक तिथि के बाद ब्याज के लिए बाद में अपना दावा प्रस्तुत किया है। कंपनी (ए बी एफ एस एल) द्वारा ब्याज का भुगतान करने या पावती देने हेतु इंकार करने पर मिधानी ने विवाद समिति (सीओडी) से संपर्क किया जिसने मिधानी को निदेश दिया कि स्थायी विवाचक तंत्र (पी एम ए) से संपर्क करें जिनके पास मामला अनिर्णीत है। कंपनी (ए बी एफ एस एल) का विधिक मत है कि मिधानी का दावा स्वीकार्य नहीं है, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3) वर्ष 1994 के दौरान कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने दिल्ली वित्तीय निगम को आई सी डी 153 तथा 155 प्रत्येक की मूल राशि रु 100 लाख का भुगतान दिनांक 28/09/1994 के इस करार के साथ किया कि सभी अन्य पी एस यू की मूल राशि एवं ब्याज राशि का पुनर्भुगतान करने के बाद देय तिथि तक संविदात्मक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। संविदात्मक अवधि के लिए रु. 7,08,000/- ब्याज का दावा था तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने 9/08/2004 को राशि का भुगतान कर दिया। फिर भी, दिल्ली वित्तीय निगम ने अन्तर कार्पोरेट जमाओं की परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के बाद प्राच्य अधिशेष, यदि हो, तो अन्य पी एस यू के साथ समानुपातिक आधार पर दावा प्रस्तुत करने संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है।

4) औद्योगिक ट्रिब्युनल, हैदराबाद में विवाद : आई. डी. अधिनियम, 1947 के अंतर्गत एक आवेदन फाइल किया गया था तथा वह एलसीआईडी 17/2011 के रूप में दर्ज हुआ। आन्ध्रा बैंक के प्रबंधन तथा कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद आई. डी. अधिनियम, 1947 की धारा (1) (घ) के अंतर्गत न्याय निर्णय हेतु औद्योगिक ट्रिब्युनल-सह-श्रम न्यायालय, हैदराबाद को संदर्भित किया गया है। उसे ट्रिब्युनल की फाइल पर लिया गया तथा आई.डी. सं 14/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दो आई.डी. कंपनी छोड़ने के पश्चात् राजगार दावे हेतु एक ही विषय पर पंजीकृत की गयी।

## टिप्पणी सं : 13

8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के दौरान लेनदेन किए विनिर्दिष्ट बैंक नोट ( एस.बी.एन.) का विवरण

	एस.बी.एन.	अन्य मूल्य वर्ग के नोट ( रु.)	कुल(रु.)
दिनांक 08/11/2016 को हाथ में शेष नकदी	शून्य	2,949	2,949
(+) स्वीकृत प्राप्ति	शून्य	10,000	10,000
(-) स्वीकृत भुगतान	शून्य	8,574	8,574
(-) बैंक में जमा राशी	शून्य	0	0
दिनांक 30/12/2016 को हाथ में शेष नकदी	शून्य	4,375	4,375

## टिप्पणी सं : 14

क)ईक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए कोई लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया . (गत वर्ष: शून्य)  
ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रतिभूति जारी नहीं की है. (गत वर्ष: शून्य)



**Other matters :**

1. Interest on Inter Corporate Deposits A/c M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd. The dispute between the Company (ABFSL) and M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd [KIOCL] was settled during the year 2003-04. However, KIOCL has reserved right to claim on pro-rata basis along with other PSU's in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of Inter Corporate Deposits up to the date of payment.

2) The Company (ABFSL) repaid in 1997 the total Inter Corporate Deposits of Rs.4.00 Crore placed in 1992 by M/s Mishra Dhatu Nigam Ltd (MIDHANI) with interest up to the contracted date. MIDHANI acknowledged the receipt as full and final settlement in 1997. However, MIDHANI, subsequently, has made a claim for interest after the contracted date. On refusal by the Company (ABFSL) to acknowledge or pay the interest, MIDHANI has approached the Committee on Disputes (COD) who directed the MIDHANI to Permanent Machinery of Arbitration (PMA) with whom the matter is pending. The Company (ABFSL) has legal opinion saying that the claim of MIDHANI is not sustainable and hence no provision has been made.

3) During the year 1994, the Company (ABFSL) has paid the amounts of ICD 153 & 155 to Delhi Financial Corporation to the extent of principal sum of Rs.100 lacs each, with an agreement dt.28/9/1994 that the contracted interest up to due date shall be paid after paying the Principal and Interest amount of ICD to all other PSU's. There was a claim for interest of Rs.7,08,000/- for the contracted period and the Company (ABFSL) has paid the same on 9/08/2004. However Delhi Financial Corporation has reserved the right to claim on prorata basis along with other PSUs in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of ICD's to date of payment.

4) Dispute in the Industrial Tribunal, Hyderabad : An application under the I D Act 1947 was filed and the same was registered as LCID 17/2011. Further an industrial dispute between the workman and the management of Andhra Bank have been referred to the Industrial Tribunal Cum Labour Court, Hyderabad for adjudication u/s (1)(d) of the I D Act, 1947 and the same was taken on file of the Tribunal and registered as I D No 14/2012. This indicates that two I Ds were registered on the same matter of claiming the employment after leaving the company who worked on temporary basis in the company. CGIT cum Labour Court, Hyderabad. granted permission to the petitioner to withdraw the present LCNo.17/2011 with liberty to prosecute ID No. 14/2012 on01-04-2015.LCNo17/2011 is dismissed.

**Note 13**

**Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8th Novemebr, 2016 to 30th December 2016**

	SBNs	Other Denomination Notes (₹)	Total (₹)
Closing cash in hand as on 08.11.2016	NIL	2,949	2,949
(+) Permitted Receipts	NIL	10,000	10,000
(-) Permitted Payments	NIL	8,574	8,574
(-) Amount deposited in Banks	NIL	0	0
Closing cash in hand as on 30.12.2016	NIL	4,375	4,375

**Note No.14**

- a) No dividend has been proposed to be distributed to the Equity shareholders for the year. ( Previous year: Nil)
- b) The company has not issued any securities during the year for any specific purpose. (Previous Year : Nil )



**नोट 15 :- परिचालनसेराजस्व**

विवरण	अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
<b>क) ब्याज आय</b>				
(i) बैंक जमा राशियों पर	18,813,993		18,604,480	
(ii) आई.टी. धनवापसियों पर ब्याज	0	18,813,993		18,604,480
<b>ख) अन्य आय :</b>				
<b>i) लाभांश आय</b>				
- घरेलु कंपनियों से	168		24,000	
<b>ii) निवेश व्यवसाय :</b>				
प्रारंभिक स्टॉक	567719			
जोड़े : खरीद	0			
कुल	567719			
शेयरों की बिक्री (लागत) कुल	0		0	
अंतिम स्टॉक	571652	3,933	0	
उपार्जन /निवेश की निवल राशि (हानि)		4,101	184,540	208,540
<b>कुल</b>		<b>18,818,094</b>		<b>18,813,020</b>

**टिप्पणी सं 16 :- कर्मचारी लाभ व्यय**

विवरण	अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
वेतन एवं भत्ते	1,138,272		1,058,631	
पेंशन निधि को अंशदान	65,556		61,296	
ग्रैच्युटी व्यय	53,306		53,306	
कर्मचारी कल्याण व्यय	50,966	1,308,100	44,199	1,217,432
<b>कुल</b>		<b>1,308,100</b>		<b>1,217,432</b>

**टिप्पणी सं : 17 : प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**

विवरण	अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
यात्रा एवं सवारी व्यय	0		0	
कार्यालय परिसर हेतु किराया	36,000		36,000	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4,742		6,655	
डाक व्यय एवं टेलीफोन	9,988	50,730	9,941	52,596
<b>कुल</b>		<b>50,730</b>		<b>52,596</b>

**टिप्पणी सं.18 :- अन्य व्यय**

विवरण	अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
- लेखा परीक्षक के रूप में	28,750		28,625	
- कर लेखा परीक्षा हेतु	17,250	46,000	17,175	45,800
विधिक एवं व्यवसाय व्यय		53,112		2,144,531
व्यय की प्रतिपूर्ति - विधि				
फाइल करने हेतु शुल्क		12,400		10,000
कंप्यूटर रख-रखाव		572		1,421
विविध - व्यय		1,892		4,359
		<b>113,976</b>		<b>2,206,111</b>



**Note 15 :- Revenue From Operations**

Particulars	For the period April 1, 2016 to March 31, 2017		For the period April 1, 2015 to March 31, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>a) Interest Income</b>				
(i) On Bank Deposits	18,813,993		18,604,480	
(iii) Interest on I.T Refunds	0	18,813,993	0	18,604,480
<b>b) Other Income :</b>				
<b>i) Dividend Income</b>				
from domestic companies	168		24,000	
<b>ii) Investment Business :</b>				
<b>Opening Stock</b>	567719			
Add : Purchases	0			
Sales of stock ( Cost)	0			
Closing Stock	571652	3,933		
Earnings / Net of Investments ( profit )		4,101	184,540	208,540
		<b>18,818,094</b>		<b>18,813,020</b>

**NOTE NO.16 :- EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES**

Particulars	For the period April 1, 2016 to March 31, 2017		For the period April 1, 2015 to March 31, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>Salaries &amp; Allowances</b>	1,138,272		1,058,631	
Contribution to Pension Fund	65,556		61,296	
Gratuity Expense	53,306		53,306	
<b>Staff welfare expenses</b>	50,966	1,308,100	44,199	1,217,432
		<b>1,308,100</b>		<b>1,217,432</b>

**NOTE No : 17 : ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES**

Particulars	For the period April 1, 2016 to March 31, 2017		For the period April 1, 2015 to March 31, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>Travelling &amp; Conveyance</b>			0	
Rent for office Premises	36,000		36,000	
Printing & Stationery	4,742		6,655	
<b>Postage &amp; Telephones</b>	9,988	50,730	9,941	52,596
		<b>50,730</b>		<b>52,596</b>

**NOTE No:18: OTHER EXPENSES**

Particulars	For the period April 1, 2016 to March 31, 2017		For the period April 1, 2015 to March 31, 2016	
	₹	₹	₹	₹
Payment to Auditors				
-As Auditor	28,750		28,625	
-For Tax Audit	17,250	46,000	17,175	45,800
Legal & Professional fees		53,112		2,144,531
Reimbursement of Expenses - Legal				
Filing Fees		12,400		10,000
amc		572		1,421
Miscellaneous expenses		1,892		4,359
		<b>113,976</b>		<b>2,206,111</b>



## नोट नं. 18 :- अन्य व्यय

कंपनी में कार्यरत स्टाफ आन्ध्रा बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा वे समय समय पर आन्ध्रा बैंक अधिकारी सेवा विनियम (एबीओएसआर) के अनुसार कर्मचारी लाभ हेतु पात्र हैं तथा तदनुसार आन्ध्रा बैंक को भुगतान किया जाता है / प्रतिपूर्ति की जाती है। लागू सीमा तक भविष्य निधि / पेंशन निधि का अंशदान तथा ग्रैज्युटी की समानुपातिक राशि का भी भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा किसी अलग निधि का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

विवरण	अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
आई टी अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत कर व्यय	5,542,956		4,966,656	
काटें: वर्ष के दौरान मैट ऋण पात्रता	0		0	
वर्ष के लिए कर व्यय के लिए किया गया प्रावधान (आई टी अधिनियम के मैट प्रावधानों के अन्तर्गत कर व्यय की सम राशि)	5,542,956	5,542,956	4,966,656	4,966,656
		5,542,956		4,966,656

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज पर रु 18,81,400/- टीडीएस के अतिरिक्त रु 37,50,000/- अग्रिम आय कर का भुगतान किया है। कंपनी चालू वर्ष के दौरान आय कर के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आती है, किन्तु मैट ऋण के लिए पात्रता रखती है। पिछले वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज आय पर रु 18,94,715/- टीडीएस के अतिरिक्त रु 31,50,000/- अग्रिम आय कर का भुगतान किया है। कंपनी आय कर अधिनियम, 1961 के मैट प्रावधानों के अंतर्गत आती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 आय कर स्वाआंकलन वर्ष 2015-16 हेतु आय कर रु. 95612/- प्रदान किया गया है और लाभ व हानि खाते में पूर्व आंकलन वर्ष हेतु आयकर खर्च हेतु दर्शाया गया है।।

### पूर्व मूल्यांकन वर्षों हेतु कर वापसी / व्यय :

वित्तीय वर्ष 2016-17 आय कर स्वाआंकलन वर्ष 2015-16 हेतु आय कर रु. 95612/- प्रदान किया गया है और लाभ व हानि खाते में पूर्व आंकलन वर्ष हेतु आयकर खर्च हेतु दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2013-14 और 2014-15 का आय कर रिफण्ड प्राप्त किया है। कम्पनी को वर्ष 2016-17 के सम्बंध में 1180/- रु रिफंड प्राप्त हुआ है। हमने वर्ष के संबद्ध कर निर्धारण वर्ष के विद्यमान प्रावधान के लिए टीडीएस और अग्रिम कर को रिवर्स किया है।

### टिप्पणी सं : 20 : प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन :

विवरण	अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
(i) मूल एवं डायल्यूटेड : प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन		2.34		2.07
ईपीएस का आकलन				
क : निवल लाभ	11,699,180		10,352,758	
ख : इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	5,000,000		5,000,000	
प्रति इक्विटी शेयर पर मूल उपार्जन (क/ख) मूल तथा डायल्यूटेड		2.34		2.07

### टिप्पणी सं : 21 : एन बी एफ सी के रूप में पंजीकरण की स्थिति :

क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए 9 जनवरी 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशानुसार भारिबैं द्वारा उनके पत्रांक डी एन बी एस (एच) सी एम एस सं. 2238/एच वाई क्यू 0472/2004-05 दिनांक 28 जनवरी 2005 को कंपनी (ए बी एफ एस एल) का पंजीकरण हेतु आवेदन नामंजूर किया गया तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) से अपेक्षा की गई कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय नहीं करने के लिए निर्दिष्ट बोर्ड संकल्प पारित कराया जाए। भारिबैं ने कंपनी (ए बी एफ एस एल) को सूचित किया कि यह सुनिश्चित करें कि उक्त पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर कंपनी (ए बी एफ एस एल) की वित्तीय आस्तियाँ बेची जाएं तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान के रूप में परिवर्तित कराया जाए या परिसमापन कराया जाए. तदनुसार कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने प्रबंध निदेशक द्वारा की जानेवाली उचित कार्रवाई की संभावनाओं पर विचार करने के लिए 03.02.2005 को बोर्ड संकल्प पारित किया. कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने शेयरों को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों का निपटान कर दिया है.

बी) कम्पनी (एबीएफएसएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 09.01.2008 को वित्तीय आस्तियों के निस्तारण की सूचना प्रेषित करते हुए कम्पनी (एबीएफएसएल) को गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान के रूप में लिये जाने का अनुरोध किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 05.12.2008 को प्रेषित अपने पत्र में उत्तर दिया है कि उसने वर्णित घटकों का अभिलेखन कर लिया है।

### टिप्पणी सं : 22 : अन्य सूचना

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 6 के भाग-1 एवं भाग -2 की अन्य शर्तों में निहित मामलों के संबंध में जहाँ तक जानकारी कुछ नहीं है या कंपनी पर लागू नहीं है, उनके संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

ख) चालू वर्ष की प्रस्तुति से मिलान हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन / पुनः वर्गीकरण / पुनः व्यवस्था की गई है।



**NOTE NO.18 :- OTHER EXPENSES**

The staff working in the company are on deputation from Andhra Bank and they are eligible for Employee Benefits as per the Service Regulations (ABOSR) of Andhra Bank from time to time and the same is being paid / reimbursed to Andhra Bank. Contribution to Provident / pension Fund and proportionate amount towards Gratuity is also paid to the Andhra Bank to the extent applicable. No separate fund is being maintained by the company.

**NOTE No : 19 : TAX EXPENSE :**

Particulars	For the period April 1, 2016 to March 31, 2017		For the period April 1, 2015 to March 31, 2016	
	₹	₹	₹	₹
Tax Expense under normal provisions of I.T Act	5,542,956		4,966,656	
Less: MAT Credit Entitlement during the year	0		0	
Provision made for Tax expense for the year (Equal to the Tax Expense under MAT Provisions of I.T Act)	5,542,956	<b>5,542,956</b>	4,966,656	<b>4,966,656</b>
		<b>5,542,956</b>		<b>4,966,656</b>

The Company has paid the advance Income Tax of Rs 37,50,000- in addition to the TDS of Rs 18,81,400- on interest income during the year 2016-17. The Company comes under the regular provisions of the Income Tax during the current year and no outstanding MAT credit available.. During the previous year 2015-16 the company has paid an advance Income tax of Rs 31,50,000- in addition to the TDS of Rs18,94715/- on interest income and the company comes under normal provisions of the Income Tax Act 1961.During F-Y 2016-17 income tax paid under self assessemnt tax for F-Y 2015-16 Rs. 95612/- and shown in the P&L a/c under tax expenses Income tax for earlier assessment years.

**Tax refunds / Expense for earlier Asst Years :**

During F-Y 2016-17 income tax paid under self assessemnt tax for F-Y 2015-16 Rs. 95612/- and shown in the P&L a/c under tax expenses Income tax for earlier assessment years.During the year the company has received the income tax refunds Rs.1180/- relating to the Asst Years 2016-17. We have reversed the existing provision for tax, TDS & Advance Tax paid to the relevant assessment year.

**NOTE No : 20 : EARNINGS PER EQUITY SHARE :**

Particulars	For the period April 1, 2016 to March 31, 2017		For the period April 1, 2015 to March 31, 2016	
	₹	₹	₹	₹
<b>(i) BASIC &amp; DILUTED : Earnings per Equity Share</b>		<b>2.34</b>		<b>2.07</b>
<b>Calculation of EPS :</b>				
A : Net Profit	11,699,180		10,352,758	
B : Weighted Average Number of Equity Shares	5,000,000		5,000,000	
<b>BASIC &amp; DILUTED Earnings per Equity Share ( A / B )</b>		<b>2.34</b>		<b>2.07</b>

**NOTE No : 21 : Status of Registration as NBFC :**

a) As per the directions issued by Reserve Bank of India for registration of Non Banking Financial Companies on 9th January 1997, the Company's (ABFSL) application for registration was rejected by RBI vide their letter No. DNBS (H) CMS No.2238/HYQ 0472/2004-05 dated 28thJanuary 2005 requiring the Company (ABFSL) to pass a specific Board Resolution not to carry on the business of an Non-Banking Financial Institution. RBI further informed the Company (ABFSL) to ensure that within a period of 3 years from the date of issue of their said letter, the financial assets of the Company (ABFSL) are disposed of and the Company (ABFSL) is converted into a Non-Banking Non-Financial Institution or is wound up. Accordingly the Company (ABFSL) passed Board Resolution on 03.02.2005 to explore the course of suitable action by the Managing Director at the earliest.The Company (ABFSL) has disposed of the financial assets except the shares.

b) The Company (ABFSL) has informed Reserve Bank on 09.01.2008 about disposal of the Financial Assets and requested to treat the Company (ABFSL) as Non-Banking Non-Financial Institution. Reserve Bank of India replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned therein on record.

**NOTE No : 22 : Other Information :**

a) Information with regard to the matters in the other clauses of Schedule III to the Companies Act, 2013 to the extent they are either NIL or not applicable to the Company has not been given.

b) The figures of the previous year have been regrouped/reclassified/rearranged wherever necessary to confirm the Current Year's presentation.





## बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

निदेशकों को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के विवरण सहित कंपनी की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विशिष्टताओं का सार प्रस्तुत किया जाता है।

(रु.लाखों में)

विवरण	2016-17	2015-16
सकल आय	188.18	188.13
ब्याज एवं मूल्यहास के पूर्व लाभ	173.30	153.37
वित्त प्रभार	शून्य	शून्य
सकल लाभ	173.45	153.37
मूल्यहास के लिए प्रावधान	0.08	0.14
कर के पूर्व निवल लाभ	173.37	153.23
कर के लिए प्रावधान	56.38	49.70
आगे लाये गये लाभ का शेष	116.99	103.53
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष	116.99	103.53
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य
प्रस्तावित लाभांश पर कर	शून्य	शून्य
साधारण आरक्षण को अंतरण	शून्य	शून्य
तुलन पत्र को लिए गये अधिशेष	116.99	103.53

**आय मुख्यतः** बैंक जमाओं पर ब्याज है। कंपनी ने मूल्यहास एवं मैट-क्रेडिट हकदारी का आय कर निवल के उपरांत वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 116.99 लाख लाभ अर्जित किया। कंपनी के पास अभी भी दि.31.03.2017 को रु. 695.47 लाख संचित हानि है (2015-16 में रु. 812.46 लाख)

**2. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ :** 31 मार्च एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

**3. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कुछ हो :** व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

**4. लाभांश :** वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई लाभांश सिफारिश नहीं किया गया है।

**5. बोर्ड की बैठक :** निदेशक मंडल ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न तारीखों में 6 बैठकें की हैं : 1) 16.05.2016 2) 27.05.2016 3) 05.08.2016 4) 02.09.2016 5) 31.12.2016 6) 28.03.2017

**6. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :**

वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्तियाँ, पदनामों में परिवर्तन एवं निदेशकों एवं केएमपी के पदत्याग के विवरण निम्नलिखित हैं।

**नियुक्तियाँ :** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में श्री आर. पद्मनाभन (डीआईएन 05150263), श्री वाई अमरनाथ (डीआईएन 07251270) एवं एम. एन. सुधाकर (डीआईएन 07517774) को दि. 16.05.2016 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्ति की गयी थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196, 197 एवं 203 एवं अधिनियम की अनुसूची 5 एवं इनमें किये गये कोई अन्य आशोधन एवं पुनः अधिनियमन सहित, के अनुसरण में एवं आम बैठक में शेयरधारकों के संकल्प द्वारा अनुमोदन के अधीन श्री लंका प्रसन्ना (डीआईएन 0696684) को प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है जिन्हें 09.09.2016 से 31.03.2017 तक 6 माह की अवधि के लिए आन्ध्रा बैंक से प्रतिनियुक्त किया गया था तथा पुनः 01.04.2017 से 31.08.2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है।

पदनाम में परिवर्तन : श्री आर. पद्मनाभन (डीआईएन 05150263), श्री वाई अमरनाथ (डीआईएन 07251270) एवं एम. एन. सुधाकर (डीआईएन 07517774) को दि. 16.05.2016 से 29 अगस्त 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियमित किया गया है।

**पदत्याग :**

श्री डी. दुर्गा प्रसाद, (डीआईएन 07031463), दि. 05.03.2015 से बोर्ड में थे एवं महा प्रबंधक के रूप में आन्ध्रा बैंक की सेवा से अपनी अधिवर्षता के कारण पदत्याग किया एवं इसे दि. 01.08.2016 को स्वीकृत किया गया।

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों से घोषणापत्र पर विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं है।**

**विशेष संकल्प द्वारा द्वितीय अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर धारा 149(10) के अंतर्गत प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं है।**

**7. निदेशकों का दायित्व विवरण :**

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि :**

(क) वार्षिक खाते तैयार करने में, महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के संबंध में सही स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियाँ चुनी हैं एवं उनको निरंतर लागू की हैं एवं इनका युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण होने का निर्णय एवं अनुमान किया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही एवं निष्पक्ष सर्वेक्षण किया जा सके;

(ग) इस अधिनियम के अनुसार, निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की रक्षा करने के लिए एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएँ रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है;



## BOARD'S REPORT

### To the Members,

The Directors have pleasure in presenting before you the 26 th Annual Report of the Company together with the Audited Statements of Accounts for the year ended 31st March, 2017.

1. The Financial Highlights of the Company for the year ended 31.03.2017 is summarized as below:

(Rs .in Lakhs)

Particulars	2016-17	2015-16
Gross Income	188.18	188.13
Profit before interest and Depreciation	173.30	153.37
Finance Charges	Nil	Nil
Gross profit	173.45	153.37
Provision for Depreciation	0.08	0.14
Net Profit before Tax	173.37	153.23
Provision for Tax	56.38	49.70
Balance of Profit Brought forward	116.99	103.53
Balance available for appropriation	116.99	103.53
Proposed Dividend on Equity Shares	Nil	Nil
Tax on Proposed Dividend	Nil	Nil
Transfer to General Reserve	Nil	Nil
Surplus Carried to Balance Sheet	116.99	103.53

The Income mainly consists of interest on Bank Deposits. The Company earned a profit of Rs.116.99 lakhs during the year 2016-17 after providing for depreciation and income tax. The Company has still an accumulated loss of Rs. 695.47 lakhs as on 31.03.2017 (Rs. 812.46 lakhs in 2015-16)

### 2. EVENTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF FINANCIAL STATEMENTS:

There are no material changes and commitments affecting Financial position of the Company between 31st March and the date of Board's report.

### 3. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There is no Change in the Nature of the Business

**4 DIVIDEND:** No dividend is recommended during the Financial Year 2016-17.

**5. BOARD MEETINGS:** The Board of Directors met 6 times during this financial year on the following dates:

- 1) 16-05-2016    2) 27-05-2016    3) 05-08-2016  
4) 02-09-2016    5) 31-12-2016    6) 28-03-2017

### 6. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL;

Following are the particulars of appointments, changes in designations and resignations of the Directors and KMP during the financial year.

#### Appointments:

Pursuant to the provisions of Section 160 of the Companies Act 2013, Shri.R.Padmanabhan (Din 05150263), Shri Y.Amarnath (Din 07251270) and M.N.Sudhakar (Din 07517774) were appointed as Additional Directors of the Company w.e.f. 16-05-2016 .

Pursuant to Sec.196, 197, and 203 of companies Act 2013, and Schedule 5 to the Act including any other modification or reenactment thereof and subject to the approval by a resolution of the Share holders in General meeting, Mr.Lanka Prasanna (Din 0696684) has been reappointed as Managing Director of the Company on deputation from Andhra Bank for a period of 6months commencing from 09-09-2016 to 31-03-2017 and again the period is extended for one year from 01-04-2017 to 31-03-2018.

#### Change in Designation:

Shri R.Padmanabhan (Din 05150263) and Shri Y.Amarnath (Din 07251270) and Shri M.N.Sudhakar (Din 07517774) were appointed as Additional Directors on 16.05.2016 were regularized as Directors at Annual General Meeting held on 29th August 2016.

#### Resignations:

Shri D.Durga Prasad, (Din 07031463) who has been on the Board since 05-03-2015 resigned from the Board on account of his superannuation from Andhra Bank's Service as an executive Director and the same was accepted w.e.f 01-08-2016.

**Statement on declaration from Independent Directors under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company**

**Disclosure u/s 149(10) on appointment of independent directors for the second term by way of special resolution is not applicable to the Company**

### 7. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

**In pursuance of section 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors hereby confirm that:**

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;



(घ) निदेशकों ने वार्षिक खाते गोइंग कंसेर्न आधार पर तैयार किया है; एवं कंपनी पर खंड (ड.) लागू नहीं है।

(ड.) निदेशकों ने लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सही पद्धतियाँ तैयार किया है एवं ऐसी पद्धतियाँ पर्याप्त एवं सक्षमता से परिचालित हैं।

## 8. वार्षिक रिटर्नों का सार :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) अपेक्षित अनुसरण के अनुसार फार्म संख्या एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्नों का सार अनुबंध के रूप में संलग्न है।

**9. लेखापरीक्षक :** भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने मेसर्स घंटासला एवं कं., सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधान कंपनी पर लागू हैं।

**10. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी की खपत एवं विदेशी विनिमय व्यय का संरक्षण :** कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 134 (3) (एम) नियम 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण की अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा, प्रौद्योगिकी की खपत एवं विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय के संरक्षण के संबंध में ब्यौरा या तो शून्य है या लागू नहीं है।

**11. जमाओं संबंधी ब्यौरा :** चूंकि कंपनी कोई जमाएँ स्वीकार नहीं करती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73, 74 एवं 76 एवं कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (5) (वी) की अपेक्षाएँ लागू नहीं हैं।

**12. विनियामकों द्वारा पारित सार्थक एवं महत्वपूर्ण आदेश :** निरंतरता की स्थिति एवं भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों, न्यायालयों एवं ट्रिबुनल द्वारा पारित सार्थक महत्वपूर्ण आदेश नहीं हैं।

**13. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का ब्यौरा :** कंपनी के पास, अपनी आस्तियों की रक्षा करने, धोखाधड़ी एवं अन्य त्रुटियाँ रोकने एवं पता लगाने, लेखा रिकार्डों की सटीकता एवं संपूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने के लिए, अपने परिचालनों के सुव्यवस्थित एवं सक्षम आयोजन, कंपनी की नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

**14. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का ब्यौरा :** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति या निकाय कॉर्पोरेट को कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है और न ही किसी निकाय कॉर्पोरेट में निवेश किया है।

**15. जोखिम प्रबंधन नीति :** कंपनी तिमाही आधार पर जोखिम प्रोफाइल टैपलेट प्रस्तुत करते हुए अपने मूल संगठन के साथ सही रिपोर्टिंग सिस्टम बनाए रखता है।

**16. संबंधित पार्टी लेनदेन :** धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पार्टी के साथ किए गए करार अथवा व्यवस्था के विवरण शून्य अथवा लागू नहीं है।

**17. प्रत्येक निदेशक को पारिश्रमिक अनुपात :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

## 18. कंपनी को नियंत्रित संबद्ध कानून द्वारा अपेक्षित उद्योग आधारित प्रकटीकरण :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), जो जनता के जमाओं की स्वीकृति/होल्ड करती हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि को प्रथम अनुसूची द्वारा रिटर्न फाइल करनी है।

एनबीएफसी, जो जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं करते हैं, को निदेशक बोर्ड की बैठक में संकल्प लेना है तथा बाद में अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 30 दिन के अंदर संकल्प लेना होगा।

कंपनी ने जनता के सभी जमाओं का भुगतान किया तथा शेष राशि शून्य है तथा कंपनी वर्ष के दौरान जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं कर रही है तथा जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं करेगी। कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं करेगी।

## 19. कर्मचारियों के विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 5 के अनुसरण में कोई कर्मचारी जहाँ वह वर्ष में आंशिक रूप से कार्यरत है, रु.60,00,000/- प्रति वर्ष अथवा अधिक या रु.5,00,000/- प्रति माह अथवा अधिक का पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

## आभार:

निदेशक कंपनी को सहयोग, सहायता एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक तथा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को धन्यवाद देते हैं। निदेशक मूल बैंक याने आन्ध्रा बैंक के सहयोग एवं दिशा-निर्देश हेतु आभार प्रकट करते हैं। बोर्ड निदेशकों के कार्यकाल के दौरान बोर्ड में उनकी सेवाओं तथा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की भी प्रशंसा करता है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: हैदराबाद  
दिनांक : 08.05.2017

(सतीश कुमार कालरा)  
अध्यक्ष



(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

**Clause (e) is not applicable to the company**

(f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

**8. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:**

As required pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of annual return in Form No. MGT 9 is enclosed as ANNEXURE I

**9. AUDITORS;** The Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s Ghantasala & Co, Chartered Accountants, Hyderabad as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2016-17. The provisions of Sections 139 and 143 of the Companies Act, 2013 are applicable to the Company.

**10. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE OUTGO:**

The particulars relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and outgo, as required to be disclosed under Section 134 (3) (m) Rule 8 of Companies (Accounts) Rules, 2014 are either NIL or are not applicable.

**11. DETAILS RELATING TO DEPOSITS:** As the Company is not accepting any deposits, the requirements of Sections 73, 74, & 76 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(5) (v) of Companies (Accounts) Rules 2014 are not applicable.

**12. SIGNIFICANT & MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS:** There are no significant material orders passed by the regulators and Courts or Tribunals impacting the going concern status and the company's operations in future.

**13. DETAILS OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS :** The Company has effective internal financial controls that ensure orderly and efficient conduct of its operations, adherence to the company's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information.

**14. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS:** The Company has not given any loan or guarantee to any person or body corporate nor invested in any body corporate during the financial year pursuant to Section 186 of Companies act 2013.

**15. RISK MANAGEMENT POLICY:** The Company is maintaining proper reporting system with its Parent organization by submitting risk profile template on quarterly basis.

**16. RELATED PARTY TRANSACTIONS:** The particulars

relating to contracts or arrangements with related parties referred to in section 188(1) are either nil or not applicable

**17. RATIO OF REMUNERATION TO EACH DIRECTOR:** Provisions relating to Section 197(12) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

**18. INDUSTRY BASED DISCLOSURES AS MANDATED BY THE RESPECTIVE LAWS GOVERNING THE COMPANY:**

As per the directions of Reserve Bank of India, Non Banking Financial Companies (NBFCs) accepting / holding Public Deposits have to file Return in First Schedule as on the date of closure of every financial year.

NBFCs not accepting public deposits should pass a resolution in the Board of Directors' meeting and thereafter within 30 days of the commencement of the next financial year to the effect

Our company has repaid all the public deposits and the outstanding is 'Nil' and the company is not accepting public deposits nor would accept public deposits during the year. The Company will not accept the deposits from the public during Financial Year 2017-18.

**19. Particulars of Employees:**

Pursuant to Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration Managerial Personnel) Rule 2014 of the Companies Act, 2013, there are no employees who are in receipt of remuneration of Rs.60,00,000/- or more per annum or Rs.5,00,000/- or more per month where employed for a part of the year.

**ACKNOWLEDGEMENTS:**

The Directors thank Reserve Bank of India and Comptroller & Auditor General of India for their valuable guidance, support and cooperation to the Company. The Directors gratefully acknowledge the support and direction provided by the parent bank i.e, Andhra Bank. The Board further places on record its appreciation for the services rendered and valuable guidance provided by the directors during their tenure on the Board.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Place: Hyderabad

Date: 08.05.2017

(Satish Kumar Kalra)  
Chairman



**अनुबंध - I  
फार्म सं.एमजीटी-9**

दि. 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक विवरणी का सार  
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम,  
2014 के नियम 12(1) के अनुक्रमण में]]

**I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:**

- i) सीआईएन :-U65910TG1991PLCO12376
- ii) पंजीकरण तिथि : 25.02.1991
- iii) कंपनी का नाम : आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड
- iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : सार्वजनिक लिमिटेड
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :  
4-5-1 से 23, आन्ध्रा बैंक भवन, सुल्तान बाजार, कोठी, हैदराबाद -500095
- vi) क्या सूचीकृत कंपनी है : नहीं
- vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो : लागू नहीं

**II. कंपनी की मूल व्यवसाय गतिविधियाँ**

कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% या अधिक प्रदान करने वाली व्यवसाय गतिविधियाँ सूचित की जाएंगी : कंपनी में किसी भी प्रकार की मूल व्यवसाय गतिविधि नहीं है ।

**III. धारिता, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों का विवरण -**

क्र.सं	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारिता/ अनुषंगी/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	आन्ध्रा बैंक 5-9-11, डॉ. पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद -500004	लागू नहीं	धारिता	100	कंपनी अधिनियम, 2013 की 2(46)

**IV. शेयर धारिता का स्वरूप (कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी के आंकड़े)**

- i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	
A. प्रवर्तक									
(1) भारतीय		43	43			43	43		शून्य
क)व्यक्ति/ एचयुएफ									
ख)केंद्र सरकार									
ग)राज्य सरकार									
घ)निकाय .निगम									
ड.)बैंक / वि सं	शून्य	49,99,957	49,99,957	100	शून्य	49,99,957	49,99,957	100	शून्य
(ए) (1):-	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य



**ANNEXURE - I**

Form No. MGT-9

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

as on the financial year ended on 31-03-2017

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:**

- i) CIN:-U65910TG1991PLCO12376
- ii) Registration Date: 25.02.1991
- iii) Name of the Company: ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED
- iv) Category / Sub-Category of the Company: PUBLIC LIMITED
- v) Address of the Registered office and contact details:  
4-5-1 TO 23,Andhra Bank Bldgs,Sultan Bazar ,Koti Hyderabad-500095
- vi) Whether listed company: No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any : NA

**II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:- There are no principal business activities in the Company.

**III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -**

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY / ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	Andhra Bank 5-9-11, Dr. Pattabhi Bhavan, Saifabad, Hyderabad – 500004	NA	HOLDING	100	2(46) of Companies Act, 2013

**IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)**

*i) Category-wise Share Holding*

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year			% Change during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Dem at	Physical	Total		% of Total Shares
A.Promoters	-								
(1) Indian									
a)Individual/ HUF		43	43			43	43		NIL
b)Central Govt									
c)State Govt(s)									
d)Bodies Corp.									
e)Banks / FI F Any Other....	NIL	49,99,957	49,99,957	100	NIL	49,99,957	49,99,957	100	NIL
Sub-total									
(A) (1):-	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL
(2) Foreign									
NRIs -Individuals									
Other -Individuals									
Bodies Corp.									
Banks / FI									
Any Other....									
Sub-total									



शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों	
2) विदेशी क) एनआरआई-व्यक्ति ख) अन्य व्यक्ति ग) निकाय निगम घ) बैंक/वि सं ड.) अन्य उप - जोड़ (ए) (2) प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए) = (ए)(1) + (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य
ख) सार्वजनिक शेयरधारिता 1) संस्थाएं क) म्यूचुअल फंड बैंक/वि सं केन्द्र सरकार राज्य सरकार उद्यम पूंजी निधि बीमा कंपनियाँ एफआईआई विदेशी उद्यम पूंजी निधि अन्य									
उप - जोड़ (बी) (1): 2 गैर संस्थाएं क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रु तक के इधिकत शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रु से अधिक के अधिकृत शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (स्पष्ट करें) उप - जोड़ (बि) (2): कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सार्वजनिक शेयरधारिता (बि) = (बि)(1) + (बि)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग जीडीआर व एडीआर के अभिरक्षकों द्वारा रखे गाए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जोड़ (क + ख + ग)	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य



Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year			% Change during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Dem at	Physical	Total		% of Total Shares
Total shareholding of Promoter									
(A) =					NIL				
(A)(1)+(A)(2)	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL
B. Public Shareholding									
1.									
Institutions									
a) Mutual Funds Banks / FI									
Central Govt									
State Govt									
Venture Capital Funds									
Insurance Companies									
FIs Foreign Venture Capital FUNDS									
i) Others (specify)									
Sub-total (B) (1):- 2. Non-	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Institutions									
a) Bodies									
Corp. Indian Overseas									
b) Individuals									
Individual shareholders holding nominal share capital upto									
Rs. 1 lakh									
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify)									
Sub-total									
(B) (2):-	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total Public Shareholding									
(B)=(B)(1)+(B)(2)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL





**(ii) प्रवर्तक शेयरधारिता**

क्रं सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए / ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए / ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
1	आन्ध्रा बैंक	49,99,957	100	-----	49,99,957	100	-----	शून्य
2	आर पद्मनाभन	9		-----	9		-----	189%
3	सी बालसुब्रमन्यम	3		-----	3		-----	100%
4	पी आर के मूर्ति	8		-----	8		-----	100%
5	डी दुर्गा प्रसाद	7		-----	7		-----	शून्य
6	वी एम पार्थसारथी	5		-----	5		-----	100%
7	वी बी भागवती	5		-----	5		-----	शून्य
8	एस वी वी सुब्रमन्यन	4		-----	4		-----	100%
9	वाई अमरनाथ	2		-----	2		-----	300%
10	एम.एन. सुधाकर	0		-----	5		-----	शून्य
11	यूवीवीएल प्रसाद	0		-----	3		-----	शून्य
	कुल	50,00,000	100	-----	50,00,000	100	-----	शून्य

**(iii) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो कृपया बताएं): वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन नहीं है ।**

**(iv) उच्चतम दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशक प्रवर्तक तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों के अलावा): लागू नहीं**

**(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता: शून्य**

सं.	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशकों एवं केएमपी लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारम्भ में	21		33	
	वृद्धि कमी का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान वृद्धि कमी की तिथि वार शेयरधारिता में कमी । उदा आबंटन अंतर बोनस स्वेट ईक्विटी इत्यादि:	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	21	लागू नहीं	33	लागू नहीं

**V. ऋणग्रस्तता**

बकाया उपचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता जो भुगतान के लिए देय नहीं है ।



**(ii) Shareholding of Promoters**

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	ANDHRA BANK	49,99,957	100	-----	49,99,957	100	-----	NIL
2	R. Padmanabhan	9		-----	17		-----	189%
3	C. Balasubrahmanyam	3		-----	0		-----	100%
4	P.R.K. Murthy	8		-----	0		-----	100%
5	D. Durga Prasad	7		-----	7		-----	Nil
6	V.M. Parthasarathi	5		-----	0		-----	100%
7	V.B. Bhagavathi	5		-----	5		-----	Nil
8	S.V.V. Subramanian	4		-----	0		-----	100%
9	Y. Amarnath	2		-----	6		-----	300%
10	MN.Sudhakar	0		-----	5		-----	nil
11	UVVLPrasad	0		-----	3		-----	nil
	<b>Total</b>	50,00,000	100		50,00,000	100		

**(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change):** There is no change in Promoters' Shareholding during the Financial Year 2016-17

**(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):** NA

**(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	<b>At the beginning of the year</b>	21		33	
	<b>Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g.allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):</b>	NIL	NA	NIL	NA
	<b>At the End of the year</b>	21	NA	33	NA

**V. INDEBTEDNESS**

**Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment**

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>Total (i+ii+iii)</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>



	जमाके अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाराशि	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज पर भुगतान नहीं किया गया।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) उपचित ब्याज पर देय नहीं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष दौरान ऋणग्रस्तता मे परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• जोड • कमी निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मुल राशि				
ii) देय ब्याज पर भुगतान नहीं किया गया।				
iii) उपचित ब्याज पर देय नहीं।				
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

**VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारितोषिक**

क) प्रबन्ध निदेशक पुर्णकालिक प्रबन्धक एवं या प्रबन्धक को पारितोषिक

क्रं स	पारितोषिक का विवरण	एमडी का नाम : श्री लंका प्रसन्ना				
					कुल राशि	
1	सकल वेतन क) आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17 1 में निहित प्रवधानों के अनुसार वेतन ख) आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17 2 में निहित परिलब्धियों के अनुसार वेतन ग) अधिनियम 1961 की धारा 3 17 के अनुसार वेतन के बदले लाभ शून्य	₹ 11.38 लाख प्रतिवर्ष शून्य				₹ 11.38 लाख प्रतिवर्ष शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य				शून्य
3	स्वेट ईक्विटी	शून्य				शून्य
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन	शून्य				
5	अन्य कपया स्पष्ट करें	शून्य				शून्य
	कुल (ए)					₹ 11.38 लाख प्रतिवर्ष.
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा	₹ 30 लाख प्रतिवर्ष				



Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	Nil	Nil	NIL	Nil
Net Change	Nil	Nil	Nil	Nil
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>Total (i+ii+iii)</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

## VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

### A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of MD: Mr. Lanka Prasanna				Total Amount
		----	---	---	----	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	Rs. 11.38 Lacs p.a.				Rs.11.38Lacs p.a.
		NIL				NIL
		NIL				NIL
2	Stock Option	Nil				NIL
3	Sweat Equity	Nil				NIL
4	Commission - as % of profit - others, specify...	Nil				NIL
5	Others, please specify	Nil				NIL
	Total (A)					Rs. 11.38 Lacs p.a.
	Ceiling as per the Act	Rs. 30 Lacs p.a.				



## ख अन्य निदेशकों को पारितोषित: शून्य

क्र.सं.	पारितोषिक का विवरण	नदेशकों का नाम	कुल राशि
	3.स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया स्पष्ट करें		शून्य
	कुल (1) 4. अन्य गैर -कार्यपालक निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग • कमीशन • अन्य, कृपया स्पष्ट करें		शून्य
	कुल (2)		शून्य
	कुल (ख)=(1+2)		शून्य
	कुल प्रबन्धकीय पारितोषिक		11.38 लाख रु प्रति वर्ष
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा		30 लाख रु प्रति वर्ष

## ग. प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धक/ डब्ल्यूटीडी के अलावा महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय अधिकारियों को पारितोषिक : शून्य

क्र.सं.	पारितोषिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय अधिकारी			
		सीईओ	कंपन सचिव	सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन ग) आय - कर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रवधानों के अनुसार वेतन घ) अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) में निहित परिलब्धियों के अनुसार मुल्य ग) अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्वेट ईक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	लाभ के प्रतिशात के रूप में कमीशन अन्य-स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अन्य-स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	---	---	---	---

## VII. दंड/सजा/कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेंसिस - शून्य

प्रकार	कंपनीज अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/ कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि अपील, यदि हो (विवरण दें)
<b>क. कंपनी</b>					
दंड					
सजा					
कम्पाउंडिंग					
<b>ख निदेशक</b>					
दंड					
सजा					
कम्पाउंडिंग					
<b>ग . अ न्य चूक कर्ता अ अधिकारी</b>					
दंड					
सजा					
कम्पाउंडिंग					



**B. Remuneration to other directors: Nil**

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
	3. Independent Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify					Nil
	Total (1)					Nil
	4. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify					Nil
	Total (2)					Nil
	Total (B)=(1+2)					Nil
	Total Managerial Remuneration					Rs. 11.38 Lacs p.a.
	Overall Ceiling as per the Act					Rs. 30 Lacs p.a.

**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD: NIL**

	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	NA	NA	NA	NA
2.	Stock Option	NA	NA	NA	NA
3.	Sweat Equity	NA	NA	NA	NA
4.	Commission as % of profit - others, specify...	NA	NA	NA	NA
5.	Others, please specify	NA	NA	NA	NA
	Total	-----	-----	-----	-----

**VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL**

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give Details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					



घंटसला एवं कं.,

सनदी लेखाकार

#3-6-700 एवं 701,103 सिनेटा अपार्टमेंट

एसटी. नं. 11, हिमायतनगर

हैदराबाद 500 029

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

**यह लेखा रिपोर्ट मद 3 में वर्णित अनुसार भारत के सी. एंड.ए.जी. के प्रेक्षक में हमारी पूर्व लेखा रिपोर्ट की संशोधित रिपोर्ट है।**

**सेका मे: आन्धा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड के सदस्य**

## स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने आन्धा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें मार्च 31, 2017 तक तुलनपत्र सम्मिलित है तथा समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद-प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ एवं अन्य विवरणात्मक सूचना सम्मिलित हैं।

## स्टैंडलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

प्रबंधन इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में संदर्भित लेखा-मानकों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा कंपनी नियम, 2014 के नियम 7 के साथ अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-मानकों सहित, भारत में स्वीकृत लेखा-मानकों के अनुरूप नकद-प्रवाह का यथार्थ एवं उपयुक्त चित्रण है। इस दायित्व में कंपनी के आस्तियों की सुरक्षा तथा बचाव तथा धोखा-धड़ी की पहचान तथा अन्य अनियमितताएं; चयन तथा उपयुक्त लेखा नीतियों का आवेदन; निर्णय करने तथा आकलन कि वह तर्क-संगत तथा विवेकपूर्ण है तथा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण तथा तैयारी के संबंध में लेखा रिकार्ड की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु कि समुचित परिचालन हो रहे थे, उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव व डिजाइन सम्मिलित है, जो यथार्थ एवं उपयुक्त पक्ष प्रस्तुत करता है तथा चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण किसी महत्वपूर्ण गलत सूचना से मुक्त है, हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव भी सम्मिलित है।

## लेखा परीक्षकों का दायित्व

लेखा परीक्षा पर आधारित इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

हमने अधिनियम के प्रावधान, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों तथा तथ्य जो कि लेखा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों तथा उसमें निर्मित नियमों के अंतर्गत लेखा में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, सम्मिलित किया है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा पर मानकों के अनुरूप किया है। मानकों के

अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक

अपेक्षाओं तथा योजना का अनुपालन करें तथा उचित आश्वासन लेने हेतु लेखा-परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत सूचना से मुक्त है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि के बारे में लेखा-प्रमाण प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं अपनाना तथा प्रकट करना सम्मिलित है। चुनी हुई प्रक्रियाएँ चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण, वित्तीय विवरणों की गलत सूचना के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों के समय, लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-प्रक्रियाओं हेतु वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण तथा कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा लेखा-अनुमानों की उपयुक्तता तथा लेखा-नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन सम्मिलित है। हम यह मानते हैं कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों हमारे द्वारा प्राप्त लेखा प्रमाण हमारी लेखा संबंधी राय हेतु आधार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

## राय

हमारी राय एवं सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना इस प्रकार देते हैं कि 31 मार्च 2017 को कम्पनी की व्यवसाय स्थिति तथा समाप्त वर्ष हेतु उस तिथि को इसकी नकद प्रवाह तथा इसकी आमदनी तथा आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित अपेक्षित पक्ष रखें।

## एनबीएफसी को सूचित किए जाने वाले अन्य विषय

कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन किया था तथा एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन को निरस्त करते हुए दि.28.01.2005 को भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना प्राप्त हुई।

आगे भारतीय रिजर्व बैंक का पत्र दि.28.01.2005 के निर्देश के अनुसार, कंपनी ने अपने कुछ शेयर जो मूर्त रूप में हैं, को छोड़ते हुए अपने सभी वित्तीय आस्तियों को समाप्त करा दिया है। तथापि, कंपनी ने गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्थान के रूप में कंपनी को माने जाने हेतु अनुरोध के साथ दि.09.01.2008 के अपने पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्ताव दिया है। इसके उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने दि.05.12.2008 को उत्तर दिया है कि वर्णित विषय-वस्तु को रिकार्ड में लिया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने जनता से जमाएं नहीं स्वीकारने का संकल्प पारित किया है। तदनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं की है।

चूंकि बैंक किसी गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधि में सम्मिलित नहीं है, आय-निर्धारण, लेखा मापदंड, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड इसमें लागू नहीं है।



**GHANTASALA & CO.,**

Chartered Accountants # 3-6-700 & 701,  
103 Senate Apts St.No.11, Himayathnagar  
Hyderabad - 500029

**Independent Auditor’s Report**

**This Audit report is a revised Independent Auditors Report to override to our earlier independent Audit report in the light of observations of C & AG of India as mentioned at 3 of the report**

**To The Members of Andhra Bank Financial Services Limited**

**Report on the Standalone Financial Statements**

We have audited the accompanying standalone financial statements of Andhra Bank Financial Services Limited (‘the Company’), which comprise the balance sheet as at 31 March 2017, the statement of profit and loss and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management’s Responsibility for the Standalone Financial Statements**

The Company’s Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 (“the Act”) with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditor’s Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those

Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company’s preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company’s Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

**Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2017 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

**Other matters required to be reported for NBFC**

The Company was applied for registration as per the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and received a communication from Reserve Bank of India on 28.01.2005 rejecting the application for certificate of registration as an NBFC

Further as per the directions of Reserve Bank of India vide letter dated 28.01.2005, the company has disposed off all its financial assets except certain shares which are in the physical form. However, the Company has approached Reserve Bank Of India, vide their letter dated 09.01.2008 with a request to treat the company as Non Bank Non Financial Institution. In response to this Reserve Bank of India replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned on record.

The Board of Directors of the Company has passed a resolution for non acceptance of any public deposits. Accordingly the Company has not accepted any public deposits during the financial year.

As the Company is not carrying out any non banking financial activities, the prudential norms relating to the income recognition, accounting standards, asset classification and provision of bad and doubtful debts are not applicable to it.





## अन्य विधि तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण अनुबंध ए में दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित अनुसार, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:
  - क) हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
  - ख) हमारे विचार में, विधि द्वारा अपेक्षित बही खातों की हमारे द्वारा की गई जाँच से जान पड़ता है कि अब तक कंपनी द्वारा नियमानुसार ही बही खातों का उचित रखरखाव किया गया है।
  - ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।
  - घ) हमारे विचार में, पूर्वोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 7 सहित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट खाते मानकों के अनुरूप है।
  - ङ) मार्च 31, 2017 के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया, कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के नियमों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।
  - च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में तथा ऐसी नियंत्रण का प्रभावी परिचालन, **अनुबंध ख** में हमारे विशिष्ट रिपोर्ट का संदर्भ लें। तथा
  - छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:.
    - (i) कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमे के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - वित्तीय विवरण का अनुबंध सी का संदर्भ लें।
    - (ii) कंपनी ने कोई प्रत्याशित हानि हेतु लागू नियम अथवा खाता मानकों के अनुसार प्रावधान किया है।
    - (iii) कंपनी निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि के लिए

किसी राशि अंतरण के लिए अपेक्षित नहीं है।

(iv) अधिसूचना सं.जी.एस.आर.(308) इ दिनांक 30/03/2017 में वर्णित परिकल्पना कंपनी के लिए लागू नहीं है चूंकि कंपनीके पास 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 के मध्य कोई विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एस. बी. एन.) नहीं थे।

3. सी & ए जी के अवलोकन व पत्र दिनांक 26/05/2017 पर कंपनी अधिनियम 143(5) अंतर्गत निर्देशोंपर रिपोर्ट निम्न है
  1. कम्पनी के अधिपत्य में अथवा पट्टेवाली कोई सम्पत्ति नहीं है।
  2. छूट, ऋण को बट्टे खाते में डालने व ब्याज आदि का लेखा परीक्षा वर्ष के अंतर्गत कोई प्रकरण नहीं है।
  3. कंपनी की मशीनरी जो कि अव्यवसायिक पट्टे पर एम/एस इंकैब इंडस्ट्री लि. कोलकोता के पास है। कम्पनी ने इसका कोई पट्टा ऋण अक्टूबर 1992 से प्राप्त नहीं किया है। अतएव सम्पत्ति की वित्तीय वर्ष 2016-17 के पूर्व खाते की वही में कीमत 1 रु. है।

लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई सम्पत्ती उपहार /अनुदान स्वरूप प्राप्त नहीं की है।

### घंटसला एवं कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000921एस

### हुंमायु शेख

साझेदार

सदस्यता सं.: 217227

हैदराबाद

दिनांक 30/05/2017



**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order.
2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
  - (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - (b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
  - (c) the balance sheet, the statement of profit and loss and the cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
  - (d) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
  - (e) on the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2017 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;
  - (f) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B"; and
  - (g) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
    - (i) the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. - Refer Annexure C to the financial statements.
    - (ii) the Company has made provisions wherever applicable as per law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any.
    - (iii) The Company is not required to transfer any amount to the Investor Education and Protection Fund.
    - (iv) The disclosure requirements as envisaged in Notification No. G.S.R.308(E), dated 30.03.2017 is not applicable to the Company, as the

Company did not have any holdings or dealings in Specified Bank Notes (SBNs) during the period from 08th November 2016 to 30th December 2016.

3. as per the C & A G, observations and letter date: 26.05.2017 We report on Directions u/sec 143(5) of the Companies Act, 2013 as under
  1. The company does not have any free hold or lease hold landed properties.
  2. There are no cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc during the year under audit.
  3. The Machinery of the Company which is given on lease is lying with M/s Incab Industries Ltd, Kolkatta. The Company has not received its lease rentals since October 1992. Hence the asset is valued at Rs.1/- in the books of accounts prior to the financial year 2016-17.

Further the Company has not received any asset(s) as gift / grant(s) from the Government or other authorities during the year under audit.

**for GHANTASALA & Co.**

Chartered Accountants

Firm's registration number: 000921S

**HUMAYUN SHAIK**

Partner

Membership number: 217227

Hyderabad

Date: 30.05.2017



## लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध - ए

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणी पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संदर्भित अनुबंध:

(i) (क) कंपनी पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड रख रही है, जिसमें मात्रात्मक विवरण तथा अचल आस्तियों की स्थिति सम्मिलित है।

(ख) कंपनी अपने अचल आस्तियों की भौतिक जाँच के लिए नियमित कार्यक्रम कर रही है जिसके द्वारा भौतिक आस्तियों की चरणबद्ध तरीके से जाँच की जाती है। इन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की जाँच की गई थी तथा ऐसी जाँचों में कोई विसंगति नहीं पाई गई थी। हमारी राय में, भौतिक जाँच की यह आवधिकता कंपनी का आकार तथा इनके आस्तियों की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त है।

(ii) कंपनी के पास मूर्त रूप में शेयर का स्टॉक है। प्रबंधन द्वारा, उचित अंतराल पर स्टॉक की भौतिक रूप से जाँच की गई है तथा कोई विसंगतियां नहीं पाई गई थी।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ( ६६६६६६ ) की धारा 189 के अंतर्गत रखी गई रजिस्टर में कवर किए गए व्यक्तियों के लिए कोई ऋण स्वीकृत नहीं किए गए। अतः आदेश का पाराग्राफ 3(iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(iv) कंपनी के पास कोई ऋण तथा निवेश नहीं है। अतः आदेश का यह खंड 3(iv) लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने आम नागरिक से कोई जमाएं स्वीकृत नहीं की है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवाएं हेतु अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड की रखरखाव निर्धारित नहीं की है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के हमारी परीक्षण के आधार पर, सेवा कर तथा आय कर सहित निर्विवाद सांविधिक देय के संबंध आहरित /खाता की बही में जमा की गई राशि उपयुक्त प्राधिकारियों सहित कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा की गई है।

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आय-कर, सेवा-कर के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए दि. 31मार्च 2017 को बकाया में नहीं थे।

(viii) कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार, अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण अथवा उधार नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(viii) लागू नहीं है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (कर्ज इंस्ट्रुमेंट) तथा मीयादी ऋण द्वारा कोई राशि उगाही नहीं की है। तदनुसार, आदेश का पाराग्राफ 3(ix) लागू नहीं है।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अथवा इनके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखा-धड़ी हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान सूचित अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V सहित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुमोदित मैनडेटेड के अनुरूप प्रबंधन लाभ हेतु भुगतान/प्रावधान किया है।

(xii) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, जहाँ भी लागू है कंपनी के रिकार्ड, पार्टियों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुसार है तथा ऐसे लेन-देन को लागू खाता मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी स्थानन नहीं किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने अपने से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पाराग्राफ 3(xv) लागू नहीं है।

(xvi) पंजीकरण हेतु कंपनी का आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र सं. डीएनबीएस (एच) सीएमएस नं. 2238/एचवाईक्यू 0472/2004-5, दि. 28.01.2005 द्वारा निरस्त कर दिया था तथा कंपनी के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में व्यवसाय करने हेतु एक विशिष्ट बोर्ड संकल्प पारित करना अपेक्षित है।

### घंटसला एवं कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000921एस

### हुंमायु शेख

साझेदार

सदस्यता सं.: 217227

हैदराबाद

दिनांक 30/05/2017



### Annexure - A to the Auditors' Report

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31 March 2017, we report that:

- (i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets
- (b) The Company has a regular programme of physical verification of its fixed assets by which fixed assets are verified in a phased manner. In accordance with this programme, fixed assets were verified during the year and no discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.
- (ii) The Company has stock of Shares in Physical form. The physical verification of stock has been conducted at reasonable intervals by the Management and no discrepancies were noticed.
- (iii) The Company has not granted any loans to persons covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013 ('the Act'). Hence paragraph 3(iii) of the Order is not applicable to the Company.
- (iv) The Company does not have any loans and investments. Hence this clause 3 (iv) of the Order is not applicable.
- (v) The Company has not accepted any deposits from the public.
- (vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, for any of the services rendered by the Company.
- (vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including service tax, and income tax have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities.  
  
According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, service tax, were in arrears as at 31st March 2017 for a period of more than six months from the date they became payable.
- (viii) The Company does not have any loans or borrowings from any financial institution, banks, government or debenture holders during the year. Accordingly, paragraph 3 (viii) of the Order is not applicable.
- (ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3 (ix) of the Order is not applicable.

- (x) According to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.
- (xi) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has paid / provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of Sec 197 read with Schedule V to the Companies Act, 2013.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.
- (xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) The Company's application for registration was rejected by Reserve Bank of India vide their letter No. DNBS (H) CMS No.2238/HYQ 0472/2004-05, dated 28.01.2005 and required the company to pass a specific Board Resolution for not to carry on the business as Non Banking Financial Institution.

#### for GHANTASALA & Co.

Chartered Accountants

Firm's registration number: 000921S

#### HUMAYUN SHAIK

Partner

Membership number: 217227

Hyderabad

Date:30.05.2017



## लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध - बी

### कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 का उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दि.31 मार्च 2017 को आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा सम्मिलित है।

#### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर निर्देशात्मक नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव तथा स्थापित करने हेतु जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन, तथा रखरखाव सम्मिलित है, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित, कंपनी की नीतियों के पालन को सम्मिलित करते हुए, अपने व्यवसाय का उचित तथा कुशलता पूर्वक करना, अपनी आस्तियों का संरक्षण, रोकथाम तथा धोखाधड़ी तथा त्रुटि की पहचान, खाता रिकार्ड की पूर्णता तथा सटीकता, तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की यथासमय तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालन किए जा रहे थे।

#### लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशात्मक टिप्पणी के अनुसार की है तथा यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है। उन मानकों तथा निर्देशात्मक नोट में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षताओं तथा योजना का पालन करें तथा समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा ऐसे नियंत्रण सभी संबंधित विषय में प्रभावी रूप से था।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उसके प्रभावी परिचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धति सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में वस्तु दुर्बलता की वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम के मूल्यांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक व्याख्या प्राप्त करना सम्मिलित है तथा जाँच की गई जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी परिचालन तथा डिजाइन की जाँच तथा मूल्यांकन है। चयनित पद्धति वित्तीय विवरणों का विषय संबंधित गलत-सूचना के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है कि यह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उपयुक्त तथा समुचित आधार प्रदान करती है।

#### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समान्यतः स्वीकृत खाता सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उेश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निर्मित एक प्रणाली है।

#### एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां भी सम्मिलित हैं जो

(1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हो, कि युक्तिसंगत विवरण में, लेन-देन तथा कंपनी की आस्तियों का निपटान सटीकता पूर्वक तथा उचित रूप से प्रदर्शित करता हो; (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करता है कि लेन-देन साधारणतया स्वीकृत खाता सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के अनुमोदन के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया हो, तथा कंपनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय कंपनी के निदेशकों तथा प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया गया हो; तथा (3) कंपनी की आस्तियों के निपटान अथवा प्रयोग, अप्राधिकृत अधिग्रहण की यथासमय पहचान अथवा रोकथाम से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करता हो।

#### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, मिलिभगत की संभावनाओं अथवा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अवहेलना सहित, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत सूचना हो सकती है तथा उसकी पहचान नहीं हो पाई है। भविष्य अर्वाधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कोई मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम भरा है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, अथवा कि नीतियों अथवा पद्धतियों की अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

#### राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी विषयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशात्मक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मापदंड पर आधारित दि.31 मार्च 2017 को प्रभावी रूप से परिचालित हो रहे थे।

#### घंटसला एवं कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000921एस

#### हुंमायु शेख

साझेदार

सदस्यता सं.: 217227

हैदराबाद

दिनांक 30/05/2017



## Annexure - B to the Auditors' Report

### Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Andhra Bank Financial Services Limited ("the Company") as of 31 March 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

#### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

#### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is

sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

#### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

#### Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

#### Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

#### for GHANTASALA & Co.

Chartered Accountants

Firm's registration number: 000921S

#### HUMAYUN SHAIK

Partner

Membership number: 217227

Hyderabad

Date: 30.05.2017



## विधि मामलों पर आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध सी

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की उपलब्ध रिकार्ड की हमारी परीक्षण के आधार पर, कंपनी के पास वर्ष के दौरान निम्नलिखित लम्बित विधिक/विवाचन मामले :

### I. सिविल वाद

क्र.सं	विवरण	स्थिति
1.	विशेष न्यायालय, मुम्बई में 1998 का सिविल वाद सं. 1 - स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विरुद्ध आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड प्रतिवादी तथा आन्ध्रा बैंक, एच पी दलाल तथा अभिरक्षक प्रत्यर्थी हैं ।	प्रारंभ में सिविल वाद वर्ष 1992 की सं. 3764 के साथ दि. 27.11.1992 को उच्च न्यायालय, मुम्बई में दाखिल किया गया था, बाद में 1998 की सं. 1 के रूप में विशेष न्यायालय, मुम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया । इसकी सुनवाई 21-11-2014 को हुई । वादी ने मामला प्रारूप दाखिल हेतु समय की मांग की तथा न्यायालय ने 6 माह के लिए मामला स्थगित कर दिया । वर्तमान स्थिति में मामला दि. 17.02.2017 के लिए स्थगित है ।
2.	तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एवं पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) विरुद्ध आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की सिविल अपील सं. 2291-2292	<p>i. टीएनपीएल ने 1992 के प्रतिभूति लेन-देन में 24% ब्याज का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में एक सिविल वाद दाखिल किया। मद्रास उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने 24% की जगह पर 12% प्रति-वर्ष ब्याज हेतु आदेश दिया ।</p> <p>iii. ब्याज के नामंजूर भाग से व्यथित टीएनपीएल ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अन्य अपील (309/01) दाखिल करना उचित समझा ।</p> <p>iii. वाद की डीक्री से व्यथित, कंपनी ने अन्य अपील (328.01) दाखिल की जिसे मद्रास उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा स्वीकृत किया गया ।</p> <p>iv. टीएनपीएल द्वारा की गई ओएसए सं. 309/01 दि. 21.01.2010 को निरस्त कर दिया गया तथा कंपनी द्वारा दाखिल ओएसए 328/01 को आंशिक अनुमति दी गई। निर्णय के अनुसार कंपनी दि. 02.04.2001 से टीएनपीएल को प्राप्ति तिथि तक @12% ब्याज के साथ रु.880412 भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है ।</p> <p>v. कथित आदेश से व्यथित टीएनपीएल ने माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2010 की एसएलपी (सी) सं. 11659-11660 दाखिल की तथा दि. 01.03.2001 को अवकाश मंजूर किया गया । वाद नियमित सुनवाई हेतु नहीं आया था ।</p> <p>vi. दि. 05.04.2010 को कंपनी ने उच्च न्यायालय आदेश के अनुसार टीएनपीएल को देय राशि के समायोजन के पश्चात लागू ब्याज सहित मद्रास उच्च न्यायालय (रु. 1.42 करोड़) में जमा की गई राशि की धन-वापसी हेतु मद्रास उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 की अपील सं. 2718 दाखिल की। तदनुसार दि. 29.09.2010 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर विचार किया गया तथा टीएनपीएल को दि. 08.10.2010 से पहले कंपनी को राशि का भुगतान करने के लिए आदेश दिया गया ।</p> <p>vii. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दि. 29.09.2010 के उक्त आदेश से व्यथित, टीएनपीएल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तथा न्यायालय ने कंपनी को देय राशि की जमा की शर्त पर दि. 07.10.2010 को टीएनपीएल के लिए अंतरिम रोक स्वीकृत की ।</p> <p>viii. कंपनी द्वारा दाखिल 2010 की अपील सं. 2718 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय में टीएनपीएल द्वारा कुल राशि रु. 2.51 करोड़ जमा करने पर दि. 27.10.2010 बंद कर दिया गया था ।</p>



**ANNEXURE C referred to in our Report of even date to the members of Andhra Bank financial Services Limited on the legal matters.**

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the available documents, the Company has the following legal / arbitration cases pending during the year.

**I. CIVIL SUITS**

SL. NO.	PARTICULARS	STATUS
1.	Civil Suit No.1 of 1998 in the Special Court, Mumbai-Standard Chartered Bank (SCB) Vs Andhra Bank Financial Services Limited defendants and Andhra Bank, H.P.Dalal and the Custodian are the Respondents.	Initially the Civil Suit was filed in the High Court, Mumbai on 27.11.1992 numbered as 3764 of 1992, subsequently transferred to Special Court, Mumbai and numbered as 1 of 1998. It has come for hearing on 21.11.2014. The Plaintiff sought time to file draft issues and the Court adjourned the matter for 6 weeks. Latest position is that the case is adjourned to 17.02.2017. After that no communication has been received.
2.	Tamilnadu News Print & Papers Ltd (TNPL) Vs Andhra Bank Financial Services Ltd – Civil Appeal No.2291-2292 of 2011 before Supreme Court	<p>i. TNPL filed a civil suit in the High Court, Madras claiming interest at 24% in the security transactions of 1992. Division Bench of Madras High Court gave an order for interest at 12% p.a instead of 24%</p> <p>ii. Aggrieved by the disallowance portion of interest TNPL had preferred other side appeal (309/01) before Division Bench of Madras High Court.</p> <p>iii. Aggrieved by the decree of the Suit, the Company preferred other side appeal (328/01) which was admitted by Division Bench of Madras High Court</p> <p>iv. On 21.01.2010 the OSA No. 309/01 preferred by TNPL was dismissed and partly allow OSA 328/01 preferred by the Company. As per the judgment the Company is liable to pay Rs.880412 along with interest @12% p.a. from 02.04.2001 to till the date of realization to TNPL.</p> <p>v. Aggrieved by the said Order TNPL filed SLP (C) No,11659-11660 of 2010 before Hon'ble Supreme Court of India and Leave was granted on 01.03.2001. The suit was not come up for regular hearing.</p> <p>vi. On 05.4.2010 the Company has filed a petition No.2718 of 2010 in Madras High Court for refund of money deposited earlier in the Madras High Court (Rs.1.42 Crore) along with applicable interest after adjusting the money payable to TNPL as per High Court Order. Accordingly the petition was considered by Madras High Court on 29.09.2010 and ordered the TNPL to pay the amount to the Company before 08.10.2010 .</p> <p>vii. Aggrieved by the said order on 29.09.2010 by Madras High court, TNPL moved to the Hon'ble Supreme Court and the Court granted interim stay to TNPL on 07.10.2010 subject to deposit of amount payable to the Company.</p> <p>viii. The petition No.2718 of 2010 filed by the Company was closed on 27.10.2010 on deposit of a sum of Rs.2.51 Crore by TNPL in Madras High Court as per the directions of the Hon'ble supreme Court.</p>





**II. श्रम वाद**

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
1	केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिबुनल (सीजीआईटी), हैदराबाद के समक्ष अपील	दि.23.03.2011 को एक व्यक्ति जिन्होंने कंपनी में अंशकालिक आधार पर कार्य किया था, आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं को एक प्रति देते हुए आन्ध्रा बैंक में नियोजन हेतु एक शिकायत दाखिल की। उनके नियोजन हेतु आवेदन को आन्ध्रा बैंक में नामंजूर कर दिया गया था चूंकि इसका आन्ध्रा बैंक के साथ करार का कोई संबंध नहीं है। अब उन्होंने सीजीआईटी के समक्ष एक अपील दाखिल की है।

**III. आय कर अपील**

निर्धारण वर्ष	उच्च न्यायालय अपील सं.	दिनांक	टिप्पणी
1993-94	आईटीए 320/2006	25.07.2006	आईटीएटी, हैदराबाद के आदेशों के विरुद्ध कंपनी द्वारा कुल सात अपील में से एक अपील पहले ही दि.29.12.2005 को स्वीकृत की गई थी तथा निर्धारण वर्ष 1994-15, 1995-96, तथा 1996-97 से संबंधित अन्य तीन अपील दि. 24.07.2013 को स्वीकृत तथा सुनवाई की गई थी तथा निर्धारण वर्ष 1993-94, 1997-98 तथा 1999-00 से संबंधित शेष तीन को स्वीकृत किया जाना है। इन मामलों को नियमित सुनवाई हेतु लिया जाना है।
1994-95	आईटीए 425/2005	22.10.2005	
1995-96	आईटीए 114/2012	11.09.2006	
1995-96	आईटीए 445/2005	22.10.2005	
1996-97	आईटीए 424/2005	22.10.2005	
1997-98	आईटीए 229/2007	02.07.2007	
1999-00	आईटीए 228/2007	02.07.2007	

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
1	कर विभाग द्वारा दाखिल ब्याज कर अपील	दि.04.10.2002 को आय-कर विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत ब्याज कर से संबंधित आईटीएटी, हैदराबाद न्यायपीठ के आदेशों के विरुद्ध निर्धारण वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 हेतु दो अपील दाखिल कीं। आय कर विभाग किराया खरीद एवं पट्टे लेन-देन को ऋण के रूप में मान रहा है तथा किराया खरीद एवं पट्टे लेन-देन से प्राप्त किराया तथा ब्याज आय कर अभिप्राय के अंतर्गत रखा गया था। आईटीएटी तक निर्णय कंपनी के पक्ष में था। तथापि, विभाग अपील के लिए उच्च न्यायालय में गया। अब विभाग द्वारा दाखिल अपील न्यायालय में स्वीकृत की गई थीं तथा सुनवाई हेतु अभी तक नहीं आई है।

**घंटसला एवं कं.**  
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000921एस

**हुंमायु शेख**  
साझेदार

सदस्यता सं.: 217227

हैदराबाद

दिनांक : 30.05.2017



**II. LABOUR SUITS**

SL.NO.	PARTICULARS	STATUS
1.	Appeal before the Central Govt Industrial Tribunal (CGIT), Hyderabad	On 23.03.2011 one person who worked on a temporary basis in the Company has filed a complaint seeking employment in the Andhra Bank with a copy to Andhra Bank Financial Services Ltd. His application for employment was rejected in the Andhra Bank since there is no privity of contract with Andhra Bank. Now he has filed an appeal before CGIT

**III. INCOME TAX APPEALS**

Asst Year	High Court Appeal No.	Date	Remarks
1993-94	ITTA320/2006	25.07.2006	Out of the total seven appeals filed by the Company against the orders of the ITAT, Hyderabad one appeal was already admitted on 29.12.2005 and other three appeals relating to the Asst Years 1994-95, 1995-96 and 1996-97 were heard and admitted on 24.07.2013 and the remaining three have to be admitted relating to the Asst Years 1993-94, 1997-98 and 1999-00. These cases have yet to come up for regular hearing.
1994-95	ITTA 425/2005	22.10.2005	
1995-96	ITTA 114/2012	11.09.2006	
1995-96	ITTA 445/2005	22.10.2005	
1996-97	ITTA 424/2005	22.10.2005	
1997-98	ITTA 229/2007	02.07.2007	
1999-00	ITTA 228/2007	02.07.2007	

SL.NO.	PARTICULARS	STATUS
1.	Interest Tax appeals filed by the Tax Department	On 04.10.2002 Income Tax department filed two appeals for Asst Year 1996-97 & 1997-98 against the Orders of the ITAT, Hyderabad Bench relating to the interest Tax which was admitted by the High Court. The Income Tax department treating the Hire Purchase & Leasing transactions is as loans and the interest & rentals received from the Hire Purchase and leasing transactions were considered under Interest Tax purview. The judgment up to the ITAT was in favour of the Company. However, the department went on appeal to High court. Now the appeals filed by the department were admitted in the Court and not yet come up for hearing.

**for GHANTASALA & Co.**

Chartered Accountants

Firm's registration number: 000921S

**HUMAYUN SHAIK**

Partner

Membership number: 217227

Hyderabad

Date:30.05.2017



**आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी / एसोसिएट/ संयुक्त उद्यमों का समेकित तुलन पत्र**  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATE/JOINT VENTURES**  
 (₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>निधि का स्रोत SOURCE OF FUNDS</b>			
पूंजी CAPITAL	1	681,16,35	681,16,35
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	10747,99,94	10345,03,55
जमा DEPOSITS	3	195475,94,18	174334,48,35
उधार BORROWINGS	4	8866,90,44	9722,63,12
अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	9674,31,93	7603,70,54
<b>कुल TOTAL</b>		<b>225446,32,84</b>	<b>202687,01,91</b>
<b>निधि का प्रयोजन APPLICATION OF FUNDS</b>			
भारिबैं में नकदी एवं शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	9323,08,88	8791,60,88
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	8856,27,73	577,45,50
निवेश INVESTMENTS	8	62389,00,57	56059,39,13
अग्रिम ADVANCES	9	136870,92,11	130809,97,64
अचल आस्तियां FIXED ASSETS	10	1542,72,65	1379,95,55
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	11	6464,30,90	5068,63,21
<b>कुल TOTAL</b>		<b>225446,32,84</b>	<b>202687,01,91</b>
आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES	12	111081,65,22	41750,16,71
वसूली हेतु बिल बिल्लेस FOR COLLECTION		7652,89,50	7010,42,71
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		
उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.			

**सुरेश एन पटेल**  
 प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**ए कृष्ण कुमार**  
 निदेशक

**एस के कालरा**  
 कार्यपालक निदेशक  
**के. रायर**  
 महा प्रबंधक

**अजित कुमार रथ**  
 कार्यपालक निदेशक  
**बी सत्यनारायण राव**  
 सहायक महा प्रबंधक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

**कृते प्रेम गुप्ता एवं कं**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन- 000425एन  
**(सीए प्रेम बिहारी गुप्ता)**  
 भागीदार (एम. नं. 080245)

**कृते वी.कृष्णन एवं कं**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन- 001541एस  
**(सीए पी. गीता)**  
 भागीदार (एम.नं. 202607)

**कृते बाशा एवं नरसिम्हन**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन- 006031एस  
**(सीए नरसिम्हा शाह)**  
 भागीदार (एम. नं. 201777)

**कृते सागर एवं एसोसिएट्स**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन- 003510एस  
**(सीए बी.श्रीनिवास राव)**  
 भागीदार (एम. नं. 202352)



आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी / एसोसिएट / संयुक्त उद्यमों का लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATE/JOINT VENTURES

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2017 वर्ष के अन्त पर Year ended 31.03.2017	31.03.2016 वर्ष के अन्त पर Year ended 31.03.2016
<b>आय INCOME</b>			
अर्जिता ब्याज INTEREST EARNED	13	18218,31,72	17798,16,75
अन्य आय OTHER INCOME	14	3085,57,86	2112,74,26
<b>कुल आय TOTAL INCOME</b>		<b>21303,89,58</b>	<b>19910,91,01</b>
<b>व्यय EXPENDITURE</b>			
विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED	15	12496,02,93	12313,51,04
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	4404,61,46	3633,67,68
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ PROVISIONS AND CONTINGENCIES		4215,46,54	3421,62,70
<b>कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE</b>		<b>21116,10,93</b>	<b>19368,81,42</b>
<b>असाधारण मदों से पूर्व लाभ तथा एसोसिएट में लाभ का हिस्सा PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND SHARE OF PROFIT IN ASSOCIATE</b>		187,78,65	542,09,59
असाधारण मदें EXTRAORDINARY ITEMS		-	-
एसोसिएट में लाभ का हिस्सा SHARE OF PROFIT IN THE ASSOCIATE		19,30,85	15,89,29
वर्ष हेतु समेकित निवल लाभ			
<b>CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR</b>		<b>207,09,50</b>	<b>557,98,88</b>
समेकित निवल लाभ आगे लाया गया CONSOLIDATED NET PROFIT BROUGHT FORWARD		19,73,39	174,679
<b>कुल TOTAL</b>		<b>226,82,89</b>	<b>575,45,67</b>
<b>विनियोजन APPROPRIATIONS</b>			
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO STATUTORY RESERVE		47,46,15	138,13,80
पूंजी प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO CAPITAL RESERVE		129,20,00	36,80,00
रोजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO REVENUE & OTHER RESERVES		15,44,65	139,35,48
आई.टी. अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO SPECIAL RESERVE UNDER IT ACT		95,00,00	200,00,00
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश INTERIM/PROPOSED DIVIDEND		-	34,05,82
लाभांश पर कर DIVIDEND TAX		-	6,93,35
गत वर्षों के लाभांश पर कर DIVIDEND TAX OF EARLIER YEARS		-	43,83
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष BALANCE CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		(60,27,91)	19,73,39
<b>कुल TOTAL</b>		<b>226,82,89</b>	<b>575,45,67</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर आय (मूल एवं अवमिश्रित) EARNING PER SHARE (BASIC AND DILUTED) '		<b>3.04</b>	<b>8.89</b>

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account

**SURESH N PATEL**  
Managing Director & Chief Executive Officer

**S.K.KALRA**  
Executive Director

**AJIT KUMAR RATH**  
Executive Director

**A.KRISHNAKUMAR**  
Director

**K.RAYAR**  
General Manager

**B. SATYANARAYANA RAO**  
Assistant General Manager

As per our report of even date.

**For PREM GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
FRN- 000425N  
**(CA Prem Behari Gupta)**  
Partner (M. No. 080245)

**For V.KRISHNAN & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN- 001541S  
**(CA P.Geetha)**  
Partner (M. No. 202607)

**For BASHA & NARASIMHAN**  
Chartered Accountants  
FRN- 006031S  
**(CA K. Narasimha Sah)**  
Partner (M. No. 201777)

**For SAGAR & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN- 003510S  
**(CA B. Srinivasa Rao)**  
Partner (M. No. 202352)

Place : Hyderabad  
Date : 24.05.2017



**समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां**  
**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET** (₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE-1:: पूंजी CAPITAL</b>		
<b>I. अधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL</b>		
10/- रु प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	3000,00,00	3000,00,00
<b>II. जारी, अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED UP AND PAID UP</b>		
₹10/- रु प्रत्येक के 68,11,63,492 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 68,11,63,492 इक्विटी शेयर) (केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 41,73,10,282 इक्विटी शेयर सहित) (गत वर्ष 41,73,10,282 इक्विटी शेयर) 68,11,63,492 Equity Shares of ₹10/- each (Previous year 68,11,63,492 Equity Shares) Including 41,73,10,282 Equity Shares (Previous year 41,73,10,282 Equity Shares) held by Central Government	681,16,35	681,16,35
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- I</b>	<b>681,16,35</b>	<b>681,16,35</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE- 2 : प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS</b>		
<b>I. सांविधिक प्रारक्षिती STATUTORY RESERVE</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2767,53,87	2629,40,07
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	47,46,15	138,13,80
<b>कुल Total- I</b>	<b>2815,00,02</b>	<b>2767,53,87</b>
<b>II. पूंजी प्रारक्षिती CAPITAL RESERVE</b>		
<b>क. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती A. REVALUATION RESERVE</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	690,30,46	712,87,49
वर्ष के दौरान जमा Addition during the Year	345,827	-
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर संचित मूल्यह्रास) Deduction during the Year (Being accumulated depreciation on revalued portion of property)	(124,83,57)	22,57,03
<b>कुल-II क Total-II A</b>	<b>849,72,30</b>	<b>690,30,46</b>
<b>ख. प्रारक्षिती शेष B. OTHER RESERVES</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	481,21,71	444,41,71
वर्ष के दौरान जमा Addition during the Year	129,20,00	36,80,00
<b>कुल-II ख Total-II B</b>	<b>610,41,71</b>	<b>481,21,71</b>
<b>कुल-II क+ख Total-II A+B</b>	<b>1460,14,01</b>	<b>1171,52,17</b>
<b>III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2530,31,22	2094,15,32
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	-	436,15,90
<b>कुल-III Total-III</b>	<b>2530,31,22</b>	<b>2530,31,22</b>
<b>IV. राजस्व संव अन्य प्रारक्षिती REVENUE AND OTHER RESERVES</b>		
<b>A. Revenue Reserve</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2511,48,83	2432,14,35
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	75,45,65	139,35,48
घटाएं- कटौती / समायोजन Less : Deductions/Adjustments	21,49,02	60,01,00
<b>कुल-IV क Total-IV A</b>	<b>2565,45,46</b>	<b>2511,48,83</b>



**समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां**  
**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET** (₹ हजारों में)(₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>ख) विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षिती B. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	(15,55,93)	91,90
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	16,16,89	62,98
घटाएं - कटौती Less : Deductions	18,23,82	17,10,81
<b>कुल-II ख Total-IV B</b>	<b>(17,62,86)</b>	<b>(15,55,93)</b>
<b>ग. आई.टी. अधिनियम की धारा 36(1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती C. SPECIAL RESERVE U/s 36 (1) (viii) of IT ACT</b>		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	1360,00,00	1160,00,00
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	95,00,00	200,00,00
घटाएं - कटौती Less : Deductions	-	-
<b>कुल IV ग Total-IV C</b>	<b>1455,00,00</b>	<b>1360,00,00</b>
<b>कुल IV क+ख+ग Total-IV A+B+C</b>	<b>4002,82,60</b>	<b>3855,92,90</b>
<b>V. लाभ एवं हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT &amp; LOSS ACCOUNT</b>	<b>(60,27,91)</b>	<b>19,73,39</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- 2</b>	<b>10747,99,94</b>	<b>10345,03,55</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE-3 :: जमा DEPOSITS</b>		
<b>I-क. मांग जमा A. DEMAND DEPOSITS</b>		
i) बैंकों से From Banks	58,31,48	59,60,10
ii) अन्य से From Others	8609,28,81	7485,79,72
<b>कुल I-क Total I-A</b>	<b>8667,60,29</b>	<b>7545,39,82</b>
<b>I-ख. बचत बैंक जमा B. SAVING BANK DEPOSITS</b>		
i) बैंकों से From Banks	-	-
ii) अन्य से From Others	48654,98,78	37924,24,19
<b>कुल I-ख Total I-B</b>	<b>48654,98,78</b>	<b>37924,24,19</b>
<b>I-ग. मीयादी जमा C. TERM DEPOSITS</b>		
i) बैंकों से From Banks	2,06,84	9,43,85
ii) अन्य से From Others	138151,28,27	128855,40,49
<b>कुल I-ग Total I-C</b>	<b>138153,35,11</b>	<b>128864,84,34</b>
<b>कुल-I TOTAL-I.</b>	<b>195475,94,18</b>	<b>174334,48,35</b>
<b>II-क. भारत में शाखाओं की जमा II-A. DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA</b>	195417,48,30	174279,80,57
<b>II-ख. भारत से बाहर शाखाओं की जमा II-B. DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA</b>	58,45,88	54,67,78
<b>कुल-II TOTAL-II.</b>	<b>195475,94,18</b>	<b>174334,48,35</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-3</b>	<b>195475,94,18</b>	<b>174334,48,35</b>



## समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में)(₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS</b>		
<b>I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA</b>		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से From Reserve Bank of India	-	2440,00,00
ii) अन्य बैंकों से From Other Banks	11,72,77	306,81,74
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां (अधीनस्थ/रूआपीडीआई/अप्पर-टायर-II नाम/बांड ) Other Institutions & Agencies (Including Subordinated/IPDI/Upper Tier-II Debts/Bonds)	8206,67,67	6207,25,58
<b>II. भारत से बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>	648,50,00	768,55,80
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- 4</b>	<b>8866,90,44</b>	<b>9722,63,12</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 5 :: अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>		
<b>OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
I. देय बिल Bills Payable	2123,69,94	829,53,38
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustment (Net)	-	-
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	361,49,87	330,98,99
IV. मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions Against Standard Assets	1271,44,63	1154,03,73
V आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability (Net)	-	547,77,03
VI. अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provisions)	5917,67,49	4741,37,41
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-5</b>	<b>9674,31,93</b>	<b>7603,70,54</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 6 :: भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी तथा शेष</b>		
<b>CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash In Hand (Including Foreign Currency Notes)	962,00,43	885,31,81
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Balance with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	8361,08,45	7906,29,07
ii) अन्य खातों में In Other Accounts	-	-
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-6</b>	<b>9323,08,88</b>	<b>8791,60,88</b>



समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE-7 :: बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>		
<b>I. भारत में IN INDIA</b>		
i). बैंकों में शेष Balances with Banks		
क). चालू खातों में a). In Current Accounts	68,20,02	58,88,26
ख). अन्य खातों में b). In Other Accounts	255,38,38	219,19,65
<b>कुल Total</b>	<b>323,58,40</b>	<b>278,07,91</b>
ii). मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों में a). With Banks	83,000,000	-
ख) अन्य संस्थाओं में b). With Other Institutions	-	-
<b>कुल Total</b>	<b>83,000,000</b>	<b>-</b>
<b>कुल Total-I</b>	<b>8623,58,40</b>	<b>278,07,91</b>
<b>II. भारत से बाहर OUTSIDE INDIA</b>		
i). चालू खातों में In Current Accounts	115,65,47	177,30,03
ii). अन्य खातों में In Other Deposit Accounts	43,689	-
iii). मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि Money at Call and Short Notice	112,66,97	122,07,56
<b>कुल Total-II</b>	<b>232,69,33</b>	<b>299,37,59</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-7</b>	<b>8856,27,73</b>	<b>577,45,50</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 8 :: निवेश INVESTMENTS</b>		
<b>I. भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA</b>		
i). सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	56709,94,26	50686,98,87
ii). अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	325,27,52	203,94,85
iii). शेयर Shares	990,78,96	737,28,74
iv). डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds	2168,53,21	2149,62,46
v). अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	100,55,07	81,24,22
vi). (आई.डी.बी.आई जमा, आई.वी.पी, म्यूचुअल फंड यूनिट आदि) Others (IDBI Deposits, I.V.Ps, Units of Mutual Funds etc.)	2086,23,29	2192,52,53
<b>कुल Total</b>	<b>62381,32,31</b>	<b>56051,61,67</b>
<b>II. भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA</b>		
i). सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्रधिकारियों सहित) Government Securities (Including local authorities)	7,68,26	7,77,46
ii). अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	-	-
iii). शेयर Shares	-	-
iv). डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds	-	-
v). अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	-	-
vi) अन्य निवेश Other Investments	-	-
<b>कुल Total</b>	<b>7,68,26</b>	<b>7,77,46</b>
<b>कुल योग Grand Total (I and II)</b>	<b>62389,00,57</b>	<b>56059,39,13</b>
सकल निवेश Gross Investments	62826,26,45	56350,89,39
घटायें Less : मूल्यहास Depreciation	437,25,88	291,50,26
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-8</b>	<b>62389,00,57</b>	<b>56059,39,13</b>





## समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

### SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 9 :: अग्रिम ADVANCES</b>		
I-क. खरीदे एवं भुनाए गए बिल I-A. Bills Purchased and Discounted	2131,18,90	2526,58,84
I-ख. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण (मांग पर चुफौती योग्य)		
I-B. Cash Credits, Overdrafts and Loans (repayable on demand)	71060,39,70	68635,11,74
I-ग. मीयादी ऋण I-C. Term Loans	63679,33,51	59648,27,06
<b>कुल Total</b>	<b>136870,92,11</b>	<b>130809,97,64</b>
II-क. मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋणों के विरुद्ध अग्रिमों सहित)	125824,13,15	120766,99,13
II-A. Secured By Tangible Assets (Includes Advances against Book Debts)		
II-ख. बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर	3354,50,29	4085,73,97
II-B. Covered by Bank/Government Guarantees		
II-ग. अरक्षित अग्रिम II-C. Unsecured Advances	7692,28,67	5957,24,54
<b>कुल Total</b>	<b>136870,92,11</b>	<b>130809,97,64</b>
III-A. भारत में अग्रिम III-A. ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिक क्षेत्र Priority Sector	60984,86,14	53941,55,33
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	5145,93,35	5377,45,41
iii) बैंक Banks	-	-
iv) अन्य Others	70717,08,80	71471,38,37
<b>कुल Total</b>	<b>136847,88,29</b>	<b>130790,39,11</b>
III-B. भारत से बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	23,03,82	19,58,53
<b>कुल Total</b>	<b>136870,92,11</b>	<b>130809,97,64</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-9</b>	<b>136870,92,11</b>	<b>130809,97,64</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 10 :: अचल आस्तियां FIXED ASSETS</b>		
<b>A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS</b>		
<b>I. परिसर PREMISES</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष Opening Balance at Cost	1717,32,05	1712,80,17
वर्ष के दौरान जमा Additions during the year	26,20,63	4,55,93
मूल लागत में पुनर्मूल्यांकन के कारण जमा Addition on account of revaluation in original cost	34,58,27	-
वर्ष के दौरान अपमार्जन / कटौती Deletions/Deductions during the year	-	4,05
तिथि को मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण रु. 124,83,57 के संचित मूल्यहास सहित (विगत वर्ष रु.897,59,35) Depreciation to date (including accumulated depreciation of ₹124,83,57 thousand (previous year '897,59,35 thousand) on account of revaluation	827,49,50	947,59,50
<b>वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV at the end of the Year</b>	<b>950,61,45</b>	<b>769,72,55</b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियां OTHER FIXED ASSETS</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष Opening Balance at Cost	1403,63,08	1202,43,22
वर्ष के दौरान जमा Additions during the year	136,43,24	231,54,00
वर्ष के दौरान अपमार्जन / कटौतियां Deletions/Deductions during the year	37,80,78	30,34,14
तिथि को मूल्यहास Depreciation to date	1000,06,93	901,39,22
<b>वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV at the end of the Year</b>	<b>502,18,61</b>	<b>502,23,86</b>
<b>III. पूंजीगत चालू कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष Opening Balance at Cost	63,43,66	43,48,59
वर्ष के दौरान जमा Additions during the year	22,45,44	40,84,17
वर्ष के दौरान अपमार्जन कटौती Deletions/Deductions during the year	38,71,90	20,89,10
<b>वर्ष की समाप्ति पर मूल्य Value at the end of the Year</b>	<b>47,17,20</b>	<b>63,43,66</b>
<b>B. अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS</b>		
<b>I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE</b>		
लागत पर प्रारम्भिक शेष Opening Balance at Cost	195,50,97	175,67,62
वर्ष के दौरान जमा Additions during the year	15,02,66	19,88,05
वर्ष के दौरान अपमार्जन कटौती Deletions/Deductions during the year	-	4,70
तिथि को मूल्यहास/परिशोधन Depreciation/Amortization to date	170,68,28	153,85,53
<b>वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV at the end of the Year</b>	<b>39,85,35</b>	<b>41,65,44</b>
<b>II. गुडविल GOODWILL</b>	<b>2,90,04</b>	<b>2,90,04</b>
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-10</b>	<b>1542,72,65</b>	<b>1379,95,55</b>



समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 के अनुसार As on 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार As on 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 11 :: अन्य आस्तियां OTHER ASSETS</b>		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	262,10,74	107,84,65
II. उपचित ब्याज Interest Accrued	1589,80,24	1422,13,79
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) Tax Paid in Advance/Tax Deducted at Source (Net of Provision)	1051,11,45	2258,40,15
IV. लेखन सामग्री एवं मोहरें Stationery & Stamps	13,20,72	12,64,47
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (Net)	2,93,63,88	-
VI. अन्य Others	3254,43,87	1267,60,15
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-11</b>	<b>6464,30,90</b>	<b>5068,63,21</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 12 :: आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंकों के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता Claims against Bank not acknowledged as debts	807,78,37	673,72,05
II. पूंजी प्रतिबद्धता Capital Commitments	36,52,32	38,19,38
III. विकल्प एवं व्युत्पन्न Options & Derivatives	-	-
IV. बक़ाया वायदा विनिमय संविदा Outstanding Forward Exchange Contracts	78322,69,95	20951,38,74
V. घटकों (बीजी) की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of Constituents (BGs)		
क) भारत में a).In India	14536,79,57	12482,28,59
ख) भारत से बाहर b).Outside India	4,82,52	5,55,09
VI. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	6068,36,43	5035,11,32
VII. लैटर ऑफ कम्फर्ट Letter of Comfort	844,14,77	1118,51,30
VIII. ब्याज-दर स्वैप Interest Rate Swaps	-	-
IX. विवादग्रस्त कर (निवल) Disputed Tax Liability (Net)	2311,59,02	1233,38,38
X. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है Other Items for which Bank is Contingently Liable	8148,92,27	212,01,86
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-12</b>	<b>111081,65,22</b>	<b>41750,16,71</b>



**समेकित लाभ एवं हानि खाता के अन्तर्गत अनुसूचियां**  
**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT**

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 वर्ष के अन्त पर Year ended 31.03.2017	31.03.2016 वर्ष के अन्त पर Year ended 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 13 :: अर्जित ब्याज INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट Interest/Discount on Advances/ Bills	13599,21,03	13468,73,03
II. निवेश पर आय Income on Investments	4413,95,10	4032,42,31
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधियां Interest on balances with Reserve Bank of India and Other Inter Bank Funds	114,73,97	69,39,90
IV. अन्य Others	90,41,62	227,61,51
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-13</b>	<b>18218,31,72</b>	<b>17798,16,75</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 14 :: अन्य आय OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज Commission, Exchange and Brokerage	498,68,31	417,84,77
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) Profit/(Loss) on Sale of Investments	899,91,53	215,09,91
III. निवेश के प्रतिदान पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on Redemption of Investments	31,14	(42,09)
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	11,01	43,00
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ Profit on Exchange Transactions	115,27,23	127,74,77
VI. लाभांश द्वारा आय Income by way of Dividend	3,44,09	5,11,60
VII. बीमा प्रीमियम Insurance Premium	665,92,11	581,12,47
VIII. विविध आय Miscellaneous Income	901,92,44	765,79,83
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-14</b>	<b>3085,57,86</b>	<b>2112,74,26</b>



समेकित लाभ एवं हानि खाता के अन्तर्गत अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ हज़ारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2017 वर्ष के अन्त पर Year ended 31.03.2017	31.03.2016 वर्ष के अन्त पर Year ended 31.03.2016
<b>अनुसूची SCHEDULE - 15 :: विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमा पर ब्याज Interest on Deposits	11692,33,48	11405,08,22
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowings	115,74,28	499,49,85
III. अन्य Others	687,95,17	408,92,97
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-15</b>	<b>12496,02,93</b>	<b>12313,51,04</b>
<b>अनुसूची SCHEDULE - 16 :: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान Payment to and Provisions for Employees	2136,51,48	1767,91,83
II. किराया, कर तथा बिजली Rent, Taxes and Lighting	307,98,12	272,76,91
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री Printing and Stationery	27,76,52	36,69,18
IV. विज्ञापन तथा प्रचार Advertisement and Publicity	19,67,45	18,39,09
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's Property	155,56,26	147,71,96
VI. निदेशक के शुल्क फीस, भत्ते एवं व्यय Director's Fees, Allowances and Expenses	51,08	69,70
VII. लेखा परीक्षक के शुल्क एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क तथा व्यय सहित) Auditors' Fees and Expenses (Including Branch Auditors fees and expenses)	28,47,13	22,99,43
VIII. विधि प्रभार Law Charges	7,51,53	8,61,89
IX. डाक, तार एवं दूरभाष आदि Postages, Telephones etc.	48,83,18	42,81,35
X. मरम्मत तथा रख-रखाव Repairs and Maintenance	125,34,95	112,60,18
XI. बीमा Insurance	184,80,94	163,86,18
XII. बीमा गतिविधि से संबंधित प्रदत्त लाभ Benefits Paid relating to insurance activity	874,79,49	641,62,58
XIII. अन्य व्यय Other Expenditure	486,83,33	396,97,40
<b>कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-16</b>	<b>4404,61,46</b>	<b>3633,67,68</b>



## अनुसूची - 17 वर्ष 2016-17 हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 1. सामान्य:

**1.1 तैयारी का आधार:** वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, लेखांकन में विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी शर्तों/ दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों, मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किए गए हैं।

**1.2 अनुमान का उपयोग:** वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) के संबंध में रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के संबंध में प्राक्कलन और अनुमान का उपयोग किया जाता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और युक्ति संगत हैं। भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन प्राक्कलन में किसी प्रकार के परिशोधन का चालू और भविष्य की अवधि में भविष्यगामी मान्यता दी जाती है।

### 2. समेकन का आधार:

**2.1 समूह (एक अनुषंगी, एक सहयोगी और तीन संयुक्त उद्यमों) के वित्तीय विवरण को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है -**

- आन्धा बैंक (मूल) के लेखा परीक्षित खाते।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अनुषंगी के आस्तित्व/ देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद की मूल संस्था से संबंधित मदों के एकत्रीकरण और अंतः समूह सभी भौतिक शेष, लेन-देन, बकाया लाभ/हानि के समापन द्वारा।
- एसोसिएट में निवेश का लेखा - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 23 के अनुसार इक्विटी पद्धति के अंदर - सहयोगी में निवेश की लेखा में समेकित वित्तीय विवरणों
- संयुक्त उद्यमों का समेकन- "समानुपाती समेकन" भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 27 के अनुसार "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग"
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाड के वित्तीय विवरण मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और मलेशिया के कंपनी अधिनियम 1965 का अनुपालन करते हैं।

**2.2 संयुक्त उद्यमों में समूह के निवेश और संयुक्त उद्यमों में समूह की इक्विटी हिस्सेदारी में अंतर की पहचान वित्तीय विवरणियों में साख के तौर पर की गई है।**

### 3. जीवन बीमा :

**क.** पॉलिसीधारक से प्रीमियम बकाया होने पर इसे आय की मान्यता दी गई है। यूनिट लिंक्ड व्यापार के मामलों में प्रीमियम आय को मान्यता संबंधित यूनिट के बनाये जाने पर दी गई है। कालातीत पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम को आय की मान्यता तब दी गई है जब तक ऐसी पॉलिसी पुनः चालू नहीं कर दी जाती।

**ख.** दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखा-जोखा के समय पुनर्बीमा कंपनी के साथ किये समझौते के अनुरूप दिए गए नियमों और शर्तों के अंतर्गत प्रीमियम से आय के रूप में मान्यता दी गई है। प्रीमियम पर आगामी संशोधन या रीकरण के प्रभाव को इसे संबंधित वर्ष मान्यता दी गई है जिस वर्ष में प्रभावी होते हैं।

**ग.** अधिग्रहण लागत जिस अवधि में व्यय किए जाते हैं उसी अवधि में वहन किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत में प्रमुख रूप से बीमा मध्यस्थताओं को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी मुद्रण व्यय, स्टॉम्प शुल्क और पॉलिसी जुटाने से लेकर जारी करने तक के अन्य सभी खर्च सम्मिलित हैं।

### 4. राजस्व की पहचान:

**4.1** निम्नलिखित को छोड़कर, आय और व्यय की पहचान सामान्यतः संचयी आधार पर की जाती है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, ऐसे मामलों में आय की वसूली में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वसूली के आधार पर किया जाता है।
- कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क, अतिदेय बिलों पर ब्याज, एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है।

**4.2** अनर्जक अग्रिमों में आंशिक वसूली को निम्नानुसार प्राथमिक आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

- वसूली हेतु व्यय/ कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय।
- ब्याज अनियमितताएं / उपचित ब्याज
- मूल राशि अनियमितताएं अर्थात् खातों में बकाया मूल राशि।

**4.3** अनर्जक अग्रिमों में समझौता निपटान वाले मामलों में वसूलियाँ पहले मूल राशि हेतु समायोजित की जाती हैं।

### 5. विदेशी मुद्रा लेनदेन:-

**5.1** आय एवं व्यय की मदें लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।

**5.2** मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

**5.3** वायदा विनिमय संविदा को प्रारम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है। इन्हें फेडाई द्वारा अधिसूचित वर्ष के अंत में दरों पर अंतरित किया जाता है तथा लाभ/हानि को राजस्व में सम्मिलित किया जाता है।

**5.4** विदेशी साख पत्रों, लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मदों का पुनः वर्णन किया जाता है।



**SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR 2016-17 - CONSOLIDATED**

**1. GENERAL:**

**1.1 Basis of preparation:** The financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise of applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

**1.2 Use of estimates:** The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

**2. BASIS OF CONSOLIDATION:**

**2.1** Consolidated financial statements of the Group (comprising of 1 subsidiary, 1 associate and 3 joint ventures) have been prepared on the basis of:

- i. Audited accounts of Andhra Bank (parent).
- ii. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiary with the respective item of the parent, and after eliminating all material intra group balances/transactions, unrealized profit/loss, as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- iii. Accounting for investment in 'Associate' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- iv. Consolidation of Joint ventures – 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- v. The financial statements of India International Bank Malaysia Berhad comply with the Malaysian Financial reporting Standards ("MFRS"), International Financial reporting Standards ("IFRS") and the requirements of the Companies Act, 1965 in Malaysia.

**2.2** The difference between cost to the group of its investment in the joint venture and the group's portion of the equity of the joint venture is recognized in the financial statements as goodwill.

**3. LIFE INSURANCE:**

a. Premium is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income

is recognized when the associated unit is created. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

- b. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the re-insurer. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium is recognized in the year in which they occur.
- c. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy.

**4. REVENUE RECOGNITION:**

**4.1** Income and Expenditure are generally recognised on accrual basis, except the following:

- i. Interest on non-performing advances and non performing investments is recognized based on realisation as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India, in view of uncertainties of collection of income in such cases.
- ii. Income by way of commission, exchange, brokerage, fee, interest on overdue bills, and rent on lockers are accounted for on realisation.
- iii. Dividend is accounted on accrual basis when the right to receive the same is established.
- iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

**4.2** Partial recoveries in non performing advances are appropriated in the following order of priority.

- i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery.
- ii. Interest irregularities/accrued interest.
- iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account

**4.3** In case of non performing advances involving compromise settlements in which case the recoveries are first adjusted towards principal.

**5. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:**

**5.1** Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

**5.2** Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange Rates notified by FEDAI at the close of the year and the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.

**5.3** Forward exchange contracts are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are translated at the year-end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to Profit & Loss Account.

**5.4** Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the



5.5 बैंक टू बैंक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव-संविदा, अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किए जाते हैं। इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति पर किया जाता है या संविदा के समय-पूर्व समाप्ति पर समानुपातिक अवधि हेतु। बैंक टू बैंक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है।

## 6. निवेश:

**6.1 तुलनपत्र में प्रकट करने हेतु निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।**

- सरकारी प्रतिभूतियाँ
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- शेयर
- डिबेंचर एवं बॉण्ड
- अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/ एसोसिएटस तथा
- अन्य

**6.2 निवेश निम्न प्रकार सेतीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।**

- परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

## 6.3 वर्गीकरण का आधार

- परिपक्वता तक रखे गए निवेश के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं।
- व्यापार हेतु रखे गए के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं।
- बिक्री हेतु उपलब्ध प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं।
- अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश परिपक्वता तक रखे गए निवेश के रूप में वर्गीकृत हैं।
- निवेश के खरीद के समय इसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन श्रेणियों में अंतरण किया जाता है।

## 6.4 मूल्यांकन :

निवेश की प्राप्ति लागत निर्धारित करने हेतु

- अंशदान पर प्राप्त ब्रोकरेज / कमीशन निवेश की लागत से घटा दिए जाते हैं। प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन लाभ एवं हानि खाते में जमा किए जाते हैं।
- निवेश की प्राप्ति हेतु खर्च किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।
- ऋण लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और लागत/ बिक्री प्रतिफल से घटाया जाता है।
- निवेश की सभी श्रेणियों हेतु भारत औसत लागत आधार पर निर्धारित की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है।

## i. परिपक्वता तिथि तक रखे गए:-

- इस वर्ग में रखे गए निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत को कम कर लिए जाते हैं। यदि अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है। इस प्रकार प्रीमियम के परिशोधन को निवेश पर ब्याज शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समाशोधित किया जाता है।
- अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट (भारत में और विदेशी दोनों) का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।
- अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा उद्यमों के निवेश मूल्यों का अलग निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश हेतु अलग से प्रावधान किया जाता है।

## ii. बिक्री के लिए उपलब्ध :

- इस वर्ग के अंतर्गत रखे गए निवेश, बाजार में तिमाही अंतराल में बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं और फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएडीए) द्वारा घोषित मूल्य/ प्रतिफल, स्टॉक एक्सचेंजों के व्यापार/दरों से प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन (तुलनपत्र की तिथि) पर उपलब्ध बाजार दरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।
- पांच समूहों में से (अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स में निवेश को छोड़कर) प्रत्येक के अंतर्गत निवल मूल्यहास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का वही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।
- ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पेपरों को निहित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

## iii. व्यापारार्थ रखे गए:

- इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक माह के अंत में एफआईएमएडीए द्वारा घोषित कीमत/प्रतिफल, बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है।
- प्रत्येक 5 शीर्ष (अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स में निवेश को छोड़कर) में निवल मूल्यहास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का वही मूल्य में मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

## 6.5 विवेकपूर्ण मानदंड :

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है और उन पर प्रावधान किये जाते हैं।
- रेपो / प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन हेतु लेखांकन  
रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का लेखांकन संपार्श्विकयुक्त ऋण और उधार लेनदेन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य सीधे बिक्री / खरीद लेनदेन के रूप में ही किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन का रिपो / प्रतिवर्ती रिपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए किया जाता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया जाता है। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) और प्रतिवर्ती रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष और माँग और अल्प सूचना राशि) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।



date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.

5.5 Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging Bank's own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

## 6. INVESTMENTS:

### 6.1 Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

- i. Government Securities
- ii. Other Approved Securities
- iii. Shares
- iv. Debentures and Bonds
- v. Subsidiaries / Joint Ventures /Associates and
- vi. Others.

### 6.2 Investments are further classified into the following three categories:

- i. Held to Maturity (HTM)
- ii. Available for Sale (AFS)
- iii. Held for Trading (HFT)

### 6.3 Basis of classification

- i. "Held to Maturity" category comprises of – securities acquired with the intention to hold them up to maturity.
- ii. "Held for Trading" category comprises of securities acquired with the intention of trading.
- iii. "Available for Sale" securities are those which are not classified under either of the above two categories.
- iv. Investments in Subsidiaries/Joint ventures/Associates are classified as 'Held to Maturity'.
- v. An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the guidelines issued by Reserve Bank of India.

### 6.4 Valuation:

In determining the acquisition cost of an investment

- i. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost of Investments. The incentives received after the sale of securities is credited to Profit and Loss Account.
- ii. Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments are treated as revenue expenditure.
- iii. Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- iv. Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments.

The Investments are valued in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:-

#### i. Held to Maturity:

- a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost, net of amortization. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortised over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is adjusted against income under the head 'Interest on Investments'
- b. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost
- c. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for on each such investment individually.

#### ii. Available for Sale:

- a. Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades/ quotes on the Stock Exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.
- b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- c. Treasury bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

#### iii. Held for Trading:

- a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by FIMMDA at the end of every month.
- b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

### 6.5 Prudential Norms:

- i. The identification of non performing investments and provisions made thereon is as per Reserve Bank of India guidelines.
- ii. Accounting for Repo/Reverse Repo transactions  
The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo (including repo/ reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF) with RBI) are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified





## 6.6 निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि:

- निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बाण्डो के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है।
- "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापारार्थ रखे गये" श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।
- "परिपक्वता तक रखे गये" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूंजी अरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है। (कर तथा राशि का निवल सांविधिक आरक्षित को अंतरण अपेक्षित है)
- इन तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

## 6.7 सामान्य:

- बैंक सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री के रिकार्ड 'निपटान तिथि' को कर रहा है।
- (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण: अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, वृद्धि की अपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, उस प्रतिभूति के विरुद्ध पहले ही रखे गए मूल्य-ह्रास के विरुद्ध प्रावधान और बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाता है तथा अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, को मान्यता दी जाती है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

## (ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :

यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी-  
-क्या बटटे पर, क्या उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बही मूल/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है।

-क्या प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के मामलों में, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-ह्रास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है।

- प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-ह्रास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।
- सुरक्षित रसीद (एसआर) जारी करने के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश (क) वित्तीय आस्ति के निवल पुस्तक मूल्य (एनबीवी) (याने पुस्तक मूल्य के लिए कम प्रावधान); और (ख) एसआर के मोचन मूल्य के न्यूनतर में मान्य है। एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर गैर-एसएलआर उपकरणों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के क्रम में मूल्यांकित है। इस क्रम में, एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर के

मामलों में, संबंधित योजना के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों को दिए गए उपकरणों की वास्तविक वसूली में सीमित है, एससी/एआरसी से प्राप्त, निवल आस्ति मूल्य, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है।

## 7. ब्याज दर स्वैप :

### 7.1 ब्याज दर का स्वैप : (हेजिंग)

- सतत स्वैप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोड़कर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है। उस मामले में स्वैप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं।
- जब समायोजित लाभ/ हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किए जाते हैं, तब समाप्त किए गए स्वैप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वैप पर लाभ या हानि, स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किए जाते हैं।

### 7.2 ब्याज दर स्वैप (व्यापार)

- व्यापार स्वैप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है।
- ऐसे स्वैप से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है।
- शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई है।

## 8. अग्रिम

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण और अग्रिमों का उल्लेख अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है।
- अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियां ऋण वार में किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राधिकारियों द्वारा उल्लेखित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अतिरिक्त प्रावधानों के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान अपनाए गए हैं।
- तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों का निवल है।
- पुनः संरचित/ पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनके अनुसार पुनर्निर्धारण से पूर्व और इसके बाद ऋण के उचित मूल्य में अंतर हेतु प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य में कमी (डोएफवी) हेतु प्रावधान अग्रिम से कम किया जाता है।
- अनर्जक के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।
- पिछले वर्ष अपलिखित ऋणों में वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष के दौरान आय के रूप में माना जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया जाता है। इन प्रावधानों को तुलन पत्र के अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान" के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिन्हें निवल अनर्जक आस्तियों के आकलन के समय ध्यान में नहीं लिया जाता है।



under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (**Balances with Banks & Money at Call & Short Notice**) as per RBI Master directions issued.

#### 6.6 Profit / Loss on Sale of Investments:

- i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.
- ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.
- iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).
- iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

#### 6.7 General

- i. Purchase and sale transactions in Government and other than Government Securities are recorded on the date of settlement.
- ii. **a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category:** Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation already held against that security and the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer is recognized and adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.
- b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category:**  
If the security originally placed under HTM category;  
- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.  
- is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortised cost.  
After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.
- c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and depreciation already held if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.**
- iii. In case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by

an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ARC, is reckoned for valuation of such investments.

#### 7. INTEREST RATE SWAPS:

##### 7.1 Interest Rate Swaps: (Hedging)

- i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.
- ii. Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset/liability.

##### 7.2 Interest Rate Swaps: (Trading)

- i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss Account;
- ii. Income and Expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;
- iii. Fee is recognized as income or expense as the case may be;
- iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

#### 8. ADVANCES

- 8.1** Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- 8.2** Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower-wise.
- 8.3** Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by Reserve Bank of India authorities and additional provision as assessed.
- 8.4** Advances stated in the Balance Sheet are net of specific loan loss provisions.
- 8.5** For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) is reduced from advances.
- 8.6** In the case of loan accounts classified as NPAs, account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 8.7** Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 8.8** General provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities and Provisions" and are not considered for arriving at Net NPAs.



## 9 अचल आस्तियाँ :

### 9.1 मूल:

**9.1.1** भूमि / परिसर, जिन का पुनः मूल्यांकन किया गया है, को छोड़कर, अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है। अचल आस्तियों की पुनः मूल्यांकित राशि सकल बही मूल्य और संचित मूल्यहास दोनों के पुनः कथन के बाद उल्लेख किया जाता है ताकि निवल बही मूल्य निवल पुनः मूल्यांकित राशि समान हो। पुनः मूल्यांकन पर मूल्य-वर्धन को पुनः मूल्यांकन रिजर्व को जमा किया जाता है और वृद्धिशील मूल्यहास, यदि पुनः मूल्यांकित राशि से संबंधित हो, को इससे घटाया जाता है।

### 9.1.2 मूल्यकूास

i. कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों पर प्रबंधन द्वारा उचित माने गए निम्नलिखित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है।

परिसर - फ्रीहोल्ड	5.00%
फर्निचर और फिक्सचर	18.10%
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कार्यालय उपकरण	13.91%
मोटर वाहन	25.89%

ii. कंप्यूटरों तथा अन्य कलपुर्जों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर पर लगाया गया है।

iii. एटीएम पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार जिसके संबंध में बैंक ने 7 वर्ष का अनुमान लगाया है, के आधार पर किया गया है।

### 9.1.3 परिशोधन

i. पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है।

ii) जहाँ भूमि की लागत अलग से उपलब्ध न हो, भूमि और भवन की समेकित लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

iii) साफ्टवेयर के मूल्य को अमूर्त आस्ति माना गया है।

a. कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत प्राप्त साफ्टवेयर को पाँच वर्ष के उपयोगी अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

b. अन्य साफ्टवेयर को अधिप्राप्ति के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

## 9.2 अनुषंगी :

### 9.2.1 स्थायी आस्तियाँ -

पट्टे पर दिए गए आस्तियाँ को जिन्हें रुपये 1 पर मूल्यांकित किया गया है इनके अलावा सभी स्थायी आस्तियाँ को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

### 9.2.2 मूल्यहास :

#### 9.2.2.1 स्वयं के प्रयोग की आस्तियाँ -

मूल्यहास प्रावधान सीधी रेखा पद्धति पर शेष उपयोगी जीवन काल और धारित लागत के आधार पर जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में बताया गया है, के अनुसार किया जाता है।

#### 9.2.2.2 पट्टे पर लिए गए आस्तियाँ -

मेसर्स इनकैब इंडस्ट्रीज लि को पट्टे पर दिए गए मशीनरी के शेष मूल्य को रुपये 1 निर्धारित किया गया है। पट्टे पर दिये गए आस्तियों के लिये कोई प्रावधानीकरण नहीं किया गया है।

## 10. कर्मचारी लाभ

### 10.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में गैर बट्टे के आधार पर व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं जिसमें संबंधित सेवाएँ दी गयी हैं।

### 10.2 दीर्घावधि लाभ :

#### i. परिभाषित योगदान योजनाएं:

मान्य भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेन्शन योजना में भुगतान योग्य अंशदान, अंशदान योजना में परिभाषित हैं तथा लाभ हानि खाते में प्रभारित किये जाते हैं।

बैंक में 1 अप्रैल 2010 के बाद बैंक में पदमार ग्रहण किए सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालन में है, जो परिभाषित योजना है। ऐसे नए पदमार ग्रहण किए वर्तमान पेंशन योजना के भागी बनने हेतु पात्र नहीं है। योजना के अनुसार कवर प्राप्त कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और बैंक से तदनुसूची राशि का अंशदान देते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की पूर्ति तक संबंधित कर्मचारियों के अंशदान बैंक में रख लिए जाते हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष में गणना में लेता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (प्रां) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को अंतरित किया जाता है।

#### ii. परिभाषित सुविधा योजनाएं

कर्मचारी ग्रेच्युटी, पेन्शन तथा अवकाश नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएं हैं।

#### क) ग्रेच्युटी:

कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना के जरिए जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है। ग्रेच्युटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है।

#### ख) पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है। पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है।

#### ग) अवकाश नकदीकरण -

साधिकार अवकाश को दीर्घावधि सुविधा माना गया है और प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को " प्रोजेक्ट डेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली" पर एवत्र बिमां किए मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।

#### iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं:

क) बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति, रजत जयंती पुरस्कार, अवकाश यात्रा हूट, सेवानिवृत्ति पुरस्कार और रीसेटलमेंट भत्ते के लिए पात्र हैं। कर्मचारी की ऐसी दीर्घावधि सुविधाओं का बैंक द्वारा आंतरिक निधीकरण किया जाता है।

ख) अन्य दीर्घावधि सुविधाएं प्रदान करने की लागत का पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को बीमाकक मूल्यांकन कर निर्धारित किया जाता है। पिछली सेवा लागत की गणना लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल गणना में लिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता।



**9 FIXED ASSETS**

**9.1 PARENT:**

**9.1.1** Fixed Assets are stated at historical cost except Land/ premises, which have been revalued. The revalued amounts of fixed assets are presented by restating both the gross book value and accumulated depreciation so as to give a net book value equal to the net revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation, if any attributable to the revalued amount is deducted there from.

**9.1.2 Depreciation**

i. Depreciation on Premises and on other Fixed Assets, except computers and ATMs, is provided on WDV method at the following rates considered appropriate by the Management.

Premises- Freehold	5.00%
Furniture & Fixture	18.10%
Electricals, Electronics and Office equipments	13.91%
Motor Vehicles	25.89%

ii. The depreciation on Computers and other Peripherals is provided @ 33.33% on Straight Line Method.  
 iii. Depreciation on ATMs is provided on straight line method based on the estimated useful life of seven years.

**9.1.3 Amortisation**

i. Premium wherever is paid for acquisition of leasehold land, such premium along with cost of the buildings constructed thereon is amortised over the period of lease.  
 ii. Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of Land is not available.  
 iii. Acquisition cost of software is treated as intangible assets.  
 a. Software acquired under Core Banking Solution (CBS) is amortised over its estimated useful life of five years.  
 b. Other software acquired is charged off in the year of acquisition.

**9.2 SUBSIDIARY:**

**9.2.1 Fixed Assets:**

All Fixed Assets are valued at cost except leased assets which were valued at Rs. 1/-.

**9.2.2 Depreciation:**

**9.2.2.1 Assets for Own Use:**

Depreciation is provided on Straight Line method on the basis of useful life and carrying cost in accordance with Schedule-II of the Companies Act, 2013.

**9.2.2.2 Assets leased out:**

The residual value of machinery under lease to M/s. Incab Industries Ltd is valued at Rs. 1/- no depreciation has been provided on the Assets Leased out.

**10. EMPLOYEES BENEFITS**

**10.1 Short Term Employee Benefits:**

The undiscounted amounts of short-term employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term, and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

**10.2 Long Term Employee Benefits:**

**i. Defined Contribution Plans:**

Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), are defined contribution plan and charged to the profit & loss account.

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution for the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

**ii. Defined Benefit Plans**

Employees gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans.

**a. Gratuity:**

The Employees' Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds through approved schemes of Life Insurance Companies. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

**b. Pension:**

The Employees' Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

**c. Leave Encashment:**

The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each balance sheet date.

**iii. Other Long Term Employee Benefits:**

a. All eligible employees of the Bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.  
 b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.



## 11. आय पर कर

### 11.1 आयकर व्यय निम्नलिखित की कुल राशि है।

- चालू कर प्रावधान और
- आस्थगित कर प्रभार

**11.2** चालू कर प्रावधान, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्धारित अवधि हेतु कर राशि है।

**11.3** आस्थगित कर प्रभार का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर कर हेतु लेखांकन' के अनुसरण में किया गया है और यह वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता का निवल अंतर है। आस्थगित आय कर में वर्तमान वर्ष के दौरान करादेय आय और लेखांकन आय के बीच के समय अंतर और पिछले वर्ष के समय अंतर के प्रतिवर्तन का प्रभाव प्रतीत होता है।

**11.4** आस्थगित कर आकलन तुलन-पत्र की तिथि को कर दरें और पारित या पर्याप्त रूप से पारित कर विधि के आधार पर किया जाता है।

**11.5** आस्थगित कर आस्तियों को गणना में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक कि युक्तिपूर्ण निश्चितता न हो कि भविष्य में ऐसे आस्थगित कर आस्तियों के प्रति पर्याप्त करादेय आय की वसूली होगी।

**11.6** आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली के युक्तिपूर्ण / आभासी निश्चितता के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गणना में लिया जाता और पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

### 11.7 विशेष प्रारक्षिती

राजस्व और अन्य प्रारक्षिती में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षिती सम्मिलित है। बोर्ड के निदेशक मंडल ने प्रारक्षिती के सृजन को अनुमोदित करते हुए और विशेष प्रारक्षिती से आहरण करने का उद्देश्य न होने के संबंध में पुष्टि करते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने संकल्प पारित किया है।

## 12. अपसामान्य आस्तियाँ

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार का संकेत रहता है तो वसूल की जाने वाली राशि और अपसामान्य आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

## 13. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियाँ

**13.1** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 29 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक आस्तियाँ के अनुपालन में, बैंक

प्रावधानों को निम्नलिखित स्थिति में ही गणना में लेता है:

- पूर्व घटना के कारण वर्तमान बाध्यता है
- बाध्यता के निपटान हेतु आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना है और
- बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सके।

### 13.2 निम्नलिखित हेतु प्रावधान को गणना में नहीं लिया जाता है:

i. पूर्व घटना के कारण बाध्यता के उत्पन्न होने की संभावना जो भविष्य में एकाधिक घटनाओं, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में न हो, के घटित होने या न होने पर आधारित हो।

ii. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान बाध्यता पर जो मान्य नहीं है क्योंकि

क) बाध्यता का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नहीं है।

ख) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ऐसी बाध्यताओं को प्रासंगिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। नियमित अंतराल पर इनका आकलन किया जाता है और आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना वाले अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, जहाँ कोई विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

**13.3** वित्तीय विवरणों में प्रासंगिक/आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

## 14. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट निवल लाभ में निम्नलिखित को घटा दिया गया है:

- निवेशों पर मूल्यहास का प्रावधान
- कराधान हेतु प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- अनर्जक निवेशों पर प्रावधान
- अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान।



## 11. TAXES ON INCOME

### 11.1 Income tax expense is the aggregate amount of :

- i. Current tax provision and
- ii. Deferred tax charge.

**11.2** Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and the rules made there under.

**11.3** Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.

**11.4** Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

**11.5** Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

**11.6** Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgment as to whether realisation is considered as reasonably/virtually certain.

### 11.7 Special Reserve:

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that there is no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

## 12. IMPAIRMENT OF ASSETS

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

## 13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

**13.1** In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered

Accountants of India, the Bank recognises provisions only when :

- i. It has a present obligation as a result of a past event.
- ii. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- iii. When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

### 13.2 No provision is recognized for :

- i. Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- ii. Any present obligation that arises from past events but is not recognized because
  - a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
  - b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

**13.3** Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

## 14. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

- i. Provision for depreciation on Investments.
- ii. Provision for Taxation.
- iii. Provision on loan losses
- iv. Provision on Standard Assets.
- v. Provision for non-performing investments
- vi. Other usual and necessary provisions.



## अनुसूची- 18

### समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां: 2016-17

#### अ. अनुषंगी/एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों की सूची, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखा गया है

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखी गई 1 अनुषंगी, 1 एसोसिएट और 3 संयुक्त उद्यम (जो आन्ध्रा बैंक, मूल संस्था, सहित समूह बनते हैं) निम्नानुसार हैं :

क्र.सं	संस्था	निगमित देश	समूह का हिस्सा (%)
<b>क) अनुषंगी:</b>			
1	आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100.00
<b>ख) एसोसिएट:</b>			
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
<b>ग) संयुक्त उद्यम:</b>			
1	इंडिया फस्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड	भारत	30.00
2	एसआरआईसी (भारत) लिमिटेड	भारत	26.02
3	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया)	बीएचडी, मलेशिया	25.00

#### ख. समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी का आधार

मूल बैंक और इसकी अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय विवरणियों (सीएफएस) की तैयारी, जब तक कि अन्यथा कथन न किया हो, लागू सांविधिक/विनियामक प्रावधानों, लेखा मानकों, भारत में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों और प्रथाओं, के सभी तात्त्विक पहलुओं के अनुपालन में की गई है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद कंपनी की वित्तीय विवरणियां मलेशिया में कंपनीज अधिनियम, 1965 की अपेक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) तथा मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एमएफआरएस) के अनुरूप है।

#### ग. समेकन प्रक्रिया :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी लेखा मानक (एस-21), समेकित वित्तीय विवरण (एस-23), समेकित वित्तीय विवरणियों (एस-27) में एसोसिएटों में निवेश हेतु लेखा और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग तथा समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। बैंक और इसकी अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, इंद्रा-ग्रुप शेष/लेनदेन और परिणामी अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात्, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी कुल राशियों को जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़ा गया है।

घ. अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, जहाँ आवश्यक हो, बैंक की लेखा नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।

ङ. अनुषंगी, सहयोगी और 3 संयुक्त उद्यम प्रचलित विधि और प्रथा के अनुसार लेखा नीतियों का निरंतर पालन कर रहे हैं, जो संबंधित व्यवसाय आवश्यकताओं के दृष्टिगत कुछ मामलों में मूल बैंक से भिन्न हैं। प्रबंधन की राय में इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी समेकित वित्तीय विवरणियों में समायोजन की आवश्यकता पड़े।

च. आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड में आन्ध्रा बैंक के निवेश को बुकमूल्य को निवेशों पर मूल्यहास के कारण शून्य कर दिया गया है। अतः आन्ध्रा बैंक द्वारा धारित एबीएफएसएल की शेयर पूंजी रु.5 करोड़ को समेकित वित्तीय विवरणों में पूंजी आरक्षण रूप में दर्शाया गया है।

छ. आर आर बी में निवेश हेतु लेखा :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) नामतः चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में शेयर पूंजी में 35% तक के निवेश का पिछले वर्ष अपनाई गई पद्धति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप इक्विटी पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। एसोसिएटों की निवल आस्तियों में रु 97.95 करोड़ (रु 78.64 करोड़) की वृद्धि के कारण एसोसिएटों के निवेश के मूल्यों में समायोजित किया गया है। आर आर बी की लेखा परीक्षा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत की गई।

#### ज. संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु लेखा :

(i) इंडिया फस्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी, एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी कंपनियों के संबंध में संयुक्त उद्यमों में निवेशों को लेखा मानक 27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया है। निवेशित राशि और कंपनी की इक्विटी में निवेश के नाम-मात्र मूल्य में अंतर को सदभावना के रूप में पहचाना गया है।

(ii) एसआरआईसी को छोड़कर, संयुक्त उद्यमों की विधिवत लेखा परीक्षा उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जहाँ पर समेकन हेतु गैर-लेखा परीक्षा वित्तों का ध्यान रखा गया है।

(iii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी की वित्तीय विवरणियां, जिन्हें सम्मिलित करने पर विचार किया गया है, 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं तथा अंतिम अनुमोदन बैंक नेगारा मलेशिया से अपेक्षित है।

(iv) विदेशी संयुक्त उद्यम में हानि एवं अचल आस्तियों का आदि शेष आगे लाये जाने पर निवेश के बही मूल्य को वर्तमान विनिमय दर पर परिवर्तित करने से उत्पन्न अंतर को विदेशी मुद्रा अंतर प्रारक्षिती के रूप में माना गया है।

(v) 31.03.2017 को इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, की निम्न मर्दे समेकित वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित की गयी हैं, जो भिन्न लेखांकन नीति पर आधारित हैं अथात् मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक।



**SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS : 2016-17**

**A. List of Subsidiary/Associate/Joint Ventures considered for preparation of consolidated financial statements:**

The 1 Subsidiary, 1 Associate and 3 Joint Ventures (which along with Andhra Bank, the parent, constitute the group) considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

Sl. No.	Entity	Country of Incorporation	Group's Stake(%)
<b>a) Subsidiary:</b>			
1	Andhra Bank Financial Services Limited	India	100.00
<b>b) Associate:</b>			
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35.00
<b>c) Joint Ventures:</b>			
1	India First Life Insurance Company Limited	India	30.00
2	ASREC (India) Limited	India	26.02
3	India International Bank(Malaysia)	BHD,Malaysia	25.00

**B. Basis of preparation of Consolidated Financial statements.**

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank and its Subsidiary, Associate and Joint Ventures are prepared to comply in all material respects with applicable statutory / regulatory provisions, Accounting Standards, Generally Accepted Accounting Principles and practices prevailing in India, unless otherwise stated. The financial statements of India International Bank Malaysia Berhad comply with the Malaysian Financial Reporting Standards ('MFRS'), International Financial reporting Standards ("IFRS") and the requirements of the Companies Act, 1965 in Malaysia.

**C. Consolidation Procedure:**

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Accounting Standards (AS-21) "Consolidated Financial Statements", (AS-23) "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and (AS-27) "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements. The financial statements of the Bank and its subsidiary are combined on a line by line basis by adding together like sum of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating material intra group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.

D. The financial statements of subsidiary, are adjusted, wherever necessary, to conform to the accounting policies of the Bank.

E. The Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent Bank in a few cases because of respective business requirements. In the opinion of the management the impact of the same is not material which requires adjustment in Consolidated Financial Statements.

F. The Book value of the investment of Andhra Bank in Andhra Bank Financial Services Ltd. has been reduced to ₹ 'Nil' due to depreciation on investments. Therefore, the share capital of ABFSL held by Andhra Bank, amounting to ₹ 5 crore, has been reflected as Capital Reserve in the consolidated financial statements.

**G. Accounting for investment in RRB:**

In conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank of India the investment in Regional Rural Bank (RRB) namely Chaitanya Godavari Grameena Bank to the extent of 35% of the share capital is valued as per "equity method" as prescribed under the Accounting Standard 23 issued by the Institute of Chartered Accountants of India in line with methods followed in previous year. The value of investment in associate has been adjusted due to increase in net assets of the associate by ₹ 97.95 crore (₹ 78.64 crore). The RRB is duly audited by other auditors for the year ending on 31st March 2017.

**H. Accounting for investment in Joint Ventures:**

(i) The investments in joint ventures have been accounted as per Accounting Standard 27 with regard to the Companies India First Life Insurance Co. Ltd, ASREC (India) Limited and India International Bank (Malaysia) BHD under 'Proportionate Consolidation method'. The difference between the amount invested and the nominal value of the investment in the equity of the company has been recognized as goodwill.

(ii) Joint Ventures have been duly audited by their respective auditors, except ASREC (India) Limited where in unaudited financials are considered for consolidation.

(iii) Financial statements of India International Bank (Malaysia) BHD which are considered for incorporation pertains to the year ended 31st December, 2016 have been approved by the Board of Directors of India International Bank (Malaysia) and final approval for the same from the Bank Negara Malaysia is awaited.

(iv) The differences arising on account of translation of book value of investment brought forward loss and opening balance of fixed assets in overseas joint venture at the applicable exchange rate has been treated as 'Foreign Currency Translation Reserve'.

(v) The following Items in consolidated financial statements as on 31.03.2017 pertain to India International Bank (Malaysia) BHD which are based on a different accounting policy i.e., Malaysian Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Standards





विवरण	अनुसूची	रुपये करोड़ों में
जमा	3	58.46
अन्य देयता	5	0.54
नकद	6	0.14
बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	147.66
अग्रिम	9	23.04
अचल आस्तियाँ	10	0.91
अन्य आस्तियाँ	11	0.34
आकस्मिक देयता	12	23.61
अर्जित ब्याज	13	7.14
अन्य आय	14	0.60
खर्चा गया ब्याज	15	1.90
परिचालनिक व्यय	16	6.39
लाभ/(हानि)		(0.58)

@ बैंक ने दिनांक 05.08.2016 को निजी स्थानन आधार पर 10.99% बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त टीयर-I स्थाई ऋण बॉण्ड लागू किया है जो 900.00 करोड़ रु है।

(#) बैंक ने दिनांक 27.06.2016 को निजी स्थानन आधार पर 8.65%-10 वर्ष बेसल-III अनुपालन टीयर-II (सीरीज-ए) स्थाई बॉण्ड लागू किया है जो 1000.00 करोड़ रु है।

ज. संयुक्त उद्यम के अधिग्रहण से उत्पन्न गुडविल का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

(रु करोड़ों में)

संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2017	31.03.2016
एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	2.90	2.90
निवल गुडविल	2.90	2.90

I. समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :

क. जोखिम के प्रति पूंजी पर्याप्तता अनुपात	2016-17		2015-16	
	बेसल-II	बेसल-III	बेसल-II	बेसल-III
(i) सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	शून्य	7.75	शून्य	7.82
(ii) अतिरिक्त टीयर I पूंजी अनुपात (%)	शून्य	1.49	शून्य	1.04
(iii) टीयर I पूंजी अनुपात (%)	शून्य	9.24	शून्य	8.86
(iv) टीयर II पूंजी अनुपात (%)	शून्य	3.21	शून्य	2.78
(v) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	शून्य	12.45	शून्य	11.64
(vi) भारत सरकार का शेरधारिता प्रतिशत		61.26		61.26
(vii) इक्विटी पूंजी की राशि (रु करोड़ों में)		शून्य		514.48
(viii) अतिरिक्त टीयर 1 की पूंजी राशि हेतु: स्थाई असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) स्थाई ऋण लिखत (पीडीआई)	900.00@ शून्य	800.00 शून्य		
(ix) अतिरिक्त टीयर 2 की पूंजी राशि हेतु: ऋण पूंजी लिखत: अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: स्थाई संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	1000.00# 1000.00 शून्य शून्य शून्य शून्य	1000.00 1000.00 शून्य शून्य शून्य शून्य		
ख. अर्जन प्रति शेयर (प्रति रु 10/- का अंकित मूल्य)				
अर्जन प्रति शेयर (मूल एवं डाइव्यूटेड) (रु)		3.04		8.89
मूल ईपीएस का आकलन				
निवल लाभ (रु करोड़ों में)		207.09		557.99
भारत औसत शेयर संख्या (रु करोड़ों में)		68.12		62.80
प्रति शेयर मूल अर्जन (रु)		3.04		8.89



Particulars	Schedule	Amount in ₹ Crores
Deposits	3	58.46
Other Liabilities	5	0.54
Cash	6	0.14
Balances With Banks & Money at call & Short Notice	7	147.66
Advances	9	23.04
Fixed Assets	10	0.91
Other Assets	11	0.34
Contingent Liability	12	23.61
Interest Earned	13	7.14
Other Income	14	0.60
Interest Expended	15	1.90
Operating Expenses	16	6.39
Profit/(Loss)		(0.58)

**I. Additional disclosures for consolidated financial statements are as under:** (₹ in Crore)

A. Capital to Risk Adequacy Ratio	2016-17		2015-16	
	BASEL-II	BASEL-III	BASEL-II	BASEL-III
(i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	NA	7.75	NA	7.82
(ii) Additional Tier I capital ratio (%)	NA	1.49	NA	1.04
(iii) Tier I Capital ratio (%)	NA	9.24	NA	8.86
(iv) Tier II Capital ratio (%)	NA	3.21	NA	2.78
(v) Total Capital ratio (CRAR)(%)	NA	12.45	NA	11.64
(vi) Percentage of the shareholding of the Government of India	61.26		61.26	
(vii) Amount of equity capital raised (₹ in crore)	Nil		514.48	
(viii) Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which:	900.00@		800.00	
Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL		NIL	
Perpetual Debt Instruments (PDI):	900.00		800.00	
(ix) Amount of Tier 2 capital raised; of which	1000.00#		1000.00	
Debt capital instrument:	1000.00		1000.00	
Preference Share Capital Instruments:	NIL		NIL	
Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	NIL		NIL	
Redeemable Non- Cumulative Preference Shares (RNCPS)	NIL		NIL	
Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	NIL		NIL	
<b>B. Earnings per share (face value of ₹ 10/- each)</b>				
Earnings per Share (Basic and diluted) (₹)	3.04		8.89	
<b>Calculation of Basic EPS</b>				
Net Profit (₹ in crore)	207.09		557.99	
Weighted Average No of Shares (in crore)	68.12		62.80	
Basic Earnings per Share (₹)	3.04		8.89	

@ The Bank has raised 10.99% Basel-III Compliant

Additional Tier I Perpetual Debt Bonds on Private Placement basis on 05.08.2016 amounting to ₹ 900.00 crores.

# The Bank has raised 8.65% - 10 years Basel – III Compliant Tier-II Bonds (Series-C) on Private Placement basis on 27.06.2016 amounting to ₹ 1000.00 crores.

**J. The breakup of Goodwill arising on the acquisition of Joint Venture is as under:** (₹ in crore)

Name of the Joint Venture	31.03.2017	31.03.2016
ASREC (India) Limited	2.90	2.90
Net Goodwill	2.90	2.90



## ट. समेकित वर्ग रिपोर्ट:

(रु करोड़ों में)

भाग क		समाप्त वर्ष	
क्र.सं.	व्यवसाय वर्ग	31.03.2017	31.03.2016
<b>लेखापरीक्षित</b>			
<b>1</b>	<b>वर्ग राजस्व</b>		
	(क) राजकोष	5232.41	4308.99
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	6714.66	7029.72
	(ग) खुदरा बैंकिंग	6230.62	5778.68
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	3126.21	2793.53
	<b>कुल</b>	<b>21303.90</b>	<b>19910.92</b>
	घटाएं: अंतर-वर्ग राजस्व	-	-
	<b>परिचालन से आय</b>	<b>21303.90</b>	<b>19910.92</b>
<b>2</b>	<b>वर्ग परिणाम</b>		
	(क) राजकोष	1129.03	888.77
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	1448.86	1449.94
	(ग) खुदरा बैंकिंग	1344.42	1191.91
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	500.25	449.00
	<b>कुल</b>	<b>4422.56</b>	<b>3979.62</b>
	घटाएं : (i) अन्य अनाबंटनीय व्यय	4028.65	2956.60
	कर पूर्व कुल लाभ	393.91	1023.02
	आय कर और अन्य प्रदत्त कर	186.82	465.03
	<b>निवल लाभ</b>	<b>207.09</b>	<b>557.99</b>
<b>3</b>	<b>वर्ग आस्तियां</b>		
	(क) राजकोष	75608.55	59858.33
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	78290.92	86599.63
	(ग) खुदरा बैंकिंग	62737.58	44278.27
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	6215.44	8312.42
	(ङ) अनाबंटनीय आस्तियां	2593.84	3638.37
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>225446.33</b>	<b>202687.02</b>
<b>4</b>	<b>वर्ग देयताएं</b>		
	(क) राजकोष	73773.08	58431.98
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	75610.68	84139.60
	(ग) खुदरा बैंकिंग	60078.73	41932.12
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	4443.37	7020.63
	(ङ) अनाबंटनीय देयताएं	111.31	136.49
	<b>कुल</b>	<b>214017.17</b>	<b>191660.82</b>
	पूंजी एवं प्रारक्षितियां	11429.16	11026.20
	<b>कुल देयताएं</b>	<b>225446.33</b>	<b>202687.02</b>

भाग ख : भौगोलिक खंड : केवल एक ही खंड है - देशी खंड। तथापि, समेकित विवरण में मलेशिया में निगमित संयुक्त उद्यम के अंक शामिल हैं। जैसे, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी को 25% तक। (प्रबंधन द्वारा समेकित और लेखा-परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है)



**K. Consolidated Segments Report:**

(₹ in Crore)

Part A		Year ended	
S No.	Business Segments	31.03.2017	31.03.2016
		<b>Audited</b>	
<b>1</b>	<b>Segment Revenue</b>		
	(a) Treasury	5232.41	4308.99
	(b) Corporate/Wholesale Banking	6714.66	7029.72
	(c) Retail Banking	6230.62	5778.68
	(d) Other Banking Operations	3126.21	2793.53
	<b>Total</b>	<b>21303.90</b>	<b>19910.92</b>
	Less: Inter Segment Revenue	-	-
	<b>Income from Operations</b>	<b>21303.90</b>	<b>19910.92</b>
<b>2</b>	<b>Segment Results</b>		
	(a) Treasury	1129.03	888.77
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1448.86	1449.94
	(c) Retail Banking	1344.42	1191.91
	(d) Other Banking Operations	500.25	449.00
	<b>Total</b>	<b>4422.56</b>	<b>3979.62</b>
	Less : (i) Other Un-allocable Expenditure	4028.65	2956.60
	Total Profit Before Tax	393.91	1023.02
	Income tax and other taxes paid	186.82	465.03
	<b>Net Profit</b>	<b>207.09</b>	<b>557.99</b>
<b>3</b>	<b>Segment Assets</b>		
	(a) Treasury	75608.55	59858.33
	(b) Corporate/Wholesale Banking	78290.92	86599.63
	(c) Retail Banking	62737.58	44278.27
	(d) Other Banking Operations	6215.44	8312.42
	(e) Unallocable Assets	2593.84	3638.37
	<b>Total Assets</b>	<b>225446.33</b>	<b>202687.02</b>
<b>4</b>	<b>Segment liabilities</b>		
	(a) Treasury	73773.08	58431.98
	(b) Corporate/Wholesale Banking	75610.68	84139.60
	(c) Retail Banking	60078.73	41932.12
	(d) Other Banking Operations	4443.37	7020.63
	(e) Unallocable Liabilities	111.31	136.49
	<b>Total</b>	<b>214017.17</b>	<b>191660.82</b>
	Capital & Reserves	11429.16	11026.20
	<b>Total Liabilities</b>	<b>225446.33</b>	<b>202687.02</b>

**Part B: Geographic Segments:** There is only one segment - Domestic Segment. However, the consolidated statement includes the figures of Joint Venture incorporated in Malaysia viz. India International Bank (Malaysia) BHD to the extent of 25% (Compiled by the Management and relied upon by the Auditors).



**ठ. आय पर करों का लेखांकन (ए एस 22):**  
**31.03.2017 को मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:**

समयांतर विवरण	( रु करोड़ों में)			
	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों में प्रावधान, जिनका कटौती के रूप में दावा नहीं किया गया	-	-	-	-
(2) बहियों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान और धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा	1286.38	-	597.96	-
(3) अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षितता के कारण	-	503.55	-	470.67
(4) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार दावा अधिक/कम मूल्यहास	-	(2.33)	-	8.72
(5) आईटी अधिनियम और बहियों के अनुसार निवेशों में कटौती	-	493.16	-	667.66
(6) पेंशन एवं अंशदान ग्रेच्युटी निधि के कारण	-	-	-	-
(7) निवेशों के हास हेतु प्रावधान	1.47	-	1.31	-
(8) व्यय हेतु प्रावधान	-	0.01	-	0.01
(9) अन्य व्यय/मर्दे	0.02	-	0.02	-
<b>कुल</b>	<b>1287.87</b>	<b>994.39</b>	<b>599.29</b>	<b>1,147.06</b>

**ड. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ:** (रु करोड़ों में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अंतर्गत दर्शाई "प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ" का ब्रेक-अप	2016-17	2015-16
(i) निवेश के मूल्य में हास	189.29	72.27
(ii) अनर्जक आस्तियाँ	3834.04	3100.59
(iii) मानक आस्तियाँ	117.41	66.54
(iv) कर	1028.23	328.65
(v) आस्थगित कर	(841.41)	136.38
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ :		
क) पुनर्गठित अग्रिम	(44.24)	(318.73)
ख) अन्य प्रावधान	(67.85)	35.93
<b>कुल</b>	<b>4215.46</b>	<b>3421.63</b>

मूल बैंक के संचित लाभ/हानि अनुषंगी, सहयोगी और 3 संयुक्त उद्यमों के संबंध में परिकलन के पश्चात, समूह की समेकित प्रारक्षितता 10748.00 करोड़ रु हैं, जिसमें से 10685.50 करोड़ रु मूल से संबंधित हैं तथा शेष 62.50 करोड़ रु अनुषंगी, सहयोगी और 3 संयुक्त उद्यम से संबंधित हैं (पिछले वर्ष में 10345.04 करोड़ रु जिसमें से 10313.23 करोड़ मूल से संबंधित हैं तथा शेष 31.81 करोड़ रु अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम से संबंधित हैं।)

ढ. मूल बैंक और अनुषंगी की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में दी गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना का समेकित वित्तीय विवरण की सटीक और उचित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के दृष्टिगत समेकित वित्तीय विवरणियों की मर्दे, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधित सूचना नहीं दी गई है।

ण. कम्पनी आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (एबीएफएसएल), आन्ध्रा बैंक (मूल) की संपूर्ण स्वमिती अनुषंगी, को दिनांक 09.01.1997 को निगमित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 56 ए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28.01.2005 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया।

तदुपरांत, कम्पनी गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्थान के रूप में मानने हेतु दिनांक 09.01.2008 को भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क किया, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 05.12.2008 को नोट किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार -

1. कंपनी ने अपनी सभी वित्तीय आस्तियाँ बेच दी हैं।
2. कंपनी के निदेशक मंडल ने जनता से कोई जमा स्वीकार न करने हेतु संकल्प पारित किया।

त. जहां भी चालू वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि की आवश्यकता थी, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनःश्रेणीकृत/पुनःश्रुत/पुनःश्रुत/पुनःश्रुत किए गए हैं। प्रकोष्ठ में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं।



**M. Accounting for taxes on income (AS 22):**

The major components as on 31.03.2017 are as follows:  
(₹ in Crore)

Timing Difference particulars	31st March-2017		31st March-2016	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision created in books but not claimed as deduction	-	-	-	-
(2) Provision for NPA as per books and deduction claimed under section 36(1)(vii)	1286.38	-	597.96	-
(3) On account of Special Reserve created under section 36 (1)(viii) of the Act	-	503.55	-	470.67
(4) Excess/Less Depreciation claimed as per Income Tax Act, 1961	-	(2.33)	-	8.72
(5) Depreciation on Investments as per I.T Act and books	-	493.16	-	667.66
(6) On account of pension and gratuity fund contributed	-	-	-	-
(7) Provision for Impairment of Investments	1.47	-	1.31	-
(8) Provision for prepaid expenses	-	0.01	-	0.01
(9) Other expenses / items	0.02	-	0.02	-
<b>Total</b>	<b>1287.87</b>	<b>994.39</b>	<b>599.29</b>	<b>1,147.06</b>

**N. Provisions and Contingencies:**

(₹ in Crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2016-17	2015-16
(i) Depreciation in value of Investments	189.29	72.27
(ii) Non Performing Assets	3834.04	3100.59
(iii) Standard Assets	117.41	66.54
(iv) Taxes	1028.23	328.65
(v) Deferred Tax	(841.41)	136.38
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	(44.24)	(318.73)
b) Other provisions	(67.85)	35.93
<b>TOTAL</b>	<b>4215.46</b>	<b>3421.63</b>

The consolidated Reserves of the group after reckoning parents share of accumulated profit / loss of Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures amount to ₹ 10748.00 Crore of which ₹ 10685.50 crore relate to parent and the balance ₹ 62.50 crore relates to Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures (Previous year ₹ 10345.04 crore of which ₹ 10313.23 crore relate to the parent and the balance ₹ 31.81 crore relates to Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures).

O. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the parent and subsidiary having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

P. The company Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), wholly owned subsidiary of Andhra Bank (Parent), was incorporated on 09.01.1997. It applied for obtaining registration under Section 56 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The RBI rejected the application for certificate of registration as a Non-Banking Financial Company (NBFC) on 28.01.2005.

Thereafter, the company approached the RBI on 09.01.2008 to treat it as a Non-Banking Non-Financial Institution, which was only noted by RBI on 05.12.2008.

As per the directives of RBI –

1. The company has disposed of all its financial assets.
2. The Board of Directors of the company has passed a resolution for non-acceptance of any public deposit.

Q. Previous year's figures have been regrouped/reclassified/rearranged wherever necessary to confirm to current year's figures. Figures in the brackets indicate figures of previous year.



## दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रु '000 में)

विवरण	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	9369,06,38	7975,14,84
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	18179,36,61	9369,06,38
<b>अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)</b>	<b>8810,30,23</b>	<b>1393,91,54</b>
<b>परिचालित कार्यों से नकदी प्रवाह</b>		
कर से पूर्व निवल लाभ	393,91,72	1022,08,32
हेतु समायोजन:		
निवेश में ऋणमुक्ति/मूल्यहास	(218,66,26)	(140,91,35)
अनुबंधी/एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों में निवेश पर प्राप्त लाभांश	-	-
एनपीए हेतु प्रावधान	3834,03,91	3100,59,40
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	117,40,90	66,53,73
अन्य आस्तियों हेतु प्रावधान (निवल)	(112,11,74)	1,892,664
गौण ऋण एवं अन्य उधारों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान	803,69,45	908,42,82
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	155,56,26	147,71,96
आस्तियों के विक्रय वर लाभ	(11,01)	(43,00)
<b>परिचालक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन:</b>		
जमा में वृद्धि / (कमी)	21141,45,83	19283,07,46
निवेश में वृद्धि / (कमी)	(6113,13,80)	(8061,07,84)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(9894,98,38)	(7932,47,54)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(1496,29,63)	(435,23,71)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	2581,53,50	2,363,612
परिचालन जनित नकदी:	11192,30,74	8383,93,01
प्रदत्त कर	(522,90,44)	(582,64,36)
<b>परिचालित कार्यों से नकदी प्रवाह (ए)</b>	<b>10669,40,31</b>	<b>7801,28,65</b>
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह:		
अचल आस्तियों का (क्रय) / विक्रय	(158,68,77)	(271,61,74)
अनुबंधी/एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों में निवेश पर प्राप्त लाभांश	-	-
<b>निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह (बी)</b>	<b>(158,68,77)</b>	<b>(271,61,74)</b>
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	-	514,47,57
उधार में वृद्धि / (कमी)	(855,72,68)	(5596,68,68)
प्रदत्त/देय गौण ऋण और अन्य उधार पर ब्याज	(803,69,45)	(908,42,82)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(40,99,17)	(145,11,44)
<b>वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह (सी)</b>	<b>(1700,41,31)</b>	<b>(6135,75,37)</b>
<b>वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि (+)/ कमी(-) (ए) + (बी) + (सी)</b>	<b>8810,30,23</b>	<b>13,939,154</b>

**सुरेश एन. पटेल**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**एस.के. कालरा**  
कार्यपालक निदेशक

**अजित कुमार रथ**  
कार्यपालक निदेशक

**ए. कृष्ण कुमार**  
निदेशक

**के. रायर**  
महा प्रबंधक

**बी. सत्यनारायण राव**  
सहायक महा प्रबंधक

**कृते प्रेम गुप्ता एवं कं**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 000425एन  
**(सीए प्रेम बिहारी गुप्ता)**  
साझेदार (एम. नं. 080245)

**कृते वी.कृष्णन एवं कं**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 001541एस  
**(सीए पी. गीता)**  
साझेदार (एम.नं. 202607)

**कृते बाशा एवं नरसिम्हन**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 006031एस  
**(सीए नरसिम्हा शाह)**  
साझेदार (एम. नं. 201777)

**कृते सागर एवं एसोसिएट**  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 003510एस  
**(सीए बी. श्रीनिवास राव)**  
साझेदार (एम. नं. 202352)



**CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017**

(₹ in '000)

Particulars	For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
Opening balance of Cash and Cash equivalents	9369,06,38	7975,14,84
Closing balance of Cash and Cash equivalents	18179,36,61	9369,06,38
<b>Net Increase(+)/ Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period</b>	<b>8810,30,23</b>	<b>1393,91,54</b>
<b>Cash Flow from Operating Activities:</b>		
Net Profit before tax	393,91,72	1022,08,32
Adjustment for:		
Amortisation/Depreciation on Investments	(218,66,26)	(140,91,35)
Dividend received on Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	-	-
Provision for NPA	3834,03,91	3100,59,40
Provision for Standard Assets	117,40,90	66,53,73
Provision for Other Assets (Net)	(112,11,74)	1,892,664
Payment / provision for Interest on Subordinated Debt & Other Borrowings	803,69,45	908,42,82
Depreciation on Fixed Assets	155,56,26	147,71,96
Profit on Sale of Assets	(11,01)	(43,00)
<b>Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities:</b>		
Increase / (Decrease) in Deposits	21141,45,83	19283,07,46
(Increase) / Decrease in Investments	(6113,13,80)	(8061,07,84)
(Increase) / Decrease in Advances	(9894,98,38)	(7932,47,54)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(1496,29,63)	(435,23,71)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2581,53,50	2,363,612
Cash Generated from Operations	11192,30,74	8383,93,01
Taxes Paid	(522,90,44)	(582,64,36)
<b>Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>10669,40,31</b>	<b>7801,28,65</b>
<b>Cash Flow from Investing Activities:</b>		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	(158,68,77)	(271,61,74)
Dividend received on Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	-	-
<b>Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(158,68,77)</b>	<b>(271,61,74)</b>
<b>Cash Flow from Financing Activities:</b>		
Equity Capital including Premium	-	514,47,57
Increase / (Decrease) in Borrowings	(855,72,68)	(5596,68,68)
Interest paid / payable on Subordinated Debt & Other Borrowings	(803,69,45)	(908,42,82)
Dividend paid (including tax on dividend)	(40,99,17)	(145,11,44)
<b>Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	<b>(1700,41,31)</b>	<b>(6135,75,37)</b>
<b>Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)</b>	<b>8810,30,23</b>	<b>13,939,154</b>

**SURESH N PATEL**

Managing Director & Chief Executive Officer

**A.KRISHNAKUMAR**

Director

**S.K.KALRA**

Executive Director

**K.RAYAR**

General Manager

**AJIT KUMAR RATH**

Executive Director

**B. SATYANARAYANA RAO**

Assistant General Manager

For **PREM GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
FRN- 000425N  
**(CA PREM BEHARI GUPTA)**  
Partner (M.NO. 080245)

For **V.KRISHNAN & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN- 001541S  
**(CA P. GEETHA)**  
Partner (M.NO. 202607)

For **BASHA & NARASIMHAN**  
Chartered Accountants  
FRN- 006031S  
**(CA K. Narasimha Sah)**  
Partner (M. No. 201777)

For **SAGAR & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN- 003510S  
**(CA B. SRINIVASA RAO)**  
Partner (M. No. 202352)

Place: Hyderabad  
Date: 24.05.2017





## समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सेवा में

आन्धा बैंक के सदस्य,  
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने आन्धा बैंक एवं इसके अनुषंगी, एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यमों (एकसाथ समूह के रूप में जाने गए) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च 2017 के समेकित तुलन पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण संलग्न हैं तथा जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं:
- हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16.05.2017 के अनुपालन में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, आन्धा बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।
- अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1 (एक) अनुषंगी, 1 (एक) एसोसिएट एवं 2 (दो) संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।
- 1 (एक) संयुक्त उद्यम के गैर-लेखा परीक्षित खाते ।

इन वित्तीय विवरण आन्धा बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है तथा अलग वित्तीय विवरणों एवं समूह के विभिन्न संस्थाओं की अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है । हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना हमारा दायित्व है ।

### वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है । इस उत्तरदायित्व में, धोखाधड़ी या त्रुटियों के कारण तात्त्विक मिथ्याकथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित हैं ।

### लेखापरीक्षकों का दायित्व

- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय देना हमारा उत्तरदायित्व है । हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है । उन मानकों के अनुसार हमसे यह अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हम योजना बनाएं एवं लेखा परीक्षा करें कि ये वित्तीय विवरणियाँ तात्त्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं ।
- लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण तथा राशियों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा साक्ष्यों की जाँच करना सम्मिलित है । लेखा परीक्षा के लिए चयन की गई प्रक्रिया का स्वरूप लेखा परीक्षक के विवेकाधीन है, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तात्त्विक मिथ्याकथन के जोखिम का निर्धारण भी इसमें सम्मिलित है । ऐसे जोखिम निर्धारण के समय, लेखा परीक्षक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने हेतु बैंक के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणियों का

उचित रूप से प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करेगा, परंतु इकाई के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर कोई राय देने के उद्देश्य से नहीं । प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता तथा समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है ।

- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा प्रमाण, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय का मूल प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उचित है ।
- हमने संयुक्त रूप से बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2017 तक 2,22,126 करोड़ रु की कुल आस्तियों तथा समाप्त वर्ष हेतु 20,336 करोड़ रु का कुल राजस्व एवं 8,762 करोड़ रु का निवल नकद अंतर्वाह प्रतिबिंबित करते हैं ।
- हमने इसकी एक अनुषंगी, एक एसोसिएट तथा तीन संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च 2017 तक 3,320.20 करोड़ रु की कुल आस्तियों एवं समाप्त वर्ष हेतु 968.17 करोड़ रु का कुल राजस्व को प्रतिबिंबित करते हैं । यह वित्तीय विवरण तथा एक अनुषंगी, एक एसोसिएट और दो संयुक्त उद्यमों की अन्य सूचना अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है, जिसकी रिपोर्ट बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं एक संयुक्त उद्यम के गैर-लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत किए गए हैं । समेकित वित्तीय विवरणों पर उक्त अनुषंगी, एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों और गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट पर आधारित है ।
- हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा निर्धारित लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक (एस) 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएटों में निवेशों के लिए लेखा" तथा लेखा मानक 27 - "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं ।

### राय

- हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शाया गया है तथा हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - सभी आवश्यक ब्यौरे के साथ समेकित तुलन पत्र, उसकी अनुसूचियों सहित संपूर्ण एवं सही तुलन पत्र है एवं उचित रूप से बनाया गया है ताकि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक एवं इसकी अनुषंगी, एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यमों की परिस्थिति की सही एवं उचित स्थिति दर्शायी जा सके ।
  - समेकित लाभ एवं हानि खाता, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप खातों द्वारा कवर किए गए वर्ष हेतु लाभ का सही शेष दर्शाते हैं; तथा



## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Members of Andhra Bank.  
Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Andhra Bank, its Subsidiary, Associate and Joint Ventures (together referred to as the Group), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2017, and the Consolidated Profit and Loss account and the Consolidated Cash Flow statement for the year ended on that date annexed thereto, and a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are incorporated:
  - i) Audited financial statements of the Andhra Bank (the Bank), audited by us, vide our audit report dated 16.05.2017;
  - ii) Audited financial statements of 1 (one) Subsidiary, 1 (one) Associate and 2 (two) Joint Ventures, audited by other auditors.
  - iii) Unaudited Accounts of 1 (one) Joint Venture.

These financial statements are the responsibility of the Andhra Bank's Management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the Group. Our Responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

### Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances,

but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.
6. We have jointly audited the financial statements of the Bank, whose financial statements reflect total assets of ₹ 2, 22, 126 Crores as on 31st March 2017, and total revenue of ₹ 20,336 Crores and net cash inflows amounting to ₹ 8,762 Crores for the year then ended.
7. We did not audit the financial statements of one subsidiary, one associate and three joint ventures whose financial Statements reflects total assets of ₹ 3,320.20 Crores as on 31st March, 2017, and total revenue of ₹ 968.17 Crores for the year then ended. These financial statements and other information of one subsidiary, one associate and two joint ventures have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the banks management and unaudited accounts of one joint venture have been furnished to us. Our opinion, on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, associate and Joint ventures, is based on the report of the other auditors and unaudited financial statements respectively.
8. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standards 21 - "Consolidated financial statements", Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for investments in Associates in consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 - "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the requirements of Reserve bank of India.

### Opinion

9. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - (i) The Consolidated Balance Sheet, read with the accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank and its subsidiary, associate and Joint ventures as at 31st March, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
  - (ii) The Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and



(iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह के सही और समुचित स्थिति को दर्शाता है ।

**अन्य विधि तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

10. समेकित तुलन पत्र तथा समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में क्रमशः फार्म "क" एवं "ख" में दिए गए हैं ।

11. उक्त पैरा 1 से 8 में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा की परिसीमा तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अंतरण एवं अभिग्रहण) अधिनियम, 1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटीकरण की परिसीमा की शर्तों के अनुरूप, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :

(क) हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार सटीक तथा संतोषजनक पाए गए ।

(ख) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लागू लेखा मानकों के अनुरूप है ।

**कृते प्रेम गुप्ता एवं कं**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 000425एन  
**(सीए प्रेम बिहारी गुप्ता)**  
साझेदार (एम. नं. 080245)

**कृते वी.कृष्णन एवं कं**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 001541एस  
**(सीए पी. गीता)**  
साझेदार (एम.नं. 202607)

**कृते बाशा एवं नरसिम्हन**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 006031एस  
**(सीए नरसिम्हा शाह)**  
साझेदार (एम. नं. 201777)

**कृते सागर एवं एसोसिएट**

सनदी लेखाकार  
एफआरएन- 003510एस  
**(सीए बी.श्रीनिवास राव)**  
साझेदार (एम. नं. 202352)

स्थान: हैदराबाद  
दिनांक: 24-05-2017



- (iii) The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

10. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- (b) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, prescribed by The Institute of Chartered Accountants of India.

**For PREM GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
FRN- 000425N

**(CA Prem Behari Gupta)**  
Partner (M. No. 080245)

**For BASHA & NARASIMHAN**  
Chartered Accountants  
FRN- 006031S

**(CA K. Narasimha Sah)**  
Partner (M. No. 201777)

**For V.KRISHNAN & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN- 001541S

**(CA P. Geetha)**  
Partner (M. No. 202607)

**For SAGAR & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN- 003510S

**(CA B. Srinivasa Rao)**  
Partner (M. No. 202352)

Place: Hyderabad  
Date: 24.05.2017



**आन्धा बैंक**  
**Andhra Bank**  
देशवासियों का बैंक Where India Banks

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

**प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.**

**फार्म बी**

**प्रॉक्सी फार्म**

पंजीकृत फोलियो नं.		डीपी आईडी नं.
		ग्राहक आईडी नं.
यदि अमूर्तिकरण नहीं हुआ,		यदि अमूर्तिकरण हुआ

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

**सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक, 21 जुलाई, 2017**

पंजीकृत फोलियो नं \_\_\_\_\_

डीपीआईडी नं \_\_\_\_\_

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_ आन्धा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_

राज्य को आन्धा बैंक के शेयरधारकों की शुकवार, 21 जुलाई, 2017 प्रातः 10.00 am 'पट्टाभि भावनालय', आन्धा बैंक, प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004. में होने वाली सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक और उसके स्थगन की बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से (पोल पर) वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

कृपया रु. 1/-  
का राजस्व  
स्टाम्प लगायें

**प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर**

नाम .....

(बड़े अक्षरों में)

पता .....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ..... पता .....

**प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश**

- प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक,
  - वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या लिखित रूप में प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो
  - संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
  - निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- परंतु यह कि किसी प्रॉक्सी को लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के यथेष्ट रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया है और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्धा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए
- प्रॉक्सी साथ
  - मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,
  - नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, आन्धा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 में वार्षिक साधारण बैठक प्रारंभ होने के चार दिन के पहले यानी कि शनिवार 15 जुलाई 2017 शनिवार को कार्यसमय की समाप्ति के पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे जमा किया जाए.
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्थापित न हो.
- बैंक में जमा करायी गयी प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.
- वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.
- प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.
- जो व्यक्ति आन्धा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।



(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.

**FORM - B  
PROXY FORM**

Regd. Folio No.		DP ID No.
		CLIENT ID No.
If not Demeterialised		If Demeterialised

(to be filled in and signed by the shareholder)

**SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING, 21st JULY, 2017**

I/We \_\_\_\_\_ resident(s) of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder / shareholder(s) of Andhra Bank, Hyderabad, hereby appoint Shri /Smt. \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ OR failing him/her, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf in the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of Andhra Bank to be held on Friday, 21st July, 2017 at 10.00 A.M. at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004, and at any adjournment thereof.

Please affix  
Re.1/-  
Revenue  
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

Name \_\_\_\_\_

(in Block letters)

Signature of Proxy \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

- i) No instrument of proxy shall be valid unless
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or his / her attorney, duly authorised in writing,
  - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- ii. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
- iii. The proxy together with
  - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Shareholders/Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours, i.e., 5.00 P.M., Saturday 15th July, 2017.
- iv. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- v. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- vi. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vii. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the 17th Annual General Meeting to which such instrument relates.
- viii. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.
- ix. The proxy appointed will not have any right to speak at the meeting.



**आन्धा बैंक**  
**Andhra Bank**  
देवासियों का बैंक Where India Banks

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय: डा पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004

**उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP**

(स्थान पर प्रवेश के समय सौंपी जाए to be surrendered at the time of Entry)

दिनांक : 21 जुलाई, 2017

Date : 21st July, 2017

समय : 10.00 बजे

Time : 10.00 A.M.

स्थान : 'पट्टाभि भावनालय', आन्धा बैंक, प्रधान कार्यालय: डा पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004.

Place : 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

शेयरधारक का हस्ताक्षर Signature of the Shareholder	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Proxy / Representative present	
पंजीकृत फोलियो Regd. Folio (यदि अमूर्त नहीं) if not dematerialised)	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी DP ID & Client ID (यदि अमूर्त if dematerialised)
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder / Proxy / Representative	
धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	



**आन्धा बैंक**  
**Andhra Bank**  
देवासियों का बैंक Where India Banks

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

**प्रवेश पास ENTRY PASS**

(बैठक के दौरान रखा जाना है to be retained throughout the meeting)

पंजीकृत फोलियो Regd. Folio (यदि अमूर्त नहीं) if not dematerialised)	डीपी आई डी एवं ग्राहक आईडी DP ID & Client ID (यदि अमूर्त if dematerialised)
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder / Proxy / Representative	
धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रवेश पास के साथ स्थल में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करें, फिर भी प्रवेश सत्यापन/जांच, जो आवश्यक समझा जाए, के अधीन होगा। प्रवेश पास - बैलट पेपर का भाग शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि को वापिस सौंपा जाएगा जो उन्हें बैठक के अंत तक अपने पास रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि नहीं दी जाएगी।

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under any circumstances, no duplicate attendance slip will be issued.

टिप्पणी : किसी भी प्रकार के उपहार/ उपहार कूपन बांटे नहीं जाएंगे।

No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.











# महाप्रबंधक General Managers



आर पद्मनाभन  
R Padmanabhan



वी बी भागवती  
V B Bhagavathi



अश्वनी कुमार मित्तल  
Ashwani Kumar Mittal



वी सत्यनारायण मूर्ति  
V Satyanarayana Murthy



विनय कुमार वर्मा  
Vinay Kumar Verma



आर मल्लिकार्जुन  
R Mallikarjuna



पी वी एस टी आर शेषगिरि राव  
P V S T R Seshagiri Rao



वाई अमरनाथ  
Y Amarnath



के. रंगनाथ  
K Ranganath



एम एन सुधाकर  
M N Sudhakar



यू वी वी एल प्रसाद  
U V V L Prasad



जी एस वी कृष्णा राव  
G S V Krishna Rao



सीहेच गोपाला कृष्णा  
Ch Gopala Krishna



जी मल्लेश्वर राव  
G Malleswara Rao



के रायर  
K Rayar



एल एन रथ  
L N Rath



वी एस शेषगिरि राव  
V S Seshagiri Rao



ఆంధ్ర బ్యాంక్  
आन्धा बैंक  
Andhra Bank  
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ इंडिया  
(A Govt. of India Undertaking)

## Awards and Rewards

(2016-17)

- ◆ **Best Bank for Managing IT Eco System among mid-size banks and Best Bank for Digital Banking among mid-size banks from IDRBT**
- ◆ **Best Performing Bank amongst all Public Sector Banks for excellent performance in enrolment of Atal Pension Yojana (APY) Accounts**
- ◆ **National Payment Excellence Award 2016 (Runner up) by NPCI' for excellent performance under Rupay Card in midsize category**
- ◆ **Banking Technology Awards of IBA - Awarded winner in 'Best Financial inclusion initiatives under Mid-size banks' and 'Best IT Risk and Cyber Security Initiatives (Runner Up) under Mid-size bank category'**



ఆంధ్రా బ్యాంక్

आन्धा बैंक  
Andhra Bank

एम्प्लॉयर्स बैंक ऑफ इंडिया  
(A Govt. of India Undertaking)

H.O: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.  
[www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in)